राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का चौतीसवां दिवस [संख्या: 21

मंगलवार,

28 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): नव वर्ष की शुभकामनाएं।

श्री अध्यक्ष: सबका स्वागत। सबकी शुभकामनाएं शिरोधार्य और अगला साल हमारे लिये शुभ ही शुभ हो, किसी तरह के अशुभ का नाम ही नहीं आए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सत्ता पक्ष की तरफ भी देखो।

श्री अध्यक्ष: इधर भी नमस्कार। यह तो अपना राष्ट्रीय त्योहार है। सबको एक-दूसरे की शुभकामनाएं स्वीकार है। मेरी तरफ से भी आप सबको शुभकामनाएं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल। श्री शैतानसिंह।

पोकरण में क्षतिग्रस्त जी.एल.आर.

453. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पोकरण में क्षतिग्रस्त जी.एल.आर. की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त जी.एल.आर. की मरम्मत करवाने व पूर्णतया क्षतिग्रस्त जी.एल.आर. के स्थान पर नवीन जी.एल.आर. बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) विधान सभा क्षेत्र पोकरण के ग्रामीण क्षेत्र की 124 पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित कुल 760 भूतल जलाशयों में से 21 पेयजल योजनाओं में कुल 124 भूतल जलाशय वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं। इन 124 भूतल जलाशयों में से 113 भूतल जलाशय आंशिक रूप से तथा 11 भूतल जलाशय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। योजनावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पोकरण में उक्तानुसार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भूतल जलाशयों के मरम्मत कार्य तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भूतल जलाशयों के स्थान पर नवीन भूतल जलाशयों के निर्माण हेतु बनाये गये प्रस्ताव सक्षम स्तर पर दिनांक 20.03.2017 को प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों के तकनीकी परीक्षण उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मार्फत मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त जी.एल.आर. हैं, जो बिलकुल खतम हैं, उनको सरकार कब तक तैयार कराने की मंशा रखती है? दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र हैण्डपम्प पर ही आधारित है, जिसमें से 9-10 पंचायतें पूर्णतया हैण्डपम्प पर आधारित हैं, तो उन हैण्डपम्पों पर सोलर पम्प लगाने की सरकार कोई मंशा रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं, जैसे ही इन्होंने क्वेश्चन लगाया, मैंने देखा और देखते ही मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिये कि जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भूजल जलाशय हैं 113, उनके अंदर 16.43 लाख रुपये की और जो 11 क्षतिग्रस्त भूतल जलाशय हैं, उनके साथ 4 स्वच्छ जलाशय भी सम्मिलित हैं, उनके लिये 81.88 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, इन्होंने क्वेचन पूछा सोलर सिंगल फेज की स्थापना के बारे में। इनके विधान सभा क्षेत्र के अंदर 49 सोलर पम्प, 45 सोलर डी.एफ.यू. है और 5 सोलर पम्प हैं, इनकी स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं और इनका कार्यादेश भी दे दिया गया है और उनका काम चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): बहुत-बहुत धन्यवाद इस स्वीकृति के लिये। मेरे अगले दो प्रश्न और हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके इस प्रश्न का जवाब आ गया, संतोषप्रद आ गया।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सीमांत क्षेत्र से आता हूं और वह रेगिस्तानी क्षेत्र है तो इसलिये अध्यक्षजी, सिर्फ दो बात मैं इनके सामने रखूंगा। एक तो वहां नहरी क्षेत्र में 14 पंचायतें आती हैं जो नहरी खालों से जुड़ी हुई पेयजल व्यवस्था है। आंधी चलने पर वह खाले भर जाते हैं तो तीन-चार महीने तक पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं रहती तो उसके लिये कोई डिग्गी बनाने की सरकार मंशा रखती है क्या? दूसरा प्रश्न है कि हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब आ गया, अब स्थान ग्रहण कीजिये। नहीं, आपका जवाब आ गया।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): .....उसके लिये एक हजार की आबादी पर हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में इसको बनाने की मंशा रखती है क्या?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तानी इलाके में 3 हजार और दूसरे जिलो में 4 हजार की पोपूलेशन के आधार यह पाइप स्कीम स्वीकृत करने का नियमों में प्रावधान है। इसलिये एक हजार की पोपूलेशन के आधार पर किसी प्रकार की पाइप स्कीम स्वीकृत करने का कोई विचार नहीं है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने डिग्गी निर्माण के लिये कहा, तो मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि आपके पोकरण विधान सभा क्षेत्र में करीब 205 डिग्गियां वर्तमान में स्थित हैं और उनमें 41 हजार लीटर की स्टोरेज क्षमता की डिग्गी निर्मित की गयी है। वह आपके पाँच गांव हैं, इनमें

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मदासर है, डावरीवाला है, जालूवाला है, भारेवाला है, नाचना है, इनके अंदर डी.ए.डी.पी. के थ्रू डिग्गियां बनाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, वह स्वीकृत हो जाएगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर यह है।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंहजी। पोकरण विधान सभा है यह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उतनी ही बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष: इधर-उधर नहीं, पोकरण विधान सभा की बात करें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): पोकरण और जैसलमेर एक ही जिला है हुकुम, दोनों एक ही जिले हैं।

श्री अध्यक्ष: चलो आप प्रश्न करें, पर पोकरण से इधर-उधर मत होना।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस गर्मी के सीजन में... जी.एल.आर. टूटे हुए हैं, पशु खेली टूटी हुई है, उसका तो मंत्रीजी का जवाब आयेगा, उससे पोकरण और जैसलमेर का हो जाएगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्यूबवैल बंद हो जाते हैं, आंधियां आती हैं, उस समय टैंकर की व्यवस्था से आमजन को 55 लीटर पानी प्रतिदिन दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन 55 लीटर पानी, उसके साथ में हमारे पशु भी हैं तो पशुओं के लिये क्या माननीय मंत्रीजी अलग से व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, इसका जवाब आ रहा है। नहीं, आगे नहीं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आंधियां आना या नहीं आना, वह तो मेरे हाथ में है नहीं। जैसलमेर जिला रेगिस्तानी जिला है, मरुस्थलीय जिला है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि गर्मियों में जहां पर आपके टैंकर की व्यवस्था करनी होगी, हम लोग टैंकर की व्यवस्था करेंगे और किसी भी व्यक्ति को पानी के अभाव में परेशानी भोगने की जरूरत महसूस नहीं करने देंगे।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति नहीं मरेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि व्यक्ति नहीं मरेगा, उसके साथ में पशु बहुमूल्य हैं, उन पशुओं के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं को पानी मिलेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आप मिल लेना इनसे। आप मिलकर बात कर लेना। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, यह सवाल पोकरण से संबंधित है। पोकरण से इधर-उधर नहीं जाना।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): पोकरण से एक इंच भी बाहर नहीं जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, फिर मैं जवाब नहीं देने दूंगा। आप पोकरण से संबंधित सवाल कीजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): पोकरण से रामदेवरा जाते समय पोकरण विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है, हम रामदेवरा जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आपने आदेश इनके प्रश्न पर कर दिया, लेकिन ऐसे जो जी.एल.आर. हैं न, इनमें 15-20 तो हमने रोड पर देखे हैं कि पानी वैस्ट जाता है, एक तरफ तो हम पानी की तकलीफ की बात कहते हैं, मतलब कहीं न कहीं अधिकारी की उसके लिये जवाबदेही है कि नहीं? वह क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको समय पर रिपेयरिंग कर देना चाहिये। जैसे सड़कों के अंदर होता है, 6 साल बाद नोन-पेचेबल में ले ली जाती है। ऐसे पूरे प्रदेश में ये रिपेयरिंग वाले जी.एल.आर. विशेष देखने चाहिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर भी पानी की अव्यवस्था होगी और जहां पर भी पानी वैस्टेज होगा, हमारी जानकारी में लाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे, क्योंकि पानी अमूल्य है। जल है तो जीवन है और जल है तो कल है, इसलिये जल को बचाना सभी माननीय सदस्यों का भी कर्तव्य है और पूरे राजस्थानवासियों का भी कर्तव्य है। इसलिये जहां भी पानी की अव्यवस्था होती है, उसको ठीक करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कैलाश जी, यह पोकरण से संबंधित है। बोलिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): बिल्कुल पोकरण से। अध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पोकरण के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या आज से नहीं, कई वर्षों से है। वहां पर

(श्री कैलाश चौधरी)

जी.एल.आर. भी टूटी हुई हैं और कई जगह पाइप लाइन भी टूटी हुई हैं। उनका स्थायी समाधान अगर कोई है, तो पोकरण-फलसूण्ड, बालोतरा-सिवाना प्रोजेक्ट है। वह जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वह कब तक पूर्ण हो जाएगा? उनकी समस्या का जो स्थायी समधान है, वह उसी से होगा और यह पोकरण-फलसूण्ड की योजना का जो प्रोजेक्ट है, उसमें पाइप लाइन डाली जा चुकी है। जो बीच का टुकड़ा है, जिसका टैण्डर भी अभी आपने करवाया है, उसकी क्या स्थिति है और यह टाइम-बार्ड भी हो चुका है तो यह कब तक काम पूरा कर दिया जाएगा? इतना मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पोकरण-फलसूण्ड जो योजना है उसके 177 गांव पोकरण के हैं और पोकरण शहर भी है, उनमें से पोकरण शहर और तीन गांवों को पोकरण-फलसूण्ड योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि 18 जून तक उन पूरे 177 गांवों में भी पानी पहुंचाने के लिए हमने पाबंद कर दिया है अनुबंधक को, और जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री हरिसिंह रावत।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: निवेदन बाद में सुन लेंगे, अभी तो कृपया आप विराजो।

भीम को नगरपालिका बनाने की योजना

454. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्राम भीम की वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम की जनसंख्या के आधार पर वहां नगरपालिका का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: हां, माननीय मंत्री महोदय।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्राम भीम की जनसंख्या 11568 है।

(2) जिला कलेक्टर, राजसमन्द को जन आपत्तियां आमंत्रित कर अभिशंसायुक्त प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार के स्तर पर गुणवत्ता के आधार पर परीक्षण किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। केवल भीम से सीमित है, बिलकुल, बहुत छोटा सा सवाल है, छोटा ही जवाब है। अब आप इसमें कहां बोलोगे? ...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको एवं मंत्रीजी को नव वर्ष की शुभकामना देता हूं और इस शुभकामना के साथ-साथ ही पूरे सदन को भी बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2011 का जनसंख्या का आंकड़ा बताया है 11568, यह केवल मेरी विधान सभा क्षेत्र की जो भीम ग्राम पंचायत है, उसका है। इसमें टोटल 27 वार्ड हैं और 27 वार्ड में, इन्होंने मुझे जो आंकड़ा बताया है, केवल 16 वार्ड का ही बताया है, जो ठीक नहीं है। यह 11 वार्ड इन्होंने छोड़ दिये हैं, पता नहीं इनको पूरा जवाब शायद दिया नहीं है। वैसे अगर पूरी जनसंख्या देखी जाए तो आज तक की, शायद 22 हजार से भी ज्यादा मेरी भीम पंचायत की पोपूलशन है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, फर्स्ट तो आप हमारे मेवाड़ के हैं और मेवाड़ का कुछ सोफ्ट कॉर्नर रखते हुए और, अध्यक्ष महोदय, आप भी हमारे मेवाड़ के हैं तो आप भी हमारी थोड़ी सिफारिश करेंगे। मेरा विधान सभा क्षेत्र विधान सभा मुख्यालय भी है। यह 10 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे इस भीम को नगरपालिका बनायेंगे तो मैं और मेरी जनता आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करेगी। आज ही घोषणा कर दें तो मैं समझता हूं कि हमारा उद्धार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। मेरी भी सिफारिश है, माननीय मंत्री महोदय, इन्होंने कहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपकी भी सिफारिश है?

एक माननीय सदस्य: यह मेवाड़ के हैं न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो हालांकि यह बिलकुल सही आंकड़े हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वहां पर आबादी बढ़ गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि नई नगरपालिकाओं के गठन के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी और समिति द्वारा नगरपालिकाओं के गठन हेतु 20 हजार की आबादी प्रस्तावित की गयी है। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करता हूं, हालांकि मैं इस बात का पूरा प्रयास करूंगा कि जो नये नोर्म्स तय किये गये हैं उसमें अगर आता होगा, उन्नीस-बीस भी होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी नगरपालिका भीम बन जाए। लेकिन, साथ ही साथ मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका ... हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनको कहो, जनसंख्या बढ़ाओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): नहीं, जनसंख्या बढ़ाएं नहीं, बढ़ाएं लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: देवनानी साहब, डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अभी वर्तमान में 8 हजार नरेगा के मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों के बारे में भी चिंता जरूर करना। उसके बावजूद भी आपको लगता है तो गुणावगुण के आधार पर और आर्थिक स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से इनको आश्वासन देता हूं कि नये सिरे से हम फिर इसका सर्वे करा लेंगे और बनने जैसा होगा तो निश्चित रूप से बनाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। क्या दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? जवाब आ गया पर्याप्त।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रणधीर सिंह जी भीण्डर, आप इसमें क्या करेंगे? अपने यहां मत लाइये, केवल वहीं रहिये जहां है।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): वहीं रहूंगा, भीम ही रहूंगा।

श्री अध्यक्ष: भीम ही रहिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, भीम नगरपालिका अगर घोषित होती है तो वह 'डी' श्रेणी की नगरपालिका बनेगी। 'डी' श्रेणी की तो कई नगरपालिकाएं हैं जिनके पास फंड्स ही नहीं हैं, जहां पर कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं, तनख्वाह ही नहीं दे पा रहे हैं तो इसको क्यों बनाना चाहते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। अगला सवाल। श्री हीरालाल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात इसीलिए मैं पहले निवेदन कर रहा था। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं बिलकुल सही कह रहे हैं। अभी वर्तमान में 8 हजार नरेगा के मजदूर काम कर रहे हैं, वो सारे बेरोजगार हो जायेंगे। नगरपालिकाओं की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, जनता चाहती है और आबादी के नोर्म्स में बैठती है तो निश्चित रूप से बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री हीरालाल रैगर।

निवाई शहर में मोटर निरीक्षक कार्यालय की स्थापना

455. श्री हीरालाल (निवाई): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये मोटर निरीक्षक कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में मोटर निरीक्षक कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) (परिवहन मंत्री के स्थान पर): (1) मोटर निरीक्षक कार्यालय कोई पृथक् कार्यालय नहीं होने के कारण इसके खोलने के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र निवाई में पूर्व में 18.10.2003 को उप

(श्री बाबूलाल वर्मा)

परिवहन कार्यालय स्थापित किया गया था जो कि 02.09.2005 तक संचालित रहा। स्टॉफ की कमी होने व किराये के भवन के लिए बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण यह कार्यालय दिनांक 02.09.2005 के बाद बंद कर दिया गया। वर्तमान में जिला परिवहन कार्यालय एन.एच. 12 पर टोंक से 12 किलोमीटर दूर ग्राम बोरखण्डी खुर्द, ग्राम पंचायत सोहेला में राजकीय भवन में संचालित किया जा रहा है जहां से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर निवाई कस्बा स्थित है। अत: निवाई क्षेत्र के आवेदनकर्ताओं के लिए जिला परिवहन कार्यालय अधिक दूरी पर नहीं होने के कारण अन्य कोई परिवहन कार्यालय निवाई में खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जब मानदण्ड नहीं थे तो फिर आपने कैसे कार्यालय खोल दिया? 2003 मैं कैसे खोल दिया मानदण्ड नहीं थे तो?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। एक सवाल।

श्री हीरालाल (निवाई): एक बात।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री हीरालाल (निवाई): दूसरा, आपने खोला और उसको 2005 तक रखा और फिर बंद कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खाली सरल और सीधी भाषा में ये कहते हैं मानदण्ड नहीं है और यह नहीं है, वो नहीं है, तो यह तो सरकार का कोई जवाब नहीं होता माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले भी 25 किलोमीटर दूर था, अब 22 किलोमीटर दूर है, पहले भी टोंक से उल्ली तरफ ही था तो क्या टोंक में बिलकुल नजदीक है तो कोई वो कार्यालय नहीं खुल सकता? खुला हुआ है न। यह तो कोई जवाब माननीय मंत्री महोदय जी का नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): इसमें कोई बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यालय खोलने के लिए कोई अलग से बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी मकान लेने की। मेरे यहां स्थान उपलब्ध है।

(श्री हीरालाल)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि मेरे यहां निवाई और पीपलू, दोनों उपखण्डों में सबसे ज्यादा व्हीकल हैं और उन सब लोगों को बाहर जाना पड़ता है, टोंक जाना पड़ता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है, माननीय मंत्री महोदय जवाब दें, एक एल.डी.सी. वहां बैठा दें। आपको कोई भवन लेने की आवश्यकता नहीं है, जब पहले खोला था, बिना मानदण्ड के खोल दिया तो अब क्या दिक्कत पड़ रही है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे जवाब दिलाएं और यह कहें कि आप वहां पर कोई एल.डी.सी. बैठाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, एक एल.डी.सी. बैठाने से ही वो कार्यालय नहीं खुल जाता। निश्चित रूप से उसकी पूरी स्टॉफ स्ट्रेंथ होती है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक उप परिवहन कार्यालय के लिए लगभग 24 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है अधिकारी से लेकर तो एक एल.डी.सी. बैठाने से यदि वो कार्यालय खुल जाए तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, यदि वहां वाहनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो, अधिक संख्या में वाहनों की मात्रा होती है तो उसका परीक्षण करके हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां यदि डिमांड के हिसाब से काम होता है तो कार्यालय खोलने की बात करें।

पहले आप लोगों की डिमांड के आधार पर परीक्षण करवाकर कार्यालय खोला गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब यह कार्यालय 18.10.2003 से 02.09.2005 तक चला, उस समय दो साल के अन्दर जो काम हुआ वो बहुत ही न्यून स्थिति में था, काफी कम काम था। वहां दो साल में मात्र 75 ही लाइसेंस बने और सिर्फ 47 प्रकरण ही फिटनैस के आये। इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगर टैक्स की स्थिति आपके माध्यम से बताऊं तो लाइसेंस, टैक्स की जो रिकवरी हुई, उसमें मात्र 23 हजार 120 रुपये की रिकवरी हुई और 47 जो फिटनैस के प्रकरण आये, उसमें मात्र 23 हजार 900 रुपये, अगर टोटल कलेक्शन भी हम दो साल का देखें तो मात्र 4 लाख 75 हजार 878 रुपये इसका कलेक्शन था।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

जहां तक वाहनों की बात करूं, मैं टोंक जिले के वाहनों की बात करता हूं। टोंक जिले में कुल 2 लाख 48 हजार 623 व्हीकल हैं मात्र और उनमें भी लगभग 2 लाख 6 हजार 486 तो टू-व्हीलर्स हैं। जब वहां इस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर या साधन नहीं है तो इसमें निश्चित रूप से हमें यह भी देखना पड़ता है कि वहां कार्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। यह सारा परीक्षण करने के बाद यह फैसला लिया कि वहां कार्यालय की कोई आवश्यकता नहीं। आज की तारीख में जो डी.टी.ओ. ऑफिस है वो निवाई विधान सभा क्षेत्र से तो, मेरे ख्याल से अगर सोहेला, आपके विधान सभा क्षेत्र में है तो मैं यह गारंटी से कहता हूं कि सोहेला में डी.टी.ओ. ऑफिस जिस जगह ऑलरेडी डी.टी.ओ. ऑफिस बिलकुल टोंक से 12 किलोमीटर उल्ली तरफ और निवाई से, आपका तो देखा हुआ विधान सभा क्षेत्र है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इतनी नजदीकी होने की वजह से मैं नहीं समझता इसमें कोई व्यावहारिकता बनती है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम इसका परीक्षण करवा लेंगे। अगर दुबारा कोई स्थिति बनेगी तो इसका परीक्षण करवाकर आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आ गया आपका जवाब। अब क्या पूछेंगे आप?

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्षजी, एक मिनट। प्रार्थना कर रहा हूं। इन्होंने मेरी सिफारिश के लिए कहा, मैं तो एमएलए ही नहीं था उस टाइम पर। माननीय स्वर्गीय परिवहन मंत्री बनवारी लाल जी बैरवा, जो कि डिप्टी सी एम रहे थे, वह थे दसवें महीने में, मैं तो बाद में 12 में बना हूं। वह तो गलत कहा आपने। वहां बिना मानदंड के खोल दिया तो अब वहां एक एलडीसी तो बैठाइए।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जन प्रतिनिधियों की जो डिमांड आती है उसके आधार पर हम परीक्षण कराते हैं और उसके हिसाब से कार्यवाही करते हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): 2003 में आ गया तो अब खोलेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: नन्दकिशोर जी इसमें आप क्या सवाल करेंगे?

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, इसका पहला पार्ट प्रदेश का है।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं। अगला सवाल। श्री अमृत लाल।

पशुपालकों को सहकारी समितियों के लाभ देने की योजना

456. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को सहकारी समितियों के सभी लाभों से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): प्रदेश के पशुपालकों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजनान्तर्गत यथा डेयरी/भेड़-बकरी पालन/सूअर पालन हेतु ऋण दिया जा रहा है। दीर्घकालीन ऋणों को समय पर चुकाने वाले कृषकों को राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप प्रभावी ब्याज दर 7.10 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध हो रहा है।

राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पशुपालन उद्देश्य हेतु भी ऋण प्रदान किया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वाले पशुपालक ऋणियों को राज्य सरकार द्वारा देय 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के फलस्वरूप 9.50 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होता है।

प्राथमिक दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य पर सरस पशु आहार, चारा एवं बीज आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा उनके पशुओं के लिये पशु चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम व प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधाएं भी उपलब्ध करवायी जाती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा योजनाओं को कब से लागू किया गया? प्रत्येक पशुपालक को अधिकतम कितना-कितना अनुदान दिया जाता है तथा प्रति पशु कितना अनुदान, सब्सिडी दी जाती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऋण

(श्री अजय सिंह)

सुविधा तो जिलों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा और भूमि विकास बैंकों के द्वारा काफी वर्षों से दी जा रही है। जहां तक इन्होंने यूनिट की बात की, उसमें नाबार्ड के नोर्म्स हैं कि 60 हजार रुपये को एक यूनिट माना जाए, यानी भैंस या गाय की कीमत मानी जाए। लेकिन इसमें जब हम इस तरह का ऋण देते हैं तो उसकी चुकाने की क्षमता के ऊपर ही ऋण देते हैं। यदि चुकाने की क्षमता है तो इस तरह का कोई राइडर नहीं है कि इसको 1 लाख रुपये का दें या 2 लाख रुपये का दें। हमारी जो सीसीबी, अलवर है, उसने अभी 44 लाख रुपये का डेयरी के लिए ऋण दिया है। इस तरह का कोई राइडर नहीं है। जितना भी वह चाहे तो पशुओं के हिसाब से ले सकता है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय पशुओं के हरे चारे की व्यवस्था हेतु सामान्य श्रेणी में विद्युत कनेक्शन को प्राथमिकता देने हेतु माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को अनुशंसा कर कोई नीति बनाने का विचार रखते हैं? यदि हां तो कब तक? सरकार द्वारा अब तक उक्त योजना में उदयपुर संभाग में गत 5 वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जहां तक सहकारिता विभाग की बात है कि हमारे बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है। इन्होंने किसानों की बात की, तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई किसान अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में डिमांड नोट भी जमा कराना चाहे तो वह भी हमसे ऋण प्राप्त कर सकता है। वह चाहे भूमि विकास बैंक से ऋण ले ले। वह चाहे तो सीसीबी से ले ले। अगर वह भूमि विकास बैंक से ऋण लेता है तो हम उससे 7.10 प्रतिशत अभी ब्याज दर ले रहे हैं, जो कि राजस्थान के अन्य बैंकों से सबसे कम है।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम। पूरक प्रश्न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में किसानों का, पशुपालन का बड़ा कार्य है। आज जो स्थिति है, जो सहकारी समितियां गठित हो रही हैं, करौली जिले में आपने कितनी सहकारी समितियां

(श्री घनश्याम)

गठित की हैं, जो पशुपालन से संबंधित हैं? इसके साथ-साथ वहां जो हमारे सहकारी बैंक हैं, भूमि विकास बैंक हैं, को-आपरेटिव बैंक हैं, उनकी हालत यह हो गई है कि उनकी तनख्वाह को ही पैसे नहीं हैं, तब वह किसानों को क्या ऋण देंगे?

श्री अध्यक्ष: यह अलग से सवाल है। पहला सवाल रिलेवेंट है आपका।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी यह बताएंगे कि पशुपालन के लिए अलग से बोर्ड गठित कर उनको ऋण उपलब्ध कराया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो आपने अभी बताया, ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की बात की। मैं इसमें बता दूं कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया गया है। जहां पर नहीं हैं, वहां पर हम करना चाहते हैं।

जहां तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का सवाल है, यह एक स्वतंत्र निकाय है। उसके जो कार्मिक हैं वह भी उस संस्था के कार्मिक हैं, उनको सैलेरी, तनख्वाह जो भी देय होती है, वह उनके द्वारा ही दी जाती है। हमारा प्रयास यह रहता है कि जब भी हम समिति का गठन करते हैं तो एक कार्यालय, गोदाम सबसे पहले हम सरकार के द्वारा अनुदान देकर स्थापित करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति विविध व्यवसाय करके लाभ में रहे। अपने जो भी सदस्य हैं उनकी सेवा करे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): को-आपरेटिव का मूवमेंट पूरे देश में, पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा मूवमेंट है। पशुपालन हो, को-आपरेटिव बैंक का हो, भूमि विकास बैंक हो, इन सब बैंकों का और सभी सहकारी समितियों का, पशुओं का, सोचने से पहले इनके चुनाव कराने बहुत जरूरी हैं। इनके आप चुनाव कराएं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, चाहे कोई दो बार चुनाव लड़े या तीन बार चुनाव लड़े, इसको रोक नहीं सकते हैं। वह दो बार से या तीन बार से ज्यादा चुनाव लड़ नहीं सकता है, ऐसा नियम नहीं लगाएं। अगर कोई

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

एमएलए, एमपी बार-बार चुनाव लड़ सकता है, प्रधान, सरपंच चुनाव लड़ सकता है तो जीएसएस का अध्यक्ष चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा क्वेश्चन यह है, आप पढ़ाई में बारहवीं और बी.ए. कर रहे हैं, लेकिन गांव में जो को-आपरेटिव का मूवमेंट है वह किसानों के लिए है। किसानों में आठवीं पास और पांचवीं पास से ज्यादा नहीं मिलते। अध्यक्ष महोदय, आप भी को-आपरेटिव मिनिस्टर रहे हैं, हमारे को-आपरेटिव मिनिस्टर भी बहुत उदारदिल के हैं। वह बिना किसी कानून और नियम को लगाए हुए आठवीं पास, पांचवीं पास को ही जीएसएस के चुनावों में लगाएं और उनके चुनाव जल्दी से जल्दी करवाएं। मंत्री महोदय से आज ही नये वर्ष पर घोषणा करवाएं कि जल्दी चुनाव करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह पशुपालन से संबंधित नहीं है। फिर भी बताना चाहूंगा कि चुनाव नहीं कराने का मुख्य कारण यह रहा है कि साढ़े 5 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में दिसम्बर के बाद में चुनाव ड्यू हैं। यह को-आपरेटिव के अंदर थ्री-टियर सिस्टम है। इसमें बहुत जरूरी है कि पहले हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन संस्थाओं के चुनाव ड्यू हो गए हैं, जल्दी से जल्दी हम उनके चुनाव कराएंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): एजुकेशन का बता दो ना।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पशुपालन का मतलब डेयरी, भेड़, बकरी, सूअर हैं। ऊँट राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। इसको राज्य पशु घोषित किया गया है। ऊंटनी के दूध की डेयरी में जाने की व्यवस्था की जाए और ऊँट वाले को अनुदान दिया जाए। ऊँट को राज्य पशु घोषित किए जाने के बाद पशुपालक ऊँट-ऊंटनी से डरने लगे हैं। उनका परिवहन करने से डरने लगे हैं। वह बीमारी से मर गया और मुकदमा लग जाए, इससे डरने लग गए हैं। उनके लिए कुछ करने जा रहे हो या नहीं, इसका जवाब दो।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह पशुपालन विभाग से संबंधित है, फिर भी मैं इसका जवाब दे रहा हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): फिर भी क्या जवाब दे रहे हो? ऊँट तो खास है। पशुपालन का मतलब क्या हुआ? आपने सीमित कर दिया।

श्री अध्यक्ष: आप सुनें सुखराम जी।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, आप उस प्रश्न को पढ़ लें। उसमें है कि सहकारी समितियों द्वारा पशुपालकों को क्या-क्या लाभ दिए जा रहे हैं? आप उसको पढ़ लें। मैं फिर भी आपको जवाब देता हूं।

राज्य सरकार द्वारा ऊँट को 16.09.2014 को राज्य पशु घोषित किया गया है। राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रर्वजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 पहली बार बनाया गया है। ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 21.25 करोड़ रुपए की उष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना दिनांक 2 अक्टूबर, 2016 से प्रारंभ की गई है, जिसमें ऊंटनी के ब्याने पर उत्पन्न नर, मादा बच्चे की आयु अनुरूप 3 किश्तों में कुल 10,000 रुपए आर्थिक सहायता ऊँट पालकों को दी जा रही है। प्रथम किश्त 1 माह तक, द्वितीय किश्त 9 माह की आयु पर और तृतीय किश्त आगे दी जाएगी। ऊंटों में होने वाली बीमारी के नियंत्रण के लिए जिलों के ऊँट बहुल क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर टीके लगाए जाते हैं। ऊँट पालकों को ऊँट पालन के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पूरणमल सैनी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, इसमें एक निवेदन करूं कि इसमें बीमे की बाध्यता है, इस बाध्यता को हटाया जाए। किसान बीमा नहीं कराता है, तब तक उसको यह राशि नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, जवाब देने की जरूरत नहीं है। बिना अनुमति के उठकर बोल दो और जवाब चाहो, यह कैसे होगा। अनुमति लेनी पड़ेगी।

श्री पूरणमल सैनी।

आंगनबाड़ियों में कार्यरत साथिनों को नियमित करने की योजना

457. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पूरणमल सैनी)

(1) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व साथिनों का मानदेय बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश की आंगनबाड़ियों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व साथिनों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल): (1) राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 400 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 300 रुपए एवं सहायिका, सहयोगिनी एवं साथिनों का 250 रुपए प्रतिमाह मानदेय में दिनांक 01.06.2016 से वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 के बजट में मानदेय के अतिरिक्त, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि 250 से 500 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की घोषणा की गई हैं।

(2) इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूर्णत: अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि पिछले 1 जून, 2016 को आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को 400 रुपए और मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को 300 रुपए, सहायिका, सहयोगिनी और साथिन का 250 पचास रुपए का मानदेय बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि यह समस्त बढ़ाए हुए को जोड़कर अब तक किस पद के लिए कितना पेमेंट कर दिया गया है?

दूसरा, इसमें मैं यह जानना चाहूंगा, यह जो पेमेंट आपने उसमें जोड़ दिया, क्या यह उन आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनियों के लिए सफिशिएंट है? यह इसलिए कि समस्त विभागों में चाहे वह स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, सबका मानदेय 10 हजार, 12 हजार रुपये है क्योंकि वह भी उतनी ही पढ़ाई करके आते हैं और उनकी नियुक्ति भी उसी प्रकार वरीयता के आधार पर की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग

(श्री पूरणमल सैनी)

है कि उनका भुगतान अब बढ़ाने के बाद कितना कर दिया और अब और बढ़ाने की और दूसरे विभागों के कार्मिकों के बराबर करने की मंशा है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि बढ़ाई हुई राशि है, उसके साथ में अब जो मानदेय हम दे रहे हैं, वह कुल मानदेय मैट्रिक पास और दस वर्ष का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता को बढ़ाए हुए के साथ में 4799 रुपए देते हैं। मैट्रिक पास और पाँच वर्ष का अनुभव है उनको हम 4764 रुपए दे रहे हैं। मैट्रिक पास हैं उनको 4730 रुपए दे रहे हैं। नोन मैट्रिक लेकिन दस वर्ष का अनुभव है उनको 4730 रुपए है। नोन मैट्रिक लेकिन पाँच वर्ष का अनुभव है उनको 4696 रुपए और नोन मैट्रिक है लेकिन अनुभव नहीं है, नई लगी हैं उनको 4662 रुपए, यह तो कार्यकर्ता का मानदेय है।

इसी प्रकार से मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 3365 रुपए है, आँगनबाड़ी सहायिका का मानदेय बढ़े हुए के साथ में 2565 रुपए है। इस तरह से बढ़े हुए मानदेय के साथ में पिछले वर्ष जो मानदेय बढ़ा था उसके साथ में और आपने कहा कि अभी क्या कर रहे हैं? तो इसको मैं मूल प्रश्न के उत्तर में जवाब दे चुकी हूं कि अभी हमने इसी बजट में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि को 250 रुपए से लेकर 500 रुपए बढ़ाया है। यह इस साल अप्रैल के बाद में मिलना शुरू होगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खंड 2 में बताया है कि इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पूर्णत: अस्थाई हैं और स्वैच्छिक हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह अस्थाई तो सभी विभागों में ही लिए जाते हैं, यह स्वैच्छिक हैं। वैसे ही जैसे शिक्षा विभाग में भी पिछले दिनों रोळा चल रहा था राजस्थान प्रदेश में, वह भी स्वैच्छिक थे और स्वास्थ्य विभाग में जो डाटा ऑपरेटर होते हैं वह भी स्वैच्छिक ही होते हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ऐसे में जब उनमें मानदेय बहुत ज्यादा दिया जा रहा है और क्वालीफिकेशन वरीयता के आधार पर तय किया जा रहा है तो फिर इनको चार हजार और सैंतालीस सौ के बीच में क्यों रखा जा रहा है? मेरी मांग है कि इनको भी दूसरे विभागों के अस्थाई कार्मिकों के बराबर किया जाना चाहिए। क्या कर पाएंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजो। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में ही कहा है कि आँगनबाड़ी की कार्यकताओं का स्थानीय स्तर पर ही चयन होता है, वार्ड स्तर पर चयन होता है, ग्राम सभा और नगरपालिका क्षेत्र में पार्षद की अनुशंसा पर इनका चयन होता है और ये बिलकुल उसी गांव की रहने वाली होती है। उसमें बहुत ज्यादा प्रतियोगी रूप से इनका चयन नहीं होता है और वह स्वैच्छा से आती है और उनका समय भी दूसरे विभागों की आप बात कर रहे हैं कि उनके वर्किंग ऑवर पूरे 8 घंटे होते हैं, इनके वर्किग ऑवर 8 घंटे नहीं होते हैं, यह सिर्फ 4 घंटे वहां आँगनबाड़ी केन्द्र पर कार्य करती है। मैं आपको बताऊंगी कि पूरे देश भर में इनकी स्थिति की तुलना अगर दूसरे राज्यों से भी करें तो हमारा स्टेट बहुत अच्छा मानदेय अभी हाल की स्थितियों में दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहता हूं कि आँगनबाड़ी खोलने का क्या प्रावधान है? मेरे क्षेत्र में 6-6 किलोमीटर तक न तो कोई स्कूल है प्राइमरी न कोई मां-बाड़ी है और न कोई आँगनबाड़ी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी आँगनबाड़ी नहीं दी तो क्या अभी देने का विचार है?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानदेय से सम्बन्धित प्रश्न था लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूं कि विधान सभा क्षेत्र के अनुसार भी हमारे पास सूचना है। उदयपुर में बहुत सारी आँगनबाड़ी हमने पिछले बजट में दी हैं। इसके नोर्म्स हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर ही हम आँगनबाड़ी केन्द्र खोल सकते हैं, शहरी क्षेत्र में 800 की जनसंख्या और मिनी आँगनबाड़ी

(श्रीमती अनिता भदेल)

के लिए 400 की जनसंख्या का नोर्म्स है। यदि जनसंख्या के नोर्म्स पूरे करते हैं तो प्रस्ताव नीचे से, उप निदेशक महोदय के यहां से आते हैं और उन प्रस्तावों को हम केन्द्र सरकार को फारवर्ड करते हैं और फिर केन्द्र सरकार स्वीकृति देती है, उसके बाद ही हम आँगनबाड़ी केन्द्र खोलते हैं। उदयपुर में भी नोर्म्स के अनुसार प्रस्ताव आए हैं उनको हमने खोला है। आपके यहां देखें तो उदयपुर में झाड़ौल में खुले हैं, गिर्वा में खुले हैं, सराड़ा में खुले हैं। इसी प्रकार से सलूम्बर, वल्लभनगर, गोगुन्दा, बड़गांव, इनमें हमने आँगनबाड़ी केन्द्र खोले हैं। आपके प्रस्ताव यदि नोर्म्स के अनुसार आएंगे तो निश्चित रूप से वहां भी खोलने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। तरुण राय कागा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा भी है।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर जो योग्यताधारी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं और वह सुपरवाइजर पद की योग्यता रखते हैं, तो क्या सरकार नियमों में प्रावधान करके उनको सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति दे सकती है?

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे रेगिस्तानी पश्चिमी राजस्थान में आबादी छितराई हुई है, ढाणियों में लोग दूर-दूर बसते हैं तो उसके लिए पैमाना जो बना हुआ है, उसमें रद्दोबदल करके उनको राहत दे सकते हैं क्या?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न किया है तो मैं निश्चित रूप से सदन को बताना चाहूंगी कि आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से महिला पर्यवेक्षक का स्पेशल चयन के माध्यम से जैसे ही क्योंकि पूर्व में 2006 में आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से महिला पर्यवेक्षकों को बनाया गया था, उनके निर्धारित पद 25 प्रतिशत पूरे एलएस के कोटे में है। अब हमारी सरकार ने आने के बाद उन पदों में बढ़ोत्तरी करके 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर रहे हैं और उन 50 प्रतिशत के अनुसार जितनी भी वैकेंसी क्रिएट होगी, उन वैकेंसीज के अगेंस्ट हम आँगनबाड़ी से स्पेशल चयन के माध्यम से महिला सुपरवाइजर्स को बनाएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी पार्टी के सुराज संकल्प पत्र में यह वादा नहीं किया गया कि इन आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को, सहयोगिनियों को नियमित करेंगे? अभी आपने बजट में घोषणा की है कि आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि 250 और 500 रुपए है। मेरा यह मानना है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसका क्या मापदंड रहेगा? पैसे ले-लेकर और जो पैसे दे देगी, उसका तो अच्छा कार्य बता देंगे और जो पैसे नहीं देगी उसका अच्छा नहीं बताएंगे और यह केवल आपने आँगनबाड़ी कार्यकताओं के लिए कहा है। सहायिकाओं, सहयोगिनियों और साथिनों के लिए आपने नहीं कहा तो क्या सरकार अपने भारतीय जनता पार्टी के सुराज संकल्प यात्रा के दौरान और बाद में पेश किए गए संकल्प-पत्र के वादे को पूरा करना चाहती है? वर्ष 2017-18 के बजट में कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के बजाय तीनों कैटेगिरी जो आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिनों का, सबका 250 और 500 रुपए बढ़ाने का विचार रखती है या नहीं?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की शंका का मैं समाधान करना चाहती हूं कि इन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्या आपके मापदंड रहेंगे प्रोत्साहन राशि देने के। तो हमने कुछ मापदंड तय किए हैं कि प्रत्येक आँगनबाड़ी पर जो हमारी विद्यालय पूर्व शिक्षा है उसको 30 तारीख से लांच कर रहे हैं और 1 अप्रैल से उसको प्रारम्भ करने जा रहे हैं। उस विद्यालय पूर्व शिक्षा को सुनिश्चित जो आँगनबाड़ी की कार्यकर्ता करेगी। कम से कम 20 बालक उस आँगनबाड़ी केन्द्र पर रहेंगे और वहां के बालक उस स्तर को प्राप्त करते हैं जो स्तर हमने निर्धारित किया है, तब हम उस आँगनबाड़ी की कार्यकर्ता को वह प्रोत्साहन आधारित राशि देने वाले हैं। यह वस्तुनिष्ठ मापदंड होगा और अलग-अलग चीज के अंक होंगे और उन अंकों को आधार मानकर, फिर हमने जो पहले कहा कि प्रोत्साहन राशि देने वाले हैं तो मैं आप माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भजनलाल। (अनुपस्थित) अगला सवाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सुराज संकल्प कार्यक्रम में नियमित करने का वादा किया था। उसका क्या हुआ? वह वादा पूरा करोगे या नहीं? इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने का वादा आपने किया था।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी बैठिए।

प्रश्न संख्या 458

श्री भजनलाल जाटव।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला सवाल श्री हीरा लाल दरांगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): प्रश्न संख्या 459

श्री अध्यक्ष: इस तरह नहीं। श्री हीरालाल दरांगी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत पाँच वर्षों में नियमानुसार पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि...

श्री अध्यक्ष: यह किसका जवाब दे रहे हैं आप? यह पुकारा ही नहीं है, एब्सेंट हैं वो। मैंने कहा, वो एब्सेंट हैं, पुकारा नहीं गया। दूसरे को किसी को अधिकृत नहीं किया गया है। इसलिए, श्री हीरा लाल दरांगी। (व्यवधान) नो नो। प्रश्नकर्ता ही केवल अधिकृत कर सकता है। नो, बैठिए आप। केवल प्रश्नकर्ता ही अधिकृत कर सकता है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह बहुत गंभीर मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को जवाब देने दो। बहुत गंभीर मुद्दा है, इसका जवाब दे देने दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। व्यवस्था को मैं नहीं तोड़ सकता। प्रश्नकर्ता ही अधिकृत कर सकता है दूसरे को, दूसरा नहीं कर सकता। श्री हीरा लाल दरांगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, सुराज संकल्प यात्रा में वादा किया था, उसका क्या किया?

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं। आ गया जवाब। श्री हीरा लाल दरांगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): असत्य ही संकल्प-पत्र बनाये थे क्या?

झाड़ोल की सिंचाई समस्या का स्थाई समाधान

459. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की पंचायत समिति झाड़ोल, फलासिया व कोटड़ा का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण सिंचाई की समस्या से ग्रसित है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र की सिंचाई की समस्या के समाधान करने हेतु क्या प्रयास किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त गांवों को मानसी वाकल परियोजना से नहरें निकालकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में मानसी वाकल परियोजना के अतिरिक्त अन्य परियोजना विकसित कर क्षेत्र के गरीब आदिवासी किसानों की सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप): (1) जी हां। झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई समस्या के समाधान हेतु अब तक 32 लघुसिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर 7567 हैक्टेयर सी.सी.ए. में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं। क्योंकि मानसी वाकल परियोजना का निर्माण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के वित्त पोषण से पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग हेतु किये जाने से वर्तमान में बांध से नहरें निकाल कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जानी विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के किसानों की सिंचाई समस्या के समाधान हेतु तीन लघु सिंचाई परियोजनाओं एवं 20 एम.एस.टी./ एनीकटों का निर्माण मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान द्वितीय चरण के अन्तर्गत करवाया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: श्री हीरा लाल दरांगी। पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि मानसी वाकल परियोजना का जल संग्रहण एरिया पूरे झाड़ोल क्षेत्र का है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड व उदयपुर जाने के अलावा जो पानी बचता है उस पानी को सिंचाई हेतु किसानों को देने की माननीय मंत्री महोदय मंशा रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): देखिए, आपने पानी बचने की बात की है तो इसकी हाइड्रोलॉजी हम दिखाएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि पानी बचता है या नहीं बचता है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय मंत्री महोदय जी, पर्याप्त पानी है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झाड़ोल क्षेत्र में किसान वर्षा आधारित खेती पर ही निर्भर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई नदी-नाले पड़ते हैं और वह पानी बहकर गुजरात जाता है। उस पानी को रोककर नई सिंचाई परियोजना बनाने का विचार भी रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास में माही, साबरमती, ये दो-तीन बेसिन्स हैं जिनमें हम सरप्लस हैं। यह बात भी सही है कि सारा का सारा पानी बहकर गुजरात में जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को नहीं, सभी माननीय सदस्यों को, पूरे सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस विषय पर बहुत ही गंभीर है और इसके बारे में, निश्चित तौर पर इसका पूरा सर्वेक्षण कराकर इसका कोई समाधान निकालेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री मानसिंह किनसरिया।

मकराना की खानों से निकलने वाले पत्थरों पर रायल्टी समाप्त करने की योजना

460. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मानसिंह किनसरिया)

क्या सरकार मकराना स्थित खानों से छोटे खण्डों में निकलने वाले पत्थरों पर रायल्टी खत्म करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खान (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): जी नहीं। मकराना स्थित खानों से छोटे खण्डों में निकलने वाले मार्बल पर रॉयल्टी खतम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मकराना में छोटे खण्डे दो तरह के निकलते हैं। एक खण्डा तो मार्बल पाउडर प्लांट में काम में आता है और कुछ खण्डे जो दूसरी श्रेणी के हैं, वे वेस्ट होते हैं। उससे मकराना शहर की सुंदरता भी खराब हो रही है। उस वेस्ट को रोड के ऊपर डाल देते हैं, उसकी वजह से लोगों को आने-जाने में भी परेशानी होती है। अगर आप रॉयल्टी खत्म करेंगे तो जो किसान लोग अपने खेत की बाड़ बनाने के लिए वह पत्थर ले जाना चाहते हैं तो ले पाएंगे।

दूसरा, यह था कि अगर रॉयल्टी से आपको नुकसान होता है तो मकराना व परबतसर के जो व्यापारी हैं, वे पाउडर प्लांट पर सैल्स टैक्स लगवाने की सहमति दे रहे हैं कि उस पर सैल्स टैक्स लगा दिया जाए। रॉयल्टी खतम कर देंगे तो व्यापारियों के लिए ठीक होगा।

दूसरा, यह है कि रॉयल्टी नाके जो आपने लगा रखे हैं, जिसमें ठेकेदार और माइनिंग विभाग ने मिलकर वहां पर बिदियाद में एक नाका लगा रखा है जिसका कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस नाके को हटाने के लिए भी आप कुछ करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह कल्सीटेंट बेस का पत्थर है मकराना में। यह मार्बल पाउडर, सीमेंट फैक्ट्री, पीवीसी पाइप, बहुत सारे काम में आता है। जो मकराना का एरिया है उसमें रॉयल्टी नाके पर लेते हैं, मकराना के

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो पाउडर बनाती हैं उन पर रॉयल्टी टैक्स नहीं लगता, लेकिन नाके से बाहर कोई ले जाता है तो उस पर टैक्स लगता है। मकराना के अंदर तो इनकी फैक्ट्रियां है और उन फैक्ट्रियों में जितना पाउडर बनता है उस पर यह नहीं लगता है। अंदर जितना भी यूज में आता है, उस पर नहीं लगता, लेकिन कोई बाहर ले जाता है फैक्ट्री वाला, सीमेंट फैक्ट्री वाला तो उस पर लगता है। यह केवल एक का नहीं है। यह जयपुर, सिरोही, अलवर, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर में भी है। अगर हम यहां मकराना में करेंगे तो सब जगह करना पड़ेगा। यहां नहीं, फिर सब जगह बहुत बड़ा रेवेन्यु का...

श्री अध्यक्ष: जवाब यहीं के लिए है। आप यहीं तक सीमित रहिए मकराना के लिए, इसका विस्तार मत कीजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): इनको पहले विशेष छूट मिली हुई है। मकराना के अंदर-अंदर नहीं लगता और मकराना से बाहर ले जाते हैं तब ही लगता है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मार्बल श्रेणी, सिर्फ मकराना है, बाकी पूरे राजस्थान में वह डोलोमाइट है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मार्बल श्रेणी में मात्र मकराना में हटाएंगे तो आपको दूसरी जगह हटाने की कोई समस्या नहीं होगी।

दूसरा, आप जो नाका बता रहे हैं, दो नाके लगा रखे हैं रॉयल्टी के। गुढ़ा वाला तो गजट नोटिफिकेशन से लगाया हुआ है। दूसरा जो बिदियाद में नाका लगाया हुआ है, अगर आपका वहां का ठेका मकराना और परबतसर दोनों है तो परबतसर की सीमा के बाहर लगाना चाहिए था। अगर यह खाली मकराना का है तो मकराना की सीमा में लगना चाहिए था। बिदियाद में क्यों लग रहा है, वह परबतसर में है। सिर्फ आप लोगों की, माइनिंग विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह कार्य हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था कि अगर इसमें हम छूट देते हैं तो फिर यह चोरी का

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

साधन बन जाएगा। इस बहाने से सारा मार्बल बाहर जाता है, उसमें भी वे इस बहाने से निकालने लग जाएंगे। फिर दूसरी जगह से सब जगह से यह आ जाएगी। जैसा मैंने पहले बताया कि इतनी सारी जगह, सब जगह से मांग आएगी कि वहां कर दिया तो यहाँ भी करो। इसलिए एक को करने की बजाय 10 जगह और करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: वह हो गया। उनके सवाल का जवाब दे दीजिए आप।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): सवाल मेरा यह है कि आपने जो रॉयल्टी नाका बिदियाद में लगाया है, अगर मकराना का ठेका है तो मकराना सीमा पर लगना चाहिए था। वह परबतसर में है बिदियाद।

श्री अध्यक्ष: बस इसी का जवाब दे दीजिए आप।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मकराना के अंदर दो ही नाके लगे हुए हैं, उसके अंदर जो जाते हैं उसी का लेते हैं। अंदर नहीं लेते। जो मकराना से बाहर जाता है, वहां नाके पर रॉयल्टी कटाकर जाता है।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): अगर ठेका मकराना का है तो मकराना की सीमा पर लगना चाहिए। बिदियाद तो परबतसर में है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया किनसरिया जी। श्री श्रीराम भींचर, अगला सवाल।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): इसके अलावा मकराना में बिदियाद, गुढ़ा, बोरावड़ में जो स्थान हैं वहां पर भी नाके स्थापित हैं। वहां भी वसूली की जाती है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): परबतसर में है। परबतसर की सीमा है उसमें लगाओ। वह बीच में क्यों लगा रखा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हमने जो रॉयल्टी का नाका दिया उसके अंदर जिधर से लोग निकलते हैं, उस रूट पर ही नाका स्वीकृत करते हैं।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): मंत्री महोदय, उस नाके (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अगर आप कहते हैं तो दो नाके और लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर किनसरिया, बार-बार इस तरह आगे-पीछे प्रश्न है। जवाब आ गया आपका। बैठिए आप।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आप वहां के लि कहोगे तो वहां नाका लगा देंगे।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, उस नाके की जांच कराये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वो नाका अवैध है। उसकी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष: देखिये, बार-बार आमने-सामने जवाब नहीं होंगे। आमने-सामने सवाल नहीं होंगे। (व्यवधान) और कोई स्पष्टीकरण है तो आप इनसे मिल लीजिये। श्री श्रीराम भींचर।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अगर कोई नाका स्वीकृत नहीं है, अवैध लगा हुआ है तो तुरन्त जांच करके करेंगे।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): हां, उसकी जांच करवाकर उसको करो।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीराम भींचर, आपका पूरक प्रश्न।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि मकराना के खण्डों पर रॉयल्टी हटाना प्रस्तावित नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शायद मंत्रीजी को इस बात की जानकारी नहीं है। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री का सुराज संकल्प यात्रा के समय जब मकराना में आगमन हुआ था, उस वक्त मैंने मुख्य मंत्रीजी को यह निवेदन किया था कि हमारे मकराना के जो खण्डे हैं, इन पर रॉयल्टी हटाई जाये। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने डेढ़ महीने पहले खनिज विभाग में प्रिंसिपल सैक्रेटरी अपर्णा अरोड़ा जी को पूरी जानकारी लेकर के भेजा था कि आप वहां जाकर वहां के लोगों से सम्पर्क करो और इसकी जानकारी लेकर मुझे बताओ। इसके अलावा अभी हम 3-4 दिन पहले जब मुख्य मंत्रीजी से इसी सम्बन्ध में मिले थे, उस समय मानसिंह जी हमारे साथ थे, विजय सिंह जी भी हमारे साथ थे और मुख्य मंत्रीजी ने स्पेशल ऑर्डर दिया था गजानन्द जी और सहारण साहब को कि इसको आप क्यों नहीं हटा रहे हो?

(श्री श्रीराम भींचर)

जब बार-बार मेरे सामने यह मांग आ रही है तो इस रॉयल्टी को हटा दो, यह बात है। यह अभी 4-5 दिन पहले की ही बात है।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा का अंकित नहीं होगा। डोटासरा का अंकित नहीं किया जाए। आदत पड़ गई है इनकी। अंकित नहीं किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे पास न तो कोई इस तरह का ज्ञापन आया था और न ही मेरे से इस सम्बन्ध में आज तक कोई चर्चा हुई। माननीय सदस्य ने अगर कोई ऐसी पहले मुख्य मंत्रीजी से बात की है, तो मुख्य मंत्रीजी जो बात की है उस पर हम विभाग से टिप्पणी मांग लेंगे और मुख्य मंत्रीजी ने अगर कहा है तो उस पर विचार जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक, विराजिये। श्री शंकर सिंह, आप क्या पूछेंगे? आपके यहां है ही नहीं मार्बल। मकराना का पूछिये आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मकराना का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना में जिस प्रकार अवैध नाके लगाकर टोल की वसूली हो रही है, वो इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से शराब की दुकान जहां पर अधिकृत होती है उसी जगह वो लगा सकता है तो इसमें भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अवैध नाके जहां चल रहे हैं उनको हटाने के लिए कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री हबीबुर्रहमान। वो जवाब आ गया। केवल सवाल करने का है। बैठिये आप। सवाल तो हुआ ही नहीं।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस रॉयल्टी को हटाने का जो वादा किया है उसकी जांच कराकर उस रॉयल्टी को हटाना चाहिए क्योंकि छोटे-छोटे पत्थर हैं, बड़े हैं नहीं। अब मंत्रीजी ने कह दिया कि मैं जांच करके कर दूंगा तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: बस तो ठीक है, आपने राय दे दी। अगला सवाल श्री मेवाराम जैन। शंकर सिंह जी नहीं, कोई सवाल बना ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि कोई अवैध नाका है तो उसको हटा देंगे।

श्री अध्यक्ष: शंकर सिंह जी, आपका कोई सवाल बना ही नहीं और वैसे ही सवाल करने के लिए बोलते हो। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर शहर में पेयजल स्टोरेज की सफाई की योजना

461. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना के तहत आमजन को उपलब्ध कराये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता को मापने के क्या-क्या मानदण्ड तय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना के पेयजल को शुद्ध करने का संयंत्र कहां स्थापित है और पेयजल को शुद्ध करने हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर में स्थित पेयजल स्टोरेज की सफाई व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो इस हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना का पानी सही तरीके से शुद्ध नहीं होने से आमजन में कैंसर व पेट संबंधी अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) बाड़मेर लिफ्ट वृहत् पेयजल परियोजना अंतर्गत आमजन को उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल की गुणवत्ता के मानदण्ड भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल में पेयजल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानक विशिष्टियों के अनुरूप तय किये गये हैं। मैन्युअल में वर्णित पेयजल गुणवत्ता मानकों संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत श्रीमोहनगढ़ में उपलब्ध हो रहे रॉ-वाटर एवं शोधित जल की गुणवत्ता का रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण मोहनगढ़ हैडवर्क्स स्थित प्रयोगशाला में नियमित रूप से किया जाकर इस परियोजना से लाभान्वित शहर/कस्बे एवं ग्रामों में निर्धारित पेयजल गुणवत्ता

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

मानकों के अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। रासायनिक एवं जीवाणु जांच संबंधी प्रतिदर्श के रूप में एक प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर लिफ्ट नहरी पेयजल परियोजना का जल स्रोत जिला जैसलमेर की आर.डी. 1434.75 इंदिरा गांधी मुख्य नहर है तथा इस नहर से प्राप्त रॉ-वाटर को शोधन करने का संयंत्र श्रीमोहनगढ़ (जैसलमेर) हैडवर्क्स में निर्मित है। उक्त परियोजना अंतर्गत प्राप्त होने वाले जल के शुद्धिकरण हेतु मैन्युअल में वर्णित निर्धारित रेपिड ग्रेविटी फिल्टरेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

कैनाल से स्टोरेज डिग्गी द्वारा प्राप्त रॉ-वॉटर का प्री-क्लोरिनेशन किया जाकर टर्बिडिटी घटाने के लिए पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड से कोग्यूलेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में बने फ्लॉक्स को हटाने के लिए क्लेरिफ्लोक्यूलेटर में क्लेरिफिकेशन के उपरांत प्राप्त जल को रेपिड ग्रेविटी फिल्टर से शोधित करने के उपरांत प्राप्त जल को जीवाणु रहित करने के लिए लिक्विड क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया उपरांत प्राप्त होने वाले स्वच्छ जल को स्वच्छ जलाशय (सी.डब्ल्यू.आर.) में एकत्र कर श्रीमोहनगढ़ से पम्पिंग द्वारा मुख्य पाइप लाइन में पम्प कर परियोजना से जुड़े बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। श्रीमोहनगढ़ हैडवर्क्स स्थापित प्रयोगशाला में जल गुणवत्ता की रासायनिक एवं जीवाणु जांच आवश्यक एवं नियमित रूप से की जाती है।

(3) जी नहीं। उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत बाड़मेर शहर में निर्मित 17 एम.एल.डी. के स्वच्छ जलाशय की साफ-सफाई का कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। इस स्वच्छ जलाशय की सफाई का कार्य दिनांक 13.12.2016 को ही कराया गया है। इसके अतिरिक्त बाड़मेर शहर में सुचारू पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु निर्मित अन्य 3 स्वच्छ एवं 20 उच्च जलाशयों की साफ-सफाई का कार्य माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2016 में कराया गया है।

(4) जी नहीं। इस तरह का कोई भी प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि चार साल पहले बाड़मेर में मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल का पानी पहुंचा तो उसके बाद आपने अभी बताया है कि 14 दिन पहले किया तो इस बीच में कितनी बार परीक्षण किया।

दूसरा, मंत्रीजी, यह भी बतायें कि इस पानी के बाद में बाड़मेर में और इस पूरे बैल्ट में उल्टी, दस्त, कैंसर जैसी बीमारियों के रोग बढ़े हैं जिसका कारण यह है कि कच्चा पानी आ रहा है। साफ फिल्टर होकर नहीं आ रहा है इसलिए ये बीमारियां फैल रही हैं तो क्या मंत्रीजी, साफ पानी के लिए समय पर जांच कराने का विचार करते हैं और चार साल में कितनी बार जांच करायी? शहर में जो पाइप लाइन हैं, उनके साथ में गटर लाइन भी चल रही है तो वो पानी मिक्स हो जाता है और वो गन्दा पानी कॉलोनियों को मिलता है जिससे बीमारियां फैलती हैं तो क्या मंत्रीजी, जो पुरानी पाइप लाइनें हैं, उनको हटाकर शुद्ध पानी पिलाने का विचार रखते हैं?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रयोगशाला की जांच प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। जैसा मैंने माननीय सदस्य को कहा कि 13.12.2016 को ही इस जलाशय की सफाई का कार्य किया गया था और 3 तथा 20 जलाशयों की अक्टूबर में साफ-सफाई का कार्य किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने वहां बाड़मेर में लाइन बदलने का कहा है तो यह लाइन अभी डाली गई है बाड़मेर में और जहां पर भी कोई लीकेज होगा, माननीय सदस्य बतायेंगे तो उनको ठीक करवाया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि उल्टी, दस्त हो रहे हैं तो इस प्रकार की एक भी शिकायत हमारे सामने नहीं आई है और अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत करेंगे तो उनकी जांच करवायेंगे तथा अगर गलत पानी दिया गया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप पाइप लाइन बदलने की बात कर रहे हो तो बाड़मेर शहर की 25 परसेंट लाइनें ही बदली हैं, बाकी 30-30, 40-40

(श्री मेवाराम जैन)

साल पुरानी हैं। आपने बात कही है कि समय पर हम साफ करा रहे हैं तो चार साल में कितनी बार आपने इनको साफ कराया है, यह मुझे बता दें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रासायनिक परीक्षण के 257 नमूने लिये गये थे, जिनमें 257 ही संतोषप्रद पाये गये। जीवाणु परीक्षण हमने 1089 परीक्षण कराये थे, जिनमें 1077 संतोषप्रद पाये गये। अवशेष परीक्षण कराये थे 1984 जिनमें 1958 संतोषप्रद पाये गये और 26 असंतोषप्रद पाये गये थे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री डोटासरा। आपने इसमें पूरक प्रश्न का बटन दबाया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, बिलकुल दबाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने, आपकी पार्टी के सुराज संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि हम जनता को शुद्ध पानी पिलायेंगे। अब जब आपने वादा किया था, उस वादे के मुताबिक बाड़मेर में इस प्रकार से अशुद्ध पानी पिला रहे हो तो आपके उस वादे का क्या होगा, यह तो बताइये। पूरे प्रदेश में जहरीला पानी पिलाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कतिपय ग्राम पंचायतों में विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से चूरू जिला मुख्यालय पर रोडवेज चालक व परिचालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले दिनों हुई तीन आत्महत्याओं के पश्चात् भी वार्डन पर कोई कार्यवाही नहीं किये होने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जयपुर में अजमेर रोड पर स्थित ग्राम मदरामपुरा में खसरा नम्बर 95/01 की सरकारी भूमि के आवंटन की शर्तों के विपरीत अवैध निर्माण कार्य से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्राम एवं ढाणियों में विद्‌युतीकरण में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

(6) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम बबाई में स्थित डेयरी संयंत्र हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल-फलासिया को मानसी वाकल गोराणा एवं आकोदड़ा बाँध से पर्याप्त मात्रा में पेयजल व सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सहकारी बैंकों द्‌वारा दिये गये ब्याजमुक्त फसली ऋण के भुगतान की अवधि 31.03.2017 को समाप्त होने से किसानों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर के ग्राम नेतेवाला से चक साधूवाली बाइपास क्षेत्र के प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी में चल रही अनियमितताओं के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हीरा लाल दरांगी, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा,

(श्री अध्यक्ष)

श्रीमती कामिनी जिन्दल एवं श्रीमती अंजू देवी धानका को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की उप तहसील आंधी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

(2) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गोविन्दगढ़ स्थित पी.जी. कालेज में नये छह विषय प्रारम्भ करने व व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

(3) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर की समस्त ग्राम पंचायतों को महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार दो भागों में विभाजित कर मुख्यालय बाड़मेर में कराने के संबंध में।

(4) श्री कृष्ण कड़वा, सदस्य की ओर से गंगानगर औद्योगिक क्षेत्र में Lead Ingot बनाने वाले अवैध कारखानों को बंद करने के संबंध में।

(5) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की उप तहसील रावला को तहसील बनाये जाने के संबंध में।

(6) श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से श्री रामस्वरूप मेघवाल द्वारा पुलिस थाना परबतसर में दर्ज एफ.आई.आर. दिनांक 15.5.2015 में मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा गलत रिपोर्ट देने के संबंध में।

(7) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में।

(8) श्री विजय सिंह, सदस्य की ओर से कुचामन शहर में रीको इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने के संबंध में।

(9) श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से सेदरिया, ब्यावर शहर में निर्माणाधीन सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम का कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

(10) श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह में बालिका किसान छात्रावास को आबंटित भूमि का निरस्तीकरण रद्द करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज सिस्टम बनाये जाने के संबंध में।

(12) श्री अजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोंक की उप तहसील बरवास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची द्वारा, श्री भँवर सिंह...

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपने 295 के प्रस्तावों को आज, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मांग है और बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या भी काफी है, इसलिए इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

295 के प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिये गये। सदन चाहता है। (व्यवधान)

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक उपलब्धि तो रही मुख्य सचेतक महोदय की।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो, आपकी स्प्रिंग हट गई है। अध्यक्ष महोदय ने आपकी स्प्रिंग हटा दी है तो बिना स्प्रिंग के इतना मत करो।

पर्ची

आज दिनांक 28 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 47 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

क्र.सं.	नाम मा. विधायक	विषय
1.	श्री भँवरसिंह	कोलायत विधान सभा क्षेत्र में किसानों को छह घंटे व घरेलू बिजली 24 घंटे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2.	श्री नाना लाल अहारी	पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजनाओं से बीपीएल परिवार व अन्य वंचित परिवारों को जोड़े जाने के संबंध में।
3.	श्री केसाराम चौधरी	विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में।
4.	श्री प्रहलाद गुंजल	विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर के घोषित राजस्व गांव नंदाजी की बाड़ी एवं गावड़ी में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की चेतावनी दिये जाने के संबंध में।

श्री हीरा लाल दरांगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

झाड़ोल-फलासिया को मानसी वाकल-गोराणा एवं आकोदड़ा बाँध से पेयजल की उपलब्धता

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के अन्तर्गत मानसी वाकल बाँध 576 एफएमसी की भराव वाला के जल से झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र की घनी आबादी को पेयजल और हजारों हैक्टेयर कृषि क्षेत्र को

(श्री हीरा लाल दरांगी)

सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाने से क्षेत्र में भारी असंतोष व्याप्त है जबकि इस बाँध का अधिकांश पानी उदयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह आकोदड़ा बाँध का पानी भी झाड़ोल की पेयजल व सिंचाई सुविधा के लिए न दिया जाकर उदयपुर शहर की झीलों को भरने के लिए दिया जा रहा है जबकि क्षेत्र की जनता पेयजल व सिंचाई की भारी समस्या का सामना कर रही है। गर्मी में मवेशियों व पक्षियों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है। साथ ही झाड़ोल नदी में भी इन बांधों से पर्याप्त मात्रा में पानी गर्मी में छोड़ा जाये जिससे मवेशियों व पक्षियों के लिए पीने का पानी मिल सके। अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे इस अत्यन्त पिछड़े एवं आदिवासी विधान सभा क्षेत्र की गरीब जनता के साथ न्याय करते हुए इन बांधों से पर्याप्त मात्रा में पेयजल...

श्री अध्यक्ष: कृपया आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): ...व सिंचाई सुविधा के लिए पानी उपलब्ध कराया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। अच्छा, आप जवाब देंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानसी वाकल गोराणा बाँध 2007 में बना था, 60 करोड़ रुपये की लागत से बना था, 862 एमसीएफटी का बना था। इस बाँध से केवल मात्र वर्तमान में मानसी वाकल परियोजना में सम्मिलित झाड़ोल फलासिया विधान सभा क्षेत्र के 22 गांवों को लाभान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में मानसी वाकल के डाउन स्ट्रीम में 30 गांव व ढाणियों को लाभान्वित करने के लिए पेयजल योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, सिंचाई के लिए तो इस बाँध से सिंचाई के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

दूसरा, आकोदड़ा बाँध के लिए कहा है। इसका 355.6 करोड़ रुपये की लागत से 302 एमसीएफटी का निर्माण 2015 में किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त बाँध को उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु काम में लिया जा रहा है। उक्त बाँध का निर्माण पेयजल हेतु ही किया गया था। इससे कोई सिंचाई का प्रावधान नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ...

श्री अध्यक्ष: नो नो नो, आपका कोई लेना-देना नहीं है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बहुत गम्भीर मुद्दा है। एक सैकण्ड में ही, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (व्यवधान) हां, डोटासराजी को इजाजत दे रहा हूं। हां, बोलिये, यस।

प्रदेश में सहकारी बैंकों के ब्याज मुक्त फसली ऋण की भुगतान अवधि की समाप्ति

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी विभाग द्वारा को-आपरेटिव बैंकों के माध्यम से किसानों को रबी और खरीफ का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ब्याजमुक्त ऋण डेढ़ लाख रुपये का हमारी सरकार ने किया था, आपने उसको घटा करके कम तो कर दिया लेकिन अब समस्या यह आ गयी किसानों के सामने कि जितना भी दिया उसमें भी आपकी फसलें जो हैं, मूंग की फसल बिकी, सरकार ने खरीदी, उसका जनवरी, फरवरी का पैसा मिला नहीं है। चने की अभी तक खरीद सरकार की तरफ से हो नहीं रही है और सरसों की खरीद निर्धारित मूल्य के ऊपर सरकार के द्वारा अभी चालू नहीं की गयी। किसान के पास में फसल का पैसा आया नहीं है और नोटबंदी के कारण से किसान इतना त्रस्त हो गया है, इतना समस्याग्रस्त हो गया है कि उसके पास में पैसे देने के लिए नहीं है। किसान को रबी का जो आपने फसल का ऋण दिया था उसके वापस चुकाने की डेट 31 मार्च, 2017 आ गयी है। किसान बड़ी परेशानी में है, न उसकी फसलें बिक रही हैं, सरकार खरीद नहीं रही है।

हमारे शेखावाटी में प्याज की फसल माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत होती है लेकिन उस प्याज की फसल को तैयार करने में, एक किलो अगर प्याज हम तैयार करेंगे तो 7-8 रुपये के लगभग उसकी लागत आती है, लेकिन आज की तारीख में वो ढाई रुपये-तीन रुपये से ज्यादा प्याज भी नहीं बिक रहा है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तो न प्याज बिक रहा है, न चना खरीद रहे हो, न सरसों खरीद रहे हो, न मूंग खरीदा उसका पैसा दे रहे हो, उलटा नोटबंदी का ऊपर से असर है तो किसान के पास में पैसा नहीं है। पहले भी ऐसी समस्याएं हमारी सरकार में आई थीं तो इस कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाया था। आज दुबारा यह समस्या आ गई है। पूरे प्रदेश का किसान सरकार की ओर देख रहा है कि इस समस्या से हमें निकाला जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में साख सीमा को पाँच साल हो गये, दुबारा नयी साख सीमा बन रही है। जब तक नयी साख सीमा नहीं बनेगी तो वो पैसा भी किसान को वापस नहीं मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में किसान समस्या से इतना ग्रस्त है, इतना पूरी तरीके से आक्रोशित है कि उसके पास में पैसा नहीं। आपनी पिछली दफा भी डेट बढ़ाकर ये किया था कि जब लोन लिया था उस हिसाब से जब भी लिया बारह महीने हो जाएं उसके हिसाब से उसको चुकता करने की आपने घोषणा की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि रबी की फसल का जो ऋण लिया था,किसान ने जिस डेट को लिया था वो जिस डेट को पूरे बारह महीने हो जाएं, उस तक आराम से वो चुका दे, क्योंकि उसकी फसलें तो अब आनी हैं और आज सरसों अगर बेचेगा किसान तो 3400 रुपये और अगर आप समर्थन मूल्य से सरकारी खरीद करोगे तो 3800-3900 रुपये मिलेगा तो किसान आनन-फानन में, अगर किसान का 31 मार्च का ऋण का पैसा नहीं चुका तो जो ब्याज का लाभ उसको मिलना चाहिए था वो ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जो ब्याजमुक्त ऋण आप दे रहे हो, उसको पूरा डेढ़ लाख रुपये दिया जाए और जो किसान जिन्होंने लिया था, उसका 31 मार्च की बजाय जब लिया उसके बारह महीनों के हिसाब से उसकी घोषणा की जाये और साख सीमा जो पुराने लोग हैं उनकी एज इट इज मानते हुए तुरन्त उनको ऋण उपलब्ध कराया जाए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। मंत्रीजी इसकी घोषणा करेंगे, क्योंकि किसान बड़ा परेशानी में है और किसान को आप और हम नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा और इस सदन से उचित माध्यम कोई हो नहीं सकता कि किसान को बचाने के लिए, किसान को समस्या से उबारने के लिए हम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

निश्चित रूप से कुछ कदम उठायें, इसलिए मैं आपकी तरफ से घोषणा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान ऐसा राज्य है जो अपने किसानों के लिए सबसे अधिक फसली ऋण लेने में अग्रणी राज्यों में से है और किसानों के हितों को देखते हुए भूमि विकास बैंकों में, जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंकों में हमने लगातार ब्याज दर को कम किया है और अभी जिस ब्याज पर हम किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, आज प्रदेश की कोई भी बैंक ऐसी नहीं है जो कि हमसे कम ब्याज पर किसानों को ऋण दे रही है।

माननीय सदस्य ने मार्च की डेट को जून में करने के लिए कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो जमा होगा 31 मार्च तक वो है, जो खरीफ में किसान ने ऋण लिया है और खरीफ के अन्दर उसने 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक का जो ऋण लिया है, वो फसल भी आ चुकी है और उसको देने के बाद में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मैंने अभी घोषणा की थी कि जमा कराते ही तुरंत अप्रैल में उतनी की उतनी राशि किसान को दे दी जाएगी और यहां तक अबके मैंने घोषणा की है कि हम नये सदस्यों को भी विशेष शिविर लगा करके, पहली बार तीन लाख से अधिक शिविर लगा करके किसानों को ऋण उपलब्ध करायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं तारीख बढ़ाने की तो इसमें हमें यह भी देखना चाहिए कि सीआर, एआर की जो हमारी एक गाइड लाइन है आरबीआई की कि इतनी सीआर, एआर हर बैंक की होनी चाहिए। गत वर्ष भी कोटा, चूरू और टोंक की सीआर, एआर बहुत कम हो गयी थी जिसके कारण से सरकार ने उनको आर्थिक सहायता 44 करोड़ रुपये की उपलब्ध करवायी। हमारा पूरा प्रयास यह भी रहना चाहिए कि किसानों के हित तब तक ही साधे जा सकते हैं कि जब तक बैंक की स्थिति भी ठीक रहे, लेकिन माननीय सदस्य ने जो आज मुद्दा उठाया है मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि इसके बारे में

(श्री अजय सिंह)

शीघ्र ही माननीय मुख्य मंत्रीजी के संज्ञान में लाकर और शीघ्र ही उचित निर्णय किसानों के हित में लिया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साख सीमा वाला भी मंत्री महोदय, साख सीमा नयी बना रहे हैं तो वो समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर नई बनी है तो उसको भी हम बढ़ा देंगे, पाँच साल तक बढ़ाने का ऐसा प्रावधान है। इस संबंध को लेकर के साख सीमा के कारण से किसी किसान को ऋणों के लिए वंचित नहीं होना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: आपने पाइंट स्कोर कर लिया। श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्रीगंगानगर के ग्राम नेतेवाला से चक साधुवाली क्षेत्र के किसानों को मुआवजे की स्वीकृति

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया के नियम-50 के तहत मेरे द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने की अनुमति दी है इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में गांव नेतेवाला पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 जो कि अब नया 62 है इस पर नेतेवाला से रीको रोड हनुमानगढ़ बाईपास होते हुए चक कालूवाला साधुवादी के निकट मिलने वाले लगभग 16 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण किया गया है जिसे लगभग ढाई किलोमीटर आगे पंजाब रोड से भी जोड़ा गया है। महोदय, इस बाईपास के क्षेत्र में आने वाले 57 हैक्टेयर भूमि में लगभग चार सौ किसान परिवार प्रभावित हैं। नवीन बाईपास निर्माण क्षेत्र में कई छोटे-बड़े किसानों की ढाणियां, गोदाम एवं कई भवन आ गये हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3 का उपयोग करते हुए दिनांक 24 जनवरी, 2014 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद एसडीएम, सूरतगढ़ को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया जाकर रोड ऑफ अॅथोरिटी द्वारा 1 अप्रैल, 2014 को अधिकृत भूमि का कब्जा ले लिया गया। सक्षम

प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण काला एवं एसडीएम, सूरतगढ़ द्वारा भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की दिनांक से 251 करोड़ रुपये के मुआवजे राशि की गणना कर दिनांक 7.1.2016 को भिजवाया गया। महोदय, उक्त नवीन बाईपास का उद्घाटन 17 अगस्त, 2016 को माननीय केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया जा चुका है, लेकिन प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं दी गयी है, जिसके कारण सैकड़ों किसान गत वर्ष से रास्ता रोक कर आंदोलनरत हैं। सभी किसान वर्तमान में डीएलसी दर पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान मुआवजा राशि की मांग के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मुआवजे की फाइल नेशनल हाईवे बाईपास के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर पीडी एवं सक्षम अधिकारी भूमि अधिग्रहण काला के बीच फुटबाल की तरह घूम रही है तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इनको मुआवजा जल्दी दिया जाए और इस पर गौर फरमाया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। रेस्पोंड करेंगे?

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जिस सड़क के बारे में चर्चा की है, उसके मुआवजे के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सड़क के काम में भूमि अवाप्ति अधिकारी एसडीएम, सूरतगढ़ ने 56.91 हैक्टेयर की राशि 225.89 करोड़ रुपये का अवार्ड 10.2.16 को जारी कर दिया। उसके बाद विभाग और राज्य सरकार के निर्णय के हिसाब से विभाग द्वारा उस अवार्ड को श्रीमान आर्बिट्रेटर एवं जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के यहां चेलेंज किया गया है और इसमें संशोधित अवार्ड करने के लिए भी निवेदन किया गया। इसके बाद आर्बिट्रेटर एवं जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा 5.10.16 को निर्णय पारित करके और संशोधित अवार्ड जारी करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी जो एसडीएम, सूरतगढ़ हैं। उनको निर्देशित कर दिया गया और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि सूरतगढ़ जो एसडीएम हैं, जो इसमें अवाप्ति अधिकारी हैं। उनके

(श्री बाबूलाल वर्मा)

द्वारा संशोधित अवार्ड 1 अरब 38 करोड़ 98 लाख 74 हजार 940 का 27 मार्च, 2017 को जारी कर दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें विभाग द्वारा, अवाप्ति अधिकारी द्वारा संशोधित अवार्ड भी जारी कर दिया गया है और उसके बाद भी यदि किसी किसान को इस तरह की कोई आपत्ति हो तो अपनी बात न्यायालय में कह सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी कार्यवाही इस पर की जा चुकी है और सरकार भी इस मामले में चिंतित थी और इसी हिसाब से इसको किया गया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीमती अंजू धानका।

बस्सी पंचायत समिति में अनियमितता

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पंचायत समिति बस्सी में विकास अधिकारी द्वारा स्व प्रस्ताव लेकर चहेतों के यहां ट्यूबवैल निर्माण करवाए जा रहे हैं जिसके विषय में ग्राम पंचायतों को ज्ञात ही नहीं है। विकास अधिकारी द्वारा किस योजना में किन व्यक्तियों के प्रस्ताव के द्वारा ट्यूबवैल लगाये जा रहे हैं जबकि ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लिये जाते हैं। ग्रामवासियों ने कर्जा ले लेकर शौचालय तो बनवा लिये हैं लेकिन उनको अभी पैसा मिल नहीं पा रहा है और विकास अधिकारी कह रहे हैं, उनके एक वर्जन में मैंने पढ़ा हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं आया है। मैंने विधान सभा में एक प्रश्न लगाया था, जिसके जवाब में मेरे पास यह आया है कि बस्सी पंचायत समिति को शौचालय का पैसा देने के लिये 10 करोड़ 48,600 रुपये का भुगतान किया गया है, पर विकास अधिकारी उससे पूरी तरह मुकर गई हैं कि इस तरह का कोई पैसा नहीं आया है। पाँच लाख रुपये से ऊपर के कार्यों की स्वीकृति विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता द्वारा निकाली जाती है, परंतु विकास अधिकारी के कार्यालय में नहीं होने के कारण और ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव देने के बाद भी स्वीकृतियां जारी नहीं हो पा रही है जिसके कारण ग्राम पंचायतों में विकास कार्य रुके हुए हैं और एक-एक करोड़ के आस पास ग्राम पंचायतों में राशि पड़ी हुई है जिससे सरकार की

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

योजनाएं और विकास ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में हुए कार्यों का ठेकेदारों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है जबकि कार्य पूर्ण हो गये हैं। यूसी जारी हो गई है फिर भी ठेकेदारों को पंचायतों के चक्कर लगवाये जा रहे हैं। मनरेगा कार्य स्थल पर अव्यवस्था बनी हुई है। कार्य स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मनरेगा के मस्टररोल भी जारी नहीं हो पा रहे हैं।

इसके अलावा ग्राम पंचायत पड़सोली में सिंघाड़े के ठेका ग्राम पंचायत द्वारा 80 हजार रुपये में ग्राम पंचायत से बाहर के व्यक्ति को दिया गया। सरपंच द्वारा 80 हजार रुपये ग्राम पंचायत में जमा नहीं करवाये गये। उसकी शिकायत विकास अधिकारी को की गई, परंतु विकास अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

ऐसा ही मामला जटवाडा सरपंच का भी है, जिस पर गबन का आरोप है। बिना जांच किये ही मनरेगा में चल रहे काम का सड़क कार्य कई जगह जाकर विकास अधिकारी बिना जांच के, बिना शिकायत के द्वारा रुकवा दिया जाता है। विकास अधिकारी की मनमर्जी का यह हाल है कि स्थानांतरण में रोक के बावजूद भी 6 सचिवों, का उसने अपनी तरफ से, अपने चहेतों ग्राम सेवकों के स्थानान्तरण अपनी इच्छानुसार कर दिये। ग्राम पंचायतों के पट्टे निरस्त करने में तो विकास अधिकारी ने महारत हासिल कर रखी है। पहले भी मैंने 25 वर्ष पुराने पट्टे को खारिज करने की उनकी मंशा बताई थी और अभी यही सेम मामला पंचायत पड़सोली में है, जो कब्जा शुदा पट्टा निरस्त करने की फिराक में विकास अधिकारी लग रही है।

इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वह यह है कि एक बच्ची जो दिव्यांग है, यह भी मैं आपको बता रही हूं, आपको मैं कहना नहीं चाह रही थी, महीने के 31 दिन होते हैं लेकिन विकास अधिकारी के खिलाफ अखबारों में 45 खबरें, उसके विरोध में और उसकी अनियमितताओं के बारे में छपती है। जैसे रोक के बावजूद 6 सचिवों के तबादले। निरीक्षण में खुली सरकारी दफ्तरों की पोल। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंचायत ने जिंदा बालिका को मृत बता दिया। लापरवाही की हद हो गई, राजस्थान पत्रिका ने दिव्यांग खुशबू को 6 माह से पेंशन नहीं मिलने की जांच पडताल की तो

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

जानकारी मिली कि कार्मिकों की लापरवाही के चलते सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन सितम्बर, 2016 से बंद कर दी गई है। उसे सरकारी कागजों में 6 दिसम्बर, 2016 से मृत घोषित कर रखा है। उसका सत्यापन मई, 2017 तक है। इतना ही नहीं, भामाशाह आधार कार्ड की भी सीडिंग दर्शा रखी है, इसके बावजूद उसको मृत घोषित कर पेंशन बंद कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष: आप बहुत लंबा कर रही हो। आपने स्थगन प्रस्ताव दिया, उससे अलग हो रही हो आप, नहीं।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): यह सिर्फ विकास अधिकारी की लापरवाहियां हैं कि बच्ची को पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने मृत घोषित किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अब मैं जवाब दिलवा देता हूं। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाली माननीय सदस्या ने बस्सी विकास अधिकारी के कार्य के बारे में कई प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराई है। जो मूल स्थगन था उसमें तो इन्होंने कहा कि विकास अधिकारी निजी हित के चलते ग्रामीणों में आपसी विवाद करवा रहे हैं, व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों के प्रभाव में है, कुछ आवासीय पट्टे निरस्त करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए मैंने इनको टोक दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च को इन्होंने मुझे इसी विकास अधिकारी की शिकायत की थी। मैंने 6 मार्च को ही हमारे आयुक्त और शासन सचिव, पंचायती राज को पत्र भिजवा कर कहा था कि 7 दिवस में इसकी जांच करवाओ। आज इन्होंने जो बात की है, एक शौचालय का 10 करोड़ 48 हजार रुपये का पेमेंट नहीं होना, शौचालय का पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट है, सीधा लाभार्थी के खाते में जमा होता है। इन्होंने कहा कि ठेकेदार को भुगतान नहीं करना और नरेगा में मस्टररोल जारी नहीं होना, पड़सोली में सिंगाडे के ठेके में कोई गड़बड़ी करना, ग्राम सेवकों के स्थानांतरण करना। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जांच करवा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लेता हूं। मैंने पहले जांच दे रखी है। माननीय सदस्या से मैं निवेदन करुंगा कि आप यह सारी चीजें लिखकर मुझे दे दें और मैंने पहले जो जांच दे रखी है उसमें 7 दिन का उनको कह रखा है। जांच आने के पश्चात अगर यह विकास अधिकारी, अध्यक्ष महोदय, यह विकास अधिकारी मीना नीरू तुलसीराम है, जिनको सिर्फ 6 महीने पहले ही पदस्थापित किया गया है। माननीय सदस्या ने जो आज सदन में स्थगन प्रस्ताव के जरिये शिकायतें दर्ज कराई हैं, मैं इन सब चीजों की जांच करवा लूंगा। अगर दोषी होगी तो निश्चित तौर पर इस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूं, केवल पाँच मिनट।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, बैठिए। आप मिल लीजिए, इतना आश्वासन दे दिया, नहीं, बिलकुल नहीं। पर्ची द्वारा श्री भँवरसिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कोलायत में विद्युत समस्या

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा गया और विभाग अभी भी दावा कर रहा है कि प्रदेश में 24 घंटे घरेलू बिजली और 7 घंटे कृषि कुओं पर बिजली दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, कोलायत तहसील का जो बज्जू तहसील का क्षेत्र है, जहां सहायक अभियंता कार्यालय है, वहाँ की 24 ग्राम पंचायतों के सैंकडों गांवों में, खेतों में छितरी हुई आबादी है तथा नहरी क्षेत्र होने के कारण लोग परिवार सहित खेतों में रहते हैं। सभी लोगों को सरकार के द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं लेकिन उक्त घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र दो घंटे सुबह और चार घंटे शाम को, अर्थात् लगभग 6 घंटे घरेलू बिजली दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वहीं बज्जू और

(श्री भंवरसिंह)

कोलायत तहसील के किसानों को जो 6 घंटे कुओं पर बिजली दी जानी चाहिये, उसमें मात्र 3-4 घंटे बिजली मिल रही है। क्षेत्र में जिस प्रकार से कनेक्शन बढ़े हैं, लोड बढ़ा है, उस अनुपात में नये जीएसएस बनाने की मांग लगातार स्थानीय जनता के द्वारा किये जाने के बावजूद कोलायत और बज्जू के पुराने स्वीकृत जीएसएस का निर्माण भी बहुत धीमी गति से किया जा रहा है तथा नये जीएसएस भी मांग के बावजूद स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं। बज्जू क्षेत्र का राववाला, भलूरी जीएसएस पिछले तीन सालों से उसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। विभागीय उदासीनता की वजह से खंभे खडे हैं और काम आगे नहीं बढ़ रहा है। वहीं बीटनोक में बहुत बड़ी संख्या में पीओपी की फैक्ट्रियां हैं, वहां बहुत ज्यादा लोड है उसके बावजूद बीटनोक में भी नया जीएसएस स्वीकृत होने के बावजूद नहीं बनाया जा रहा है और काम शुरू भी नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का आरडी 820, आरडी 25 जिसको शिफ्टिंग किया जाना है और शिफ्टिंग का आदेश होने के बावजूद लंबे समय से यह कार्य भी अधरझूल में पडा है। विभागीय उदासीनता की वजह से यहां के लोगों को भी बिजली से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कोलायत एईएन आफिस के तहत कोटड़ी, नानडा और लोहिया, यहां हजारों की तादाद में कृषि कुए हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कोटडी, नानडा और लोहिया ये तीन जीएसएस हैं, इसमें लोहिया का जीएसएस स्वीकृत भी है, बाकी इन दो जीएसएस को स्वीकृत करने की अनुशंसा और मांग भी की जा रही है। लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के किसानों को कृषि कुओं पर मात्र चार घंटे बिजली मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, उन चार घंटे में भी लगातार ट्रिपिंग होती है और उस ट्रिपिंग की वजह से रोजाना किसानों की मोटरें जल रही हैं। किसानों पर बिजली के बिल के साथ-साथ मोटरें जलने से आर्थिक भार पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो उक्त तीन जीएसएस कोलायत एईएन आफिस के अंतर्गत आते हैं, उनको भी तत्काल स्वीकृत किया जाये।

तहसील में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का काम चल रहा है।

(श्री भंवरसिंह)

उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का काम भी कोलायत और बीकानेर जिले में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस कंपनी को बीकानेर जिले का ठेका दिया गया है, उस कंपनी के लोग पूरी तरह से मनमानी पर उतारू हो रखे हैं। जिन गांव व जिन ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना है, जो जरूरतमंद हैं, जो स्थाई रूप से ढाणियों में रहते हैं, उन ढाणियों का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है और उनको छोड़कर दूसरी ढाणियों के विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी रोष है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' का ठेका जिस कंपनी को दिया गया है, उस कंपनी को पाबंद किया जाए कि वह वहां के जन-प्रतिनिधियों की राय से और वहां की जनता की मांग और आवश्यकता के अनुसार इस योजना के तहत विद्युतीकरण का काम करवाएं। अध्यक्ष महोदय, उनकी मनमर्जी को रोका जाए और जो पक्षपातपूर्ण रवैया उनके द्वारा अपनाया जा रहा है, उस पर भी नियंत्रण किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि बूंद-बूंद श्रेणी के कृषि कनेक्शन मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हैं। 10 फरवरी को किसानों का महापड़ाव हुआ था, उसमें बिजली कंपनियों के सी.एम.डी., चेयरमैन और राज्य सरकार के सलाहकार आर.जी.गुप्ता हैं, वे तमाम लोग आए और उन्होंने कहा कि हम किसान की बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं, उनको वापस लें लेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा भी बजट में यह घोषणा कर दी गई थी कि राजस्थान में किसानों की बिजली की जितनी भी दरें बढ़ाई गई हैं, उन तमाम दरों को सरकार वापस लेती है।

अध्यक्ष महोदय, जो बूंद-बूंद श्रेणी किसान हैं, वे पहले से ही रेगुलर बिल से डेढ़ गुना बिल भर रहे थे, फिर उसको दुगना कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहूंगा कि बूंद-बूंद श्रेणी के कनेक्शन बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। जिनके तीन साल हो गए, वे वैसे ही सामान्य हो रहे हैं लेकिन जिनके तीन साल नहीं हुए हैं, उस श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में नहीं करें तो कम-से-कम जितना पहले बिल लिया जाता था, उतना बिल लिया जाए और उनको एक राहत दी जाए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, अन्यथा वे बूंद-बूंद श्रेणी के कनेक्शन धारक अपना कनेक्शन कटवाने पर मजबूर हो जाएंगे।

एक अंतिम बात और कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। विद्युत आपूर्ति का काम एक निजी कंपनी को ठेके पर दे दिया गया और उसकी वजह से पूरा बीकानेर बंद रहा और बीकानेर के लोगों में भारी विरोध है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, अब सदन पूरा होने जा रहा है तो इसका भी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: एक्स्ट्रा सवाल है। आप इधर-उधर मत करिए। विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य ने सिर्फ इतनी-सी बात को उठाने की अनुमति आपसे ली थी कि कोलायत विधान सभा क्षेत्र में किसानों को 6 घंटे व 24 घंटे घरेलू बिजली नहीं दी जाती। अब ये इसमें सारी इतर बातें ले आए और लाकर कहने लगे कि बूंद-बूंद सिंचाई में जो किसान है। मैं उन बातों का उत्तर देना उचित नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष: जो विषय है, उस विषय के आधार पर आप जवाब दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था, वह यह था कि कोलायत विधान सभा क्षेत्र में किसानों को 6 घंटे और घरेलू बिजली 24 घंटे नहीं मिल रही। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इनके विधान सभा क्षेत्र में 3 सब-स्टेशन काम कर रहे हैं। एक 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन गजनेर है, जो 100 एम.वी.ए. का है, 132 केवी ग्रिड स्टेशन कोलायत है जो 75 एम.वी.ए. का है और 131 केवी ग्रिड स्टेशन बज्जू है जो 2 x 12.5 एम.वी.ए. का है। अध्यक्ष महोदय, जो 220 केवी स्टेशन गजनेर और 132 केवी स्टेशन कोलायत है, इनके अंदर किसानों को छह से सात घंटे और घरेलू बिजली 20 से 22 घंटे मिल रही है। जो माननीय सदस्य ने 132 केवी ग्रिड स्टेशन बज्जू की बात कही और आपने कहा कि इस बज्जू की कुछ 16-17 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके अंदर विद्युत आपूर्ति कम हो रही है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य खुद ही कह रहे थे कि वहां पर उपभोक्ता की संख्या बढ़ी है, लोड बढ़ा है। लोड बढ़ा है इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें जो ट्रांसफार्मर था, उस ट्रांसफार्मर को आगूमेंट करके 25 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर स्थापित करने का फैसला सरकार ने लिया और उसका काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, वह काम 05.03.17 के बाद चला तो निश्चित रूप से एक बार शटडाउन लेना पड़ा। इस कारण वह प्रभावित हुआ। उसका काम अब 03 मार्च, 2017 को चालू कर दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। जहां तक आपने रावला जी.एस.एस. का कार्य नहीं कराने की बात कही है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निश्चित तौर पर इस पर भी विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री नाना लाल अहारी ।

पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना में बीपीएल व वंचित परिवारों का सम्मिलन

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में तीन पंचायत समितियां हैं और खैरवाड़ा में 196 रेवन्यू विलेज हैं। ऋषभदेव में 111 हैं और सेमारी में 74 गांव हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मेरे यहां अभी दो ही रेवन्यू विलेज जुड़े हैं। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि यहां पर बिखरी हुई बस्ती है और अधिकांश एरिया पहाड़ी क्षेत्र है। कई गाँवों में अभी तक बिजली बराबर नहीं पहुंची है और अगर पहुंची है तो गांव के एक कोने से जाकर छोड़ दी है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत बचे हुए कई गांव हैं जिनके नाम मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मगर आप कब तक इस योजना से इन बिखरी हुई बस्तियों का विद्युतीकरण कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के प्रथम फेज में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना सम्मिलित की गई है। यह सही है कि पहले राजीव गांधी ग्रामीण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विद्युतीकरण योजना थी, उसके अंदर उदयपुर जिला और उदयपुर जिले के इन सारे विधान सभा क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया था। यह योजना दीनदयाल विद्युतीकरण योजना में मर्ज हो गई। अध्यक्ष महोदय, डी.डी.यू.जी.वाई. का सैकिण्ड फेज है, जो कि 06.08.15 को स्वीकृत हुआ है, जो 2819 करोड़ रुपये का है और इसके अंतर्गत सभी 33 जिलों में विद्युतीकरण का काम होगा क्योंकि पहले चरण में जहां सौ घरों की बस्ती है, उनको ही शामिल किया था। सौ की जनसंख्या वाली ढाणियां थीं। इसके अंदर जहां पर पाँच ढाणियां हैं, कलस्टर में उनको शामिल किया गया है। इसमें उदयपुर जिले के अंदर 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है और माननीय सदस्य खैरवाड़ा से आते हैं और अकेले खैरवाड़ा के लिए 26 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें आपकी 383 ढाणियां विद्युतीकृत की जाएंगी। उसके पश्चात् 260 ढाणियां खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की वंचित रहती हैं। इनके लिए हम अलग से योजना भारत सरकार को भेजेंगे ताकि उनकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो जाए। 31 मार्च, 2018 को यह टैण्डर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके पश्चात इस क्षेत्र में विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाएगा और खैरवाड़ा ब्लॉक का एक मात्र गांव महुआवाल मागरा है, यह पूर्व में ही विद्युतीकृत कर दिया गया है और इसमें 91 बी.पी.एल. और 12 ए.पी.एल. के कनेक्शन भी कर दिए गए हैं और इस खैरवाड़ा में 8392 बी.पी.एल. और 2423 ए.पी.एल को विद्युतीकृत करेंगे जो योजना अब प्रस्तावित है। 31 मार्च, 2018 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाह रहा हूं। मेरा मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र बहुत ही बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दो उपखंड हैं, तीन तहसीलें हैं, एक उप तहसील है, 75 ग्राम पंचायतें हैं और यह 125 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। एक तरफ अरावली पर्वत है और दूसरी तरफ कहीं जाने का कोई रास्ता है और अगर

(श्री केसाराम चौधरी)
कोई मारवाड़ी नाम से प्रसिद्ध है तो केवल मारवाड़ जंक्शन प्रसिद्ध है और उस मारवाड़ जंक्शन में प्राइमरी स्कूल करीब 110 हैं और उसमें 1785 बच्चे और 1923 बच्चियां हैं, प्राइमरी में कुल 3708 बच्चे पढ़ रहे हैं। उच्च प्राइमरी में 71 स्कूलें हैं और इसमें 3762 बच्चे और 4498 बच्चियां हैं, कुल 8260 बच्चे उच्च प्राइमरी में हैं। माध्यमिक विद्यालय 15 हैं, उनमें 1352 लड़के और 2102 लड़कियां हैं, कुल मिलाकर 3454 बच्चे पढ़ रहे हैं। उच्च माध्यमिक में 45 स्कूलें हैं, उसमें 7206 लड़के और 5228 लड़कियां हैं, कुल मिलाकर 12434 बच्चे हैं और इन सबको मिलाया जाए तो 27856 लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। इतने बच्चों में से कालेज में यदि लड़कियां पढ़ती होंगी तो मात्र छह लड़कियां आगे पढ़ पा रही हैं और लड़कों में भी 200-300 लड़के पढ़ रहे हैं। इस तरह से पूरे ड्रोप आउट हो जाते हैं। यह पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से बच्चों को आगे पढ़ने के लिए एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों में फीस ज्यादा होने की वजह से मां-बाप नहीं पढ़ा पाते हैं और उच्च शिक्षा के लिए बच्चियों को दूरदराज भेजने के लिए ग्रामीण अंचल के लोग चिंता करते हैं और उन बच्चियों को बाहर नहीं पढ़ा पाते हैं। हमारी मुख्य मंत्री महिला है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी महिला हैं।

ऐसी सूरत में महिलाओं की शिक्षा के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में एक सरकारी महाविद्यालय, चाहे महिला का खोलें, चाहे बच्चों का खोलें, मगर मारवाड़ जंक्शन पर एक महाविद्यालय खोलकर मेरे क्षेत्र की जनता को, जो पूरा मारवाड़ी नाम से फेमस है। कहीं भी मारवाड़ ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगा। हर आदमी कहता है मारवाड़ी है। अगर कोई मारवाड़ नाम की चीज है तो केवल मारवाड़ जंक्शन ही है। उसमें एक भी महाविद्यालय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे आशा है कि आज आप सदन में मेरे यहां महाविद्यालय की घोषणा करेंगे ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सके। आपका आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो। उच्च शिक्षा मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर अपनी चिंता जाहिर की कि उनके यहां पर कालेज में पढ़ने के लिए बहुत सारे युवा साथी हैं लेकिन सरकारी महाविद्यालय होना चाहिए, उसकी कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगी कि पाली से मारवाड़ जंक्शन 40 किलोमीटर और सोजत सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जरूर है। इसके साथ-साथ आपके यहां पर मारवाड़ जंक्शन में चार निजी महाविद्यालय भी संचालित हैं। इन सबके बावजूद भी आपने जैसा कहा कि सरकारी कालेज जब तक नहीं हो तो फीस वगैरह का एक इश्यू रहता है। आपकी बात को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, यह मैं कह सकती हूं। इनकी डिमांड है और 27 हजार ऐसे छात्र-छात्राएं हैं जो अलग-अलग महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। हम लोग अगले सत्र के अंदर निश्चित रूप से कहीं न कहीं, निर्णय करके, इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

कोटा उत्तर के राजस्व ग्राम नंदाजी की बाड़ी एवं गावड़ी में अवैध निर्माण

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 के खंड गावड़ी में पिछले दिनों नगर विकास न्यास की कार्यवाही के बाद चिंताजनक स्थिति बन गई है। अचानक नगर विकास न्यास का दस्ता रात को जाता है और 682 मकानों पर क्रोस लगाता है कि यह मकान अतिक्रमण में हैं, इन्हें तोड़ा जाएगा। इससे पहले क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस, किसी प्रकार की कोई सूचना नगर विकास न्यास द्वारा नहीं दी जाती। अगले दिन जब नोटिस सर्व कराने के लिए न्यास का अमला जाता है, लोग विरोध करते हैं, संघर्ष की स्थिति पैदा होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। वर्ष 2014 में राजीव चौरड़िया नाम के व्यक्ति ने एक पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

फाइल की। यहां पर सरकारी जमीन पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। उस पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन पर नगर विकास न्यास कोटा ने जवाब देते समय बिना किसी प्रकार की तारीख पेशी लिए हुए, बिना किसी प्रकार के पब्लिक के इंट्रेस्ट को सेव करने की योजना बनाए, अदालत में लिखकर दे दिया, हां, यहां पर अतिक्रमण है और हम एक साल के अंदर-अंदर इस अतिक्रमण को हटाकर कार्यवाही कम्पलीट कर लेंगे। कोर्ट ने इसके बाद;

"In view of the above aforesaid statement by the State Counsel, the Counsel for the petitioner does not press this petition at this stage, the writ petition is accordingly dismissed as non-est." कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। यानी आपको हत्या के मुक़दमे के लिए तलब किया और आपने कोर्ट में जाकर कह दिया, हां, मैंने हत्या की है, आप मुझे सज़ा दे दीजिए। कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। सुनवाई नहीं हुई। गुणावगुण के आधार पर कोई तारीखें तय नहीं हुईं और एक डीएस ने जाकर वकील से लिखवाकर दे दिया कि हां, यहां पर अतिक्रमण है, हम साल भर में हटा लेंगे। उसके बावजूद भी कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। नोट प्रेस जो फरियादी का वकील था, उस आधार पर नोट प्रेस करके रिट को खारिज कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हालात तब बने कि गावड़ी राजस्व का घोषित गांव है। जिन 682 मकानों पर क्रोस लगाया, उनमें से 17 से 50 मकानों के पास ग्राम पंचायत और स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे हैं।

वर्ष 2012-13 में जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चला तो 324 मकानों को पट्टे दिए गए और 126 के नियमन की रसीदें जमा हो गईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने जिसको 2006 में गांव के बाद शहरी सीमा में आने के बाद कच्ची बस्ती घोषित कर दी, आबादी के बढ़ते हुए विस्तार को देखते हुए, आपने उन 682 परिवारों में से नियमों के दायरे में 324 को पट्टे दे दिए, 126 की आपने रसीदें जमा करवा लीं। अब आप बकाया को अतिक्रमी बताकर किस आधार पर हटाना चाहते हो? जब पट्टे दिए जा रहे थे उस समय यह डीएस यूआईटी में मौजूद थे। जिनमें 324 लोगों को पट्टे दे दिए, 126 रसीदें जमा हो गई। अब आप बकाया 103 लोगों को, जो 2006 में। जिस समय 2012-13 में पट्टे जारी किए गए, जो लोग 2012-13 में पट्टे पाने की पात्रता रखते थे, वह पात्रता आज भी यह लोग रखते हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 7 और खसरा नम्बर 91, इन दोनों को लेकर विवाद है, 191 पर तमाम लोगों को पट्टे दे दिए, गैर मुमकिन आबादी, 7 गैर मुमकिन बीहड़। कहीं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने के बाद किस मंशा से सरकार के अधिकारियों ने और आप गैर मुमकिन बीहड़ के अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हो। उसी डीएस के समय नगर विकास न्यास कोटा में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह सबूत पेश कर रहा हूं एक पट्टा जारी किया गया। पट्टे के पीछे, डूब में कर दिया और लिख दिया कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ-3 (54) नगर विकास न्यास 3/2011 पूर्व दिनांक 02.12.2012 की पालना में, नगर निगम की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 30.5.2013 के निर्णय की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम कोटा के आदेश क्रमांक सो एंड सो के अनुसार कोटा बैराज से छोड़े जाने वाले पानी, साढ़े तीन लाख क्यूसेक, डिस्चार्ज के आधार पर डूब क्षेत्र का निर्वाहन कर पट्टे का निर्णय लिया गया। बाढ़ से होने वाली हानि के लिए नगर निगम, राज्य सरकार, कोई मुआवजा नहीं देगी। आपने मान लिया कोई डूब में आ जाएगा, मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन हम उसको पट्टा देंगे। आप डूब पर पट्टे दे रहे हो। जो 682 लोग हैं, उनका सर्वे करके आप तय कर रहे हो यह पट्टे के लिए एनटाइटल है। आपने अभियान चला दिया उसमें से 324 ने पट्टे पा लिए, 126 ने रसीदें जमा करा दी और बेचारा वंचित वर्ग, गरीब मजदूर सुबह शाम कमाने की व्यवस्था में, जिसके पास पैसा नहीं था, अगर वह अपने नियमन के लिए आवेदन नहीं कर पाया, मैक्सीमम ने तो कर रखा है। आप उसको आज न्यायालय में जाकर कह दो कि हां हमने अपराध कर दिया, हत्या कर दी, सज़ा सुना दीजिए। उन लोगों का पक्ष सुनना चाहिए था, उन लोगों की पैरवी करनी चाहिए थी। उसी डीएस ने, जिसने पट्टे जारी किए, उसी ने लिख दिया हां बकाया अतिक्रमण है। अगर आप अतिक्रमण मानते हो तो 682 लोग अतिक्रमी हैं, जिसमें से 324 को पट्टे दे दिए, 126 के नियमन शुल्क जमा हो गए। आप आधे को कर रहे हो। इस विधान सभा में 200 लोग जीतकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई फैसला कर दें, सत्ता के लोग हैं, उन्हीं को ही सीट आबंटन होगी, बाकी किसी को नहीं होगी। आखिर कौन से नियमों से सरकार चलेगी। अधिकारी जिस प्रकार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट में बिना सरकार से एप्रूव किए बयानबाजी देकर, जवाब दर्ज करके, इससे ऐसी विस्फोटक स्थितियां पैदा हो गई, अगर कोई उस अतिक्रमण को हटाने गया तो कोटा शहर के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी और सरकार की बदनामी होगी। जो अफसर सरकार की बदनामी करने पर तुले हुए हैं, अदालतों में गलत बयानबाजी करके, गलत एफेडेबिट देकर, गलत जवाब देकर, लोगों के सामने संकट खड़ा करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यह जानते हुए कि एक कैटेगरी के 682 में से उन्हीं के हाथों से 60-70 प्रतिशत को पट्टे जारी कर दिए, बकाया लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज राज्य सरकार और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें कोई बहस नहीं हुई, कोई तर्क नहीं हुआ। गुणावगुण के आधार पर सीधा जाकर आपने तय कर दिया, ग्राम पंचायत, आपका म्युनिसिपल एक्ट नहीं बना। आपकी यूआईटी नहीं आई। आपकी डेमोक्रेसी नहीं आई। उस समय का राजस्व का घोषित गांव गावड़ी, उसकी आबादी अगर 50-100 साल में बढ़कर चार गुणा हो गई और बाद में यूआईटी के रूल आ गए, यूआईटी फोर्म में आ गई, आपकी सरकारें बनना प्रारम्भ हो गई, उस अपराध की सज़ा आप 50-100 साल बाद उस गांव को देंगे। नगर निगम की सीमा में आ गया। वह गांव 200-400 साल पुराना है। 400 साल की आबादी का विस्तार जिस तीव्र गति से हुआ है उस क्राइटेरिया में एक-एक व्यक्ति को पट्टा मिलना चाहिए। अब उन्होंने कह दिया, 15 मई तक कंटेम्प्ट का उसने केस लगा दिया, डर के मारे अफसरों ने हडकम्प मचाना शुरू कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा एक-एक व्यक्ति को पट्टा मिलना चाहिए। एक भी व्यक्ति को उजाड़ने की कार्यवाही की तो यह उसके अधिकारों का हनन है। गला काटा जाएगा। पिछली सरकार ने 682 को एक केटेगरी में रखकर 500 से अधिक लोगों को पट्टे की कार्यवाही में शामिल कर दिया। हम क्या कहकर उन 103-104 लोगों को वंचित कर सकते हैं। अगर वंचित किया तो इससे बड़ा अन्याय कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय मंत्री महोदय इस सदन में आश्वस्त करें कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी।

(12.50 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रशासन और सरकार मिलकर किसी भी सूरत में वहां पर किसी को बेदखल करने के लिये नहीं जायेंगे, हाई-कोर्ट में कंटेम्प्ट की सिचुएशन से निपटने के लिये जिम्मेदारीपूर्वक सरकार के अधिवक्ता पैरवी करें और आम आदमी का पक्ष रखें। सरकार का पक्ष कोई पिटीशनर और दलालों का पक्ष नहीं होता। सरकार का पक्ष आम आदमी का पक्ष है। सरकार का पक्ष आम आदमी को न्याय दिलाने का पक्ष है, जो बैठा हुआ है। सरकार का अपना कोई पक्ष नहीं होता। अगर आम आदमी को हम सरकारी पक्ष में से माइनस कर देंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय और इसलिये उस आम आदमी को केन्द्र में मानकर उसके हक-अधिकार की बात रखकर कंटेम्प्ट पिटीशन में उसके साथ न्याय दिलाने की सम्पूर्ण पैरवी यह कहते हुए कि वह पात्रता रखते हैं। पिछली सरकार ने जिन नियमों के दायरे में पट्टे जारी किये हैं, उन नियमों के दायरे में ये सारे लोग आते हैं। आगे आप एक अतिक्रमण मत होने दीजिये। लेकिन जो 684 मकानों के साथ बस गया, आधे लोगों ने तो रोटी खा ली और आधे लोगों के हाथ का निवाला छीनकर आप उनको भूख से मरने के लिये तड़पने के लिये मजबूर कर रहे हो। यह कौनसा न्याय है माननीय उपाध्यक्ष महोदय? इसलिये न्याय सबके साथ समान होना चाहिये। न्याय की तराजू में अलग-अलग भेदभाव नहीं होता। न्याय की तराजू में पक्ष नहीं होते। सरकार के सामने सब लोग समान हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिये इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने अधिकारियों को प्रताड़ित करें, उनको प्रताड़ना दें। यह जानते हुए भी कि जिन्होंने पाँच सौ लोगों को अपने हाथों से पट्टे दे दिये और उसी कैटेगरी के कुछ लोगों को गुनाहगार साबित करके हटाना चाहते हैं, उनको प्रताड़ना दें और इस सदन को आश्वस्त करें कि जो 326 या 126, जो पट्टा और जिन्होंने नियमन शुल्क जमा कराया, उस कैटेगरी में बकाया लोगों को कंसीडर करके नियमन शुल्क जमा करके पट्टे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दिलाये जायेंगे और जिन अधिकारियों ने सरकार को ध्यान में लाये बगैर गलत एफिडेविट कोर्ट में दिया है, उन लागों को प्रताड़ना देंगे, आवश्यक कार्यवाही करेंगे और कोई भी एक कदम ऐसा नहीं उठाया जायेगा जिससे कानून व्यवस्था के लिये एक चुनौती खड़ी हो जाये। मैं इतना आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। वरना माननीय मंत्री महोदय, कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो जायेगी, संघर्ष हो जायेगा, लोग मर जाएंगे। किसी भी कीमत पर यह जो दोहरा पक्ष सरकार का कि पिछली सरकार ने एक पक्ष को उजला साबित कर दिया और एक पक्ष को यह सरकार धुंधला साबित कर दे, यह अन्याय किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): इतना जोर से तो मैं नहीं बोल सकता, साहब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा (उत्तर) के घोषित राजस्व गांव नन्दाजी की बाड़ी एवं गावड़ी में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की जो बात अभी माननीय सदस्य ने रखी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम खंडबा गावड़ी के खसरा नम्बर 07 में अभी हो रहे अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में। यह सही है कि श्री राजीव चौरड़िया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2182/2015 दायर करने पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.2016 में निर्देशित किया गया था। तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया कि अनुमति लेकर अतिक्रमियों के विरुद्ध सैक्शन 91 के तहत कार्यवाही एक वर्ष में पूर्ण करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात श्री राजीव चौरड़िया द्वारा सम्भागीय आयुक्त, कोटा; जिला कलेक्टर, कोटा; सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा; अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा; उपखण्ड अधिकारी, कोटा; जिला वन अधिकारी,कोटा; तहसीलदार, लाडपुरा व हल्का पटवारी के विरुद्ध माननीय न्यायालय की अवमानना 199/2017 दायर की गई। जिसका नोटिस प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर 103 अतिक्रमियों को नगर सुधार अधिनियम

1959 की धारा 92(ए) के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई की कार्यवाही जैरकार है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्य, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अतिक्रमियों, जिसका अतिक्रमी वर्ड है इसमें, को सुनवाई कर पूर्ण अवसर दिया जायेगा तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अध्यधीन विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी, उसके पहले कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल मेरा एक सवाल है। यह पूरे के पूरे 682 लोग एक कैटेगरी में हैं। उन 682 में से पिछली सरकार ने 324 को पट्टे दे दिये। 126 लोगों ने नियमन के लिये शुल्क जमा करा दिया। बकाया 103, जो भी उसी कैटेगरी में उसी भूमि पर हैं। हम केवल उनको अतिक्रमी कहकर बेदखल करने की कार्यवाही शुरू कर दें, यह दोहरा पक्ष कौनसे नियमों में आता है? सरकार आश्वस्त करे कि उसी कैटेगरी के लोगों को पट्टा दिया है, उसी कैटेगरी के लोगों का नियमन शुल्क जमा कराया है तो इन तमाम लोगों को आगामी शिविरों में पट्टे दिये जाएंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): विधिक राय बोल दिया ना, साहब।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कोई अतिक्रमण नहीं हटेगा, माननीय मंत्री महोदय?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि उनको बिना सुनवाई, कुछ अतिक्रमण पहले भी था, और विधिक जानकारी, हम वह भी ले लेंगे। निश्चित रूप से, अगर पुराने अतिक्रमियों को उस आधार पर दिया गया है तो उनको राहत देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट की पालना भी हमको करनी है। विधि सम्मत राय लेकर ही हम कुछ कर सकते हैं। ...(व्यवधान)... और आपने जैसा कहा... नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने कहा कि उनको सुना नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो तो सही।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उनको बिना सुने कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना चाहता हूं कि हाईकोर्ट की कंटेम्प्ट के बाद ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: जवाब नहीं आया? आप संतुष्ट नहीं हुए क्या जवाब से?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं केवल इतना चाहता हूं कि हाईकोर्ट की कंटेम्प्ट की कार्यवाही के बाद सरकार की जानकारी में लाये बगैर, जन-प्रतिनिधियों से चर्चा किये बगैर, जैसे पूर्व में जाकर कह दिया, हां, हम हत्या के अपराधी हैं, बयान दे दिया, कोर्ट में जाकर एफिडेविट दे दिया, कंटेम्प्ट की कार्यवाही में अगर सीधा कोई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर ली और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई, कौन जिम्मेदार है। सरकार आश्वस्त करे कि 682 की कैटेगरी में 103 आ रहे हैं तो हम उसी तरीके से न्याय दिलायेंगे। कोई कार्यवाही तब तक नहीं होगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि हम उनकी पूरी सुनवाई करेंगे। उनके पास जो तथ्य हैं उनकी जानकारी हम ले लेंगे और विधिसम्मत जो भी न्याय होगा, निश्चित रूप से करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में भ्रष्टाचार

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 131 के तहत जो ध्यान आकर्षित किया है, उनके संदर्भ में मैं कुछ, आपके ध्यान आकर्षण के बाद में जो मैंने आपको जवाब दिया है उसके कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) ने जो शिकायत की थी, उस शिकायत में आपने कनिष्ठ लिपिक महेश सोगत द्वारा भ्रष्टाचार करने और कार्मिक को ए.पी.ओ. करने हेतु निवेदन किया था। साथ ही जो रामगढ़ की सी.डी.पी.ओ., श्रीमती शकुन्तला मेहरा हैं, उनको भी ए.पी.ओ. करने के लिये आपने निवेदन किया था।

उस शिकायत की जांच करवाये जाने के लिये हमने जिला कलेक्टर, अलवर को लिखा और जिला कलेक्टर, अलवर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम गठित की जिसमें डी.डी., अलवर इसके साथ ही सहायक निदेशक, सांख्यिकी, अलवर; कोषाधिकारी, अलवर और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर; इस प्रकार से टीम का गठन किया गया और टीम के गठन के उपरांत कलेक्टर, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 11.08.2016 से इस विभाग को रिपोर्ट भिजवाई। जांच रिपोर्ट में श्रीमती शकुन्तला मेहरा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़ को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया तथा श्री महेश सोगत, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा कोई राशि लेना रिपोर्ट में नहीं माना है।

(13.00 बजे)

जांच रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर श्रीमती शकुन्तला मेहरा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध अंतर्गत नियम-16 सी.सी.ए. में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये एवं कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लिया गया। जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर श्रीमती शकुन्तला मेहरा, बाल विकास परियोजना अधिकारी की दिनांक 31.08.2016 की सेवानिवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के पत्र दिनांक 26.08.2016 से श्रीमती मेहरा के विरुद्ध अंतर्गत नियम-16 सी.सी.ए. में अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का जांच प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवाया गया तथा विभाग के आदेश दिनांक 26.08.2016 से ही उन्हें निलंबित किया जाकर मुख्यालय निदेशालय, जयपुर में नियत किया गया। श्रीमती शकुन्तला मेहरा को कार्मिक विभाग ने सम-संख्यक ज्ञापन दिनांक 29.08.2016 से अंतर्गत नियम-16 सी.सी.ए. का आरोप पत्र जारी किया गया। इस प्रकार श्रीमती

(श्रीमती अनिता भदेल)

शकुन्तला मेहरा निलंबित रहते हुए, दिनांक 31.08.2016 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुकी है। श्रीमती मेहरा के विरुद्ध कार्मिक विभाग में विचाराधीन विभागीय जांच में आयुक्त प्रथम, विभागीय जांच विभाग, जयपुर को आदेश दिनांक 15.02.2017 से जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

वास्तव में रामगढ़ परियोजना कार्यालय में कार्यरत श्री महेश सोगत, कनिष्ठ लिपिक नहीं होकर सहायक सांख्यिकी अधिकारी था। विभाग के आदेश दिनांक 02.09.2016 से श्री महेश सोगत, सहायक सांख्यिकी अधिकारी को ए.पी.ओ. कर मुख्यालय निदेशालय, जयपुर में नियत किया गया था। पत्र दिनांक 06.09.2016 से श्री सोगत को इस विभाग से कार्यमुक्त कर निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर के लिए कार्यमुक्त कर दिया था।

इसके अतिरिक्त सरपंच, गाम पंचायत-हाजीपुर, पंचायत समिति रामगढ़ (अलवर) द्वारा मुझे आंगनबाड़ी केन्द्र नंगलीवाल, ग्राम पंचायत हाजीपुर की कार्यकर्ता श्रीमती मिसकीना द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने संबंधी शिकायत की छाया प्रति दी गयी और उस छाया प्रति के आधार पर प्रकरण की जांच जिला कलक्टर अलवर से करवायी गयी। जिला कलक्टर, अलवर द्वारा प्रकरण की जांच उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर से कराई गई। आंगनबाड़ी केन्द्र पर अनियमितताएं पाये जाने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़ के आदेश दिनांक 05.10.2016 द्वारा श्रीमती मिसकीना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक किया गया।

इसी प्रकार मार्शल सिक्योरिटी एवं वेलफेयर सोसायटी, अलवर द्वारा दिनांक 06.06.2016 को अलवर जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों के स्थान पर निजी ठेकेदार द्वारा पोषाहार आपूर्ति की शिकायत प्रस्तुत करने पर निदेशालय स्तर से अतिरिक्त निदेशक, पोषाहार की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया जाकर दिनांक 08 एवं 09.06.2016 को बाल विकास परियोजना, अलवर-शहर एवं निकटतम बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण/जांच की गई। जांच दल

(श्रीमती अनिता भदेल)

द्वारा बाल विकास परियोजना, अलवर शहर, तिजारा, उमरैण एवं रामगढ़ में पूरक पोषाहार की आपूर्ति में पाई गई कमियों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अभिशंसा की गयी:-

1. श्री सोमपाल सिंह, उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर
2. श्रीमती ऋचा चतुर्वेदी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर-शहर
3. श्रीमती ललिता, तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी, तिजारा
4. श्री महाराम दौराता, बाल विकास परियोजना अधिकारी, तिजारा
5. श्रीमती सुशीला परिहार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उमरैण
6. श्रीमती शकुन्तला मेहरा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़
7. श्रीमती बीना गुप्ता, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, अलवर-शहर
8. श्रीमती गीता अटवाल, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, अलवर-शहर
9. श्रीमती पुष्पा ऋषि, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, अलवर-शहर
10. श्रीमती रेणु अग्रवाल, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, अलवर-शहर
11. श्रीमती नीनू त्रिपाठी, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, उमरैण
12. श्रीमती निर्मला यादव, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, उमरैण
13. श्रीमती कान्ता शर्मा, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, उमरैण
14. श्रीमती कुसुमलता जैन, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, तिजारा
15. श्रीमती गिरिजा शर्मा, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, तिजारा

(श्रीमती अनिता भदेल)

16. श्रीमती गीता महावर, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना, रामगढ़
17. श्री लक्ष्मण प्रसाद, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, बाल विकास परियोजना, तिजारा,
18. श्री नरेश कुमार, कनिष्ठ लिपिक, बाल विकास परियोजना, तिजारा
19. संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास परियोजना, अलवर-शहर, रामगढ़, उमरैण एवं तिजारा।

इस प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त चार परियोजनाओं के कुल 19 कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी।

श्री सोमपाल सिंह, तत्कालीन उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (आयुर्वेद चिकित्सक) अलवर के विरुद्ध अंतर्गत नियम-17 सी.सी.ए. का जांच प्रस्ताव विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2015 से उनके मूल विभाग, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को भिजवाया गया। आयुर्वेद विभाग द्वारा श्री सोमपाल सिंह को अंतर्गत नियम-17 सी.सी.ए. का आरोप पत्र दिनांक 05.07.2016 को जारी किया जा चुका है तथा जांच वर्तमान में आयुर्वेद विभाग में विचाराधीन चल रही है। श्री सोमपाल सिंह को उनके पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जा चुका है।

विभाग के आदेश दिनांक 22.06.2016 से परियोजना अलवर शहर की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती बीना गुप्ता, श्रीमती गीता अटवाल, श्रीमती पुष्पा ऋषि एवं श्रीमती रेणु अग्रवाल तथा उमैरण परियोजना की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती नीनू त्रिपाठी, श्रीमती निर्मला यादव व श्रीमती कान्ता शर्मा तथा तिजारा परियोजना की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती कुसुमलता जैन, श्रीमती गिरिजा शर्मा एवं रामगढ़ परियोजना की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती गीता महावर एवं तिजारा परियोजना कार्यालय के लिपिक ग्रेड-II श्री नरेश कुमार को आदेशों की प्रतीक्षा में कर मुख्यालय निदेशालय, जयपुर किया गया तथा तत्पश्चात इनका पदस्थापन अलवर जिले से बाहर किया गया।

विभाग के आदेश दिनांक 22.06.2016 से श्री लक्ष्मण प्रसाद, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, परियोजना कार्यालय, तिजारा को उनके पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: Will you read the whole thing? आप पूरा पढेंगी?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): अब जवाब तो पूरा ही देना है न, सर।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, चलिए, Ok. No. Read it. Atleast, it will come on record.

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): श्रीमती सुशीला परिहार, बाल विकास परियोजना अधिकारी (ए.सी.डी.पी.ओ.) उमरैण, जिला अलवर को अंतर्गत नियम-17, सी.सी.ए. का आरोप-पत्र दिनांक 21.06.2016 को जारी किया जा चुका है तथा विभागीय स्तर पर जांच विचाराधीन है।

श्रीमती ऋचा चतुर्वेदी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर शहर, परियोजना अलवर शहर की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती गीता अटवाल, श्रीमती बीना गुप्ता, श्रीमती पुष्पा ऋषि एवं श्रीमती रेणु अग्रवाल को अंतर्गत नियम-17 सी.सी.ए. के आरोप पत्र दिनांक 22.06.2016 को जारी किये जा चुके हैं।

इसी प्रकार श्रीमती ललिता, बाल विकास परियोजना अधिकारी, तिजारा एवं तिजारा परियोजना की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती कुसुमलता जैन, श्रीमती गिरिजा शर्मा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री लक्ष्मण प्रसाद एवं कनिष्ठ लिपिक श्री नरेश कुमार को अंतर्गत नियम- 17 सी.सी.ए. के आरोप पत्र दिनांक 22.06.2016 को जारी किये जा चुके हैं।

इसी प्रकार उमरैण परियोजना की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती नीनू त्रिपाठी, श्रीमती निर्मला यादव एवं श्रीमती कान्ता शर्मा को अंतर्गत नियम-17, सी.सी.ए. के आरोप-पत्र दिनांक 22.06.2016 को जारी किये जा चुके हैं।

इसी प्रकार रामगढ़ परियोजना की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती गीता महावर को अंतर्गत नियम-17, सी.सी.ए. के आरोप पत्र दिनांक 22.06.2016 को जारी किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में जांच विचाराधीन चल रही है।

श्रीमती शकुन्तला मेहरा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़ राज्य सेवा संवर्ग की अधिकारी होने के कारण उनके विरुद्ध अंतर्गत नियम-16, सी.सी.ए. में अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के जांच प्रस्ताव तैयार कर विभाग के पत्र दिनांक 26.08.2016 से कार्मिक (क-3/जांच) विभाग,

(श्रीमती अनिता भदेल)

जयपुर को भिजवाये गये थे। कार्मिक विभाग द्वारा सम-संख्यक ज्ञापन दिनांक 09.08.2016 से श्रीमती शकुन्तला मेहरा, बाल विकास परियोजना अधिकारी को अंतर्गत नियम-16 सी.सी.ए. का आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। श्रीमती मेहरा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की विस्तृत जांच करने के लिए कार्मिक विभाग के सम-संख्यक आदेश दिनांक 15.02.2017 से आयुक्त (प्रथम), विभागीय जांच, राजस्थान, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है तथा जांच वर्तमान में कार्मिक विभाग में विचाराधीन चल रही है।

जांच दल द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर उच्च स्तर पर लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही भी की गयी है:-

अनधिकृत रूप से पोषाहार आपूर्ति कर रहे निजी ठेकेदारों श्री हेमन्त सैन पुत्र श्री दिनेश कुमार सैन, 1/138, स्कीम नम्बर-108, अलवर तथा श्री चतुर्भुज सैन पुत्र श्री कुंदन लाल सैन, निवासी 62, जवाहर नगर, अलवर द्वारा बिना सक्षम अनुज्ञा-पत्र एवं स्वीकृति के अस्वास्थ्यकारक परिस्थितियों में पोषाहार का निर्माण कर फर्जी तरीके से स्वयं सहायता समूहों के नाम पर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार का विक्रय करने हेतु इनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम या अन्य संबंधित अधिनियम/ नियम के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर को विभागीय पत्र क्रमांक 83759, दिनांक 24.06.2016, दिनांक 28.11.2016, दिनांक 02.02.2017 और दिनांक 09.03.2017 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किये जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

विभागीय आदेश दिनांक 24.06.2016, 18.07.2016 एवं 22.07.2016 द्वारा दोषी स्वयं सहायता समूहों के बकाया भुगतान पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने एवं दोषी स्वयं सहायता समूहों के विरुद्ध एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर को निर्देशित किया गया। जिस पर उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर द्वारा दोषी स्वयं सहायता समूहों के एम.ओ.यू. निरस्त कर भुगतान पर रोक लगा दी गयी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

विभागीय पत्र क्रमांक 85206 दिनांक 28.06.2016 द्वारा जिला कलक्टर, अलवर को निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति गोपनीय रूप से प्रेषित करते हुए अलवर जिले में संचालित अन्य बाल विकास परियोजनाओं में पूरक पोषाहार का वितरण विभागीय निर्देशानुसार सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वितरित किये जा रहे पूरक पोषाहार के नियमित वितरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं। पोषाहार के नियमित वितरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पोषाहार निर्माण का विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने, वितरण से पूर्व पोषाहार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा चखने एवं पोषहार का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराने के निर्देश जारी किये गये हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वितों की सूची चस्पा करने, पोषाहार स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर का नियमित संधारण करने के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य स्तरीय अधिकारियों, जिलास्तरीय अधिकारियों व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ महिला पर्यवेक्षकों द्वारा समय-समय पर सघन निरीक्षण किया जाकर पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा पूरक पोषाहार की नियमित रूप से प्रयोगशाला जांच एन.ए.बी.एल. अनुमोदित प्रयोगशालाओं से करायी जा रही है।

राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर पोषाहार की गुणवत्ता की निगरानी हेतु समितियां गठित की हुई हैं। इन कमेटी गठन के आदेशों की प्रतियां समस्त जिला कलक्टर्स, जिला प्रमुख, महापौर, नगर निगम तथा अध्यक्ष, नगर परिषद/नगर पालिका को भी प्रेषित कर समितियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने एवं लाभान्वितों को विभागीय निर्देशानुसार गुणवत्तापूर्वक पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है। राज्य स्तर पर गठित निगरानी समिति की बैठक का विधिवत आयोजन नहीं हुआ है, किन्तु माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों की समीक्षा हेतु नियमित रूप से राज्य/जिला स्तर पर बैठकें ली जाती हैं। विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की सघन प्रशासनिक मोनिटरिंग भी की जा रही है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें। वैसे 131 में तो Generally, the reply is a brief statement from the Minister concerned. क्योंकि आपका विस्तृत रिप्लाई सम्माननीय सदस्य के पास पहुंच गया। यह तो आप टेबल कर दें और आदरणीय सदस्य आपको जो इनसे पूछना है, वह पूछ लें। I will allow you to table the entire reply so that it is come for record. अब तो आप उनके जो कोई क्वेरीज हैं, उनको आप बतायें।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो लगभग कम्पलीट ही हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये पढ़िये। जब कम्पलीट हो ही रहा है तो then let her complete.

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): उक्त तथ्यात्मक स्थिति से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा लाभान्वितों को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्वक पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। दोषी पाये जाने पर संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जो उत्तर दिया गया है, 100 प्रतिशत असत्य +++ पर आधारित है।

श्री उपाध्यक्ष: +++ नहीं, असत्य तक तो ठीक है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): और इन्होंने जितना लम्बा महाभारत पढ़ा है, उस महाभारत को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैं उसको बहुत संक्षेप में निवेदन करूं, मैं एक वर्ष तक इनको लगातार शिकायतें करता रहा एक आंगनबाड़ी पोषाहार बांटने वाली कार्यकर्ता की, वह है हाजीपुर पंचायत में, वहां की पंचायत के सरपंच और वहां के गांववासी, वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुसलमान है मिसकिना, और वहां के मुसलमान और हिन्दू, दोनों मिलकर कहते हैं कि इसने पोषाहार बांटने की सूची रख रखी है, वह स्कूल से बच्चों की लेकर, एक बच्चे को भी पोषाहार नहीं बांटा। पंचायत ने शिकायत की, सरपंच की शिकायत के साथ मैंने माननीय मंत्री महोदय को चार बार शिकायत की। डायरेक्टर महोदय को शिकायत की, वह सारी शिकायतें पचा रहे हैं।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। आखिर में दु:खी होकर डायरेक्टर महोदय का नाम नहीं ले रहा हूं, उनका एक एजेंट है। माननीय डायरेक्टर महोदय, हमारे यहां सेक्रेट्री यू.आई.टी. भिवाड़ी रहे हैं, वहां उनका ड्राइवर, एक संविदा कर्मचारी, एक वह चपरासी का काम भी और सिक्योरिटी का काम भी करता, पीर-बावर्ची का भी काम करता है। वह इन डायरेक्टर के नाम से एक-एक पोषाहार केन्द्र से एक-एक लाख रुपये वसूले हैं। यह व्यक्ति रिवॉल्वर लगाकर घूम रहा है, उसका भी नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे मना किया है कि सदन में किसी का नाम नहीं लेना है। यह व्यक्ति एक-एक लाख रुपया डायरेक्टर के नाम पर वसूल करता रहा और आज भी कर रहा है और जब यह शिकायत मिली तो पुन: मैंने लिखकर माननीय मंत्री महोदय को दिया। माननीय मंत्री महोदय ने शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं डायरेक्टर महोदय से मिलने गया।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न कर लें सीधा। आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? आपने अपना वृत्तान्त, आप कहां-कहां गये, वह एक अलग चीज है, आप अपना प्रश्न सीधा पूछ लें, आप क्या चाहते हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इन्होंने आधा घंटा पढ़ा, मुझे दस मिनट दें कृपया करके माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: It is not possible, Sir. I mean if you try and take the advantage of relaxation. इनको समय इसलिये दे दिया कि आपकी जानकारी में पूरी विस्तृत चीजें आ जायें अदरवाइज मैं इनको एक ब्रीफ स्टेटमेंट तक ही सीमित रखता। आपको सीधा जो इसमें पूछना है, आप प्रश्न के रूप में इनसे पूछ लें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैंने दु:खी होकर, परेशान होकर इन फोटो सहित पूरी फाइल बनाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आई.बी. को भेजा। आई.बी. के अधिकारियों ने जब जांच की तो उस जांच के बाद इन्होंने कलक्टर को लिखा और जिस व्यक्ति ने, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था देशभक्तों का तिरस्कार और गद्दारों को पुरस्कार, तो जिस डिप्टी डायरेक्टर ने उस मिसकिना की जांच की, उस डिप्टी डायरेक्टर को इन्होंने 17 सी.सी.ए. का नोटिस दे दिया और उसको दूसरे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

विभाग में भेज दिया, जहां से डेपुटेशन पर आया था। मेरा यह निवेदन कि जिन्होंने गड़बड़ियां कीं, उनमें मेरे सी.डी.पी.ओ. थी और ललित मेहरा सांख्यिकीय अधिकारी थे, उस सांख्यिकीय अधिकारी को बचा दिया और वह मिसकिना का यह कहना मेरे एरिये में कि मैं दो लाख रुपये दो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब को देकर आयी हूं, इसलिये मेरे खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कार्यवाही की, मैंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में धन्यवाद भी दिया है मुख्य मंत्रीजी को, उसके बाद इन्होंने कलक्टर को लिखा और फिर फौरी तौर पर वहां पर जांच हुई। क्या यह जांच सही है? जब मुख्य मंत्रीजी के आई.बी. की जांच के बाद आपने जांच करायी तो क्या जांच आई.बी. के आधार पर हुई या आपने स्वयं ने की?

दूसरी बात का निवेदन है, इन्होंने कहा कि मेरी समेकित जिलास्तरीय मीटिंगों के लिये निर्देश है। आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। समेकित जिला स्टेट की मीटिंग है, उसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवाएं और उसमें समीक्षा समिति, निगरानी समिति, उसमें भी पाँच माननीय सांसद, पाँच माननीय विधायक और अन्य अधिकारी हैं, क्या आज तक उसकी मीटिंग हुई है? उसके बाद इसी ढंग से जिले की है, जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सारे विधायक, सारे सांसद जिले के, क्या आज तक उसकी मीटिंग हुई है? अलवर में कभी नहीं हुई, मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर हुई है तो उसको सिद्ध करके दिखायें, मेरा यह प्रश्न है।

तीसरा, सब डिविजनल लेवल पर भी मीटिंग नहीं हुई। यह फौरी तौर पर कार्यवाही हुई और मैंने एक सी.डी.पी.ओ. के लिये लिखा, इन्होंने वहां पर कलक्टर के द्वारा और डायरेक्टर ने साजिश रचकर, सारे सी.डी.पी.ओ., सारे सुपरवाइजर, सबको सस्पेण्ड किया। इसकी जरूरत थी क्या? इसकी जरूरत नहीं थी।

मेरा चौथा प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछली सरकार को डुबोया मुफ्त दवा योजना के नाम पर। चलाकर अपने ही चहेतों और रिश्तेदारों की दवा फैक्टरियों से दवा सप्लाई करवाई। मेरा यह भी आरोप है, उसकी भी जांच हो और यह जो आंगनबाड़ी का

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

घोटाला है, और अलवर जिले में सारे सुपरवाइजर, सारे सी.डी.पी.ओ. सब पर कार्यवाही की जरूरत थी क्या? कोई समेकित मीटिंग न सब डिविजन पर होती है, न स्टेट लेवल पर होती है, न जिलों पर होती है, सारे माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं माननीय मंत्री महोदया से कहूंगा कि राष्ट्रपति अवार्ड मिला है आपके विभाग को। अब विभाग की नाक न कटे तो कम से कम उस डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करें और मैंने स्पष्ट आरोप लगाया और यह फोटो उस व्यक्ति के, जिसने इनके नाम पर लाखों रुपया वसूल किया है जिले में और प्रदेश में, और इसके लिये आपने कोई जांच की क्या? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय मंत्री महोदय चुप्पी साध गये और जो आरोप मैंने सीधा डायरेक्टर पर लगाया है और डिप्टी डायरेक्टर (हैडक्वार्टर) पर लगाया है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। क्यों नहीं की, उसके बारे में आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई जवाब क्यों नहीं दिया? इस जवाब को देने के लिये मैं आपसे पांचवां प्रश्न कर रहा हूं। आप कृपा करके इनका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: I can't allow you, Sir. In this 131 I can't allow. I mean, read 131 atleast.

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो तीन-चार बातें यहां उठायी हैं, उनका मैं एक-एक करके जवाब देना चाहूंगी। पहले तो आपने कहा कि चार-पाँच बार कहने के बाद में यह कार्यवाही हुई है। विद प्रूफ आप चाहेंगे तो मैं टेबल भी कर दूंगी। पहली चिट्ठी, इन्होंने पहली बार हमें पत्र लिखा था और उसकी मैं डेट भी बता देती हूं। यह पहला पत्र इन्होंने 3.3.2016 को मुझे लिखा। यह इनका पत्र है और इस पत्र पर उसी दिन, सेम डे ए.पी.ओ. के लिये यू.ओ.नोट बनाया जाये, क्योंकि 3.3.2016 को इन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और मैंने 11.3.2016 को यह चिट्ठी प्रिंसिपल सेक्रेट्री के नाम लिखी कि इनकी जांच करके इनको ए.पी.ओ. किया जाये और इनको मैंने इसका जवाब दिया। 11 तारीख को मैंने चिट्ठी लिखी और 14 तारीख को मेरा पत्र इनके पास गया कि हम आपकी बात की जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद में जो भी दोषी पायेगा, उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। यह दोनों पत्रों की कॉपी मेरे पास है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

दूसरी बात इन्होंने कही कि यह मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया था, उसके बाद इन्होंने जांच करायी और जांच कराने के बाद में इनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चिट्ठी है, मैं पढ़ देती हूं, जिसकी बात आप कह रहे हैं कि जांच इंटेलीजेंस ने की है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है और उसके कारण से आपने कार्यवाही की है। यह उनका पत्र है हमारे पास में। इस पत्र में वह लिख रहे हैं कि उपरोक्त विषय में प्रसंगानुसार निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अलवर जिले में सी.डी.पी.ओ. कार्यालय की किसी अनियमितता के बारे में कोई जांच नहीं की गयी है अपितु यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य विशेष शाखा द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समय-समय पर सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। ये यू.आर.साहू है जिनका उल्लेख इन्होंने किया, ये अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इंटेलिजेंस मुख्य मंत्री, सर्तकता एवं सुरक्षा, राजस्थान सरकार हैं।

जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लीयर हो जायेंगे कि उनके आधार पर हमने कार्यवाही नहीं की है, हमने अपने विभागीय स्तर पर जो कार्यवाही की है वो ही है।

जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि जब आपका पत्र हमारे पास आया 3 तारीख को, 11 तारीख को हमने चिट्ठी लिखी, 14 तारीख को मैंने इनको कॉपी दी। उसके बाद में हमने डाइरेक्टरेट लेवल के कार्मिक से जांच कराने के ऑर्डर दिये और डाइरेक्टरेट लेवल के जांच कराने के ऑर्डर भी 30.03.2016 को है। डी.डी. प्रशासन, उसको हमने ऑर्डर दिये। इसी दरमियान चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग हुए आर.ए.एस. आई.ए.एस. के, इस कार्मिक का, इस प्रशासनिक अधिकारी का भी ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद चूंकि आपका आग्रह था कि जल्दी जांच कराओ, जल्दी जांच कराओ तो फिर हमने सीधे कलेक्टर को लिखा और कलेक्टर से यह जांच करायी और कलेक्टर ने भी चार कार्मिकों के साथ में साथ की।

आपका यह कहना है कि डी.डी., जो सोमपाल सिंह है उसके खिलाफ मैंने कार्यवाही के लिए नहीं लिखा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि वो डी.डी. हैं, उप-निदेशक हैं और सुपरवाइजरी करना उनका काम है। यदि कहीं

(श्रीमती अनिता भदेल)

सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस रहता है तो उसके लिए वो दोषी है, इसलिए उनके खिलाफ हमने 17 सीसीए की कार्यवाही की और जो टी.एच.आर. की आप बात कर रहे हैं, चूंकि आप डाइरेक्टर की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको एक छोटा-सा ब्रीफ बता देती हूं तो आपको यह ध्यान आ जायेगा कि इसमें, पोषाहार में डाइरेक्टर लेवल के किसी अधिकारी का कितना रोल होता है या नहीं होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगी कि 2015 से पहले पोषाहार की व्यवस्था होती थी केन्द्रीकृत, जयपुर से पोषाहार पूरे राज्य में वितरण के लिए जाता था, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर जाता था और फिर वहां से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जाता था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में कि आप केन्द्रीकृत पोषाहार की व्यवस्था नहीं करेंगे, आपको विक्रेन्द्रीकृत पोषाहार की व्यवस्था करनी है और स्वयं सहायता समूह से ही आप पोषाहार ले सकते हैं, आप किसी ठेकेदार के माध्यम से पोषाहार नहीं ले सकते। वर्तमान में विक्रेन्द्रीकृत पोषाहार की व्यवस्था है, सेण्ट्रलाइज पोषाहार की व्यवस्था नहीं है।

दूसरा, स्वयं सहायता समूह का चयन नीचे बाल विकास परियोजना अधिकारी करता है, उसमें डाइरेक्टर कोई एम.ओ.यू. नहीं करता, ना डाइरेक्ट स्वयं सहायता समूह को बनाता है और ना यह कहता है कि इस समूह को आप कांट्रेक्ट दें, क्योंकि पूरे राजस्थान भर में हजारों स्वयं सहायता समूह हैं जिनके माध्यम से पोषाहार लिया जाता है। स्वयं सहायता समूह के चयन का कार्य सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्वयं सहायता समूह से एम.ओ.यू. होता है। वो बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर पर ही होता है। 304 बाल विकास परियोजनाएं हैं और 304 के 304 बाल विकास परियोजनाओं में वहीं पर एम.ओ.यू. होता है।

पांचवां मैं बताना चाहूंगी। स्वयं सहायता समूहों को पोषाहार आपूर्ति का आदेश वहां जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता तैनात है वो साप्ताहिक रूप से उस स्वयं सहायता समूह को देती है कि मुझे आप इतने पैकेट की आपूर्ति करें। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह द्वारा की गयी पोषाहार आपूर्ति का

(श्रीमती अनिता भदेल)

प्रमाणन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा किये जाने के उपरान्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही की जाती है। सीधे बैंक के खाते में, बिल पास होता है ट्रेजरी में और वहां सीधे के सीधे वहीं भुगतान की कार्यवाही होती है। पूरक पोषाहार के भुगतान हेतु निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, जैसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अभी 2017 शुरू हो रहा है तो जैसे ही अप्रैल शुरू होगा, जितना बजट हमें पोषाहार के हैड में मिलेगा वो हम सीधे बाल विकास परियोजना अधिकारियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और लगभग 80 प्रतिशत बजट साल के शुरू में ही बाल विकास परियोजना अधिकारियों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके बाद पूरे साल भर जैसे-जैसे स्वयं सहायता समूह के बिल आते हैं वैसे-वैसे वो स्वयं सहायता समूह का भुगतान समय-समय पर होता रहता है। इस प्रकार विक्रेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत निदेशालय स्तर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हम तो बजट आता है और सीधे वहां ट्रांसफर कर देते हैं।

चार चीजें आपने उठायी थीं, मैंने चारों चीजों का बिंदुवार जवाब दिया है। मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य महोदय मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे और फिर भी उनको कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। मेरा यह निवेदन है कि आपने कलेक्टर के द्वारा जो जांच करवायी है...

श्री उपाध्यक्ष: आधा घंटे से ज्यादा हो गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। आपने कलेक्टर साहब के द्वारा जो जांच करवायी वो माननीय मुख्य मंत्री को जब मैंने लिख कर दिया, आई.बी. की जांच के बाद करवायी या पहले करवायी? एक।

दूसरा, समिति की समीक्षा निगरानी की मीटिंगें कभी होती हैं क्या? होती ही नहीं है, हम लोगों को, विधायकों को सूचना ही नहीं होती।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आई.बी. की कोई जांच नहीं

(श्रीमती अनिता भदेल)

हुई है। मैंने वो लैटर भी आपको पढ़कर सुनाया है और जो है अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह चिट्ठी हमें लिखी है, उनकी कोई जांच नहीं हुई।

मैंने आपको डेटवाइज बताया है कि आपने कब हमें चिट्ठी लिखी ...

श्री उपाध्यक्ष: अब बाकी कोई दस्तावेज हों तो आप सम्माननीय सदस्य को और दे दीजियेगा I think so, it is more less concluded ....(व्यवधान)... जो इनकी क्वेरीज रह गयी हैं न, मंत्री महोदय, हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पर निगरानी समिति की ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब एक मिनट विराज जाएं।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय सदस्य...

श्री उपाध्यक्ष: आप भी विराज जाएं। You can not speak when I am standing चेयर, अगर आसन पांव पर है तो you can not stand, Sir. बाकी जो क्वेरीज हैं the Chair would be grateful if you can provide the explanations of those queries. ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों के घोटाले डाइरेक्टर के द्वारा, करोड़ों के घोटाले ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नकली पोषाहार फैक्टरियां चल रही हैं मेरे यहां अलवर में मैंने पकड़वायी। अलवर में, मैंने नकली पोषाहार फैक्टरी पकड़वायी है और करोड़ों के घोटाले हैं और काहे का ऑनलाइन, काहे का बैंक खाते ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय के जवाब आने के उपरान्त अब आसन आपसे निवेदन करता है कि इसके अलावा भी कोई चीज रह गयी हो तो मंत्रीजी से आप सम्पर्क कर के अपना स्पष्टीकरण और उनकी तरफ से मैं निवेदन करता हूं मंत्रीजी को कि, मंत्रीजी, इस पर और गौर करके जो भी उचित कार्यवाही है, वो करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): डाइरेक्टर और दो डिप्टी डाइरेक्टर के खिलाफ कार्यवाही कब करेंगे, बात इतनी है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): जैसे मैंने आपको सिलसिलेवार, बिंदुवाइज सब बताया।

श्री उपाध्यक्ष: I will not allow Ma'm. Sit down. It's concluded now.

श्री हीरालाल नागर। उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कोटा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार तथा अनियमितता

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में हुए सुनियोजित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर शिक्षा मंत्री व गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: उच्च शिक्षा मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। सिर्फ उच्च शिक्षा मंत्री जी का।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: उच्च शिक्षा मंत्री महोदय। मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अच्छा, सॉरी।

श्री उपाध्यक्ष: एक मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। विराज जाओ। जब आप अपना-अपना वक्तव्य दे रहे हों न तो 180 डिग्री के एंगल पर दिया करो। मतलब आप आसन की तरफ ही रहें, मंत्रीजी भी और सदस्य भी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): हुकुम। ...(व्यवधान)... नहीं, अब बिलकुल भी नहीं होगा, अब बिलकुल इधर ही, सामने ही।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं। अब No such variations are allowed. आप तो 360 डिग्री हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है नियम 131 के तहत, उसमें आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि कोटा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के अन्दर जो अनियमितता हुई है, उसके संदर्भ में एक जांच

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

समिति हम लोगों ने गठित की थी और यह जांच समिति हमने 19.03.2015 का कार्यवाहक कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के श्री हनुमान सिंह भाटी की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। फिर उसके कुछ समय बाद में, क्योंकि वो एक कार्यवाहक कुलपति थे तो जब स्थायी कुलपति आये तो उनकी अध्यक्षता में फिर एक कमेटी का गठन हुआ, वो 29.10.2015 को राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने पर जे.पी. सिंघल, जो कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय थे, उनकी अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 17.03.2016 को प्रस्तुत की।

उस रिपोर्ट के अन्दर, यहां मैं संक्षिप्त में ही माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगी कि जो भर्ती हुई है वो भर्ती का वर्ष था 2012 और शैक्षणिक पद 21 थे, अशैक्षणिक पद 3 थे, जिन पर नियुक्ति दी गयी थी और उन्हें नियमित भी किया गया था। दो प्रोफेसर के संदर्भ में भर्ती की गयी थी, 7 एसोसिएट प्रोफेसर, जिसमें से एक ने त्याग पत्र दे दिया था और 12 असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जिसमें से 3 ने त्याग पत्र दे दिया था। एक डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट थी और दो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की थी, उसमें से एक की तो मृत्यु भी हो गयी तो यह 2012 में भर्ती हुई थी, उसमें जो यह जांच समिति है उस जांच समिति ने जांच करके अपनी रिपोर्ट दी, उसमें इन्होंने वहां पर अनियमितता पायी।

इसी तरीके से 2013 के अन्दर जो भर्ती हुई है, वो 3 एसोसिएट प्रोफेसर लगाये गये थे, इसमें से एक ने कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया था और 2 को नियुक्ति भी दी गयी और उन्हें नियमित भी किया गया और उस संदर्भ में भी इस जांच समिति ने कहा कि इसमें अनियमितता पायी गयी है।

वर्ष 2013 में अशैक्षणिक के 11 पदों की नियुक्ति दी गयी थी, उनको नियमित किया गया, सी.ई.-01, डी.आर.-02, ए.आर.-04 और प्रोक्टर-01, जे.ईएन. एक और सीनियर टैक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी दो, ऐसे यह इन सबकी नियुक्ति हुई, उसमें भी जांच समिति की यह रिपोर्ट आयी कि उसमें अनियमितता पायी गयी।

वर्ष 2014 के अन्दर जो भर्ती की गयी उसमें शैक्षणिक असिस्टेंट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रोफेसर एक, जिसकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। अशैक्षणिक के 74 पद थे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल लैब 1, स्टेनो हिन्दी के 3, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 4, एलडीसी के 30, कम्यूटर 2, बुक अटेन्डेन्ट 2, क्लास फोर्थ के 29 और ड्राइवर के 3 पद थे जिनके ऊपर नियुक्तियां दी गई थीं। इसमें जांच कमेटी ने जब देखा तो इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 6.11.2016 को इनके लिफाफे खोलकर के इनको नियुक्ति दे दी गई।

माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके संदर्भ में मैं यह कहूंगी कि जांच समिति की रिपोर्ट आ गई और जहां आया कि इसमें अनियमितता पाई गई, उसके संबंध में हम लोगों ने विश्वविद्यालय को भी लिखा। कोटा विश्वविद्यालय ने इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण भी दिया। कोटा विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण और हमारी जांच समिति की रिपोर्ट दोनों को मिलाकर, संबंधित नियमों और जांच रिपोर्ट को संलग्न करके आयुक्तालय के उप निदेशक श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की कि आप यह जो संपूर्ण जांच आई है और विश्वविद्यालय का जो स्पष्टीकरण आया है, उन सबके ऊपर जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी बीच में एसीबी के अंदर भी भर्ती की एक शिकायत जितेन्द्र चौधरी नामक व्यक्ति द्वारा की गई जो प्रकरण संख्या 95/2013 में दर्ज हुई, जिस पर एक प्रिलिमिनरी जांच चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा हुई कार्यवाही जिसके संबंध में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, के संबंध में निवेदन है कि हमने 20.10.2016 के अनुसार जो चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी, सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की गई कि वह जो पद थे, उनको तो हमने नियमित कर दिया। लेकिन वर्ष 2012-13 में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की भर्तियों के संबंध में जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें अनियमितता के संदर्भ में कोटा विश्वविद्यालय को हम लोगों ने पत्र लिख दिया है। उन्हें कहा है कि आप इसकी संपूर्ण जांच का जो निचोड़ है, जो भी जांच में दोषी हैं, जो अनियमितताएं हुई हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। यह हमने उनको भी लिख दिया है और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कुलाधिपति को भी हमने एक पत्र इस आशय का लिख दिया है कि इस तरह की यहां पर अनियमितता हुई है, उस पर आप कार्यवाही करें।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकरण में जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय को लिखा है। मंत्री महोदय ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि हमने कुलाधिपति को भी इस बारे में लिख दिया है। मेरा आग्रह है कि इस प्रकरण में एसीबी में भी प्रकरण दर्ज है। जांच समिति की जो रिपोर्ट आई है, उसको एसीबी को भी भेजा जाए। एसीबी में अभी जो पीआई चल रही है, जिसको करीबन 4 साल हो गए हैं। अभी प्राइमरी इनवेस्टिगेशन भी पूर्ण नहीं हुआ है। यह संपूर्ण तथ्य एसीबी को भी भेजे जाएं क्योंकि यह एक सुनियोजित भ्रष्टाचार का मामला है। एसीबी में यह जांच लंबित है। एसीबी में भी इसकी संपूर्ण जांच हो ताकि वहां पर भी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पूर्व कुलपति रहे हैं उनके पुत्र को इसमें नियुक्ति मिली है। उसमें जांच समिति ने कहा है कि लोक प्रशासन के विषय में जो विक्रांत शर्मा था, वह तत्कालीन कुलपति का पुत्र है। इसकी शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी में 54.36 प्रतिशत, सीनियर हायर सैकण्डरी में 48.35 प्रतिशत, स्नातक में 53.31 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर में 57.77 प्रतिशत है। स्नातकोत्तर से पूर्व की परीक्षाओं के अंकों का औसत 55 प्रतिशत से कम है। अत: यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी नहीं रखता है। ऐसे व्यक्ति को वहां नियुक्ति दे दी गई। इसी तरह से कम्प्यूटर साइंस के विषय में भी आचार्य पद के लिए चयनित श्री कृष्ण कुमार शर्मा नैट उत्तीर्ण नहीं हैं। उन्हें भी नियुक्ति दे दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह भ्रष्टाचार का मामला है। मेरा यह कहना है कि जांच समिति ने इसको संदिग्ध माना है। विपुल शर्मा ने जो अपना 5 साल का अनुभव प्रमाण-पत्र दिया, वह कब से कब तक नौकरी पर रहा और उस दौरान उसने अपना क्या मानदेय लिया? इसका कोई उल्लेख नहीं है। उसका भी उल्लेख आना चाहिए। मुझे यह भी पता चला है कि जिन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए हैं, उन्हें पूर्व कुलपति के पुत्र के सलेक्शन

(श्री हीरालाल नागर)

के साथ ही एक दूसरे पद की सलेक्शन कमेटी में एक्सपर्ट के रूप में बुलाया गया था। इन नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसे कुलपति के सहयोगियों ने मिलकर किया है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न पूछिए, प्रश्न।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कोटा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को गलत तरीके से नियुक्ति पाने वालों के लिए पत्र लिखा है लेकिन मुझे यह अंदेशा है कि वहां पर जो कार्मिक लगे हुए हैं, वे वही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के तहत नियुक्तियां पाई हैं। वे ही आज उस पूरे विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। इससे उन पर कार्यवाही करने में कोताही बरत रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचार का मामला आता है तो उसको रफा-दफा करने में पूरा सहयोग करते हैं। विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय का हस्तक्षेप और सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। इन नियुक्तियों में लगे लोगों को स्थाई भी कर दिया गया है। माननीय मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि पूर्व में 131 के तहत मेरा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, उसमें तत्कालीन मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस प्रक्रिया के द्वारा भर्ती किए गए कार्मिकों के स्थाईकरण के आदेश भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदया को कहना चाहूंगा कि यह स्थाई करण के जो आदेश जारी हुए हैं, उसके बाद मंत्री महोदय के आश्वासन के पश्चात् भी उनको स्थाई कर दिया गया है। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद सरकार का इस तरह का कोई आदेश जारी हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो यह विधान सभा में दिए गए आश्वासन की अवहेलना होती है। इस अवहेलना को करने वालों के खिलाफ भी मंत्री महोदया क्या कार्यवाही करेंगी, इसका भी मुझे आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराज जाओ। आपको उत्तर तो दिलवाऊं।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): इसमें गृह मंत्रीजी का भी कुछ है। मैं दुबारा प्रश्न कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें आप टू द पाइंट एक या दो क्वेरीज ले लीजिए। आप बताएं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है, मैंने अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। दो-दो जांच समितियां हो गई। उनकी रिपोर्ट्स आ गई। जैसा इन्होंने कहा कि पूर्व कुलपति ने अपने पुत्र को बिना शैक्षणिक योग्यता के वहां पर अपाइंट कर दिया। वह नियमित भी हो गया। ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट्स आने के बाद में हमने विश्वविद्यालय को यह कह दिया है कि आप इस पर कार्यवाही करें। जो गलत है वह गलत ही है।

आपको ध्यान है अच्छी तरह से कि यही सरकार है जिसने जोधपुर के अंदर जयनारायण यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हमने कार्यवाही की है। मैं माननीय सदस्य को यह कहूंगी कि जो नियम विरूद्ध नियुक्तियां दी गई हैं, उनके विरूद्ध विश्वविद्यालय अपने नियमों के अंतर्गत उचित कार्यवाही करेगा और उसके लिए हम पूरी तरह से सजग हैं। हमने कुलाधिपति को भी इस संबंध में पत्र लिख दिया है।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में पूर्व में भी माननीय गृह मंत्रीजी ने जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से भी जानकारी चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: किससे चाह रहे हैं?

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): गृह मंत्री महोदय का भी इसमें है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। अब आप विराज जाओ।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): एसीबी में मामला दर्ज है।

श्री उपाध्यक्ष: इसके द्वारा गृह मंत्री जी से जानकारी नहीं चाह सकते। इस नियम में नहीं चाह सकते हैं।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): यह मामला पहले भी आया है।

श्री उपाध्यक्ष: इस नियम में आज जानकारी नहीं चाह सकते।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय गृह मंत्रीजी जवाब देने को तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष: आज बिलकुल नहीं चाह सकते हैं। विराज जाओ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2015-16)

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम),

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन
(राज्य वित्त) (वर्ष 2015-16)

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त),

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन
(राजस्व क्षेत्र) (वर्ष 2015-16)

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) एवं

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

(4) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16।

समिति प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, श्री ज्ञानदेव आहूजा।

प्राक्कलन समिति 'क' 2016-17 (क्रम संख्या 5)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन 'क' समिति 2016-17 के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिका

श्री उपाध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

जोधपुर नगर निगम की चुंगी पुनर्भरण राशि में वृद्धि

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जोधपुर नगर निगम की चुंगी पुनर्भरण राशि को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18, श्री सुरेन्द्र गोयल।

अनुदान की मांग

पेयजल योजना - मांग संख्या 27 की प्रस्तुति

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 - पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,02,64,01,000/- (रुपये तिहतर अरब दो करोड़ चौसठ लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: डॉक्टर रामप्रताप।

सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) - मांग संख्या 46 की प्रस्तुति

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46 - सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,34,44,96,000/- (रुपये सैंतीस अरब चौंतीस करोड़ चवालीस लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, मैं सदन को यह निवेदन कर रहा हूं कि 65 माननीय सदस्य आज बोलना चाहते हैं। एक बजकर पैंतालीस मिनट हुआ है, अगर पैंसठ व्यक्तियों को दस मिनट भी दिया जाए तो छह सौ पचास मिनट लगेंगे तो मेरा सदन से यह आग्रह है कि माननीय सचेतकों की जो लिस्ट आई है, उसमें से पहले आसन उन व्यक्तियों को अवसर देगा जो पहली बार या दूसरी बार, जिन्होंने मांगों पर आज से पहले एक से अनेक बार नहीं बोला तो वह प्राथमिकता देंगे। फिर अगर समय रहेगा तो बाकी। प्रतिपक्ष और पक्ष, दोनों ही सचेतकों की दी गई लिस्ट के क्रम में हम फेरबदल कर सकते हैं और समय का अगर अभाव रहा तो फिर प्राथमिकता उसी तरह से रहेगी। कोशिश यह करेंगे कि सारे सदस्यों को बुला लें, फिर सदन का निर्णय शिरोधार्य है। आसन आपके निर्णय से बंधा हुआ है। आप पूरी रात चलाना चाहें तो आसन को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दो मंत्रियों का जवाब भी आना है और ऐसे विषय की मांगें हैं कि दोनों मंत्रियों का जवाब समय पर आ जाए तो हम सबके लिए और प्रदेश के लिए भी सार्थक होगा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने वही नाम दिए हैं जो पहले नहीं बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो न तो पक्ष को और न प्रतिपक्ष को, जो स्वतंत्र सदस्य है मैं वहां से ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पहली बार ही बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)... 'श्रवण कुमार' नाम तो सुना होगा आपने? ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, आप विराज जाएं। We''ll start from Shravan Kumar Ji....(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: There is a point of information ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनका पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन मेरे ही बीच में क्यों आ रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराज जाएं। हां, आपके बाद दे दूंगा।

सूचना

राशन डीलरों द्वारा की जा रही अनियमितता

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं जिस मामले को यहां रखने जा रही हूं, वह वास्तव में हम सबके लिए आई ओपनर है। चाहे हम यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं, हमारी सरकार है, हर बार एक ही सवाल से घिरे रहते हैं हम जनप्रतिनिधि कि हमारे लोगों को जो लोग वास्तव में पात्र हैं उनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है। यह राशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम सारे अख़बार उठा कर देखें तो सबमें एक ही बात है कि राशन डीलरों ने पराकाष्ठा कर रखी है, अधिकारियों ने पराकाष्ठा कर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विषय की जानकारी देना चाहते हैं, वह दे दें। फिर मैं मंत्रीजी से निवेदन कर दूंगा कि वह पूरा इसमें बता दें।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): जनप्रतिनिधियों के नाम पर, विधायकों के नाम पर, आज राशन डीलर और अधिकारी मिलकर इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राशन उठा रहे हैं और हमारा नाम पात्रता सूची में डाल दिया गया है तो लोगों को इससे लाभ नहीं मिल रहा है। कम से कम इन अधिकारियों की शह से काम हो रहा है, यह तो मत कहें कि इसकी जांच कराई जाएगी, आज इस पर एक्शन लिया जाए, हमारी सरकार पारदर्शी रूप से काम कर रही है, इस पर एक्शन लें और अधिकारियों को दंडित करें।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। जिस प्रकार से, वैसे गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से पोइंट ऑफ इन्फोर्मेशन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके भी कुछ नियम बनाने पड़ेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज-आज तो बुलवा दो। ...(व्यवधान)... मैं पहले?

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान बेनीवालजी, आप अपने को दो-तीन लाइन तक सीमित रखें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो-तीन लाइन तक ही है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, तीसरी तो मैं इसमें जोड़ने ही नहीं दूंगा, दो लाइन तक सीमित रखें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज तो फिर भी, आज-आज तो आप हमारा संरक्षण करें।

श्री उपाध्यक्ष: यह कब का मामला है? किस समय हुआ? आप समय डेट बता दें और मंत्री इसका ...(व्यवधान)...

जोधपुर शहर में दम्पति के साथ दुर्व्यवहार

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल का ही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक वीडियो वायरल हुआ था। कल रात को जोधपुर शहर में गोल बिल्डिंग पर एक दम्पति के साथ नशे में धुत्त सिपाही ने बदतमीजी की और जब महिला ने एसएचओ, सीआई, भूपेन्द्र सिंह थे, उस महिला ने उनसे उस सिपाह की शिकायत की तो उसके कपड़े उतार कर, उसके बाल खींच कर पीटा और कपड़े उतार कर हवालात के अंदर रखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो अभियान में दम्पत्तियों को राजस्थान की पुलिस परेशान कर रही है। बहुत गम्भीर घटना है और यह वीडियो वायरल हुआ है गृह मंत्रीजी, इस पर आपको सख्त कार्यवाही करनी चाहिए अगर इस तरह से महिलाओं के कपड़े उतार कर थाने में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कानून का राज राजस्थान में है। आप सख्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष: हो गया, हो गया पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। ...(व्यवधान)... आपका भी है?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अलग इश्यू है?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अलग इश्यू है।

श्री उपाध्यक्ष: पिछ्ले 24 घंटे के भीतर-भीतर हुआ है?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कल का ही है।

श्री उपाध्यक्ष: कल के स्थगन होने के उपरांत का है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उसके बीच में सदन में यहां थे तब का है।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, बताइए।

नाबालिग दलित बालिका का अपहरण एवं बलात्कार

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ, 11 वर्ष की बच्ची के साथ 6 लोगों ने उठाकर, अपहरण करके ले गए और उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसमें कार्यवाही के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन मेरा भी एक है। एक सैकंड का है मेरा। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाइए। ...(व्यवधान)... चलिए।

टोडाभीम में भगवान जगदीश के मंदिर में डकैती

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में एक जगदीश भगवान का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और उसमें डकैती हुई है और उसमें भगवान के दोनों हाथ काट दिए गए हैं। नौ किलो चाँदी के आभूषण थे वह भी चोर-डकैत सब ले गए।

श्री उपाध्यक्ष: मूर्ति को खंडित किया और वहां आभूषण चुरा लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हां, मूर्ति को खंडित कर दिया। कैलादेवी, महावीरजी, सभी तीर्थ स्थलों का इस वक्त मेला चल रहा है तो यह जनता से जुड़ा हुआ मामला है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस मामले में तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए और चोरी-डकैती का माल बरामद हो और वे चोर और डकैत गिरफ्तार हो, यह मेरा निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, उसका मेडिकल हो गया, गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसमें गिरफ्तारी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं।

जहां तक जो सनसनीखेज घटना बता रहे हैं कि पुलिस ने शराब पी हुई थी और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, पुलिस का वर्सन कुछ और आ रहा है, अख़बार के वर्सन कुछ और आ रहे हैं इसलिए मुझे किसी बड़े अधिकारी को भेजकर विषय की जांच करानी पड़ेगी क्योंकि पुलिस यह कह रही है कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह संदिग्ध अवस्था में रात को एक बजे मिले थे और इनसे जब हमने पूछताछ की तो हमारे पुलिस के गश्ती दल के साथ छीना झपटी की। पुलिस का वर्सन यह है और उन्होंने लाकर उनको बंद भी किया, दूसरे दिन उनकी जमानत 22 तारीख को कोर्ट से हुई और छूटे। अब इतने दिन के बाद सनसनीखेज न्यूज जो कल से चल रही है उसमें यह है कि उसमें उन्होंने उनको जबर्दस्ती बंद किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तो दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है।

मैं यह आश्वस्त करता हूं किसी सीनियर अधिकारी को भेजकर इस सारे विषय की जांच कराकर, अगर कहीं पुलिस का दोष है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और अगर पुलिस का दोष नहीं है तो केवल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने का प्रयत्न करेंगे तो उस मीडिया के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अच्छे अधिकारी को भेजना साहब, अच्छे अधिकारी को। जनता भी आपकी है पुलिस भी आपकी है, आज बहुत अच्छा जवाब दिया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): टोडाभीम के मामले में भी, जो मंदिर का है वह गृह मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एकदम से मेरी जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूं कि भगवान के प्रति हम सबकी आस्था है, उसमें जो भी हो सकेगा, पुलिस एक्स्ट्रा भी मुझे सहायता भेजकर उनकी जांच में मदद करनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से करेंगे।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाली माननीय सदस्या ने यहां राशन वितरण की बात कही है। आज सुबह पत्रिका में मैंने भी समाचार देखा और मैंने उसी टाइम डीएसओ को निर्देश दिये, जांच की। जांच करने के बाद, जिन छह डीलरों के खिलाफ शिकायत थी, मैं कहना चाहूंगा कि गंगानगर में 6 डीलरों की जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही करके उनको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार में यह

(श्री बाबूलाल वर्मा)

बात आप निश्चित रूप से मानिए कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा, आज सुबह मुझे सूचना मिली, तुरन्त प्रभाव से जांच करके उनको निलम्बित कर दिया गया है और उसमें कार्यवाही कर दी गयी है।

(13.50 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): अधिकारी। डीलर नहीं, अधिकारी। उन पर भी करें। अकेले डीलर नहीं कर रहे हैं। अगर इतने लोगों को शह मिल रही है तो अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने विस्तृत रूप से विभाग को जांच के निर्देश दे दिये हैं और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी, पूरे राज्य में खाद्‌य सुरक्षा का है, वहां 100-100 महिलाएं मिलती हैं। इसको थोड़ा चैक करा लो। जो व्यक्ति अपील के लिए एसडीओ के पास जाते हैं उस अपील को वे स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसको आप थोड़ा चैक करा लो।

श्री सभापति: विराजें। माननीय श्रवण कुमार जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर चर्चा हो रही है। नववर्ष में सबसे पहले मैं आप सभी को हृदय की गहराई से, अंत:मन से नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए दो शब्दों से अपना भाषण शुरू करता हूं।

''आंखों में खुशी, लबों में हंसी, गम का कभी नाम न हो।
हम सब खुशी से जीएं, आंखों का कभी गम का सामना न हो।''

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह कहां से चुराकर लाये आप? किसकी रचना है यह? किस शायर का है यह शेर? बताओ जरा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय,

"जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो,
जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो।
यह अंदाज है जीने का,
ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को रहने दो उदास।"

(व्यवधान) आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो? बोलने दो ना।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। पहले यूपी का था, अब यूपी दो भागों में बंटने से अब राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है। यहां पानी के बहुत कम स्रोत हैं, केवल एक प्रतिशत पानी के स्रोत हैं जिससे पानी की दृष्टि से सूखाग्रस्त क्षेत्र है। किसी भी क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में पानी की कमी है। हो सकता है कोई 10-15 पंचायत समितियां ऐसी होंगी जहां पानी की मात्रा खूब है, वरना तो पूरा राजस्थान डार्क जोन है, कहीं भी पानी की बहुतायत नहीं है।

चम्बल एक ऐसी नदी है जो हमारे राजस्थान में बहती है, पर वो भी राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा से बहती है जिसका पूरा फायदा हमें नहीं मिल पाता है। यदि वह राजस्थान के बीचोंबीच बहे तब तो हमें फायदा मिल जाये, लेकिन वह सीमा से बहती है इसलिए उसका भी पूरा फायदा नहीं मिलता है। अब आप अरावली पर्वत की बात करते हैं, अरावली पर्वत का पूरा भाग राजस्थान में है जो पूरा का पूरा मरुस्थल है। राजस्थान में बीकानेर के गंगासिंहजी महाराज ने एक अच्छी नहर निकाली जिससे पूरे राजस्थान का जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 8-10 जिले ऐसे हैं जिनको इससे फायदा मिल रहा है। अगर यह नहर नहीं होती तो आज ये जिले बहुत ड्राई हो जाते और इनको पानी के लिए पलायन करना पड़ता। उसके बाद में किसी भी बंदे की हिम्मत नहीं हुई कि कोई पानी के नये सोर्सेज पैदा करे। राज आये, चले गये, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, मैं यह नहीं कहना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी की कोई भी व्यक्ति व्यवस्था करता है तो उसका राज से कोई संबंध नहीं होता है। वह महान व्यक्ति होता है जो काम करता है। उसमें यह नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इसके चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय

(श्री श्रवण कुमार)

सुरेन्द्र जी, आप महान व्यक्ति हो, अगर कोई अच्छे काम करोगे तो अच्छे कहलाओगे और हमारे किरण माहेश्वरीजी की तरह करोगे तो चीफ इंजीनियर और एसई जेल में पड़े हैं। इसलिए सोचना अपने को पड़ेगा। अपने पैसे का नुकसान हो रहा है, अपने कार्यकर्ताओं का नुकसान हो रहा है, अपने प्रदेशवासियों को नुकसान हो रहा है। इसलिए ये सुझाव दे रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। बुराई करने से कुछ मिलता भी नहीं है, यदि मैं भी करूंगा तो 15 मिनट बोलकर, बुराई करके बैठ जाऊंगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा?

हमारे गांवों में जेजेवाई के कुएं हैं जो 1994 में शुरू किये गये थे। उनके बाद में उनकी व्यवस्था की हालत क्या कर दी, आपको सब मालूम है, आप इस बात से विदित हैं। उनके पैसे पहले राजस्थान सरकार का पीएचईडी विभाग जमा कराता था, उनके बाद उनके बिलों की व्यवस्था पंचायत समिति के माध्यम से कर दी। आज पंचायत समिति में जो पैसे जाते हैं वो सरपंच साहिबान सड़क में काम ले लेते हैं या नाली में काम में ले लेते हैं या अन्य काम में लेते हैं और उनके पैसे जमा नहीं होते। जब पैसा जमा ही नहीं होगा तो बिजली बोर्ड उसका कनेक्शन कट कर देगा। लोगों में त्राहि-त्राहि मच जाएगी। कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें जेजेवाई का एक ही कुआं है और उसी का कनेक्शन कट गया। उसके बाद जब गांव वाले बीडीओ के पास जाते हैं, बीडीओ सरपंच को बुलाता है, सरपंच कहता है मैंने वे पैसे काम में ले लिये। जबकि वह व्यवस्था पीएचईडी की थी। पीएचईडी ने पंचायत समिति के सरपंचों को डायवर्ट कर दिया। यह स्थिति आपको पुन: पीएचईडी में लेनी पड़ेगी, वरना हालत खराब है। अगर आपको इस बात की जांच करवानी है तो जांच करवा लीजिए। जेजेवाई के कुओं की स्थिति बहुत खराब है। पहले आप हजार रुपये मेंटिनेंस के लिए देते थे, 500 रुपये चलाने वाले को देते थे। अब वह सारी प्रक्रिया बंद कर दी। अब कौन चलाएगा, क्या होगा, वह सारा ढर्रा खराब हो गया।

मैं हैण्डपम्प के लिए कहना चाहता हूं। सुबह ही आपके एक माननीय सदस्य कह रहे थे मेरे हैण्डपम्प लगे ही नहीं हैं। हैण्डपम्प लगने से कोई फायदा भी नहीं है। राजस्थान की दो प्रतिशत जगह की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं पर भी हैण्डपम्प सफल नहीं हैं। हैण्डपम्प कहीं भी लगाते हो तो

(श्री श्रवण कुमार)

टेक्निकली जांच करा लेनी चाहिए किसी इंजीनियर को भेजकर कि यहां सफल होगा या नहीं। 50-60 मीटर की गहराई तक ही हैण्डपम्प काम करता है, बाकी जो आप लगाते हो उसका लगाने से कोई फायदा नहीं है। पिछली बार 2014 में पीएचईडी मंत्रीजी ने हमें 30 हैण्डपम्प दिये थे, लेकिन उनकी आज तक स्वीकृति नहीं निकाली। स्वीकृति निकाली तो उसकी वर्किंग स्वीकृति नहीं निकाली। वे 30 आज भी पड़े हैं। मैं सोचता हूं कि 30 की स्वीकृति निकालेंगे तो भी फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हैण्डपम्प स्वीकृत करने से फायदा ही नहीं है। उसकी जगह आपने सिंगल फेस के कुएं बनाए। सिंगल फेस के कुओं का कनेक्शन कट गया। जहां 50-60 घर थे वहां पानी की पूर्ति कर रहा था, लेकिन आपने कह दिया कि गांव के लोग पैसे जमा कराएंगे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना में बैठा था कि यह सरकारी कुआं है, सरकार पैसा जमा कराएगी। सरकार ने यह स्थिति बनाकर छोड़ दी कि कोई पैसा जमा नहीं करा रहा है। आज वे सिंगल फेस के कुएं, चाहे 5 हजार हैं, चाहे 10 हजार हैं, आपके अकाउंट में आपको मालूम है कितने हैं, लेकिन आज तक एक भी कुएं का कनेक्शन नहीं बचा, सारे कुओं के हटा दिये। ट्रांसफार्मर बिजली बोर्ड उतारकर ले गया। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, जनता को पानी तो आपको पिलाना पड़ेगा। सिंगल फेस के कुएं हैं उन कुओं के ट्रांसफार्मर पुन: आपको लगवाने पड़ेंगे, राशि आपको जमा करानी पड़ेगी। आप यह सोचते हैं कि गांव के लोग करा देंगे। गांव के लोग मर तो सकते हैं, पर पैसा जमा नहीं करा सकते। सरकार जब 70 वर्ष के बाद पानी ही नहीं पिला सकी तो आप क्या चाहते हो? कौनसा विकास करना चाहते हो? यही विकास था, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, इन 5-6 मूलभूत बातों पर जनता विकास के नाम पर रुकी हुई थी। इसमें पानी एक ऐसा मुद्दा था कि पानी है तो जीवन है और जीवन है तो कल है। आपको यह बात सोचनी पड़ेगी। आप कहोगे पहले वालों ने क्या किया? पहले वालों ने किया ना। हैण्डपम्प खुदवा रही है पीएचईडी और उसकी मेंटिनेंस कर रही है पंचायत समिति। पंचायत समिति का मैकेनिक न पीएचईडी को मिलेगा और न पीएचईडी वाला मैकिनक पंचायत समिति को मिलेगा।

(श्री श्रवण कुमार)

(14.00 बजे)

और यही हालत है नीमकाथाना की तरफ, दौसा में, तो कि जैसे पेड़-पौधे खड़े हैं उस तरह से हैण्डपम्प खड़े हैं। उनके पाइपों की हालत यह है कि पाइप निकालकर लोगों ने अपने घरों में छान के नीचे लगा लिये या खाट बनवा ली। यह बात आपको नई लग रही है कि ये क्या कह रहे हैं, पर मैं वो बात बता रहा हूं जो सत्य है। जो कुआ खुदवाते हैं तो आप यहां से ड्रिलिंग वालों को भेजते हैं। वो क्या करते हैं कि 600 फीट खोदकर कहते हैं कि हमारे पास रोड ही नहीं है और फिर खोदकर आ जाते हैं। उसकी मोटर कौन डालेगा, यह भी किसी को मालूम नहीं। पी.एच.ई.डी. का ए.ईएन. कहेगा कि मोटरें हम देखेंगे और जब समय आयेगा, तब डालेंगे। जब तक वो मोटरें डालेंगे तब तक वो ड्रिलिंग वाले कुआ खोदकर आये थे.....

श्री सभापति: श्रवणजी, थोड़ा इधर। हमको लगे कि श्रवणजी बोल रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं तो साहब, आपकी तरफ देखना शुरू कर दूंगा, मुझे क्या प्रोब्लम है। (व्यवधान) मंत्री महोदय डरते नहीं हैं। आपसे और हमसे डरेंगे क्या ये? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बोलो और एक तरफ कह रहे हो कि किधर देखोगे। तो सारा ज्ञान आज मेरे को ही दोगे क्या आप लोग? आपको बता देता हूं कि 'नोटों में सभी नोट असली नहीं होते, उनमें कुछ नोट जाली भी होते हैं और जो +++

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हैण्डपम्पों की हालत यह है कि हैण्डपम्प तो खत्म हो गये......

श्री सभापति: एक सैकण्ड श्रवणजी। यह वक्तव्य ठीक नहीं रहेगा। यह थोड़ा सा आप डिलीट कर दें +++ यह ठीक नहीं लगेगा थोड़ा सा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय सदस्य ने जो कहा कि +++ उसे एक्सपंज करें और माननीय सदस्य का अगर मान लो मानसिक संतुलन खराब है तो एक मेडिकल टीम बनाकर इनकी मेडिकल जांच करा लें, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप तो गये थे न मेरे को ठीक करने के लिए और एक महीने तक गलियों में घूमते रहे, ठीक हो गया न आपसे तो?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): मेरे से तो इलाज नहीं हुआ न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप भी गये थे एक महीने तक।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): हमसे तो इलाज नहीं हुआ, तभी तो आप यहां आ गये। हम तो आपका पक्का इलाज करने गये थे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुनो, मेरा इलाज तो आपसे नहीं हुआ, पर आपका पक्का हो जाएगा अबकी बार। बैठ जाओ। आपका पक्का हो जाएगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): थैंक यू, सर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, एक बात आपने देखी होगी कि कोई भी अधिकारी एक्स.ईएन., ए.ईएन. हो, जे.ईएन. हो चाहे हैल्पर हो, उनकी किसी की लाइबिलिटी तय नहीं कर रखी है। एक्स.ईएन. की ड्यूटी तो है खेतड़ी में और जाकर सोयेगा बहरोड़ में, ड्यूटी है नवलगढ़ में और जाकर सोयेगा सीकर में। यह कभी तय नहीं किया कि कोई भी अधिकारी अपने हैडक्वार्टर पर रहेगा। जब डिपार्टमेंट का एक्स.ईएन. नहीं रहेगा तो ए.ईएन., जे.ईएन. तो अपने आप ही नहीं रहेगा और जे.ईएन. नहीं रहेगा तो हैल्पर सोचेगा कि जब जे.ईएन. ही नहीं है तो मैं भी क्यों रहूं। अगर पानी का वाल्व कहीं खुला है तो ठीक है और ज्यादा खुल गया, वो पानी बह रहा है तो सुबह 11 बजे बाद में उसको चैक करेंगे, जबकि पानी का टाइम तो सुबह 7 बजे का है। इसलिए आज 70 वर्ष के बाद भी किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है कि हैडक्वार्टर पर वो रहेगा चाहे वो डाक्टर हो, चाहे सहकारिता विभाग का आदमी हो, चाहे शिक्षा विभाग का आदमी हो। सबकी ड्यूटी है कि शाम को साढ़े पाँच बजे और शहर में जाकर आवास किया। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अगर पानी में सुधार करना है तो अधिकारियों की लाइबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि वो हैडक्वार्टर पर रहे। जब तक हैडक्वार्टर पर नहीं रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति यह कहे कि मैं सुधार कर दूंगा, कोई सुधार नहीं कर सकता।

सभी एजेंसियों में टेंडर होते हैं तब जो सामान टेंडर में देते हैं उस टेंडर के सामान की सीमा तय करते हैं कि मार्च से पहले-पहले यह काम करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि मार्च में सामान देने वाले जून में देते हैं तब तक बरसात आ जाती है। उसके बाद यह कहते हैं कि सामान देने में

(श्री श्रवण कुमार)

लेट हो गई। इसका मतलब यह हो गया कि जनता से कोई प्यार तो है नहीं, केवल टेंडर से है। आप देखिये कि जब तक उसका आप तय नहीं करेंगे कि आप सामान 31 मार्च से पहले नहीं देंगे तो आपका टेंडर कैन्सिल कर दिया जाएगा। तय नहीं किया किसी का भी। छह महीने की ड्यूटी है कि छह महीने में खोद देना, छह महीने में सामान दे देना। इसका मतलब तो उसको पानी पिलाना ही नहीं है। हमें यह तय करना पड़ेगा कि छह महीने का नहीं है, 31 मार्च तक यह सामान तय करके, कुआं खोदकर, सामान फिट करके, बिजली का कनेक्शन करके चालू करना है। क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई है और जुलाई में तो फिर भी बरसात हो जाती है, पर चार महीने गर्मी रहती है। आज स्थिति यह है कि मेरा क्षेत्र तो पानी के लिए पूर्णतया वंचित है। (व्यवधान) यमुना का पानी आयेगा तब तक दस साल लग जायेंगे। यमुना का पानी आ रहा था खेतड़ी में, चार साल हो गये, आज तक तो आया नहीं।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय, सुनो, ये जो सिंगल फेज, हैण्डपम्प की बात कर रहे हैं न, इसमें डिसीजन इनकी गवर्नमेंट का था कि पब्लिक से पैसे लिये जाएं और आज आप बात करते हो कि बंद पड़े हैं। (व्यवधान) ये बार-बार कहते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मैंने ये शब्द पहले कह दिये थे कि मैं कांग्रेस और बी.जे.पी. की बात नहीं करूंगा।

श्री सभापति: आप वक्तव्य देने दें। आप कंटीन्यू करें, इनका जवाब नहीं दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये ज्ञान बांट रहे हैं, तो मैं यह कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस, बी.जे.पी. की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं। पब्लिक को सुविधा कैसे मिले, वो मैं बात कर रहा हूं। मैंने कांग्रेस को खूब देखा है, बी.जे.पी. को भी खूब देखा है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को 20 मिनट हो गये और 20 मिनट आप सबको देंगे, तो बहुत समय लगेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज इनको पीड़ा है। आज पीड़ा है आपको। (व्यवधान) माननीय सदस्य, 'दान करने से रुपया जाता है लक्ष्मी नहीं जाती है। घड़ी बन्द करने से घड़ी बन्द होती है, समय बन्द नहीं होता है।' समझ गये क्या आप?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): आप अपनी घड़ी की कीमत और बता दो कि कितने रुपये की पहनते हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झूठ बोलकर झूठ छिपा सकते हैं सच नहीं छिपती है तो आप क्यों तकलीफ पा रहे हो। जो मैं बोल रहा हूं, वो न बी.जे.पी. की बात है न कांग्रेस की है। मैं माननीय मंत्रीजी को वो बात बता रहा हूं जो आज की तारीख में पटल पर है और जनता के धरातल पर काम में आ रही है। वो बात बता रहा हूं कि यह स्थिति है। (व्यवधान) एक करोड़ की घड़ी है न, किसकी? आपने मंगाई है?

श्री सभापति: श्रवणजी, प्लीज। माननीय सदस्य, आप अपनी डिमाण्ड पर बोलें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, बीच-बीच में टोकते हैं तो मैं क्या करूं, समय तो आपका जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं कह रहा हूं कि आप आसन को देखकर, संबोधित करके अपनी बात कहो न। उधर ध्यान ही क्यों रखते हो?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अब उनकी तैयारी तो है नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किसकी नहीं है?

श्री सभापति: अब आप डिस्टर्ब क्यों होते हो? आप इधर कहो न। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, इनकी हालत यह है कि ये जब तक नहीं बोलते हैं न, तब तक इनको मजा नहीं आता है। इनकी बीच में बोलने की आदत पड़ी हुई है। मैं यह कहना चाह रहा हूं...

श्री सभापति: आप वक्तव्य जारी रखें न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं आपका ध्यान रख रहा हूं न। मैं आपकी तरफ बोल रहा हूं न।

(श्री श्रवण कुमार)

मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 624 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं और लक्ष्मणगढ़ तथा खेतड़ी की जो स्कीमें पास हुई थीं उनको चार वर्ष हो गये पर आज तक पूरी नहीं हुई। मैं उस बात से सहमत हूं कि वो दो साल में पूरी होनी चाहिए थीं पर उनको चार साल लग गये और अब ये कह रहे हैं कि सूरजगढ़ में 624 करोड़ रुपये मंजूर हो गये। 624 करोड़ रुपये मंजूर तो हो गये, यह सत्य है पर मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि वो काम दो साल में पूरा हो जाएगा। अभी तो इनकी स्कीम तय ही नहीं हुई है। तय होने के बाद ऊपर जापान योजना में मंजूरी के लिए जाएगी, उसके बाद कब आयेगी, कब शुरू होगा, पता नहीं। जैसे खेतड़ी का पानी नहीं आया, तो सूरजगढ़ और चिड़ावा में तो कम से कम 8 साल लग जाएंगे।

तब तक मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आपकी सरकार ने जो पहले कुए खोदते थे वो बन्द कर दिये। वित्तीय स्वीकृति लेनी पड़ती है। आपकी फाइलें फाइनेंस में जाने लग गईं। ये कहां से नई स्कीम लेकर आये हो? यह तो कभी सुना ही नहीं था हमने। अब किसी भी चीज इंजीनियर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि फाइल पहले फाइनेंस के अन्दर जाएगी, उसके बाद में मंजूर होगी तो उसके बाद में स्वीकृति निकलेगी। चीफ इंजीनियर को मंजूरी निकालते हुए देखा था, मंत्रियों को स्वीकृति निकालते देखा था, लेकिन आज नयी बात और आ गई कि वो फाइल फाइनेंस में जायेगी। यह नई स्कीम, माननीय मंत्रीजी, वापस विथड्रा करो और स्वीकृतियां चीफ इंजीनियर तक रखो, ताकि तत्काल उसकी स्वीकृति निकल जाए। आपने यह हालत कर दी कि चीफ इंजीनियर के हाथ से लेकर फाइनेंस भेजना शुरू कर दोगे, तो कभी भी फाइल वापस आने वाली नहीं है और दो-दो महीने तक नहीं आयेगी। दो महीने में, अप्रैल तो आ ही गई, मई तक वो फाइल आयेगी, जून में स्वीकृति निकलेगी और जुलाई में फिर बरसात हो जाएगी।

आज हिन्दुस्तान की आजादी के 70 वर्ष के बाद भी राजस्थान में टैंकरों से पानी पिलाया जा रहा है। आज तक किसी बन्दे के दिमाग में नहीं आया कि टैंकरों से पानी की कितने दिन तक पूर्ति करेंगे। दो महीने दे देंगे, उसके बाद क्या बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं? आज राजस्थान में अगर

(श्री श्रवण कुमार)

मंत्रीजी इच्छाशक्ति रखते हैं तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि जिस प्रकार दुबई, इराक, ईरान और इन देशों में यह तय है कि जब तक पानी का स्टोरेज नहीं बनायेगा, जो पाइंट्स दे रखे हैं वो पूरे नहीं करेगा, तो बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। आपको भी यह तय करना पड़ेगा, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, मकान कोई व्यक्ति बनायेगा, चाहे पहले के मकान हो चाहे अब मकान बनाये, उसमें पानी का स्टोरेज बनाये और बरसात के पानी का स्टोरेज होना ही चाहिए। जब तक पानी का स्टोरेज नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे कितने भी जल स्वावलम्बन अभियान चला लो, यह जो चला रखा है न कि टैंक बनाते हो, तो आज किसी भी गांव में कोई जमीन पर मकान बनाता है, वो चाहे 500 वर्ग गज में बनाये, चाहे हजार गज में बनाये, एक भी व्यक्ति बरसात के पानी का स्टोरेज नहीं बनाता है। अब आप देखिये, जो बनायेगा नहीं तो पानी आयेगा कहां से? इसलिए आपको यह बात तो करनी पड़ेगी कि जो भी मकान बनायेगा, उसको आधार कार्ड से जोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति सुविधा चाहता है, बिजली की हो, चाहे कोई भी सुविधा है, तो उसको पानी का स्टोरेज बनाना पड़ेगा...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह बनायेगा, उसके बाद ही अन्य सुविधा दी जायेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक स्टोरेज नहीं बनायेंगे, तब तक आपकी पानी की व्यवस्था पूरी नहीं होगी।

मैं आपसे यह विनती करता हूं कि...

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दस-पाँच मैंने सुझाव दिये हैं, इन पर आप काम करिये। यह धरातल की बातें हैं।

श्री सभापति: बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये। धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको आंकड़ें पेश करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आंकड़ें देंगे, आंकड़ें तो आपके पास हैं ही। आंकड़ें तो आप खुद ही बनाते हो और वह प्रतिवेदन भेजते हो, लोग पढ़कर यहां सुना देते हैं। जमीन पर आज क्या हो रहा है, गांवों में पानी की दिक्कत क्या है,

(श्री श्रवण कुमार)

इसको दूर कैसे की जा सकती है, वह आपको देखना है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद श्रवणजी।

माननीय सदस्या श्रीमती सोनादेवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज की मांग संख्या 27 पेयजल योजना एवं मांग संख्या-46 सिंचाई पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गये न उबरे, मोती मानस चून'। खास तौर पर मेरे क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई का गहरा संबंध है। मेरे पूर्व प्रश्न के जवाब में माननीय जलदाय मंत्रीजी ने कहा कि मामला नहरों का है। यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि नहरों का पानी है, गंगानगर जिले में 100 परसेंट वहां की जनता नहरों का पेयजल यूज करती है और हमारे क्षेत्र में पेयजल की ज्यादातर व्यवस्था नहरों के माध्यम से होती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पंचायत समिति श्रीविजयनगर में 23 जलदाय विभाग की हैं व 39 जेजेवाई योजना संचालित हैं। इसी प्रकार रायसिंहनगर में 31 जलदाय विभाग की हैं व 61 जेजेवाई के तहत योजना संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, अनूपगढ़ में 14 जलदाय विभाग की है व 9 जेजेवाई के तहत संचालित हैं। वर्तमान में दो योजनाएं लम्बित हैं। विजयनगर पंचायत समिति के अन्तर्गत 7 जनता जल योजनाएं स्वीकृति हेतु भिजवाई गई हैं। इसी प्रकार रायसिंहनगर की 18 जेजेवाई और एक शहरी जलप्रदाय योजना व 3 ग्रामीण जलप्रदाय योजना स्वीकृति हेतु लम्बित चल रही हैं।

मेरे क्षेत्र के कई गांव पेयजल सुविधा से वंचित चल रहे हैं। जैसे बासटेम्पी, ठाकरी, करतारशहर, 9/8 बीजेडी के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वर्ष 1947 में देश में मीठे जल की उपलब्धता 6,000 घनमीटर थी, जो घटकर वर्ष 2000 में मात्र 2,300 घनमीटर रह गई है। वर्ष 2025 तक 1,600 घनमीटर रह जाने का अनुमान है। भारत में वर्षा के जल की मात्रा

(श्रीमती सोनादेवी)

का 15 प्रतिशत जल के उपयोग में होता है। शेष बहकर समुद्र में चला जाता है। इसलिए मेरा माननीय सभापति महोदय, नम्र निवेदन मंत्री महोदयजी से है कि इसको ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई वाटरवर्क्स हैं, वह खराब पड़े हैं। कई वाटरवर्क्स की मोटरें खराब पड़ी हैं जैसेकि 8 बीजेडी में मोटरें खराब हैं। मोटर का मकान है, वह भी जर्जर अवस्था में है। कई जगह फिल्टर खराब पड़े हैं, जैसे ख्यालीवाड़ा ग्राम पंचायत में फिल्टर का सामान कभी आज तक डाला ही नहीं है। इससे सुचारू पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एसएसएम वाटरवर्क्स की मरम्मत की आवश्यकता है और वहां फिल्टर ठीक किये जायें तथा नालियां आदि की भी पुख्ता व्यवस्था की जाये।

मैं मांग करती हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10.12.2016 के आदेश की पालना में 'समान काम, समान वेतन' को लागू करते हुए जनता जल कार्मिकों को राहत प्रदान की जाये ताकि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र व श्रीविजयनगर में आने वाली जनता जल योजनाओं से संबंधित कार्मिकों को लाभ मिल सके।

इसी के साथ ही, मैं कहना चाहूंगी, मांग करना चाहूंगी कि 62 एमपी ग्राम पंचायत श्यामगढ़, रायसिंहनगर में पेयजल योजना की स्वीकृति हेतु पिछले सत्र में ओवरहैड टैंक बनाने की स्वीकृति दी थी, जो आज दिनांक तक, अभी तक बना नहीं है। मैं पुन: ग्राम पंचायत कमराणिया 14 एपीडी में ओवरहैड टैंक की मैं मांग करती हूं। 18 एपीडी ग्राम, ग्राम एबी में 14 एपीडी में पाइप लाइन देकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाये। इनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी।

इसके साथ ही, खोखरावाली में पेयजल व्यवस्था, 7 एसजेएम, 11 एसजेएम की ढ़ाणियां, 3 एसजेएम, 5 एसजेएम की ढ़ाणियों में पानी की मांग करती हूं। ग्राम पंचायत बज्जूवाला में 6 एमजेडपीडी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पेयजल की मैं मांग करती हूं। 6 एमजेडपीडी ग्राम में भी पेयजल की व्यवस्था के लिए मैं मांग करती हूं। 8 बीजेडी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति विजयनगर जोकि जेजेवाई योजना से चल रही है,

(श्रीमती सोनादेवी)

उसके लिए भी मैं पेयजल की मांग करती हूं क्योंकि 8 बीजेडी जो ग्राम पंचायत है, उसमें वाटरवर्क्स बना हुआ है, जेजेवाई स्कीम से चल रहा है। उसकी चारदीवारी नहीं है। इसमें मोटर मकान है, वह भी जर्जर हालत में है और इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस पर आप गौर फरमायें।

ग्राम पंचायत 6 जेकेएम व 7 जेकेएम की ढ़ाणियों की पेयजल की व्यवस्था की मैं मांग करती हूं। बिलोचिया के वार्ड नम्बर 6, 7 व 8 में पानी की मुख्य समस्या है। चैनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। खिचिया ग्राम पंचायत, सरदारपुरा बीका में व्यवस्था की मैं मांग करती हूं। ग्राम 10 टीके की पेयजल की व्यवस्था की मैं मांग करती हूं।

मेरी यह मांगें हैं, इनकी जो डिटेल है, इसको मैं टेबल करना चाहूंगी, क्योंकि सिंचाई पर भी मैं मांग करना चाहूंगी, आपकी अनुमति हो तो।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत के समस्त गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाये।

इसके साथ ही जनता जल योजना की, वाटरवर्क्स की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाबत मैं बताना चाहूंगी यहां पर मैं माननीय सभापति महोदय, कि श्रीविजयनगर की 39 जनता जल योजनाएं स्कीम चल रही हैं, इनके लिए हमने वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लैटर भेजा था, वह अभी तक भी पेंडिंग पड़ा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी, उसको आप संभालें और उसकी वित्तीय स्वीकृति तुरंत जारी करें।

40 जीबी में वाटरवर्क्स के लिए, 39 जीबी की ढ़ाणियों में पेयजल व्यवस्था, 35 जीबी ग्राम में ओवरहैड टैंक की मैं मांग करती हूं।

ग्राम 6 बीजेडी, ग्राम पंचायत 8 बीजेडी में भी पेयजल की मैं मांग करती हूं। ग्राम पंचायत 7 जीबी में भी और ग्राम पंचायत 16 कूपली में भी मैं मांग करती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, पूर्ण करें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मांग संख्या-46, जो सिंचाई है। मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की मुख्य समस्या किसानों की सिंचाई संबंधी है क्योंकि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र बोर्डर एरिया है, सीमावर्ती क्षेत्र में

(श्रीमती सोनादेवी)

आता है। टेल पर पूरा पानी जो कि आज तक नहीं मिला। सूरतगढ़ ब्रांच में भी टेल का पानी आज तक नहीं मिला। गंग कैनाल, गंग नहर की टेल जैसे भोपरा माइनर और एफएफए माइनर, इसके लिए मैं मांग करती हूं कि इन टेलों का पूरा पानी दिया जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद। धन्यवाद।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): इसके साथ ही... दो मिनट सर। इसके साथ ही पक्के खालों के निर्माण के लिए जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में भी बताया कि गंग नहर पर जो खाले बने थे, उसके थर्ड फेज में खाले पुन: बनाये जायेंगे। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदयजी से कि जो टेल के खाले में एक मुरब्बा या दो मुरब्बा लास्ट की है, उनको इन्होंने फव्वारा पद्धति में ले लिये हैं। आज की मांग के अकोर्डिंग मैं मांग करती हूं कि जो फव्वारा पद्धति में खाले लिये गये हैं, उनको फव्वारा पद्धति में न लिया जाये, उनको पक्के खालों में लेकर जिसमें से मुख्य खाले हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूंगी। 61 एमपी, 64 एमपी, 65 एमपी, 66 एमपी, 67 एमपी, चक 78 आरबी, ए और बी और 79 आरबी, 80 आरबी...

श्री सभापति: धन्यवाद। धन्यवाद।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): ...चक 22 एनपी, 41 एनपी, 27 एनपी, 28 एनपी, 8 एनपी, 14 एनपी, करड़वाली, 16/17 एनपी, 21/27 एनपी, 86 आरबी, 87 आरबी, 88 आरबी, 89 आरबी, खाटा माइनर की स्वीकृति प्रदान करने की मैं मांग करती हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गोपी चन्द मीणा।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): भोपरा माइनर की टेल की मैं पुन: मांग करती हूं। सूरतगढ़ ब्रांच की आईजीएनपी नहर के लिए मैं मुख्य तौर पर मांग करती हूं कि इस टेल को पूरा पानी दिया जाये, क्योंकि सूरतगढ़ ब्रांच का 1,875 क्यूसेक्स पानी कम्प्लीट इसका कम है, जो कि 100 क्यूसेक्स पानी ही आज तक भी कमी दी जा रही है। माननीय सभापति

(श्रीमती सोनादेवी)

महोदय, एक मिनट के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि 1,875 क्यूसेक्स पानी जो सूरतगढ़ का है, 100 क्यूसेक्स पानी की आज तक कटौती की जा रही है। उसको पूरा किया जाये। धन्यवाद।

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण एवं आमजन से जुड़ी मांग संख्या-27 और 46 पर बोलने का मौका दिया।

मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस सत्र में प्रथम बार मुझे बोलने का मौका दिया है और आप सबसे गुजारिश करता हूं, मैं उस जनजातीय क्षेत्र से आता हूं, हमारे उस क्षेत्र में अपनी मुख्य मंत्री महोदया ने हमारे बांसवाड़ा के अंदर करोड़ों रुपया देकर उस क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल देने की जो घोषणा की, मैं इसके बारे में मुख्य मंत्री महोदया को और मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में अपनी मुख्य मंत्री महोदया ने शुद्ध पेयजल के लिए बहुत राशि आबंटित की है, और साथ में विश्वास भी करता हूं कि 2018 तक इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब रहेंगे, यह मैं विश्वास करता हूं।

साथ में मैं मांग भी रखना चाहता हूं कि मेरे आसपुर में, पूरे एशिया में जितना फ्लोराइड नहीं है, उतना फ्लोराइडयुक्त पानी हमारे उस क्षेत्र के लोग पीते हैं, जिससे कि पचास-साठ साल में उनकी पूरी जीवनलीला समाप्त हो जाती है और आज भी उनकी काया टेढ़ी-मेढ़ी बन रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने सुराज संकल्प यात्रा के दरमियान घोषणा की थी और घोषणा पत्र में भी लिया था कि आसपुर विधान सभा क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराऊंगी, जिस संबंध में 151 गांवों की डीपीआर तैयार करके राजस्थान सरकार को पेश भी कर दी है, लेकिन किसी कारणवश आज तक उसको इस बजट घोषणा में नहीं लिया गया है। मैं हमारे मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी की जो घोषणा है, उस मांग को पूरी कराने की आप कृपा करेंगे।

रही बात दूसरी, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे उस क्षेत्र में चार छोटी-छोटी

(श्री गोपी चन्द मीणा)

स्कीम बनाई गयी हैं। उन स्कीम्स का एस्टीमेट बना करके राजस्थान सरकार को पेश भी कर दिया है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में मीठावा घामड़ी गांव माही नदी के तट पर बसे हुए हैं और उस योजना की फाइल तैयार करके राजस्थान सरकार को पेश की है। एक मियाला टेकला करके वो भी माही नदी से फाइल बना करके पेश की है। लिम्बाता और बिलूड़ा की सोम नदी पर योजना तैयार कर के सरकार को फाइल पेश कर दी है। मैं उसकी भी मांग करता हूं कि इन छोटी-छोटी स्कीमों को आप स्वीकृत करके हमारे उस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल दिलाने की कृपा करें।

रही बात दूसरी, मैं हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, आपके द्वारा कि मेरे क्षेत्र में मुख्य मंत्री महोदया के घोषणा पत्र में लिया है कि हमारे वहां रायकी लिफ्ट योजना से इक्कीस गांवों को पानी देने के लिए वो सी.एम. की घोषणा में है और साथ ही एक सोनार माता का एनीकट है। इन दोनों के बारे में भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी उन दोनों स्कीमों की स्वीकृति निकालकर उस क्षेत्र में फायदा पहुंचाने की कृपा करें।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जनजाति क्षेत्र में आज तक मेरा आसपुर क्षेत्र पिछड़ा है। इस प्रदेश में कह सकता हूं कि सबसे पिछड़ा जिला हमारा डूंगरपुर है और साथ में डूंगरपुर में सबसे पिछड़ा क्षेत्र मेरा आसपुर है। आज तक उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। मैं आप सभी सदस्य महानुभावों से भी निवेदन करूंगा कि आप सब मिल करके मेरी पैरवी करें, ताकि मेरे क्षेत्र के अन्दर जो विकास की कमी है उसको पूरा कराने में आप सबका योगदान रहे।

यही बात कहता हुआ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस बात के बारे में आप सभी सदन के सदस्य महानुभावों से निवेदन करूंगा कि मैं उस बेणेश्वर धाम का एक विधायक हूं, उस बेणेश्वर धाम पर आप आकर के देखें। उस क्षेत्र के संत मावजी महाराज ने जो 333 साल पहले भविष्यवाणी की थी, उसका सारा लेखा-जोखा हमारे उस म्यूजियम में पड़ा है। उसको भी आप आकर के देखें। संत मावजी महाराज ने 333 वर्ष पहले जो घोषणा की

(श्री गोपी चन्द मीणा)

थी, जो भविष्यवाणी की थी, जिसको आज भी हम पूरी होते हुए देखते आ रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि भविष्य में, हमारे इस बेणेश्वर धाम के अन्दर 12 फुटी चौपड़े लिखे हैं जिनमें लिखा है कि 'पलिये पाणी विषेगा' जो आज बीस रुपये बिसलेरी की पानी की बोतल बिक रही है। उन्होंने यह भी कहा था 'दोरिये दीवा लाग छै', आज हमारी जो ये लाइटें आई हैं वो उस भविष्यवाणी को साबित कर रही है जो संत मावजी महाराज ने 333 साल पहले कहा था, 'वारे वाथे आयगा' जो आज की तारीख में अपन सब मोबाइल पर बात कर रहे हैं। यह भगवान अवतार हुए थे, लेकिन किसी भी अवतार में ऐसी भविष्यवाणी नहीं की थी जो हमारे इस बेणेश्वर धाम पर संत मावजी महाराज ने यह भविष्यवाणी की थी, आज हम सब उसका अनुसरण कर रहे हैं। अंत में, मैं आप सबको नमन करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निर्मल कुमावत जी।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-27 और 46 पर चर्चा का आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ दो-तीन बातें सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा और विशेष तौर से हमारे प्रतिपक्ष के साथियों की जानकारी में भी लाना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वह प्रदेश है जो अपनी विषम परिस्थितियों के कारण, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण और अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में, माननीय मंत्रीजी के नेतृत्व में।

पेयजल में, मैं कुछ दो-तीन बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अभी हमारे सूरजगढ़ से आने वाले साथी बता रहे थे विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में, निश्चित तौर पर यह एक चिन्ता का विषय है। वर्ष 2008-09 का जो बजट एस्टीमेट था उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा पूरे सदन को, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार थी और टोटल बजट का 8.13 प्रतिशत पेयजल और सेनीटेशन के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खर्च किया था और यही नहीं, 286 करोड़ रुपये प्लान के अतिरिक्त खर्च हुआ था

(श्री निर्मल कुमावत)

और दुर्भाग्य यह रहा राजस्थान का, जब 2009-10 में हमारी सरकार चली गई...

श्री सभापति: माननीय सदस्या।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): और पहले वित्त वर्ष में यह प्रतिशत 8.13 से घटकर 6.84 हुआ और 660 करोड़ रुपये का बजट राजस्थान में खर्च किये बिना वापस अपने खाते में चला गया और जब 2010-11 आया तब 295 करोड़ रुपये वापस गये और 2011-12 आया तो 467 करोड़ रुपये वापस चले गये और जब 2012-13 आया, माननीय सभापति महोदय, यह आंकड़ा सभी माननीय सदस्य सुनें, पूरे बजट का 2012-13 में तत्कालीन सरकार ने जो बजट का आकार था 81 हजार 263 करोड़ रुपये पूरे राजस्थान का बजट, उसमें से पेयजल के लिए जो प्रोविजन किया था वो मात्र 3.61 प्रतिशत। आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान जैसे प्रदेश में मात्र 3.61 प्रतिशत पूरे बजट से पैसा दिया गया 2,934 करोड़ रुपये और उसमें आप ताज्जुब करेंगे कि खर्च कितना किया हमारी सरकार ने? माननीय सभापति महोदय, उसमें से 744 करोड़ रुपये वापस सरकारी खाते में चले गये। यह इस सरकार की प्रोग्रेस थी। अगर ये सारा पैसा सही समय पर खर्च होता, तो शायद आज हम लोग इसमें काफी राहत महसूस करते और आने वाली जो हमारी सरकार है, जो वर्तमान में है और जो सरकार भविष्य में बनेगी, उस पर यह भार कम होता। हजारों करोड़ रुपये बिना खर्च किये अगर राजस्थान की धरती से वापस चले जाएं अपने-अपने विभाग में, यह एक किसी भी सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और बिना किसी कारण के यह पैसा वापस चला गया।

यह मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा, जब माननीय हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दुबारा शपथ ली और सरकार वापस आई, तब 2013-14 में 4.89 प्रतिशत कुल पेयजल के आबंटित किया था, जो अभी पहुंच कर 5 प्रतिशत के ऊपर, हमारी सरकार इसको वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, प्रदेश के आर्थिक हालात हैं, उनमें वापस सुधारने की ओर अग्रसर है। निश्चित तौर पर इससे हमें लाभ मिलेगा।

मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा। विभाग की कुछ जो संरचना

(श्री निर्मल कुमावत)
है उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि लगातार आबादी बढ़ रही है, आबादी क्षेत्र बढ़ रहा है परंतु इस विभाग की संरचना में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को और मुख्य मंत्री महोदया कि गत वर्ष ही लगभग सात सौ के ऊपर जेईएन्स की भर्ती हुई है। एक लंबे समय के बाद पहली बार अगर पीएचईडी में भर्ती हुई है तो हमारी सरकार में हुई है। पहले कई सालों तक भर्ती नहीं होती थी। मगर आज की परिस्थिति के हिसाब से नये एईएन सर्किल बनने की आवश्यकता है, नये एक्सईएन सर्किल बनने की आवश्यकता है और मोनिटरिंग करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए नये अधिकारियों का इसमें रिक्रूटमेंट होना सख्त आवश्यक है। इसी क्षेत्र में मैं मांग करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किशनगढ़-रेनवाल में भी नया एईएन सर्किल बने और फुलेरा में नया एक्सईएन सर्किल बने। उसमें दूदू, फुलेरा और झोटवाड़ा विधान सभा क्षेत्र मिलाकर एक एक्सईएन वहां सुपरविजन के हिसाब से बैठे, यह मैं मांग करना चाहूंगा।

मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि दूदू, टोंक, फुलेरा, सांभर, झोटवाड़ा के जो गांव हैं हमारे वो सबसे विषम परिस्थितियों में, जयपुर जिले में अगर डार्कजोन सबसे ज्यादा कहीं है तो हमारे इन तीनों क्षेत्रों में ही हैं। तत्कालीन सरकार, जब 2007 में हमारी सरकार थी इसमें 11.10.2007 को सैद्धांतिक रूप से दूदू-फुलेरा बीसलपुर पेयजल योजना को स्वीकृति दी गई और कुछ समय बाद ही हमारी सरकार चली गई और लगभग चार साल निवर्तमान सरकार जो माननीय गहलोतजी के राज में थी, उसने कुछ भी काम नहीं किया और 2013 में जाते-जाते जब सबका दबाव पड़ा, राजनीतिक दबाव पड़ा, विधान सभा का दबाव पड़ा, कार्यकर्ताओं का दबाव पड़ा, तो 15.07.2013 को एक कार्यादेश जारी किया गया मेरे विधान सभा क्षेत्र के 173 गांवों को और दो कस्बों को पानी देने का। उसमें तीन फेज बनाये गये। सभापति महोदय, परंतु उसमें बजट एलोकेशन जीरो किया गया।

इसके लिये भी मैं वर्तमान सरकार को एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जब 2014 में हमारी सरकार बनकर आई, तो उसका 50 प्रतिशत बजट एलोकेशन 2014 में किया गया और 2015 में 100

(श्री निर्मल कुमावत)
प्रतिशत बजट एलोकेशन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रोजेक्ट के लिये किया। जो सपना वर्ष 2007 से हमारी जनता, हमारा क्षेत्र देख रहा था, वह सपना आज साकार होने के लिये है।

मगर इसमें कुछ विभाग की भी कमी रही, कुछ इसमें बहुत बड़ी चूक भी है। मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि यह योजना 2013 में शुरू होनी थी और जनवरी, 2016 में पूर्ण होनी थी। 226 करोड़ रुपये की यह योजना है, 173 गांव और 2 नगर पालिका कस्बे इसमें जुड़ने थे, आज दिन तक इसमें लगभग 58 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। बजट की कोई कमी नहीं है, 123 करोड़ रुपये ही मात्र इसमें खर्च हुए हैं। बीच-बीच में माननीय मंत्रीजी को और विभाग के अधिकारियों को जब बोला गया, तब उसमें निश्चित तौर पर प्रोग्रेस हुई, काम में तेजी भी आई। परंतु आज भी जिस परिस्थिति के हिसाब से काम चल रहा है और वर्तमान में गर्मी का स्वरूप अभी दो दिन में हमें देखने को मिला है, मौसम विभाग की भी भविष्यवाणी है कि इस साल गर्मी बहुत तेज पड़ेगी, मैं माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि इसका काम 60 प्रतिशत हो चुका, सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बन चुका, मात्र पाइप लाइनों का काम है, गांवों को जोड़ने का काम है। मगर निर्माण कंपनी की ओर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि कंपनी जो भी, उससे हमें मतलब नहीं है, परंतु विभाग की डोमेन में जब कोई बात आ गई, काम पूरा करना था, सरकार और विभाग यह कहकर राज़ी हो रहे हैं कि हमने साढ़े 11 करोड़ रुपये उस पर पैनल्टी लगा दी। माननीय सभापति महोदय, हमें पैनल्टी से मतलब नहीं है, हमें पेयजल से मतलब है। यह कंपनी अच्छा काम कर रही थी, डिले हो सकता है, परंतु पिछले तीन माह से हमारा काम बिलकुल ठप पड़ा है क्योंकि इस कंपनी की दूसरी कोई देनदारी बाकी थी, किसी दूसरे बैंक की गारंटी ले रखी थी और विभाग के अधिकारियों पर दवाब डालकर हमारे प्रोजेक्ट का सारा पैसा उस दूसरे खाते में डलवा दिया गया जबकि मेरी माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि पहले जिस अकाउंट में इसका पैसा जा रहा था, हमारे वेंडर्स को पैसा मिल रहा था, मौके पर काम चल रहा था, उसी प्रक्रिया से आप वापस करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले एक-दो महीनों में ही यह प्रोजेक्ट पूरा होने के कगार पर है। अगर आप पैनल्टी

(श्री निर्मल कुमावत)

लगायेंगे, नोटिस देंगे, यह कोर्ट में जायेगा, चलता रहेगा। ऐसे काम हम नहीं कर पायेंगे। मेरा निवेदन है कि बैंक ऑफ पटियाला का इसका जो लोन है, डिपार्टमेंट की किसी ठेकेदार के लोन चुकाने की कोई लायबिलिटी नहीं होती। हमारा बजट एलोकेशन है, आज इस प्रोजेक्ट का 10 करोड़ रुपये सरेंडर होने जा रहा है। यह पैसा आप यही खर्च करवायें। कल आप स्वयं वहां पधारने वाले हैं, आप मोनेटरिंग करेंगे। मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा।

अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय से दो बातें और कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है। पेयजल की काफी समस्या दूर होने वाली है। मेरे फुलेरा शहर की एक नई योजना और एक किशनगढ़-रेनवाल की नई योजना आपके यहां लंबित है। पिछले 20 साल से कोई योजना वहां शहरों की नहीं बनी है। पानी आने के बाद ही हमें आस जगी कि अब वहां पेयजल वितरण भी सही ढंग से हो सकेगा। मैं आशा करूंगा कि आप ये योजनाएं जल्दी स्वीकृत करायेंगे।

इसी के साथ, हमारी गांवों की छोटी-छोटी योजनाएं हैं जो इससे लाभान्वित नहीं हो रही, वहां हैंडपम्प और रीजनल स्कीम चल रही हैं। उनमें भी आप सही समय पर जब भी आवश्यकता हो, चाहे पाइप की हो, चाहे ट्यूब वैल की हो या अन्य की हो, तो विभाग अपने स्तर पर तत्परता से उस पर काम करें।

सिंचाई के लिये भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र के लिये कालख बाँध एक बहुत बड़ा बाँध है। काफी जिलों का पानी उसमें आता था। आज वर्तमान स्थिति में उसमें पानी की आवक बिलकुल बंद हो चुकी है। यहां तक कि कालवाड़ में उसमें सीवर लाइन का पानी भी कुछ लोगों द्वारा डाल दिया गया है। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि चार-पाँच तहसीलों को इसका पूरा लाभ मिलता है। इस बाँध को अगर हम लोग वापस जीवित कर सकें तो हमारी पेयजल की काफी समस्या का समाधान हो सकता है।

आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या श्रीमती शिमला बावरी जी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पेयजल योजना, मांग संख्या 46 सिंचाई पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुब-बहुत धन्यवाद।

हमारी मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने सुराज संकल्प यात्रा में जनता से और गांव में बैठी हुई हमारी बहनों से वादा किया था कि हम आपको शुद्ध जल पिलायेंगे। ठीक उसी तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। सभापति महोदय, हमारे घड़साना में मुख्य मंत्री महोदया ने और जलदाय मंत्रीजी ने 12 करोड़ रुपये देकर वाटर वर्क्स का जीर्णोद्धार करवाया है। इसके लिये मैं मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। 12 करोड़ रुपये से हमारे घड़साना में एक बहुत बड़ी डिग्गी बनी है, जिसको हम डैम कह सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट, सारी कालोनियों में नई पाइप लाइनें और दो ओवरहैड टैंक बनाये हैं। उसके लिये मैं मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। हमारी वहां की जनता को इससे अच्छी राहत मिली है और घरों में बैठी हुई हमारी बहनों को शुद्ध जल मिलेगा।

घड़साना और अनूपगढ़ की कई ग्राम पंचायतों में वाटर वर्क्स को जनता को शुद्ध जल पिलाने के लिये करोड़ों रुपये का बजट दिया गया। सभापति महोदय, मेरी ग्राम पंचायत 6डीडी में एक करोड़ रुपये दिये गये, ग्राम पंचायत लोएमडी में 75 लाख रुपये, ग्राम पंचायत 9डीडी में एक करोड़ 2 लाख रुपये, ग्राम पंचायत 9पीएसडी में 99 लाख, ग्राम पंचायत 17 केडी में एक करोड़ 13 लाख रुपये, ग्राम पंचायत 11/12 एनडी में 2 करोड़ 50 लाख रुपये दिये गये। सभापति महोदय, ये ऐसे वाटर वर्क्स हैं जो 5-5, 6-6 गांवों को पानी पिलाते हैं। इन वाटर वर्क्स में सारी डिग्गियों की मरम्मत और चारदीवारी करवा कर उन वाटर वर्क्स की हालात को सुधारा गया।

मैं हमारे मंत्रीजी से मांग करना चाहती हूं कि हमारे घड़साना और अनूपगढ़ में डीपीआर बनकर आपके पास आई हुई है। इसमें मेरी ग्राम पंचायत 9केडी घड़साना, ग्राम 6 ए अनूपगढ़, ग्राम 8 एमएलडी अनूपगढ़, गांव 89 जीबी, यह नये वाटर वर्क्स की डीपीआर बनकर मंत्री महोदय आपके पास आई हुई हैं। जल्द ही आप बजट देकर नये वाटर वर्क्स बनायें, ताकि वहां के लोगों को हम जल पिला सकें।

मंत्री महोदय मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारे गंगानगर में बहुत

(श्रीमती शिमला बावरी)

सारे जनता जल योजना में वाटर वर्क्स बने हुए हैं उन वाटर वर्क्स की हालत बहुत खराब है। जब से वह वाटर वर्क्स बने हैं उसमें एक ईंट तक नहीं लगाई गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि पिछले बजट में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने गंगानगर जिले के लिये स्पेशली दो करोड़ रुपये दिये थे। उसमें बहुत ही कम हमारी अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र को मिले हैं। अधिकारियों की कमी ले लो या किसी की कमी की वजह से डीपीआर बनाकर वह यहां भेज नहीं पाये, या कोई कारण रहा होगा। अधिकारियों की वजह से जेजेवाई के जो हमारे वाटर वर्क्स थे, उनको बजट नहीं मिला। थोड़े दिन पहले मैं जल भवन गई थी। वहां अधिकारियों ने कहा कि मैडम, आपने यह एक-एक करोड़ रुपये के प्रस्ताव बनाकर भेजे हुए हैं, इतना बजट हम दे नहीं सकते, आप छोटा बजट करके इसको भेजिए। हमने दुबारा अधिकारियों को बुलाकर किसी के 30 लाख के, किसी के 40 लाख की डीपीआर बनाकर भेजी हुई है। मंत्री महोदय, आप जल्द ही बजट स्वीकृत करवा कर हमारे उन वाटर वर्क्स के हालात को सुधारें ताकि हम लोगों को शुद्ध जल पिला सकें।

मैं हमारे सिंचाई मंत्रीजी को भी कहना चाहूंगी सभापति महोदय, हमारी आईजीएनपी नहर और अनूपगढ़ शाखा में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया है उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और साथ-साथ में हमारे मंत्रीजी को भी धन्यवाद देती हूं कि हमारी जो अनूपगढ़ शाखा है, उसमें हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 132 करोड़ रुपये की लागत से उसको सीसी नहर बनाया। सभापति महोदय, उसको सीसी नहर ही नहीं बनाया बल्कि वहां के किसानों को फसल पकाने एवं बिजाई के लिये पानी भी दिया गया और आज हमारे वहां पर बंपर फसल भी खड़ी है। इसके साथ-साथ हमारी सी.सी. नहर भी बनकर तैयार है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारी जो अनूपगढ़ शाखा थी, वह जर्जर हालत में थी और इसकी हालत बहुत ही खराब थी। जो भी पानी आता था, सारा धरती के अंदर चला जाता था और आगे बहुत ही कम पहुंचता था। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट देकर किसानों को नई सौग़ातें दी हैं और बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे

(श्रीमती शिमला बावरी)

किसान बहुत ही खुश हैं। घड़साना, रावला के जो किसान हैं, उनकी टेलों पर पानी नहीं पहुंचता था। जब से मुख्य मंत्रीजी ने सी.सी. नहर बनाई है, हमारी अनूपगढ़ शाखा में बनाई है। इस नहर के बनने की वजह से हमारी पूरी टेलें फीड होने लगी हैं और किसानों को पूरा पानी मिलने लगा है। मुख्य मंत्रीजी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

साथ में विपक्ष में बैठे हुए हमारे भाइयों को भी मैं कहना चाहती हूं और हमारे प्रतिपक्ष के जो नेताजी बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहती हूं कि जब पहले आपकी कांग्रेस सरकार थी तब आप यह काम करवा देते तो शायद गंगानगर जिले के अंदर आपकी जमानत जब्त नहीं होती। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो काम कराया है, वह हमारे कार्यकर्ता ने भी जाकर देखा है और किसानों ने भी जाकर देखा है और साथ-साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वह काम जाकर देखा है और कमर के हाथ लगाकर वे कहने लगे कि अगर हमारे गहलोतजी भी ऐसा काम करा देते तो हमारी यह हालत नहीं होती है। इस तरीके से हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रीजी ने काम कराया है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

इसके साथ-साथ में हमारी अनूपगढ़ शाखा की तो मरम्मत हुई ही हुई, उसके साथ-साथ में हमारी जो छोटी माइनरें हैं, उनके लिए भी मंत्रीजी ने करोड़ों रुपए का बजट दिया है। 2017-18 में 88 करोड़ 13 लाख रुपए का बजट जो माइनरों के लिए स्वीकृत किया है, वह कायाकल्प करने का काम करेगा कि हमारी जो माइनरें हैं, वे भी सी.सी. बनेगी। हम जब भी सभा में जाते हैं, हमारी जनता के बीच में जाते हैं और जब हम किसानों से मिलते हैं तब उनसे बात करते हैं कि आप देखिए कि जब से हमारी आई.जी.एन.पी. नहर बनी है, जब से हमारी अनूपगढ़ शाखा बनी है, तब से लेकर कांग्रेस सरकार ने एक ईंट तक भी नहीं लगाई, लेकिन हमारी मुख्य मंत्री वसुंधराजी की सरकार ने हमारी अनूपगढ़ शाखा को सी.सी. किया और इसके साथ-साथ में जो छोटी माइनरें थीं, उनको भी करोड़ों रुपए देकर उनको भी सी.सी. करने का काम हमारे मंत्रीजी कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ सभापति महोदय, मैं आपको यह बताऊंगी कि हमारी सखी माइनर है, जिसके सी.सी. निर्माण, बैड लेवल सही करने के लिए 2

(श्रीमती शिमला बावरी)

करोड़ 7 लाख रुपए दिए गए और हमारी मामावाली माइनर है, उसके सी.सी.निर्माण और बैड लेवल के कार्य के लिए 6 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए है और हमारी के.डी. माइनर है, उसके सी.सी.निर्माण और बैड लेवल को सही करने के लिए 5 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए। एच माइनर के सी.सी.निर्माण व बैड लेवल सही करने के लिए 3 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए। यह जो पैसे दिए गए हैं, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं।

यही नहीं, इसके साथ-साथ में जो छोटे खाले होते हैं, जिन खालों के माध्यम से किसान अपने खेतों में पानी लगाता है। यहां पर अभी पंचायती राज मंत्रीजी नहीं हैं। पंचायती राज मंत्रीजी को मैं यह धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने खेत के अंदर जो पक्के खाले बनाने का काम किया है, वह हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना में भी हमने पक्के खाले बनाने का काम किया है तो हमारे किसान मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं और पिछले दिनों हमारे गंगानगर से बहुत सारे किसान हजारों की संख्या में आए थे और हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी देकर गए हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में, मैं हमारे सिंचाई मंत्रीजी से मांग करती हूं कि हमारी जो डी.डी. माइनर, आर.जे.डी. माइनर और के.डी. माइनर हैं, उनका बैड लेवल सही करने के लिए मैं मंत्रीजी से कहती हूं कि इन तीन-चारों नहरों की भी आप डी.पी.आर. बनाकर अधिकारियों से मंगवाएं और आप इसका बजट दें ताकि उन माइनरों की हालत को भी सुधारा जाए और किसानों को पूरा पानी दिया जाए।

इसके साथ-साथ में, सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से एक रिक्वेस्ट करती हूं कि हमारी जो अनूपगढ़ शाखा बनी हुई है, उसमें वर्तमान में अभी रावला के अंदर एक हैड बना हुआ था, एक पुल बना हुआ था, वह टूट गया है। उससे हमारी छह-सात ग्राम पंचायतों के किसानों का जो सीधा संपर्क मंडी से होता था, वह टूट गया है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि उसका जल्द से जल्द बजट देकर आप उस पुल का निर्माण करवाएं और उसके साथ-साथ में

(श्रीमती शिमला बावरी)

नाई वाला पुल भी है, उसके साथ-साथ एल.एम. का पुल है, उसका भी निर्माण करवाएं।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह जी 'आक्या'।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या-27 पेयजल और मांग संख्या-46 सिंचाई पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।

महोदय, पेयजल और सिंचाई राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण और गंभीर विषय हैं क्योंकि राजस्थान प्रारंभ से ही सैकड़ों वर्षों से सूखे और अकाल की समस्या से जूझ रहा है। राजस्थान में प्रति वर्ष इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होती है और जब-जब भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इंद्र देव भी अच्छे मेहरबान रहे हैं। काफी वर्षा हुई है और चित्तौड़ में भी इन्द्र देव ने इतनी अच्छी वर्षा की कि बहुत-से जल स्रोत भर गए हैं।

मैं आपके मंच के माध्यम से माननीय पेयजल मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पिछले तीन सालों में जो चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में पैसा दिया, भले घोसुण्डा गांव की योजना हो, नेतावल की योजना हो, धनेत की योजना हो। वहां पर काफी पैसा दिया और काफी विकास हुआ है। उसके लिए मैं पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को, माननीय किरणजी माहेश्वरी हों, भले ही अभी मंत्रीजी गोयल साहब हों, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सिंचाई मंत्रीजी को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे वहां पर नहरों के पैसे भी दिए हैं और उन्होंने एक साखेड़ा बाँध, जिसमें हमारे ऊपर घाटे की पाँच पचायतें हैं, उनके लिए पानी की काफी दिक्कत हो रही है, साखेड़ा बाँध का जो पैसा स्वीकृत किया है, उसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना पास करवाई और पैसे दिए।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

हमारे चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र का 60 परसेंट एरिया कमांड एरिए में है और कमांड एरिए की काफी नहरें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उनमें बहुत-सी नहरों के पैसे अभी दिए हैं। बस्सी डैम के भी दिए हैं। बस्सी के अलावा गंभीरी के पैसे भी दिए हैं, पर वहां शाधी, मूडिया, महादेव भी हैं और काफी नहरें जीण-शीर्ण अवस्था में हैं और कच्ची नहरें भी हैं। माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मैं आग्रह करता हूं कि उन नहरों को पक्की करने का पैसा भी दें। पानी टेल तक नहीं पहुंचता है और पानी को टेल तक पहुंचाने के लिए वे नहरें पक्की कर दी जाएं। 15-20 साल पहले माननीय मंत्रीजी नरपत सिंह जी राजवी थे, उनके कार्यकाल में वे नहरें बनी हैं और वे नहरें आज दिन तक मरम्मत नहीं हुईं। सभापतिजी, इस मंच के माध्यम से मैं मंत्री को कहना चाहता हूं कि उनकी मरम्मत के पैसे भी दें और जो कच्ची नहरें हैं, उनको पक्की करने का पैसा भी आप दिलाएं तो अच्छा रहेगा।

साथ ही, हमारे वहां काफी एनीकट बने हैं। वहां कमांड एरिए की वजह से और दो-तीन नदियां जाने की वजह से काफी एनीकट भी बने हुए हैं। वे एनीकट 15-20 साल पुराने हैं और चित्तौड़गढ़ में इंद्र देव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वसुंधराजी की सरकार में इतना पानी बरसाया, जिसकी कोई हद नहीं। वे एनीकट काफी मात्रा में टूट गए हैं। उन एनीकटों में कहीं एक लाख रुपए लगे, कहीं दो लाख रुपए लगे, करोड़ों की तादाद में पैसे हमारी बीजेपी की सरकार में लगे। अगर छोटी-मोटी मरम्मत है, तो उन छोटी-मोटी मरम्मत के लिए अगर पैसा दे देंगे। तो वे एनीकट जो वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है या बाढ़ के कारण या काफी मात्रा में बारिश हुई है, उसके कारण जीर्ण-शीर्ण हुए हैं तो उनके लिए भी आप पैसा दिलवाने की कृपा करें।

चित्तौड़गढ़ में एक घोसुण्डा बाँध है। घोसुण्डा बाँध से मेरा एरिया प्रभावित है। वह घोसुण्डा बाँध सिंचाई विभाग का है, पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की दादागीरी समझो या प्रशासन का ढीलापन समझो, उस पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कब्जा कर रखा है। वास्तव में मैं आपको कहना चाहता हूं कि उससे प्रभावित मेरी 11 पंचायतें चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की हैं और 6 पंचायतें भदेसर पंचायत समिति की हैं। वहां बाँध होते हुए भी हम

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

पानी नहीं पी पा रहे हैं। पानी की काफी समस्या है। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की 11 पंचायतें हैं, उनमें 65-66 गांव हैं। उनमें पानी का लेवल बहुत नीचे है। पानी पीने की बहुत दिक्कत है। माननीय किरणजी माहेश्वरी मंत्री थीं। उन 11 पंचायतों का व 5 पंचायतों का सर्वे भी कराया गया। कुल 17 पंचायतें हैं। 17 पंचायतों को पानी की बहुत दिक्कत है। पंचायतें भी मैं आपको गिनवा दूं। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के बड़ोदिया, धनेत, घोसुण्डा, कसमो, नारेला, नेतावल, महाराज, ओड़ून, पांडोली, रोलाड़ा, सतपुड़ा, तुमड्या, लगभग 65 गांव हैं। भदेसर पंचायत समिति के सुखवाड़ा, कन्नोज, नाहरगढ़, धीरजीकलां, भदेसर, बालोडी, इसके करीब 25 गांव हैं। यहां पानी की काफी दिक्कत है। इसकी योजना बनाकर लोगों को पानी पिलाया जाए। नहर के माध्यम से हो या किसी भी योजना के, ओवर फ्लो के पानी के माध्यम से हो, कैसे भी इनको पानी पिला दिया जाए तो बहुत अच्छा काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार घोसुण्डा बांध चित्तौडगढ़ विधान सभा में, पंचायत समिति में, इसका 26 एमसीएफ जल भराव क्षमता और 426 मीटर आरएल निर्मित है। वर्तमान बाँध में 423 मीटर आरएल भराव किया जाकर 1123 एमसीएफ जल भंडारण किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा पेयजल हेतु इसके भंडारण की क्षमता 200 एमसीएफ, पेयजल हेतु आबंटन किया गया है। यदि सरकार पेयजल संकट ग्रसित उक्त घोसुण्डा बाँध की पेयजल योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराए तो उक्त गांवों की पेयजल समस्या का सही समाधान होगा।

इसी प्रकार मेरी चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की 7 या 8 ग्राम पंचायतें जो बस्सी डैम से लगी हुई हैं, बस्सी से पास ही हैं, उन पंचायतों में पानी की बहुत दिक्कत है। बस्सी का ओवरफ्लो का पानी जैसे केलजर, अभयपुर, सादी, पाल, विजयपुर, अमरपुरा हैं, आलवड़ा, सोहनघर हैं। इन सभी पंचायतों को अगर बस्सी डैम से जोड़ा जाए, तो सरकारी खर्चा भी कम होगा। इन लोगों को पानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। बोर भी बार-बार करवाते हैं, बोर सूख जाते हैं। घाटा और बस्सी क्षेत्र की पंचायतों में पानी की दिक्कत है। उनके लिए बस्सी बाँध से योजना को जोड़ दें तो बहुत अच्छा काम होगा। बस्सी डैम के ओवर फ्लो पानी से ही हमारा काम चल जाएगा।

मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ ग्रामीण क्षेत्र की जनता जल योजना काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जनता जल योजना की पाइप लाइन काफी पुराने समय से डाल रखी है। मेरी 45 पंचायतें हैं, वहां सभी जगह करीब-करीब जनता जल योजना है, उनकी पाइप लाइन काफी जर्जर अवस्था में हैं। उन पाइप लाइनों को वापस चेंज कर दें। माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने गौरव पथ भी दिए हैं। गौरव पथ के माध्यम से पाइप लाइन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गई है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जर्जर अवस्था की जितनी भी जनता जल योजना की पाइप लाइन है, उनको चेंज कर दे तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिजली बिल जलदाय विभाग से जमा होते थे, पंचायतों को हैंडओवर कर दिए। उन बिलों को वापस अगर जलदाय विभाग नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में, पंचायतों का पैसा है, उन्होंने दूसरे फण्ड में पैसा खर्च कर दिया, बिल जमा नहीं करा पाए, काफी मात्रा में कनेक्शन कट गए हैं। कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए.... मंत्री महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं इसलिए मुझे 4-5 मिनट बोलने दें। 5-7 मिनट और बोलूंगा।.... उन बिलों को वापस जलदाय विभाग को देकर आप जमा करा देंगे तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, घोसुण्डा बाँध है, चित्तौड़गढ़ सिंचाई के लिए भी एक योजना बना रखी थी। पहले जिस समय बाँध बना, उसमें 21 पंचायतें गंगरार की और 13 पंचायतें चित्तौड़गढ़ की, सिंचाई विभाग से जोड़ने की योजना थी। यह बहुत अच्छी योजना है, बीजेपी राज में बनी हुई है। भैरोंसिंहजी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे उनके समय यह योजना बनी थी।

श्री सभापति: कृपया संक्षिप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): घोसुण्डा बाँध का हिन्दुस्तान जिंक उपयोग कर रहा है। इससे हमारे वहां नहरों की व्यवस्था भी हो सकती है। उक्त बांधों का उपयोग वेदांता समूह को दिया जा रहा है। वेदांता समूह सालाना अरबों का लाभ कमा रहा है। यदि एक वर्ष का लाभ भी इन समस्त कार्यों पर व्यय किया जाए तो राजस्थान सरकार का एक रूपया भी नहीं लगेगा।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

यदि बाँध की क्षमता 5 मीटर और बढ़ा दी जाए तो बिजली-पानी की, सभी समस्या सोल्व हो जाएगी। वेदांता ग्रुप ने उसको ले रखा है। उसको 5 मीटर बढ़ाने की पहले विस्तृत योजना भी थी। शायद राजवी साहब थे, उनके भी पूरा ध्यान में है। पूरी फाइल मेरे पास है। उसको 5 मीटर और बढ़ाने की योजना है, उसको बढ़ा दिया जाए तो जितनी भी दिक्कत है वह सब खतम हो जाएगी। सभापति महोदय, मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चित्तौडगढ़ नहरों की दो मांगें मैं बताना चाहता हूं। एक तो घोसुण्डा बाँध का पानी हमारे यहां से दरीबा जा रहा है, देवारी जा रहा है। उस पानी को बिना किसी अनुमति के ले जाया जा रहा है। मंत्री महोदय, उस पानी को तुरंत प्रभाव से रोकने की कोशिश करें। उस पानी की हमारे एरिया में सप्लाई कराएं तो बहुत अच्छा होगा। आने वाले दिनों में किसान संघ वाले, दूसरे भी, आए दिन आंदोलन कर रहे हैं वह आंदोलन कभी भी उग्र हो सकता है इसलिए पानी को रोका जाए, वह पानी हमारे एरिया में ही दिया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय एक मिनट और।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां नहरों की मरम्मत, एनीकट मरम्मत के पैसे, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आप इनकी मरम्मत के पैसे दे देंगे, नहरों के लिए नये पैसे दे देंगे तो हमारे वहां जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहरें और एनीकट हैं, उनकी मरम्मत हो जाएंगी।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय, एक सैकण्ड और।

पेयजल के लिए सावा, नरपतखेडी, 17 पंचायतें हैं। इनका पैसा भी आप दिलवा दें तो आने वाले दिनों के लिए अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जयभारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामहेत सिंहजी यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल, 46 सिंचाई पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पानी का अभाव है। भू-भाग के हिसाब से एक परसेंट से अधिक हमारे पास पानी नहीं है। बारिश का भी हिसाब लगाए तो हमारे यहां बारिश कम होती है, जिसके कारण हमारे पानी के संसाधन हैं, उनको रिचार्ज होने में दिक्कत रहती है। उसी का परिणाम है कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में पेयजल के लिए 8 हजार 647 लाख रुपये दिये जो पिछले बजट से 16 परसेंट है। जल संसाधन के लिए 3 हजार 313 करोड़ दिये जो पिछले वित्तीय वर्ष से 11 परसेंट अधिक है।

जहां तक हमारे जिले का सवाल है, अलवर जिले के 80 परसेंट उपखण्ड हैं वे ड्राई जोन में हैं। हमारे यहां पानी का गांव, शहर, सब जगह नेटवर्क है। जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की बात करूं तो जनता जल योजना में मेरे यहां पर 44 स्कीम हैं। राष्ट्रीय पेयजल मिशन में 24 स्कीम हैं। सैक्टर रिफोर्म में 18 स्कीम हैं। पीएचईडी की योजना 19 हैं। 225 गांव में से बाकी मेरे 120 गांव बचते हैं, उनमें पेयजल के लिए हैंडपम्प की व्यवस्था है। जलदाय विभाग द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर डवलप करने के बाद भी, मैं आज मेरी विधान सभा की बात करूं तो 80 परसेंट गांव में पेयजल की व्यवस्था गड़बड़ है।

(15.00 बजे)

ये बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे हैण्ड पम्प योजना हो, एन.आर.डी.डबल्यू.पी. योजना हो, चाहे सैक्टर रिफार्म की योजनाएं हैं। इन योजनाओं को, चाहे जनता जल योजना हो, ये ग्राम पंचायत द्वारा संचालित और संधारित होती है। इनमें समय पर न तो टैक्निकल स्टाफ रहता है और रिपेयर के लिये भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण ये लम्बे समय तक खराब रहती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने जनता जल योजना को अपने पास ले करके उसको रिपेयरिंग और मेंटिनेंस के लिये पिछले वित्त वर्ष के बजट में पैसा दिया, उसी तरह से जो ये योजनाएं हैं, राष्ट्रीय पेयजल मिशन की हो, सैक्टर रिफार्म की हो या हैण्ड पम्प योजनाएं हैं, इनको अगर पंचायती राज

(श्री रामहेत सिंह यादव)

से लेकर जलदाय विभाग संधारित करे, इनको ठीक कराये, इनका मेंटिनेंस करें, इनके लिये बजट का प्रावधान रखें तो शायद और अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

हैण्ड पम्प की स्थिति की बात करूं माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारे यहां पानी बहुत गहरा है और जो हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं, उसके लिये आपने गहराई 90 मीटर रख रखी है। मैं चाहता हूं कि इस स्कीम को बंद करें। जब आप हैण्ड पम्प देते हैं, सैंक्शन करते हैं तो 90 मीटर पर तो हैण्ड पम्प में पानी आता नहीं है, उसका पैसा वैस्ट जाता है, इसलिये कम से कम नहीं तो 130 और 150 मीटर हमारे जिले की गहराई के हिसाब से इसमें आपको उपाय करना पड़ेगा।

दूसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के लिये 2013 में, जो शहरी क्षेत्र थे, भिवाड़ी, बहरोड़, तिजारा, अलवर शहर, राजगढ़, इनकी पेयजल स्कीम बनी और एन.सी.आर. से 275 करोड़ रुपये आये लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो शहरी क्षेत्र खैरथल और किशनगढ़बास, इन दोनों को छोड़ दिया। गत वित्तीय वर्ष के बजट में जब मैंने मांग पर और मेरे प्रश्न में इस बात को कहा तो माननीय तत्कालीन मंत्री का मैं हृदय से आभारी हूं, उन्होंने कहा कि आपकी दोनों योजनाओं को एन.सी.आर. में बनवा कर भेज देंगे। मैं आदरणीया किरण माहेश्वरीजी को तहे दिल से मेरे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 48 करोड़ की खैरथल के लिये और किशनगढ़बास की 30 करोड़ की योजना एन.सी.आर. में भेजी। मैंने कहा था कि तब तक क्या होगा, पानी की व्यवस्था क्या होगी? तो आपने तत्काल ही कहा कि पानी की व्यवस्था, जब तक योजना नहीं आती हम आपको और बोरिंग देंगे तथा तत्काल ही दस बोरिंग दिये। मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एन.सी.आर. में आपने भिजवा दिया। आज तक ये दोनों योजनाएं सैंक्शन नहीं हुईं। फिर वही, अप्रैल और मई का महीना आ गया। खैरथल में 25 वार्ड हैं, 25 में से 17 वार्डों में पानी नहीं है। किशनगढ़बास में 20 वार्ड हैं, जिनमें से 07 वार्डों में पानी नहीं है। अब ये स्कीम कब आयेगी, सैंक्शन होगी, टैण्डर होगा? इसमें

(श्री रामहेत सिंह यादव)
हो सकता है कि एक साल लग जाये। पहले की योजनाएं, जो शुरू की हैं लेकिन कम्पलीट नहीं हुई हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि अल्टरनेट व्यवस्था के रूप में कम से कम 10 बोरिंग खैरथल में और 05 बोरिंग मेरी नगरपालिका किशनगढ़बास में इस गर्मी के हिसाब से पहले ही आप सैंक्शन करें, ताकि समय पर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो जाये। और हैण्ड पम्प योजना से ले करके रीजनल स्कीम में, मेरे यहां से, बड़े गांव हैं, पंचायत मुख्यालय हैं, जैसे बूढ़ी बावल है, राता खुर्द बसई बालान की है, टेहटड़ा इच्छाका झिरंडिया की है, पड़ासला, चोर बसई, बाघोड़ा धमोकड़, ये सात स्कीम्स ऐसी हैं जहां हैण्ड पम्प योजना सफल नहीं है तो उनको रीजनल योजना में आप कन्वर्ट करें, जो आपके यहां विचाराधीन है।

इसके अलावा मेरी जो नगरपालिका किशनगढ़बास है, वैसे शहरी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको नगरपालिका घोषित किया था, उसके चुनाव हो गये। लेकिन ये तीन पंचायतें मिली थीं। लेकिन आपके यहां पर इसको शहरी पेयजल स्कीम में नहीं बनाया, ग्रामीण में ही हैं तो इसकी जो योजना है, यह ग्रामीण योजना में कब तक रहेगी? जब शहर हो गया, नगरपालिका हो गई, चुनाव हो गये, तो ये कछुआ चाल से अगर यह विभाग चलेगा तो ये योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पायेंगी इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं का फायदा हमको मिले।

जहां तक एन.सी.आर. की बात है, एन.सी.आर. के ही प्रौजेक्ट हैं, ये समय पर पूरे हों, इसके लिये आप कुछ गाइड-लांइस तय करें, समय-सीमा तय करें, अधिकारियों की जिम्मेदारी रखें। पूर्ववर्ती सरकार ने एन.सी.आर. बनाया, बजट 275 करोड़ रुपये आ गया। एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता, एक एस.ई., तीन एक्स.ईएन., नौ ए.ईएन., एन.सी.आर. के इतने सारे अधिकारियों के पद तो आपने बना दिये जबकि हमारे यहां पर पम्प कौन चलायेगा, हैण्ड पम्प कौन ठीक करेगा या हैण्ड पम्प मिस्त्री की आवश्यकता है, जो रिटायर हो जाते हो, उन पदों को आप निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, वे पद समाप्त हो जाते हैं। इसलिये अधिकारियों के चाहे पद कम कर दें, लेकिन जो पेयजल योजनाओं को चलाते हैं, पम्प ड्राइवर हैं, मेरे यहां जितने टोटल पद हैं, उनमें से 30 प्रतिशत ही भरे हुए हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि उन पदों को आप भरें।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इन सबके बाद भी, इनका जो समाधान है, माननीय सभापति महोदय, ये जो इतनी सारी योजनाएं हैं, अलवर जिला एन.सी.आर. में आता है। सड़क अच्छी हो, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में 968 करोड़ रुपये एन.सी.आर. से दिये, पूरे जिले में सड़कों का काम अच्छा होगा। हमारे यहां पर मेडिकल कॉलेज खोला, यूनिवर्सिटी खोली, लेकिन जब तक पीने का पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है इनका महत्व खतम हो जाता है। एन.सी.आर. में इतने सारे उद्योग लगने वाले हैं, इतने लोग आने वाले हैं, इतनी संस्थायें आती हैं और जब पानी की चर्चा होती है तो वे वापस अपने प्रौजेक्ट को कहीं दूसरी जगह ले जाने का विचार करती हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वालम्बन के माध्यम से हमारे यहां पर बहुत सारे ऐसे सिंचाई विभाग के एनीकट और इसके लिये बहुत सारा पैसा सैंक्शन किया ताकि वाटर रिचार्ज का सिस्टम ठीक हो।

दूसरी योजनाएं हैं, एन.सी.आर. में भरतपुर भी आता है। हमारे जिले की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है कि हमको चम्बल का पानी मिले। बीस साल से हम देख रहे हैं। हर बार अखबारों में बड़ा-बड़ा छपता है। भरतपुर को चम्बल का पानी मिल गया, लेकिन अलवर में चम्बल से पीने के पानी की व्यवस्था, आज तक उस स्कीम को गति नहीं मिली। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहता हूं कि उस योजना को और गति दे करके, ताकि अलवर जिले की पानी की समस्या ठीक हो और अलवर जिले की बेसिक रूप से, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यमुना में पानी है, हमारा हिस्सा है और उस पानी के लिये बहुत बार सदन में सदस्यों द्वारा चर्चा हो गई, मैं उसको ज्यादा विशेष नहीं कह सकता। लेकिन जब हरियाणा का यमुना में 48 प्रतिशत शेयर है, हमारा मात्र 09 प्रतिशत शेयर है, हमको तो 09 प्रतिशत मिलता है। हरियाणा सरकार को 69 प्रतिशत यमुना का हिस्सा, पानी मिल रहा है तो ऐसी क्या परिस्थिति है कि हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमारा हिस्सा, यमुना का पानी मिलना चाहिये। हमारे पास झज्जर, हरियाणा बिलकुल नजदीक है। वहां से कैनाल हमारे राजस्थान के हिस्से से लगी हुई है। मुण्डावर से, मेरे क्षेत्र से और आगे

(श्री रामहेत सिंह यादव)

जायेंगे तो झुन्झुनूं, चूरू और नारनोल हमारे बहरोड़ से लगा हुआ है, नांगल चौधरी तक नहरें आई हुई हैं। राज्य सरकार को केन्द्रीय स्तर पर बात करके, जब एम.ओ.यू. में तय हो गया कि सभी राज्यों का हिस्सा आयेगा और हमारा भी 09 प्रतिशत पानी का हिस्सा है, अगर यमुना के पानी में हमारा, राजस्थान का हिस्सा आयेगा तो हमारे यहां पर अलवर जिले की पानी की समस्याओं का समाधान होगा।

जो हमारी दो वृहत योजनाएं हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मेरी दोनों नगरपालिका क्षेत्र की योजनाएं और उन पर स्टाफ हो, जो सिंगल फेस बोरिंग करते हैं, लेकिन उसका गारण्टी पीरियड दो साल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस एजेंसी से ये गारण्टी पीरियड कम से कम पाँच साल होना चाहिये। दो साल तक तो उसको नोटिस वगैरह देते हैं, उसका पीरियड खतम हो जाता है। उसके बाद वह उसको छोड़कर चला जाता है। बाकी उसका मेंटिनेंस का और कोई प्रोविजन है नहीं। इसलिये उसके लिये ठीक से व्यवस्था हो। मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरा, जो मांग संख्या 46-सिंचाई है, मैं माननीय सिंचाई मंत्री का हृदय से आभारी हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपने एक करोड़ 16 लाख रुपये मेरे खानपुर मेवान, औदा का बाँध के लिये जो सैंक्शन किये थे, उसकी टैण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। जैसे ही उस बाँध की रिपेयर का काम हो जायेगा तो कम से कम मेरे बीस गांवों में सिंचाई के अलावा पेयजल की समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे यहां पर बघेरी, अलंदिका, माचा, काकरा, जटियाना और करवड़ का बाँध, ये बाँध आपके सिंचाई विभाग के हैं, ये भी जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, जल स्वावलंबन में इनमें काम हो रहा है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। बारिश के समय को ध्यान में रखकर अगर इनकी भी रिपेयर हो जाए, इनके लिए भी बजट में प्रोविजन कर दें तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है विशेषकर, उसका समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गोतमलालजी।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-27 और 46 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र दो जिलों में है, प्रतापगढ़ और उदयपुर। प्रतापगढ़ जिले में धरियावद और धरियावद में हमारे पानी की कोई समस्या नहीं है। मैं यह सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना जो चालू की, प्रथम चरण में हमारे वहां पर बहुत सारे काम हो गये। द्वितीय चरण में भी हमारे वहां पर 934 काम स्वीकृत किये गये हैं जिसमें सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, वन विभाग और वाटर-शैड, ये कार्य भी द्वितीय चरण में शुरू हो गये हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन नदियां धरियावद में और लसाड़िया बैल्ट है, जिसका पानी जयसमन्द में जाता है। जयसमन्द कैचमेंट एरिया में कोर्ट के आदेश के हिसाब से वहां पर कोई एनीकट, तालाब वगैरह नहीं बना सकते। धरियावद में हमारे वहां पर जाखम बाँध बंधा हुआ है इसके अलावा भी मैं माननीय मंत्री महोदय का और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने फोरवाटर योजना के अंतर्गत मेरे वहां पर 32 कार्य स्वीकृत किये, जिनमें 18 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें तालाब भी है, एनीकट भी है और द्वितीय चरण के लिए जो हमारे वहां से प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं, जिसमें पहले जो सर्वे हुआ था वह एन.जी.ओ. के माध्यम से हुआ था तो जो सर्वे में रह गये थे, बाद में जो सर्वे हुआ वह सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा हुआ जिसमें बीस- पच्चीस एम.आई.टी. और एम.एस.टी. ....(व्यवधान)....

माननीय मंत्री महोदय, मैं सबसे पहले आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जाखम बाँध के नहर की सुदृढ़ीकरण के लिए 41 करोड़ रुपये इन तीन सालों में खर्च किये। हांड़ाखेड़ा एनीकट और फोरवाटर के इन कामों में, इसमें भी आपने जो पैसे दिये, कुल मिलाकर 84 हजार रुपये इन तीन साल में आपने दिये। नहीं, 84 करोड़ रुपये दिये तो मैं आपका और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

अब एम.आई.टी. और एम.एस.टी., यह जो काम हैं, यह आप इसी बजट में इनको स्वीकृत कर देंगे तो हमारा जो वैस्टेज पानी बहकर इन तीन

(श्री गोतमलाल)
नदियों का पानी और नदियों-नालों का पानी बहकर गुजरात जाता है। पहले जो मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना में और फोरवाटर में जो काम हुए हैं, उसमें पानी रुका है तो कुए में भी जलस्तर बढ़ा है। हैंडपम्प बहुत सारे सूख गये थे, उनमें भी पानी बढ़ा है और लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ है और नहरों का जो भी आपने नवीनीकरण किया है, उससे भी पानी जो वैस्टेज जाता है, वह भी रुका है और किसानों को पहली बार टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही जो पुराने तालाब थे, वह आपने पंचायतों को दिये, लेकिन पंचायतों के पास में साधन नहीं होने से, जो पुराने तालाब हैं उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गयी। इनमें मिट्‌टी भी भर गयी और उनकी जो नहर, मोरी वगैरह बनाते हैं, वह भी टूट गयी, उसका पानी भी बहकर चला जाता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो पुराने तालाब हैं, उनका वापस नवीनीकरण करें और उनमें मिट्‌टी का जो भराव हो गया है, उसको निकालेंगे तो उससे भी क्षेत्र में लोगों को एक बहुत सारा फायदा मिलेगा और पानी भी रुकेगा तो मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इसमें भी आपका पूरा सहयोग रहे। वैसे आपका पूरा सहयोग है हमारे क्षेत्र में और पानी है और उससे फायदा भी हो रहा है। वन विभाग के जो जानवर हैं, हमारे क्षेत्र में एनीकट या फोरवाटर के जो काम हो रहे हैं, इसमें जो पानी भरा रहता है, अभी भी पानी भरा है तो वे जो जानवर हैं, उनको वहां पर पानी मिल जाता है, खाने को घास भी मिल जाती है तो वह ज्यादा किसानों की तरफ या गांव की तरफ नहीं आते हैं तो यह वन क्षेत्र में भी कहीं-कहीं रुकावट है तो वह वन विभाग वाले भी अपने स्तर पर यह पानी का काम करे।

अब मैं पेयजल पर आऊंगा क्योंकि पहले पानी रोकने का और फिर पानी पीने का। हमारे जलदाय मंत्री महोदय को मैंने अभी लिखकर भी दिया है और हमारे पूर्व मंत्री महोदय जिन्होंने गत बजट में यह कहा था कि जनजातीय क्षेत्र में सात हजार की जनसंख्या पर जो पेयजल से जिस गांव को जोड़ते हैं तो आपने घोषणा की थी, माननीय पूर्व मंत्री महोदया किरणजी माहेश्वरी ने कि तीन हजार की जनसंख्या पर जनजातीय क्षेत्रों में इन गांवों

(श्री गोतमलाल)

को हम पेयजल योजना से जोड़ेंगे। उनका शायद सर्वे भी करवाया लेकिन वह काम प्रारंभ नहीं किया, वह जल्दी काम शुरू हो जाए। ऐसा नहीं हो कि पुराने मंत्रीजी ने घोषणा की और नए वाले नहीं करें तो आप दोनों आपस में बात करके इस योजना को भी शुरू करें।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदयजी ने एक हजार और पन्द्रह सौ के गांवों के बीच में एक सौर ऊर्जा का वह लगाकर और टंकी बनाने की भी आपने घोषणा की थी लेकिन वह गांव पानी, टोंटी बिना रह गया, वह पानी पीने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय को मैंने आज लिखकर दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में धरियावद और बबराना जो जलारा पंचायत समिति क्षेत्र का है, वहां पर सोम-कमला-अम्बा का पानी देते हैं, वहां पर बबराना क्षेत्र की गांवों में टंकियां हैं जिसकी सूची मैंने मंत्री महोदय को दी है, वे टंकियां कई दिनों से बंद पड़ी हैं। कृपा करके उन टंकियों को शुरू करें और मुंगाना, पारसोला और धरियावद में टंकी और पाइप लाइन बहुत समय से है, बहुत पुराने समय से है तो उन टंकियों का वापस या तो उनका नवीनीकरण करे और जो पुरानी पाइप लाइन है, उनको वापस नवीनीकरण करने का आप काम करें।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो तीन हजार की आबादी के गांव हैं उनको भी पेयजल से जोड़ने की कृपा करें और दूसरा, जो हैंडपम्प की बात आ रही थी, हैंडपम्प मिस्त्री बहुत पुराने समय के हो गये हैं और बहुत सारे रिटायर होकर कम पड़ते जा रहे हैं तो एक हैंडपम्प मिस्त्री के पास में तीन-तीन, चार-चार पंचायतें हैं तो वह हैंडपम्प मिस्त्री उन पंचायतों को संभाल नहीं पाता है तो जैसे ही वह रिटायर होते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा, ग्राम पंचायतों के पास में तो ऐसा कोई साधन होता नहीं है। सिंचाई विभाग से या पंचायती राज से, जैसा भी हो, हैंडपम्प मिस्त्री लगाएंगे तो लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी।

दूसरा, जयसमन्द कैचमेंट एरिया में हमारा लसाड़िया का क्षेत्र है, उसमें 20 पंचायतें ऐसी हैं जहां से पानी जयसमन्द में जाता है। वहां पर एनीकट नहीं बना सकते हैं और न कोई बड़ा बाँध बना सकते हैं तो वहां सलूम्बर के,

(श्री गोतमलाल)

हमारे दोनों के मिलाकर 93 गांव हैं जिसमें 21 गांव, वैसे तो 25 गांव हैं लेकिन 21 गांव की जो डी.पी.आर. बनी है तो उसमें सलूम्बर और लसाड़िया में शामिल हमारे 93 गांव हैं, जहां से पानी बहकर नदी-नालों से जाता है जयसमन्द में, उन गांवों को पानी पिलाने की कृपा करें क्योंकि हमारा पानी बहकर के जयसमन्द भरता है और जयसमन्द से आप उदयपुर को पानी पिलाते हैं तो हमारे को क्यों नहीं पिलाये, इस पर आप ध्यान दें।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी बात को यही समाप्त करता हूं और मैं दोनों मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस पेयजल योजना पर आप काम करेंगे। दूसरा, हमारे सिंचाई मंत्रीजी से, एक बात मैं भूल गया था, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे जलारा में सहायक अभियंता कार्यालय स्वीकृत किया है, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि वहां अस्थाई सहायक अभियंता लगा दें क्योंकि डूंगरपुर में है, मेरा वह एरिया सिंचाई विभाग देखता है, वह पूरा ध्यान नहीं देता है। आपने यह कार्यालय खोला, इसके लिए तो आपका धन्यवाद और हमारे वहां एक अधिकारी लगा दें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री घनश्यामजी। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मेवारामजी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-27 और 46 पर बोलना चाहूंगा। गला खराब है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से इस पानी की योजना के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि जो योजना है- मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल योजना चार भागों में बनी है, उसमें पहली का कार्य करीब-करीब पूरा हुआ और दूसरी और तीसरी का काम चल रहा है और जो पार्ट 'स' है, उस योजना के लिए पहले आपने निवेदन भी किया कि हमने कार्यादेश जारी किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसको जल्दी ही शुरू कराएं, क्योंकि गर्मी भी आने वाली है और वह बाड़मेर विधान सभा के महत्वपूर्ण गांव हैं और सिटी भी हैं तो आप उसको तत्काल शुरू कराएं ताकि जनता को राहत मिल सके।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर क्षेत्र में पानी तो पहुंच गया।

(श्री मेवाराम जैन)

गांव वाले लोग बाड़मेर में बस रहे हैं। बाड़मेर का आधा हिस्सा, यह बस्तियां बसी हैं, उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है और आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया था, जब आप बाड़मेर आयीं तो उसमें एक योजना भी बनाई थी 34 करोड़ रुपये की, और वह जो सारी बस्तियां हैं, अगर वह सैंक्शन दोगे तो जुड़ जाएगी और बाड़मेर, जहां मीठा पानी आया हुआ है तो आधा भाग शहर का, जो पानी से वंचित है, वह लाभ ले पायेगा, इसलिये मेरा निवेदन है कि उसको भी स्वीकृत किया जाये।

तीसरा निवेदन करूंगा, जो जनता जल योजना है, इस जनता जल योजना में जो हैण्डपम्प हैं, चाहे जो भी योजना है, इस योजना को मंत्रीजी आपने पंचायती राज को दिया है, वह बिलकुल बंद टाइप पड़ी है। अब गर्मी आ रही है, हालत खराब होगी। आप उसको संचालित करो ताकि यह जनता जल योजना और हैण्डपम्प ठीक हो पाएंगे, नहीं तो गर्मी में पानी के बिना हालत खराब होगी। अब हैण्डपम्प योजना है, कई लोग कह रहे थे कि हैण्डपम्प की स्कीम ठीक नहीं है। कोई कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, कि मेरे बाड़मेर विधान सभा में करीबन 30 ग्राम पंचायतें सिर्फ हैण्डपम्प पर निर्भर हैं। अगर वह हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं तो वहां पानी का कोई और सोर्स भी नहीं है, क्योंकि स्कीमों से पानी वहां जा नहीं रहा है और वहां पर पानी 100 फीट पर है तो हैण्डपम्प हैं जो खराब होते हैं तो आपके कर्मचारी पाइप निकालकर ले आते हैं, जो कोई पुराना हो गया तो उसको भी आप अबेंडेंड घोषित कर रहे हो। मेरा निवेदन है कि जो खराब है हैण्डपम्प और पुराने हो गये तो उसकी जगह नये हैण्डपम्प आप लगाओ ताकि वहां व्यवस्था हो सके।

दूसरा, अभी गर्मी का मौसम है, हमारा पूरा जिला भी अकालग्रस्त है। आप टैंकरों द्वारा पानी भेजोगे और उस पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे। मैं चाहूंगा कि इसकी जगह आप सिंगल फेस ट्यूबवैल दे दें ताकि वह जल्दी खुद जायेंगे और वहां पानी अवेलेबल है और यहां लोगों को राहत मिलेगी। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां नये कम से कम 50-60 हैण्डपम्प दो ताकि लोगों को फायदा हो सके।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अपन जल

(श्री मेवाराम जैन)
स्वावलम्बन में जल बचाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहां होदियां इतनी टूटी पड़ी हैं, ऊपर छत नहीं है और नीचे से पूरा का पूरा पानी बाहर आ रहा है। आधे से ज्यादा पानी बेकार हो रहा है। हम जल को बचायें, इसके लिये जितनी भी होदियां हैं, उनके लिये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। होदियां टूंटी हुई हैं, उनको ठीक करायें और जो पानी की टूंटी की वजह से पानी बह रहा है, उसको हम रोकें ताकि हमारी मंशा भी पूरी हो और पानी रूके और पानी वैस्टेज नहीं जाये।

इसके साथ मेरा एक और निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पूर्व जलदाय मंत्री, किरण माहेश्वरीजी यहां विराजमान हैं। यह हमारे बाड़मेर भी आयी थीं और इन्होंने मीटिंग भी ली और एक घोषणा करके गयी थीं कि नीमला से बिसाला पाइप लाइन है, मीठा पानी आ चुका है और 7 किलोमीटर के 35 गांवों के लिये घोषणा करके जा रही हूं और आपके यहां जल्दी ही टेंडर लग जाएगा। मुझे कहते हुए दु:ख हो रहा है कि तीन साल हो गये, इनकी वह घोषणा पता नहीं कहां गयी। मैं इनसे मिला भी था तो इन्होंने कहा, आपकी स्कीम बनकर आ रही है, पता नहीं वह कहां अटक गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह 6-7 किलोमीटर का टुकड़ा जुड़ जाता तो कम से कम 50 गांव उसमें लाभान्वित होते, क्योंकि बीच में पाइप लाइन जड़ों के कारण बिलकुल बंद हो गयीं और उसमें से आगे पानी जा नहीं रहा है और रोड पर पानी बह रहा है। इससे पानी का वैस्टेज भी रुकेगा और पाइप लाइन से लोगों को पानी भी मिल जाएगा।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पंचायतों के अंदर जिला परिषदें या कोई भी पाइप लाइन देना चाहे तो आपके विभाग वाले एन.ओ.सी. नहीं दे रहे हैं और एन.ओ.सी. के नहीं देने से जितने भी पी.एस.पी. और एस.एस.पी. के पैसे हैं, पंचायतों में और गांवों में, जहां पानी की भयंकर समस्या है, अगर हम एम. एल. ए. फण्ड से देना भी चाहें तो उसकी एन.ओ.सी. नहीं देने से वह काम भी नहीं हो रहा है।

तीसरा, इसमें आपने पूरे राजस्थान के अंदर पाइप लाइन के लिये कह दिया कि एक ही ट्रेंड के आप पाइप लगाओगे, जिसकी कीमत है साढ़े चार-पाँच लाख रुपये एक किलोमीटर की, और पंचायतों में तो एक-डेढ़ लाख

(श्री मेवाराम जैन)
रुपये में वह पाइप लाइन लग जाती है। मंत्री महोदय, आप पुनर्विचार करें कि इतने पैसे तो एम.एल.ए. फण्ड से होंगे, न दूसरी कोई पंचायत समितियां से होंगे। हम पाइप लाइन से जोड़ना भी चाहे तो भी हो नहीं पायेगी। इसलिये निवेदन है कि आप इस पर भी विचार करें।

इसके साथ ही स्टॉफ की कमी है, आज हैल्पर है नहीं। आजकल लेबर ठेके पर दे रखी है और वह कर्मचारी वहां पर आते नहीं। आधे से ज्यादा गैर-हाजिर रहते हैं और उनको पेमेंट हो जाता है। इस पर भी आप चैक करें कि यह हैल्पर और जितना भी आपका स्टॉफ खाली है, उनकी आप भर्ती करें। आज हमारा बाड़मेर शहर, जहां सवा-डेढ़ लाख की पापुलेशन है, ए.ईएन. की पोस्ट खाली है। आप जब मीटिंग में पधारे थे तो उस समय भी कहा था, ए.ईएन. का ट्रांसफर निरस्त करके बाड़मेर कर दूंगा और ग्रामीण में दूसरा ए.ईएन. भेज देंगे पर अभी तक वह कार्य भी नहीं किया गया है। अब गर्मियां आ रही हैं, एक ए.ईएन.भेजो, नहीं तो हालत आने वाले दिनों में खराब होगी।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, बाड़मेर में पानी तो खूब आ रहा है, परन्तु शहर में सप्लाई सही नहीं हो रही है। एक तो पाइप लाइनें पुरानी हैं, वे बदली नहीं गयी हैं। आपने कहा कि बदल गयीं, जबकि 25 परसेंट बदली हैं। दूसरा वहां पास में एन.एच. 15 और 112 पर रोड का काम चल रहा है और बाड़मेर का मीठा पानी टंकियों में जा रहा है। टंकियों को प्रेशर से भराया जा रहा है कई महीनों से और वहां पानी भरा हुआ है और जनता प्यासी मरे। आप इसकी जांच करायें।...(व्यवधान).. गला खराब है, पर मैं जल्दी ही खतम कर रहा हूं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जनता को पानी मिले नहीं और पानी बाजार में ठेकेदारों को बेच रहे हैं, उनको रोकें। इसमें जो भी कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं उनको आप पाबन्द करें कि इस ढंग से नहीं होना चाहिये।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि पानी की जो भी समस्या है, उसको ठीक करने का प्रयास करें। जलदाय मंत्रीजी से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि बालेर बाँध के लिए आपने कहा कि यह पंचायत से बना है। यह पंचायत से नहीं, यह इर्रिगेशन से बना था 1980 में और वह टूट गया है तो कृपया

(श्री मेवाराम जैन)

इसको भी बनाने की घोषणा करें। मैंने ये सुझाव दिये हैं मंत्रीजी, इन पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री खेमारामजी।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ और रतनगढ़ में आपणी योजना-सैकण्ड फेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे 2015 तक जो योजना है, उस योजना का कार्य 15-1-2016 तक पूर्ण करना था, लेकिन अभी तक उसका आधा ही काम हुआ है। कम्पनी ने यह कहा कि 31.3.2016 तक उनकी डेट बढ़ायी गयी थी और यह कहते हुए कि 31.3.2016 को हम कार्य पूर्ण कर देंगे, लेकिन आज की तारीख तक उसका कार्य अभी भी काफी अधूरा पड़ा है। उसके कारण से हमारी जो दूसरी रीजनल स्कीम्स हैं, उन स्कीमों में हमें बजट नहीं मिल पाता है कि आपणी योजना के माध्यम से आपको पानी 2015-16 में मिल जाएगा। उसके कारण से हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ही भयंकर समस्या आ रही है और यह जो आपकी आपणी योजना है, इसके कारण से हमारे क्षेत्रवासी बहुत ज्यादा परेशान हो गये हैं। हमें सुनते-सुनते इतने-इतने दिन हो गये कि 2015 में लास्ट डेट थी पानी देने की, और आज 2017 जाने वाला है। यह स्थिति हो गयी। इसके बावजूद भी अभी यह योजना पूर्ण नहीं हुई है। मैं इसके बारे में यह कहना चाहूंगा, मेरे पास विधान सभा में तारांकित प्रश्न का जवाब आया था, उसमें लिखा हुआ था कि धन्नासर हैड क्वार्टर पर 1610 मिलियन लीटर का आर.डब्ल्यू.आर. का कार्य पूर्ण हो चुका है। सरदारशहर व रतनगढ़ हैड क्वार्टर से पम्प हाउस का स्वच्छ जलाशय का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्कॉडा कार्य प्रगति पर है। सुजानगढ़-छापर-राजलदेसर-बीदासर हैडक्वार्टर का स्वच्छ जलाशय व अन्य सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में सरदारशहर से रतनगढ़, रतनगढ़ से छापर शहर के पड़ियारा पम्प हाउस तक जलाशय आपूर्ति कार्य की, टेस्टिंग कर ली गयी है। चूरू जिले के कस्बा सुजानगढ़ व छापर में सुरवास, देवाणी, चाड़वास,

(श्री खेमाराम)
रामपुरा, रतनगढ़ के दो गांव पड़िहारा, पड़िहारी में पानी की 2015 में आंशिक आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। यह जवाब आया था, अभी दो महीने पहले वहां बिजली का कनेक्शन हुआ है, अभी वहां कोई काम प्रारम्भ ही नहीं हुआ है, टैस्टिंग के लिए जो सिस्टम बना हुआ है उसमें अभी तक उसका टैस्ट हुआ ही नहीं है, उसको चालू ही नहीं किया गया। पड़ा हुआ पानी जो शहर सुजानगढ़ को, छापर को मिल रहा है, इन छोटे-छोटे गांवों को अभी जो थोड़ा-बहुत पानी दे रहे हैं, वो अब चालू किया है और इन्होंने कह दिया 2016 में कि हमने उनको पानी देना चालू कर दिया है तो यह बात सही नहीं है।

मैं विशेष तौर से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्कीम के बारे में आप पूरी गहनता से जांच कराइये कि इसमें किस लेकुना के कारण से इतना डिले हो रहा है? आप बार-बार कम्पनी को डेट एक्सटेन्शन कर रहे हो, कम्पनी को पांच बार डेट एक्सटेंड कर दी, अभी तक भी वो कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। अभी भी 50 परसेंट से अधिक कार्य नहीं हुए हैं। अभी गांवों के अन्दर जो लाइनें डल रही हैं, वो बाकी पड़ी हैं। अभी एस.आर. बननी हैं, वो बाकी पड़ी हैं। आपके पम्प हाउस हैं वो बाकी पड़े हैं। बिजली का कनेक्शन है वो अभी-अभी हुआ है। अब उसमें कितना समय और लगेगा, इसके कारण से हमारे उस क्षेत्र में बहुत भयंकर समस्या है।

एक विशेष तौर से हमारे सुजानगढ़ को जोड़ने के लिए धन्नासर से सरदारशहर एस.पी.एम.एल. कम्पनी है, वो कार्य कर रही है। यह कार्य काफी दिन पहले हो जाना चाहिए था। जब तक वो लाइन नहीं पड़ेगी, सुजानगढ़ और रतनगढ़ को पानी नहीं मिलेगा। वो लाइन पड़ने में भी अभी कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है जबकि आपने जवाब में दिया है कि यह-यह कार्य, इतना हमने कर दिया है लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसमें लगभग एक साल और लगेगा। एक साल तक उसका वेट करेंगे तो यह जो जनता है, इतनी जनता जो इस योजना की तरफ देख रही है, उनको पानी कब मिलेगा, यह भगवान भरोसे है। इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस कम्पनी पर कार्यवाही करें। उसकी जानकारी करिये कि इतना समय होने के बावजूद भी यह कम्पनी क्यों नहीं काम कर

(श्री खेमाराम)

रही है? उसको बार-बार डेट एक्सटेन्शन क्यों हो रही है? किस कारण से हो रहा है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यह कम्पनी इतनी पावरफुल हो गयी है कि यह चाहे जिस अधिकारी को चाहे जहां से हटा सकते हैं और कम्पनी के अधिकारी जो हैं वो हमारे सरकारी अधिकारियों को दबाव बना करके जिस ढंग से गलत काम कराने के लिए प्रेरित करते हैं तो ऐसी इन कम्पनियों पर भी अंकुश लगाने की भी आवश्यकता है।

मेरा निवेदन है, आप यह जो कार्य हैं उनको गति से कराएं क्योंकि अभी हमारे को जो पानी पड़ा हुआ मिल रहा है वो एक लाख मिली लीटर मिल रहा है जबकि हमें 6 लाख किलोलीटर पानी की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अब गर्मी आ गयी है। पिछली गर्मी के अन्दर हमारे जो थोड़ा-बहुत पानी आ रहा था उसको आपने टैस्टिंग के लिए फतेहपुर को दे दिया। उस कारण से पिछली साल हमारे क्षेत्र के वासियों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और अब फिर गर्मी वापस आ गयी है, आज भी हालात वो के वो हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपणी योजना के अलावा, हमारी पुरानी जो स्कीम हैं, उस स्कीम में हमारे जो ट्यूबवैल पड़े हैं, वो ट्यूबवैल बंद हो गये हैं या उसका पानी नीचे चला गया है तो उसके लिए आप नये ट्यूबवैल दें। फैल्योर ट्यूबवैल के अगेंस्ट में हमने 46 ट्यूबवैल मांगे थे, उसमें से 23 ट्यूबवैल दिये थे, उसमें 16 ट्यूबवैल अभी भी बनने बाकी हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे 40 ट्यूबवैलों के और प्रस्ताव भी पड़े हैं तो उनको आप स्वीकृति दे दें ताकि इस गर्मी में हमें फैल्योर ट्यूबवैल के अगेंस्ट में कुछ ट्यूबवैल मिल जायेंगे तो हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो पायेगा।

इसके साथ-साथ, इस आपणी योजना के कारण से जो गांव वंचित हैं, जहां टेल के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी गर्मी में अभी से आप अगर टैंकर की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहां हमारी हालत और ज्यादा खराब हो जायेगी इसलिए हमें वहां पानी की व्यवस्था कराने के लिए आप टैंकर की व्यवस्था भी कराएं। यह मैं आपसे विशेष तौर से कहना चाहूंगा।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, आपणी योजना के अन्तर्गत जो काम धीमी गति से हो रहा है वो तो है ही, लेकिन यह जो आपकी रीजनल स्कीम है,

(श्री खेमाराम)
उस स्कीम के अन्तर्गत भी हमारे बहुत सारे गांव हैं, अभी उन गांवों को जोड़ने में साल-डेढ़ साल लगेगा, तब तक आप नया बजट हमारे को दे नहीं रहे हो। यह कह रहे हो कि हमने इसको दे दिया इसलिए नया बजट मिलेगा नहीं जबकि हमें नये ट्यूबवैलों की आवश्यकता है इसलिए आप हमें कम से कम 15 ट्यूबवैल नये और दें ताकि जहां हमारा निजी सोर्स है, वहां नये ट्यूबवैल बना करके और क्षेत्र को पानी दिलाया जा सके। यह मैं आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा।

यह जो आपने कम्पनियों की 16.08.2016 को तारीख बढ़ा दी, 31 दिसम्बर, 2016 को तारीख बढ़ा दी, 31 मार्च, 2017 को और तारीख बढ़ा दी, अब वो और मांग रहे हैं सितम्बर, 2017 तक बढ़ाने की, बार-बार इनकी तारीखें बढ़ा-बढ़ा कर और जनता वहां पानी के लिए किस तरह से तरस रही है, इसके लिए आप विशेष तौर से ध्यान फर्मायेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा, आपणी योजना के गांवों के अन्दर जो पाइप लाइन डाल रहे हैं यह पाइप लाइन डाल करके भूल जाते हैं और जो खड्डे सड़कों पर पड़े हैं, उन खड्डों की हालत इतनी खराब हो गयी है कि वहां साधन जा नहीं पा रहे हैं। गांव के अन्दर और शहर के अन्दर, मेरे सुजानगढ़ और बीदासर में अभी भी 50 परसेंट से ज्यादा सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। यह कम्पनी का दायित्व है। उसमें लिया हुआ है लेकिन कम्पनी वाले काम नहीं कर रहे हैं, उसके कारण से अधिकांश रोड़ें तोड़ दी गयी हैं, उन रोड़ों को रिपेयर करने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में आपने पांच आर.ओ. प्लांट दिये थे। ये पिछले बजट में दिये थे। आज की तारीख में वो पांचों आर.ओ. प्लांट का पानी हमारे को नहीं मिल रहा है। इतनी धीमी गति से अगर आपके ये काम होंगे तो आने वाले समय में हमने आपसे और आर.ओ. प्लांट मांगे हैं, उनका पानी कब मिलेगा? मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इन आर.ओ. प्लांटों को तुरन्त चालू करायें और जो आर.ओ. प्लांट सैंक्शन किये हैं उनको तुरन्त करायें। किस वजह से इतना डिले क्यों हो रहा है? गर्मी चली जायेगी उसके बाद में आप आर.ओ. प्लांट

(श्री खेमाराम)
को चालू कर के देंगे तो जनता को क्या लाभ मिलेगा? तो मेरा निवेदन यह है कि आप इसमें विशेष तौर से गौर फरमाएं।

हमारे जो जी.एल.आर. और एस.आर. बनी हुई हैं, उनको भी ठीक करने का काम इस कम्पनी को, जो आपणी योजना में कम्पनी है एल.एण्ड टी. कम्पनी है, इनको ठेका इसके साथ दिया हुआ है, उनकी भी रिपेयर करवाइये। आज भी उनके डोम टूटे हुए पड़े हैं। डोम टूटने के कारण से वहां इतनी सारी गंदगी पड़ी है तो वह पानी पीने के लायक है नहीं। आप उनसे इन जी.एल.आर. और एस.आर. की मरम्मत करवाइये।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि आपने घोषणा की थी कि घर-घर कनेक्शन देंगे। पांच हजार या तीन हजार से ज्यादा आबादी वालों को, तो अभी जो लाइन डल रही है वो तो पीएसयू और आपकी उसी की लाइन डल रही है, तो मैं चाहूंगा कि यह जो हमारे बड़ी पंचायतें हैं, जहां पांच हजार की आबादी से ज्यादा के गांव हैं, उनको आप घर-घर कनेक्शन की योजना के साथ में जोड़ें ताकि इन गांवों को भी लाभ मिले।

विशेष तौर से मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही शानदार योजना लागू की लेकिन इसकी मोनीटरिंग सही ढंग से हो, इसकी आप पुख्ता व्यवस्था करें क्योंकि जब प्लान बनाते हैं तो यह तालाब जिस ढंग से बनाते हैं उस तालाब का मेरा विशेष निवेदन यह है कि इसमें बनाते समय यह ध्यान रखें कि पानी आयेगा कहां से? धोरों के अन्दर आप यह बना देंगे तो पानी कहां से आयेगा? पानी के साथ में रेत आकर के पूरा भर जायेगा, तो विशेष तौर से यह इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47 पर माननीय सिंचाई मंत्री से मेरा निवेदन है कि मैं खाजूवाला और उधर कोई कार्यक्रम में गया था। वहां के किसान मुझे मिले थे तो किसानों की यह मांग थी कि वहां जो खाले हैं, वो मुरब्बों के खाले हैं लेकिन लग नहीं रहे हैं, जो बहुत साल पहले खाले बने थे वो खाले टूट गये हैं। उनको या तो रिपेयर करायें या जहां खाले नहीं लग रहे हैं वहां उनके अगर ये नये खाले बन जायेंगे तो इतना जो पानी वैस्ट जा रहा है, नहर का पानी अगर कच्चे में कच्चे खाले से जा रहा है और उसका पानी बहुत

(श्री खेमाराम)
ज्यादा वैस्ट हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर भी उन किसानों का ध्यान में रखते हुए, उन नहरी मुरब्बों को आप खालों से जोड़िये, पक्के खालों से जोड़िये और जो खाले टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत कराने का भी आप काम करेंगे।

इसी के साथ, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सुजानगढ़ में नगर परिषद में अमृत योजना का कार्य चल रहा है। इस अमृत योजना के कार्य में सीवरेज-ड्रेनेज के साथ आपणी योजना का कार्य भी अगर कर दें तो बार बार आपका सड़कों का तोड़ना, यह इस तरह का कार्य होगा तो हमारी बड़ी समस्या होगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आपकी इस योजना का भी साथ-साथ में काम हो जाए। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री गोपाल कृष्णजी।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज तो मुझे बोलने का जल्दी समय मिल गया।

आज मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर चर्चा हो रही है, पेयजल और इन्दिरा गांधी नहर पर तो सवाल यह होता है कि किस पर पहले बोला जाए। पानी जीवन है, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्य के लिए भी और पृथ्वी के लिए भी, धरती माता के लिए भी। धरती माता की जरूरत ज्यादा है, मनुष्य की भी जरूरत ज्यादा है लेकिन फिर भी जिसकी ज्यादा जरूरत है उस पर बोला जाए The need is greater than mine. जिसकी जरूरत ज्यादा है उस पर बात है। पानी की जरूरत ज्यादा है और पानी आईजीएनपी देती है। आईजीएनपी राजस्थान के लिए एक तरह से गंगा है। जिस तरह से गंगा के रास्ते में जो-जो शहर आ गए, जो जगह आ गई, वह फलीभूत हो गई और निहाल हो गई। गंगा पवित्र है। इसी ढंग से हमारी यह आईजीएनपी भी गंगा की तरह पवित्र है क्योंकि इसके नीचे सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी के बहने की वजह से हमारी यह आईजीएनपी पवित्र गंगा बन गई।

(श्री गोपाल कृष्ण)

सभापति महोदय, आज हमारे इस एरिये में लहलहाते खेत हैं। कभी इस एरिये में एक तिनका भी पैदा नहीं होता था। रेत ही रेत थी और उस रेत में अगर आदमी कहीं गुम हो जाए तो मर के ही निकलता था। ऐसी स्थिति भी थी। लेकिन अब जब हम लहलहाते खेतों को देखते हैं और जिस ढंग से आज यहां खेती होती हैं तो राजस्थान सफिसिएंट इन प्रोडक्शन, ना केवल सफिसिएंट है बल्कि बाहर भेजने के लिए भी पर्याप्त है।

सभापति महोदय, जब मैं कश्मीर में गया था तो वहां एक जगह लिखा हुआ था। उसी ढंग से जब मैं यहां लहलाते हुए खेतों को देखता हूं तो मुझे वह शेर याद आता है, 'गर फ़िरदौस बर रुए ज़मीं अस्त, हमीं अस्त, हमीं अस्त, हमीं अस्त'। "अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है।" यह हमारी जन्म भूमि भी है और फिर लहलहाती हो गई जहां पहले रेत ही रेत थी। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। यह उसी के करीब-करीब ही है। इसको जब देखते हैं तो मन नहीं चाहता कि यहां से हट जाएं।

Robert Frost की एक कहावत है। उसने भी, “The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep.” जब वह घने जंगलों को देखता है तो उसका मन यह रहता है कि अब इसको छोड़कर के जाएं नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद ध्यान में आता है कि मुझे अभी बहुत दूर जाना है और जो promises हैं उनको पूरा करना है। उसी ढंग से हम जब इन लहलहाती फसलों को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है।

सभापति महोदय, लेकिन मैं आपको एक चीज निवेदन करुंगा कि हम इस पानी को कई जगहों पर वैस्ट कर रहे हैं। We are watering the field not the plants. पानी हम खेत के मैदान में छोड़ देते हैं। पानी को एक तो हम खेत के मैदान में छोड़ दें और एक बूंद-बूंद करके छोड़ें। इसमें बड़ा फर्क है। We are not planting, We are not watering the plants. अगर हम प्लांट्स को पानी दें तो निश्चित रूप से अभी जितनी पैदा होती है उससे बहुत ज्यादा पैदा होने की जरूरत है, और पैदा होगी। फव्वारा पद्धति, बूंद-बूंद पद्धति को बढ़ावा देने की जरूरत है। माननीय

(श्री गोपाल कृष्ण)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करुंगा कि इसको करना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरा यह कि पंजाब और हरियाणा से जो पानी आईजीएनपी में आता है, वह पानी फैक्ट्रीज, वैस्ट वाटर, जहरीला और केमिकल मिला हुआ और रोग के कीटाणुओं से भरा हुआ आता है। हमारे लोग उसी को पीते हैं। इसको पीने से बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है। बहुत सारे रोग होते हैं। इसकी रोकथाम आप किस ढंग से करेंगे, यह आपके सोचने की बात है। इसको किस ढंग से बंद किया जाए या इनको पहले फिल्टर किया जाए। इसको करना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, इसके अलावा, आईजीएनपी के परिसर के अंदर डेली तलाई सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल चल रहा है। यह 25-30 साल से चल रहा है। पुरानी बिल्डिंग होने के कारण से इसकी दीवारें जर्जर हो गई हैं। छतों के चूने के कारण से बरसात में बच्चों को अनचाहा स्नान करना पड़ता है और किताबें आदि भीग जाती हैं। लोग इसमें समारोह आदि में भी बैठ नहीं सकते हैं। इसको आप या तो अपनी तरफ से बनवाएं या किसी एजेंसी को दे दें। किसी को गोद दे दें। एमएलए लैड से भी पैसा दिया जा सकता है तो आप हमारे में से किसी से कहें तो हम उसके पैसे लगाकर उसको ठीक करवा सकते हैं लेकिन इसको किसी न किसी तरीके से ठीक करवाना बहुत जरूरी है। इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, मैं एक बात और इस मामले में कहना चाहूंगा। यह जो 12 डीजेएम है, 12 धनजी माइनर, इसके अंदर जो पानी आता है वह तो थोड़ा-सा धीरे-धीरे आता है और इसके पास में ही 11 डीजेएम है, उसमें बड़े जोरों से पानी आता है। यह इंतजाम किसने कर रखा है, यह तो पता नहीं? किसी और ने कर रखा है या आपके लोगों ने कर रखा है? अगर यह आपके ध्यान में नहीं है तो मैं अब आपके ध्यान में ले आता हूं, इसको जरा ठीक कीजिए। सबको पानी बराबर-बराबर मिलना चाहिए। आईजीएनपी के बारे में तो मैं इतनी ही बात कहूंगा।

सभापति महोदय, पेयजल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पानी जीवन

(श्री गोपाल कृष्ण)

है। शहरों में रहने वालों के लिए भी पानी जीवन है। मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया था कि करणीसर, बीकानेर के अंदर दुधारू पशु भी रहते हैं और जनसंख्या भी बहुत है। पहले यह स्थान कोलायत क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन डीलिमिटेशन के बाद में यह बीकानेर पश्चिम के साथ जुड़ गया। इसमें पानी, डिस्पेंसरी आदि की दिक्कत है। अगर आप एक वाटर हैड टैंक यहां बनवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, नत्थूसर गेट के पास, बीकानेर के अंदर ढलान होने के कारण से जो पानी पीछे से आता है, वह आगे चला जाता है। यहां रुकता नहीं है। वहां पर भी लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। बिजली चली जाती है तो पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। इसके समाधान के लिए जनरेटर्स क्यों नहीं लगा दिए जाएं? मेरा निवेदन है कि जनरेटर्स लगाएं ताकि पानी की सप्लाई तो अवरुद्ध नहीं हो। ऐसा काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, पानी की टंकियां पुरानी हैं। इनकी सफाई लास्ट बार कब हुई थी और अब कब होगी, इसका पता नहीं लगता है। उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता कि अब सफाई हो गई और अब सफाई होने वाली है। सफाई नहीं होने से लोगों को गंदा पानी पीने को मिलता है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जीर्ण-शीर्ण अवस्था के अंदर जो वाटर हैड टैंक हैं, उनको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

सभापति महोदय, मेरा दोनों मंत्रियों से यही निवेदन है कि इन सब चीजों को आप देख लीजिए और चाहे आईजीएनपी हो और पीने के पानी की टंकियां हों, इनको ठीक कराइए ताकि वहां के लोग आपको याद रखें कि आपके मंत्रित्वकाल में यह ठीक हुए हैं। हम लोग आईजीएनपी का भी गंदा पानी नहीं पीएं। उसमें भी अच्छा, स्वच्छ पानी पीएं। बीकानेर में भी इसी तरह से साफ, अच्छा पानी पीने को मिले। इसी के साथ आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। श्री कन्हैयालालजी।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री कन्हैयालाल)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे क्षेत्र में, जो 40 साल पुरानी पेयजल की लाइन थी, इसके लिए टोड़ारायसिंह कस्बा, डिग्गी, चानसेन, लावा, पचेवर, सोढ़ा, नगर, लांबा हरिसिंह, पोलियाबासू इन गांवों में लगभग 25 करोड़ की स्कीमें सैंक्शन कीं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे टोड़ारायसिंह कस्बे की पाइप लाइन का पिछले साल 7 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। अभी तक अधिकारियों की वजह से उसका टेंडर भी नहीं लगाया गया है। उसका जल्दी से टेंडर लगाया जाए जिससे वहां पानी की समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, दूसरा चार हजार की आबादी वाले दो बड़े गांव मेरे क्षेत्र में बचे हुए हैं, जिसमें से एक तो ब्रजलाल नगर है, जिसकी आबादी इस वक्त लगभग 10 हजार से ज्यादा की है और एक टोड़ी गांव है, उसकी भी इस बजट में सैंक्शन करने की कृपा करें जिससे वहां की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सके।

तीसरा, जिस तरह से बीसलपुर प्रोजेक्ट में पहले मेरा मालपुरा, टोडारायसिंह क्षेत्र जोड़ दिया गया था, जिसमें से दो राजस्व गांव, एक तो अजीतपुरा और एक जाजमों की ढाणी, वह भी बच गए थे, उनको भी इस बजट में जोड़ें। मेरे पूरे क्षेत्र में बीसलपुर का पानी पहुंच चुका है। जब इन गांवों में जाते हैं तो वह कहते हैं कि हमने कौनसा गुनाह किया है जो यह गांव छूट गए। इसमें आप यह देखें कि वह गांव किस वजह से छूट गए हैं।

सभापति महोदय, एक समस्या आ रही है, वह यह है कि बीसलपुर परियोजना से जो पानी दिया जा रहा है उसमें 34 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन की है। कहीं भी स्कूलों की गणना नहीं की गई है और न ही किसी हॉस्पिटल की गणना की गई है।

इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में इस बार इतना बड़ा अकाल है कि तालाबों में कहीं पानी नहीं है और जानवरों को पानी पिलाने के लिए न तो बीसलपुर से पानी मिलता है न कोई हैंडपम्प लगाए जा रहे हैं। पिछली बार भी हमारे यहां बोरिंग सैंक्शन किए थे, उनको इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि यहां

(श्री कन्हैयालाल)

पर आलरेडी बीसलपुर पेयजल से जुड़े हुए हैं जबकि जानवरों के लिए पानी हेतु बीसलपुर के लिए कोई गणना नहीं की गई है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल अप्रैल से ही इतना बड़ा पानी का संकट आ रहा है कि जानवर कहां पानी पीएंगे, किसान बहुत परेशान है तो वहां इस बार लगभग सौ-डेढ़ सौ पम्प और बोरिंग की व्यवस्था करें और साथ में पानी के टैंकर भी लगाना पड़ें तो वह भी व्यवस्था करें जिससे जानवरों का पलायन रुक सकें। लेकर भी जाएं तो किस जगह पर लेकर जाएं?

इसके साथ-साथ बीसलपुर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा क्योंकि एक गांव में दस या बारह पांइट लगते हैं या बीस पाइंट लगते हैं तो एक वीटीसी पाइंट बनाया जाता है। वीटीसी पाइंट से किसी एक पाइंट का भी पानी का बिल जमा नहीं कराते तो सारे ही पाइंटों के पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पांइट के पैसे नहीं दे रहे हैं तो उस पांइट का ही कनेक्शन काटें, न कि पूरे गांव का कनेक्शन काटें। इसकी वजह से मेरे लगभग इस वक्त पचास या साठ गांवों का पानी बंद रहता है। एक आदमी कोई बदमाशी करता है तो उसका पानी काटा जाए, न कि सबके पानी की कटौती की जाए।

मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 46, सिंचाई के लिए भी माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी बरसों से चालीस साल से मांग थी, मेरे हातीगरला एनीकट का, उसके लिए सात करोड़ रुपये का बजट दिया।

इसके साथ-साथ जिस तरह से पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2003-2008 के बीच तो हमारे काफी किसानों ने आंदोलन किया था टोडीसागर में पानी डालने के लिए बीसलपुर के ओवरफ्लो का। इस बार पिछले तीन-चार साल से देखते हैं तो एवरेज तीन साल से हमारा बीसलपुर का डैम पानी से भरा है। इस बार तो इतना पानी वैस्टेज गया है कि मेरे मालपुरा क्षेत्र में अकाल पड़ा और पानी एक भी तालाब में नहीं है। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके तो बारिश खूब हुई है। बीसलपुर का डैम बारिश से भर गया और वह चला है जबकि

(श्री कन्हैयालाल)

स्थिति यह है कि चित्तौड़ साइड में बहुत बारिश हुई है, इस वजह से बीसलपुर में पानी आया था जबकि मेरे क्षेत्र में बहुत कम पानी आया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पानी वैस्टेज जाता है, उस पानी को भी टोडीसागर, मासी में डाला जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को कि इन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत मेरे टोडीसागर और मासी बाँध को जोड़ा है। बाकी दूसरी जगह तो स्कीम में लिफ्ट के तहत पानी आएगा पर इनमें तो फ्लो से पानी आएगा, तो इसमें फर्स्ट फेज में इसको टोडीसागर से और मासी से जोड़ दिया जाए तो पहली बार में भी हमारा जो डैम भरेगा तो पहली बार में, हमारे किसानों को जल्दी ही इसका बेनेफिट मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ग्राम पंचायतों के सारे तालाब सिंचाई विभाग से ग्राम पंचायतों में ट्रांसफर हो गए थे। अब धीरे-धीरे उनकी स्थिति यह हो गई कि अच्छी बारिश हो गई तो सबमें पाइपिंग होकर सारे के सारे बाँध टूटेंगे। उनके ऊपर भी चाहे जायका से, चाहे कहीं से भी फंड से पैसे की व्यवस्था करके उनकी मरम्मत की व्यवस्था कराई जाए जिससे आने वाले टाइम में वह तालाब सुरक्षित रह सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में दो-तीन तालाब जो सिंचाई विभाग में है, एक तो मेरे केरावल सागर है, लाम्बा हरिसिंह है, एक देशमी में छोटा सा एनीकट है, इनको सैंक्शन करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इनको भी दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इस मांग संख्या 27 और 46 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, बाबू सिंहजी।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। 'जिणरो जस नर-नारी गावे, जिन पर देव रमण न आवे, वा धरती धोरां री'

माननीय सभापति महोदय, वास्तव में राजस्थान एक मरुस्थलीय इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है और यहां सात सालों में एक बार जमाना आता है और एक बार अकाल की बारी पड़ती है। जब भी बारिश पड़ती है तो धोरे

(श्री बाबू सिंह)

पानी को सोख लेते हैं और वह रिचार्ज होता नहीं है जिसके कारण पानी की भयंकर समस्या रहती है। मैं आज खास तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी आदरणीया वसुन्धराजी को, उन्होंने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चलाया। उस अभियान में पोखर, बावड़ी, टांकों, नालों का निर्माण, खालों का निर्माण, बहुत ही अभिनव प्रयोग इसमें हुआ और नवाचार हुए जिससे पानी का बचाव हुआ और मैं कह सकता हूं कि ऐसे मरुस्थलीय इलाके जहां पर पानी की बड़ी भयंकर समस्या है और हमारे पुरखे भी पानी पर निर्भर रहते थे और टांकों पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते थे। इस अभियान में टांके बने और जितने टांके बने हैं, उन टांकों के अंदर वास्तव में एक बारिश में पानी आ गया और वह पानी छह महीने तक काम आता है और जब यह अभियान चला तो उससे हम भी प्रभावित हुए और विधायक कोष से हमने नरेगा में डवटेल करके वहां 500 टांके बनाए। 500 टांके धोरों पर बने तो वास्तव में पहली बार जब उद्घाटन करने एक धोरे पर गया तो वह कहते थे कि यहां टैंकर नहीं आता था और यह जो मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना में टांके बने और आपके विधायक कोष से डवटेल होकर टांके बने, वह एक ही बारिश में पानी में भर गया और पानी भरने से वहां पानी पीने के लिए भी काम आया। पास में उन्होंने उस बारिश के पानी से सब्जी भी उगाई तो यह वास्तव में ऐसा अभिनव प्रयोग हुआ है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि एनआरईडब्ल्यूपी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंदर जो पैसा आ रहा है, अब यह वृहत जल प्रदाय योजनाएं बन रही हैं लेकिन टैल एंड तक वह पानी पहुंचता नहीं है और बीच में अवैध कनेक्शन हो जाते हैं और पानी नहीं पहुंचता है। जब यह योजनाएं बनाएं तो टांका और टांकों के साथ में आगोर और उसको पाइप लाइन से जोड़ें। कभी-कभी पाइप लाइन से पानी नहीं पहुंचेगा तो बारिश होगी तो बारिश के साथ टांकों का आगोर होगा और उसका कैचमेंट एरिया बनाया होगा तो पानी जो आएगा, वह एक पानी में पचास हजार लीटर पानी भर जाएगा। उससे आसपास की पाँच-सात ढाणियों में एक साल के लिए वह पानी काफी होगा। इसलिए टांकों का निर्माण आपको निश्चित रूप से कराना चाहिए।

(श्री बाबू सिंह)

पहली बार हमने भी हमारे शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एनआरईडब्ल्यूपी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में ऐसे टांके बनवाए और वह पचास-पचास हजार लीटर के टांके बनवाए और वह वास्तव में पाळर जो बारिश का पानी है वह पानी नहीं अमृत है और उस पानी को पीकर ही वहां के, मारवाड़ के लोगों ने सौ साल तक जिंदगियां जीयी हैं और वह स्वच्छ पानी पीया, जो बारिश का पानी है। न तो उसमें नाइट्रेट है, न हाईट्रेट है, न फ्लोराइड है। इतना अमृत पानी है तो हम चाहेंगे कि बारिश का पानी हम संग्रहित करें और इसके लिए हम योजनाएं तैयार करें जिससे आने वाले समय में पेयजल की समस्या न रहे। कहा गया कि तीसरा विश्वयुद्ध होगा तो वह पेयजल को लेकर होगा तो राजस्थान के अंदर कम से कम यह समस्या हमारे सामने नहीं आए, इस प्रकार से यह काम हमें करना चाहिए। यह मेरा खास तौर से आपसे निवेदन रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, उसके अलावा, वास्तव में हमारे यहां मारवाड़ में पानी महंगा होता है और घी सस्ता होता है। कई बार मारवाड़ को जब आप देखने जाएंगे तो चाहे जल चेतना यात्रा देखी, चाहे और यात्राएं देखीं, वहां पर दो टांके रखते हैं। एक तो खारे पानी का और दूसरा मीठे पानी का और कभी नहीं भूलते कि जब भी हाथ धोना होता है तो खारे पानी का और पीने के लिए मीठे पानी के टांके का उपयोग करते हैं। वह वास्तव में इस पानी के बारे में इतना महत्व है। अब आप देख रहे हैं कि बिहार में, तमिलनाडु में जम्मू-कश्मीर में, वहां की नदियां उफान पर है, माननीय मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी भी विराजे हैं और आप भी विराजे हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सोच थी। वर्तमान के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाईजी, भाई साहब, मोदी साहब की भी सोच है तो नदी से नदी जोड़ने का यह काम किया जाना चाहिए और खास तौर से मारवाड़ में और पश्चिमी राजस्थान में जो सरस्वती नदी का प्रचलन है, उसकी खोज करके जहां सरस्वती नदी बह रही है, कई किसानों ने कई स्थानों पर ट्यूब वैल खुदवाए तो बगैर पम्प लगाए इतना प्रेशर है पानी का कि वह पानी खोदते-खोदते अपने आप ही ऊपर आया है। ऐसे स्थानों पर आप खूब सारे ट्यूब वैल

(श्री बाबू सिंह)

खुदवाएं और उनको पम्पिंग करें और पम्पिंग करके इस पानी को इस इलाके के पीने के लिए अगर लेंगे तो यह खास तौर से बहुत शानदार काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पुरखों ने गांव के अंदर बावड़ियां भी बनवाई, पोखर भी बनवाए, कुए भी बनवाए। यह गांव के अंदर कुएं बने हुए हैं, वह सरकारों के नहीं बनाए हुए हैं। गांव के लोगों ने अपने खून का पसीना करके वहां कुए बनाए। अब वह पुराने जो कुएं थे, वह उसी का उपयोग करके पानी पीते थे। अब उन कुओं के अंदर कचरा आ गया, बहुत लम्बे समय से आंधियां चलती है, वहां कीचड़ हो गया। हम चाहेंगे कि ये कुएं वैसे भी जनता जल योजना से चल रहे हैं तो खास तौर से जो हमारे पुराने कुएं हैं, उन सारे कुओं के लिए आप ऑग्मेंटेशन स्कीम बनाएं और उन स्कीमों में बोरिंग भी करें, कचरा भी साफ करें और खास तौर पर आप उन कुओं पर सोलर पम्प लगा दें। सोलर पम्प की वजह से वह कुएं सारे चलेंगे और जो हमारे पुरखों के बनाए हुए कुएं हैं उनका उपयोग भी सही ढंग से हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जहां खारा पानी था, आपने एक अभिनव प्रयोग करके गांव-गांव में, बड़े पंचायत मुख्यालयों पर आरओ प्लांट लगाएं हैं और उनके माध्यम से खारा पानी मीठा होकर गांव के लोगों को दस पैसे प्रति लीटर में पानी मिल रहा है। हम वास्तव में बड़ा उसका स्वागत कर रहे हैं, कई जगह हमने भी उनके उद्‌घाटन किए हैं। वह आरओ प्लांट चल भी रहे हैं। ऐसे आरओ प्लांट जहां तालाब हैं, उन तालाबों के कैचमेंट के पास में दो सौ फुट का अच्छा बोरिंग कर देंगे तो उसमें जो पानी रिचार्ज होता है उसमें मशीन लगा दें और उस तालाब के पानी को उस आरओ प्लांट के अंदर लाकर फिल्टर करके फिर लोगों को पीने के लिए मिलेगा, इसलिए यह काम भी करें।

(16.00 बजे)

खासतौर से मैं जोधपुर के लिए कहना चाहूंगा कि जोधपुर में वास्तव में लोग पानी नहीं होता तो पलायन कर जाते है और यह नहर का पानी आने की वजह से आज जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट के माध्यम से जोधपुर में पानी लाया गया था।

(श्री बाबू सिंह)

जब यह लिफ्ट नहर आई थी, उसमें एक फेज और दो फेज बने तो उनकी जो डिजाइन की गई थी वो 2016 के लिए की गई थी। उस समय करीबन हमारी 13 वृहत परियोजनाएं बन चुकी थीं। उन योजनाओं के साथ-साथ आप देखेंगे कि आगे और योजनाएं बनीं, 1500 गांव जुड़े और 4 बड़े शहर, ये बिलाड़ा, पीपाड़, समदड़ी, जोधपुर, ये सारे शहर जुड़ गये और शहर जुड़ जाने के बाद में अब यह 2016 की डिजाइन भी खतम हो गई तो आने वाले समय में हमारे यहां पानी का भयावह संकट आ रहा है। हमने डी.पी.आर. के लिए भी बार-बार मांग की है और मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि डी.पी.आर. बनाकर आपकी स्कीम स्वीकृत करेंगे तो जल्दी वह डी.पी.आर. आ जाए और स्कीम स्वीकृत हो जाए जिससे जोधपुर के अन्दर पेयजल संकट नहीं रहे क्योंकि पिछली बार जब 2008 से 2013 के बीच कांग्रेस की सरकार रही, उस समय हमारे जोधपुर के ही मुख्य मंत्री थे। अगर उन्होंने प्रयास किये होते तो आज ये हालात नहीं होते। लेकिन उन्होंने प्रयास किये नहीं, इसलिए हम हमारी सरकार से मांग करते हैं कि अब यह आगे वाली डिजाइन बनाकर, तीसरा फेज इसका सैंक्शन करें जिससे जोधपुर में जो पेयजल संकट आ रहा है, वो दूर हो सके।

जोधपुर जिले के लिए हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी जब 2003 से 2008 में मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने करीबन 11 योजनाएं मारवाड़ के लिए सैंक्शन कीं, हमारे जोधपुर के लिए सैंक्शन कीं। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उन योजनाओं को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। साथ ही 67 योजनाएं उन्होंने बनाई पर उनको बनाकर बजटीय प्रावधान किया नहीं और यहां बजट में 67 घोषणाएं की थीं वृहत् परियोजनाओं की, जिसके लिए आज भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और सदस्य बोलते हैं कि हमारे राज में योजनाएं जो स्वीकृत थीं वो काम कराये जाएं। जो भी योजना बने उसका बजटीय प्रावधान हो और उसके बाद में टाइम बाउण्ड, समयबद्ध तरीके से काम हो।

मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि 2014-15 के अन्दर मेरे यहां शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भी जो 11 योजनाएं 2006-07 में स्वीकृत हुई थीं उनमें दो योजनाएं थीं। उन योजनाओं में 2014-15 में आरडी 159,

(श्री बाबू सिंह)

जोधपुर जिले की 12 योजनाओं के लिए 2015-16 में आरडी 134 जो देवानिया-छाबा स्कीम है जिसमें 284 गांव हैं उसके लिए और 12 योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया और उन्होंने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर हम आपको बजट देंगे और इसी वित्तीय वर्ष में पानी पहुंचेगा। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो वर्षों से अटकी पड़ी योजना थी, उनके लिए बजट में प्रावधान करने के बाद, हमारे 284 और 77 गांवों में पानी पहुंचा और जिले की 12 योजनाएं भी पूरी हुईं, इसके लिए हम आभारी हैं तो काम ऐसे होना चाहिए कि बजटीय प्रावधान भी हो और कथनी-करनी में कोई फर्क नहीं हो और पेयजल का काम हो, तब जनता का भरोसा वास्तव में सरकार के प्रति रहता है और सरकार के प्रति इकबाल रहता है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी योजनाएं हैं आरडी 134 और आरडी 159, जब भी आप वृहत् जलप्रदाय योजनाएं बनाते हैं तो उन योजनाओं में राष्ट्रीय पेयजल सर्वे, 2003 के अनुसार उन सारी ढाणियों को शामिल करके योजना बनाते हैं और उसके साथ-साथ ढाणियों तक पानी जाता है। लेकिन हमारे जो ये योजनाएं बनाईं गई, ये 2001 के जो गांव थे उनको और उसके बाद कुछ घोषित हुए उनको लेकर योजना बनी तो राजस्व गांवों के लिए तो योजना बन गई लेकिन राष्ट्रीय पेयजल सर्वे, 2003 में जो चयनित ढाणियां थीं उनको शामिल नहीं किया गया। अब गांव मुख्यालय पर वीटीसी बन गई, वीटीसी में पानी चला गया लेकिन वीटीसी से आगे पानी गया नहीं। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से मांग करूंगा कि जो वीटीसी बनी है उस वीटीसी का हम क्या उपयोग करें? पानी तो वीटीसी में आ गया लेकिन गांव के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए पहले से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी है और हमने उन विदिन विलेज जो साधन पी.एच.ई.डी. के बने हुए हैं, जीएलआर बने हुए हैं टांके बने हुए हैं, जो हमने एम.एल.ए. कोटे के बनाये हैं तो उनको जोड़ने के लिए और गांव में पाइप लाइन बिछाने के लिए 33 करोड़ की एक स्कीम बनाकर भेजी कि इसकी टीएस कर दो तो यह जो पानी गांव में आया है इसका उपयोग हो

(श्री बाबू सिंह)

जाए, पर अभी तक वो तकनीकी स्वीकृति नहीं निकली है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पहले 234 करोड़ रुपये की निकली हुई है, खाली तकनीकी स्वीकृति आपको देनी है जिससे 284 गांव के लोगों को लाभ मिले। 284 गांवों में पानी पहुंचा लेकिन गांव के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ें।

इसके साथ ही, जो आरडी 134 हमारी बनी, उसमें 45 गांव आज भी वंचित हैं, आरडी 159 में 50 गांव वंचित हैं। तो जो गांव वंचित हैं उन गांवों की भी स्कीम बनाकर इसको जोड़ दें क्योंकि पानी पहुंच गया है और सिस्टम सारा वहां बन गया, ओवरहैड टैंक वगैरह बन गये, सारा काम हो गया और अब तो खाली गांवों के लिए पाइप लेकर उस मुख्यालय पर वीटीसी बनाकर आगे पानी पहुंचाना है तो यह मेरा खास तौर से निवेदन रहेगा।

साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, यह जो अपनी टेंडर प्रक्रिया है, अब कई बार, जब हम पहली बार एम.एल.ए. बनकर आये थे तो उस समय आग्मेंटेशन स्कीम होती थी, कंटींजेंसी का पैसा गर्मियों से पहले आता था। उसमें साल भर का टेंडर होता था कि एक साल में यह हैण्डपम्प रिपेयर का ठेका होगा, पाइप लाइन लगाने का होगा, जीएलआर बनाने का होगा, क्षतिग्रस्त जीएलआर का होगा, सफाई का होगा, अवैध कनेक्शन काटने का होगा। वो भी और उसके साथ-साथ जो हमारे अधिकारी थे, उनमें मुख्य अभियंता को 15 लाख का पावर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता को 8 लाख का पावर वित्तीय स्वीकृति करने का होता था और एस.ई. को उससे नीचे का पावर होता था। अब वहां छोटे-छोटे काम कि वहां वाल्व नहीं मिल रहे हैं, वहां पाइप नहीं मिल रहे हैं, अगर थोड़ा एक पाइप 10 मीटर का लगाना होता है तो वो भी योजना बनाकर यहां जयपुर भेजो और वहां से परमिशन आये उसके बाद में हो तो ये आग्मेंटेशन, जो छोटी-मोटी स्कीम्स हमारी हैं, पम्प बदलना है, केवल बदलना है, कोई जी.आई. पाइप है, पानी गहरा चला गया तो दो पाइप और डालने हैं, उसके अन्दर हमें स्टार्टर लगाने हैं तो ये छोटे-मोटे स्कीमों में काम हैं, इन कामों को भी सैंक्शन कराने के लिए जयपुर स्कीम आती है तो कम से कम जिला स्तर पर आप ऐसे अधिकार,

(श्री बाबू सिंह)

जो पहले दिये गये थे, इस प्रकार से पावर्स दे देंगे तो ये छोटी-मोटी जो हमारी स्कीम्स हैं, वो अतिरिक्त मुख्य अभियंता और एस.ई. लेवल पर निकल जाए तो पानी की जो समस्या है उसका समाधान हमारे वहां हो सकता है।

दूसरा, यह जो हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चलता है, यह हैण्डपम्प मरम्मत अभियान अधिकतर कागजों में ही चलता है। धरातल पर सही ढंग से विभाग के पास यह सूची भी नहीं है कि एक पंचायत के अन्दर कितने हैण्डपम्प हैं, कितने खराब हैं, कौनसे नकारा हो गये। वो भी सूची नहीं है और अगर है तो आप जरूर बतायें कि इतने पंचायतवाइज हैं। इनकी सूची बननी चाहिए, नाकारा हैं तो उनका सर्वे करो कि अगर वास्तव में वहां पानी है तो वापस खोदें, खराब हैं तो ठीक करें। अब हैण्डपम्पों में भी क्या होता है कि हैण्डपम्प के अन्दर ओ. एण्ड. एम, संचालन एवं संधारण, उसके रखरखाव का ठेका नहीं होता इसलिए हैण्डपम्प तो खोद दिया और वो उसमें ऐसा घटिया मैटेरियल काम में लेते हैं कि कुछ ही समय बाद में वो हैण्डपम्प खराब हो जाता है तो हम यह चाहेंगे कि जो आपका नलकूप खुदता है और हैण्डपम्प खुदता है, उसमें 5 साल का रखरखाव, इसका ओ. एण्ड. एम. आप साथ लें जिससे वो अच्छा मैटेरियल काम में लेगा कि पाँच साल तक मुझे इस हैण्डपम्प को दुरुस्त करना है, चलाना है इसलिए इसका ओ. एण्ड. एम. भी इसमें साथ में रखें।

अभी पूर्व वक्ता आदरणीय गोपालजी एम.एल.ए. साहब कह रहे थे कि यह सफाई कब होती है पता नहीं चलता। यह बात बिलकुल सही है। जो सफाई के ठेकेदार होते हैं ये रात को आते हैं और रात को आकर जो जी.एल.आर. है, सी.डब्ल्यू.आर. है, उस पर रात को सफाई की तारीख लगाकर चले जाते हैं। हम जाकर गांव के लोगों से पूछते हैं कि आपके यह सफाई हुई या नहीं तो कहते हैं कि हमारे किसी के सामने तो हुई नहीं और अन्दर देखते हैं तो कीचड़ उसमें पड़ा रहता है तो कम से कम जो सफाई हो तो गांव के जो जन-प्रतिनिधि हैं उनको साथ लेकर उनके सामने सफाई हो और फिर उससे प्रमाण-पत्र लेकर आये कि हां, इस तारीख को इन्होंने हमारे इस जी.एल.आर. की, सी.डब्ल्यू.आर. की सफाई की है अन्यथा रात को

(श्री बाबू सिंह)

तारीख लगाकर चले गये और पड़ौस से जब एम.एल.ए. साहब निकलते हैं तो देखते हैं कि हां, हमारे यहां तो सफाई हो गई, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सफाई का भी खास तौर से ध्यान रखें।

आपने साधन बहुत बनाये हैं, जीएलआर बनाया है, जीएसआर बनाया है, सीडब्ल्यूआर बनाये हैं लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तो वास्तव में जो बिलकुल काम का नहीं है उसको तो आप गिराइये और उसके स्थान पर नया बनाइये। साथ में जो मरम्मत योग्य हैं, अब उनका सर्वे कराकर आप मंगाइये कि वास्तव में इनकी मरम्मत हो सकती है तो आप उसमें वाटरप्रूफ मैटेरियल साथ में लेकर इतनी अच्छी मरम्मत कर दीजिये कि वापस उसको आने वाले 10 साल तक देखने की जरूरत ही नहीं रहे।

साथ-साथ में, अब पी.एच.ई.डी. ने खुद ने स्कूल के अन्दर जीएलआर बनाये, पाइप लाइन लगाई वो भी जीएलआर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अब हम स्वच्छता अभियान का संदेश दे रहे हैं, पानी स्कूल के अन्दर है नहीं तो कैसे उन शौचालय की साफ-सफाई हो इसलिए कम से कम विभाग के द्वारा जो जीएलआर और टांके बनाकर पाइप लाइन जोड़ी गई है और उसके ऊपर अवैध कनेक्शन हो गया या पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई तो कम से कम प्राथमिकता से जो विभाग ने स्कूलों के अन्दर जीएलआर बनाकर पाइप लाइन से जोड़ा है उनकी मरम्मत करें और मरम्मत करके पानी पहुंचाकर बच्चों को पेयजल से लाभान्वित करें, यह मैं आपसे खास तौर से मांग करना चाहूंगा।

उसके साथ ही, जो गांवों में पाइप लाइनें बिछी हैं उनके ऊपर अवैध कनेक्शन हो गये हैं। अवैध कनेक्शन होने के बाद में भी पानी बराबर नियमित सप्लाई हो रही है तो अवैध कनेक्शन होने के बाद जब नियमित सप्लाई हो रही है तो क्यों नहीं उन कनेक्शंस को आप रेगुलराइज कर दो जिससे राजस्व भी बढ़ेगा और वो कनेक्शन भी हो जाए। अब पानी की सप्लाई आगे नहीं हो वह अलग बात है, वो मैं कह सकता हूं कि राइजिंग लाइन वगैरह है वो नहीं, गांव के विदिन विलेज में है और वहां अगर पाइप लाइन बिछी हुई है और उसी में कनेक्शन कर दिये और नियमित करने की,

(श्री बाबू सिंह)

मीटर लगाने की या उसमें कोई योजना नहीं ला रहे हैं तो गांव के अन्दर लाइन बिछी हुई है और वहां लोग कनेक्शन ले रहे हैं तो उसके अन्दर भी मीटर लगाने की कार्यवाही आपको खास तौर से करनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि पाँच हजार जिस गांव की जनसंख्या है वहां हम लाइन बिछाकर घर-घर कनेक्शन देंगे। यह जनसंख्या का क्या आधार है? हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी साहब कह रहे हैं कि 2018 तक घर-घर में लाइट पहुंचेगी और 2022 तक हर घर में पानी पहुंचेगा। जब हर घर में पानी पहुंचाना है तो यह जनसंख्या का आधार अब खतम करिए। जैसे-जैसे योजना बने, हर घर को पानी मिले।

जो कॉल सेंटर बना है उसका भी आप निरीक्षण कर लीजिए। लोग शिकायतें करते हैं, वापस खानापूर्ति होती है, आप अधिकारी या कोई टीम बनाकर सीधे उनको फोन कीजिए कि वास्तव में उनकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। इसकी तहकीकात आपको करनी चाहिए। हकीकत क्या है, उसके बारे में जानकारी करके कॉल सेंटर के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान हो, इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

जिस प्रकार से डिस्कॉम के अंदर अवैध कनेक्शनों के अंदर विजिलेंस बनी हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि हिमालय की मीठे पानी की वृहत् जल प्रदाय योजनाएं बनीं, मेन राइजिंग लाइनें बनीं। मेन राइजिंग लाइनों पर अवैध कनेक्शन हो रहे हैं। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि आप विजिलेंस कमेटी बनाइये और विजिलेंस कमेटी बनाकर जीपीआर, ग्राउण्ड पेनेट्रेटिंग राडार आता है, उस राडार को चलाने से पता लग जाता है कि वास्तव में कहां कनेक्शन है। वह राडार लाइये और इस विजिलेंस कमेटी को दीजिए तथा उसके बाद मुकदमे दर्ज करके इसके पुख्ता इंतजाम करिए। नहीं तो टेल एण्ड तक पानी पहुंचेगा नहीं और मेन राइजिंग लाइनें हैं, वे क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और जिस टेल एण्ड पर पानी ले जाना चाहते हैं, वहां काम नहीं होगा।

जहां अत्यधिक पानी वाले हैण्डपम्प हैं, ओपन वैल हैं, उन पर यदि सोलर प्लांट देंगे तो इससे भी हमारा काम ठीक हो जाएगा। एक अपने स्कीम बनी है पानी की, वृहत् जल प्रदाय योजना, वह 55 एलपीसीडी की

(श्री बाबू सिंह)

बनी है। 100 एलपीसीडी पानी चाहिए। स्थानीय सोर्स भी साथ देखना पड़ेगा। स्थानीय सोर्स के लिए जो हमारी जनता जल योजनाएं चल रही हैं, उन सारी जनता जल योजनाओं को आप समय पर दुरुस्त कराएं। मैंने भी 50 की सूची मंत्रीजी को दी हैं, आज वे सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं। उन योजनाओं को भी चालू करने की जरूरत है। पहले जब विभाग ने खोदी तो 300 फीट पर खोदी। अब पानी हो गया 600 फीट पर। उनको गहरा करना, उसमें हाइड्रो लगाना, वॉल लगाना, वॉल चैम्बर बनाना, एक बार जनता जल योजना दुरुस्त हो जाए तो वहां काम ढंग से हो सकता है, यह मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा।

दूसरा, विधान सभा के अंदर 28 फरवरी, 2014 को आदरणीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के जवाब में यह कहा था और उन्होंने घोषणा की कि आपके करीबन 368 हैण्डपम्प नाकारा हैं। इनके स्थान पर 30 अप्रैल, 2014 तक नये हैण्डपम्प खोदकर इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। अब घोषणा सदन में हो और वह काम पूरा नहीं हो तो सरकार के प्रति इकबाल नहीं रहता है। इसलिए मंत्री महोदय द्वारा की हुई घोषणा और उस घोषणा का सर्वे करके वह काम पूरा करना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक सैकिण्ड लास्ट।

दूसरा, मेरा आपसे खास निवेदन यह रहेगा कि जनता जल योजनाएं खास तौर से हमारे मारवाड़ में चलती हैं। जनता जल योजनाओं में चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र था, उस घोषणा-पत्र में कहा गया था कि जो जनता जल योजना के कर्मचारी हैं, उनको हम नियमित करेंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जनता जल योजना की बहुत परेशानी आ रही है। हम बार-बार यह मांग कर रहे हैं और बजट में भी कई बार घोषणा की कि हम पंचायती राज को देंगे, तकनीकी सहायक देंगे, कर्मचारी देंगे। न तो कोई तकनीकी सहायक मिला, न कोई कर्मचारी मिला, न उनका मानदेय बढ़ा। पहले तो रख-रखाव, संचालन के लिए 400 रुपये हॉर्सपावर और एक हजार रुपया मानदेय देते थे। वह रखरखाव का पैसा भी नहीं मिल रहा है और उनका मानदेय भी नहीं बढ़ा है। हम चाहेंगे कि उनका मानदेय भी 5 हजार रुपये से अधिक हो, रखरखाव का पैसा भी बढ़े और वापस जलदाय विभाग में यह जाए, यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री नरपत सिंहजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के गठन के शायद दो महीने बाद में जलदाय मंत्री ने बैठक ली थी। मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं किरणजी को कि पहला निर्णय वो किया जो माननीय अशोकजी गहलोत, जब मुख्य मंत्री थे, उनको मैं लगातार चार वर्षों से, 2009 से लगातार कहता आ रहा था कि अरबन एरिया डिफाइन करने के बाद उसको ग्रामीण क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और बजटरी कंट्रोल के लिए नहीं देना चाहिए। रि-ऑर्गेनाइज भी इन्होंने किया और डिवीजन्स में रि-ऑर्गेनाइज होने से वास्तव में पानी की स्थिति में इस पूरे क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है।

अभी बीसलपुर योजना में पूरे जयपुर शहर को सम्मिलित कर लिया। दो वर्ष पहले ही कर लिया था, लेकिन बहुत से पद रिक्त हैं एक्जीक्युटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। मैंने लिखित में भी भेजा है, शायद आपके रिकॉर्ड में हो, नहीं तो मैं दुबारा कॉपी भेज दूंगा। वेकेंट पोस्ट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपलीट कभी होगी नहीं और कंसल्टेंट ने अपनी खुद की रिपोर्ट दे दी उसके आधार पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जहां ओवरहैड टैंक्स के प्रपोजल्स हैं, अभी तक आबादी छितरी हुई है आउटस्कर्ट्स में। वे जमीनें इसी महीने अलॉट हो जाती हैं प्रोजेक्टेड एरिया के आधार पर वहीं पर बना लेंगे तो जब प्रोजेक्ट पूरा लगेगा तो वैस्ट ऑफ टाइम एण्ड मैटेरियल, दोनों नहीं होगा।

अभी चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य चन्द्रभानजी ने घोसुण्डा बाँध के बारे में कहा। सिंचाई के लिए घोसुण्डा बाँध का पानी उपयोग में नहीं लेंगे, यह बात तो सही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जिंक ने अपना जितना यूटिलाइज करने का था 400 एमसीएफटी से ज्यादा पानी, उतना उन्होंने कैपेसिटी डवलप 1993-94 तक कर ली थी। गेट्स भी लग गये। एग्रीमेंट के हिसाब से, जब वली साहब चीफ सेक्रेट्री थे तब एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके हिसाब से वापस पीएचईडी को 2400 आरएल तक कंपलीट होने के बाद सौंप दिया जाना चाहिए ताकि 2600 के लेवल तक सिंचाई विभाग या जलदाय विभाग या

(श्री नरपत सिंह राजवी)

दोनों मिलकर, जैसे भी निर्माण करे, राज्य सरकार करे। अब उनको तो आवश्यकता है नहीं। हिन्दुस्तान जिंक का परपज फुलफिल हो गया, लेकिन बाकी लोगों का, बाकी इण्डस्ट्री के लिए, बाकी किसानों के लिए, पीने के पानी के लिए इंतजाम अगर किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय योजना बनाकर दी है अदरवाइज कोई भी इसको देखने वाला नहीं है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जिंक से घोसुण्डा बाँध को सरकार को अपने हाथ में, अपने पजेशन में लेना चाहिए। अब गलतियां की हैं। हिन्दुस्तान जिंक ने लिखकर दे दिया हमें इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं, हमारे लिए हाईट सफिशिएंट है। उसी के आधार पर सिंचाई विभाग से कर लिया, जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेट्री थे, जो बाद में चीफ सेक्रेट्री होकर रिटायर हुए। आज उसकी हाईट हम बढ़ाते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, उस समय तो 150 करोड़ रुपये मांग रहा था। यह गलती इसलिए हो गई कि वह सिंचाई का बाँध हमारे हाथ में नहीं था। सीधा हमारे हाथ में होता तो निश्चित तौर पर यह गलती नहीं होती। अब सिक्स लेन नहीं हो रही है। सिक्स लेन नहीं होने से इस बाँध की हाईट के हिसाब से आपको नहीं आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ जाएगी। यह कोई 10-20 साल के लिए बाँध की योजना नहीं बनती है। कम से कम 50 से 100 साल का एवरेज लेकर करते हैं और वहां पर तो पानी का रिडिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए। आज उदयपुर वाले ले जाना चाह रहे हैं, भीलवाड़ा में पानी ले जाना चाह रहे हैं हिन्दुस्तान जिंक के लिए और बीच में जो नजदीकी गांव है, घोसुण्डा गांव वहां से आधा किलोमीटर दूर है, वहां पीने को पानी उपलब्ध नहीं है, वहां पर भी ओपन वैल हम लोगों ने करवाया था, उसके बाद में उसमें कोई डवलपमेंट नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार और मंत्रीजी दोनों गंभीरता से विचार करें।

हमारे सिंचाई मंत्री तो अभी यहां नहीं हैं, लेकिन एक निर्णय तो जरूर हो सकता है। घोसुण्डा गांव के जो काश्तकार विस्थापित हुए थे, जिनकी जमीनें गई हैं उनको फिशिंग राइट्स और फिशिंग की ट्रेनिंग दी गयी थी।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पिछले 4-5 वर्षों से उसका ठेका हो रहा है, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं हो रहा है। सरकार जब एक बार कमिटमेंट करती है तो उस पर कायम रहना चाहिए। एक बार तो कलक्टर साहब ने भी कर दिये। उस समय तो मैं वहां से विधायक था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया। यहां पर कैबिनेट सब-कमेटी बनी थी तत्कालीन सिंचाई और जलदाय मंत्री सांवरलालजी उसके मैम्बर थे, मैं भी मैम्बर था। कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट थी कि पानी कम है। जितना बताया, जितना प्रोजेक्टेड है उतना नहीं है। कैबिनेट सब-कमेटी के निर्णय के उपरान्त कोई अधिकारी करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको दुबारा देखना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे मंत्रीजी मुस्कुराते हैं, बहुत डिसेप्टिव मुस्कान है। मेरे अच्छे मित्र हैं लेकिन मैं एक ध्यान दिलवाना चाहूंगा आपके माध्यम से...

श्री सभापति: Sir, how can you identify the Muskan?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सर, कुछ आपकी और कुछ इनकी, दोनों को मिलाने से वह आइडेंटीफाई हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, कैबिनेट का निर्णय, गवर्नमेंट का निर्णय, टोप लेवल पर निर्णय हुआ था जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे कि अनकमांड से कमांड इन्दिरा गांधी कैनाल एरिया में नहीं करें और उसका आधार यह था कि बहुत सी जगह से डिमांड थी तो जो चकों में टोटल सीसीए के 10 परसेंट से कम हर चक में थोड़ी बहुत कमांड एरिया थी, उसको करने के लिए प्रोविजन्स रखे थे। नई-नई कैनाल्स अगर कोई करने की मांग उठती है, उठेगी तो उस पर यह निर्णय लिया था और वह 2011 में तो लिखित में भेजा है:- “Therefore, no new applications of water to uncommand area are to be entertained. The applications already pending in Offices should be examined only if surplus water was available, which to the best of my knowledge is not available at present.” 2011 में अगर सरप्लस पानी नहीं है तो 2017 में सरप्लस कहां से हो जायेगा? हमारे मंत्रीजी ने

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मुस्कुराते-मुस्कुराते एक आदेश पारित कर दिया और उसमें न्यू फतेहगढ़ माइनर, जोकि हनुमानगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलनी थी, वह निकालकर 2,587 एकड़ पानी में अनकमांड को कमांड करने के लिए और सप्लाई करने के लिए कर दिया। छह मोगे बनाये। उस निर्णय के बाद में कैबिनेट लेवल पर निर्णय होना चाहिए था कि यह स्टेट के इंट्रेस्ट में है और स्टेट के इंट्रेस्ट में यह निर्णय लेना है, यह राशि स्वीकृत करनी है। कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक्सईएन और एसई से ऊपर इसके कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐतराज हमारे को है कि यह वेस्टफुल हुआ है, यह नहीं किया जा सकता।

एक और निर्णय, जिसको मैं हास्यास्पद निर्णय कहूंगा। यह सदन गवाह है कि तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने, बरकत साहब ने हरियाणा को एक हैड घग्घर, पानी रोकने के लिए हैड बनाने की सहमति दे दी, हस्ताक्षर हो गये। उसी के आधार पर 1998 से 2003 के सत्र में हैड का निर्माण हो गया, 1980 के दशक में तो कम से कम डिप्रेशन में पानी क्योंकि उस समय बाढ़ ज्यादा आती थी, बार-बार पानी आता था और उसको डिप्रेशन में पानी स्टोर करके कल्टीवेशन में काम में लेने के लिए या साइफन से नहर में डालने के लिए रखा। अभी पिछले महीने एक टेण्डर हुआ है। 189 करोड़ रुपये का तो टेण्डर हुआ है, साइफन से पानी, उसमें नहर का पानी डाला जायेगा। घग्घर का तो आ नहीं रहा है। उसमें कुछ साइफन्स और उसकी कनेक्टिंग कैनाल्स हैं, उनकी तो लाइनिंग हुई है लेकिन कुछ मेन्टेन भी करना है। जैन इर्रिगेशन को ठेका दिया है कि 17 गांवों में बूंद-बूंद सिंचाई के प्रावधान कर देंगे और सरप्लस जो पानी होगा वह वापस नहर में डाल देंगे। यह 200 करोड़ रुपये का अपव्यय किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जायेगा, यह मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं।

25 करोड़ तो सिर्फ पानी की लिफ्टिंग के लिए है जो अभी है स्टेग्नेंट पानी, यह सेम की समस्या, घग्घर में डिप्रेशन्स का निर्णय जब लिया था, उसी के आधार पर थी। उससे पहले सेम नहीं है। घग्घर तो बहुत पहले से आ रही है। मैं खुद वहीं का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं एक-एक किले में, जहां पर डिप्रेशन्स के कारण से यह समस्या खड़ी हुई और आज जहां पर बर्ड सैंक्चुरी बन सकती है, वहां पर फाइनल होने की स्थिति में है रिपोर्ट।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

एक कागज एक जगह दबता है, दूसरा कागज नया तैयार होकर उखड़कर आ जाता है। यह किस प्रकार से लोकतंत्र का मखौल है? इस पर रोक होनी चाहिए। कम से कम मैं तो आपके माध्यम से...(व्यवधान) आप अपने हिसाब से बोलना। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सदन की एक समिति गठित हो जाये और वह गुणावगुण के आधार पर एग्जामिन कर ले और उसके बाद में जितना भी पानी अवेलेबल है तो उसको यूज करे। साइफन से डिप्रेशन में पानी डालोगे, वह सिस्टम पूरा हो गया। अब वापस डिप्रेशन्स को भरकर वह कैनाल में डालोगे, यह किसी भी स्थिति में जनहित में खर्चा किया हुआ नहीं है।

(16.25 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, गंग कैनाल में 1927 से पानी चल रहा है और 1927 में अधिकांश तत्कालीन बीकानेर रियासत ने पटियाला क्षेत्र के किसानों को लाकर बसाया और बहुत-सा नया एरिया कल्टीवेशन में आया। उस कैनाल में इसी छह महीने के दौरान 50 मोगों को परिवर्तन करने का एक एक्सईएन ने आदेश दिया जो 1927 से लगातार चल रहे हैं और उसमें एक तरह से ऐसा झलकेगा जैसे उसके यह सरकार खिलाफ है। उस पर हमको ऐतराज है। गुणावगुण के आधार पर पहले अगर ज्यादा पानी मिल रहा था तो पहले वाले अधिकारी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और आज अगर पानी उसको, उनकी इंटेसिटी आफ इर्रिगेशन के हिसाब से पूरा मिल रहा है तो निश्चित तौर पर रिकार्ड करके करना चाहिए। यह अकेले छोटे अधिकारी के हाथ में छोड़ना नहीं चाहिए।

अभी बिरदवाल हैड और अनूपगढ़ शाखा की बात आई थी। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने इसमें मरम्मत के लिए पैसा दिया। एक बार वापस स्टडी करने की आवश्यकता है कि हैड लेवल में बैड लेवल जो अभी चेंज हुआ है, 2,400 आरडी के पास, उस बैड लेवल में सात इंच का अंतर आया है। मैंने मंत्रीजी से डिस्कस किया, चीफ इंजीनियर भी थे, उनसे भी डिस्कस किया। उसमें अगर एफएसएल का फर्क नहीं पड़ता है तो हमें कोई एतराज नहीं लेकिन साइड में चौड़ाई भी आठ इंच कम हुई है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

एफएसएल मेन्टेन रह जाये, अनूपगढ़ शाखा और बीकानेर लिफ्ट कैनाल को पानी पूरा मिल जाये अपने-अपने शेयर का, तब तो बिलकुल ठीक है लेकिन उसके पीछे अगर मन्तव्य दूसरा हो कि सिंगरासर या दूसरी माइनर्स में नया एरिया खोल दें तो निश्चित तौर पर ऐतराज है। यह अगर इन्होंने अध्ययन करके किया है क्योंकि अनूपगढ़ शाखा में पहले भी एक बार एरिया को, क्षेत्र को लेकर रावला से लेकर बिरदवाल तक आंदोलन हुआ है और उस आंदोलन में जन हानि भी हुई थी। अब अगर बैड लेवल सही कर रहे हैं, हैड लेवल सही कर रहे हैं और डिजाइन के हिसाब से पुराने मुटाम जहां लगे हुए हैं, हर जगह नहीं हैं माननीय सभापति महोदय, लिमिटेड जगह है, बिरदवाल के बाद में अगर अनूपगढ़ शाखा को देखेंगे तो सिर्फ रावला गांव के पास में टीले पर है वह पक्का मुटाम, उससे अगर लेंगे तो निश्चित तौर पर एक इंच का, एक सूत का फर्क नहीं आएगा और पहले जैसे ठेकेदारों पर विश्वास करके छोड़ दिया तो अब जनता, अब किसान पहले वाली स्थिति में नहीं हैं। अब वह जानता है और अध्ययन करता है इसलिए अगर बैड लेवल और हैड लेवल सही होंगे तो किसानों को अपने हिस्से का पानी मिल जायेगा, फिर कोई ऐतराज नहीं करेगा।

पेयजल के लिए नया-नया एरिया खोला जा रहा है। सीकर भी आ रहा है, झुंझुनूं वालों की भी डिमांड है लेकिन जलदाय मंत्रीजी, नर्मदा का पानी बाड़मेर जिले में, जालौर जिले में, सिरोही जिले में जो नजदीक का क्षेत्र है, उसमें पिलाइये। आईजीएनपी से इतना दूर लायेंगे तो पर क्यूसेक्स कोस्ट बहुत हैवी, ज्यादा आ रही है और पानी उधर भी कम हो जायेगा और यहां का पानी अभी भी समुद्र में जा रहा है। जो सांचौर के पास में पुलिया है, उसके पास से आप देखेंगे, उसमें पानी के बहने की निरन्तरता है। अब वह पानी सीधा रण आफ कच्छ में होकर समुद्र में जाता है तो समुद्र में बेकार बहने वाले पानी को रुकवाकर यह जो प्यासा एरिया है, उसमें पिलाने की कोशिश करें। उसमें अतिरिक्त राशि भी व्यय करनी होगी। निश्चित तौर पर करके बाड़मेर जिले को, सिरोही को, जालौर को, पाली को, इनको सबको पानी मिले। आपने समय दिया, ध्यान से बात सुनी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगारामजी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए दो विषय जो बहुत जरूरी है राजस्थान के लिए...

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि सुबह आसन ने निर्णय दिया था कि जिन्होंने डिमाण्ड पर एक भी बार अपनी बात नहीं रखी है उनको प्राथमिकता से नम्बर दिया जाएगा, तो व्यवस्था दिलाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें। श्री जोगारामजी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दो विषय हैं जो सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा विशेषकर माननीय मंत्रीजी से निवेदन भी करूंगा और वो दोनों ही विषय राजस्थान की पेयजल समस्या से संबंधित है।

पहला विषय जनरल है। उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय ने मोहम्मद सलीम बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड में नदियों के अस्तित्व के संबंध में एक निर्णय पारित किया है और वो जो निर्णय है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालयों के तीन निर्णयों पर आधारित है। ऐसी स्थिति में मैं उस विषय को कि हम राजस्थान की नदियों के संबंध में क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या निर्णय लेना चाहिए, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा और ये जो माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्णय है 20 मार्च, 2017 का मोहम्मद सलीम बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स में, उन्होंने दो नदियों गंगा और यमुना को लीगल एंटिटी के रूप में न कहते हुए और भी बहुत कुछ कहा है उनके बारे में और उन्होंने धार्मिक भावना को भी उसमें साथ रखा है। एक जो दो उनके आब्जर्वेशन हैं वो मैं कोट करना चाहूंगा:

"All the Hindus have deep Astha in rivers Ganga and Yamuna and they collectively connect with these rivers. Rivers Ganga and Yamuna are central to the existence of half of Indian population and their health and well being. The rivers have provided both physical and spiritual substance to all of us from time immemorial. Rivers Ganga and Yamuna have spiritual and physical substance. They support and assist both the life and natural resources and health and well-being of the entire community. Rivers Ganga and Yamuna are breathing, living and sustaining the communities from mountains to sea".

और उन्होंने यह कहा है कि यह गंगा और यमुना एक लिविंग एंटिटी है उनको इसी रूप में देखना चाहिए। उस पर अतिक्रमण हो, गंदा पानी डाला जाए, एरिया कम किया जाए, उन सबके लिए जैसा एक व्यक्ति का

(श्री जोगाराम पटेल)

अधिकार है, एक जीवित व्यक्ति का अधिकार है वैसा ही इन नदियों का अधिकार है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, कि हम भी हमारे राजस्थान की जो नदियां हैं उनको उसी रूप में लेवें, क्योंकि यही नहीं इससे पहले और भी कई फैसले हुए।

न्यूज़ीलैंड की संसद ने उनके यहां की जो सबसे महत्वपूर्ण वाग्नूई नदी है, उस वाग्नूई नदी को भी उन्होंने प्रस्ताव पारित करके एक लीगल एंटिटी के रूप में कहा है और यह लाइफ के रूप में उसको संबोधित करते हुए उस पर जो भी अतिक्रमण होता है उसको उन्होंने सीरियसली लेते हुए लीगल एंटिटी दी है। हमारा जो प्रोजेक्ट है 'नमामि गंगा' प्रोजेक्ट, ऐसा ही हम हमारी नदियों के लिए भी दें। मैं ऐसा निवेदन कर रहा हूं कि नदियों को पुनर्जीवित करने का मौका है। नदियों को पुनर्जीवित किये बिना केन्द्र व राज्य सरकार मिल करके जब तक इस पर कोई योजना नहीं बनाये और जो पानी बहकर जा रहा है उसका हम फायदा नहीं लें, तब तक हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो पूर्ण नहीं हो पायेंगे और बिना रिसोर्सेज पानी को हम बचा नहीं पायेंगे।

नदियों को जीवित व्यक्ति करार देने के पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सन् 1969 में 'Yogendra Nath Naskar V. Commission of Income-Tax, Calcutta' के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि- "Have held that a Hindu idol is a juristic entity capable of holding property and of being taxed through its Shebaits who are entrusted with the possession and management of its property." तो गंगा, यमुना या कोई भी नदी हो, उस नदी का अस्तित्व इस तरह से माना गया है और इन्कम टैक्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने योगेन्द्र नाथ के केस में 1969 में यह कह दिया था कि यह एक जीवित व्यक्ति की तरह है और इसके बाद में सन् 1999 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी ही भावना व्यक्त की थी और लास्ट में 2000 वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, अमृतसर वर्सेज श्री मोहन नाथ का जो केस था, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही निर्णय दिया है। मैं पहला विषय जो आपके सामने रखना चाहता हूं, वो यह है कि हम भी हमारे प्रदेश की नदियों को जीवित

(श्री जोगाराम पटेल)

व्यक्तित्व का अस्तित्व देकर उनके संबंध में कोई कानून पास करें। सदन में कोई ऐसा नियम लाएं, ताकि हमारी नदियों को बचाया जा सके।

दूसरा जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, इस जजमेंट का यह भी ओब्जर्वेशन दिया है कि अगर इन नदियों संबंधी कानून जो जनरल है, वो तो है ही, वो तो स्टेट प्रोपर्टी या सेन्ट्रल प्रोपर्टी है ही, या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या यूनियन ऑफ इंडिया की प्रोपर्टी है ही, लेकिन हां, अलग से अगर कोई प्रोविजन बना करके उसका सख्त कानून बनाया जाए तो उससे यह बचाया जा सकता है।

एन्वायर्नमेंट के संबंध में भी बहुत कहा है, मैंने समय की महत्ता को समझते हुए आपके सामने पहला बिन्दु यह रखा। दूसरा बिन्दु रखना चाहता हूं। वो यह है और वो भी राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है। अभी 16 नवंबर, 2016 को पंजाब विधान सभा ने एक बिल पारित किया है और वो जो बिल है, वो बिल हमारे लिए बहुत ही डेमेज करने वाला है और यह पंजाब विधान सभा का जो बिल है और उस बिल की मार्फत हमारे पूर्व के जो समझौते थे, उन सारे समझौतों को आधार में रखते हुए उन्होंने जो निर्णय पारित किया है और उस निर्णय को उनका जो ओरिजनल बिल है वो पंजाबी में है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, पर मैं जो उनका एक रिजोल्यूशन है एम्स एंड ओब्जेक्ट्स के साथ आता है जो, उनकी क्या मंशा है वो मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं और वो जो एम्स एंड ओब्जेक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने कोट करूंगा तो आपको लगेगा कि कितना सीरियस इश्यु हमारे लिए राजस्थान के लिए उन्होंने पैदा कर दिया है: "It is a historical truth that before independence whenever the water was released by one State to another State, which had no right as per Riparian principle, the cost and royalty was given to the Riparian State for the same. For example, during the British Rule, the river waters of Punjab were given twice to other States. Earlier, water of Satluj River was given to Patiala, Nabha and Jind States in 1873 and it was clearly specified in the decision taken that Punjab being a Riparian State, has right over these waters. Therefore, Patiala, Nabha and Jind States will have to pay royalty in lieu of water and these States had paid this royalty upto 1945-46. Similarly, for the second time the water was released to the Bikaner State through Gang Canal on the request of Maharaja Ganga Singh of Bikaner and the Bikaner State paid royalty to the State of Punjab in lieu of that." And now it is the most important. "Therefore,

(श्री जोगाराम पटेल)

while considering the aforesaid facts, this House directs the State Government to immediately take up the matter with the Central Government, Rajasthan, Haryana and Delhi regarding securing cost and royalty from non-riparian States in lieu of releasing of the river waters to these States without securing anything for the same; so as to undo the injustice and high handedness meted out to the State for decades by Congress led Governments in Punjab and at Centre." और उन्होंने नॉन रायपेरियन स्टेट से, सबसे रिकवरी रायल्टी और पानी की कोस्ट वसूल करने के लिए प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया है। इसके कारण से हमारे साथ प्रोब्लम हो जाती, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से थोड़ी सी राहत हमें मिली है और जो प्रेसीडेंशियल रेफरेंस है उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह इस तरह पंजाब सरकार को, वो जो हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट था उसे हटाने का अधिकार नहीं है और उस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किये हैं: "Punjab has exceeded its legislative power in proceeding to nullify the decree of this court and therefore, the Punjab Act cannot be said to be a validly enacted legislation."

"It said that the Punjab could not have unilaterally terminated the agreement, which would mean depriving Haryana and other states of their share of river waters despite court orders directing Punjab to carry out its obligation."

"The Punjab Act cannot be said to be in accordance with the provisions of the Constitution of India as well as the provisions of the Inter State Water Disputes Act…there is a legal sanction to the said agreement and once a binding decree has been passed by a court of law, a party to the litigation cannot unilaterally act in a manner which would nullify the effect of the decree."

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि 1981 में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ हम भी One of the State as signing Authority थे, हरियाणा, पंजाब भी थी। उसके बाद 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस संबंध में डिक्री हुई। उस एक्ट को, उस डिक्री को 2000 में एक और कोई रिजोल्यूशन हुआ था, उन सबको नलीफाई करने के बाद पंजाब विधान सभा ने इस एक्ट को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। उस निर्णय के संबंध में 2004 में प्रेसीडेंशियल रेफरेंस हुआ और प्रेसीडेंशियल रेफरेंस का अब जाकर यह निर्णय आया है और सुप्रीम कोर्ट ने, पंजाब द्वारा जो एक्ट था, उस एक्ट को समाप्त किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अगर नहीं होता,

(श्री जोगाराम पटेल)

यह प्रेसीडेंशियल रेफरेंस नहीं होता तो आज की तारीख में राजस्थान के सामने बहुत बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती। मेरा पुन: इन दो इश्यू के संबंध में निवेदन है कि हम पुन: जाकर अपनी विधान सभा में, जैसे पहले भी कई बार मौका आया, 2004 में भी इस संबंध में हमने सबने मिलकर कोई निर्णय लिया था और उसके बाद ही प्रेसीडेंशियल रेफरेंस हुआ था, पुन: पंजाब विधान सभा ने अभी 2016 में जो बिल पारित किया है और यह कहा है कि Non royalty State. स्टेट से यह रायल्टी और पानी की कीमत वसूल की जाये। उसके संबंध में किसी तरह का कोई विवाद भविष्य में नहीं हो, जो भी हमें लीगल एक्शन लेना है, विधान सभा में कोई प्रस्ताव पारित करना है, हम सब अपनी स्टेट के प्रति जागरूक भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। इस संबंध में हमें सीरियसली कोई न कोई निर्णय लेना चाहिये।

मेरा तीसरा विशेष निवेदन था, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस संबंध में विशेष तौर से आपका ध्यान आकर्षित किया, मैं उसमें थोड़ा-सा और जोड़ना चाहूंगा। यह पूरे मारवाड़ के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। बाड़मेर, जोधपुर और उसके आस-पास के सारे क्षेत्रों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। यह नहर जब बनी थी, उस वक्त सिर्फ जोधपुर शहर को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई गई थी और तत्कालीन समय में इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी जोधपुर शहर ही था। उसका जो पानी आने वाला था वह भी कम आने वाला था। धीरे-धीरे करके जोधपुर जिले के तीन-चार कस्बे जुड़ गये, फलौदी, फलौदी के आस-पास की पीपाड़ सिटी, यह कस्बे जुड़ गये। बाड़मेर जिले की सिवाना, समदड़ी, पचपदरा, यह सारे जुड़ गये। इस तरह से जुड़ते-जुड़ते करीब 700 गांव हो गये। समदड़ी, बालोतरा, फलौदी, पीपाड़ सिटी, बिलाड़ा यह बड़े-बड़े शहर हो गये, खुद जोधपुर शहर हो गया। इस एरिये की करीब 38 लाख की पोपुलेशन हो गई है। अगर आप रूरल डिविजन को भी लेवें, जितना पानी रूरल डिविजन को प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, इन सारी सिटीज को लेवें जो पर एलपीजी पानी आप उनको दे रहे हैं, यह सब अगर काउंट करें तो जोधपुर में आने वाले कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों या कुछ ही सालों के बाद पानी की हाहाकार मचने वाली है। हमारा निवेदन यह है कि जब पानी की आवक ही नहीं है, पानी के रिसोर्सेज

(श्री जोगाराम पटेल)

ही डवलप नहीं होंगे तो हमने प्रोजेक्ट तो बना दिये, सारी माइनर स्कीम या मेजर स्कीम बना दी, जब आरएलजीएलसी पानी हमको नहीं मिलेगा, कुल 175.9 नहर की थी, इसमें 29.65 पाइप लाइन से है, बाकी 205 में लंबी लाइन में पानी ही नहीं आयेगा तो भले सोर्सेज तो डवलप कर दो, चाहे कायलाना कर दो, चाहे तख्तसागर कर दो, चाहे सूरपुरा कर दो, चाहे उम्मेद सागर कर दो, इन सबके बावजूद भी हमारे पास पानी सप्लाई का कोई सोर्स नहीं है और बहुत बड़ी 38-40 लाख की पोपुलेशन इफेक्ट होने वाली है।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि हमारे पास कायलाना, तख्तसागर, सूरपुरा, उम्मेद सागर, यह सब भरे हुए हों तो सिर्फ 18 दिन का पानी रहता है। अभी जैसे करीब महीने, डेढ़ महीने का क्लोजर ले जाने जा रहे हैं। अगर वह क्लोजर ले लें और उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो पानी सप्लाई कहां से होगा। यह मारवाड़ की पूरी जनता, जिसमें खाली जोधपुर शहर ही नहीं है, सिवाना, बालोतरा, पीपाड़ या बिलाड़ा ही नहीं है, आस पास के 700 गांव और 38 लाख की पोपुलेशन के साथ अन्याय हो जायेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप 240 एमसी फीट पानी जो दे रहे थे, उसमें आपने पहले कमी कर दी जिससे हाहाकार मचा। आज की तारीख में 15 दिन से, 20 दिन से, हफ्ते से पानी की सप्लाई हो रही है। आप इस पानी को नहीं बढ़ायेंगे, 195 की जगह 200 एमसी एफटी मंत्रीजी ने अपने प्रभाव से, अपने प्रयास से कराया है, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन 240 एमसी फीट पानी हमारे लिये पूरा नहीं है। हमको करीब-करीब 280 के आस-पास पानी की जरूरत रहेगी तभी जाकर यह काम पूरा हो पायेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि थर्ड फेज के संबंध में रिसोर्सेज डवलप करने में दो साल, पाँच साल, दस साल लगेंगे। जब आप रिसोर्सेज ही डवलप नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य कैसे हो पायेगा। मुख्य मंत्रीजी का विजन है हमारे रिसोर्सेज डवलप होने चाहिये, बहुत बढ़िया अभियान चल रहा है, उससे हमारे कुछ ब्लाक डार्क जोन से बाहर भी आये हैं और उससे फायदा भी बहुत हो रहा है। मेरे क्षेत्र में जो तालाब बना वह इंटरनेशनल लेवल का तालाब बना है। उसमें साल भर पानी रहता था, अब दो-तीन साल में ही पानी खतम और आस-पास के कई पंचायतों में उससे फायदा हुआ है।

(श्री जोगाराम पटेल)

लेकिन स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत हम जो बाथरूम घर-घर बनाने की योजना बना रहे हैं, आप एक लीटर भी माने तो 38 लाख जनसंख्या है तो कम से कम 20 लाख परिवार होंगे, 20 लाख लीटर एक्स्ट्रा पानी की जरूरत होगी। आप यह सारे प्रोजेक्ट ला रहे हैं और उसके साथ पानी नहीं बढ़ायेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोब्लम भविष्य में होने वाली है। हम सब मिलकर हमारा जोधपुर, मारवाड़ और आसपास के पूरे क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हो, इस संबंध में भी व्यवस्था करनी जरूरी है।

तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण इश्यू जो है पानी की सप्लाई को लेकर, हमको जो पानी मिलने वाला था, वह हमको कुल 8.6 एमएएफ मिलना चाहिये। कई माननीय सदस्य इसमें जानकार भी हैं। अभी तक हम उस पानी को ले नहीं पाये।

सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारा उस एग्रीमेंट में राइट है, 8.6 की जगह हम अभी भी 8 या उससे कम ही ले पा रहे हैं, पूरा नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उससे भी रिसोर्सेज डवलप करके हमारा जितना राइट है, बल्कि राइट बढाने की बात करनी चाहिये, 8.6 उस जमाने में था जब 1981 में एग्रीमेंट हुआ था। पिछली बार मेरे एक प्रश्न पर आपने कहा था कि हमारे हैड वर्क हैं, वह भी किसी के कब्जे में है, हम हैड वर्क डवलप नहीं कर पाये। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि हम हमारे हिस्से का पानी पूरा लेवें, जो 8.6 एमएएफ पानी का हमारा राइट बनता है, वह भी 1981 से लगाकर आज दिन तक हम हमारे हिस्से का पानी ही नहीं ले पाये। रोज हम कहते हैं कि हमारे पानी नहीं आ रहा, इसके ट्यूबवैल खुदवा दो, इसकी नहर बना दो, इसके पाइप लाइन बढ़ा दो, इसके प्रोजेक्ट बना दो, लेकिन जब हम हमारा पूरा पानी ही नहीं ले पायेंगे तो हमारा मैन मकसद पूरा नहीं हो पायेगा। यह मेरा विशेष निवेदन था।

आखिर में माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि आपने पेयजल के मामलों में बहुत व्यवस्था भी की है और खर्चा भी किया है और आप दिन-रात लगे हुए भी हैं लेकिन पानी की व्यवस्था रहेगी क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय विवाद का विषय है, खाली राजस्थान का ही नहीं है। बड़े-बड़े स्टेट कर्नाटक, तमिलनाडु किसी पानी को लेकर झगड़ रहे

(श्री जोगाराम पटेल)

हैं। हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक किसी रिवर को लेकर झगड़ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा या राजस्थान भी मान लो, और किसी पानी को लेकर झगड रहे हैं। यह झगड़े नेशनल और इन्टरनेशनल चलेंगे। मैं कहना चाहूंगा:

"मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है।"

मंत्री महोदय, आपको इन सारे इश्यूज के लिये लड़ना पड़ेगा और लड़कर राजस्थान के हितों की रक्षा हेतु 7 करोड़ की जनसंख्या आपके सामने देख रही है। हमारे हक का पानी मांग रहे हैं, हम आपके मार्फत मांग रहे हैं। पंजाब विधान सभा मर्जी आये वह कानून पास कर दें, हम उसका काउंटर करेंगे। हमारा विषय है, हमारे सबके लिये विषय है। मंत्री महोदय मुस्कुराते हुए चलते आ रहे हैं, उन्हें विषय ध्यान में है और वह पूरा प्रयास भी करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे अधिकारों का पूरा संरक्षण करेंगे, राजस्थान के हितों का संरक्षण करेंगे। चाहे एग्रीमेंट का विषय हो, प्रेसीडेंशियल रेफरेंस का विषय हो या अभी जो पंजाब सरकार ने 2016 में बिल पारित किया, उसके संबंध में हो। यह सारे विषय मैंने आपके सामने रखे, आपको ध्यान भी है, मैंने पढ़कर भी सुनाये, कोट किये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-27, मांग संख्या-46, विधायी कार्य और आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना ही निवेदन करुंगा कि अंग्रेजी बहुत

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बोल गए, थोड़ा-सा हिंदी में। आपके पास कॉपी आई होगी, माननीय मंत्रीजी से लेकर आप हमको भी दिलवा दें और इनको भी दिलवा दें।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): सभापति महोदय, अंग्रेजी में बोले तब तो आधा घंटा हो गया और हिंदी में फिर क्या होगा?

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): वहां सीट पर होते हैं तो दूसरे को नहीं बोलने देते।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: आप इनसे अलग से समझ लें।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय मंत्री महोदय के पास ऑलरेडी सारा मैटेरियल है। जिस भी माननीय सदस्य को चाहिए, मैं फोटो कॉपी कराकर दे दूंगा।

हमारे यहां वॉटर हार्वेस्टिंग और वॉटर कन्जर्वेशन के दो विषय चल रहे हैं। ये भी राजस्थान में इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने जो पहल की है, वह वाकई काबिले तारीफ है। अभी समय की बाध्यता है। कई जर्नलिस्ट ने और कई वैज्ञानिकों ने इस संबंध में जो शोध किया है और उस पर जो कमेंट्स किए हैं, वह वहां पर सबने पढ़ा था, लेकिन भारत के संबंध में पानी की बहुत अधिक... उसका एक ही सोर्स है, कोई बड़ी नदी हमारे राजस्थान में नहीं है, कोटा बैराज को छोड़ दें तो। इसलिए हम सब बरसात के पानी पर निर्भर हैं। बरसात कब होगी? अधिक होगी? कब नहीं होगी? यह सब निर्भर है। भारत की पानी की कमी को दूर करने के लिए, इसका उपयोग सही ढंग से हो, जल संकट की स्थिति नहीं बने, इसके लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान देना है और जल संवर्धन और वाटर कन्जर्वेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन वह सतही हो जाता है। मेरा इस संबंध में विशेष रूप से निवेदन है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, वह सबसे ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि जल संवर्धन जो है, वाटर हार्वेस्टिंग जो है

(श्री जोगाराम पटेल)

और उससे ज्यादा कहीं पर जो वाटर कन्र्जेवेशंस है, उससे ज्यादा का इफेक्ट हमारे क्षेत्र पर है क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां उस संबंध में ही हैं। इसी आधार पर ही मैं यह निवेदन भी करूंगा कि यदि अगर हम कुछ आंकड़ें देखें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप यह पायेंगे कि हमारे यहां पर जो पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। अन्तर राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार देखें तो 2 हजार क्यूबिक मीटर पानी हर वर्ष प्रति व्यक्ति को चाहिए। यह अन्तर राष्ट्रीय मापदंड है और अगर आप राष्ट्रीय मापदंड लेवें तो 1700 क्यूबिक मीटर हर वर्ष, हर व्यक्ति के लिए चाहिए, यह राष्ट्रीय औसत है और अन्तर राष्ट्रीय 2000 का है। पर राजस्थान में अभी जो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है, वह 780 है। एक तरफ अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर 2000 है और राष्ट्रीय स्तर 1700 का है। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे पास भी 1815 क्यूबिक मीटर था और 2011 की जनगणना में घटकर वह 1545 पर आ गया। जो प्रति व्यक्ति बढ़ रहा है। सन् 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 6600 थी और अब आकर 780 हो गई है। कितनी स्पीड से पानी की उपलब्धता घट रही है? मेरा निवेदन इस संबंध में यह है कि बाकी सारी बातें, टूंटी लगी, नहीं लगी, पाइप प्रोजेक्ट बना, कम बना, ये सारे विषय बाद के हैं। विषय यह है कि पानी उपलब्ध ही कहां हो रहा है और उपलब्ध कितना होगा, भविष्य में? जब पानी उपलब्ध ही नहीं होगा तो हम लायेंगे कहां से? जहां सन् 1951 में 6600 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति था, एक साल का, वह घटकर अब 780 हो गया है। साढ़े छह हजार से 780 पर आ गया है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन भी करूंगा कि अगर यह आकलन विशेषज्ञों ने तय किया है और अगर यह स्पीड चलती रही तो 2051 में सिर्फ 436 क्यूबिक मीटर पानी प्रति साल प्रति व्यक्ति रहेगा और वह स्थिति भयंकर हो जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में भी थीसिस करके, एग्जामिन कराकर, एक्सपर्ट को बुलाकर कि किस तरह से हम अधिक पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए माननीय प्रधान मंत्रीजी ने 'पर ड्रोप-मोर क्रोप' का जो नारा दिया था, उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी सोच है। कई विशेषज्ञों ने उनको सलाह दी होगी, उन्होंने समझा होगा और उसके बाद ही

(श्री जोगाराम पटेल)

यह बताया है और यह भी एक अध्ययन में बताया है कि अगर यही स्पीड रही तो 2040 तक पीने का पानी बहुत कम बचेगा। खेती के लिए तो बचेगा भी नहीं। यह रिपोर्ट भी अभी छपी है। अगर आप देखना चाहें तो नेशनल जर्नलिस्ट में आई कि अगर यह स्पीड बनी रही तो 2040 तक पीने का पानी ही बचेगा, खेती के लिए पानी नहीं बचेगा। हमें वैसी फसलें, जो फ़सलें कम पानी में अधिक उपज देती हैं, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संबंध में आप एक्सपर्ट हैं। मैं आपके सामने ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा लेकिन हमारा जो टारगेट है कि एक हजार क्यूबिक मीटर उपलब्ध होना चाहिए। हालांकि, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां ही प्रोब्लम है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर सूचना दूं। माननीय सभापति महोदय, पाकिस्तान में एक हजार क्यूबिक मीटर है और बांग्लादेश में उससे भी कम है। इन सारी वजहों के लिए हम वे फसलें पैदा करें, जिन फसलों में कम पानी से अधिक उपज हो और वह व्यवस्था हम करें कि पीने का पानी पूरा मिले, वैस्ट कम हो, वैस्ट कम हो।

अंत में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत ध्यान में रखूंगा कि कई सदस्यों की इस पर अलग-अलग राय हो सकती है। यह राजस्थान का विषय नहीं भी हो सकता है, लेकिन अनेक देश इस पर थीसिस कर रहे हैं कि हम कृत्रिम बरसात भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। कई लोगों ने इस पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी किया है, और देशों ने भी इस पर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। हमें भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि जल संवर्धन और जल संरक्षण के संबंध में जावें तो इस संबंध में क्या कर सकते हैं?

मैं दो-तीन बात कहकर मेरी बात पूरी करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की है। मैं पहले तो माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे गांव की करीब पाँच करोड़ रुपये की योजना स्वीकार की। उसके टेंडर वगैरह हो गए हैं। शुरू होने वाली है। लेकिन एक योजना जो आपको ध्यान है। Augmentation of the Choka, Badli, Gholasani, Teshil Jodhpur की। यह माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री का स्पष्ट आश्वासन है और यह 1692 करोड़ रुपये की आपके पास विचाराधीन है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी चोखा

(श्री जोगाराम पटेल)

बड़ली जो स्कीम है, इसको आप शीघ्र स्वीकृत कराएं और दूसरी छोटी-छोटी जो स्कीम हैं, जिसके लिए मैंने आपको धन्यवाद दिया। पुरानी पाइप लाइन को बदलने की 574 करोड़ रुपये की योजना स्वीकार की, इसके लिए मेरा आपको धन्यवाद है। छोटी-छोटी पाइप लाइनों की स्कीम आपके विभाग में विचाराधीन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन पर शीघ्र निर्णय लेंगे।

ज्यादा समय नहीं लूंगा और अंत में एक मिनट का आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो सारा सदन है, वह अपने क्षेत्र की, अपने एरिए की बात करते हैं और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन उसके बावजूद भी पेयजल का जो वेस्ट हो रहा है, इल्लीगल जो कनेक्शन है, पानी जो चोरी हो रहा है। उस पर डिपार्टमेंट ने अभी तक इतने वर्षों में कुछ भी नहीं किया है। बिजली विभाग ने इस संबंध में विजीलेंस टीम बनाई है, वे पकड़ते भी हैं, मुकदमे भी बनाते हैं, लेकिन पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट को हमारे खुद के द्वारा शिकायत की जा रही हैं। हर माननीय सदस्य यह चाहता है कि उसके क्षेत्र में पानी का लीकेज नहीं हो, इल्लीगल कनेक्शन नहीं हो। मेन लाइन से इल्लीगल कनेक्शन नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो पानी चोरी हो रहा है, उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए और इस संबंध में अगर सख्त कानून नहीं बनाया गया तो आने वाला भविष्य..। कुछ लोग नींबू पायेंगे, कुछ लोग भैंसों को स्नान करायेंगे और कुछ लोग प्यासे रह जाएंगे। यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामनारायण।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जोगारामजी, माननीय सदस्य, अगर आप सभापति की कुर्सी पर होते तो अब तक चार बार घंटी बजा देते। जितना आपने बोला है। आपने सतलुज नदी के एग्रीमेंट, पंजाब की...। इन सब पर बहुत अच्छा बोला, लेकिन आप अगर सभापति की कुर्सी पर होते तो चार बार घंटी बजाते माननीय सदस्यों के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य, तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो तालियां बजाई गईं है, वे उत्साहवर्धन के लिए बजाई थी या बिठाने के लिए बजाई थी?

(17.00 बजे)

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में कुछ पंचायतें ऐसी हैं, जिनको जान-बूझकर बीसलपुर योजना से नहीं जोड़ा गया है। आस-पास की पंचायतों को जुड़े हुए कई साल हो गए हैं, उसके बाद भी आज तक इन पंचायतों को नहीं जोड़ा है। उनमें झड़वासा पंचायत समिति है, जहां पर खारा पानी है, फ्लोराइड का पानी है।

दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो पंचायतें जोड़ी हैं, उनमें प्लास्टिक के इतने घटिया पाइप लगाए कि वह मुश्किल से महीने-दो महीने भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपने जो टेंडर करवाए हैं उनमें ठेकेदार ही पाइप खरीदेंगे। ठेकेदार इस तरह के घटिया पाइप खरीद रहे हैं कि मुश्किल से दो महीने उनको पानी मिलेगा। नसीराबाद के पास गेऊंजा इण्डस्ट्रियल एरिया है। आज तक उस एरिया को बीसलपुर का पानी नहीं मिल रहा है जबकि सरकार इण्डस्ट्रियल एरिया में बिजली, पानी,सड़क देने की बात करती है। पानी नहीं मिल पा रहा है।

अब भी सरकार और मंत्रीजी घोषणा करते हैं कि चार हजार की जनसंख्या वाले गांवों को हम घर-घर योजना से जोड़ेंगे, पाइप लाइन देंगे पर आज तक एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसको जोड़ा गया हो। लोग आधा पैसा जमा कराने के लिए तैयार हैं, फिर भी आज तक यह योजना कामयाब नहीं हो पाई।

कन्नौज पंचायत का एक गांव दौलतपुरा फर्स्ट है। पूरी पंचायत को जोड़ दिया गया दौलतपुरा सैकिण्ड को जोड़ दिया गया पर पंचायत का गांव दौलतपुरा फर्स्ट को नहीं जोड़ा गया, जबकि उसके सामने से लाइन जा रही है। ड्राइंग बनाने वाले एईएन साहब ने उस गांव को अपनी योजना में ही नहीं लिया। उस गांव के लोग प्यासे मर रहे हैं। बार-बार कहने पर भी आपके एक्सईएन, एस ई, ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग मजबूरन लाइन तोड़ेंगे। इसलिए मेहरबानी करके, सामने से लाइन जा रही है, आपको दस फीट पाइप भी नहीं लगाना पड़ेगा। उस गांव को जुड़वाया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसा नहीं हो कि गांव के लोग लाइन तोड़ने को मजबूर हों।

(श्री रामनारायण)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल ही बताया था कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना में पानी का स्तर बढ़ा है। पानी का स्तर बढ़ा है तो मैं आपसे यह कहूंगा कि पीसांगन पंचायत पूरी डार्क जोन है। पीसांगन में आपकी यह योजना चली थी। जब जल स्तर बढ़ा है तो डार्क जोन से उसको निकाला जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिले।

माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आपसे कहना चाहूंगा कि तीन साल में तालाबों में पानी आया, नहरों में पानी आ रहा है पर उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। तालाबों की मोरियां टूट-फूट गईं। पानी इधर-उधर बिखर जाता है। किसान को बार-बार परेशानी होती है। हजारों बीघा जमीन किसानों ने बो रखी थी। इसलिए उन मोरीयों, नहरों को आप ठीक करवाएं ताकि किसानों को फायदा मिले।

करौली में गुडला लिफ्ट योजना है जो तीन साल से बंद पड़ी है। 75 गांवों को इसका फायदा मिलने वाला था, पर फायदा नहीं मिला। करौली शहर में खारा पानी है। पूरे शहर के लोग परेशान है। पानी की दूसरी योजना बनाकर उनको निजात दिलाई जाए।

आपसे एक बात और कहूंगा कि आपने हैंडपम्प खुदवाए, पंचायत समिति ने हैंडपम्प खुदवाए। उनमें इतने घटिया पाइप डाल दिए कि वे अभी से ही मरम्मत लायक नहीं रहे। इनकी भी जांच करवाएं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, प्रधान, विधायक, एम पी हैं, आपके डिपार्टमेंट को यह कहें कि वह उनसे पूछकर ही हैंडपम्प लगाए क्योंकि कई जगह से शिकायत आ रही है कि हैंडपम्प लगे ही नहीं हैं और ठेकेदार ने पेंमेंट उठा लिया।

यह तो मानकर चलें कि आपकी सरकार जब तक रहेगी, अकाल पड़ेगा या ओलावृष्टि होगी। ...(व्यवधान)... अभी भी हो रहा है, आप देख लो। दो साल हो गए। कभी ओलावृष्टि हो रही है, कभी अकाल पड़ रहा है। इसलिए मेहरबानी करके बीसलपुर योजना फेल नहीं हो, उसको चम्बल से जोड़ने की योजना बनाएं, ताकि आने वाले समय में अजमेर, जयपुर, टोंक जिले को आसानी से पानी मिलता रहे। चम्बल का पानी बरसात के समय काफी वेस्ट होता है। इसलिए इस योजना को अभी से ही बनाए, ताकि आने वाले समय

(श्री रामनारायण)
में ग्रामवासियों, शहरवासियों को तकलीफ नहीं हो। माननीय सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता कटारा।

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरी बात तो सुन ले पहले। मेरा पार्टी की तरफ से दूसरे नम्बर पर नाम था, तो मुझे क्यों नहीं बुलवाया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने ऐसी व्यवस्था दी थी कि जिस माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पहले उनको मौका दिया जाएगा। इसलिए आप विराज जाएं। पहले उनको मौका मिलेगा जिन्होंने कटौती प्रस्ताव लगाए हैं। ...(व्यवधान)... कोई बात नहीं, आप विराजो। मैंने नाम पुकार लिया, आप विराजें। श्रीमती अनिता कटारा।

श्री रमेश (सपोटरा): एक मिनट, व्यवस्था के तहत मैं यह कहना चाहता हूं कि 20 मार्च, 2017 को रूलिंग दी है। उसमें यह बताया गया है कि जिन माननीय सदस्यों का नाम पुकारा जाए, वह अपने सारे कटौती प्रस्ताव पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें।

(17.08 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलना चाह रहे हैं ना।

श्री रमेश (सपोटरा): जी।

श्री उपाध्यक्ष: I'll give you time. Please sit down. अनिता कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल योजना एवं मांग संख्या 46 सिंचाई पर मुझे सागवाड़ा

(श्रीमती अनिता कटारा)

विधान सभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को यहां सदन में रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं।

मैं सबसे पहले इस विभाग में रही माननीय मंत्री महोदया किरणजी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी दो पंचायतों में पेयजल के लिए बजट दिया। सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में गलियाकोट पंचायत समिति की कुछ पंचायतें थीं, सीमलवाड़ा में उनका विभाग था। मैं मंत्री महोदय से मिली और उन्होंने तत्काल उसको सागवाड़ा में करवाने का आदेश फरमाया और वह हो गया। उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक जल है। 'जल ही जीवन है', यह हम कहते आये हैं। आजादी के 70 साल हो गये, जहां अन्य जिले विकास की दर को पार कर गये हैं, बहुत आगे बढ़ गये हैं लेकिन डूंगरपुर जिला ऐसा जिला है वहां पानी की समस्याओं को लेकर स्थिति जैसी थी, आज भी हूबहू वैसी बनी हुई है। डूंगरपुर जिले में बहुत कम समय अपनी सरकार रही और जब-जब अपनी सरकार आई तो इस समस्या से निजात पाने के लिये कई उपाय किये, हैण्डपम्प करवाये, पाइप लाइन करवाई पर सागवाड़ा विधान सभा में जब हैण्डपम्प करवाते हैं तो उस हैण्डपम्प से जो पानी आता है, वह फ्लोराइडयुक्त पानी आता है। ऐसा पानी पीने से व्यक्ति के घुटनों में दर्द होता है, समय से पहले बूढ़ा दिखता है और ऐसा पानी पीकर अपने आपको बहुत ही कमजोर महसूस करता है। वहां मेरे विधान सभा क्षेत्र की कई पंचायतों में ऐसा पानी है। उसके लिये पूरे डूंगरपुर जिले की 900 करोड़ की योजना बनाई है, पर वह योजना कहां तक आगे बढ़ी है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि इस पिछड़े हुए जिले में, पिछड़ी हुई जनता को पानी पिलाने का कार्य आपके हाथों से पूरा हो। यह मुझे पूर्ण विश्वास है।

सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में चींतरी, नादिया, ओबरी, कराड़ा, करियाणा, नया गांव, झांखरी, माण्डव, पंचावल आदि कई पंचायतों में पानी की समस्या है। वहां पाइप लाइन की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी के लिये बजट देने का कष्ट करें।

(श्रीमती अनिता कटारा)

मैं मांग संख्या 46-सिंचाई पर अपनी बात रखना चाहूंगी। हम सब कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां बहुत-सी जनता किसान है और खेती पर निर्भर रहते हैं। उनके जीवन यापन का साधन भी वही है। ये सभी बातें कहते-कहते 70 साल हो गये हैं पर हमारे विपक्ष के साथियों को ये शब्द निकाल-निकाल कर वोट लेने के अलावा उन किसानों के लिये कुछ करें, ऐसी मंशा उनके मन में आज तक नहीं बनी। जब अपनी माननीय वसुन्धराजी की सरकार बनी तो उस पिछड़े हुए इलाके में किसानों के लिये जगह-जगह सिंचाई प्लाण्ट लगाकर लिफ्ट लगाने का कार्य किया। बहुत सी पंचायतों में यह कार्य पूर्ण किया। पर इतने में अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ और आने वाली सरकार ने न तो उन लिफ्ट योजनाओं के लिये कोई नीति बनाई, उसकी देख-रेख कौन करेगा, उसका बिल कौन भरेगा और अगर लिफ्ट खराब हो जाती है तो उसको ठीक कौन करेगा। इस बारे में किसी ने कोई नीति बनाकर उस लिफ्ट को चलाने का कार्य नहीं किया। इसलिये पूरे डूंगरपुर जिले में, जहां-जहां भी ये लिफ्टें लगी हुई हैं, आज खराब पड़ी हैं।

हम कहने को तो सभी को किसान की उपाधि दे देते हैं पर खेती करने का काम जितने कृषक कर रहे हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ती हैं, वे सुविधाएं नहीं देंगे तो हमारे जैसे बूट-सूट में सभी रहना शुरू कर देंगे। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खाने के लिये अनाज की कमी आने वाले समय में जरूर पड़ जायेगी इसीलिये किसानों को उनकी मांग के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार हमें हर चीज, हर साधन उपलब्ध करवाना पड़ेगा। चूंकि पूरे प्रदेश के माननीय सदस्य यहां पर विराजमान हैं, मेरे सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र और डूंगरपुर जिले के लिये, किसानों के लिये, सिंचाई योजनाओं के लिये जो भी लिफ्टें खराब पड़ी हैं, उनको ठीक कराने की मैं मंत्रीजी से अपील करती हूं।

कांग्रेस के शासनकाल में महाविद्यालय बने तो उनका नामकरण कर दिया गया। नहरें बनाने का काम शुरू किया तो उनका नामकरण शुरू कर दिया। ऐसी ही एक नहर है भीखा भाई नहर, सागवाड़ा। इस भीखा भाई नहर, सागवाड़ा का काम न जाने कब से शुरू हुआ है और वह कार्य कब

(श्रीमती अनिता कटारा)

खतम होगा, यह अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि इस भीखा भाई नहर के लिये 12857 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी, उसमें से मात्र 4659 लाख रुपये ही उस पर खर्च किये गये हैं। आर.डी. 78.88 किलोमीटर से 115 किलोमीटर तक का निर्माण होना था। उसमें से कुल 36.12 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है। उसमें से 19.79 किलोमीटर निर्माण अभी बाकी है तो उपाध्यक्ष महोदय मैं, आपके माध्यम से इस नहर का कार्य पूर्ण करवाने के लिये मंत्रीजी से निवेदन करती हूं। इस भीखा भाई नहर में जब नहर का सर्वे हुआ तो सर्वे कहां होना था। और अधिकारियों ने सर्वे कहां किया। सागवाड़ा में लुहारिया तालाब है, उस तालाब के बिलकुल सट कर उस नहर को निकाल दिया, तो पूरा भरा हुआ लुहारिया तालाब का पानी उस नहर के माध्यम से निकल गया। कितनी भी बारिश होती है, उस तालाब में पानी दिखाई नहीं देता है। उस लुहारिया तालाब से पूरे नगरवासियों को पानी उपलब्ध होता था। आज नगर में चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का समय हो, तो भी पानी की बहुत तकलीफ होती है। मैं आपके माध्यम से भी उन अधिकारियों से कहना चाहूंगी कि वह सर्वे किस प्रकार से हुआ था। जिस प्रकार से सर्वे हुआ था, उस प्रकार से नहर को वहां से वापस बनाया जाये और जो भी समाधान होता हो, वह उस नहर के लिये करें और मेरे सागवाड़ा क्षेत्र की जनता को वापस पानी दिखाने का कार्य करें। मैं ऐसी उम्मीद रखती हूं।

इस नहर को बनाने में किसानों को जो मुआवजा देने की बात उठी थी, उसकी फाइल कभी से वहां से रवाना हो चुकी है, कहां अटकी हुई है, कैसे क्या हो रहा है, आज तक इसका पता नहीं पडा और किसानों को जो मुआवजा देने की बात थी, वह मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला है, वह जल्दी से जल्दी दिलवा कर मेरे वहां के गरीब किसानों को लाभान्वित करने का कष्ट करें। यही मैं आपसे निवेदन करती हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद देती हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि अभी भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो एक बार भी किसी मांग पर नहीं बोल पाये लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी हैं कि जिस वक्त जिस मांग पर उनको बोलना चाहिए था, वह अनुपस्थित रहे। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं कि जिनके भी सूची में नाम है और बोलने हैं अगर वे यहां उपस्थित नहीं हैं तो उनको आगे मौका मैं नहीं दूंगा।

माननीय सुरेश धाकड़जी, आप बोलने के लिए तो खड़े हो जाइये लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की मांग के समय में आप कहां थे?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मेरी दादीजी बीमार थीं तो इसलिए नहीं आ पाया। मैंने बता भी दिया था चित्तौड़ से आने वाले एम.एल.ए. साहब को और आसन से जो आपने व्यवस्था दी उसको ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: चलिए। एक मिनट अब आप विराजो। झाबर सिंहजी, आप भी अभी तक नहीं बोले हैं। सुरेशजी के बाद में फिर आप बोल लें। सुरेशजी।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मैं नहीं आया, उसके लिए माफी चाहता हूं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब आसन ने सुबह यह व्यवस्था दे दी कि जो लोग नहीं बोल पाये तो उनको पहले मौका मिलना चाहिए तो ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: जिन लोग बागों को बोलने का अवसर नहीं आया लेकिन जिनको अवसर मिला और वह अनुपस्थित रहे, उनका अलग-अलग विषय है इसलिए अब आप बोलिए। अब इसको आप ज्यादा अगर बहस में ले जाएंगे तो हो सकता है कि ....(व्यवधान)....

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं सिंचाई और पेयजल, दोनों विषयो पर अपनी थोड़ी-थोड़ी बात संक्षेप में रखूंगा क्योंकि समय कम है और बोलने वालों की संख्या खूब ज्यादा है। हमारे अपने सिंचाई मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, संसदीय सचिव महोदय थोड़ा फ्री करेंगे तो वह मेरी बात सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: उप सचेतक महोदय, मैं इस सूची में से किसी का भी

(श्री उपाध्यक्ष)

नाम पुकार लूंगा। जितनी आपने लंबी सूची दी है न, उतने ही लोगों को यहां लाकर आप सदन में बैठा दीजिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मेरे विधान सभा क्षेत्र में दांधला और ....(व्यवधान).... दो लघु सिंचाई परियोजनाएं थीं तो आदरणीय मंत्री महोदय ने दोनों परियोजनाएं स्वीकृत कर दीं और उनका निर्माण भी लगभग पूरा हो गया है और किसानों को उसका फायदा मिल रहा है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मेरे पड़ोस के विधान सभा क्षेत्र में भी एक रेणका नाका बांध, जिसके लिए हम सब लोग यहां आकर हमारे निम्बाहेड़ा के विधायक महोदय के नेतृत्व में आपसे मिले थे और आपने रेणका नाका सिंचाई परियोजना भी स्वीकृत कर दी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसके टेंडर अभी तक नहीं लग पाये तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस रेणका नाका सिंचाई परियोजना के भी टेंडर थोड़ा जल्दी लग जाए।

देश में नदियां जोड़ने की बात चल रही है। हमारे यहां पर भी ब्राह्मणी पर बाँध बनाकर के पाइप लाइन के थ्रू दो जगह जोड़ने की बात चली थी। यहां जयपुर को पानी भी पिला दे, ऐसी कोई योजना बनी थी, जिसमें पाँच हजार करोड़ की, ऐसी कोई बात आयी थी लेकिन उसके बाद उस पर वापस चर्चा नहीं हुई तो मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वापस अपना जवाब आए तब बतायें कि ब्राह्मणी पर कोई प्रोजेक्ट बनने वाला था तो वह अब किस स्थिति में है?

मंत्री महोदय को इस बात का जरूर धन्यवाद दूंगा कि हमारे यहां पर नदियां जुड़ी नहीं हैं अभी तक कहीं पर भी लेकिन इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो बांधों को जोड़ने के लिए, जो जलसागर और दानला, उन दोनों बांधों को जोड़ने के लिए एक कैनाल की इन्होंने स्वीकृति दी है, उसके पैसे सेंक्शन कर दिये, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान जोर-शोर से चल रहा है। हमारे एक क्षेत्र में भी एनीकट बन रहे हैं, और भी काम हो रहे हैं। उस अभियान के बारे में सब लोगों को जानकारी है। इस मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन

(श्री सुरेश धाकड़)

अभियान से पहले जब पूर्व में हमारी सरकार रही थी, जब सांवरलालजी जाट मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय छोटे-छोटे एनीकट सबसे ज्यादा बनते थे और छोटे एनीकट बनने से सबसे ज्यादा किसानों को फायदा होता है। उनके खेत के पास पानी भरा रहता है, वह सिंचाई में भी काम में ले सकते हैं, वाटर लेवल भी बढ़ता है तो मेरा आपके माध्यम से एक अनुरोध रहेगा कि क्यों नहीं वापस इन चैक डैम, जो छोटे-छोटे एनीकट हैं, जो दो मीटर से कम की ऊँचाई के हैं ताकि बीसलपुर कैचमेंट और दूसरे कोई लफड़े भी नहीं रहे और छोटे-छोटे एनीकट वापस बनने शुरू होने चाहिए, जिनकी लागत दस, बीस, तीस लाख रुपये के करीब बैठती है तो काम बहुत छोटा है लेकिन आम आदमी को, किसान को जिसके खेत के पास, जिस नदी पर या जिस नाले पर बनता है तो उन लोगों को बहुत फायदा मिलता है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र बेगूं है, पड़ौस का विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ है और मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र भी है, तीनों विधान सभा क्षेत्र में एक बाँध है ओराई। उस ओराई बाँध की नहरें अगर ठीक हो जाएं, जो बाँध बनने के बाद अभी तक ठीक नहीं हुईं और माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी वहां पर मौका स्थिति देखकर आए हैं तो जिस किसी भी योजना में उस बाँध के लिए पैसा है, अगर वह स्वीकृत हो जाए तो वहां के लोगों का बहुत भला हो जाएगा।

पेयजल के ऊपर मेरी कुछ डिमांड्स हैं। पर्ची के माध्यम से मुझे मौका मिला और मैंने मेरी बात उठायी। उसमें एक रावड़दा पेयजल परियोजना के लिए आपने आश्वासन भी दे दिया कि साढ़े छह करोड़ रुपये है तो मैं यह चाहूंगा कि आज शाम को मंत्रीजी का जब वापस रिप्लाई हो तो उसकी घोषणा हो जाए तो यह हम सबके लिए ठीक रहेगा।

भीलवाड़ा पानी जा रहा है भैंसरोड़गढ़ से, इसका जिक्र पहले भी मैं यहां सदन में कर चुका हूं कि पानी चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए लेकिन जो सोर्स पर बैठा हुआ आदमी है, एंड रोड विलेज जितने भी हैं तो उनको पानी नहीं मिल रहा है तो यह प्रोब्लम है लेकिन मैंने इसमें चार-पाँच सुझाव बताये थे। उनमें कोई एकाध सुझाव काम में लेकर वहां के लोगों को भी किस तरीके से पानी मिल सकता था, ऐसा मंत्री महोदय ध्यान करने का प्रयास करेंगे।

(श्री सुरेश धाकड़)

घोसुण्डा का जिक्र चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री चन्द्रभानजी और हमारे विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य राजवी साहब ने भी किया। जब घोसुण्डा बाँध की वहां पहले फोर लाइन थी, उसका जिक्र आ गया कि भाई, डेढ़ सो करोड़ जमा कराने पर वह फोर लाइन शिफ्ट हो सकती थी। अब उसी घोसुण्डा बाँध का जो पानी का सोर्स है, चित्तौड़ जिले में, चाहे वह कपासन विधान सभा क्षेत्र का हो, बेगूं हो, गंगरार हो या चित्तौड़ प्रोपर हो, पेयजल के लिए अभी हम सब लोग मानते भी हैं कि सरफेस वाटर जो है, उसी से हम लोगों की प्यास बुझा सकते हैं। अगर पानी की कहीं जरूरत पड़ी तो सिर्फ एक मात्र साधन वहां घोसुण्डा बाँध और उस बाँध की केवल ऊँचाई बढ़ानी है और उस ऊँचाई बढ़ाने में भी उस बाँध का निर्माण नहीं करना है। वह बाँध ऑल-रेडी 427.3 मीटर का बन चुका है और उसके गेट भी लगे हुए हैं। केवल जो डूब क्षेत्र में आने वाले थोड़े-बहुत लोग हैं, उनको उसका मुआवजा चुकाना है और उस मुआवजा चुकाने के बाद जो पानी बचता है, उस पानी को हम कुछ क्षेत्र में सिंचाई के लिए भी काम में ले सकते हैं। कुछ चित्तौड़ की पंचायतें हैं, कुछ गंगरार की पंचायतें हैं, उनको सिंचाई के लिए दे सकते हो और उससे पहले, एक्स्ट्रा है तो सिंचाई के लिए, नहीं तो उससे पहले पेयजल के लिए होना चाहिए तो मैंने जब इनकी सिक्स लाइन की सेंक्शन आई थी, तब पी.एच.ई.डी. को भी लिखा और इर्रिगेशन को भी लिखा। मैंने कहा कि आपके दोनों डिपार्टमेंट की एन.ओ.सी. के बगैर वहां पर सिक्स लाइन नहीं बन सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन डिपार्टमेंट वालों ने एन.ओ.सी. जारी कर दी और हिंदुस्तान जिंक जिसको इन्होंने मालिक बना दिया वह ओरिजनल में मालिक नहीं है क्योंकि जब समझौता हुआ था 1980 के अंदर, तब हिंदुस्तान जिंक यह भारत सरकार का उपक्रम था और हम लोगों ने यह बाँध बनाया था। तो अब मैं आपके माध्यम से यह बात जरूर मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि वह बाँध हमारा है। उसकी एन.ओ.सी. दे दी, अगर थोड़े दिनों बाद उसके पानी की जरूरत पड़ी, लोगों को पानी पिलाने के लिए अगर हमें आवश्यकता हुई और उस बाँध की ऊँचाई बढ़ाने के लिए, बाँध बनाने की जरूरत नहीं लेकिन

(श्री सुरेश धाकड़)

लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा और उसके अंदर पानी भरेगा तो सबसे पहले इश्यू आएगा कि यह सिक्स लाइन वाले लोग आकर कहेंगे, यह एन.एच. वाले लोग बोलेंगे कि हमारे यहां सड़क बना दी। पहले इस सड़क का मुआवजा दो और कम से कम एक हजार करोड़ रुपये उस सड़क के लगेंगे। तो जब अभी स्थिति यह है कि रुक सकता है वह काम, टेंडर प्रोसेस में है। वहां अगर काम शुरू भी हो गया तो, वहां काम शुरू ही नहीं हुआ। अभी काम शुरू ही नहीं हुआ मौके पर यह सिक्स लाइन का तो क्यों नहीं सरकार यह निर्णय ले कि वह पास में डाइवर्ट कर दे उसको थोड़ा सा पाँच-सात किलोमीटर दूसरी तरफ और उसकी दोनों की लम्बाई भी बराबर बैठती है, यह रास्ता भी ठीक हो जाएगा और जब कभी भी हमें योजना बनानी पड़ेगी तो सरकार को एक हजार करोड़ रुपये का घाटा भी नहीं होगा तो दोनों डिपार्टमेंट, जिन भी अधिकारियों ने अगर गलत, बिना जानकारी में लाये एन.ओ.सी. दी है कि हमें इस पानी की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी तो उन अधिकारियों की भी जांच करवायी जाए कि ऐसे लोगों ने दोनों डिपार्टमेंट्स से बिना पूछे कैसे एन.ओ.सी. दे दी? क्योंकि पानी की, जब हम सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं तो हम सब लोगों को पानी की जरूरत पड़ेगी।

एक-दो मेरे सुझाव हैं। पिछली बार जब किरणजी मंत्री थीं तो उन्होंने तय किया कि अगर उच्च जलाशय निर्माण किया जाएगा तो फिफ्टी-फिफ्टी परसेंट पैसा आपको देना है तो आप सांसद कोष से, विधायक कोष से या कोई योजना में पैसा दे दो, पचास प्रतिशत सरकार देगी तो मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसमें आप इस रेश्यो को थोड़ा 40 परसेंट कर देंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि दूसरे काम भी हैं। टंकी का आधा पैसा तो उसमें 40 परसेंट पैसे ही आप ले लें और 60 परसेंट सरकार दे तो यह थोड़ा ठीक रहेगा।

एक बिजली डिपार्टमेंट का इश्यु तो है लेकिन मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप और बिजली मंत्री बैठकर यह डिस्कस करें कि जो सिंगल फेज मोटर चलती है, उसका पैसा यह वाणिज्यिक लेते हैं। अगर उसको घरेलू कर दें तो उस उपभोक्ता के ऊपर भी असर कम पड़ेगा। पंचायत को अगर पैसा देना है तो पंचायत के ऊपर भार

(श्री सुरेश धाकड़)

भी कम पड़ेगा। दूसरा, चोरी जो होती है बिजली की, वह कम पड़ेगी क्योंकि दस मोटरें चल रही हैं तो आदमी क्या करता है, सरपंच साहब या पंचायत का प्रतिनिधि एक मोटर के बिल का भुगतान करता है और नौ डाइरेक्ट चलती रहती हैं और हम लोग यह सोचते हैं कि हमें तो रेवेन्यु आ रही है। वह कॉमर्शियल सोच के लेकिन अगर हम दस को रेगुलर कर देंगे और घरेलू पैसा लेंगे तो दस का दस बिल का भुगतान हो जाएगा। पंचायत के बहुत सारे जन-प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने यह कहा कि आप सबको रेगुलर कर दोगे तो हम सब पैसा जमा कराएंगे और सरकार की रेवेन्यु भी बढ़ेगी और हमारा जो दूसरा नुकसान हो रहा है, वह भी बंद हो जाएगा तो यह काम जरूर हम इस पर सोचकर कर सकते हैं।

एक अंतिम सुझाव है, यह आजकल हैंडपम्प मिस्त्रियों की अभी बात हुई थी तो हैंडपम्प मिस्त्री मिलते नहीं पहली बात तो। अगर यहां पर थोड़े-बहुत हैंडपम्प मिस्त्री हैं तो जिस गांव में हैंडपम्प निकालने जाते हैं, ठीक करने जाते हैं तो वहां पर लोगों को भाई दादा करके बुलाना पड़ता है, लोग कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं क्योंकि उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। वह सोचता है यह तो सरकारी काम है, इनको पैसा मिलता होगा तो मैं क्यों हाथ लगाऊं इसके। जब सरकार की जीप के अंदर चार आदमी बैठकर जाते हैं तो खर्चा तो वही हो रहा। मेरा एक सुझाव है कि इसके साथ एक लोरिंग मशीन, जो 60-70 हजार रुपये में एक जुगाड़ बनता है जिससे मशीन के द्वारा, एक आदमी की जरूरत पड़ती है केवल, वह उसको ऑपरेट कर सकता है और उस मशीन से पाइप भी खुल जाएंगे। और बाहर भी निकल जायेंगे, उसमें किसी आदमी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका खर्चा मात्र 60 से 70 हजार रुपये करीब बैठता है और वह पैसा भी पी.एच.ई. डिपार्टमेंट कहे कि हम खर्चा करने के लिये तैयार नहीं हैं तो हमारे विधायक कोष से अनुमत्त कर दें या किसी भी खाते से अनुमति दे दें तो हम स्थानीय स्तर पर भी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति लगभग बूंदी जिले के क्षेत्रफल के बराबर है तो वहां पर केवल एक जीप मिलती है। इनके नोर्म्स के हिसाब से वो दूसरी जीप भी नहीं ले सकते। एक तरफ हैण्डपम्प खराब हो गया और दूसरी तरफ जाना पड़ता है तो लोग

(श्री सुरेश धाकड़)

मिल भी नहीं पाते हैं, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि अगर इस तरह की अनुमति प्रदान कर देंगे तो हमारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अन्त में सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री झाबर सिंहजी खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिये आपका धन्यवाद।

मैं पेयजल पर अपने कुछ विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। 1947 में आजादी के बाद से लेकर 1977 तक ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं पर किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पहली बार 1977 में केन्द्र में जो सरकार बनी, उसके वित्त मंत्री चौधरी चरण सिंहजी ने इस ओर ध्यान दिया और यह प्रावधान किया कि आगे से धीरे-धीरे सरकार के बजट का रुपये में से 60 नया पैसा ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजनाओं पर खर्च होना चाहिये और उसके लिये कृषि मंत्रालय के अधीन एक ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना की गयी, जो आज हजारों-करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास विभाग में तब्दील हो चुका है। उसके बाद से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के क्षेत्र में अनेक प्रकार की योजनाएं आयीं। कभी परम्परागत जलस्रोत के नाम पर, कभी पम्प और टैंक के नाम पर, कभी जनता जल योजना के नाम पर। 1977-78 से लेकर 2010-11 तक उनके संचालन, संधारण के मामले में बिजली का बिल जलदाय विभाग द्वारा वहन किया जाता रहा और संचालन-संधारण के लिये कुछ पैसा जलदाय विभाग द्वारा उपलब्ध करावाया जाता रहा। वर्ष 2010-11 में तत्कालीन राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया और यह योजनाएं पंचायती राज विभाग को सौंप दी गयीं और 31 मार्च, 2010-11 के बाद से लेकर अप्रैल, 2012 तक इस बात का असमंजस बना रहा कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विद्युत खर्च का पैसा कौन जमा करायेगा और धीरे-धीरे बकाया की राशि बढ़ती गयी।

वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया कि यह विद्युत खर्च का पैसा पंचायती राज विभाग वहन करेगा और धीरे-धीरे कई स्तर की लड़ाइयों के बाद उस वक्त की राज्य सरकार ने

(श्री झाबर सिंह खर्रा)
इसके लिये पंचायती राज विभाग को कई प्रकार के निर्देश जारी किये और ग्राम पंचायतों को मिलने वाले राज्य वित्त आयोग या बारहवें-तेरहवें वित्त आयोग के पैसों में से विद्युत बिलों के खर्च की अनुमति तत्कालीन राज्य सरकार ने दी। लेकिन आज हालात ये हैं कि वो पुराना बकाया अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा आज तक भी नहीं चुकाया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि जब-जब मार्च आता है, विद्युत वितरण कम्पनियां ग्राम पंचायतों से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बकाया की वसूली के लिये उनके कनेक्शन काटना शुरू कर देती हैं और गांवों में पेयजल की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान प्रदेश की आबादी 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437 है, जिसमें से शहरी आबादी 1 करोड़ 70 लाख 48 हजार 85 है और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 5 करोड़ 15 लाख 352 है। प्रदेश में पशु और मानव का अनुपात डेढ़ अनुपात एक है, लेकिन मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें बताना चाहूंगा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के अनुपात में पेयजल योजनाओं पर पैसा खर्च नहीं किया जाता है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदेश के जल विभाग का जो भी बजट है, उस बजट का खर्चा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में शहरों और गांवों के बीच में खर्च होना चाहिये। आज भी जो जलदाय विभाग की प्रगति विवरणिका 2016-17 है, उसके अनुसार 33 हजार 999 कुल ग्रामीण पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें सिर्फ 2 हजार 659 पाइप्ड योजनाएं हैं, 7 हजार 133 पम्प एवं टैंक योजना के अन्तर्गत हैं, 2 हजार 780 क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हैं, 1 हजार 668 टी.एस.एस. के अन्तर्गत है, 1 हजार 63 डिग्गी और अन्य से हैं और 18 हजार 696 हैबिटेशन आज भी हैण्डपम्पों पर लाभान्वित हैं और इनकी एक सा सारिणी है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की हजारों ऐसे आबादी क्षेत्र हैं जो किसी भी प्रकार की सरकारी पेयजल सुविधाओं से आज की तारीख में भी महरूम हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक तो ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी पेयजल

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

योजनाएं हैं, माननीय पंचायती राज मंत्री और माननीय जलदाय मंत्री, दोनों एक साथ बैठकर इसका कोई समुचित निर्णय लें ताकि 2010-11 से जो असमंजस की स्थिति चली आ रही है और हर मार्च की समाप्ति के साथ-साथ गांवों में बकाया के नाम पर पेयजल संकट उत्पन्न कर दिया जाता है, विद्युत कनेक्शन कटने से और फिर अप्रैल में भागा-दौड़ी करके उसका कुछ भाग जमा होता है और वापस शुरू होता है। इस प्रकार की परिस्थितियों से बचा जा सके।

दूसरा मेरा निवेदन हे कि हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर हर साल अभियान चलता है, लेकिन इसमें बहुत दोहरापन है। हैण्डपम्प मिस्त्री आधी बार पंचायती राज के अधीन रहते हैं। अभियान के दौरान जलदाय विभाग के पास चले जाते हैं और जलदाय विभाग के अभियन्ता हर बार गलत आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं। चूंकि यहां मंत्रीजी के मार्फत वे हमको गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। जिले की मीटिंगों में वह गलत आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं गत साल की हमारे जिला परिषद की मीटिंग का एक वाकया सुनाऊं। हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के बारे में जब उनसे जानकारी चाही गयी कि जिले में कुल कितने हैण्डपम्पों की मरम्मत की गयी? उन्होंने हजारों का एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया और जब हमने यह पूछा कि आपने इतने हजार हैण्डपम्प ठीक किये हैं, उसमें कितने वॉल लगे, कितने फुटवॉल लगे, कितने पाइप आपने डाले, कितनी रॉड आपने डाली, कितनी चैन आपने डाली? आप अपने स्टॉक रजिस्टर के आधार पर हमें बता दीजिये। इतना स्टॉक आपके पास था या नहीं? और वह बगलें झांकने लगे। बाद में जब हमने उसकी जांच करवायी तो कुछ तो हैण्डपम्पों का सामान ही उनके स्टॉक में उस समय तक मौजूद और वितरण का इन्द्राज पाया गया। इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि हैण्डपम्प मरम्मत अभियान, चूंकि बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित है, इसलिये हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान यह विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि खाली गलत आंकड़ों के आधार पर भ्रमजाल में नहीं फंसाया जाये, वास्तविक रूप से हैण्डपम्पों की मरम्मत हो और जो आबादी क्षेत्र हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं, उनको वास्तविक रूप से

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

हैण्डपम्पों से शुद्ध पेयजल की प्राप्ति हो सके।

मैं इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि सामान्य तौर पर विभाग के अफसर आज किसी योजना को बनाते हैं, 20 साल बाद की आबादी का अनुमान लगाकर उस योजना का विस्तृत खाका तैयार करते हैं, उसके बाद स्वीकृति जारी होती है, निर्माण शुरू होता है और उस योजना का निर्माण पूरा नहीं होता, उससे पहले वह योजना दम तोड़ना शुरू कर देती है। इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विभाग के अभियन्ताओं को अपनी बौद्धिकता का अपच बहुत ज्यादा है और मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहूं कि सामान्य तौर पर जितने भी निर्णय होते हैं, जितनी भी फाइलें निर्णय के लिये आपके पास आती हैं, अधिकांश में अभियन्ताओं के पास में एक बहुत तगड़ा शब्द होता है कि 'तकनीकी रूप से साध्य है, तकनीकी रूप से साध्य नहीं है' और उसी के आधार पर सारे काम चलते हैं।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे गांव, ढाणियों में ऐसे बहुत से अनपढ़, मेहनतकश लोग हैं जिन्होंने जीवन के संघर्ष, अनुभव के माध्यम से आपके इन अभियंताओं से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर रखा है। इनके पास मात्र किताबी ज्ञान है, जमीनी हकीकत का इनको बिलकुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की योजनाएं बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस अवधि के लिए योजना बने, कम से कम वो योजना उतने साल तक काम करे। यह नहीं कि योजना का काम पूरा नहीं हो उससे पहले ही वो योजना दम तोड़ दे।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अजीतगढ़, ग्राम दिवराला, ग्राम मूंडरू, ग्राम झाड़ली, ग्राम नांगल आदि ऐसे बहुत से गांव हैं जहां 40-40 साल पहले पाइप की योजनाएं बनी थीं और दिवराला की आबादी 12 हजार से ऊपर है और वहां मात्र तीन ट्यूबवैल चालू हैं, जिसमें एक ट्यूबवैल दस-बारह हजार लीटर पानी प्रति घंटा देता है और बाकी दो ट्यूबवैल तीन-तीन, चार-चार हजार लीटर पानी प्रति घंटा देते हैं और वो बारह हजार की आबादी को सप्लाई होता है। उनके संवर्धन के प्रस्ताव विभाग के पास पड़े हैं। मैं मंत्री

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन प्रस्तावों को जल्दी से जल्दी स्वीकृति देकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अजीतगढ़, दिवराला, झाड़ली, मूंडरू, नांगल की पेयजल समस्या का समाधान करें।

इसके साथ-साथ जो उच्च जलाशय वर्षों पहले बने थे, जो अपना जीवन पूरा कर चुके हैं, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं, जन हानि हो सकती है। उनकी तकनीकी जांच करवा कर उनका भी पुनर्निर्माण करवाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान देंगे।

इसके साथ एक बार पुन: मेरा निवेदन है कि राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में जलदाय विभाग के बजट का बंटवारा होकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी आजादी के 70 साल बाद उसके मूलभूत अधिकारों से सम्पन्न किया जाए और जो 70 साल से इस देश में चला आ रहा है कि देश की उन्नति और प्रगति का रास्ता गांव और ढाणियों के बीच में से होकर गुजर रहा है, उसको वास्तविक रूप से साकार करने में माननीय मंत्री महोदय जरूर पहल करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013 में चुनाव हुए और चुनाव के बाद में राजस्थान में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने काम करना शुरू किया तो यह महसूस किया कि राजस्थान की जनता को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम लोगों ने देखा कि करौली जिले के अन्दर 2006 में, जो पूर्व में हमारी सरकार थी, माननीय वसुन्धरा राजेजी मुख्य मंत्री थीं, उस टाइम भी उन्होंने हमारे पिछड़े जिले की जो पानी की समस्या थी, उसको दूर करने के लिए चम्बल का पानी करौली जिले की कई तहसीलों में और सवाईमाधोपुर तक पहुंचाने के लिए एक स्कीम सेंक्शन की लेकिन बीच में कांग्रेस का राज आया और कांग्रेस के राज में वो स्कीम वहीं की वहीं, जैसी स्थिति में थी

(श्रीमती राजकुमारी)

वहीं पड़ी रही। ऐसा इन लोगों ने काम किया। लेकिन जैसे ही फिर से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की कमान संभाली, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई जगह पानी की बहुत समस्या थी, 56 करोड़ रुपये शहर के लिए पानी के लिए दिया। उसमें 9 टंकियों का निर्माण होना था, 7 टंकी बन चुकी हैं और 2 टंकी के काम कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब भी शुरू नहीं हो पाये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि राजस्थान के अन्दर जल स्वावलंबन अभियान चलाया गया, उससे भी इस बार अच्छी बरसात हुई और ताल-तलैया पूरी तरह से भरे हुए हैं लेकिन आज भी कई जगह पानी की समस्या बनी हुई है। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 13 जिलों को चम्बल का पानी पहुंचाने के लिए प्रावधान किया, जिसकी डी.पी.आर. तैयार होने जा रही है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसमें हमारे करौली जिले को भी शामिल किया गया है।

पूर्ववर्ती सरकार के विपक्षी लोग हमेशा बात करते हैं कि हमने ये किया, वो किया, इतने काम किये। आज रिकार्ड उठाकर देखें तो मैं करौली जिले की बात करूं और हिण्डौन विधान सभा की बात करूं तो इनके टाइम पर इन्होंने एक भी नई स्कीम सैंक्शन नहीं की। जितने भी काम पूर्व में जो पिछली सरकार छोड़ कर गयी, वो ऐसी की ऐसी स्थिति में पांच साल तक पड़े रहे। फिर से नई योजनाएं सरकार ने बनायी हैं, इसके लिए पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि सरकार पानी के विभाग में अच्छा काम कर रही है और राजस्थान की जनता को इसकी जरूरत भी है।

गर्मी के टाइम पर सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्र में हम हैण्डपम्प लगाते हैं, हैण्डपम्प बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इसको हमारी सरकार ने महसूस किया कि जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जल स्वावलंबन योजना चालू की। पूर्व की सरकारों ने कभी यह महसूस नहीं किया। 55-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया और इन लोगों ने यह महसूस किया होता तो आज राजस्थान की जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि नहीं करती।

(श्रीमती राजकुमारी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, मांग संख्या 27 के मंत्री महोदय बैठे हैं क्योंकि सरकार को काम करने के लिए बहुत कम समय राजस्थान में मिलता है, अभी तीन साल से हमारी सरकार काम कर रही है। योजनाएं बनायी हैं, धरातल पर उतारने में टाइम लगता है, तो कई काम ऐसे हैं जिसमें नई योजनाओं की आवश्यकता है।

मंत्री महोदयजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत महावीरजी, जो धार्मिक तीर्थ स्थल है और यहां पर मेला भी होता है और बहुत दूर-दूर के यात्री भी आते हैं। यह बड़ा कस्बा है। इसमें तीन ग्राम पंचायत आती है, अकबरपुर, चांदन गांव और महावीरजी, इसके पास में ग्राम पंचायत दानालपुर, सनेट, पटोंदा, गांवड़ी मीणा और नंगला मीणा, ये ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, यहां पर दो-तीन गांवों में जनता जल योजना चल रही हैं और कुछ गांवों में जनता जल योजना की आवश्यकता है। जैसे सनेट ग्राम पंचायत के लिए हमने विभाग के द्वारा स्कीम भेजी हुई है, पटोंदा के लिए भी स्कीम भेजी हुई है तो आपसे निवेदन है कि इन योजनाओं को आप स्वीकृत करायेंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार 8 हजार 647 करोड़ 21 लाख का बजट का प्रावधान किया है। मैं आपसे मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जिन गांवों के लिए पेयजल योजना आपके विभाग को भेजी हुई हैं, उनको स्वीकृत करने के लिए निवेदन करती हूं कि आप उनको स्वीकृत करने की कृपा करेंगे, जिससे यहां के क्षेत्र की जनता को पानी मिल सके।

आज जनता की आवश्यकता को हमारी सरकार ने समझा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस चीज को बहुत नीचे तक देखा है। जैसा कि जब सुराज संकल्प यात्रा में माननीय मुख्य मंत्रीजी गयीं और कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के मंत्री और मुख्य मंत्री ए.सी. ऑफिसों में बैठ करके और ए.सी. का आनन्द ले रहे थे, उस टाइम पर हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा निकाली और गांव-गांव में लोगों का दु:ख-दर्द जाना तो उन्होंने देखा कि जून के महीने में राजस्थान की जनता को पानी की किस तरीके से आवश्यकता थी और जैसे ही सी.एम. बनीं, उन्होंने राजस्थान की कमान संभाली, उसके बाद में सबसे पहले पानी के ऊपर काम

(श्रीमती राजकुमारी)

करना शुरू किया। काम तो हर क्षेत्र में अच्छे किए हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत सारे एनीकट भी सैंक्शन हुए हैं। कई जगह अभी काम चालू होने वाले हैं। 8-10 करोड़ रुपए के एनीकट सैंक्शन हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 47 सिंचाई पर भी मैं सिंचाई मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके विभाग के द्वारा इस एरिया के लिए कुछ एनीकट तो बन चुके हैं और कुछ का काम चालू होने वाला है। 2 जगह तिगरिया के पास और महावीरजी के पास अगर एनीकट की और स्वीकृति हो जाती है तो निश्चित रूप से इस एरिया का जल स्तर बढ़ेगा और इस क्षेत्र की जनता इस सरकार को कभी भुला नहीं पाएगी। मेरा निवेदन है कि इसको भी पूरा करने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में अभी तीसरा बजट पेश किया तो उन्होंने हर साल बजट को बढ़ाने की कोशिश की है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा-सा निवेदन मैं पीएचईडी मंत्रीजी को भी करना चाहती हूं कि डिपार्टमेंट में कुछ कमजोरियां हैं क्योंकि सबसे ज्यादा राज कांग्रेस का रहा है। इन्होंने 55-56 साल राज किया है। भ्रष्टाचार इन्होंने चरम तक पहुंचा दिया। हालांकि आप उसमें मिट्टी के तेल की तरह काम कर रहे हैं। मिट्टी का तेल जैसे जंग को हटाता है, उसी तरह से काम कर रहे हैं। आपके पीएचई डिपार्टमेंट में भी जो योजनाएं हैं, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए की योजना शहर के लिए स्वीकृत की। लेकिन नीचे के लेवल पर इन्होंने इतना भ्रष्टाचार पनपा रखा था, उसके कारण से विभाग में बड़े-बड़े अधिकारियों को भी जेल जाना पड़ा। यह भी मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको जेल देखनी पड़ी। यह जो 2014 की स्कीम थी उसको 2016 में पूरा करना था। लेकिन विभाग के कुछ अधिकारियों के कारण वह आज भी थोड़ी-सी स्लो गति से चल रही है। उसको जल्दी ही पूरा कराने के लिए आपसे आग्रह करती हूँ जिससे क्षेत्र की जनता को पानी मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता।

श्रीमती अनीता (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पेयजल और जल संसाधन की मांगों पर अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि जल की क्या अहमियत है और बिना जल के कैसे कोई जी सकता है। यह भी बात सत्य है कि मनुष्य ने इतने सारे आविष्कार किए हैं, इतने इनोवेंशंस किए हैं कि आज हम सोचते हैं कि 100 साल पहले जो आदमी रहता होगा, वह कैसे रहता होगा। यह भी बहुत सोचनीय विषय है कि सारे इनोवेंशंस होने के बाद भी पानी को बनाने में इंसान नाकामयाब रहा है। आज भी जल के लिए हम ईश्वरीय शक्ति पर ही निर्भर रहते हैं कि ईश्वर अगर अच्छी बरसात देगा तो हमारे पोखर और तलैया सब भर जाएंगे, वही पानी जमीन में जाएगा। इस तरह से साइकिल अच्छे से चल जाएगी एवं पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कहा है कि 'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा'। यह पानी ही है जिसके लिए तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की बात भी है। लेकिन आज भी जो समस्या और परेशानियां हमारे क्षेत्र में आ रही हैं, गर्मी की बात क्या करें, भरी सर्दियों में भी हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। उसने एक बहुत गंभीर रूप ले रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस मांग के जरिए हमारी पेयजल मंत्री किरणजी जो थीं, उन्होंने जिस तरीके से अपने डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सँभाला, उसकी मैं प्रशंसा करना चाहती हूं। जिस तरीके से काम किया उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहती हूं। उनकी प्रशंसा के पीछे एक कारण विशेष है। वह इसलिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने पूरे प्रदेश के लिए आर.ओ. मंजूर किए। उनकी जो लागत रखी थी वह प्रत्येक आर.ओ. की 18 लाख रुपये रखी थी। उसी प्रकार से उन्होंने सारे आर.ओ. लगाए। उन्होंने बहुत बल्क में इसका ऑर्डर दिया। कोई गुजरात की कंपनी थी उसको ये ऑर्डर दिए। उसके बाद हमारी सरकार आई। हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी आई और किरणजी को जलदाय विभाग मिला। उन्होंने भी आर.ओ. के

(श्रीमती अनीता)

ऊपर बात करके टेंडर किए। उनकी यह विशेषता रही कि उन्होंने उन्हीं आर.ओ. को जो कि 18 लाख रुपए प्रति के किए थे कांग्रेस की सरकार ने, वह 14 लाख रुपये में आर.ओ. के टेंडर्स किए। अब वह आने लग गए हैं और हमारे क्षेत्रों में लग रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्रीजी से मांग करना चाहती हूं कि यह जो घोटाला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के राज में, उसके लिए आप जांच अवश्य बैठाएं। जिससे यह पता तो लगे क्योंकि हर चीज साल दर साल बढ़ती है। आप किसी भी बजट की कहो, किसी भी टेंडर के बारे में कहो कि इतना बजट था और वह लेट हो जाता है तो सब अधिकारी ऊपर से नीचे तक कहने लगते हैं कि महंगाई बढ़ गई है इससे उसका बजट उतना ही आगे बढ़ गया है। लेकिन यह जो चीज है, मैं समझती हूं कि यह भ्रष्टाचार का विषय है। इसमें जांच की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होने यह शुरुआत की कि जितने भी इन्होंने बड़े-बड़े टेंडर्स किए, उन सारे टेंडर्स में, टेंडर्स होने के बाद यह रहता है कि वह कुछ काम करेगा और फिर पेमेंट्स होंगे, लेकिन इन्होंने एक नया तरीका शुरू किया कि मोबेलाइजेशन का नया फंड बना दिया। जिसमें जैसे ही टेंडर्स हुए, ऐसे ही 10 परसेंट पैसा कंपनीज को दे देते थे ताकि यह मोबेलाइज करेंगी और जल्दी से काम करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि यह जो मोबेलाइजेशन फंड जिन भी कंपनीज को दिया गया था, मैं कंपनीज के नाम नहीं ले रही हूं लेकिन वह सारे टेंडर्स जो बड़ी-बड़ी कंपनीज को दिए गए और यह मोबेलाइजेशन फंड जो 10 परसेंट का उनको दिया गया, उसका कितना यूज हुआ, कितना काम हुआ? किस प्रकार से उन कंपनीज ने काम किया? यह सब बहुत बड़ी जांच का विषय है। इन सब पर आप जांच कराएंगे तो राजस्थान की जनता के सामने आएगा कि कांग्रेस ने सिवाय भ्रष्टाचार के कोई और काम नहीं किया है। इनको तो सिर्फ यह रहता था कि बजट करो, सैंक्शंस निकालो, बड़ी-बड़ी कंपनीज को दो और उनसे खूब सारा पैसा ले लो। उसके बाद काम हो, ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि मेरे विधान

(श्रीमती अनीता)

सभा क्षेत्र में आर.ओ. लगे और उनका 65 परसेंट पेमेंट कर दिया। आपने आर.ओ. एस्टेबलिश कर दिया, उसमें से पानी आने लग गया तो 65 परसेंट उन्होंने उसको पे कर दिया। 35 परसेंट उन्होंने मेंटीनेंस का रखा। यह जो मेंटीनेंस का 35 परसेंट रखा, जिसको लगातार 7 साल तक उस कंपनी को संभालना था। अगर उस आर.ओ. में कोई खराबी हो तो उनको ठीक करना था। उसमें पानी समय से आए, वह उनको करना था। उसमें किसी लड़के को रखना था जो उसकी मेंटीनेंस करे, मरम्मत करे। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह मेंटीनेंस का काम आज हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। उसकी थोड़ी-सी मेमरेन खराब हो गई या कोई बात हो गई तो उस कंपनी वाले को बुलाना पड़ता है। वह कंपनी वाले आने में आनाकानी करते हैं कि अब आएंगे, तब आएंगे। ऐसे करके 2-2, 4-4 महीने लगा देते है। प्रदेश के लोगों की गाढ़ी कमाई, किसानों की गाढ़ी कमाई इसमें लगी है और जनता के पीने के लिए शुद्ध पानी की बात है तो इसको भी आप जरूर देखें कि जो 35 परसेंट मेंटीनेंस का काम है, अगर वह कंपनी नहीं कर रही है तो उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए। यह आप जरूर सुनिश्चित करें।

(18.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक महत्वाकांक्षी योजना चंबल की चली। जिसमें कहा गया कि भरतपुर शहर के बाद, नगर में, डीग में और कामां के अंदर पानी के लिए 790 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। आपके पूरे विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को पीने का पानी उपलब्ध होगा और वह यह था कि 2013-14 में उसकी सैंक्शन हुई और उसके बाद में उसके टेंडर भी हो गए और वह जो कम्पनी है उसको सितम्बर, 2016 में अपना काम पूरा करना चाहिए था। उन्होंने काम उसमें किया नहीं और उसके बाद हमने विधान सभा के अंदर हमारी माननीय मंत्रीजी को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने मीटिंग भी बुलाई और उसका टेंडर भी किया। पहले तो रिसेंट किया, फिर तीन बार रिटेंडर किए। ठेकेदारों और कम्पनी का पूल बन जाता है, ये किसी दूसरी कम्पनी को टेंडर नहीं लेने देते कि यह जो काम हमको मिला है, वे दूसरे को लेने नहीं देते। इसकी वजह से यह काम बंद हो गया। फिर तीन बार के बाद चौथी बार, बहुत प्रयासों के बाद इसका काम भी लिया

(श्रीमती अनीता)
और मेरे ख्याल से फर्स्ट पेमेंट भी उसको दिया था रिसेंट करने के बाद और उसके बाद में उस कम्पनी, केवल कुछ पाइप्स हमारे यहां पर किराये पर लेकर जमीन को, उसकी बाउण्ड्री वाल जिसकी थी, उसमें मेरे ख्याल से एक-एक करोड़ रुपए के पाइप्स रखे और ताला लगाकर वह चले गए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों का जो हिस्सा सरकार ने दिया पीने के पानी का, जो बजट उनको दिया, वह बजट लगना चाहिए। आप फिर से टेंडर करिये, फिर से व्यवस्था करिये कि कोई कम्पनी आए और इस काम को, चम्बल योजना का काम है, हमारी जो पेयजल योजना मंजूर हुई है उस योजना को, उसका बजट चाहे आगे-पीछे करके, कैसे भी करके वह पानी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले, डीग को भी मिले, कामां को भी मिले, हमारे को भी मिले, नगर को भी मिले। ये तीनों हमारे विधान सभा क्षेत्र के आसपास लगते हैं, इन सबको पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए, यह मैं आपसे कहना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सरकार की ओर से सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम जो सोलर पावर से चलेंगे, क्योंकि बिजली की कम उपलब्धता रहती है, तो सोलर पावर से चलेंगे तो उसके लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रस्ताव दिए हुए भी बहुत समय हो गया है। वह भी हमारे क्षेत्र में लगने चाहिए। यह मैं ऐसा आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहती हूं कि वह इस काम को जरूर-जरूर करायें क्योंकि इसका बहुत ज्यादा प्रचार-प्रसार हमारे द्वारा और सरकार के द्वारा हो रहा है। हम क्षेत्र में जाते हैं तो सब लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि सोलर वाले अभी पम्प आपके लगे नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा इतनी है कि मैं समझती हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में 80 परसेंट, 85 परसेंट गांवों में फ्लोराइड इतना है कि नीचे पीने का पानी बहुत खारा है। हम पूरी तौर से बरसात के जल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बरसात का जल आया, जमीन के अंदर गया, तो उसमें हमने हैंडपम्प्स लगा दिए, बोरवेल कर दिए, कुएं कर दिए, जो हम लोगों को पीने का पानी उसी से मिल जाता है और वह नहीं कर पाते हैं तो नहीं मिल

(श्रीमती अनीता)

पाता है। फिर केवल 20 परसेंट या 25 परसेंट गांव ऐसे हैं जहां नीचे भूमि के जल है वहां पर भी हमने पीएण्डटी स्कीम्स के द्वारा, जब हमारी पहले सरकार थी तो उस समय के माननीय मंत्रीजी, सांवरलालजी ने बहुत सारा पैसा, अच्छा बजट हमारे क्षेत्र के लिए दिया था और मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 वर्ष कांग्रेस के जो गए, उन्होंने उस पूरी योजना को ठप कर दिया और आज वह करोड़ों रुपए वेस्ट हो गए और टंकियां बनी खड़ी हैं, वह जर्जर हो गए, पाइप लाइन पूरी खराब हो गई है। इस तरह की व्यवस्था उसमें हुई है। उन्होंने अपना तरीका निकाल लिया। पहले तो कहते थे कि जहां खारा पानी बोरवेल में निकल गया तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगा, उसका नया तरीका निकाल लिया कि हाइड्रोलोजिस्ट की रिपोर्ट ले लो, फिर मर्जी आए वहां पर ही आप बोरवेल खोदो और उसके बाद पेमेंट पर कोई रोक नहीं होती थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो भी हमारी पीएण्डटी स्कीम्स जो बनी हैं, उनमें जाटोली भी है, शीशवाड़ा गांव भी है और जन्तर बैल्ट में हमारा पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितनी पीएनटी स्कीम्स थी उनकी मरम्मत के लिए, मेंटीनेंस के लिए, उसके लिए पैसा अवश्य दें, जिससे वे सारी स्कीम्स जिनमें हमारा करोड़ों रुपया लगा है वे रिवाइव हो जाएं और दुबारा उनमें पानी ठीक से आ जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि हमारे यहां पर खारा पानी तो है ही, लेकिन मेन सोर्स जो रहता है कि किसी को पीने का पानी देना है गांव में, तो स्कीम्स का तो पता नहीं, कब आएगी, क्योंकि हाइड्रोलोजिस्ट तो आ नहीं पाता। मंत्रीजी से मैंने पहले भी निवेदन किया कि आपके यहां पर स्कीम्स है कि 1500 से ऊपर की जो जनसंख्या होती है उसमें आप वाटर स्कीम्स सैंक्शन करते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोलोजिस्ट एक वर्ष से लगातार, हम उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं लेकिन वह नहीं आता है क्योंकि उसको जयपुर से बुलाना चाहते हैं। मैं उसमें सुझाव देना चाहती हूं कि हमारे पास अलवर है। अलवर में भी हाइड्रोलोजिस्ट का आपका एक पैनल है, तो उस पैनल को आप कह देंगे तो वह आकर वहां रिपोर्ट दे दे जिससे हमारी स्कीम्स जो रुकी हुई हैं, सारा बना हुआ है इस एक हाइड्रोलोजिस्ट की रिपोर्ट की वजह से साल-साल भर स्कीम लेट हो जाती है,

(श्रीमती अनीता)

तो वह वहां पर हो जाए तो उससे हमको बहुत अच्छा फायदा मिल जाए।

हैंड पम्प ही हमारे यहां पीने का पानी उपलब्ध कराने का सोर्स हैं, क्योंकि हमारे चालीस, पचास, साठ और अस्सी फीट गहरे तक है, तो उतना ही हैंडपम्प चल पाते हैं। छह महीने और साल भर में उस हैंड पम्प पर पानी नहीं रहता है। सरकार का है कि पीएचईडी के द्वारा जितने हैंड पम्प लगे हैं उनकी मेंटीनेंस भी होती रहती है, लेकिन मेंटीनेंस की बात तो तब हो जब उसमें पानी हो। हमारे यहां हैंड पम्प में, बोर वेल में छह महीने में, साल भर में पानी खतम हो जाता है। मैं चाहती हूं कि हैंडपम्प और बोर वेल जो पीएचईडी के मंजूर हैं, जिन गांवों में वे बिलकुल खराब हो गए हैं, तो उनको बदले में आप नए दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैंड पम्प के मिस्त्रियों का जो अभियान चलता है, चूंकि जो अभियान चलाते हैं वह गर्मियों में चलाते हैं। गर्मियों में पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है। उसको हमको चेंज करना चाहिए। गर्मी आने से पहले ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, अगर तीन-चार महीनों में हम हैंडपम्प मिस्त्रियों से हैंडपम्प ठीक करवाने का काम करवा लेते हैं तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे गर्मी आने से पहले ही पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हमारे जो आरओ लगे हुए हैं वे बिजली से चलते हैं और बिजली के बिना कोई भी पीने के पानी की स्कीम हमारे यहां चल नहीं रही है और कहीं भी नहीं चल रही, क्योंकि पानी इतने नीचे चला गया है कि उसको हाथ से निकालना अब असम्भव है। सब बिजली से चलता है। बिजली से जहां चलते हैं वहां बिजली कटौती इस प्रकार की हो जाती है कि अगर किसी दिन कोई बिजली खराब हो गई या बिजली नहीं आई, तो पीने के पानी की किल्लत बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को सुझाव देना चाहती हूं कि आरओ जहां आपने लगाए हैं, जहां इतना पैसा खर्च किया है, वहां इन्वर्टर की व्यवस्था भी करें, जिससे अगर बिजली नहीं आ रही तो इन्वर्टर के द्वारा वह आरओ की मशीन चल जाए और लोगों को पीने का पानी समय-समय पर मिल जाए।

(श्रीमती अनीता)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और ध्यान दिलाना चाहती हूं, क्योंकि आपने मेरे यहां 118 आरओ स्वीकृत किए हैं, 118 आरओ जो हुए हैं वह लगभग सब गांवों में है लेकिन जिनकी जनसंख्या अधिक है, जैसे मैं कहना चाहती हूं कि सुनरावली, खतरावली, घहनकर, बुलपाडड़ा, ये बड़ी संख्या के गांव हैं। इन गांवों में अगर एक-एक आरओ रहता है तो उससे पीने का पानी पूरा नहीं पड़ जाता है। इसलिए उनको अलग एक-एक आरओ और स्वीकृत करने चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर जो जीएनसी है, गुडगांव मेन कैनाल। उस गुडगांव मेन कैनाल के अंदर हमारा जो 1994 में एक समझौता हुआ था जिसमें भरतपुर को 1281 क्यूसेक पानी मिला, तो 1994 से लेकर आज तक, अब हो गई 2017, तब से लेकर आज तक हमको कभी भी जो हमारे हिस्से का पानी है, वह नही मिला। मैंने अभी मेरे प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था, तब भी मैंने कहा था कि हमारे यहां सीकरी लिफ्ट योजना, मैं चाहती हूं कि आप सैंक्शन करें, तो आपने कहा कि पानी उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं इसको करना नहीं चाहती। मैं माननीय मंत्रीजी, आपको कहना चाहती हूं कि जो हमारा हिस्सा है 1281 क्यूसेक का, वही पानी हमें नहीं मिलता है। मुझे बड़ा दु:ख है इस बात का कि तब से लेकर अब तक 500 क्यूसेक पानी हमारे हिस्से का मिला नहीं। हमारा पूरा हिस्सा जो पानी का है वह हमको मिले कैसे? किस प्रकार मिले। एक तो वहां पर हरियाणा सरकार के लोग छोड़ते नहीं, दूसरा अगर पानी वहां पर आता नहीं, तो वहां के बीच में किसान आते हैं वह सारे पानी को चोरी कर लेते हैं, वह उस पानी को निकाल लेते हैं। जो हमारा हिस्सा है, वह हमारा हिस्सा हमको पूरा मिले। अगर 1281 क्यूसेक हमारा है तो हमको मिल जाए और इतना पानी हम लोगों को भरतपुर में मिलता है तो मैं समझती हूं कि भरतपुर में बहुत सारी पानी की व्यवस्थाएं हैं जो बहुत-कुछ ठीक हो सकती हैं।

एक हमारे यहां अलवर से रूपारेल नदी का पानी आता है उसके लिए मैं मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आपको और विधान सभा के

(श्रीमती अनीता)

अध्यक्ष जी एवं उपाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि इन्होंने जिस प्रकार से विधायकों की कमेटी बनायी और उस कमेटी के अंदर हम सब लोगों ने साल भर जाकर काम किया, उससे आज मैं कह सकती हूं (व्यवधान) उसमें हमने काम किया और काम करके रिपोर्ट भी तैयार की। वह रिपार्ट विधान सभा में देनी भी है, लेकिन अभी तक इर्रिगेशन के जो अधिकारी हैं वे फाइनल रिपोर्ट बनाकर बैठे हैं, उन्होंने अभी तक सब्मिट नहीं की है, क्योंकि उसके अंदर हम चाहते हैं फोरेस्ट के अंदर 144 एनीकट बने हुए हैं जिनको तोड़ना चाहिए, जो अवैध रूप से बने हैं, जो लीगल नहीं हैं। अगर वे सारे एनीकट टूट जाते हैं तो रूपारेल का जो बरसात का पानी है वह अलवर से लेकर भरतपुर तक सबके बीच आ जाएगा और सबको उससे बहुत फायदा मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, समय की बाध्यता को समझते हुए एक लास्ट चीज मैं कहना चाहती हूं। जीएमसी में जो हमारा पानी आ रहा है उसमें गौवंश आता है। यह पहले भी मैंने आपके ध्यान में बात डाली थी। मैं कहना चाहती हूं, कल भी बहुत सारा गौवंश मृत आया, जिसकी वजह से पानी में भी इंफेक्शन होता है और हमारे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी बहुत आहत होती है। इसलिए मैं मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि आप इसमें विशेष रूप से हरियाणा गवर्नमेंट से बात करें और उन चीजों को देखें कि कौन इसमें गोवंश डालता है और किस प्रकार से इस पानी में इंफेक्शन फैला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद, आपने गंभीरता से मुझे बोलने का मौका दिया और सुना, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं कोई पाइंट बनाकर नहीं लायी हूं। मैं मेरी बात है वह कहूंगी। आप मुझे टोकना मत, मैं 5-7 मिनट में खतम कर दूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सामने जलदाय मंत्री बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि जोधपुर के अंदर पानी की समस्या इतनी आ गयी कि कायलाना तो बिलकुल खाली पड़ा है। आज तक कभी ऐसा नहीं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हुआ कि होली, दीवाली पानी नहीं मिलता हो। पानी नहीं मिलने का कारण क्या है? मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय पानी देना चाहते हैं, मगर कुछ अधिकारियों की वजह से जोधपुर को ऐसे त्यौहारों के ऊपर पानी नहीं दिया गया। यह एक बहुत दु:ख की बात है। जब शील सप्तमी आयी थी तब वहां सब लोगों के मटके खाली पड़े थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शहर में रहती हूं। मेरा मकान हर समय हरेक के लिए खुला है। सुबह चार बजे ताला खुलता है, रात को 12 बजे बंद होता है। हर व्यक्ति आता है और कहता है कि पानी की क्या बात हुई, पानी क्यों नहीं आया, पानी क्यों नहीं आया। क्या कहते हैं, मैं मेरी भाषा में बोलकर बता रही हूं, आकर यह कहते हैं "राजामाता साहब री बेटी है उठे, बा महाराणी है जकी राजस्थान री मोटी अफसर है, मगर बा महाराणी जिद्दी है। तो पाणी तो देवणी चावै, थे क्यूं न जार बान कहवौ।" म्है तो घणो ही कहवां, पर पाणी तो देवे जद देवे।" पानी कायलाना में ही नहीं है तो कैसे दे? पब्लिक इस बात को बिलकुल नहीं समझती है कि कायलाना में पानी है या नहीं, उम्मेदसागर में है या नहीं, फतेहसागर में है या नहीं। वे चाहते हैं कि हमें पानी मिलना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं यह कहना चाहती हूं कि सारे हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। उन पर मशीन भी नहीं लगी हुई है। आप मशीन लगा दो, हम पैसा पब्लिक से दिला देते हैं। हम खुद कमेटी बनाकर जो चार्ज होगा वह दे देंगे।

यहां पर पूर्व मंत्री किरणजी माहेश्वरी बैठी हैं। उन्होंने हमारे यहां 4-5 एसएलआर सैंक्शन किये। 3-4 तो बन गये, लेकिन दो आज तक नहीं बने हैं। मैं चाहती हूं कि मंत्रीजी इसका तुरन्त एक्शन लें क्योंकि गर्मी आने वाली है। उसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहती हूं, तुरन्त इस बात पर सोचें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि पानी की पाइप लाइन और सीवरेज लाइन की पाइप लाइन साथ-साथ चल रही है जिसके कारण से बहुत गंदा पानी आता है और उसका मालूम नहीं पड़ता कि कहां लीकेज है। इस लीकेज को सुधारने हेतु पीएचईडी के पास एक मशीन है उससे मालूम पड़ जाता है कि यहां से गंदा पानी आ रहा है। मैं चाहती हूं कि उस मशीन को काम में लें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मेरी यह मान्यता है कि वर्तमान मंत्री यह चाहते हैं कि पब्लिक को पानी मिलना चाहिए, पब्लिक की समस्या दूर होनी चाहिए। लेकिन किन कारणों से नहीं हो रही है? मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इन बातों पर विचार करो। आप गांवों को पानी दो, कोई तकलीफ नहीं है, पानी सबको मिलना चाहिए, मगर शहर का जो पानी है वह शहर को ही मिलना चाहिए। शहर के पानी में आप कटौती क्यों कर रहे हो? मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई पंचायत नहीं है, मगर कच्ची बस्तियां बहुत हैं। मैं जिस क्षेत्र से वर्तमान में जन-प्रतिनिधि हूं और शहर में रहती हूं, मेरे शहर के विधायक भी बैठे हैं। उनसे मिलने जाऊं तो 100 रुपये का खर्चा है, तो वे देखते हैं कि जीजी रास्ते में ही है, मिलकर सारी बात कह दो। पानी बिना कुछ नहीं है। मैंने तो आज तक पानी के वास्ते ही झगड़ा किया है और पानी के वास्ते ही लड़ते-लड़ते विधान सभा में पहुंची हूं। पानी के वास्ते मैंने घड़े फोड़े हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा राज किया है। लेकिन उसने भविष्य की बात नहीं सोची, जो राजा-महाराजाओं ने सोची थी। जोधपुर में गंगा तालाब है, बाईजी का तालाब है, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है? वे कूड़ा-करकट से भरे हुए हैं। जोधपुर के राजा-महाराजा हमेशा यह सोचते थे कि जोधपुर की जनता को पानी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसलिए जोधपुर की जनता के वास्ते जवाई बाँध बनाया। मारवाड़ी में कहावत है "छाछ तांई आई, धरियाणी बनगी।" वह पानी तो हमें कम मिलता है। मैं यह चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस पानी के लिए विचार करो। आज कुछ भी नहीं करते तो हैण्डपम्प से पानी तो दो। अब मेरी जैसी को कह दे कि हैण्डपम्प चलाओ, तो मुझसे चलेगा नहीं। उस पर मशीन की व्यवस्था करनी चाहिए। आप यह कह दो कि पैसा सरकार नहीं देगी तो हम वहां कमेटी बना देंगे। आप हैण्डपम्प पर मशीन लगा दो, हम कमेटी बनाकर उनका पेमेंट कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक और निवेदन है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप मुझे कम से कम 100 हैण्डपम्प तो सैक्शन करो, मैं ज्यादा आपसे मांगती ही नहीं। (व्यवधान) सबको करे तो और बढ़िया बात है। कम से कम सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में 100

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हैण्डपम्प और ट्यूबवैल सैंक्शन कर दो। हैण्डपम्प पर मशीन की आप घोषणा करें कि उन पर हम मशीन लगाएंगे। उनका पेमेंट कमेटी बनाकर, घर-घर जाकर, मोहल्लावाइज जाकर जहां-जहां आप मशीन लगाएंगे उनका पेमेंट करेंगे उसकी जवाबदारी मैं लेती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे मदद करो, मेरी रक्षा करो, इनको कहो कि आज घोषणा करें कि एक हफ्ते के अंदर-अंदर व्यवस्था कर दी जाएगी क्योंकि जनता को पानी सबसे आवश्यक है। मेरी हमेशा प्राथमिकता बिजली और पानी रहती है। मैं सफाई को उसके बाद देखती हूं। आज बाईजी का तालाब, गंगा तालाब की व्यवस्था सरकार करती तो यह स्थिति नहीं होती। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने राज किया है और मैं बोलती रही हूं। मैं 1980 में जब म्युनिसिपैलिटी मेम्बर थी तब से बोल रही हूं। आज तालाबों की बहुत बुरी हालत है। वे कूड़ा-करकट और गट्टर के पानी से भरे पड़े हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूं। मंत्रीजी आज इस बात की घोषणा करें और मशीन लगाने का फाइनल करें। मशीन लगा दोगे तो भी हम राज़ी हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 27 पेयजल और मांग संख्या 46 सिंचाई पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि संसार में सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति जल से ही हुई है। जल की महत्ता को रहीमदास जी ने सच ही कहा है "रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी बिना न उबरे, मानस मोती चून।" जल प्रकृति का उपहार है, यह धरती का श्रृंगार है, जीव-जंतु और पशु-पक्षी सबका यही पालनहार है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो पानी की है। आज पूरे देश में भू-भाग की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है

(श्री भागीरथ चौधरी)

और पानी की दृष्टि से सबसे कम पानी राजस्थान में है। अभी कई माननीय सदस्यों ने आज जलदाय और सिंचाई पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह मानना है कि हमारे इस प्रदेश के लिए नदियां जुड़ें। यह सबसे बड़ी महत्ती आवश्यकता है। यदि नदियां जुड़ जायेंगी तो इस राजस्थान की सारी समस्या हल हो जाएगी। सिंचाई मंत्रीजी यहीं हैं। मेरा यह कहना है कि इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय जी, यदि नदियां जुड़ गईं तो इस राजस्थान की सारी समस्या हल हो जाएगी और यदि नदियां नहीं जुड़ीं तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया और हमारी पूर्व जलदाय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने मेरे किशनगढ़ शहर की एक बहुत ही महत्ती आवश्यकता थी उसको बजट 2015-16 में शहरी क्षेत्र की चिर-प्रतीक्षित शहरी पुनर्गठन पेयजल योजना की स्वीकृति देकर 185 करोड़ 20 लाख रुपये की इस महत्ती योजना की क्रियान्विति करायी। उसके पहले चरण में 77 करोड़ 29 लाख रुपये तो स्वीकृत हो गये हैं और वो 2017 में योजना पूर्ण होने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे चरण में 129.13 करोड़ रुपये गत अक्टूबर 2016 में विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं और फरवरी, 2017 में निविदाएं खोल दी गई हैं, जिनमें 15 उच्च जलाशय, पम्प हाउसों एवं 650 किलोमीटर की वितरण पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सामने विराजे हुए विपक्षी भाइयों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जब पूर्ववर्ती सरकार थी और पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्रीजी मेरे किशनगढ़ में पधारे थे। उन्होंने वहां जाकर 200 करोड़ रुपये की पेयजल योजना के लिए घोषणा कर दी, परन्तु बड़े दु:ख की बात है कि उन्होंने उसके लिए 200 रुपये ही नहीं दिये और उसी का खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। वहां बड़े-बड़े होर्डिंग लग गये, बैनर लगा दिये और 200 करोड़ रुपये की उन्होंने घोषणा कर दी। परन्तु दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने 200 रुपये ही नहीं दिये। परन्तु मैं हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया और जलदाय

(श्री भागीरथ चौधरी)

मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी जो ज्वलंत समस्या थी, उस योजना को इन्होंने स्वीकृत किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे वर्तमान जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 129 करोड़ 13 लाख रुपये का जो दूसरा चरण है उसमें यह जो पुनर्गठित पेयजल योजना है, उसमें नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इण्डिया को एन.एच. 79ए में 6.50 किलोमीटर से 35.850 की सीमा में दायीं तरफ 700 एम.एम. डी.आई. के 9 पाइप बिछाये जाने एवं 34.525 पर पाइप लाइन क्रोसिंग की स्वीकृति दी जानी है। उसी क्रम में एन.एच.ए.आई. के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा 20556 मीटर की स्वीकृति अपने पत्रांक 1061 दिनांक 20.06.2016 द्वारा जारी की जा चुकी है एवं शेष 8844 मीटर की स्वीकृति भूमि अधिग्रहण के अभाव में आज दिनांक तक जारी नहीं की गई है, जिसमें 6744 मीटर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद एवं 2100 मीटर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ से सम्बन्धित है। उपाध्यक्ष महोदय, 6744 मीटर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा अवार्ड पारित किया जा चुका परन्तु आज दिनांक तक अवार्ड राशि वितरण सम्बन्धी कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद में प्रक्रियाधीन है। वहीं दूसरी ओर 2100 मीटर भूमि अधिग्रहण हेतु उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा अवार्ड आकलन सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृति जारी करने के पश्चात् अवार्ड पारित किया जाना शेष है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बजट घोषणा 2015-16 में स्वीकृत पुनर्गठित पेयजल योजना की पूर्ण एवं शीघ्र क्रियान्विति हेतु आवश्यक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय भीलवाड़ा द्वारा शेष 8844 मीटर की भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति की कार्यवाही अविलम्ब करायें। ज्ञात रहे कि उक्त योजना का शिलान्यास आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 14 अगस्त 2016 को कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र में 2003 से 2008 में आदरणीय मुख्य मंत्री वसुंधरा जी के समय जो भारतीय जनता

(श्री भागीरथ चौधरी)
पार्टी की सरकार थी, उस समय गांवों के अन्दर जो पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी, वहां सीमेंट की पाइप लाइन उस समय डाली गई थी। परन्तु दुर्भाग्य से 2008 से 2013 तक इन्होंने उसकी कोई सुध-बुध नहीं ली और इसलिए गांवों में वह जो सीमेंट की पाइप लाइन है वो सारी टूट गई है। इसकी वजह से आज यह हालत हो रखी है कि गांवों में 3-3 साल से पानी ही नहीं जा पा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सीमेंट की पाइप लाइन डली हुई है, उसकी जगह लोहे की पाइप लाइन डालने की आप जरूर स्वीकृति दें ताकि उन गांवों को, जो पानी वहां जा ही नहीं रहा है और जगह-जगह वो टूट गई है, बार-बार ठीक करने के बाद फिर टूट जाती है, इस वजह से गांवों में पेयजल का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रखा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरी जो ग्रामीण योजनाएं हैं उन योजनाओं में आप पाइप लाइन बदलवाने की जरूर घोषणा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे करसूरा, दादिया और बान्दरसिंदरी में आबादी के हिसाब से घर-घर कनेक्शन के दो साल से आर्डर हो चुके हैं पर आज तक उन गांवों में कोई कार्यवाही उस काम के लिए शुरू नहीं हुई है। इसलिए आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि घर-घर कनेक्शन की जो स्वीकृति हो चुकी गांवों में आबादी के हिसाब से, उन गांवों में घर-घर कनेक्शन का जरूर कार्य करें।

मेरे वहां गांवों में कालानाडा, भूगादीत, सांदोलिया, छोटा लाम्बा, ढसूक, सिरोंज, आकोड़िया एवं अरांई कस्बे में पंचायत समिति किशनगढ़ के टिकावड़ा, बरना, खाड़ा, डींडवाड़ा, नलू, भुहारू, त्योद आदि ग्राम पंचायतों के गांवों एवं ढ़ाणियों में समुचित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था अवरुद्ध-सी है। मेरे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दौरों के दौरान एवं जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण किसानों द्वारा पाइप लाइन क्षतिग्रस्त एवं टूटी-फूटी होने के कारण सुचारू पेयजल आपूर्ति नहीं होने से उनको ठीक करवाने की मांग की जा रही है। अत: उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों में आप आज ही घोषणा करें। मैंने

(श्री भागीरथ चौधरी)

लिखित में मंत्री महोदय से निवेदन भी किया है और मुझे पता है कि आप चाहते हो कि गांवों में जो पेयजल की समस्या है उसका निदान हो। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बजट सत्र 2017-18 में जरूर विभागीय प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर आप यह स्वीकृत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि गांवों में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और ग्रीष्म ऋतु आ रही है, तो मेरे वहां पर हैण्डपम्पों की स्वीकृति जरूर दिलायें। दूसरा, मेरा निवेदन है कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र में जहां टूटी-फूटी सड़कें हैं उसका आपको लिखकर दिया हुआ है वो जरूर स्वीकृत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46 के बारे में सिंचाई मंत्रीजी से कहना चाहूंगा। सिंचाई मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 95 परसेंट जितने भी तालाब हैं उन सबको ग्राम पंचायतों को दे दिया है और वो सामने जो बैठे हैं उनकी सरकारों की मेहरबानी है। ग्राम पंचायतों को दे दिया है पर ग्राम पंचायतों के पास बजट नहीं है तो उन तालाबों का कोई रख-रखाव नहीं हो रहा है। उन तालाब में आने वाले पानी की जिनको आव बोलते हैं वो सारी टूटी-फूटी है इसलिए तालाबों में पानी नहीं आ रहा है और वो पानी नहीं आने की वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यदि वह आव ठीक हो जाये और तालाबों में पानी पहुंच जाये तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जायेगा। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन ग्राम पंचायतों से वापस इर्रिगेशन विभाग में इन तालाबों को ले लेना चाहिए ताकि उनकी सुध-बुध हो जाये। ग्राम पंचायत वाले कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो पैसे नहीं है तो आखिर क्या होगा? वे स्टेट टाइम के तालाब बने हुए हैं, अंग्रेजो के समय के तालाब बने हुए हैं, उनकी कोई सुध-बुध नहीं ली, क्योंकि कई वर्षों तक उन्होंने राज किया। उन्होंने तो सारा बंटाधार कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि सिंचाई मंत्रीजी जरूर इस पर ध्यान देंगे क्योंकि मैं सिंचाई मंत्रीजी के पास जाता हूं, पता करता हूं तो सारे तालाब ग्राम पंचायत को दे दिये, पंचायत समिति को दे दिये और उनके पास बजट नहीं है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप जरूर मंत्री महोदयजी को कहकर मेरी इस समस्या का निदान करायेंगे।

एक आखिरी बात है। मेरे सिंचाई विभाग के सरवाड़ स्थित उक्त कार्यालय के क्षेत्र में काश्तकारों, ग्रामीणों को सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता है, जबकि मेरा निवेदन है कि अरांई में यह कार्यालय खुलना चाहिए। अत: आपसे निवेदन है कि प्रदेश की महत्वपूर्ण पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) में सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना की सक्षम विभागीय स्वीकृति इसी बजट में और आज ही सिंचाई मंत्रीजी घोषणा करें कि मेरे यहां यह कार्यालय खुल जायेगा, जिससे इस क्षेत्र की 21 ग्राम पंचायतों के काश्तकारों और ग्रामीणों को सिंचाई एवं सिंचाई संबंधी सभी जन कल्याणकारी विभागीय योजनाओं की समुचित जानकारी, लाभ मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, आपकी बहुत बड़ी, महती मेहरबानी हुई कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया और मैं निवेदन करना चाहूंगा जलदाय मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से कि जरूर मेरी इन मांगों को आज ही स्वीकृत करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरेन्द्र कुमार।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत ढेर सारा धन्यवाद और आभार।

अभी कहा गया कि "जल ही जीवन है, जल है तो कल है"। यह भी कहा गया कि "पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा।" जिसका कोई रंग नहीं हो, जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते और जिसको पैदा नहीं कर सकते, वह पानी, जिसके द्वारा सिंचाई भी होती है और पीने के काम भी आता है और उसको सबसे कम महत्व दिया जाता है। पुराने लोग बाग कहते थे कई बार, कोई ज्यादा पैसा खर्च करता है गांवों में, तो एक कहावत है कि देखो, कैसे पानी की तरह पैसा बहा रहा है। इसका मतलब पानी का कोई महत्व ही नहीं है। पुराने बुजुर्ग यह भी कहते थे, जो पानी बेकार बहाता है और अनाज को जूठा छोड़ता है, उसकी आड़ी नहीं आती हैं, मतलब, उसका कोई विकास नहीं होता। इसका मतलब यही है कि पानी को जितना बचाया जायेगा, उतना ही पानी के लिए हम जो चर्चा कर रहे हैं, वह मिटेगी। क्योंकि इसको हम पैदा भी नहीं कर सकते। इसको पैदा करने के लिए प्रकृति ने केवल

(श्री नरेन्द्र कुमार)

एक ही आधार दिया है कि नीचे से निकालते हैं और बरसात के द्वारा दुबारा एक मौका दिया जाता है। इस बरसात के द्वारा जो पानी आता है, उसको कैसे बचाया जाये, उसी को बचा सकते हैं।

उसको बचाने के लिए मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आदरणीय मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री महोदया ने जल स्वावलम्बन अभियान, पानी को बचाने का अभियान छेड़ा है, वह राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। जल स्वावलम्बन अभियान द्वारा जो पहला चरण हुआ, उसमें हमारे पानी का स्तर भी काफी ऊपर आया है। पुरानी बावड़ियां भी बनाई गई हैं, पुराने खेतों में और घरों में काफी कुण्ड भी बनाये गये हैं। इसलिए पानी की बचत ही सबसे महत्वपूर्ण इसका मुद्दा है। पानी की बचत की जाये और पानी की बचत के लिए मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बरसात का पानी ही बचा सकते हैं तो इसके लिए प्रत्येक घर में कुण्ड अनिवार्य किया जाये जिससे बरसात का पानी बाहर ही नहीं निकले।

दूसरा, यह जो गंदा पानी भी बाहर निकलता है, उसको भी रोका जाये। जो सरपंच महोदय हैं, जो भी हैं, पंचायती राज के नीचे सरपंच आते हैं, प्रधान भी आते हैं। उनको इस तरह का बजट दिया भी जाता है कि हर घर के आगे सोखती कुई होनी चाहिए जिससे गंदा पानी भी बाहर नहीं निकले। हम पड़ौस अच्छा चाहते हैं और फिर भी गंदा पानी बाहर निकालते हैं और उस घर की तरफ जाता है। मैं तो यहां तक भी कह सकता हूं, जिसके घर में बरसात का पानी का कुण्ड है और सोखती कुई है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी हुई है कि आफिसर्स गैलरी में कोई भी माननीय सदस्य नहीं जायेगा। ये परसों भी गये थे माननीय सदस्य और आज फिर गये। हंस और रहे हैं। मतलब, आसन देख रहा है फिर भी हंस रहे हैं। तो इतना तो, थोड़ा-सा व्यवस्था का तो ख्याल रखना चाहिए इनको।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): मैं तो यहां तक भी कह सकता हूं कि जिसके घर में पानी बचाने का कुण्ड है और सोखती कुई है, गंदा पानी बाहर नहीं निकल सकता, उसमें पति-पत्नी का झगड़ा, भाई-भाई का झगड़ा, सास-

(श्री नरेन्द्र कुमार)

बहू का झगड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सकारात्मक सोच पैदा होती है पानी बचाने से और किसी भी बच्चे का, किसी भी बच्ची का, यदि उसका विकास देखना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले पानी बचाना सिखा दो। उसके बाद में कोई भी चीज उसको बताने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि उसकी सोच बदल जायेगी। यही मुख्य मंत्री महोदया की सोच थी कि पानी बचाने के अभियान के साथ-साथ यह सोच भी बदली जाये। अभी वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जो अगला युद्ध होना है, वह इस पानी के लिए ही होना है। तो इस पानी का ज्यादा से ज्यादा यही उपाय है कि जिसको हम पैदा नहीं कर सकते, इसको हम बचा ही सकते हैं। बचाने का सबसे बड़ा उपाय इसमें होना चाहिए। मैं तो मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरपंचों को इस तरह से लागू किया जाये या जनता को किस तरह से लागू किया जाये क्योंकि भारत की जनता ऐसी है कि उस पर सख्ताई के बिना कोई भी पानी नहीं बचाना चाहता, क्योंकि पानी से जितना आनन्द आता है, उतना आनन्द किसी से भी नहीं आता। मैं तो कह रहा हूं, जो बड़े लोग हैं, वह पानी को ज्यादा बेकार में बहाते हैं, क्योंकि उनके पाँच-पाँच, सात-सात मकान मिलेंगे। गरीब का तो एक मकान होता है। यदि वह पानी बेकार भी बहाता है तो एक जगह ही बहाता है और जिसके पाँच-सात मकान है, वह ज्यादा पानी बहाता है। अब जैसे हम भी यहां रहते हैं। हमारे को भी सरकार की तरफ से जैसे यह क्वार्टर मिला हुआ है तो इस क्वार्टर में भी, यदि 10 दिन इसको बंद करके जायेंगे, एक-एक बूंद भी टपकती है तो जो टंकी भरकर जाते हैं, जब आते हैं तो वापस खाली मिलती है। उसका पाँच जगह वेस्टेज जाता है उस एक-एक बूंद से भी। मेरा कहने का मतलब है कि पानी की एक-एक बूंद भी बचानी चाहिए। पानी को जितना बचायेंगे, उतना अच्छा है। उसके लिए दीवारों पर काफी नारे सरकार के द्वारा लिखवाये भी गये हैं, और भी लिखवाये जायें और किस तरह से पंचायती राज द्वारा गांवों में पानी बचाया जा सकता है, उस भावना को यदि हम जब तक दूर नहीं करेंगे, तब तक हम पानी के महत्व को नहीं समझेंगे। पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये जायें।

हमारे यहां पानी की कोई इस तरह की ज्यादा मांग नहीं है। मेरा तो

(श्री नरेन्द्र कुमार)

एरिया ही ऐसा है कि कुण्डों द्वारा पानी पीते थे और ऐसा देखा हुआ है कि सिर को कुण्ड के पानी से धो लेते थे और उस तौलिये को रगड़कर शरीर को साफ कर लेते थे। खारा पानी और मीठे पानी का अलग-अलग रखते थे। जब कोई गेस्ट भी आता है तो उसको खारा पानी का जग अलग दिया जाता था और मीठा पानी का जग अलग दिया जाता था कि पीने के लिए तो यह ले लो और धोने के लिए यह ले लो।

जब तक हम पानी का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक इसका जो भी जितना बोला जा रहा है कि हम पानी की मांग ही मांग कर रहे हैं, रोकने के लिए कोई नहीं कह रहा है कि पानी हम बचायेंगे। पानी को सबसे ज्यादा बचाना ही मैं तो महत्वपूर्ण समझता हूं तो इस तरह का नियम लगाना चाहिए। इसमें एक नियम यह भी होना चाहिए, घर से पानी बाहर नहीं निकले।

दूसरा, फव्वारा द्वारा जो सिंचाई की जाती है। इससे सड़कें भी टूटती हैं और सड़कों के ऊपर लगा देते हैं। तो कम से कम जो पीडब्ल्यूडी का एरिया है, उसको कुछ बोया ही नहीं जाये तो इससे दूर रहेंगे। सड़कें भी टूटती हैं और पानी भी वेस्टेज जाता है तो उस फव्वारा को भी रोका जाये।

हमारे कुछ उच्च जलाशय हैं। अभी बोला भी गया था कि बहुत सी जगह उच्च जलाशय बनाये हुए हैं जिसमें ट्यूबवैल्स द्वारा सीधे ही देने लग गये क्योंकि वह उच्च जलाशय खराब हो गये, उसमें पानी डाला ही नहीं जा सकता। अब उसमें नया बनाना तो एक अलग बात है, जबकि उसको तोड़कर और उसको गिराना जरूरी है, क्योंकि वह कभी भी किसी के ऊपर गिर सकते हैं। उसके आसपास में, पड़ोस में मकान भी बने हुए हैं। किसी आदमी के साथ ऐसी घटना भी हो सकती है। कोई फंक्शन भी होता है, उस समय भी गिर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनको गिराया तो जाये ही और उसकी जगह फिर बनाया भी जाये, क्योंकि बनाने से पानी का दुरुपयोग कम होगा। अब कुओं के द्वारा सीधा ही घरों में पानी दिया जाता है क्योंकि जलाशय तो काम नहीं कर रहा। वह जलाशय तो टूट गया और उसके जैसे घर पर सात घंटे लाइट आती है तो सात घंटे उसके घर में पानी जाता है तो सारे दिन वह पानी बहता रहता है। पानी के लिए कुछ घरों में रोक इस

(श्री नरेन्द्र कुमार)

तरह की भी लगाई जानी चाहिए कि घर से पानी बाहर नहीं आएगा। निश्चित रूप से वह पानी का स्टोर या कुण्ड या टंकी बनायेगा तो कम से कम सात घंटे पानी नहीं चलेगा।

हम शहर में रहते हैं। दो घंटे या एक घंटा पानी आता है और गांव में यदि 24 घंटे टंकी द्वारा घर में पानी आये तो यह मानते ही नहीं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कप है, गिलास है, बरतन हैं, वह सीधे ही बाहर से टंकी से पानी आता है, उसके द्वारा साफ करते हैं तो इस तरह का एक नियम बनाया जाये कि जिसके घर से गंदा पानी और बरसात का पानी बाहर आ जायेगा, गंदा पानी बाहर आता है तो उसके नल का कनेक्शन काटा जायेगा। मैं यह वादा करता हूं इस बात का कि इस तरह के गांव हैं हमारे यहां 15-20 गांव, जो मुख्य मंत्रीजी द्वारा और प्रधान मंत्रीजी द्वारा यह योजना चलाई गई है स्वच्छता की। उसके अंदर ऐसे-ऐसे गांव हैं जिनमें एक घर का गंदा पानी भी बाहर नहीं आता है, बिलकुल साफ-सुथरा मिलता है। तो उसमें सड़क बनाने का भी आनंद आता है, वहां काम करने का भी आनंद आता है। ऐसे मेरे गांव हैं। मैं मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथ जाकर देखें कि उस गांव में कोई भी गंदे पानी की एक बूंद बाहर निकल जाये, बाहर हो, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही मिलकर, स्वच्छता अभियान के अन्दर समझो, चाहे पानी बचाने के हिसाब से समझो, उन्होंने 11 सौ रुपये दंड तक का भी कर रखा है गांव में। तो वो जब 11 सौ रुपये दंड कर सकते हैं तो सरकार का जब अच्छा काम होगा तो निश्चित रूप से सफल होगा। निश्चित रूप से उसके लिए एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि घर से गन्दा पानी किसी का भी बाहर नहीं आ जाए।

इसमे गांव की क्या बात है, शहरों में भी इस तरह का होना चाहिए। जबकि शहरों में एक ही बात कर रखी है, नालियां बनानी चाहिए, गंदे पानी की नालियां बनानी चाहिए। मैं शहर में भी यहां रहता हूं जिसमें 10-15 घर हमारे आस-पास में हैं। यहां जयपुर में मकान बना रखा है। 15-20 घर हैं, उन घरों में मैं दिखा सकता हूं, सुबह भी या अभी जाकर के, उनके भी हमने सोखती कुई बना रखी है, उसका भी गंदा पानी हम नाली में नहीं

(श्री नरेन्द्र कुमार)

डालते। सोखती कुई में कभी पानी नहीं भरता है।

आजकल दो या चार सदस्य हैं। सोखती कुई यदि सिस्टम से बनाई हुई है, जो एईएन या जेईएन द्वारा बनाई हुई है और गांव में आधा पैसा, पचास परसेंट पैसा कुई में खराब भी करते हैं लेकिन फिर भी वो कुई में पानी नहीं डालते हैं, बाहर बहाते हैं तो इसमें ऐसा कोई नियम बना दिया जाए या सरपंचों को इस तरह के नियम में संशोधन करके नया नियम बना दिया जाए कि इसका पचास परसेंट पानी हर घर में, एक बार कुई बना दी जाए और उसके बाद उससे लिखावट में ले लिया जाए कि इसका गंदा पानी बाहर नहीं आएगा तो स्वच्छता अभियान भी लागू हो जाएगा और ये पानी भी बचेगा। जब सकारात्मक सोच हो जाएगा तो गांव में इस तरह के लड़ाई-झगड़े, मैं तो यह कहता हूं कि कम होंगे, क्योंकि परिवार में भी झगड़ा नहीं होगा। पानी बचाना एक सकारात्मक सोच है।

निश्चित रूप से पानी बचाने के अभियान को यदि सरकार सख्ताई से लेगी और अधिकारियों पर भी थोड़ी सख्ताई की जानी होगी, क्योंकि पानी का वेस्टेज, पानी की जो जीएलआर बनी हुई है उसमें पानी नीचे रिस जाता है। एक घंटे भर, दो-एक घंटे बाद में खाली हो जाती है या बाहर निकल जाता है। पाइप लाइन भी इस तरह से है कि यह पानी कहां से आया कि पाइप टूट गया। आग लगती है तो तुरंत बुझाने के लिए चले जाते हैं, जबकि पानी दो-तीन दिन तक बहता रहता है, तालाब-सा भर जाता है, उसके लिए कोई भी नहीं जाता है। मैं यहां तक भी कहता हूं कि जहां उप जलाशय है वहां 5-7 आदमी काम करते हैं, जबकि एक भी आदमी का वहां काम नहीं है। 5-7 आदमी बैठे हुए हैं और जीएलआर में पानी नहीं चढ़ता और फिर भी जीएलआर के कारण से वहां कर्मचारी दिये हुए हैं और वो कर्मचारी वहां रहते हैं।

मेरा तो एक ही निवेदन है कि हमारे सेठों के, क्योंकि ये शेखावाटी में सेठ ज्यादा होते थे, तो हमारे जो कुएं बनाये हुए हैं, पुराने कुएं हैं, एक-एक बीघा के अन्दर बनाये हुए हैं, जो पुराने कुएं थे, जो 100-200 साल पुराने हो गये, उन्हीं में ही बोरिंग किया हुआ है और उसमें वो मोनोब्लाक मोटर बोलते हैं जो पुरानी होती थी वो ही लगी हुई हैं, सबमर्सिबल मोटर नहीं है।

(श्री नरेन्द्र कुमार)

तो उन कुओं का केवल वो ही कनेक्शन काम आ जाएगा और उनको उसके पास ही दूसरा ट्यूबवैल करके देना है, कनेक्शन वो ही काम आ जाएगा। तो इसमें ध्यान दिया जाए। वो चाहे आप अधिकारियों से भी पूछ सकते हैं कि उन कुओं में से आजकल मोटर नहीं निकाली जा सकती है, वो खंडहर हो गये। उनमें सर्प तक मिल जाते हैं। कबूतरों ने भी घोंसले बना रखे हैं। तो उसके अन्दर कोई भी नहीं घुस सकता।

पुराने जो ट्यूबवैल हैं उनके पास नये ट्यूबवैल बोरिंग करवाये जाएं और जो जलाशय टूटे हुए हैं, उनको नये बनाये जाएं और जो जीएलआर भी टूटी हुई हैं उनमें पानी बहुत बहता है और रिसता रहता है। गांवों में पचास परसेंट पानी जो भरता है वो केवल पाइप लाइन और टूटी हुई जीएलआर के द्वारा ही भरता है इसको रोका जाए।

मैं तो यही कहूंगा कि पानी के बिना कोई जीवन नहीं है तो पानी को ज्यादा से ज्यादा बचायें। मैं तो यही समझता हूं कि अपने भी परिवार में यदि कोई नुकसान और कुछ होता है तो जरूर यह सोच लें कि हमने पानी को कहीं बेकार बहाया है तो पानी को बेकार नहीं बहायेंगे, तो इतनी खुशी होगी। दस-पन्द्रह दिन पानी बचाकर के देखो कि जीवन में कितना आनन्द आता है। यदि आनन्द आता है तो पानी बचाने की आदत डाल लें और यदि आनन्द नहीं आये तो और ज्यादा बहाना शुरू कर दो, क्योंकि ज्यादा कमी होगी तो किसी भी चीज का अन्त होता है और अन्त होता है तो निश्चित रूप से हम बचायेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46 और 27 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और पेयजल मंत्रीजी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की बरड़ क्षेत्र की 59 गांव-ढाणियों को 80 करोड़ 80 लाख रुपये की एक पेयजल योजना दी। उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

(श्री अशोक डोगरा)

मैं माननीय पेयजल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार गांव ऐसे हैं खटकड़, माटूण्दा, सिलोर और तीरथ, जो पाँच हजार की आबादी से ज्यादा के हैं। अब इसमें खटकड़ के लिए 436.68 लाख रुपये की पीपीसी की मीटिंग 4.11.2016 को हुई थी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई, लेकिन आज तक इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई, अखबारों में भी आ गया, जगह भी दे दी पंचायत ने, सब कुछ हो गया, लेकिन यह वित्तीय स्वीकृति नहीं आई जिसकी वजह से इसकी बहुत आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करायें।

ग्राम माटूण्दा जो कि मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना में भी है, सिलोर और तीरथ जो तीनों पाँच हजार से ज्यादा की आबादी के हैं। माटूण्दा का प्रस्ताव 411.03 लाख रुपये, सिलोर का 362.19 लाख रुपये और तीरथ का 297.96 लाख रुपये का, इन पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा पत्र क्रमांक 395 दिनांक 02.05.2016 से मुख्य अभियंता ग्रामीण के पास पैंडिंग है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये तीनों करीब साढ़े दस करोड़ रुपये की योजनाएं हैं। ये बड़े गांव हैं, इनको जल्दी से जल्दी स्वीकृत करायें।

दूसरा मेरा एक यह सुझाव था कि मेरे बूंदी शहर में अभी तक मांगली नदी से पानी आ रहा था। वहां 36 ट्यूबवैल हैं। अब 1 मई से चम्बल का पानी वहां आएगा और ये जो 36 ट्यूबवैल हैं, जो पूरे जिला हैडक्वार्टर को पानी दे रहे थे, इनके लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनी है। इनके लिए जल्दी से जल्दी कोई योजना बना करके इन ट्यूबवैल्स का जो पानी है, कम से कम बूंदी जिले के डेढ़ सौ-दो सौ गांवों में इनका पानी पहुंचाया जा सकता है और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। कोई इंटेक वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, सब व्यवस्था पहले से है और अच्छा पानी है तो बूंदी जिले के करीब 200 गांवों को इनका पानी दिया जा सकता है। इसके लिए जो मांगली नदी में एक ट्यूबवैल है इससे पेयजल की व्यवस्था गांव में हो, इसके लिए कोई योजना बनवायें।

अमृत योजना में भी 47 करोड़ रुपये बूंदी शहर की पेयजल योजना के

(श्री अशोक डोगरा)

लिए है लेकिन साल भर से वो टेण्डर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो रही है उसके लिए भी अधिकारियों से कहें, क्योंकि साल भर से यही चल रहा है कि टेण्डर हो रहे हैं, टेण्डर हो रहे हैं 47 करोड़ रुपये हैं तो उसके लिए भी जल्दी से जल्दी टेण्डर प्रक्रिया पूरी कराकर काम चालू करायें।

दूसरा, बूंदी में सहायक अभियंता का एक ही पद है जिसमें बूंदी पंचायत समिति के तीस गांव हैं, तीस पंचायतें हैं और एक बूंदी शहर के पैतालीस वार्ड हैं। एक एईएन है जो सिर्फ शहर से ही बाहर नहीं निकल पाता, शहर में कोई न कोई समस्या रहती है। तो तीस पंचायतें मात्र एक जेईएन के भरोसे चलती हैं। इसलिए एक एईएन का पद बूंदी ग्रामीण के लिए और मुहैया कराया जाए।

हैंडपंप मिस्त्रियों की यह दिक्कत है कि एक-एक मिस्त्री के पास कम से कम चार-चार पंचायतें हैं। उनको जब भी पूछते हैं तो दूसरी पंचायत का नाम ले देते हैं। इस बहाने वो काम नहीं करते हैं तो जैसे भी हो, ये हैंडपंप मिस्त्रियों की भी व्यवस्था हो।

दूसरा, मैं सिंचाई मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक क्षतिग्रस्त बाँध था गरड़दा बाँध, इस बजट में उसके भी पुनर्निर्माण की घोषणा हुई है, लेकिन माननीय मंत्री महोदयजी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उस बाँध की जो ड्राइंग है वो सीडब्ल्यूसी, दिल्ली में, मैं दो-तीन बार खुद भी होकर के आया और हमारे सांसद महोदय भी गये, तो वो ड्राईंग वहां से अप्रूव नहीं हो पा रही है। तीन-चार बार जांच कराने के लिए कमेटी आ गयी, मिट्टी के सैम्पल ले गये, सब कुछ हो गया और यह बाँध बूंदी के लिए बहुत आवश्यक है। 44 गांव इससे डाइरेक्ट इफेक्टेड हैं तो मेरा तो यह निवेदन है कि यदि किसी वजह से सीडब्ल्यूसी से ड्राईंग नहीं आती तो राजस्थान में भी एक से एक काबिल इंजीनियर हैं। यहां राजस्थान के इंजीनियर्स की एक टीम बना करके, उनसे ड्राईंग बना करके इसका पुनर्निर्माण जरूर चालू करवाया जाए, क्योंकि यह वहां के लोगों की सबसे बड़ी मांग है।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बरदा बाँध है जो 110 साल पुराना

(श्री अशोक डोगरा)

है। अभी इसको रिपेयर भी किया है, सब कुछ है, लेकिन इसकी जो आरएमसी है ये शुरू से ही कच्ची बनी हुई थी जो अब बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसकी वजह से केथूदा, कालाबड़, पीतामपुरा कहीं भी पानी नहीं जा पाता है तो इस बरदा बाँध की जो आरएमसी है उसको दुबारा पक्की करायी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-27 पेयजल योजना और मांग संख्या-46 सिंचाई पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय ने हमेशा प्रयास किया है कि प्रदेश की जनता को हमेशा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इस निमित्त हमारी सरकार ने इन प्रथम 3 वर्षों में 13,473 करोड़ रुपयों का बजट खर्च किया है और पिछली कांग्रेस सरकार ने मात्र तीन वर्षों में 6097 करोड़ रुपये ही खर्च किये, जो हमारे आधे से भी कम है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस वित्तीय वर्ष में 8647 करोड़ 21 लाख रुपये पेयजल योजना पर खर्च करने का प्रावधान किया है जो गत वर्ष से 15.68 प्रतिशत से अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे क्षेत्र में आपने कई योजनाओं को स्वीकृति देकर उनके काम पूरे करवाये हैं और क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान किया है।

इसके अलावा कई योजनाएं आज भी विभाग में लंबित पड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा हमारी तत्कालीन पेयजल मंत्री किरणजी को, कि आप जब कपासन पधारी थीं, तब नगर पालिका के चेयरमैन का पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था, आप उसमें मुख्य अतिथि थीं, उस समय आपने कपासन शहर की योजना का विस्तार करने के लिये नई

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

योजना बनाने की घोषणा की और आपके आदेशानुसार वह योजना बनी भी है लेकिन पानी का रिजर्वेशन नहीं हो सका। कपासन तालाब से पानी लेना है, कपासन की जनता पानी पीना चाहती है और तालाब का पानी लेकर उसे रिजर्व करना है, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारियों ने 26.11.2016 को पानी रिजर्व करने की हाई लेवल की एक कमेटी है, उसमें इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उसमें लिखा कि कपासन तालाब की भराव क्षमता 250 एमसी एफटी है और उसमें से 40 एमसी एफटी पानी पेयजल के लिये नहीं दिया जा सकता है। ऐसी क्या मजबूरी रही, मुझे पता नहीं है। उदयपुर संभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने यूओ नोट जारी करके 15 योजनाओं को यहां पर भेजा, उनमें से 8 को स्वीकृत किया और 7 को रिजेक्ट किया है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप और सिंचाई मंत्रीजी मिलकर मेरी इस पेयजल योजना के लिये 40 एमसी एफटी पानी कपासन के लिए आरक्षित करेंगे तो पूरी जनता आपका आभार व्यक्त करेगी।

इसके साथ ही हमारे यहां पर बटुका बामण्या, ताना, आकोला सिंहपुर जो बड़े-बड़े कस्बे हैं, उन योजनाओं की स्वीकृति के लिये भी आपने घोषणा की है। मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 450 गांव हैं, उनमें से लगभग 250 गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी है और फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोग टेढ़े-मेढ़े हो रहे हैं, दाँत खराब हो रहे हैं। चित्तौड़, बनेसर, कपासन, भोपालसागर, राशमी, गंगरार, इन गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी है, इनको घोसुण्डा डेम से पानी दिलवाया जाये तो आपकी महती कृपा होगी।

स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला है। गांव-गांव में घर-घर में शौचालय बने हैं। यदि पानी की व्यवस्था ही नहीं होगी तो स्वच्छता किस प्रकार से आयेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस काम पर ध्यान दें।

मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में आपने सोलर पंप भी लगाये हैं, इसके लिये भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। छोटे-छोटे गांवों की रीजनल स्कीम बनाकर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम करेंगे तो क्षेत्र के लिये बहुत अच्छा रहेगा।

एक निवेदन और करना चाहूंगा, आप पेयजल योजना स्वीकृत तो कर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

देते हैं लेकिन आपका जो पीएचईडी का डिपार्टमेंट है, मुझे जो नहीं कहना चाहिये वह कहना पड़ रहा है। स्वीकृति करने में देरी, टेंडर लगाये तो देरी, ठेकेदारी भी ऐसे मरियल जो देरी से काम करते हैं, सड़कें तोड़ देते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं, बिल देरी से। इस प्रकार का सारा का सारा मामला इतना धीमी गति से चलता है कि जो कहावत है 'नौ दिन में ढाई कोस चलते हैं', यहां तो नौ दिन में आधा कोस भी नहीं चलते। ऐसी स्थिति हमारे पीएचईडी डिपार्टमेंट की है। इसको चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा काम करें कि यह डिपार्टमेंट थोड़ा-सा एक्टिव होकर काम करे।

एक निवेदन करना चाहूंगा कि राशमी उपखण्ड मुख्यालय है लेकिन वहां पर आज तक एईएन ऑफिस नहीं है। एक लाख की आबादी पर जब एईएन आफिस ही नहीं है तो वहां की पेयजल योजनाओं की स्थिति कैसी होगी।

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त पानी है। आपने आरओ भी सेंक्शन किये हैं, लेकिन पिछली सरकार में जब आरओ सेंक्शन किये थे तो ग्राम पंचायत के सरपंचों ने आबादी से दूर उनको पट्टे दिये थे और वहां आरओ बन गये थे। आरओ बनने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। जब आरओ से उपयोग ही नहीं हो रहा है तो मेरा निवेदन है कि उनका स्थान चेंज करके गांवों की आस-पास की आबादी में लगाये जायें। कई आरओ तो बिजली के कनेक्शन कटने की वजह से बंद पडे हुए हैं। इनकी एक बार मोनेटरिंग करवा कर इन आरओ को चालू करने का काम करें।

मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, वह सपना साकार करने का अवसर आ गया है, केन्द्र में भी मोदीजी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, राजस्थान में भी वसुंधराजी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जो हमको सपना दिखाया था नदी से नदी को जोड़ने का, ऐसा अवसर आ गया है। पेयजल का समाधान भी होगा, कृषि के लिये भी पानी का समाधान होगा। इसलिए नदी से नदी को जोड़ने का काम करेंगे तो सारा काम अच्छा रहेगा।

मेवाड़ की गंगा, बनास नदी मेरे क्षेत्र में बहती है। बनास नदी के ऊपर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

एक मातृकुण्डिया के धार्मिक स्थल पर मातृकुण्डिया डेम आज से 35-40 साल पहले बनाया गया। 35-40 साल पहले कांग्रेस का शासन था। डेम बन गया, सारा पानी भीलवाड़ा जिले को स्थानांतरित कर दिया जाता है। 54 किलोमीटर की लंबी नहर बनाई गई और उसमें से भीलवाड़ा जिले को पेयजल के लिये पानी जाता है। भीलवाड़ा जिले में मात्र 400 एमसी एफटी पानी की आवश्यकता है और आज तो यह सुखद समाचार भी है कि चंबल बाँध से भीलवाड़ा को पानी मिलने वाला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा की राशमी तहसील को वंचित कर दिया गया था। जब भीलवाड़ा में पेयजल के लिये पानी की आवश्यकता नहीं रहे, तब इस पानी का उपयोग हमारे क्षेत्र की जनता को करने का अधिकार मिले।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मातृकुण्डिया पधारी थी और धार्मिक स्थल मातृकुण्डिया के विकास के लिये भी उन्होंने घोषणा की थी। मातृकुण्डिया में हमेशा बहता हुआ जल मिल जाये, इसके लिये भी मातृकुण्डिया बाँध का पानी हमेशा मिलता रहेगा तो अच्छा रहेगा।

तत्कालीन सिंचाई मंत्री हमारे सांवरलाल जाट और देवी सिंह जी भाटी ने लगभग-लगभग इस बनास नदी पर 10-11 एनीकट बनवाये थे, उस समय मैं पहली बार विधायक बनकर आया था। तब से लगाकर एनीकट बने हैं और आज वह एनीकट अच्छी बरसात होने के कारण लबालब भरे हुए हैं, लेकिन कुछ एनीकट जिनके सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता थी, तीन एनीकट तो साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से, हमारे सिंचाई मंत्री महोदय ने मुझे पैसे दिये, उससे उनका सुदृढ़ीकरण हो गया है लेकिन तीन एनीकट और, मरवी, घेघपुरा, राशमी, इन तीन एनीकटों का और सुदृढ़ीकरण हो जाये तो ये एनीकट भी बचे रहेंगे और पानी से भी लबालब भरे रहेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, मातृकुण्डिया बाँध की भराव क्षमता 1780 एमसी एफटी है और वर्तमान में यह 1180 एमसीएफटी ही भरा जाता है। इस पानी का आरक्षण 213 एमसी एफटी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, दरीबा को जाता है। राशमी विधान सभा क्षेत्र को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम किया कि वह पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा यह निवेदन है ...।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

1993 में जब मैं पहली बार विधायक बनकर इस सदन में आया था, उस समय 1995 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मैंने मंत्री महोदय देवी सिंह जी भाटी का ध्यानाकर्षण किया था। उन्होंने यह जवाब दिया कि राशमी क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि 50 एमसी एफटी पानी बनास नदी के निचले भाग को रिचार्ज करने के लिये आरक्षित किया जायेगा। इसके अलावा मेजर फीडर पर पानी मेजा डेम को जायेगा। उस समय उसके आस-पास के जितने भी तालाब हैं, सोमी, आकोडिया, करजिया, ऊंचकिया, ये जितने भी तालाब हैं, इनको भरेंगे, उसके बाद भीलवाड़ा जिले को पानी जायेगा और वह स्थिति यथावत रहकर आज भी इन शर्तों की पालना हो रही है।

मेरा निवेदन इतना है कि कांग्रेस सरकार ने गलती की है, वह हम गलती नहीं करे और उसके समाधान के लिये मेरा इतना निवेदन है कि मातृकुण्डिया डेम जब भरता है तब तो क्रेस्ट लेवल से पानी नीचे गिराकर हम 50 एमसी एफटी पानी से बनास नदी को रिचार्ज कर देते हैं।

(19.00 बजे)

लेकिन जब बरसात की कमी हो और क्रेस्ट लेवल से जब पानी नीचे रह जाए, तब इस बनास नदी को किस प्रकार से रिचार्ज किया जाए, ऐसा सिस्टम वहां नहीं बना हुआ है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मातृकुण्डिया डेम की जो नहर मेजर फीडर की है, वहां जीरो चैन पर एक गेट बनाकर, मात्र 76 मीटर छोटी नहर बनाकर डेम के नीचे पानी डाल दिया जाए ताकि बनास नदी को हमेशा रिचार्ज किया जा सके। जब पानी का वापस आरक्षण किया गया तो 50 एम.सी.एफटी. अतिरिक्त रूप से मातृकुण्डिया बाँध से बनास नदी को मिलेगा तो मुख्य मंत्रीजी की जो घोषणा है, वह भी पूरी हो जाएगी और मातृकुण्डिया डेम के अंदर हमेशा शुद्ध जल रहेगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आज मातृकुण्डिया डेम की जो दशा हो रही है, वह ऐसी दशा हो रही है कि उसको कोई संभालने वाला नहीं है क्योंकि उस डेम के रख रखाव का काम चित्तौड़ एक्स.ई.एन. देखता है और बाँध वहां बना हुआ है। उस डेम में

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

अतिवृष्टि के कारण पाल पर रेनकट बन गए हैं। जब हम उस बाँध के गेट खोलने गए थे तो 17 गेटों के रस्से टूट गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अच्छा हुआ कि उस डेम के रस्से ही टूटे थे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उन रस्सों के कारण से कभी गेट खोलने का अवसर मिले और वे गेट खुले नहीं और डेम टूट जाए। भगवान की कृपा से वह 54 गेट का डेम है, केवल 17 गेटो के रस्से टूटे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उन रस्सों की रिपेयरिंग की जाए।

बाँध के ऊपर जो सड़क बनी हुई, वह सड़क पूरी टूटी हुई है। उसकी रैलिंग भी नहीं है। नहर 54 किलोमीटर लंबी है, पानी आधा भी वहां पर नहीं पहुंचता, भीलवाड़ा के मेजर डेम में। इसलिए उसको पक्की बनाने की आवश्यकता है। उस नहर के किनारे जो 54 किलोमीटर सड़क बनी हुई है, वह सड़क बिलकुल टूटकर खुर्द-बुर्द हो गई है। उसको भी ठीक कराने की आवश्यकता है।

मैं इसके साथ ही एक छोटी-सी बात और निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में एक विरोली बाँध है। उस विरोली बाँध की ऊँचाई बढ़ाने की आवश्यकता है। एक सोमी बाँध है, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया था। उस समय हमारे मन में भी आया था कि हम भी उसमें कुछ करें। हमने लुहारिया डेम को भरने के लिए प्रयास किया, जो कि तीन साल से नहीं भरा। हमने सरकार को बार-बार लिखा, लेकिन उस पर कोई स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन मुख्य मंत्रीजी की प्रेरणा से हमने जन सहयोग किया और चार करोड़ रुपये की लागत से जो नहर बननी थी, वह हमने एक महीने में बनाकर जन-सहयोग दिया और मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने इस बरसात के सीजन में पूरी की पूरी बनाकर लुहारिया डेम को पूरा भर दिया और आज वह लुहारिया डेम पूरा भरा हुआ है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि इस लुहारिया फीडर को यदि आप पक्की कर देंगे तो पानी का अधिक उपयोग हो सकेगा।

इसके साथ में, अंत में एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जितने भी डेम हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत डेम हैं। भोपालसागर, कपासन, जासमा, डिढोली, ऊंचकिया, धमाना। इनकी सारी नहरें टूटी हुई हैं। यदि इन नहरों की मरम्मत हो जाए तो पानी का सदुपयोग होगा।

अंत में, मैं पुन: यह निवेदन करना चाहूंगा कि अटलजी के सपनों को साकार करने का मौका आया है और हम सब मिलकर नदियों को जोड़ने का काम करेंगे तो हमारे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर पेयजल की समस्या से जो पूरा प्रदेश जूझ रहा है, इस समस्या का समाधान होगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कंवर लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। कई माननीय सदस्य मुझे आकर कह रहे हैं, वे जाना भी चाहते हैं। अगर आप रिप्लाई करा दें, जिन बाकी माननीय सदस्यों का रह गया है, उनकी व्यक्तिगत भेंट मंत्री महोदय से करा देंगे। उनकी कोई समस्या होगी तो उस पर विचार कर लेंगे। आप उदारमना हैं, आप देखें। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी कम इंट्रेस्टेड हैं। हम सत्ता पक्ष वाले तो सारे बैठे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मंत्री महोदय का नाम पुकार ले तो उचित रहेगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दिया जाए। बाकी को रोक लो, लेकिन हमारे को जरूर मौका दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप आमेर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लें। बैठे-बैठे इन्होंने नींद ली है। इसलिए फ्रेश नजर आ रहे हैं। हम अलर्ट होकर बैठते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कंवर लाल। श्री गोतम कुमार। श्री नारायण जी सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27 और मांग संख्या-46 पर आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जल के लिए कहा गया है- "जल है तो कल है, जल प्रकृति की

(श्री नारायण सिंह देवल)

अमूल्य देन है और जल के बिना जीवित रहना असंभव है।" देश भर में 10.4 प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान का है और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति विषम है। कहीं मरूस्थलीय है, कहीं पठार है और हमारे यहां की सतही जल उपलब्धता 1.16 प्रतिशत है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की और इससे हमारे यहां के लोगों को काफी कुछ फायदा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जिले के ही बात करूंगा, क्योंकि सभी की इच्छा है कि कम बात की जाए। जालौर जिले में नर्मदा के पानी के लिए सात परियोजना स्वीकृत हैं, इसमें डी.आर. प्रोजेक्ट है, ई.आर. प्रोजेक्ट है और एफ.आर. प्रोजेक्ट है। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र और जसवंतपुरा में डी.आर. प्रोजेक्ट का 233 करोड़ रुपये की लागत से काम चालू है और डी.आर. क्लस्टर परियोजना 263 करोड़ रुपये का काम चल रहा है। डी.आर. प्रोजेक्ट 15 फरवरी, 2015 को पूरा होना था, मगर 30.12.15 को डिपार्टमेंट की जो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार मात्र 70 परसेंट ही यह काम हुआ है और डी.आर. क्लस्टर 30 महीने में पूरा होना था। विभाग की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट 30.12.2015 को आई, इसमें मात्र 16 परसेंट काम होना बताया है जबकि अब तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए। 19 मार्च, 2016 को विधान सभा में मेरे तारांकित प्रश्न में मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि 31 मार्च, 2016 तक यह काम पूरा हो जाएगा। यह काम आज दिन तक पूरा नहीं हुआ और इसी विधान सभा सत्र में मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 1880 के जवाब में बताया है कि डी.आर. प्रोजेक्ट 31 मार्च, 2017 और क्लस्टर 31 मार्च, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह काम पिछले दस महीने से बंद पड़ा है। ऐसी स्थिति में यह पानी कैसे पहुंचेगा? इसके बारे में आपसे निवेदन है कि आप इसमें ध्यान दें। डी.आर. क्लस्टर में 629 किलोमीटर पाइप लाइन में से मात्र 39 किलोमीटर पाइप लाइन का काम हुआ है। डी.आर. क्लस्टर में 78 ई.एस.आर. में से 31 ई.एस.आर. का काम चल रहा है और वह भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। अभी काम बंद है। डी.आर. क्लस्टर में 17 सी.डब्ल्यू.आर. में से मात्र 12

(श्री नारायण सिंह देवल)

पर काम चल रहा है और वह काम भी अभी बंद है। ऐसी स्थिति में, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जालौर जिले का यह काम आप 2018 तक पूरा करायें और डी.आर. प्रोजेक्ट की मेन पाइप लाइन में पानी 10-15 दिन में आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मैं महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बीच में जो गांव आ रहे हैं, जहां तालाब छोटे हो या बड़े हों, उन तालाबों को भरा जाए क्योंकि हमारे यहां नर्मदा का पीने का पानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सांचौर में दलदल के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में लोगों का जीना हराम हो गया है और हम लोग यहां पानी के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहां अभी तक पीने के पानी में छह करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। आर.ओ. प्लांट भी लगे और सोलर पम्प भी लगे। अच्छा काम हो रहा है। परंतु जो आर.ओ. प्लांट लगे हैं, वे आर ओ प्लांट 7-7,8-8 महीने से बंद पड़े हैं। हमने अधिकारियों को भी ध्यान दिलाया। उसमें करड़ा, सीलासन, टीटोप, गुन्दाऊ, खरा, देवड़ा, लुणियासर, ये आठ आर.ओ. प्लांट पिछले कई टाइम से बंद पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में इन आर.ओ. प्लांट के माध्यम से पीने का मीठा पानी मिलता है, वह बंद होने की स्थिति में है। बार-बार गांव वाले सम्पर्क पोर्टल में शिकायत करते हैं, जन प्रतिनिधियों से मिलते हैं। मैं मांग करता हूं कि ये आर.ओ. प्लांट जल्दी से ठीक किए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी गर्मी का मौसम है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहां कुछ टयूबवैल हैं जैसे सुरावा, आलड़ी, हर्षवाड़ा, पाड़ावी, डीगांव, भाटीप, कबूलीढाणी, किलुपिआ, कोड़ी वहां नये टयूबवैल भी स्वीकृत किए जाए। नये आर.ओ. प्लांट भी लगाए जाएं।

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। कई बार टयूबवैल ड्राई हो जाते हैं, विभाग का प्रोसीजर है, स्वीकृत होने में टाइम लगता है, ऐसी स्थिति में कई बार विधायक फण्ड से या एमपी फण्ड या पंचायत मद से हम लोग टयूबवैल खुदवाते हैं। परन्तु मंत्री महोदयजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा उसकी एनओसी नहीं

(श्री नारायण सिंह देवल)
देने के कारण 6-6-,7-7 टयूबवैल नहीं खुदवा पाते हैं। यह पूरे राजस्थान भर का इश्यु है, तो आप अधिकारियों को निर्देश दें क्योंकि जहां टयूबवैल है वहाँ जलस्तर घट रहा है। जैसे 50 फीट जल स्तर घट गया तो उसके पड़ौस में ही नया टयूबवैल खोदें, वहीं आपका बिजली का कनेक्शन और वहीं पाइप लाइन है। उसमें अधिकारियों को मेरे हिसाब से कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में राजीकावास बाँध जो करीब 300 हैक्टेयर में पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। वर्ष 2006 की अतिवृष्टि में उसका ओवरफ्लो टूट गया है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह बाँध ठीक हो। मुख्य मंत्रीजी से इसके बारे में बात की। चूंकि यह गांव मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन में आ चुका है। एक साल से अधिकारियों के बीच में इसकी कागजी फोर्मेल्टी चल रही है। 05.06.2016 को अतिरिक्त मुख्य अभियंता को एक पत्र लिखा अधीक्षण अभियंता (विशेष योजना) ने, कि इसका जीएसआई सर्वे और एमओयू करवाए। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन टाइमबाउण्ड कार्यक्रम है। एक साल से यह कागजी फोर्मेल्टी में घूम रहा है। ऐसी स्थिति में इसका टाइम पूरा हो जाएगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जीएसआई सर्वे और एमओयू करवाकर जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए। इसके लिए सवा दो करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक वणधर एनीकट है। पिछली अतिवृष्टि में उसका ओवरफ्लो टूट गया है। इसमें माइनर भी बनी हुई है। पिछली अतिवृष्टि के समय यह बात हुई थी कि इसको रिपेयर कर दिया जाएगा, परन्तु यह अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वणधर बाँध जो सिंचाई विभाग के अंदर है, इसका ओवरफ्लो ठीक करवाया जाए, ताकि किसानों को लाभ हो।

उपाध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है। यहां पर पहाड़ियां हैं। यहां पर बरसात का पानी पहाड़ियों से चलकर गुजरात में चला जाता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पालनपुर के

(श्री नारायण सिंह देवल)

पास सिपू डेम है, उसमें 65-70 परसेंट पानी राजस्थान का है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बोर्डर पर जहां-जहां पर इस टाइप के, पानी गुजरात में चला जाता है वहां पर कोई एनीकट या छोटे-छोटे बाँध बनाएं ताकि राजस्थान के लोगों को फायदा मिल सके।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां तावीदर में कालेश्वर महादेव मंदिर के पास एक एनीकट की लंबे समय से मांग है। आलड़ी में भोड़ो का धोरा, चरपटिया में उड़ावाला एनीकट। इसके अलावा पावली पंचायत में पापी वाला एनीकट बना हुआ है। बरसात में रेत भर जाने के कारण, ग्रामीणों की लंबे समय से मांग है कि उसकी ऊँचाई बढ़ाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा, जालौर जिले में 1623 हैंडपम्प हैं और हैल्पर मात्र 23 हैं। हैंडपम्प को रिपेयर करना है, वह सामान पंचायती राज विभाग को देना है। ग्राम पंचायतों के पास वह सामान उपलब्ध नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में पीएचईडी के कर्मचारी तो जाते हैं, परन्तु सामान नहीं होने के कारण लंबे समय तक रिपेयर नहीं कर पाते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पीएचई डिपार्टमेंट उस सामान को रखे। उस सामान के जो पैसे बनते हैं वह पंचायत निश्चित तौर से देने के लिए तैयार है क्योंकि हैंडपम्प का सामान बड़ी-बड़ी सिटी में मिलता है, गांवों में नहीं मिलता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पाइप क्षतिग्रस्त हो जाए, वाल्व खराब हो जाए तो वहां डिपार्टमेंट को इसके लिए, जालौर तक, हैडक्वार्टर तक, एसई. लेवल तक पावर दिए जाएं ताकि समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मोटर भी बार-बार जलती है। डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा मोटर रखनी चाहिए। मोटर जलने के बाद कर्मचारी आएगा, उसको निकालेगा, रिपेयर करेगा, ऐसी स्थिति में कई बार महीना भर लग जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मोटर भी आप एक्स्ट्रा रखें ताकि पानी की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो सके।

मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंट की जो काल सेंटर व्यवस्था है, वह काल सेंटर व्यवस्था, जितने भी आरओ प्लांट बने हैं,

(श्री नारायण सिंह देवल)

गांव के अंदर मुख्य जीएलआर है, वह काल सेंटर उसमें लिखें ताकि गांवों में पानी की जो समस्या होती है, कर्मचारी, जेईएन को कहते हैं, एईएन को कहते हैं, वह कई बार ध्यान नहीं देते हैं। तो वह काल सेंटर के माध्यम से ऊपर से ही मोनीटरिंग हो ताकि पानी की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह जी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पेयजल और सिंचाई की मांग पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,हम सब जानते हैं कि हमारे देश के कुल भूभाग का 10.4 प्रतिशत राजस्थान में है। सतही जल का मात्र 1.1 प्रतिशत और भूजल का 1.41 प्रतिशत ही राजस्थान में है। रेन वाटर की बात करें तो राजस्थान में रेनफाल का एवरेज 540 मिलीमीटर है जबकि पूरे देश का एवरेज 780 मिलीमीटर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारे राजस्थान में जितनी भी पेयजल से संबंधित स्कीम बनीं, वह सब ग्राउण्ड वाटर को लेकर बनी। उसी का कारण है कि आज हम ग्राउण्डवाटर की स्थिति में चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान में कुल 248 ब्लाक हैं, इनमें से मात्र 44 ब्लाक ही सेफ हैं, 144 ब्लाक ओवर एक्सप्लायटेड हैं, 09 ब्लॉक क्रिटिकल हैं, और 28 ब्लॉक सेमी-क्रिटिकल हैं। ग्राउण्ड वाटर के ये आंकड़े 2013 के हैं। मैं समझता हूं कि पेयजल के मामले में राजस्थान की आज की स्थिति और दयनीय हो गई होगी। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का इस बात के लिये धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल स्वावलम्बन का कार्यक्रम हाथ में लिया और सतही जल का जितना उपयोग हो सके, इसकी भरपूर कोशिश की। दानदाताओं का, एम.एल.एज. का, एम.पी. साहिबान का, सभी अधिकारियों का इसमें सहयोग लिया। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि यह दूसरा साल है, जब से यह योजना प्रारम्भ की है, कई जगहों पर बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग आ गये हैं। ग्राउण्ड वाटर भी

(श्री प्रताप सिंह)

रिचार्ज हुआ है। सतही जल भी रोका गया है। कई जगह तो सिंचाई भी होने लगी है और पेयजल की जो दिक्कत, विशेषकर हमारे मवेशियों को गर्मी के दिनों में आती थी, उससे निश्चित रूप से हमको फायदा मिला है। मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो जल स्वावलम्बन अभियान चलाया गया है, इसकी हमारे प्रधान मंत्रीजी ने भी बहुत तारीफ की है। उन्होंने इस अभियान को पूरे देश में एक मॉडल बताया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, सरकार बनने के बाद हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, जो पिछली सरकार के समय घोषणाएं हुई थीं, उनको भी न केवल राजनीतिक आधार पर, बल्कि राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिये, करीब 32 ऐसी बड़ी पेयजल योजनाएं थीं, जिनको पूरा किया और नौ लम्बित पड़ी पेयजल योजनाओं के लिये 5252 करोड़ रुपये मंजूर किये। यही नहीं, हमारी मुख्य मंत्रीजी का लक्ष्य है, 'अच्छा काम, ठोस परिणाम'। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की हुकुमत के समय, गहलोत साहब के समय पेयजल पर पाँच साल में कुल 12225 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि हमारे तीन वर्ष के कार्यकाल में 13473 करोड़ रुपये खर्च किये गये। यह हमारी सरकार के काम करने के तरीके का और हमारी सरकार का राजस्थान की बहबूदी के लिये, राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिये जो करना चाहती है, उसका नमूना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पानी में फ्लोराइड और नाइट्रेट की बहुत अधिक मात्रा है। इसके समाधान के लिये हमने आर.ओ. सिस्टम लगाये। पर मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमको आर.ओ. सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल इस बात पर नाराजगी जता चुका है कि आधे से ज्यादा पानी को पहले से खराब कर पानी को साफ करने की आदत बना लेना खतरनाक है। यही नहीं, रिसर्च में भी यह बात सामने आई है। करण्ट साइंस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च पेपर Growth of water purification technology in era of 'regulatory vacuum' in India में इस बारे में पूरी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, हमको आर.ओ. के सिस्टम पर भी डिपेण्ड नहीं रहना चाहिये। इससे बैटर क्या तकनीक हो सकती है, उस तरफ हमको जाना चाहिये। दुनिया के कई विकसित देशों ने

(श्री प्रताप सिंह)

आर.ओ. के सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया है। यह भी हमको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं एक मुसीबत से छूटे और दूसरी मुसीबत में नहीं उलझ जायें।

मैं इतना कहते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। जयपुर में पी.एच.ई.डी. का एक टेण्डर हुआ है। इसमें जो बात मेरे सामने आई है, वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जलदाय विभाग ने फर्म विष्णु प्रकाश पुंगलिया लिमिटेड को एन.आई.टी. 2013-14 के तहत जगतपुरा का ठेका 48 करोड़ 99 लाख रुपये में दिया, जिसमें फर्म का निर्माण टर्न-ओवर गलत पाये जाने पर उसे निरस्त कर फर्म को काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित नोटिस देकर, फर्म के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर दिनांक 16.09.2016 को तीन अधिकारियों ने फर्म के कागजात गलत मानते हुए फर्म के विरुद्ध स्पष्ट रूप से कार्यवाही की अनुशंसा की। मगर मंत्री व सचिव से वार्ता का हवाला देकर, एजेण्डा बदल कर, जनहित के नाम पर मिलीभगत कर ठेका नियमित कर दिया गया जबकि आर.टी.पी.पी. एक्ट सैक्शन 11/03 के तहत उक्त गलत आधार पर लिये गये चार अन्य ठेके भी रद्द कर रुपये 125 करोड़ रुपये की रिकवरी फर्म से बनती थी। माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले को दिखवायें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

(19.27 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इतना कहते हुए, मैं मेरे क्षेत्र की एक-दो योजनाओं के बारे में जिक्र करूंगा। एक तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने करीब वर्ष भर पहले एक घोषणा की थी। हमारे यहां छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की योजना है, सिंधुरादय और कछावन। माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा होने के बावजूद भी अब तक इसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि अगर यह फिजिबल न हो तो इसका स्कोप छोटा कर दें। पर चूंकि मुख्य मंत्रीजी ने सावर्जनिक रूप से यह घोषणा की है, तो निश्चित रूप से आप इसका कार्य प्रारम्भ करवा दें ताकि इसका मैसेज जनता में

(श्री प्रताप सिंह)

ठीक जाये और जो हमारी मुख्य मंत्रीजी के बारे में धारणा है कि जो वे कहती हैं वह वे करती हैं, निश्चित रूप से उस पर भी मुहर लगेगी। इस प्रकार का मेरा आपसे निवेदन है कि बराय मेहरबानी इस योजना को जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके, चलावें, ...(व्यवधान)... सिंधुरादय और कछावन।

इसके साथ-साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि छीपाबड़ौद तहसील का एक पंचायत मुख्यालय है गोरधनपुरा। वहां पर ओवर-हैड टैंक भी बना हुआ है। वहां पर पाइप लाइन भी बिछी हुई है। पर पता नहीं किन कारणों से विभाग के अधिकारियों से बार-बार बातचीत करने के बावजूद भी आज 6-7 साल से वह टंकी बनी खड़ी है, पाइप लाइन बिछ चुकी है पर ट्यूबवैल नहीं होने की वजह से पूरे गांव के लोग पेयजल से वंचित हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस सरकार ने सब पूरा खर्चा कर दिया, टंकी वहां पर बन गई, पाइप लाइन वहां पर डल गई। मात्र एक ट्यूबवैल के पीछे पूरी स्कीम रुकी पड़ी है। कृपया आप उसको भी निश्चित रूप से पूरा करवाने की कृपा करें। इतना ही मैं आपको निवेदन करना चाहता था।

मेरे क्षेत्र के दो-तीन बड़े गांव हैं। एक तो सार्थल और दूसरा हरनावदा शाहजी। वे भी काफी बड़े हो गये हैं। वहां पर सभी मौहल्लों में पेयजल की लाइनें नहीं हैं। इसलिये मेरा आपसे भी निवेदन है कि वहां पर भी पेयजल लाइन बिछवा कर लोगों को राहत प्रदान करेंगे। इतना ही मैं आपको निवेदन करना चाहता था। इसके साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई विभाग के मामले में एक-दो निवेदन मेरे क्षेत्र के करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक तो मुख्य मंत्रीजी ने अभी परवन सिंचाई परियोजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा पर मेरे क्षेत्र के करीब 12-14 गांव डूब में आते हैं तो उन गांव के लोगों की जमीनों पर धारा-6 (4) काफी अरसे पहले, करीब पाँच-दस साल पहले हो चुकी है, बाकी की कार्यवाही बाद में हुई है इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि उनको आज के भाव से जमीन का मुआवजा मिले और उनका जो मकान, पेड़, गाय, भैंस व बकरी जिसका भी मुआवजा सरकार देती है तो आज के भाव से दे, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता था।

दूसरा, एक हमारे यहां पर बेथली डैम है, बेथली डैम बरसात के दिनों

(श्री प्रताप सिंह)

में जब ओवर-फ्लो होता है तो एक गांव है खजूरी। खजूरी गांव की खेती की काफी जमीन उसके ओवर-फ्लो से, पानी के बहाव के कारण वहां कटाव हो जाता है इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां पर कोई रिटैनिंग वॉल या दूसरा जो भी तकनीकी आधार पर संभव हो सके, करवाकर निश्चित रूप से उस गांव के लोगों को और आस-पास के गांव के लोग, जिनकी जमीन वहां पर हर साल खराब हो जाती है, उससे भी निश्चित रूप से आप राहत दिलवाने की चेष्टा करेंगे।

यही नहीं हमारा लासी डैम बनकर तैयार हो गया, उसमें पानी भर चुका पर नहरों का काम आज दिन तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि यह नहरें भी शीघ्र से शीघ्र बनें ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दूसरा एक कोहनी एनीकट है। उसके मामले में सिंचाई सचिव महोदय से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही इसका काम चालू करवा देंगे पर आज दिन तक इसका भी काम चालू नहीं हुआ है, इसका भी आप कार्य प्रारंभ करवाने की चेष्टा करेंगे।

एक जाला तालाब, यह ग्राम पंचायत तेहलनी है, छबड़ा तहसील का गांव है। इसमें मैंने मेरे फंड से भी दस लाख रुपये दिये हैं। यह तालाब बहुत सुंदर हैं। यहां अगर आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं तो इससे सिंचाई भी हो सकती है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस जाला तालाब का भी सुदृढ़ीकरण का काम हाथ में लें। इतना कहते हुए ही आपने मेरे को समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री फूलसिंहजी मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मुझे महत्वपूर्ण एवं आम जन से जुड़ी हुई मांग संख्या-27 व 46 पर बोलने का मौका दिया।

(श्री फूलसिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाकर विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए एक जल क्रांति पैदा की। इस अभियान के प्रथम फेज पर 2 करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से 736 कार्य हमारी ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में हुए जिससे हमारे हैंडपम्प व ओपन कुओं का वाटर लेवल ऊपर आया। इस अभियान के दूसरे फेज में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 2 करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से 736 काम की योजना बनाकर, जिनका काम प्रगति पर है।

माननीय सभापति महोदय, जो इस द्वितीय फेज, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना में 2 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से 449 कार्य होंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पूर्व सरकार ने पाँच वर्ष के अंदर 8 करोड़ 96 लाख रुपये के पूरे काम इस पी.एच.ई.डी. के माध्यम से करवाए और इसके विपरीत हमारी सरकार ने तीन वर्ष के अंदर, तीन वर्ष में 7 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से विभिन्न कॉलोनियों में यू.आई.टी. के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से और पी.एच.ई.डी. के माध्यम से हमारी जनता को पानी पिलाने का काम किया।

उदयपुर में पानी की कमी को देखते हुए सन् 1975-76 में पूर्व मुख्य मंत्री महोदय- मोहन लालजी सुखाड़िया साहब ने इस उदयपुर की पानी की समस्या को देखते हुए ऐसी एक योजना बनाई, देवास का जो पानी बहकर गुजरात में जा रहा था, उस पानी को उदयपुर में कैसे लाया जाए और सन् 1975-76 के अंदर गोराणा बाँध बांधकर तीन किलोमीटर की सुरंग खोदकर 125 एम.सी.एफटी. पानी उदयपुर में पिछौला झील में डलवाकर, पानी की हमारी समस्या का समाधान करवाने के लिए उस टाइम पर हमारी यह योजना बनाई। उसके बाद में पूर्व सरकार ने, जो कांग्रेस की, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही और 1975 से 2003 तक 28 वर्ष में उस योजना को बिलकुल भूल कर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और यह जो झीलों की नगरी कहलाने वाला उदयपुर है, उसमे में एक समय ऐसा आ गया जब जो हमारी झीलों के अंदर बच्चों का क्रिकेट का ग्राउंड बन गया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और गृह मंत्रीजी

(श्री फूलसिंह मीणा)
को कि 2003 और 2008 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो-दो मंत्री इनको घेर कर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब की तैयारी कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब करने क्यों पहुंचे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): न तो मैं कभी डिस्टर्ब होता हूं और न मैं किसी को डिस्टर्ब करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनको तो कंठस्थ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, यह कर रहे हैं आपको। दो-दो मंत्री कर रहे हैं आपको डिस्टर्ब।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): नहीं-नहीं मैं इनसे डिस्टर्ब नहीं होता, किसी से डिस्टर्ब नहीं होता।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता था कि पूर्ववर्ती सरकार ने इतने वर्षों के अंदर उदयपुर को, झीलों की नगरी का कोई ध्यान नहीं रखा और हमारी झीलें भरी होने के खातिर, पर्यटक स्थल होने के नाते बहुत सारे पर्यटक वहां आते थे मगर क्रिकेट का ग्राउंड देखकर उन झीलों के अंदर कोई पर्यटक आने को तैयार नहीं था, मगर 2003 और 2008 के बीच में हमारी सरकार आई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2006 में, 15 फरवरी, 2006 में इस परियोजना को आगे बढ़ाते हुए न केवल देवास द्वितीय के अंतर्गत मादड़ी व गोराणा डैम का भूमि पूजन किया, बल्कि उसके साथ ही कार्य कराने की दृष्टि संकल्प को दर्शाते हुए वर्ष 2005 में 139 करोड़ 26 लाख एवं 2007 में 389 करोड़ 19 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की, जिसके कारण यह दोनों बाँध का पूर्ण निर्माण हो चुका और पूर्ण रूप से भर भी गये और उदयपुर को बराबर पानी मिलने लगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह दोनों बाँध भरने के बाद में जब बाहर पानी जा रहा था तो सरकार के हमारे

(श्री फूलसिंह मीणा)

प्रभारी मंत्री थे गुलाबचन्दजी कटारिया साहब, जब आउट-पुट ज्यादा आ गया और बाहर जा रहा था तो उनको रोक दिया गया और आपको बताना चाहता हूं कि आज 20 दिन पहले हमारा जो भरा हुआ स्टोरेज पानी, वापस हमारी पिछौला झील खाली हो गयी थी, उसको भरकर आज साढ़े दस फिट का उसका लेवल लाकर हमारी जनता को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं।

यही नहीं माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस पानी से जो राहत मिल रही है, जो सराहनीय है मगर मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे ही एक टीडी डैम बना हुआ है और यह 1976 में निर्मित हुआ था और उसकी भराव क्षमता 301 एम.सी.एफटी. है। टीडी जावरमाइंस का 150 एम.सी.एफटी. पानी ही पूरे वर्ष में काम लेता है और उसका 150 एम.सी.एफटी. पानी व्यर्थ ही भरा रहता है, जबकि एक बरसात के अंदर टीडी डेम ओवरफ्लो होकर नदी के साथ बहकर समुद्र में जाकर मिलता है। मेरा अनुरोध है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस टीडी डेम का जो 150 एम.सी.एफटी. पानी भरा रहता है, इसको या तो सिंचाई में काम लें, या फिर हमारे यहां पेयजल की कोई योजना बनाकर उन किसानों को और आम जनता को पीने के पानी की व्यवस्था कराए।

माननीय सभापति महोदय, इस टीडी डेम के अंदर पानी भरा रहता है और जनता का पानी मवेशी को पिलाना पड़ता है तो भी वह उस पानी को नहीं छोड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से उसमें पानी के लिये हमें आग्रह करना पड़ता है और उसके बाद में यह पानी छोड़ा जाता है। माननीय सभापति महोदय, समय बहुत हो रहा है और मेरे पर दबाव है कि कम बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि उदयपुर के अंदर पानी की जो समस्या आ रही है, पानी की समस्या को देखते हुए मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से मंत्रीजी से, कि मावली और वल्लभनगर में और उदयपुर में पानी के लिये कुछ समय पहले मैंने पर्ची के माध्यम से यहां कहा था। मुख्य मंत्रीजी ने जो हमारे आवास के लिए क्वार्टर बनाये, उसमें भी पानी नहीं है और आज हम हिन्दुस्तान जिंक के भरोसे मुंह देख रहे हैं कि वह हमारे को उसमें से पानी दे तो हमारे यहां पानी की समस्या का समाधान हो।

(श्री फूलसिंह मीणा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि मावली, फतेहनगर और उदयपुर को अगर पानी पिलाते हैं तो हमारी देवास की थर्ड और फोर्थ योजना का अगर पानी उदयपुर में लाया जाये, तो हमारे पानी की समस्या का पूरा समाधान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो पानी की समस्या है, उसके बारे में डिमांड रखकर मैं मेरी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे क्षेत्र के अंदर काणपुर की ग्राम पंचायत में एक टंकी बिलकुल क्षतिग्रस्त है, वह गिरने वाली है और वहां पर पानी के लिये और कोई सुविधा नहीं है। टंकी का प्रस्ताव मंत्री महोदय को हमने दे दिया और जल्दी से जल्दी उस टंकी को बनाकर हमारी जनता को पानी की पहले सुविधा कर दें। कोई हादसा न हो, उससे पहले ही व्यवस्था करने की मैं मांग करता हूं। वहां पर बरसों पहले पाइप लाइन बिछी थी। वह क्षतिग्रस्त हो गयी है और उसको बदलवाने का काम करें। हमारी जो बड़ी पंचायत है, बड़ी पंचायत के अंदर एक पेयजल योजना बनाई है, उसको भी स्वीकृत कराने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां गर्मी के अंदर हैण्डपम्पों के मिस्त्रियों की कमी हैं। गर्मी में हैण्डपम्प खराब हो जाता है तो बहुत दिनों तक हमारे हैण्डपम्प ठीक नहीं हो पाते हैं और कर्मचारी कम होने से वहां की जनता से सहयोग भी नहीं मिल पाता है तो हमारे वहां के हैण्डपम्प भी ठीक नहीं हो पाते इसलिये हैण्डपम्प मिस्त्रियों की भर्ती भी करें।

श्री सभापति: अब समाप्त करें। विराजें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय एक मिनट और। माननीय सभापति महोदय, हमारे दक्षिण विस्तार के अंदर जोगी तालाब और बोरका नाका, जो वास्तव में उदयपुर के नजदीक है और वह पानी बाहर जा रहा है, उसको भी रोककर हमारी जनता के लिये पानी का स्टोरेज करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग पर ध्यान देने का मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। मेरे यहां जावर माता एक दर्शनीय स्थान है और पूरे मेवाड़ के अंदर माना हुआ धार्मिक स्थान है। वहां पर एक एनीकट

(श्री फूलसिंह मीणा)

के प्रस्ताव हेतु मैंने मंत्री महोदय को भी कहा और हमारे वहां की आम जनता को राहत मिले और उस एनीकट की इसी बजट में घोषणा कर दें। मैं मंत्री महोदय से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, रानी सिलौटिया।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। इसके साथ ही अपनी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने पूरे राजस्थान में जिस तरह से सारी योजनाओं को लागू किया। किस तरह जनता तक और किसानों तक पानी पहुंचे, इस हेतु किये गये प्रयासों के लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को पुन: धन्यवाद देती हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की 55 साल से सरकार रही, तो कांग्रेस सरकार ने धौलपुर जिले के विकास पर ध्यान नहीं दिया था। जहां हमारी चम्बल बह रही है धौलपुर में से, लेकिन उस पानी को किसान तक कैसे पहुंचाया जाये, इस बात पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के धौलपुर से भी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने किसानों की तरफ बिलकुल नहीं देखा और ना ही पानी के बारे में सोचा। जैसे ही हमारी सरकार आयी 2003 में, तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 2003 में धौलपुर की जनता को किस तरह से हम पानी पहुंचा सकते हैं, कैसे हम व्यवस्था करें, इसके लिये इन्होंने चम्बल लिफ्ट योजना बनाने का काम किया और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आयी तो उन्होंने उस फाइल को ही दबा दिया। बाद में 2013 में हमारी सरकार फिर आयी, महारानी वसुन्धरा जी आयीं तो फिर उन्होंने उस फाइल को निकालकर धौलपुर जिले के लोगों को सौगात दी है। यह 800 करोड़ रुपये की चम्बल लिफ्ट परियोजना दी है, इसके लिये धौलपुर के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से वसुन्धरा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने किसानों और जनता के बारे में सोचा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से लिफ्ट योजना से धौलपुर के 114 गांव और राजाखेड़ा के 62 गांव, कुल

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

176 गांवों को लाभ हुआ है और 34 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि इस लिफ्ट योजना को मेरे विधान सभा क्षेत्र से भी जोड़ा जाये और पार्वती डेम में अगर इस चम्बल लिफ्ट योजना के द्वारा आंगई डेम में पानी डाला जाये और रामसागर बाँध में डाला जाये तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों को भी इससे फायदा होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो माइनर है, जो पार्वती बाँध से निकलती है, वह 20 परसेंट पक्की है, बाकी 80 परसेंट कच्ची होने के कारण जब पानी छोड़ा जाता है तो आस-पास के खेतों मे पूरी तरह से सीपेज के कारण पानी भर जाता है जिससे कि 100 एकड़ जमीन से भी ज्यादा जमीन हमारे किसान की जल से भर जाती है जिससे कि किसानों की खेती बर्बाद होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि उन माइनरों को पक्का किया जाये। अगर पक्का नहीं किया जाता तथा उनके साइड से कच्चा नाला भी खोदा जाता है तो उस पानी को हम यूज में ले सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा पानी व्यर्थ चला जाता है तो मैं यही कहूंगी कि उन माइनरों को पक्का किया जाये और जब पानी छोड़ा जाता है, वह जो छोटी-छोटी माइनर हैं, उनमें मिट्टी और घास इतनी हो जाती है तो उसके एक महीने पहले अगर उनकी सफाई की जाये, एक-एक, दो-दो फुट उसमें मिट्टी भर जाती है जिससे कि सीपेज अपन कुछ हद तक कम कर सकते हैं, अगर उसकी सफाई पानी छोड़ने से पहले की जाये। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि आप इस पर जरूर ध्यान दें।

इसी तरह मांग संख्या-46-पेयजल के बारे में कहूंगी। मेरे बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के 82 गांव जल योजना से जुड़े हुए हैं, जहां पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. ने एन एच 11 बी रोड बनायी थी, मेरी विधान सभा क्षेत्र की कई पंचायतों की पाइप लाइनें उस रोड के नीचे दब गयी। पी.डब्ल्यू.डी. ने कोई ध्यान नही दिया। उन्हीं पाइप लाइनों के ऊपर से रोड डाल दी गयी। जब वाहन वहां से गुजरते हैं तो आये दिन पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, पाइप लाइन टूट जाती है और उसे सही करने के लिये भी 15-15 दिन तक गांव वालों को पानी नहीं पहुंच पाता है।

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि इनकी जांच करवाई जाये। हम पी.डब्ल्यू.डी. से कहते हैं तो वह कहते हैं पी.एच.ई. विभाग करेगा और पी.एच.ई. विभाग से कहते हैं तो वह कहते हैं कि पी.डब्ल्यू.डी. ने रोड बनायी है, तो वही इन लाइनों को डालेगा। मैं चाहती हूं कि इसकी जांच करायी जाये कि आखिर गलती किसकी है? पी.डब्ल्यू.डी. की या पी.एच.ई.डी. अधिकारियों की? जिसने भी गलती की है, तो इस काम को करवाया जाये, क्योंकि हमारे गांव में जहां पानी नहीं पहुंच पाता है, जहां गांव के पाइंट बने हैं तो प्रेशर से पाइंटों तक पानी नहीं पहुंच रहा है पाइप लाइनों से क्योंकि जगह-जगह अवैध कनेक्शन भी कर रखे हैं जिससे कि पानी पाइंट तक नहीं पहुंचता है और जनता तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह धौर्य गांव में पानी की तीन टंकियां हैं लेकिन एक टंकी में ही पानी आता है और दो टंकियों में आज तक पानी नहीं है। उसका कारण भी यही है कि वहां की जो पुरानी लाइन डली हुई है वो सीमेंट की डली हुई है, जैसे कि ऊपर की टंकियों में पानी भेजते हैं तो उनकी पाइप लाइन टूट जाती है तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि लोहे की पाइप लाइन डाली जाए तो तीनों टंकियों में पानी जायेगा और जनता को इससे फायदा होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक कोई एक भी नया हैण्डपम्प नहीं लगा है तो मैं मंत्री महोदय से हैण्डपम्पों की मांग करूंगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा हैण्डपम्प दिये जाएं और जो पुराने हैण्डपम्प हैं उनको सही करने के लिए कर्मचारियों की भी कमी है और साधन की भी कमी है। पूरी विधान सभा में सिर्फ एक गाड़ी लगी हुई है तो मैं चाहूंगी कि उसमें और साधन भी लगाएं और सामान की भी बहुत कमी आती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री पूरणमल जी सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। ...(व्यवधान)... हैं?

श्री सभापति: हमेशा ही होते हैं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): हां, बिलकुल। आपने मुझे आज मांग संख्या 27 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व मांग संख्या 46 - सिंचाई,

(श्री पूरणमल सैनी)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए मेरे कटौती प्रस्तावों पर अनुमति दी, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या 6.38 करोड़ है और वह पूरे देश की लगभग साढ़े पांच प्रतिशत है और प्रदेश में पानी की उपलब्धता मात्र 1.1 प्रतिशत है। देश की एवरेज रेन फाल 870 एम.एम. है और राजस्थान प्रदेश की मात्र 540 एम.एम. है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो पानी की उपलब्धता है वह 2 हजार के.एल.डी. है और राजस्थान प्रदेश में इसको देखना चाहें तो 240 के.एल.डी. मात्र है। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में पशुधन की संख्या 18.70 प्रतिशत है और उनको भी पेयजल में जोड़ा जाता है तो हम लोगों की सामूहिक मांग बढ़ जाती है और कृषि व उद्योगों से यदि कम्पेयर करें तो, माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिए केवल 5 से 7 प्रतिशत पानी की आवश्यकता प्रदेशवासियों को होती है।

माननीय सभापति महोदय, इस देश के संविधान में यह भी लिखा है कि कोई भी दल राज्य और देश में सरकार बनायेगा तो व्यक्ति, समूह, समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उस दल की सरकार को करनी होगी। अगर उस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शहर, गांव और ढाणी तक अगर सरकार शुद्ध पेयजल पहुंचाना चाहे तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना के कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। भूजल की गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप नहीं होती, क्योंकि प्रदेश में प्रमुखत: फ्लोराइड, नाइट्रेट, क्लोराइड, एवं खारेपन की समस्या है।

संक्षिप्त करने के लिए मुझे इधर से भी माननीय मंत्री महोदय का आदेश हुआ है।

मैं विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की बात करूं तो माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने 2013 में इन्दिरा गांधी केनाल से

(श्री पूरणमल सैनी)

कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का पानी 974 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी करके और खेतड़ी सहित झुंन्झुनूं विधान सभा के लोगों को, 85 ग्राम खेतड़ी के रहे, माननीय सभापति महोदय, इस योजना को लेकर मैं माननीय मंत्री महोदय वर्तमान, निवर्तमान और उनसे पहले, लगातार तीन वर्षों में सम्पर्क में रहा। माननीय सभापति महोदय, विभिन्न अधिकारियों के और हमारे माननीय मंत्री महोदय के मिसगाइड के चलते और वो स्कीम तो जैसे जहां आ पहुंची वहां तक आ पायी, लेकिन चार वर्षों के बाद भी आज तक उस परियोजना का कार्य पूरा नहीं हुआ और खेतड़ी की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं के रूप में काफी माननीय सदस्यों ने कहा और सरकार के काफी माननीय मंत्रियों के लिए और माननीय मुख्य मंत्री महोदया के लिए धन्यवाद भी दिया। हमारी तरफ से भी धन्यवाद है लेकिन यह कोई छिपी बात नहीं है, माननीय सभापति महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। विकास कार्यों की छोड़िये, यहां सदन में भी बराबर का व्यवहार नहीं हो रहा है, इसके लिए भी मैं माफी चाहते हुए गुजारिश करूंगा कि जो पूर्व की स्वीकृतियां हैं, जिनमें धन का भी प्रोविजन किया गया है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तीन प्रकार की स्वीकृतियां किसी काम को करने के लिए होती है, उनमें उनकी सारी स्वीकृतियां होकर और उनमें प्रोविजन फरमाया गया।

माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन वर्षों में सरकार के द्वारा जो भी सिंगल फेज हैण्डपम्प और चाहे वो आर.ओ. प्लांट लगे लेकिन विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के लिए एक भी पेयजल की स्वीकृति इन कार्यों के लिए तीन वर्षों में हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नहीं की है। इसके लिए खेतड़ी में एक भी हैण्डपम्प सिंगल फेज एवं आर.ओ. की स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जारी नहीं की है, यह खेतड़ी की जनता के साथ घोर अन्याय है।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, खेतड़ी नगरपालिका जैसे शहर में दस-दस दिन से पानी की सप्लाई दी जा रही है, पीने के पानी का घोर संकट है जिसके लिए मैं सदन में कई बार गुहार कर चुका हूं। माननीय

(श्री पूरणमल सैनी)
सभापति महोदय, पांच गांवों के लिए पेयजल की स्कीमें बनी थीं, जो भी 2013 की वित्तीय स्वीकृति सहित और मौके पर उतारने के लिए दी गयी थी लेकिन उनमें एक समस्या रही कि टेण्डर समय पर नहीं लगने से उनकी कोस्ट बढ़ी और कोस्ट बढ़ने के चलते उनको रिवाइज एस्टीमेट के लिए भिजवा दिया गया और रिवाइज एस्टीमेट बारबार आता रहा लेकिन अधिकारियों ने माननीय मंत्री महोदय को सही गाइड नहीं किया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आज आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो स्कीमें, आप बार-बार जवाब में यह लिख देते हैं कि कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का सतही जल वहां आ रहा है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं 2013 में ही वो पांचों गांवों की स्वीकृतियां उनको सरफेस वाटर के साथ जोड़ते हुए और कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से जोड़ते हुए बनायी गयी थी। उनमें कोई सतही स्रोत, मतलब स्रोत नहीं लिये गये हैं, स्रोतों का उसमें प्रोविजन नहीं है और पेयजल योजना की भी उन पांचों गांवों में सप्लाई तब दे पायेंगे जब हम उन स्कीमों की स्वीकृति जारी करके, टी.एस. जारी करके उनका काम सप्लाई और राइजिंग लाइन, जहां तक वो कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना पानी देगी, उनसे जोड़ेंगे, तब उन गांवों को सप्लाई दे पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही, सब कुछ नहीं कहते हुए और मांग संख्या 46 पर कहना चाहूंगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, थोड़ी-सी तो कृपा दृष्टि रखिये। सभी सदस्य 15-15, 20-20 मिनट बोल रहे हैं और आप तो आधा घंटा बोल कर गये हैं माननीय सदस्य के रूप में।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर मैं मेरी अपनी बात रखूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देश का आठवां स्थान है और इसका कुल क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का करीब 10.4 प्रतिशत है तथा 51.13 प्रतिशत क्षेत्र पर इस प्रदेश में खेती की जाती है।

आज सिंचाई जैसे विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा है तो मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का किसान मौसम आधारित होने से असहाय जरूर होता है लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन

(श्री पूरणमल सैनी)

करते हुए, अपनी लाचारी को छिपाते हुए भी देश और प्रदेश की जी.डी.पी. में बहुत बड़ा योगदान देता है। देश की आजादी के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश ने चहुंमुखी प्रगति की है जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि करके बहुत अच्छे स्थान पर हमारा देश है। इस कृषि प्रधान देश में वैज्ञानिकों एवं कृषकों के प्रयासों से हरित एवं श्वेत क्रांतियां भी आयीं और इन क्रांतियों के परिणाम-स्वरूप कृषि उत्पादन में आत्म निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, और देश के साथ-साथ राजस्थान भी बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम मांग करते हैं कि हमारे जिले झुन्झुनूं को भी बढ़ने का अवसर सरकार को देना चाहिए।

पांच मिनट की बात है माननीय सभापति महोदय। मेरी बात को रखते हुए कहना चाहूंगा, हमारे पड़ौसी राज्य हरियाणा की ओर हमारी कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, यानी कि खेतों की सीमाएं एक-दूसरे से मिली हुई हैं, वहां सिंचाई होती है और झुन्झुनूं जिले के खेत खाली और वीरान पड़े हैं। इसके लिए हमारे पूर्व सांसद परम पूजनीय स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओला कई बार झुन्झुनूं लोक सभा से सांसद रहे, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

(20.00 बजे)

जब 1994 में 5 प्रदेशों को यमुना नदी से जोड़ने की बात आई तो झुंझुनूं जिले के लिए हमारे पूजनीय सांसद जी ने उस बात को रखवाया। वह बार-बार झुंझुनूं लोक सभा क्षेत्र के लोगों को आश्वासन देते रहे कि हम आपको नहर से जोड़ेंगे। सभापति महोदय, 1994 में यमुना नदी से जोड़ने के लिए 5 राज्यों का समझौता हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल थे। इसके लिए यमुना रिवर बोर्ड का गठन भी किया गया। उस बोर्ड के फैसले के अनुसार 1971 कियोस्क पानी झुंझुनूं और चूरू जिले के लिए ताजेवाला हैड से मिलना था। उसी के निमित्त राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव भेजा। केन्द्रीय जल आयोग ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और यमुना बोर्ड ने भी उसको मंजूरी दे दी, लेकिन आज तक झुंझुनूं जिले के किसानों को यमुना नदी का सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाया।

सभापति महोदय, 23 वर्ष पहले यह समझौता हुआ और आज तक

(श्री पूरणमल सैनी)

यमुना का पानी झुंझुनूं को नहीं मिल पाया। उसके बाद एक बैठक राजस्थान और हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रियों की 2009 में हुई। उस समय हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि आपका पानी, राजस्थान का पानी कौन रोक रहा है? उसको हम दे देंगे। लेकिन अब तक पानी नहीं मिला। इसका कारण यह रहा कि हरियाणा सरकार ने अपना फैसला बदला और ताजेवाला हैड की बजाय पानीपत जिले में स्थित मोदी गांव से बैराज बनाकर पानी ले लो, यह कहा।

सभापति महोदय, आज देश और प्रदेश में ही नहीं, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की सरकार और हमारे माननीय मंत्री महोदय केन्द्र व हरियाणा सरकार से सामंजस्य स्थापित करके झुंझुनूं जिले को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराकर, उनको भी दूसरे प्रदेशों के किसानों के बराबर लाकर खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा सपना है।

सभापति महोदय, उस सपने को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को मैं अंत में हौसला अफजाई करते हुए कहना चाहूंगा, जो कि ऊर्जावान हैं, दो लाइनों के माध्यम से कि, 'मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में और हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में'।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सभापति महोदय, इतना कहते हुए मैं पुन: माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि झुंझुनूं जिले की ही नहीं पूरे प्रदेश के किसानों की सिंचाई की जो मांग है, उसको आप पूरा करेंगे।

श्री सभापति: आपका आ गया। गंभीरता से उस पर विचार किया जाएगा।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रामचंद्र जी।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 और 46 पर जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्री रामचन्द्र)

जल प्रकृति की अमूल्य निधि है। सतयुग से पहले पूरी पृथ्वी जलमग्न थी। एक ऋषि ने देखा कि पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी था। एक वट वृक्ष के पत्ते पर एक नवजात अपने अंगुष्ठ को मुंह में लिए हुए अपने चेहरे पर उल्लासपूर्ण मुस्कान बिखेर रहे थे। उस समय उन ऋषि ने उनके लिए लिखा,

'करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् ।

वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि'।।

जैसे यह पृथ्वी पूरी जल से मग्न थी और उसके बाद पहली जो ध्वनि इस प्रकृति में हुई वह प्रणव से हुई। प्रणव से पर्ण हुआ, पर्ण से पानी हुआ। उससे प्राण जन्मे। सृष्टि की रचना हुई। सारे के सारे जीव तत्वों के माध्यम से पनपे। जहां यह 5 तत्व हैं वहां 84 लाख योनियों का जन्म हुआ। प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ, पर्ण के साथ पेड़, पौधे, जीव, जंतु सब पैदा हुए।

एक बार जब भगवान राम ने बाली का संहार किया तो उनसे पूछा कि आपने बाली का संहार क्यों किया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रामचन्द्र (डग): भगवान राम ने उनसे कहा कि, 'क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा'। यह जितने भी बैठे हैं, जितने गए हैं, जितने आए हैं, सबको ही पाँच तत्व मिले हैं। कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में इतनी नसें और इतनी रक्त नाड़ियां होती हैं कि पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर भी लगा दें तब भी बढ़ती हैं। इसी प्रकार से यह पृथ्वी बनी हुई है। पृथ्वी पर इसी प्रकार से सारा संगम है। एक ऋषि ने तो पृथ्वी को भी शरीर मानकर के सारी रचना की।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जल का जो महत्व है, सब विद्वान साथी बोले हैं। सबने कहा है कि 'जल है तो कल है' 'रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून'। आप देखिए कि हमने किस प्रकार से इस प्रकृति के साथ में छेड़खानी की। जब से पृथ्वी बनी है, जब से यह प्रकृति बनी है, तब से हमने इसके साथ भारी छेड़खानी की है। हमारे पूर्वज पहले अन्न का, जल का, जितने भी संसाधन प्रकृति से मिले हैं,

(श्री रामचन्द्र)

उनका नपा-तुला दोहन करते थे। वह इतने आत्म संतुष्ट होते थे कि उनको ज्यादा आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन इस आपाधापी के युग में हर आदमी इतना भाग रहा है कि सारी दुनिया का धन अपने पास इकट्ठा करना चाहता है। बावजूद इसके, उसके पास कुछ होता नहीं है और प्राण निकल जाते हैं। मर जाता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आदमी के पास 4-5 चीजें होती हैं। पहला स्वार्थ होता है, परार्थ होता है, परमार्थ होता है और पुरुषार्थ होता है। जनता सभी विधायकों को, जन प्रतिनिधियों को, सांसदों को इसलिए ही भेजती है कि ये जाएं और परार्थ का काम करें, परमार्थ का काम करें और पुरुषार्थ अर्जित करें। जन सेवा करना, जनता की सेवा करना भी भगवान की पूजा करने से कम नहीं है। चाहे विधायक हो, प्रधान हो, सांसद हो, जिस प्रकार से आजकल जन मानस के दिमाग में बैठने लगी है, मैं तो स्वयं कहता हूं कि मैं तो पहली बार चुना हूं, मुझे मालूम है कि रात को 4-5 घंटे की नींद ही ले पाते हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं है जो रात को 8-9 घंटे सोता हो। मैं देखता हूं कि यह हनुमान जी बेनीवाल के लिए सब कहते हैं, लेकिन यह सवेरे 9 बजे ही विधान सभा में मिलते हैं और यह रात को कब सोते हैं, पता नहीं। काम करने की शैली चाहे किसी की कैसी भी हो। आज मंत्री लोग जगह-जगह ट्यूर करते हैं। सब अपने-अपने विषयों की विशेषज्ञता रखते हैं। सब लोग तैयारी करके आते हैं।

माननीय मंत्रीगण भी रात को कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं। वे चर्चा कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि कोई भी विधायक कमतर नहीं है। सारे अधिकारी भी लगे हुए हैं। राजस्थान की पूरी टीम लगी हुई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी लगी हुई हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि विधायक को इतना भी नहीं है कि आराम से अपने परिवार के साथ बैठकर के 2 मिनट बात कर ले। जनता से परस्पर समन्वय बनाकर के जीवित रहना चाहता है। फिर जिस दिन चुनाव जीतता है, उसके 5 साल बाद फिर सोचता है कि फिर चुनाव लड़ना है और उसी तैयारी में लगा रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता के बीच में जो संदेश विधायक देना चाहते हैं, कई बार उनके विरोधी भी होते हैं, कई बार उनके काम उनका साथ देते हैं।

(श्री रामचन्द्र)

लेकिन एक बात पक्की है जो आदमी ईश्वर को साक्षी मानकर जनता की सेवा करेगा उसको वापस जनता चुनकर के भेजेगी। जैसा अभी पूरणमल जी ने कहा कि शीशराम जी 8 बार सांसद बने। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी 5 बार सांसद बनीं। राजस्थान का लगातार नेतृत्व कर रही हैं। सुंदर काका जी देख लो, 7वीं बार विधायक हैं। आप स्वयं प्रेरणा लेकर के जनता की सेवा करते हो, पूरा जीवन उसमें झोंकते हो तो निश्चित रूप से आप पुनः चुनकर आते हो।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि जिस समय राजाओं के राज होते थे। उस समय सब लोग कुआ, बावड़ी, तालाब बनाते थे। नाना प्रकार से अपनी सल्तनत को, प्रजा को सुखी रखने के लिए करते थे। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी चाहे कोई माने या ना माने, एक जन भागीदारी के द्वारा जनता को आंदोलित करके मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन की पराकाष्ठा को पार किया है। 3 लाख 42 हजार किलोमीटर, जैसा सब लोग बता रहे हैं, 1.16 प्रतिशत जल राशि राजस्थान को प्राप्त होती है।

पूरी मरुधरा के अंदर कहीं न कहीं पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के कोई खेती नहीं कर सकता, कोई जानवर पानी पी नहीं सकता।

मेरे विधान सभा क्षेत्र का मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूं कि वहां फोरवाटर कंसेप्ट के तहत 19 ऐसे बाँध बने जिनको राजस्थान के 28 कलेक्टर देखने आए थे और डब्ल्यूआरओ, इसके जल संसाधन विभाग के केन्द्र के सैक्रेटरी भी वहां आए थे। वहां जब आकर उन्होंने देखा कि जिसके लिए हमारे पूर्व विधायक यह कहते थे कि प्रधान मंत्री भी आ जाए तो यह बाँध नहीं बना सकते तो इसी सरकार में कल्पनाओं का साकारपन हुआ और वह सारे के सारे कलेक्टरों ने देखा कि जिस विधान सभा क्षेत्र में कोई अधिकारी आना ही पसन्द नहीं करते थे, उस विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने वह देखा। मैं बताना चाह रहा हूं और माननीय मंत्रीजी की मैं प्रशंसा करना चाह रहा हूं कि जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी थे केन्द्र के, उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अंदर 600 करोड़ रुपये की परियोजना से न जाने कितने किसानों को विस्थापित किया है और उतनी जल राशि उसमें इकट्ठी नहीं हुई जितनी फोरवाटर कंसेप्ट में जल राशि इकट्ठी हुई। यह जो नवाचार

(श्री रामचन्द्र)

राजस्थान में हुआ, नदी बेसिन अथोरिटी के माध्यम से और मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के माध्यम से, मैं बता रहा हूं कि स्कूल के बच्चों ने पाँच-पाँच रुपए दान देकर और बड़े से बड़े लोगों ने दान देकर प्रयास जो किया, लोगों के अंदर एक भाव जागृत किया, भाव जागृत यह किया कि आप राजस्थान के विकास में भागीदार बन सकते हो, आप पानी बचा सकते हो, आप अपना कुछ दान कर सकते ह।, आप अपना काम करके, कैसे भी श्रमदान करके इस राजस्थान के विकास में भागीदार बन सकते हो।

इसके लिए राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान के जल स्तर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है चाहे वह सतही जल हो या वर्षा जल हो, चाहे मृदा जल हो, चाहे भूतल का जल हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली बार जब सरकार नहीं थी तो वहां सारे ही काम रुके हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काम बंद थे उनमें रामगंज मंडी पंचपहाड़ की 196 करोड़ रुपये की परियोजना अभी शुरू हुई। रेवा पेयजल परियोजना 66.29 करोड़ रुपये की, 12 दिसम्बर, 2014 को हुई जबकि यह 2003-2008 की सरकार में पहले से सैंक्शन थी। भीमलत 30.80 करोड़ रुपये की सितम्बर, 2011 में हुई। माधवी 30.87 करोड़ रुपये की सितम्बर, 2014 में हुई। गागरेन परियोजना 351.48 करोड़ रुपये की जुलाई, 2014 में हुई। पीपलाज की 32.84 करोड़ रुपये की मई, 2013 में हुई और राजगढ़ परियोजना 67.17 करोड़ रुपये की 10 अगस्त, 2015 को चालू हुई।

माननीय सभापति महोदय, पाँच मिनट लूंगा मैं, इन सारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो गया और सिर्फ दो परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें गागरेन बहुत लम्बे समय से लंबित है और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, गागरोन परियोजना उसमें 165 गांव आते हैं और 150 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र के आते हैं। 2016 तक उसको पूरा होना था। मेरा निवेदन है कि अति शीघ्र इसको पूरा किया जाए क्योंकि इस क्षेत्र में गांधी सागर कैचमेंट की वजह से वहां पर पानी रोक नहीं पा रहे हैं। मैं इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार पूरी सरकार ने डग विधान सभा क्षेत्र के अंदर करोड़ों-करोड़ों

(श्री रामचन्द्र)

रुपए के बाँध के काम और वाटर कंसेप्ट और माइक्रो डैम बनाकर जिन्होंने कार्य किया है उससे इस बार पूरा का पूरा क्षेत्र सराबोर हो रहा है और गांधी सागर कैचमेंट हटाकर माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि काली सिंध की सहायक नदी, चाचून नदी पर नवाचार कर रहे हैं, सिरीज एनीकट बनाकर और सरकार ने पानी रोका है, वैसे का वैसे पानी रोक रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजगढ़ परियोजना में किसानों का जो मुआवजा बाकी है, उसके लिए आपने प्राधिकरण बनाया है। मेरा निवेदन है कि उन किसानों को मुआवजा मिल जाए। उनको काफी लम्बा समय हो गया है।

पीपलाज परियोजना के अंदर जब आपने मुढ़िया गाड़ी थी, उस समय शायद उनका डिमार्केशन करने के बाद में खेती के पानी का जो फैलाव है, उसमें तीन सौ, चार सौ किसान प्रभावित हैं, उनके खेतों में खड़ी फसल डूब गई तो निश्चित रूप से उस पीपलाज परियोजना का भी काम कराएं ताकि किसानों की डूब में आई फसल का भी पैसा उनको मिल जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की क्योंकि हमारे वहां बहुत सारी नदियां, बहुत सारी छोटी नदियां भी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करीब 16 परियोजनाएं मेरे यहां ऐसी हैं जो फोरवाटर कंसेप्ट में या सद्गुरु फाउंडेशन के द्वारा करा दी जाएं तो डग विधान सभा क्षेत्र का गंगरार क्षेत्र का जो उपखंड क्षेत्र है वह कैचमेंट से बिलकुल प्रभावित है और वहां काम नहीं हुआ है। मैं आपको 2010-11 बता रहा हूं, एक तो डग के अंदर है, पोलपान के पास डगक्यासा पर एनीकट का निर्माण, क्यासरा में गंगा का पुराना रास्ता, तलावली में काली सिंध नदी पर पीपाखेड़ी के पास एनीकट, भिस्तूनिया में दो पहाड़ियों के बीच में एनीकट, सिंहपुर में नाहरना, सरदारन्या खाळपुर एनीकट, नारायण खेड़ा में रेवा नदी पर एनीकट, सरोद में गुराड़्या जोगा मोखमपुरा रास्ते पर, पाटीदारजी के खेत के पास एनीकट, हरनावदा में गुरनाई गुड़ा नीमकाहरणा में चैक डैम, रोजाणा में बहुत बड़ा तालाब है और वह माननीय मंत्रीजी ने देखा भी था और लोग-बाग़ गए भी थे रोजाणा में, पहले से वह बना हुआ है, तो रोजाणा में तालाब बना है उसका निर्माण अच्छा किया जाए।

(श्री रामचन्द्र)

खोखरया खुर्द में गोगुवा के पास दो पहाड़ियों के बीच में तालाब, घटोत में एक बहुत बड़ा तालाब है जहां अश्वगंधा की खेती होती है आसपास, वह तालाब बनवाएं। कसनारा में भी चोरबड़ी और चाटु नदी पर माइक्रो डैम, रामपुरा में सरवर पुलिया के नीचे माइक्रो डैम, रामपुरा में रावळा चापळा के पास माइक्रो डैम, बरड़्या बीच में कागड़्या में लिफ्ट इर्रिगेशन, यदि ये हो जाएं तो वह पूरा क्षेत्र, पूरा विधान सभा क्षेत्र आपके विभाग के लिए अथाह जलराशि इकट्‌ठी करने में बहुत योगदान करेंगा। आपकी पूरी टीम को और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए, लास्ट में बात करना चाहूंगा कि मैंने ऐसे मेहनती और अनूठी कार्यशैली वाले माननीय मंत्रीजी नहीं देखे, जो एक पीपलाज की नहर को देखने के लिए 8 किलोमीटर धूप में पैदल चले और ऐसी छोटी-सी पुलिया के नीचे घुसकर उस काम को खोद निकालने के लिए खुद अंदर तक घुसे थे। इन्होंने उस क्षेत्र के अंदर दो बार दौरे किए और दोनों ही बार आपने भीमनी की चाहे नहर हो, चाहे पीपलाज की हो, चाहे उस क्षेत्र का कार्य हो, आपने जो सहयोग हमारे विधान सभा क्षेत्र में किया, माननीय मंत्रीजी का दिल से मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। आप सबको धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ज्ञानदेवजी आहूजा। माननीय सदस्य ज्ञानदेवजी आहूजा (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य, शकुन्तलाजी रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेयजल और सिंचाई, मांग संख्या 27 और 46, आज की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, क्योंकि दिन पर दिन जल स्तर घटता जा रहा है और आए दिन, गांव हो या शहर हो, सभी जगह पर पानी के लिए ऑफिसों में धरने दिए जा रहे हैं, चाहे सिटी हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तो यह आज की सबसे बड़ी समस्या उभर कर आ रही है और पानी कोई कम्पनी, कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकते, यह सब प्रकृति की देन है और प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं क्योंकि किसी भी शहर में पानी किसलिए नहीं है, पानी चाहे गली का हो, मौहल्ले का हो या शहर का हो, सड़क से बहता हुआ निकल जाता है, कहीं न कहीं सोख्ते, गड्ढे बनाकर अगर वह पानी रिचार्ज होता रहे तो इस तरीके की नौबत नहीं आए, जबकि

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

प्राचीन काल में पानी की पूरी व्यवस्था की गई थी जितने भी महल हैं या प्राचीन किले हैं उनके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक बने हुए हैं जबकि आजकल प्रचार प्रसार के लिए घोषणाएं तो बहुत कर दी जाती हैं जैसे अभी कई तरीके की घोषणाएं की गई हैं, अभी माननीय सदस्यों ने भी बहुत कहा लेकिन अलवर जिले के लिए पानी की मांग थी कि चम्बल से पानी आएगा, अभी तीन साल में तो उसकी कोई गति बढ़ी नहीं है, वह बहुत धीरे चल रहा है। इस तरीके से चलती रही ये योजनाएं तो पानी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वर्तमान में भी ऐसे कई जगह ग्रामीण क्षेत्र में बोरिंग हैं, बोरिंग हुए पड़े हैं, ट्रांसफार्मर भी रखा है, लेकिन तार जोड़ने के भरोसे, बार-बार शिकायत करने के बाद भी, कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। इनको ठीक कराने का अभी अभियान चलेगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहां-जहां हैण्डपम्प खराब हैं उनका सर्वे कराकर उन्हें तुरन्त ठीक कराया जाय जिससे आगे आने वाले समय में पानी के लिए परेशानी नहीं हो।

जो बड़े-बड़े कस्बे हैं रामपुर है, नारायणपुर, अजबपुरा, मुण्डावरा, गढ़ी, कोल्याड़ा, खरकड़ी, रायली, सबलपुरा, गूंता शाहपुर, बबेड़ी, ऐसे जो गांव हैं जहां पाइपलाइन डली हुई है, लेकिन उनमें गांव वाले बीच में तोड़कर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं तथा उससे गांव में पानी नहीं पहुंच पाता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। बार-बार कहने के बावजूद भी उसका सर्वे करके उस पाइपलाइन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जिन गांवों के लिए पानी की परेशानी है, वहाँ पाइपलाइन के प्रस्ताव बनाकर पीएचईडी द्वारा भेजे जा चुके हैं। थोड़ी दूरी रह गई है, पानी गांव और ढाणी में पहुंच जाएगा, लेकिन वह पाइप लाइन आज तक स्वीकृत नहीं हो पा रही है।

सौर ऊर्जा के बोरिंग की घोषणा की गयी थी कि सोलर कनेक्शन हम देंगे, बोरिंग हम देंगे। लिस्ट तो बनवा ली, बार-बार कह दिया कि अभी आ जाएंगे, अगले महीने, अगले महीने करते-करते आज तक तो आयी नहीं है। हम भी बोरिंग करवाकर दे सकते हैं, लेकिन अपने फण्ड से इतनी सारी पाइप लाइन नहीं दे सकते। अगर पाइप लाइन और कनेक्शन सरकार करे तो गांव वालों को राहत मिल सकती है। अन्यथा इस तरीके से धीमी गति

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

से चलता रहा तो पेयजल की समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी।

सरकार का रूल है, 4 हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले गांव 2011 की जनगणना से शेष रही पंचायतों को कब तक जोड़ेंगे। कोई योजना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? दो-दो बड़ी पंचायतें हैं उनके बीच में कम से कम एक पेयजल की योजना मिल जाय तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं क्योंकि जलस्तर नीचे चला गया है, सिंगल फेस की बोरिंग से वहां पानी पहुंच नहीं पाता है। जो बाकी की पंचायतें हैं उनकी लिस्ट भी हमने दे दी है, कई बार विभाग द्वारा मांगी जाती है, लेकिन कोई हलचल अभी नहीं हो रही है।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सर्वे कराकर, चिह्नित करके पाइप लाइन बिछाने के लिए प्रपोजल बनाकर भेज दिये गये हैं वे स्वीकृत होकर क्यों नहीं आ रहे हैं? माननीय सदस्य जैसे कह रहे थे कि इतनी हो गई है, लेकिन हमारे यहां नहीं हुई हैं। जिन पाइप लाइनों की जर्जर हालत है, आये दिन टूट जाती हैं और कई-कई दिन तक ठीक नहीं हो पाती है, इस तरह से समस्या आगे आने वाले दिनों में ज्यादा होगी। जिन कस्बों में बोरिंग है, पानी बहुतायत मात्रा में है और 200-500 फुट सिर्फ पाइप लाइन चाहिए। अगर इतनी सी पाइप लाइन मिल जाय तो 10-10 ढाणियों की पानी की समस्या दूर हो सकती है। इसको किसी भी तरीके से योजना बनाकर इनकों पाइप लाइन दिलाएं। मंत्री महोदय योजनाएं बनाने की अभी थोड़ी देर में बोलेंगे, अभी और माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, मैं चाहती हूं कि लीलामाडा में बहुत सारा पानी है। आसपास के किसी भी गांव में पानी नहीं है। वहां भरपूर पानी है। अगर वहां से आसपास की ढाणियों में पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन दें तो उन गांवों को पानी मिल सकता है। वे 450 और गर्मी के सीजन में 550 रुपये में टैंकर मंगाकर पानी की पूर्ति करते हैं।

सभापति महोदय, जनता जल योजना या अन्य योजनाओं से पानी की बोरिंग, टंकी बनाकर ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कर दी जाती है और गांव वाले बिजली का बिल समय पर नहीं करा पाते हैं। कई गांव और ढाणियों की ऐसी स्थिति है जहां लेबर रहती है। वे श्रमिक बिल जमा नहीं करा पाते। ऐसी स्थिति में कम से कम 20-25 गांव ऐसे हैं जिनके कनेक्शन काटे जा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

चुके हैं। अब गर्मी का सीजन आ गया है और अब गांवों में कनेक्शन काटने के बाद पानी नहीं है। वे 5-5, 7-7 किलोमीटर से पानी लेकर आ रहे हैं। आप पंचायत समितियों को निर्देश दें कि बीडीओ उसका बिल जमा कराकर तुरन्त कनेक्शन करें जिससे गांवों को पानी मिल सके या फिर पीएचईडी को उन्हें हैंडओवर कर दें जिससे समय-समय पर बिल जमा कराने पर इस तरह की नौबत न आए कि उनका कनेक्शन कट जाए।

थ्री फेज और सिंगल फेज के बोरिंग हैं उनके कनेक्शन में ही महीनों लग जाते हैं। आप निर्देशित करें कि पानी की कमी को देखते हुए पीएचईडी के थ्री फेज और सिंगल फेज के कनेक्शन शेष रह रहे हैं उनको तुरन्त कराया जाए। सरपंचों को स्वतंत्रता ही नहीं है, आप उनको स्वतंत्र करें कि वे बोरिंग करा सकें, जरूरत के हिसाब से गांव व ढाणी में हैण्डपम्प लगा सकें। बोरिंग हम लोग भी स्वीकृत कर देते हैं तो वह भूजल में चला जाएगा। बोरिंग के लिए तो हमने सुना है कि भूजल में चला जाए, मगर 200 फीट पाइप लाइन दे देते हैं ताकि तुरन्त पानी की पूर्ति हो जाएगी तो वह भी भूजल में चली जाती है। ये क्या तकनीकी नियम बना दिये गये? पानी के लिए तो इन नियमों को हटाकर इस तरीके की व्यवस्था करायी जाए जिससे गांव वालों को पानी मिल सके, यह मेरा आपके जरिये अनुरोध है।

राइजिंग लाइन, जो रास्तों को तोड़कर बनायी जाती हैं, वे बीच सड़क को तोड़कर बना दी जाती हैं और फिर उन रास्तों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है चाहे उनमें पानी भरे या कीचड़ हो। ऐसी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में टंकियां बनी हुई हैं, सड़कें तोड़ दी गयी हैं। इनके लिए भी आप कोई निर्देश जारी करें।

विद्यालयों का सर्वे कराकर हैण्डपम्प लगाने चाहिए। कई गांव और ढाणियों में खारा पानी है। आरओ की जैसे घोषणा कर रहे हैं, पाइप लाइन डलवाकर स्कूलों में भी पानी की व्यवस्था करें तो ज्यादा सही रहेगा। सिंचाई विभाग, पीएचईडी में रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए। हैण्डपम्प के लिए सामान के लिए फोन करेंगे तो कहेंगे कि सामान नहीं है या आज गाड़ी नहीं है। इस तरीके का सामान अवेलेबल कराया जाए। 49 पंचायतें हैं, बड़े-बड़े गांव हैं, हजारों ढाणियां हैं और हमको कहेंगे कि 10 हैण्डपम्प लो, 15 हैण्डपम्प

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लो, 20 हैण्डपम्प लो। कम से कम एक बार में 100 हैण्डपम्प तो स्वीकृत करें ताकि 50-100 घरों की ढाणियां हैं उनके पानी मिल सके। आर.ओ. प्लांट की अभी बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि इतने आर.ओ. प्लांट लगा दिये गये हैं। मेरे बानसूर में एक भी इस तरीके की आर.ओ. प्लांट या सोलर, बिजली का कोई बोरिंग नहीं दिया गया है। क्यों यह हमारे साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है?

सभापति महोदय, सिंचाई के लिए मेरा एक ही अनुरोध है कि जल स्वावलम्बन योजना का बड़े-बड़े शब्दों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। आप गांव के पास ही जोहड़ बनवा दें जिससे गांव का पानी उसमें भर जाए तो वह भी रिचार्ज होता रहे। मेरे बानसूर में तो यह पानी की समस्या दूर हो जाएगी कि जो नदी, नाले, पुरानी नदियां हैं उनको जेसीबी से, चाहे नरेगा में किसी तरीके से गहरा कर दिया जाए तो यह पानी की समस्या है वह दूर हो जाएगी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय जी को यह लिस्ट नोट करा देती हूं। सभापति महोदय, मैंने पहले भी प्रस्ताव भिजवा दिये हैं। चारों तरफ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। वहां का पानी बहकर निकल जाता है। जयसिंहपुरा छींद है, धामला का बास है, रामपुर, नाथूसरलोज है, सबलपुरा, कालीपहाड़ी, बहरामका बास, टीकली का बास में बहुत बड़ा बाँध है, हरसोरा है, बाबरिया है, जिनकी मोरियां खुली हैं, गेट खुले हैं, उनके गेट सर्वे कराकर बंद करवा दिये जाए। लेकड़ी, बिसालू, टोडिया का बास, रतनपुरा, होलावास, बासना, छाटक्या, जो बड़े-बड़े गांव हैं, जो पहाड़ी के नजदीक हैं वहां पर एनीकट और बाँध बना दिये जाय तो इससे जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे पानी की मारामारी नहीं होगी।

मंत्री महोदय से भी मेरा अनुरोध हैं कि आप इस तरीके से नहीं करें। 100-100, 200-200 आर.ओ. प्लांट और सौर ऊर्जा दे रहे हैं। क्या हम कांग्रेसी हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं। जनता तो राजस्थान की है, मंत्री महोदय तो राजस्थान के हैं, न कि सरकार के हैं ...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ... कम से कम पानी के लिए तो ऐसा न करें। इनका धर्म होगा और यह धर्म का धर्म है, कर्म का कर्म है। सभापति महोदय, मैं मेरी तरफ से मंत्री महोदय को कहूंगी कि सदन में विराजे हुए मंत्री, मुख्य मंत्री महोदय, सरकार में विराजे मंत्रीजी, इस तरह से नजरअंदाज करना तो हद से पार गुजरने लगा है, हमने कहा या तुमने कहा, हमने जनता के हालात बार-बार आपको बताये हैं लेकिन हर यही कहते हैं क्या कहा, हमें तो सुनाई नहीं दिया, ऐसा तो कम से कम अन्याय नहीं करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य देवेन्द्र जी कटारा। मैं बराबर करा रहा हूं, तीन इधर एक इधर, बराबर करा रहा हूं। आपका ही नम्बर है। संख्या ज्यादा ही है क्या करूं, लम्बी लिस्ट है। हरेक को लगता है कि मेरा नम्बर नहीं आ रहा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 27 पेयजल और 46 सिंचाई पर अपनी बात रख रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले से, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं और यह जिला राजस्थान के दक्षिण में गुजरात से सटा हुआ है। मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा गुजरात सीमा से अटैच है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में साढ़े तीन लाख की आबादी है और इसमें से 3 लाख 5 हजार जनजाति के लोग रहते हैं और 45 हजार अन्य वर्ग के लोग रहते हैं। पूरा एरिया पहाड़ी है और पूरी तरह से, एक तरह से राजस्थान में जो बरसात होती है तो औसतन बरसात राजस्थान की सबसे ज्यादा अगर मानें तो डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में होती है। बरसात का पूरा पानी बहकर गुजरात जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेवाड़ा सिंचाई परियोजना एक लघु सिंचाई परियोजना है, वो एकमात्र संचालित है। उससे सिंचित होने वाला क्षेत्र एक हजार हैक्टेयर है। 30 साल पहले यह परियोजना बनी और तब से लेकर अब तक इनकी एल.एम.सी. है वो अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं है और न ही अभी तक पूरा कमांड एरिया कवर हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं। हवा

(श्री देवेन्द्र कटारा)

के बाद में किसी भी चीज की यदि प्रमुख आवश्यकता है तो वह पानी की है। हम हमारे शास्त्रों में देखते हैं तो शास्त्रों में भी और पहले कृषि प्रधान देश माना जा रहा था तो उसका आधार भी पानी ही था। पानी से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होते हैं अर्थात् आर्थिक दृष्टि से अगर मानव का विकास, आर्थिक दृष्टि से अगर सक्षमता की बात करें तो पानी ही इसका आधार है। यदि पानी को हम लोग नहीं रोकेंगे और पानी आधारित हमें रोजगार को डवलप करना है तो हमें बड़े-बड़े तालाब, एनीकट, ये सारी चीजें बनाने की आवश्यकता है। आजादी से अब तक जब पूरे शासनकाल का ब्यौरा करते हैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 62 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया है और 6 साल अन्य दलों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी शासन किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पूरा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होने के बावजूद भी मात्र तीन महीने ही पानी की व्यवस्था वहां पर है, बाकी 9 महीने तक वहां का रहने वाला नागरिक पूरी तरह से, पीने के पानी को लेकर के भी और सिंचाई के पानी को लेकर भी काफी परेशान है। सिंचाई और पेयजल के मामले में, पेयजल में तो सहरिया क्षेत्र में हमें सुविधा मिल रही है लेकिन सिंचाई के मामले में आज भी हमारे वहां का व्यक्ति कुएं और नालों पर ही आधारित है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि 62 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और उसके बाद में मात्र 6 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, पर वहां पर एक भी बड़ा तालाब या एक भी वाटर स्टोरेज को डवलप करने में कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा यह है कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में पिछड़े जिले के नाम से जाना जाता है। वहां पूरा पहाड़ी एरिया है और पानी भी ज्यादा है लेकिन पानी को रोककर के पानी आधारित उद्योग खड़े करने के लिए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कोई सुविधा अभी तक नहीं हुई है। हम बार-बार डिमाण्ड करते हैं, बार-बार डिमाण्ड के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज तक उस डूंगरपुर जिले को, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र को गरीबी की हालत में अगर छोड़ा है, यदि दु:खी हालत में अगर रखा है तो उसके लिए

(श्री देवेन्द्र कटारा)

जिम्मेदार पूर्णतया कांग्रेस सरकार रही है और अभी मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि यदि अभी भी डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपया लगाया जाता है तो उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उद्योग या अन्य प्रकार की सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पानी होगा तो सिंचाई होगी, सिंचाई होगी तो पशुपालन होगा, पशुपालन होगा तो अन्य और भी प्रकार के कृषि आधारित धन्धे होंगे, क्योंकि वहां के आदिवासियों के छोटे-छोटे खेत हैं और छोटे-छोटे खेतों से ही अपने परिवार और अपनी आजीविका को संचालित करता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विशेषकर 5-6 जगह ऐसी हैं जहां पर आसानी से और कम लागत से तालाब, बाँध बनाये जा सकते हैं। एक पणियाला वाला दर्रा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसकी अनुमानित लागत 1054 लाख रुपये है। इसी तरह से गूंजल का नाका बाँध जिसकी अनुमानित लागत 1650 लाख रुपये है, वागबोल का नाका बाँध है जिसकी अनुमानित लागत 381 लाख रुपये है। सुलवया नाका वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, मोजालका नाका वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, पीपलावाला एनीकट और थामेटी वाला महुड़ा बाँध, चामुंडा नाका एनीकट, बेड़ानाका बाँध, इस तरह से मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत ही कम लागत से काम हो सकता है। अगर यहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो एक भी व्यक्ति न तो विस्थापित हो रहा है, एक भी काश्तकार की एक इंच भी खातेदारी न ही उनके कहीं डूब में जा रही है और किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये 5-6 एनीकट, तालाब की बात है, उनके लिए आप सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के मामले में डूंगरपुर शहर जो मात्र 45 हजार की आबादी का है, जिसके लिए तो हमने बार-बार पेयजल की व्यवस्था के लिए विभिन्न योजनाओं में पैसा दिया और वहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और केवल हैण्डपम्प आधारित हैं। हैण्डपम्प भी वहां पर छह महीने तक

(श्री देवेन्द्र कटारा)

तो बिलकुल सूखे रहते हैं और लोगों को पीने का पानी लेने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। पशुओं की हालत खराब है। ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा कि आप डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र, जो वर्षों से एक तरह से सौतेले व्यवहार का शिकार हो रहा है, वहां की जनजाति की आबादी है, उसके साथ में पूरी तरह से अन्याय हो रहा है तो कम से कम इस बजट में तो इसका प्रावधान करते हुए वहां के लोगों के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था, वहां के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, वहां के पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए छोटे-मोटे तालाब, एनीकट जो हमने अभी प्रस्तावित किये हैं और पहले भी हमने प्रस्ताव के माध्यम से भेजा है तो प्राथमिकता के आधार पर उनको स्वीकार किया जाकर लोगों को राहत दी जाए। सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि थोड़ा समय का ख्याल करें, लिस्ट अभी भी बहुत लम्बी है। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि थोड़ा समय शॉर्ट करें।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पहले तो हम लोग आधा-आधा घंटा, पौन-पौन घंटा खर्च करते हैं और बाद में जो सदस्य रहते हैं इनको समय कम मिलता है तो कम से कम इसके बारे में एक सुनिश्चित गाइड लाइन तैयार कर दी जाए।

श्री सभापति: माननीय शंकरसिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बैठ जाएंगे, इसमें जरूरी नहीं है बोलना। मंत्री महोदय को लिखा दिया है। वैसे भी नम्बर तो, अब बोलने का मौका ही इतना लेट दिया है, मदन जी की कृपा है। अब वो इनका स्वभाव है इसलिए वो करेंगे थोड़ा-बहुत तो। माननीय सभापति महोदय, वो इनके स्वभाव में नहीं है इसलिए नहीं निभा पायेंगे।.... माननीय सभापति महोदय, काफी कुछ चर्चा हो गई है, ज्यादा इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन आखिर पेयजल और सिंचाई, यह ऐसी मार्मिक योजना है, मतलब कहीं न कहीं पूरा तंत्र इससे जुड़ा हुआ है। पेयजल अगर जनता को बराबर मुहैया कराना है, यह हमारी सरकार का धर्म है और यह हम कर रहे हैं।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

मैं खाली मेरे जालौर जिले तक ही सीमित रहूंगा। जालौर जिले में 2006 में नर्मदा से 739 गांवों को पेयजल देना था और योजना प्रारम्भ की। उसके अंत तक पूरा करना था, नहीं हो पाया और हमारा दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती सरकार ने उस पूरी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद वापस हमने स्पीड दी लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि नर्मदा के द्वारा एफआर, ईआर और डीआर, ये तीन प्रोजेक्टों के द्वारा पानी सभी गांवों में जाना है, वह सुनिश्चित करें कि यह पानी कब तक जायेगा? कैसे जायेगा? अगर कहीं न कहीं क्लस्टर योजना में डिले हो रहा है तो हमारे उस नर्मदा के पानी को लेकर एग्जिस्टिंग सिस्टम से डवलप करके उन गांवों में पानी पहुंचायें। चुनावों में भी कह दिया है, इसके पहले भी कह दिया है और आज मेरे आहौर में लगभग 80 प्रतिशत गांवों में खारा पानी और फ्लोराइडयुक्त पानी है। आखिर कहीं न कहीं हमारा धर्म बनता है कि उनको सही पानी मुहैया करायें।

दूसरा, यह जो अपने आर.ओ. प्लांट हैं, उनको भी मोनीटरिंग करने का सिस्टम बैठाओ। कहीं आर.ओ. बंद हैं तो बंद हैं, तो इसका कहीं न कहीं सिस्टम बैठाओ कि आर.ओ. की हम व्यवस्थित रूप से मोनेटरिंग कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि एक तो यह एग्जिस्टिंग सिस्टम को, नर्मदा का पानी जिस किसी कारण से साल भर लेट हो रहा है, मान लो, तो हमारा जो सिस्टम है, उसको ही व्यवस्थित करके पानी कैसे पहुंचायें, इसकी चिंता हम करें।

छोटे-मोटे दो-तीन विषय और हैं। एक तो मेरे आहौर में एन.एच. रोड बना है। लाइनें बहुत नीचे चली गई थीं। उनमें आठ-दस गांवों की लाइनें हैं तो उसको एक बड़ी लाइन में करके, एक ऐसा सिस्टम बनाकर स्वीकृति आप दें।

ऐसे चार-पाँच ट्यूबवैल सिस्टम मांगे हैं। उम्मेदपुर, मूलेवार और एक बागड़ा की तरफ, इन चार-पाँच से हर सिस्टम से दो-दो, तीन-तीन, चार-चार गांव डवलप हो रहे हैं तो इस पूरे सिस्टम से मतलब तीन-चार ही हैं, हमने ज्यादा नहीं मांगे हैं और हैण्डपम्प की बात है। नदी के किनारे-किनारे जो गांव हैं, उनका पानी का लेवल ऊपर है और कम है तो हैण्डपम्पों से छोटे-

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

छोटे गांवों में सप्लाई हो जाता है। अब उसमें सिंगल फेस मोटर, यह मेरा ख्याल है, राजस्थान में दूसरी या तीसरी जगह मेरे यहां मादड़ी में प्रारम्भ की, जो आज दिन तक चल रहा है तो यह एक हैण्डपम्प वाला और सिंगल फेस वाला, इनको बराबर डवलप करें। कोई बीसेक हैण्डपम्प मैंने मांगे हैं मंत्री महोदय, तो उनको भी कम से कम गर्मी और ये चार-छह महीने चलायें जरा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। रोहट क्षेत्र में पानी आ गया है जो बिलकुल आहौर के किनारे ट्यूबवैल है, वह दो तो खाली पड़े हैं बांकली बाँध के कैचमेंट एरिया में। उन ट्यूबवैल को यूज करके जो किनारे के गांव हैं आहौर के, भाद्राजून के आसपास, उन गांवों को पानी ईजीली दे सकते हैं। एक बाकली बाँध में सेलड़ी के कैचमेंट में लास्ट टाइम 2007 में चार ट्यूबवैल की स्वीकृति दी थी, दो खुद गये थे लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के समय उनकी आगे की प्लानिंग नहीं हुई है। जो ओपन वैल है, वह ट्यूबवैल नहीं है, उन ओपन वैल्स में डेम का रिचार्ज पानी है और पानी वह बिलकुल जो गांवों में खारा पानी है, उसकी जगह हम मीठा पानी दे सकते हैं। बांकली बाँध के जो भी ओपन वैल हैं, उनको हम कैसे एक्टीवेट करें, इसकी आप मंत्री महोदय व्यवस्था करें, जो बहुत ईजी है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वास्तव में पानी, यह जो सिंचाई और आखिर पेयजल, दोनों कहीं न कहीं जुड़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि एक तो पूरे जालौर जिले को 300 किलोमीटर में नदी चलती है जवाई बाँध से जवाई नदी और उस किनारे पर उसके जवाई बाँध बन गया है और उस जवाई बाँध पर पौधारोपण करके, जिस प्रकार से अपन ने इस बरसात में पानी थोड़ा-थोड़ा छोड़ा था, तो कम से कम जवाई डेम 54 फीट से ऊपर भरने के बाद, एक-आधा फीट हमने नदी में छोड़ दिया तो नदी के किनारे 300 किलोमीटर में कुए रिचार्ज हो जायेंगे।

उसके अलावा माही परियोजना, माननीय सभापति महोदय, यह पूरे

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

राजस्थान का विषय है कि जहां भी अन्तरराज्यीय जल विवाद वाला विषय है, उसको एक मोनीटरिंग कमेटी बनाकर या कैसे सुलझाना है? जो राजस्थान के हक का पानी है चाहे वह उत्तर से हो, चाहे वह पूरब से हो, हमको लेना है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि माही परियोजना 1966 का समझौता था कि गुजरात में नर्मदा का पानी पहुंचेगा तो माही का पानी गुजरात में जा रहा है। वह पानी जालौर, बाड़मेर और सिरोही, तीन जिलों के लिए मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह पश्चिमी राजस्थान के जो तीन-चार जिले हैं, ये रेगिस्तान टाइप के जिले हैं। इनमें भी पानी की कहीं न कहीं व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। या तो यह गुजरात की तरह जो सफलम सुजलम योजना है, उससे जोड़ो, कडाणा डेम से जोड़ो या सीपु डेम से जोड़ो और यह माही परियोजना है, इसको भी हम कैसे एक्टीवेट करें। यह हमको चिंता करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जैसे पिछली बार भी कहा है, यह पाकिस्तान बोर्डर से जो पानी आ रहा था, मतलब कच्ची नहर के कारण पाकिस्तान के गांवों में जा रहा था। आज दिन तक सरकारों ने कहीं विचार ही नहीं किया। यह पहली बार किया है। यह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहिए कि उस नहर को पक्की करके पानी को रोका है। माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए तो बिलकुल निश्चित रूप से धन्यवाद है।

यह जोधपुर पेयजल योजना अगर मान लो, जैतपुरा रोहट आ गई है, उससे लगा हुआ भाद्राजून का एरिया है, जब कभी भी वहां पानी की व्यवस्था हो जाये, पानी पूर्ति हो जाये तो इसको पेयजल के हिसाब से भाद्राजून के गांवों को भी आगे जोड़ सकते हैं तो यह घाणा, बड़वा, होड़दा, इन गांवों में पीने का पानी बिलकुल नहीं है। यह भी व्यवस्था करने की बात है और एक नर्मदा के सिस्टम से भाद्राजून वाले सिस्टम को कैसे जोड़ें, इसके लिए भी एक मेंटीनेंस में अपन ने जो पीएचईडी की स्कीम्स दी हैं, इनकी भी मोनीटरिंग कहीं न कहीं करें कि मेंटीनेंस वाले जो ठेकेदार हैं, लेबर बराबर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? उसका मैटेरियल बराबर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? मोटर जली है तो मोटर को चार दिन में

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

बदलना है, उसकी जगह 10 दिन लग रहे हैं तो यह भी एक मोनीटरिंग हमारी तरफ से बराबर होना चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, बस एक है। जवाई पुनर्भरण। इस मुद्दे को जोड़ दो और हमारी जो माही परियोजना है, यह जालौर जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। श्री दलीचन्द जी डांगी।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मांग संख्या 27 और 46 से कुछ निवेदन आपके समक्ष करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने बजट भाषण में 17 व 18 नम्बर पर पेयजल व सिंचाई संबंधी विकास कार्यों की सराहना के कदम उठाये। मैं मुख्य मंत्री महोदया को और आदरणीया पूर्व मंत्री किरणजी माहेश्वरी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 15 सालों से स्कीमें बंद पड़ी हुई थीं। वह पाइप लाइन में कन्वर्ट करके, उस स्कीम के लिए 1.90 करोड़ रुपये दिये और डबोक में जो स्कीम थी, 5.5 करोड़ रुपये की स्कीम सेंक्शन करके, वह छह महीने में कम्प्लीट हो गयी 5.5 करोड़ रुपये की स्कीम।

आदरणीय मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे क्षेत्र में जो कैलाशपुरी स्कीम थी 2.71 करोड़ रुपये की, वह भी कम्पलीट हो गई, वह चालू हो गई। उसके बाद में घासा में वह स्कीम थी वह 2.39 करोड़ रुपये की सेंक्शन हुई है। डांगीखेड़ा, रोहिड़ा में 1.20 करोड़ रुपये की स्कीम थी, वह भी चालू हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इसके माध्यम से जो 20.74 करोड़ रुपये से पानी का तीन साल में पूरा काम किया।

(श्री दलीचन्द डांगी)

मैं मेरे क्षेत्र में विशेष तौर से मांग करना चाहता हूं पानी के बारे में, तो वास्तव में किरणजी माहेश्वरी वहां पर उद्घाटन करने और शिलान्यास के समारोह में आयी थीं। उन्होंने कई स्कीम्स की घोषणा की थी। मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत होती है। टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती है माननीय सभापति महोदय, वास्तव में 15-16 पंचायतें ऐसी हैं, बिलकुल पानी भी नहीं है क्योंकि माइंस की वजह से पानी 600 फीट, 700 फीट गहरा चला गया है। 17 सोलर सेंक्शन हुए, वह वहां पर बोरिंग लगाकर सोलर नहीं लगाये गये। मैं मंत्री महोदय गोयल साहब को आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोलर लगा कर और आरओ तीन सैंक्शन हुए हैं वो भी लगा कर ये आने वाले समय में गर्मी आ रही है इसलिए पानी के टेंकरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत होती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी बहुत है। उदयसागर तालाब ही भरा हुआ है। देवास का पानी भी आता है लेकिन मेरी 15-16 पंचायतें शायद ऊँचाई की वजह से सूखाग्रस्त रहती हैं। उनमें पानी ले जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत की जो स्कीमें आपके माध्यम से भेजी हुई हैं नामरी, बडियार, बोर का कुआ, नाई का टाला, सांगवा, बिजनवास, नोड़ा, पीपल्या, रठाना, रख्यावल, खाम की माधड़ी, बासलिया, सिंधु, मांडोताल, बानसोल, रादोली, साकरदा, पाड़ा खादरी, साबटिया, सुखेर, मारथला, रोणागुढ़ा, खेमली, आसला, जूनावास कई स्कीमें भेजी हुई हैं, उनको कम से कम पचास लाख-साठ लाख की स्कीमें दे दें। इन छोटी स्कीमों से भी बहुत अच्छा काम होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इसी क्षेत्र में पंचायत सालेरा कलां, थामरिया देवारी की जर्जर पाइप लाइनें हैं, जर्जर टंकी है आदि की स्वीकृति करके इसी बजट में दिया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सभी गांव एवं ढाणियों में पानी की जांच करवाकर फ्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, उसके लिए पेयजल योजना बनाई जाए।

आदरणीय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की कमी है। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में दो सौ करोड़ रुपये

(श्री दलीचन्द डांगी)

दिये, सौ करोड़ रुपये दिये, पचास करोड़ रुपये दिये, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पचास करोड़ रुपये दिये जाएं तो उससे पीने के पानी की सारी व्यवस्था हो जाएगी। मेरी हर पंचायत में चालीस लाख-पचास लाख रुपये की घोषणा करें इसी बजट में।

मैं आगे मांग संख्या-46 पर बोलना चाहता हूं। विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सारे तालाब खाली पड़े हैं। मैं तीन साल से मांग करता रहा हूं। बागलिया तालाब बहुत बड़ा तालाब है। उदयसागर के पानी से वल्लभनगर तालाब भरता है, बड़गांव तालाब भरता है उसके बाद में चित्तौड़ में जाता है बहुत पानी बचता है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बागोलिया डेम को 155 एम.सी.एफटी पानी उदयसागर बाँध से लेने का प्रस्ताव भेजा है। इसी तरह से हिन्दुस्तान जिंक से 180 एम.सी.एफटी पानी उदयसागर से लेने का रिजर्व कर रखा है तो हिन्दुस्तान जिंक के लिए इतना दिया जाता है तो किसानों के लिए 155 एम.सी.एफटी का पानी उदयसागर से बागोलिया डैम भरा जाए। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जिंक के लिए प्लांट आयड़ नदी पर लगा रखा है। आयड़ नदी पर लगाये गये प्लांट की कैपेसिटी बीस एम.सी.एफटी है। उससे प्रतिवर्ष 200 क्यूसेक एम.सी.एफटी पानी साफ किया जाता है। वो भी पानी हिन्दुस्तान जिंक के लिए लिया जाता है। वो दरीबा जाता है। सारे तालाबों का पानी दरीबा जाता है हिन्दुस्तान जिंक लेता है, लेकिन मावली के किसानों की मांग है कि बाँध बनाकर किसानों के लिए व्यवस्था की जाए। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बागोलिया डेम से पानी दिया जाए, हिन्दुस्तान जिंक को उदयसागर से दिये जाने वाले पानी को घटा कर, क्योंकि ये अन्य प्लांट से पानी काम ले रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीस ग्राम पंचायतें बागोलिया में आती है। बागोलिया तालाब के साथ नहरें भी बनी हुई हैं और उसके बाद में सालेरा तालाब बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। बागतला तालाब बना हुआ है और पलानातला, खड़तानातला बहुत बड़े-बड़े तालाब बने हुए हैं। बहुत सारे खाली रहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रोड निकलने से

(श्री दलीचन्द डांगी)

मागतला तालाब में पानी रुक गया तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी आप रिप्लाई भाषण में डीपीआर बनाकर कार्य हेतु बजट देने की कृपा करें। खाली बीस करोड़ या पन्द्रह करोड़ रुपये जो भी दोगे उससे नहर बनाकर पानी डाल देंगे और मैं आग्रह करता हूं कि आप घोषणा करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं कि मेरी मांग पूरी करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको और सदन के सभी सदस्यों को भारतीय नव वर्ष एवं नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। वैसे ये सुबह आप सब लोगों ने दे दी थी, लेकिन आज मैं मेरे बोलने के समय में भी आपको शुभकामानाएं दे रही हूं पूरे राजस्थान को और बहुत ही खुशी की बात है कि जब भारतीय नव वर्ष आता है तो नौ दिन देवी की पूजा की जाती है। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-27 और मांग संख्या-46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पीएचईडी विभाग के मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को, जिन्होंने राजस्थान में कुल 1 लाख 21 हजार 648 गांव-ढाणियों में से अब तक 55 हजार 25 गांव-ढाणियों को मार्च, 2016 को लाभान्वित कर दिया है। मैं सीधी-सीधी मेरे क्षेत्र पर आऊंगी सभापति महोदय, मैं बात करूं गांव पण्डितावाली की मेरे क्षेत्र के अन्दर, तो वहां पर कांग्रेस सरकार के समय साढ़े तीन करोड़ रुपये लगाकर एक ओवरहैड टैंक बनाया था और गांव के अन्दर पाइपें डाली गयी थी और जब मैं विधायक बनी और मैंने वहां जाकर देखा तो जैसे ही उससे पानी सप्लाई शुरू किया, वैसे ही वो पाइप लाइनें टूट गयीं और गांव के अन्दर पानी नीचे जमीन में चला गया। न तो वह डिग्गी में पानी पूरा भर रहा है और न गांव के अन्दर सप्लाई सही हो रही है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उन अधिकारियों पर, उन ठेकेदारों पर आप कठोर कार्यवाही करें, उसकी अच्छी जांच करवायें। उसमें गांव की जनता का पैसा इन्होंने लूटा है, पैसा बरबाद किया है।

(श्रीमती द्रोपती)

मैं गांव की बात करूं कालीबंगा की तो कालीबंगा गांव है, उसमें हमारे एक छोटा-सा संग्रहालय भी बना हुआ है। वहाँ देशी-विदेशी पर्यटक भी आते हैं। सभ्यता उसमें मिली हुई है। उसमें पीने का पानी फ्लोराइडयुक्त है तो मैं माननीय किरण जी माहेश्वरी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उसमें बहुत-बड़ी रकम मंजूर करके, उसकी स्कीम मंजूर कर दी, लेकिन उसमें एक समस्या आ रही है मोगा स्वीकृत कराना है तो यहां सिंचाई विभाग के मंत्रीजी भी बैठे हैं तो श्याम सिंह वितरिका से पेयजल सप्लाई अगर उसके अन्दर दी जाती है तो पूरे गांव के अन्दर शुद्ध पीने का पानी है उसकी व्यवस्था हो जाएगी।

मैं बात करूं नगरपालिका रावतसर की तो जब से रावतसर के अन्दर वो स्कीम बनी है पीएचई विभाग की पानी की टंकी बनी है, आज से चालीस-पैतालीस वर्ष पहले उसमें पाइप्स डाली गयी थीं और मेरा क्षेत्र सेमग्रस्त एरिया है सभापति महोदय, तो उसकी वजह से वो पाइप्स सीमेंटेड हैं चालीस साल पुरानी और वो आज जर्जर हालत में है। अगर उनके लीकेज भी ठीक करें तो वो खतरा बना रहता है। न तो वो पूरी लीकेज ठीक रहती है और वो पाइप अगर नीचे से देखें तो वो सीमेंटेड पाइप हैं, वो पानी के अन्दर पूरी तरह से गल चुकी है तो पूरी सप्लाई शहर में नहीं हो रही है। मैं यहां दोनों मंत्रियों से निवेदन करूंगी पीएचई विभाग के मंत्री, पूरे शहर की नयी पाइप लाइन उपलब्ध करायें, ताकि पूरे शहर में चालीस-पचास हजार की संख्या है उनको पूरा पानी मिले और साथ में इर्रिगेशन विभाग के मंत्री को भी मैं यह कहना चाहूंगी कि सिर्फ साठ किलोमीटर की दूरी पर मेन कैनाल है, उसमें अगर पाइप लाइन जोड़ी जाए तो शहर की पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में पूरे हनुमानगढ़ जिले में नहरों का जाल बिछा हुआ है, कोई गांव नहीं बचा हुआ है जिसके अन्दर नहर नहीं जा रही है लेकिन मेरे 52 पंचायतें लगती हैं विधान सभा क्षेत्र में उनमें पीने के पानी की बहुत-बड़ी समस्या है। उसी नहर से हमारे यहां सिंचाई की जाती है और उसी नहर के पानी को हम पीने के काम में लेते हैं तो मैं मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि जितनी भी हमारे यहां पीने के पानी की समस्या है और

(श्रीमती द्रोपती)

बिजली विभाग वालों से कहूंगी कि पीएचईडी विभाग वाले जब पानी छोड़ते हैं, तब बिजली विभाग वाले बिजली बंद कर देते हैं और जब बिजली आती है तो पीएचईडी विभाग वालों का पानी बंद हो जाता है तो गांव के अन्दर यह बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इन दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो गांव के अन्दर इस समस्या का हल हो सकता है।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायत 25 आरडब्ल्यू का गांव 22 आरडीए कुम्हारां वाली ढाणी में पेयजल स्वजलधारा योजना के तहत उपलब्ध होता था और अबकी बार वह योजना बंद कर दी तो उस गांव में एक डिग्गी बनी हुई है। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उस डिग्गी की मरम्मत तो वो करवा लेते हैं लेकिन उसके अन्दर पानी नहीं हो रहा है तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि वो इसमें सीधा नहर के द्वारा पानी स्वीकृत करें। कुछ मेरी राज्य सरकार के पास स्कीम्स भेजी हुई हैं, विचाराधीन हैं उनका मैं दो मिनट नाम बोलूंगी, सभापति महोदय।

(21.00 बजे)

26 जेआरके, 16 एलजीडब्ल्यू, 4 यूएम डब्ल्यू ओमेवाला, 34 एलएलडब्ल्यू, 36 एलएलडब्ल्यू, 5 एसटीबी, 14 एनडीआर ए, 19-21 पीबीएन रतनपुरा ढाणी, 16 पीबीएन, 14 पीबीएन सुंदरसिंह वाला, पीलीबंगा गांव, 2 एमएन ठाकुरवाला, 7 एसटीबी लबानाचक, 4 केएम बुद्धवालिया, 6 एसपीएम सरदारपुरा खालसा, 99 आरडी, 4-6 डीडब्ल्यूएम, 15-16 केडब्ल्यूडी, 25-27 डीब्ल्यूडी, 4 सीवाईएम, 10 केडब्ल्यूडी, 21-22 डीडब्ल्यूडी, 4-5 सीएलडी, 2 केडीएम, 3 डीडब्ल्यूएसएम, 11 बीपीएम, 13 केएम, 15-16 डीडब्ल्यूडी, 2 केडब्ल्यूडी, 23 एजी, 12-19 एनडब्ल्यूडी की स्कीमें राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि अगर वह स्कीमें मंजूरी कर दी जाती हैं ....

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): .... आपणी योजना का कनेक्शन घर घर कर दिया जाये तो कुछ समस्या हल हो सकती है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): दो मिनट मैं मांग संख्या 46 सिंचाई पर बोलूंगी। पाँच मिनट का टाइम मांगा था, तीन मिनट हुई है, दो मिनट और चाहिये। सभापति महोदय, मैं सीधे-सीधे सिंचाई विभाग की बात करूंगी। आईजीएनपी नहर का जो रख-रखाव है, रिलाइनिंग के लिये करोड़ों रुपये के बजट पिछली सरकार के समय भी मंजूर हुए थे, लेकिन पिछली सरकार के अधिकारियों ने यह पैसे लगाये नहीं। हमने बात की, तब उन्होंने यह जवाब दिया कि इसमें हम लोग भूल गये। सभापति महोदय, मेरा सेमग्रस्त एरिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद दूंगी कि सेम की समस्या का बजट पास कर दिया है तो इसका जल्दी समाधान होगा।

(21.02 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

झुरियावाला चक के पास पम्प बना हुआ है। लंबे समय से यह खराब पड़ा था। वह शुरू होने के बाद 1660 बीघा भूमि में पहली बार खेती हुई है। इसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगी। जो खाले सीएडी विभाग ने बनाये, नहर के खाले पहले बनाये जाये। ये 40 वर्ष पहले बनाये हुए थे, वह पूरी तरह से टूट चुके हैं।

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की नहर वितरिकाएं जैसे आनंदगढ़ वितरिका की भुजी संख्या 0 से भोपरा हैड तक का पुन: निर्माण किया जाये। मोडिया वितरिका का आरडी 116 पर हैड सही करवाना है, क्योंकि हमारे 40 गांवों के किसानों का यह मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, अपने हक का पानी मांग रहे हैं। मेरे केसर वितरिका का बैड लेवल सही करवाया जाये। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की नहरों की सफाई लगातार करवाई जाये। मानकथेड़ी माइनर स्वीकृत करवायी जाये। घग्घर नदी अमरपुरा लुढ़ाना के बीच पुल बनाया जाये, क्योंकि वहां की संख्या के आधार पर एक पंचायत से पंचायत हैडक्वार्टर पर आना पड़ता है तो 27 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है जब घग्घर नदी में पानी चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर पुल बनाया जाये।

अंत में, मैं कहना चाहूंगी भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु पुन: बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मोदीजी के नेतृत्व में पूरे विश्व में मां भारती की

(श्रीमती द्रोपती)

जय-जयकार हो रही है। यह सब भारत के विश्वगुरु बनने के संकेत है।

" राष्ट्रभर में स्नेह भरना साधना का सार है,
राष्ट्र भक्ति से हम हों समर्पित, बस यही अधिकार है,
नित्य ज्योतिर्मय हमारा हृदय स्नेहगार है,
दु:ख हरे, सुख दे सभी को, बस यही अधिकार है,
बस यही अधिकार है।

एक बार पुन: सभी को भारतीय नववर्ष की शुभ कामनाएं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीरसिंह जी।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने पेयजल के लिये और सिंचाई के लिये 2013 के बाद में नवाचार करते हुए काफी बजट देकर हर गांव, ढाणी को पानी पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिये में आदरणीया मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिवाना बाड़मेर जिले का कश्मीर था, आज यह स्थिति बन गई है कि वहां पीने के लिये पानी नहीं है। बरसात कम होने की वजह से, नदियों में पानी नहीं आने की वजह से हमारी मारवाड़ की मरू गंगा लूणी कहलाती थी, उसमें प्रदूषित पानी आने की वजह से, भारत के प्रधान मंत्री व राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी की जो मंशा है कि नदियों में पानी जुड़े, हमारे मारवाड़ की लूणी नदी जो मारवाड़ की गंगा है, उसमें अगर पानी आ जाये तो हमारे यहां के किसानों के लिये पीने का पानी हो जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा की पेयजल की तीन योजना हैं। जो मुख्य योजना है धवा-समदड़ी-खंडप पेयजल परियोजना है, उसमें 56 गांव हैं। 56 गांवों तक तो पानी पहुंच गया है लेकिन आगे एसआर से लगाकर जीएलआर तक सैकण्ड फेज और थर्ड फेज का जो कार्य है वह यूं ही पड़ा है।

दूसरी योजना है पोकरण-फलसूण्ड, उसमें 103 गांव हैं। इसमें पाँच विधान सभा और दो सांसद क्षेत्र आते हैं। धीमी गति से चलने के कारण 103 गांवों में पीने के लिये पानी सिणधरी में, मेरा जो बैल्ट आता है, उसमें

(श्रीमती द्रोपती)

यह स्थिति है कि 10-15 दिनों में आज की तारीख में पानी नहीं मिल पाता है। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पोकरण-फलसूण्ड को तुरंत कराकर इसका पानी पीने के लिये पहुंचे तो थोड़ा आसान रहेगा।

तीसरी मुख्य जल योजना नर्मदा नहर से है, उसमें 13 गांव आते हैं। उसकी अभी तक न तो कोई परियोजना बनी है, न उसका कोई बजट आबंटन हुआ है। यह जब तक नहीं होगा तब तक मेरे यहां पीने के पानी की प्रोब्लम रहेगी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से मेरा निवेदन रहेगा कि वर्तमान में पीने के पानी के लिये कई गांवों में टेंकर शीघ्र शुरू करवायें। पेयजल के लिये मेरे वहां की जो छोटी-मोटी स्कीमें आई हुई हैं उसमें मथुरपूर्ण भाटा सिणधरी 2.49 लाख रुपये की है। इसके अलावा 17-18 छोटी मोटी स्कीमें हैं, उन्हें जल्दी सेंक्शन करवायें। 19 पंचायतें सिणधरी बैल्ट में आती हैं, वहां हैंडपम्प सक्सेस है। इनमें अगर आप जल्दी से जल्दी हैंडपम्प दिला दें तो आसानी से थोड़े दिन के लिये, जब तक पोकरण-फलसूण्ड़ लाइन नहीं पहुंचती है, सहारा मिलेगा, यही मेरी प्रार्थना और निवेदन रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा पूरा बैल्ट जो बाड़मेर जिले में है, बाखड़ा बैल्ट के हिसाब से राजस्थान का अरावली की श्रृंखला में पहाड़ी क्षेत्र जो मेरे सिवाना का है, इसमें दो-तीन पुराने बाँध बने हुए हैं। उनमें से पाँच-छह की रिपेयरिंग की आवश्यकता है, 38 की डीपीआर बनकर आई हुई है। गुढ़ा डाइवर्जन गेट मरम्मत से लगाकर अंदर मिट्टी का जो भराव हो गया, उसको खाली करवाने से लगाकर क्षेत्र में, आज की तारीख में एनीकट बनाकर पानी रोका जा सकता है। गोयडासर बाकर सिंधरी में सिनेर बाँध, गोरमी बाँध, अन्नपूर्णा नगर बाँध, सिवाना में खोडाना नाडा, नाल, जोड बस्ती, इंद्राणा, थापड़, मवडी, बागवा, तेलवाडा, देवंदी, फूलण, वालियाणा, मांगी, सेला, कुआ बेरी कुण्डल, मुभारी, झीरा, काटाड़ी, धारना, धन्ताला, इन गांवों में रोककर किसानों के लिये भी फायदा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा पीने के पानी की सुविधा हो सकती है। इन 38 की डीपीआर भी आई हुई है, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें मुझे एनीकट का

(श्रीमती द्रोपती)

लाभ देकर, मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा, जल्दी से जल्दी इसकी सेंक्शन निकालें ताकि पीने का पानी और किसानों की, जो जल स्वावलंबन योजना थी, उसमें भी सहारा मिल सके, यही मेरा निवेदन और मांग रहेगी। समय का अभाव अगर मान रहे हैं, समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवीन पिलालिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेहरबानी की, मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका आभारी हूं। शेरगढ़ विधायक माननीय बाबूसिंह जी ने अभी कुछ देर पहले एक कहावत का जिक्र किया था, वह याद आ गई 'युग में एक ऐसा दिन भी आएगा, जब हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खायेगा' मैं तो सिर्फ इतनी-सी गुजारिश करता हूं कि जो मोती खाए, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हंसों को दाना चुगने का समय आप प्रदान करेंगे। आप महामना हैं। वैसे तो आज सदन में ज्ञानवर्द्धन इतना हो चुका है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं उतना ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं हूं। इसलिए मैं तो कुछ बिंदु हैं, वे देखता हूं। हर विभाग को देखने की कोशिश कर रहा था कि पिछले साल क्या स्थिति रही है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीधा उसी पर आ जाता हूं, जिससे समय जाया नहीं होगा और कोई रिपीटेशन नहीं होगा। पूर्व के वक्ता जो भी कुछ बोल चुके हैं, मैं इसमें किसी चीज को रिपीट नहीं करूंगा।

मैं पहले शहरी क्षेत्र में आता हूं। पूंजीगत कार्यों के लिए बजट का प्रावधान और व्यय का विवरण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 989 करोड़ रुपये का प्रावधान है और इसमें जो खर्च हुआ है, वह 539 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाया है। साढ़े चार सौ करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं। यह आलोचना नहीं है, लेकिन पेयजल जैसी चीज, उसमें अधिक से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए। एक-एक पैसा जो आता है, उसका सदुपयोग हो। मैं पूर्ण आशा करता हूं कि मंत्रीजी इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दिसम्बर तक साढ़े चार सौ करोड़ रुपए, तकरीबन आधा पैसा खर्च नहीं हुआ।

वृहत् पेयजल की जो परियोजनाएं हैं, उसमें सिर्फ इतना कहता हूं कि वर्तमान में 54 वृहत् पेयजल परियोजना इस वक्त आपने ले रखी हैं,

(श्री नवीन पिलानिया)

जिनकी कुल लागत 25790 करोड़ रुपये है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक इन पर जो खर्च हो पाया है, वह 13129 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाया है। तकरीबन 12660 करोड़ रुपये खर्च होना बाकी है तो इस पर गौर फरमाएं। हो सकता है ये लंबी परियोजनाएं होती हैं। इसमें दो-तीन साल का समय लग सकता है, लेकिन तकरीबन आधा पैसा इसमें बाकी है।

अब मैं सीधा गाँवों पर आ जाता हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बड़ी आवश्यकता रहती है। ग्रामीण क्षेत्र की जब मैं बात करूं, उससे पहले मैं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्राप्त राशि और व्यय पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये केंद्र की हैं। कुल मिलाकर 714 करोड़ रुपए जो इस टेबल में अंकित है। टेबल नंबर 4.2.1 में 714 करोड़ रुपए केंद्र से। उसमें जो खर्च हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आउट ऑफ 714 करोड़, ओनली 268 करोड़, रुपये केंद्र की आपकी यह जो टेबल है, उसमें 446 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए हैं। साल तकरीबन बीत गया है। तो इस पर गौर फरमायेंगे तो राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा।

अब ग्रामीण इलाक़ों की जो स्थिति है। आपने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का जो लक्ष्य लिया है, वह लक्ष्य आपने 2039 बस्तियों और ढाणियों का लिया है। पहले तो यह लक्ष्य बहुत कम है। अभी मैं पूरे फीगर पर आऊँगा कि पूरा फीगर कितना है, लेकिन आपने 2016-17 का जो लक्ष्य लिया है, इसमें से 990 ही पूरी हो पाई हैं। आधी से भी कम, 1049 जो हैं, वे बाकी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ एक और टेबल है। वह भी थोड़ी चिंता का विषय है। ये वे बस्तियां और ढाणियां हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति की हैं। इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। वर्ष 2013-14 में ये 1079 थीं, जो लाभान्वित हुईं। 2014-15 में ये और कम हुईं, 960 हो गईं। 2015-16 में ये केवल 358 हो गईं और इस साल 2016-17 में 179 पहुंच गई है, तो थोड़ा-सा विभाग और विभाग के अधिकारियों को कहें कि जो एस.सी. और एस.टी. की हैबिटेंशंस हैं, उनका आंकड़ा घटना नहीं चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब इस बात पर आता हूं, ग्रामीण पेयजल योजना की वित्तीय प्रगति के बारे में बात कर रहा हूं। यह आपकी

(श्री नवीन पिलानिया)

इकोनोमिक सर्वे की टेबल है, पेज नंबर 109 है। इस साल का जो आंकड़ा है, उतना ही बताता हूं। पिछले साल 120 करोड़ रुपये नहीं खर्च कर पाए, उससे पहले 206 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए, उससे पहले 279 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुआ, लेकिन इस दफा जो प्रावधान है, वे हैं 4463 करोड़ रुपये और माननीय मंत्री महोदय, इसमें आप जो दिसम्बर महीने तक व्यय कर पाए हैं, वह 2015 करोड़ रुपये है। 2448 करोड़ रुपया ग्रामीण पेयजल योजना के अंदर खर्च नहीं हो पाया है और हमारे गांव और ढाणियां पूरे राजस्थान में पेयजल की समस्या से जूझ रही हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं करता हूं। यह इतना बड़ा अमाउंट है, जो अभी तक खर्च नहीं हो पाया है तो कृपया किसी भी तरीके से इसमें सुधार करें क्योंकि इसमें एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. भी आ गई है, आर.डब्ल्यू.एस.एस. भी आ गई है, सी.एस.एस. भी आ गई है। मैंने टोटल ग्रामीण का आंकड़ा बताया है।

अब मैं केवल उस बात पर आना चाहता हूं, जो पैसे के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जो भौतिक चीज़ें हैं, जिनकी जरूरत है। कुल मिलाकर रेवन्यु विलेज 43,000 के करीब हैं और 78,000 ढाणियां हैं, जिनमें पेयजल की व्यवस्था करवानी है। इनमें से 33 हजार ऐसे विलेजेज हैं और 57,800 ऐसी ढाणियां हैं, जिनमें केवल भू-जल से ही पेयजल की व्यवस्था हो सकती है। आपके ही इसमें ये आंकड़ें हैं, ये मेरी तरफ से आंकड़ें नहीं हैं। ये मिलाकर 91,000 गांव और ढाणी बनते हैं, लेकिन जो तालिका मैं अभी देख रहा हूं। आपके नलकूपों की जो संख्या है, नलकूपों की संख्या तीन साल में 2014-15, 2015-16, 2016-17 को मिलाते हैं तो 5262 ही बोरिंग तीन साल में हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय का कृपया ध्यान न बंटाए। यह बहुत जरूरी बात है। जहां 91,000 गांव और ढाणियों की व्यवस्था भू-जल से करनी है। आपने तीन साल में 5262 बोरिंग ही करवाए हैं। इससे पहले जो दो साल निकले थे, उनमें 7076 नलकूप हुए थे।

इसी तरीके से तीन साल में 2014-15, 2015-16, 2016-17 में आपने जो कुल हैंडपम्प करवाए हैं, वे 4944 हैं। इससे पहले के जो दो साल थे, उनमें 2012-13, 2013-14 में 24,400 हैंडपम्प हुए थे। आपको 91,000 गांव और ढाणियों में भू-जल से व्यवस्था करनी है तो मंत्री महोदय, यह

(श्री नवीन पिलानिया)

कैसे संभव होगा? आप जब इस साल में जिस आंकड़े पर पहुंचे हैं, नलकूपों का मैं बता रहा हूं, वह 1360 है। एक विधान सभा क्षेत्र में सात-आठ बोरिंग भी इस साल में नहीं आ रहे हैं। इनकी व्यवस्था कैसे होगी होगी? जब इतना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। ग्रामीण पेयजल में 2448 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुआ है तो कृपया इसको बढ़वाएं। सिंगल फेज बोरिंग तो आपने तकरीबन बंद कर दिए। 2015-16 में आपने जो टोटल सिंगल फेज बोरिंग कराएं हैं, उनकी संख्या केवल 1117 है। इस साल का जो आंकड़ा है, वह 107 सिंगल फेज है। इसके बिना तो यह भू-जल पर आधारित है। उनके बिना यह नहीं होगा और जब अधिकारियों से बात करते हैं अधिकारी कहते हैं कि थ्री फेज बोरिंग के लिए 1500 की आबादी जरूरी है तो थ्री फेज बोरिंग आप वैसे ही नहीं करेंगे। सिंगल फेज आप बंद कर चुके हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गर्मी सामने हैं, 40 डिग्री तक पारा आज पहुंच रहा है, तो कम से कम इस संख्या को बढ़ाइएगा।

हर विधायक को हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम इस गर्मी से पहले 20 थ्री फेज बोरिंग और 20 सिंगल फेज बोरिंग की व्यवस्था कराए। यह आपसे मैं विनती करता हूं। मैं कोई क्रिटिसाइज करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु थे इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित कर लिया।

अब मैं इन आंकड़ों को छोड़कर, एक बात जो बहुत जरूरी समझता हूं, उस पर आना चाहता हूं। पिछले साल भी उठाना चाह रहा था, मौका नहीं मिल पाया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं। मैं आपकी मर्यादा नहीं तोड़ सकता, मैं इस बात को जानता हूं। बात यह है कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के बारे में हर कोई बड़ाई करता है, मैं भी बड़ाई करता हूं। जल का हमारे को संरक्षण करना है, बात समझ में आती है। पिछले साल मैं यह कहना चाहता था। पहली बात यह है कि जहां तक पेयजल की बात है, पिछले अभियान में हम पेयजल के लिए संरक्षण नहीं कर पाए है। नगण्य होगा, अगर आप आंकड़ा बताएंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। वर्षा का जल है, ¾ भूभाग राजस्थान में, जिस तरह की टोपोग्राफी है, यहां रन आफ वाटर नहीं होता है। यहाँ जो

(श्री नवीन पिलानिया)

पानी किसी गांव में पड़ेगा, पंचायत में पड़ेगा, वह बहकर सागर में नहीं पहुंचेगा। वह अपने आप ही पर्कोलेट करेगा, चाहे आप उसके लिए खड्डा खोदो या मत खोदो। वर्षा का जल है उसको आप पेयजल के लिए संग्रहित नहीं करेंगे तो उसको आप जमीन में जाने दे रहे हैं। फिर आप जमीन में बोरिंग करेंगे। उस पानी को आप बाहर निकालेंगे और फिर पेयजल के लिए देंगे। कृपया करके सैकण्ड फेज का अभियान है इसमें माननीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भी बराबरी में आता है। अधिकतर काम उनका है। इस दफा हर गांव में जितनी भी बिल्डिंग हैं, चाहे पंचायत भवन हो, पटवार भवन हो, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राइमरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल हो, सीएचसी, पीएचसी हो, सबके अंदर अगर आप इस अभियान में वर्षा जल को पेयजल के लिए संग्रहित करने की मुहिम डाल देंगे तो वाकई में पूरे हिन्दुस्तान में यह मिसाल बन जाएगी। कम से कम 6 महीने का पानी उस गांव का उससे इकट्ठा हो जाएगा। इस पर ध्यान फरमा दीजिएगा।

एक बिन्दु और है। निजी बोरिंग पर रोक लग गई है। उसका कसूर नहीं है। मैं नये बोरिंग की बात नहीं कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय। जिसका बोरिंग फेल हो गया, जिसका बोरिंग ड्राई हो गया उसके यहां पशु भी है। वह पीने के पानी को तो कहीं पर जाकर लेकर आ जाएगा लेकिन उसके 20-20 जानवर हैं। उनको तो यह रियायत मिलनी चाहिए। वह उसके लिए इमरजेंसी सिचुएशन होती है। आज किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसको आईसीयू में जाने के लिए परमीशन लेनी पड़ेगी क्या? उसका पुराना बिजली का कनेक्शन है, उसकी रसीद ले लीजिए, पटवारी से रिपोर्ट ले लीजिए। वरना वह महीनों तक धक्के खाता है, इस पर गौर फरमा दें।

मेरे आमेर की एक मिनट की बात कह देता हूं। आमेर के नगर निगम के वार्ड नम्बर 91 में नाई की थड़ी का एक एरिया है। नगर निगम में आता है। तकरीबन 64 बस्तियां हैं। आपकी बीसलपुर की लाइन जयसिंहपुरा खोर तक पहुंच गई है। वहां से डेढ़ किलोमीटर दूर है। वैसे भी आपका यह प्लान है कि जयपुर में सबको लेंगे। कृपया डेढ़ किलोमीटर लाइन वहां तक पहुंचा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मांग संख्या 27 पेयजल, मांग संख्या 46 सिंचाई पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 70 साल बाद अपन विकसित भारत, विकसित राजस्थान की बात करते हैं लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी आज गांव के, ढ़ाणी के अंतिम छोर पर बैठा, शहर के गरीब मौहल्लों, गरीब जहां निवास करते हैं, झोंपड़ों, कच्ची बस्तियों के अंदर, आज भी शुद्ध पेयजल लोगों को सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। 70 साल के अंदर अपन आज भी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं लेकर आते हैं। हर साल योजनाएं आती हैं। बजट की बात भी होती है। आज भी गांव और ढाणियों में देखते हैं कि मटकों से दूर दराज इलाक़े से महिलाएं पानी लेकर आती हैं। कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि एक-एक टैंकर पानी का कोई ढाणी में डलवाता है, जहां निजी टांके लोगों ने बनवा रखे हैं, जहां बरसात कम होती है, वहां 3-3 हजार रुपये में निजी टैंकर बनाकर लोग पेयजल की व्यवस्था करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय,जयपुर में पूर्ववर्ती सरकार के टाइम, मैं कोई सरकार की खिलाफत नहीं कर रहा हूं। 2003 से 2008 तक मैं यही था। पानी से मौतें हुई थी। उस समय हमारे एक मंत्री जी ने बयान दिया कि जो आएगा वह जाएगा। अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की बात करें तो जनता के अंदर क्या मैसेज जाता है। आज पीने के पानी को लेकर प्रदेश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। जब भी सरकार के मंत्री जाते हैं, प्रभारी सचिव जाते हैं,कलेक्ट्रेट पर कहीं तो महिलाएं रास्ता रोकती है, कहीं मटके फोड़ती है, कहीं दूसरी तरह के आंदोलन होते हैं। पीने के पानी को लेकर अगर आजादी के 70 साल बाद आंदोलन हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान का नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और न्यूनतम जल स्त्रोत की वजह से पेयजल के संबंध में गंभीरतापूर्वक सरकार को विचार करना चाहिए। प्रदेश का क्षेत्रफल देश के 10.4 प्रतिशत होने के बावजूद सतही जल की 1.16 प्रतिशत उपलब्धता और राज्य की पेयजल योजनाओं पर 78

(श्री हनुमान बेनीवाल)

प्रतिशत भूजल है। सरकार ने प्रगति प्रतिवेदन में 222 कस्बों व एक लाख 21 हजार 648 गांव व ढ़ाणियों में से 42 हजार 952 गांव तथा 68 हजार 76 ढ़ाणियों को आंशिक रूप से लाभान्वित करने की बात की मगर फ्लोराइड व नाइट्रेट युक्त पानी के निराकरण हेतु आज तक ठोस समाधान किसी भी सरकार ने नही किया।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के भूजल भण्डार में जो कमी आई है, वह चिंताजनक विषय है क्योंकि 1984 में कुल 237 ब्लाकों में से 135 ब्लाक सुरक्षित श्रेणी में थे, जिनकी संख्या 2013 में घटकर 44 रह गई इसलिए भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में 2015-16 में आवंटित लक्ष्य के अनुरूप भौतिक प्रगति प्रदेश में नहीं हो पाई क्योंकि 2039 गांव व ढ़ाणियों में से 1379 गांव व ढ़ाणियों में काम शुरू हुआ। प्रदेश में केन्द्र की सात योजनाओं में 01 अप्रेल, 2016 तक पूर्व में आई हुई राशि में से 15 हजार 621 लाख रुपये बचे हुए थे। 2016-17 के लिए 71 हजार 484.6 लाख रुपये की राशि की उपलब्धता के बावजूद 26 हजार 866.46 लाख रुपये की इस वर्ष खर्च कर पाना शासन की पेयजल योजना के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने राज्य मद में से विभिन्न पेयजल योजनाओं हेतु वर्ष 2016-17 में 4 लाख 69 हजार 13.57 लाख रुपये में से मात्र 2 लाख 55 हजार 564 लाख रुपये ही खर्च कर पाना चिंता का विषय है। प्रदेश के 33 जिलों में विभिन्न फेजों में कुल स्वीकृत 3484 आर.ओ.प्लांट लगाने की बात सरकार ने कही थी। उनमें से 1439 आर.ओ. प्लांट तो गांवों के अंदर लगा दिए लेकिन उनके रख-रखाव की उचित व्यवस्था आज भी नहीं है। वे प्लांट एक दो साल बाद खराब हो जाएंगे। बिना रख-रखाव के, सरकारी पैसा है, वह जनता की कमाई व्यर्थ में चली जाएगी। मंत्रीजी को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

प्रदेश के समस्त ज़िलों में पेयजल की गुणवत्ता की जांच हेतु स्थापित प्रयोगशालाएं तो हो गईं जिलो के अंदर, लेकिन वहां कौनसे पेयजल की जांच होती है। रिपोर्ट नहीं आती है, जांच होती नहीं है। इनकी वजह से जल जनित

(श्री हनुमान बेनीवाल)
बीमारियां प्रदेश के अंदर जगह-जगह फैल रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना 1994 के अंदर प्रारम्भ की गई थी। मेरे इलाके में खींवसर में जनता जल के कई ट्यूबवैल है। हर बार बजट के अंदर घोषणा होती है, जनता जल की सारी योजनाओं को पंचायत ठीक करेगी, कभी कहते हो पीएचईडी ठीक करेगी, तो लोग अधरझूल में हैं। कुछ ट्यूबवैल को ठीक कराने के लिए आपने कुछ नये ट्यूबवैल बनाए भी थे, कुछ पैसा भी स्वीकृत किया था।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जनता जल की जो भी योजनाएं हैं, पंचायतों के पास अलग से बजट की व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। आप अपने कर्मचारियों की नई भर्ती करें, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जनता जल योजना जो दम तोड़ रही है उसमें निश्चित रूप से गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। सारी जनता जल योजनाओं को पीएचई डिपार्टमेंट से कराया जाए तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वृहत पेयजल परियोजना: प्रदेश में 32548.66 करोड़ रुपये की लागत से 114 वृहद पेयजल परियोजनाएं गांवों व शहरों हेतु स्वीकृत हुईं। जिनमें से मात्र 53 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया और 15623 गांवों के लक्ष्य में से मात्र 3181 गांव और 12245 ढाणियों में से मात्र 1498 ढाणियों को ही लाभान्वित किया गया। इस प्रकार धीमी गति से जो कार्य हो रहा है, यह परियोजनाओं की दुर्गति है।

उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग में सरकार के चहेते चीफ इंजीनियरों को प्राइम पोस्ट्स पर डबल चार्ज दे दिये। दूसरे इंजीनियरों का प्रमोशन तो हो गया लेकिन उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिल रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कार्य प्रणाली पर इस तरह का सवालिया निशान खड़ा होता है तो सारे लोगों को मौका मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नागौर के अन्दर लिफ्ट कैनाल योजना चल रही है। इस नागौर लिफ्ट कैनाल में द्वितीय फेज के अन्दर पाइप निर्माण में लोहे की प्लेटें विदेश से आयात की गयीं। ये यहां भी हो सकती थीं लेकिन अपने मन-माफिक रेटों से वहां के अधिकारियों ने मिलकर बहुत मोटा घपला, लोहे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

की प्लेटें जो विदेश से खरीदी हैं, इसमें वहां के चीफ इंजीनियर भी इन्वाल्व हैं, तो इस पूरे मामले की मंत्रीजी आप जांच करायें। मेरी बात सुनें, मंत्रीजी, आप इस पूरे प्रकरण की जांच करायें।

नागौर लिफ्ट परियोजना के लिये 2006 में स्वीकृत 1194.26 करोड़ रुपये की राशि में से दिसम्बर, 2016 तक 839.92 करोड़ रुपये खर्च हो पाये और पाँच शहरों तथा 502 गांवों के लक्ष्यों में से अभी तक दो शहर और मात्र 166 गांव ही लाभान्वित हो पाये। इसके दूसरे चरण में 2012 में 2938 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए जिसमें से 758.23 करोड़ रुपये ही दिसम्बर, 2016 तक खर्च हो पाये और स्वीकृत सात शहरों तथा 914 गांवों की जो बात की थी मंत्री महोदय, आज तक एक भी गांव व शहर इस दूसरी योजना से नहीं जुड़ा है, लाभान्वित नहीं किया है। आप इसमें भी विशेष ध्यान देकर, इस मामले के अन्दर आप निश्चित रूप से इस गति को बढ़ायें ताकि लोगों को फायदा मिले। नागौर लिफ्ट परियोजना के दोनों चरणों में कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। इस परियोजना के लिये अलग से मुख्य अभियंता कार्यालय खोला गया। उसके बावजूद कोई मोनिटरिंग नागौर के अन्दर नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर भ्रष्टाचार नागौर के अन्दर हुआ। मंत्रीजी, आप ध्यान देना और इस बात का विशेष ध्यान देना कि हमें दुबारा जन-आन्दोलन नहीं करना पड़े और जो बात आज आपके बीच कह रहे हैं, हम यूं ही हवा के अन्दर बात नहीं कर रहे हैं। नागौर लिफ्ट परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत रत्नामणि व एल.एण्ड.टी. कम्पनियों द्वारा नागौर के पास जो बाराणी गांव है, वहां पर एक पाइप फैक्टरी स्थापित की गई है। इस पाइप फैक्टरी के अन्दर न तो पर्यावरण की एन.ओ.सी. है, न भूमि का रुपान्तरण है। खुले के अन्दर वे पाइप बना रहे हैं और पाइपों की जो क्वालिटी है वह भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अवैध रूप से फैक्टरी चल रही है। घटिया पाइप का निर्माण हो रहा है। मंत्री महोदय, आप इस मामले की पूरी जांच करायेंगे और हम इसमें ठोस आश्वासन आपसे चाहते हैं कि यहां आपके विभाग के अन्दर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे नीचे के स्तर पर हो, चाहे ऊपर सेक्रेटरी के स्तर पर हो, चाहे सचिवालय के स्तर पर हो, आप इसकी पूरी जांच करायेंगे, और चूंकि हम जन प्रतिनिधि हैं, और मेरे इलाके का मामला

(श्री हनुमान बेनीवाल)
है, मंत्री महोदय, तो आप यह नहीं सोचें कि अब तो सदन चला गया और हनुमानजी बोल गये तो छोड़ूं। जब तक आप इस बात की जांच नहीं करायेंगे इसके अन्दर हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम इसके अन्दर जांच कराकर, अगर गलत तरीके से हुआ है तो आपको इसके अन्दर ठोस, जैसे आपने आश्वासन दिया था कृपलानीजी, वैसे इनसे आश्वासन चाहते हैं, ठोस कार्यवाही का आश्वासन हम चाहते हैं। सरकार नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना की दुर्गति के लिये जिम्मेदार मुख्य अभियंता की भूमिका की जांच करवाकर रत्नामणि कम्पनी के खिलाफ आपराधिक मामला आपराधिक धाराओं के अन्दर दर्ज कराये। कितना बड़ा, आजादी के 70 साल बाद लोकतंत्र के अन्दर ऐसा मामला, इस तरह बिना आपके कन्वर्जन के, बिना एन्वायर्नमेंटल लाइसेंस के खुलेआम पाइप बना रहे हैं, वहां नागौर के अन्दर।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मातासुख के अन्दर, वैसे मामला मैंने पहले उठा लिया था। हम मंत्रीजी से इसके अन्दर आश्वासन चाहते हैं। उस दिन आप नहीं थे और मेरी पर्ची के जवाब में आपके दूसरे मंत्रीजी ने मुझे, जो बगल में बैठे हैं, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया था। आपको मैं इसके अन्दर निवेदन करूंगा कि 13 एम.एल.डी. पानी मातासुख के अन्दर 120 गांवों के अन्दर 2014 के अन्दर आपने शुरुआत की थी और डोसिंग कम्पनी को ही काम दिया था मातासुख के अन्दर, आर.एस.एम.एम. और पी.एच.ई.डी. के बीच समझौता हुआ और डोसिंग कम्पनी वहां आर.ओ. प्लाण्ट लगाकर, पानी को जो खारा पानी माइन्स से निकलता है, उसको शुद्ध करके 120 गांवों को, पानी शुद्ध करने का काम तो डोसिंग का था और 120 गांवों के अन्दर पानी सप्लाई करने का काम पी.एच.ई.डी. के माध्यम से रामकी कम्पनी का था। उपाध्यक्ष महोदय, 52 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पानी का भुगतान उठाया गया और 13 एम.एल.डी. पानी देने की बात थी। 20 एम.एल.डी. का आपने आर.ओ. भी वहां पर समता का लगाया। लेकिन 120 गांवों के अन्दर तीन-तीन दिनों में 03 एम.एल.डी. पानी भी नहीं गया। वहां एक कलेक्टर जांच करने गई, सुरभि कलेक्टर, उसने तो कम्पनी वालों से मिलीभगत कर ली और रिपोर्ट पक्ष में दे दी कि बिलकुल सही है, कोई अनियमितता नहीं हुई, गलत भुगतान नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरे कलेक्टर वहां पर गये दो बार मौके पर,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तो कहा कि यह पानी बदबूदार है, इससे जानवर मर रहे हैं और आदमी बीमार हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 07 फरवरी से करोड़ों रुपये उठाने के बाद भी, उसकी मनमर्जी देखो आप कि प्लाण्ट बंद कर दिया और पी.एच.ई.डी. के अधिकारी खूब कोशिश कर रहे हैं कि वह प्लाण्ट चालू हो लेकिन शासन के अन्दर उनकी पहुंच है जो प्लाण्ट भी चालू नहीं कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का आपको राजस्व का नुकसान ही कर दिया और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया। मंत्रीजी मातासुख के अन्दर जो यह परियोजना है, जायल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर यह आता है तो इसके अन्दर भी आप निश्चित रूप से, आप नोट कर लो, आप भूल जाओगे, फिर मेरा तो बोलोगे नहीं, बैठा रहूंगा, सुनूंगा आपको। तो इस मातासुख वाले की भी आप जांच कराकर और लोगों को वहां राहत दिलायें। 07 फरवरी से वहां काम बंद पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, नागौर की कुछ मेरी छोटी-मोटी मांगें हैं। लिफ्ट का कार्य शीघ्रता से चालू हो, फ्लोराइड की समस्या को सरकार गम्भीरता से लें। नागौर में दो-दो हाइड्रेंट, अभी उपाध्यक्ष महोदय, आपने गांवों के अन्दर तो नहर का पानी पहुंचा दिया, जैसे मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर करीब 70-80 गांवों के अन्दर पानी आ गया, नागौर कांस्टीट्यूएंसी में आ गया। लेकिन गांव की जो मुख्य आबादी है, वह ढाणियों के अन्दर रहती है तो ढाणियों में आप पानी पहुंचायें। इस मामले में भी आप, दूसरे जो काम चल रहे हैं, इसमें प्रत्येक ढाणी में जब तक पानी नहीं पहुंचता, तब तक दो-दो हाइड्रेंट आप लगायें। रिक्त पदों को भरा जाये और जे.जे.वाई. के जितने भी संविदाकर्मी हैं उपाध्यक्ष महोदय, इनको नियमित करें। लम्बित कार्य पूर्ण करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान दो छोटे-छोटे मामलों में और दिलाना चाहता हूं। जलदाय विभाग द्वारा फर्म विष्णु प्रकाश पुंगलिया लिमिटेड के 2012-13 के निर्माण टर्न-ओवर के आधार पर 180 करोड़ रुपये के ठेके दिये गये। फर्म द्वारा 2012-13 के निर्माण टर्न-ओवर में तथ्य गलत पेश किये और इसकी जांच के अन्दर गलत पाये जाने पर सभी ठेकों को दिनांक 21.12.2016 की वित्तीय समिति की बैठक में जनहित के नाम पर वापस नियमित कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय। पहले तो कहा कि इसको ब्लैक-लिस्टेड

(श्री हनुमान बेनीवाल)

करेंगे। इस कम्पनी के जितने भी काम हैं, इसको रोक देंगे, यह कम्पनी दुबारा काम नहीं लेगी। फिर आनन-फानन के अन्दर बहुत बड़ा दबाव आया और उसके बाद कहा कि आप तो इस तरह का एजेण्डा नोट बनाकर लाओ कि हमें तो इसको नियमित करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस हेतु न तो राज्य सरकार की स्वीकृति ली और न यह देखा गया कि आर.टी.टी.पी. नियम 11(3) के अनुसार फर्म के खिलाफ 125 करोड़ रुपये की वसूली करनी थी जबकि फर्म को 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ दे दिया गया। इसमें उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ऊपर तक भ्रष्टाचार की बू आती है। यह मैं नहीं कहता हूं, यह दुनिया कहती है कि ऊपर तक भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि इस मामले के अन्दर पुन: जांच करायें और इस तरह जो यह माफिया, नये ठेकेदारों को आने नहीं दे रहे हैं। ये तो माफियाओं ने चैन बना रखी है। ये पनपते जा रहे हैं और राजस्व का नुकसान भी कर रहे हैं और गलत तरीके से सरकारी सम्पत्तियों को, सरकार के पैसे को और किसानों के पैसों की दुर्गति कर रहे हैं। ये बाद में अपने काबू में नहीं आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पी.ए.सी. की खरीद के अन्दर, जो 29.12.2016 को जलदाय विभाग द्वारा आर.टी.टी.पी. नियम 74 की अवहेलना कर द्वितीय न्यूनतम जो दर थी, फर्म ग्रेसिम लिमिटेड को सप्लाई आर्डर दे दिया जबकि समस्त आदेश सरकारी उपक्रम जी.एस.सी.एल. को दिया जाना था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। जांच करवा कर कार्यवाही की जाये। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मामले के अन्दर अनसुना करके नियमों के विपरीत काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई मंत्रीजी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन राजस्थान के अन्दर जो जलदाय विभाग में पिछले, हम यहां नहीं बोलेंगे तो भी क्या हो जायेगा, अखबारों के अन्दर खूब लम्बा-चौड़ा छपा और जो जलदाय विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ था, ये आडियो भी वायरल हुए, मंत्रीजी के ओ.एस.डी. की भी जांच का मामला आया तो इस मामले के अन्दर मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि ऐसे मामलों के अन्दर, जहां गम्भीर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे मामलों की सरकार को उच्चस्तरीय कमेटी बना करके जांच

(श्री हनुमान बेनीवाल)

करानी चाहिये ताकि आइन्दा से भ्रष्टाचार करने से पहले हजार बार सोचें। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का टाइम आपसे और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक मिनट करके तो आपने पन्द्रह मिनट ले लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष मिनट, एक-डेढ़ मिनट, सिंचाई पर। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लिये 29 जनवरी, 1995 में पहला अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अभी मेरे पास 15 आदमी और हैं, और आपने 15 मिनट ले लिये। अभी तो 15 आदमी और हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बस एक-डेढ़ मिनट के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय। अंतर्राज्यीय जल समझौता हुआ, उसके बाद 13 जनवरी, 1959 को सतलज नदी के पानी को लेकर पंजाब से समझौता हुआ।

फिर 31 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन पी.एम. श्रीमती इंदिरा गांधी की मौजूदगी में हरियाणा-पंजाब के साथ समझौता हुआ, उसके बावजूद प्रदेश का पूरा पानी इस राजस्थान को नहीं मिल रहा है। 1999 में आपके पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने यह कहा था कि देश के नदी नालों को जोड़कर किसानों के प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, किसान की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन 1999 से लेकर 20 साल हो गये और दस साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी लगभग रह गयी और दूसरी सरकारें भी चली गईं लेकिन इस दिशा के अंदर प्रभावी कदम राजस्थान की इस सरकार को उठाना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी उसके साथ हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लास्ट। प्रदेश में मात्र 33 प्रतिशत भाग ही नहरों में सिंचित क्षेत्र है इसलिए सरकार सिंचित क्षेत्र को बढ़ाए ताकि किसान की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो।

सेमग्रस्त इलाके जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के हैं, वहां सेम नाले जो बने हुए हैं, उन सेम नालों के साथ-साथ, और सेम-नाले बनाकर इस सेमग्रस्त इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या है, इससे वहां के किसानों को मुक्ति दिलाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर एटा सिंगरासर माइनर का आंदोलन एक साल पहले शुरू हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। यह तो अन-ड्यू एडवांटेज हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लास्ट है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप देखिए, आपके एक मिनट से एक व्यक्ति बोलने से वंचित रह जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो मैं कल नहीं बोलूंगा साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए कन्क्लूड कर लो। कन्क्लूड।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बस एक मिनट। हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर जो एटा सिंगरासर सूरतगढ़ के और दोनों जिलों के दर्जनों गांव प्रभावित होते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी आपकी सदन की नेता ने, मंत्रीजी ने आश्वासन दिया। बहुत बड़ा आंदोलन चला, कई बार बंद भी हुए, धरने प्रदर्शन और वह आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी रावला घड़साना के अंदर आपने जो सरकार.... एक मिनट, सरकार की सोच अगर सही होती और समय पर उन किसानों की बात को सुना जाता तो रावला घड़साना के अंदर इस तरह गोली कांड नहीं होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को इतना ही निवेदन है कि सिंचाई मंत्रीजी यहां पर नहीं बैठे हैं, एटा-सिंगरासर माइनर के लिए आप अलग से व्यवस्था करें, बजट की व्यवस्था करें और जो आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर किसान हैं, उनको जो मंत्रीजी आश्वासन देकर आये थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन सब किसानों को राहत प्रदान करें ताकि आंदोलन भी खतम हो जाए और किसान का भला हो जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लास्ट आंधा मिनट। पंजाब की लुधियाना से ....(व्यवधान).... आपको क्या दिक्कत है, साहब? आपको भी तो सुनेंगे, ऐसे क्या कर रहे हो आप। खींवसर पर ही तो बोला हूं पूरा। अब मैं खींवसर का ही थोड़े ही हूं, राजस्थान के अंदर घूमता हूं, राजस्थान की समस्याओं को रखता हूं। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: आप बीस मिनट से बोल रहे हैं। बीस मिनट हो गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्माननीय सदस्य, पिछला अगर एवरेज निकाले न तो इतने समय में तो तीन सदस्य बोल चुके थे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रदेश में जाता हूं तो, एक लास्ट तीस सैकिण्ड दे दो मेरे को, तीस सैकिण्ड। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट लूंगा, लास्ट है मेरा।

पंजाब की लुधियाना के अंदर फैक्ट्रियों से जो दूषित जल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर के अंदर पड़ता है, उससे कैंसर की बीमारी गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ी है और बीकानेर जो ट्रेन आती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन हो गया, इसलिए सरकार को पंजाब सरकार से बात करके, वह गंदा पानी जो नहर के अंदर डालते हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। वह दूषित जो कचरा है, उसके लिए संयंत्र हर फैक्ट्री के बाहर बनाये और स्ट्रिकली पंजाब सरकार से बात आप इस दिशा में करें।

यह आपके फतेहगढ़ माइनर के अंदर तो आपने फटाफट वहां अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, रमेशजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): .... तुरंत प्रभाव से बढ़ा दिया। दस हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से अगर अन-कमांड एरिये को कमांड में करते तो आपको पचास करोड़ रुपये मिलते और मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि नया कोई एरिया कमांड नहीं होगा लेकिन वहां उनके आदेश की धज्जियां उड़ी है। हनुमानगढ़ के अंदर तो मैं यह कहता हूं कि जब फतेहगढ़ के अंदर आप अन-कमांड को कमांड कर सकते हो तो एटा-सिंगरासर माइनर के किसानों के ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: आप शुरू करिए, सम्माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साथ भी सरकार न्याय करे यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न

व्यक्तिगत हित के विषय सदन में नहीं उठाये जाने चाहिए

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने नियमों के नियम-273 में नोटिस दिया है पूर्व जलदाय मंत्रीजी को।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन चलता है, यह सदन प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम जो आर्टिकल-208 (1) के तहत बनाये गये हैं, उससे चलता है।

और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें विधान सभा के नियम 289-B, यह हमें प्रतिबंधित करता है कि हम अपने निजी व्यवसाय, निजी लाभ या व्यक्तिपरक कोई भी विषय पर इस सदन में चर्चा नहीं करें। इस संबंध में आपकी अनुमति से मैं सबसे पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 289-ख पढ़कर सुनाना चाहता हूं- किसी सदस्य के मत पर आपत्ति:- यदि किसी सदस्य के विभाजन के समय सदन में दिये गये मत के निर्णयाधीन विषय में उसके व्यक्तिगत, आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष हित, के आधार पर चुनौती दी जाए, तो अध्यक्ष, यदि यह आवश्यक समझे, चुनौती देने वाले सदस्य को उसके आपत्ति के आधार पर संक्षेप में बताने के लिए कह सकेगा और उस सदस्य को जिसके मत को चुनौती दी गई है अपना मामला प्रस्तुत करने को कह सकेगा और यह निश्चय करेगा कि सदस्य का मत अस्वीकृत कर दिया जाये अथवा नहीं तथा उसका निर्णय अंतिम होगा:

परंतु चुनौती के विभाजन के समाप्त होने के तुरंत बाद तथा अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें फिर व्याख्या की गयी है। इसी में राजस्थान विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के नियमों में- इस नियम के प्रयोजन के लिए सदस्यों का हित प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत या आर्थिक होना चाहिए तथा उस व्यक्ति से, जिसके मत को चुनौती दी गयी है, सीधे रूप से संबंधित होना चाहिए न कि जन साधारण या उसके किसी वर्ग या उसके किसी भाग के साथ या राज्य की किसी नीति विषय में हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कौल एंड शकधर और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। इसी विधान सभा के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंदर अध्यक्षीय व्यवस्था, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय व्यवस्था है- 09 मई, 1975 की, जिसके अंदर यह लिखा है। 07.09.1975 को जब माननीय सदस्य ने श्री गुमानमल लोढ़ा अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो श्री प्रद्युम्न सिंह और गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी ने यह आपत्ति उठाई कि लोढ़ा जिस मामले को सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं, उस मामले की पैरवी वह वकील की हैसियत से कर रहे हैं।

अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी, माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा- कई प्रश्न ऐसे होते हैं, जिनमें इनका डाइरेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। यह प्रश्न सार्वजनिक महत्व के भी हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। सामान्यत: इस प्रकार के प्रकरणों को जिसमें स्वयं डाइरेक्टली इन्वॉल्व हो, उसको सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौल एंड शकधर, उसके अंदर भी इस बात का उल्लेख किया गया है, पेज नम्बर-368- यदि सभा में विचाराधीन किसी मामले में किसी सदस्य का व्यक्तिगत, आर्थिक और प्रत्यक्ष हित निहित हो तो इस मामले पर कार्यवाही में भाग लेते समय सदस्य को अपने हित के स्वरूप की घोषणा करनी चाहिए। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं यह फैसला करे कि इस मामले में सभा के मत विभाजन के समय, अपना मत देते समय उसका निर्णय कहीं उस हित के कारण सार्वजनिक नीति में विचलन नहीं कर रहा हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को जो नोटिस दिया है, उस नोटिस के अंदर इन्होंने कुछ विषय उठाये हैं। वह सारे विषय एस.पी.एम.एल. कम्पनी से संबंधित है। एस.पी.एम.एल. वह कम्पनी है, जिसने इस जलदाय विभाग के अंदर कई जगह पर काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस कम्पनी ने मंडरायल चम्बल योजना के अंदर इंटेकवैल के पास में जो आर.डब्ल्यू.आर., रिजर्व वाटर रिजरवायर, रिजर्व वाटर रिसोर्सेज बनाया- आर.डब्ल्यू.आर., उसका जो काम जिस कम्पनी ने किया, वह कम्पनी है- दामोदर लाल मीणा एंड कम्पनी। वह माननीय सदस्य के भाई की कम्पनी है। यही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्याण शर्मा ....(व्यवधान)....

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं, यह क्या वाचन कर रहे हैं? ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: Just let him complete. आप जरा विराजे रहो। The Parliamentary Minister is raising a point of order. I'll give you time to explain it. दिक्कत क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, एक कम्पनी है कल्याण शर्मा रमेश मीणा एंड कम्पनी। यह भी जलदाय विभाग के अंदर 'ए' श्रेणी के संवेदक के रूप में करौली जिले के अंदर काम कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि यह रमेश मीणा यही हैं। रमेश मीणा हो सकता है दूसरा भी हो, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इसके बाद तीसरी कम्पनी, जिसके कारण से मैं यहां खड़ा होकर अधिकारिक रूप से कह सकता हूं एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामलखन एंड कम्पनी थी, जिसका माननीय सदस्य के साथ साझेदारा था। यह 2011 की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी ने माननीय सदस्य को एक नोटिस दिया कि इनके आपस के अंदर कई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण, एक कोई मामला था, जो कोर्ट के अंदर गये। बाद में यह कम्पनी ब्लैकलिस्ट भी हुई। जो नोटिस दिया गया, वह नोटिस चूंकि, माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य थे, वह इस विधान सभा के सचिवालय में आ गया। जब यह विधान सभा के सचिवालय में आया, तब यह मामला अखबारों में साया हुआ और माननीय सदस्य, मैं अखबारों के माध्यम से कोट नहीं करना चाहता, अख़बार को क्योंकि सदन के नियमों के अनुसार यह नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस मामले के अंदर व्यक्तिगत, व्यक्तिपरक इंटरेस्ट हो, जिस मामले के अंदर खुद माननीय सदस्य, मैं जब सार्वजनिक निर्माण मंत्री था, मुझे यह संकोच नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह काम कर सकता हूं। मैं कोई व्यापार भी कर सकता हूं, मेरे परिवारजन भी व्यापार कर सकते हैं, उसका अधिकार है पर हमारे नियम और प्रक्रियाओं के नियम जो हैं, वह हमें प्रतिबंधित करते हैं। हम संभवतया इस प्रकार के मामले में, जिसमें खुद माननीय सदस्य पी.डब्ल्यू.डी. के अंदर बड़े अच्छे ठेकेदार रहे, बड़ा अच्छा काम करते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थे। कई जगह पर उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री था, तब इनके कार्यों का निरीक्षण करने गया। परन्तु इस मामले के अंदर, उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला उस समय आगे बढ़ा जब माननीय मंत्री महोदय, तत्कालीन मंत्री महोदय जो 02 अगस्त, 2015 के अंदर यह जो एस.पी.एम.एल. का काम था, मण्डरायल चम्बल नदी में, जो इंटेक वैल के पास जो रॉ वाटर रिजरवायर बना था, उसके इंस्पेक्शन पर चले गये यह। इन्होंने वहां देखा कि मानक स्तर का काम नहीं हो रहा था। मानक स्तर का काम नहीं हो रहा था तो आपने नोटिस दे दिया। उसके बाद जब इनको मालूम पड़ा कि इसके साथ सब-लेटिंग में जो काम कर रहा है इस एस.पी.एम.एल. कम्पनी में, वह दामोदर लाल मीणा एण्ड कम्पनी कर रही है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, कांग्रेस पार्टी के उप नेता है, पर यह नई परम्परा नहीं बन जाये उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को आप बोलने का मौका दें, यह तो आपका अधिकार है उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु मैं कुछ प्रक्रिया के नियम और कौल एण्ड शकधर व अध्यक्षीय व्यवस्था की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। मेरी सिर्फ प्रार्थना ही है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि मेरी व्यवस्था के संबंध में उठाये गये सवाल का निस्तारण पहले फरमा दें और उसके बाद जैसी आपकी आज्ञा होगी। सरकार उत्तर देने के लिये तैयार है उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य कोई व्यक्तिगत आरोप लगायेंगे तो नियमों के अंदर लगायें और नियमों में लगायें तो इनको यह भी माद्दा आप फरमा देना कि पूरी बात सुनकर जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, जो कृत्य-कुकृत्य सब इनके कार्यकाल के हैं और इनके कार्यकाल में क्या-क्या हुआ, उसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप कहो तो मैं इनको थोड़ा बता दूं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वैसे यह आपका राइट है, आपने रूल में नोटिस दिया है। पर एक बात आसन स्पष्ट करना चाहता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जिस बात के लिये आपको सचेत किया है, अगर वे

(श्री उपाध्यक्ष)

बातें क्वालिफाई कर जाती हैं, It'll be a question of privilege and contempt against you. So before you speak, make it certain that if your expression and deliberation, qualify to the objections raised by the Honorary Parliamentary Minister. the Chair will be free to take cognizance accordingly. यह बात ध्यान में रखकर आप चलें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने नियम और प्रक्रिया की बात कही है तो इनके पास में एक लाल किताब भी होगी। उसका पेज नंबर 310 देख लें- मंत्री के सार्वजनिक हैसियत से किये गये कार्यों की आलोचना करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा के एक व्यवस्था के प्रश्न पर मैं आपका ध्यान अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण नियमों के प्रथम संकलन के पृष्ठ 272 की ओर आकर्षित करता हूं। पुलिस विभाग से संबंधित अनुदान की मांग पर बोलते समय श्री मुकुट बिहारी गोयल, सदस्य, विधान सभा ने गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये तो श्री शंकर लाल जैतारण ने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर कहा कि प्रक्रिया के नियम 273 के अनुसार सदन में आरोप लगाने से पूर्व श्री अध्यक्ष एवं संबंधित मंत्री को लिखित में पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय - मैंने इसको ध्यान से पढ़ा है और जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, वह भी सुना है। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य, सदन के सदस्य हैं और जो उपस्थित हैं, या मंत्री महोदय हैं, उन पर इस तरह का आक्षेप लगाया जाए तो कोई पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? यह सवाल उठता है कि उनके लिये क्यों आवश्यकता नहीं है। उनके लिये इसलिये नहीं है कि जो विचारों की स्वतन्त्रता सदन में दी गयी है और सदन के माननीय सदस्यों को दी गयी है, उसमें किसी तरह का बन्धन नहीं रखा गया है। बन्धन केवल यह रखा गया है कि गाली-गलौच हो या इस तरह का अंश हो तो उसे एक्सपंज किया जा सकता है। लेकिन बहुत-से शब्द ऐसे होते हैं, जोकि मानहानिकारक तो हैं, लेकिन एक्सपंज नहीं हो सकते, तो नियम 273 उन केसेज में लागू होता है जहां कि यह व्यक्ति सदन के अंदर उपस्थित

(श्री रमेश)

नहीं हो। इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न प्रकार व्यवस्था दी, माननीय अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया, वह बिलकुल ठीक था। गृह विभाग की मांग थी और गृह मंत्रीजी उसका उत्तर देने वाले थे या उस डिबेट को संचालित कर रहे थे तो उसके अंदर उनके प्रशासनिक तौर-तरीके, काम करने के तरीके तो डिबेट का विषय हमेशा हो सकता है, इसलिये उसमें कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मंत्रीजी, क्योंकि आज बैठे हैं, उस पर चर्चा के बिना, वाद-विवाद के बिना, विचारणीय प्रश्न यह है कि अगर इस तरह के प्रश्न उठाये जाते हैं तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। स्वास्थ्य मंत्री या कोई भी मंत्री उसके विभाग के बारे में यह कह रहे हैं तो स्वाभाविक है, उनके कार्य करने का तरीका दोषपूर्ण, माननीय सदस्य ऐसा महसूस करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस विभाग के प्रतिनिधित्व के रूप में सदन में बैठते हैं इसलिये उनकी हमेशा तैयारी रहती है और जवाब देना समझता हूं, मैंने व्यवस्था जो दी है उसमें और इसमें कोई अन्तर नहीं है या कोई विरोधाभास नहीं है।

नियम 273 के तहत आरोप लगाने से पूर्व व्यक्तिगत नोटिस दिया जाना आवश्यक

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि माननीय सदस्य ने, खुद कहा है कि माननीय मंत्री को व्यक्तिगत नोटिस देना पड़ेगा। इस नियम 273 में भी व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष: बेसिकली वह जिस चीज को कोट कर रहे हैं, उसमें तो 273 का नोटिस न देकर भी, Basically now you are moving through Rule 273, so you will now have to adhere to the Rule 273. If any of your deliberation disqualifies you, then the Chair will be bound to take cognizance accordingly.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं-नहीं, मैं नोटिस का ही पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व सूचना देने की जिम्मेदारी भी माननीय सदस्य की है माननीय मंत्री को। मैं आसन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आसन पहले यह सुनिश्चित कर ले कि क्या माननीय मंत्री महोदय को पूर्व सूचना आपकी तरफ से प्रेषित हो गयी और माननीय मंत्री महोदय ने प्राप्त कर ली और उपाध्यक्ष महोदय, इसको भी सुनिश्चित करें कि आज के बाद जब कभी, मौका था आज तो मंत्री महोदय यहां है, मतलब अगर आप 12-14 घंटे के नोटिस में सूचना देते हो, माननीय मंत्री महोदय को तैयारी के साथ, क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाने वाले हो आप, तो तैयारी के लिये समय भी चाहिये न उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कोई समय भी निश्चित फरमायें। और इन्होंने नोटिस दे दिया, इन्होंने नोटिस प्राप्त कर लिया, इसको भी आप सुनिश्चित फरमा लें।

श्री उपाध्यक्ष: आपके इस पूरे को as it is, You can take your यह पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन है Right upto the concluding observation. आब्जर्वेशन को आप अपना डेलिबरेशन मानकर रिकार्ड पर ले लें। अब आप फरमायें, इसके अलावा इसका जो साइटेशन है न, आपने यह साइटेशन किस उद्देश्य से किया? यह साइटेशन जो आपने किया है न, यह किस उद्देश्य से है और आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस साइटेशन से?

श्री रमेश (सपोटरा): मैं तो यह चाहता हूं जो मैंने नोटिस दिया, इस डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है एस.पी.एम.एल. कम्पनी और अदर्स।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह जो साइटेशन है, यह साइटेशन तो 273 का नोटिस दिये बगैर भी आप...(व्यवधान)..

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं वो भी है, दोनों ही बातें हैं। जब हम किसी बात को यहां सदन में बोलते थे तो यह कहते थे कि आप नोटिस दिये बिना, उसके बगैर आप मंत्री का नाम नहीं लेंगे, किसी अधिकारी का नाम नहीं लेंगे, तो हम इस सदन में बोल नहीं सकते क्या? हर बार हमारा इन्होंने एक्सपंज करवाया है।

श्री उपाध्यक्ष: Just a minute, let him complete.

श्री रमेश (सपोटरा): इन्होंने एक्सपंज करवाया है, मंत्री का नाम एक्सपंज करवाया है, जो मंत्री यहां पर उपस्थित है या बाहर का कोई व्यक्ति है, या अधिकारी है जो भ्रष्ट है, उसका नाम हम ले सकते हैं। उसका इन्होंने एक्सपंज करवाया है। आप मेरी प्रोसिडिंग में देख लीजिये। इसलिये ये नोटिस

(श्री रमेश)

हमने इनको दिया है कि हम बोल सकते हैं सदन में। फ्री हैं। जो बात है चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों की बात हो।

दूसरा मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, संसदीय मंत्री ने जो आरोप लगाये कि रमेश मीणा, कल्याण शर्मा, इनके कांट्रेक्टरशिप है या इनका रजिस्ट्रेशन है या दामोदर लाल, जिसके नाम से इन्होंने आरोप लगाये इस तरह के, तो मैं सदन में कहना चाहता हूं, क्योंकि संसदीय मंत्री बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बड़ी एक्सपीरियंस और अनुभव व सीनियर मंत्री होने के नाते सदन में असत्य का वाचन किया है आपने, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और मैं आपको इस बात के लिये चैलेंज करता हूं कि यदि इसमें कहीं सत्यता मिल जाये तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा और यदि कहीं अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आप रिजाइन दे देना मंत्री पद से, यह दो बातें मैं कह सकता हूं। मंत्रीजी मेरे चैलेंज को स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से असत्य का वाचन आप कर रहे हैं। जिस प्रकार आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप खुद भी ठेकेदार नहीं रहे कभी?

श्री रमेश (सपोटरा): आपने जो बात कही है, वह तो आप छोड़ दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप कह दो न दामोदर मीणा कौन है। आप यह कह दो न कि यह कल्याण शर्मा एण्ड रमेश मीणा एण्ड कम्पनी है। यह कम्पनी कौन है? आपके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। सब-लेटिंग किया हुआ काम, आप बात करते हो माननीय सदस्य, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जायेगी। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): हां-हां, दूर तक जाने दो, आपको कौन मना कर रहा है इस बात के लिये? कोई मना नहीं कर रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो सब-लेटिंग का काम हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, वह कागज भी आ जायेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): हां, वह आ जायेंगे तो ले आना, आप मंगवा लेना। हम जांच के लिये तैयार हैं। सरकार आपकी है। आपके जो दण्ड है या दोषी है, तो मैं उसके लिये तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नियम-प्रक्रिया की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)....

श्री रमेश (सपोटरा): आप जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, इस सदन में असत्य का वाचन कर रहे हैं आप मंत्री महोदय, आप एक बात कान खोलकर सुन लें। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैंने सिर्फ प्रक्रियाओं के बारे में बात उठायी है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, यह बात बिलकुल स्पष्ट है, अगर कोई इन्क्रिमिनेटिंग डाकूमेंट है तो इन्क्रिमिनेटिंग डाकूमेंट किसी सदस्य को, जब तक उसका परीक्षण न हो जाये It cannot be a matter of record. Derogatory, incriminatory or personal involvement into an interest which could be of a profitable nature. Any such issue before it is brought on the floor of the House, has to be first dissected, to the extent of Committing itself to the truth. Hence there are two issues which I am settling once and for all. Henceforth, the any notice given in 273, will have to be given with a reasonable time to the Minister, so that he or she can reply properly.

And secondly जो साइटेशन आपने दिया है A Minister holding a post or a responsibility of the Department of which he or she was the Minister at that time, if he is or she is not holding the responsibility of that Ministry than you cannot compel here that she is present in the House and you can raise that issue because that issue is related to the Department that she was heading or he was heading. So that's very clear henceforth. अब आप फरमाओ Now you come back. It is more or less over.

(22.00 बजे)

श्री रमेश (सपोटरा): इस चीज पर अभी मंत्रीजी, संसदीय मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं उसका तो जवाब दे सकता हूं न?

श्री उपाध्यक्ष: वो आप अपने डेलिबरेशन में पूरा ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): अभी पहले जो इन्होंने दामोदर लाल, रमेश मीणा, कल्याण शर्मा या राम लखन, जो भी, जो इन्होंने आरोप लगाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: Twenty Two hours हो रहे हैं Your time for 15 minutes starts now. All and everything has to be covered in the next 15 minutes.

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं पहले, बात तो शुरू पहले ...(व्यवधान)... आरोप लगाये।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों आप कवर करिये। आप जो चीज, वो भी, ये भी, अब पन्द्रह मिनट में जो आपको करना है This is the end.

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, ऐसा मत करो, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, You take your proper time but then again it has to be a reasonable time.

श्री रमेश (सपोटरा): संसदीय मंत्री ने आरोप लगाये हैं, पुन: मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। कहीं यदि उसमें सत्यता पायी जाती है तो मंत्री तो इस्तीफा नहीं देंगे लेकिन मैं देने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे पता लग गया है, क्योंकि जिस प्रकार आप असत्य का वाचन कर रहे हो, आप असत्य बोल रहे हो इस सदन में, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती क्योंकि आप सरकार के मद में, आप बहुमत के मद में इस तरह के वक्तव्य दे रहे हो जो आपको शोभा नहीं देता मंत्री महोदय, कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई हमारी नहीं है, कोई हम काम नहीं करते हैं। यह अधिकारी बैठे हैं, कोई भी बता दे। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विषय पर इनको लेकर आओ ...(व्यवधान)... वरना फिर मेरे को बोलने का मौका दो आप। यह बार बार मुझे चेतावनी दे रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): फिर उस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं। आप विराज जाएं, मैंने बोल दिया है इस बात का ...(व्यवधान)... वो कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये बार बार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुझे चेतावनी दे रहे हैं, मुझे उत्तेजित कर रहे हैं बिना कारण से।

श्री उपाध्यक्ष: पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने अपनी कोई बात रखी है, आप अपने डेलेबरशन में उसका उत्तर दें, पर प्रोवोक आप मत करिये।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: Otherwise then I'll have to give him the right to defend himself. So let it be very clear. Our purpose here is to see, that things in the public interest and the interest of the State, takes place. It is not a case of trying to throw or put allegations against each other.

श्री रमेश (सपोटरा): मैं जो बात कहना चाह रहा था। क्योंकि आप लोगों ने, जिस प्रकार यहां बात आती है कि कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है, तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि सदन में बात आयी कि जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव लगाये हैं उनको ही बोलने का अधिकार होगा और यह भी, यहां आपके आदेश के माध्यम से यह भी व्यवस्था दी गयी, क्योंकि यह सदन परम्पराओं से और नियम, कानून और व्यवस्था, परम्पराओं से और नियमों से चलता है तो मेरी पार्टी की तरफ से मुझे बोलने के लिए नाम दिया गया पर मेरा काट दिया। सिर्फ इसलिए काट दिया गया कि आपका कटौती प्रस्ताव में नहीं है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो सरकार में मंत्री बैठे हैं, कटौती प्रस्ताव ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर मेरा एतराज है। आसन पर आक्षेप लगाने की परम्परा यहां नहीं है। अगर इन्हें कुछ कहना है तो आपके कक्ष में जाकर कहें। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): आप इसको एक्सपंज कर दें। मेरी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजो। आप भी विराज जाओ। This is very clear cut thing, as per Rules are concerned.

श्री रमेश (सपोटरा): एक चीज तो बता दूं?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, एक मिनट। As per Rules are concerned.

श्री रमेश (सपोटरा): चलो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको कटौती प्रस्ताव में आपके दिये हुए प्रस्ताव तक ही रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। ये तो चेयर का और आसन का एक लिबरल एटीट्यूड है वरना मैं आपको बोलने के लिए मना इसलिए कर सकता हूं कि जब कट मोशन ही नहीं है तो आप बोलोगे किस पर?

और आसन एक और चीज क्लीयर करना चाहता है। जिसको आप कोट कर रहे थे वो कोट में, जिस नेता के बारे में कहा गया है वो पार्टी का वो नेता होता है जो बोल सकता है उस पर, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए आपके, प्रतिपक्ष के पार्टी के जो नेता हैं अगर वो बोलना चाहें तो उस पर आसन नहीं रोक सकता। लेकिन जिसके कटौती प्रस्ताव नहीं हैं और वो अगर उस पार्टी के सदस्य हैं तो उस पर आसन अगर समय की कमी हो तो फिर उन सदस्यों को रोक सकता है और यह मैंने शुरू में भी कहा था कि समय को देखते हुए हम सबको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन प्राथमिकता उनको देंगे जिनके कट मोशन हैं या जिनके कट मोशन भी हैं और जो सदस्य एक बार भी मांगों पर नहीं बोले।

श्री रमेश (सपोटरा): आपने मुझे मौका दिया, ठीक बात है लेकिन मैं कटौती प्रस्ताव पर यह बात कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार कटौती के प्रस्ताव में हमारी सरकार के मंत्री संवेदनशील हैं कि डिपार्टमेंट के जो लोग आते हैं, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, पूरा विभाग, यहां मेन-मेन अधिकारी आते हैं और जब मंत्री यह बात कहता है कि कटौती प्रस्ताव तो अपने आप बना दो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नहीं कहूंगा, मेरे पास ऐसा कागज है जो कटौती प्रस्तावों के बाहर जाता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यहां ठीक नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है कि मंत्री कहते हैं, मेरा तो भाषण तैयार कर दो और कटौती प्रस्तावों का आप जवाब दे देना। तो हम जब कटौती प्रस्ताव देते हैं, काम तो होते नहीं हैं, कोई लेना-देना नहीं है तो कटौती प्रस्ताव, किस बात के प्रस्ताव, किस बात के काम?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह किसने कहा?

श्री रमेश (सपोटरा): आप विराज जाएं, मंत्रीजी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने मंत्रियों की बात कही है। ...(व्यवधान)...

आरोप

पूर्व जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी पर उनके कार्यकाल के कृत्यों के बारे में आरोप

तो मेरा जो निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के चुनावों से ब्लैक पेपर जारी किया। जिस कम्पनी पर, जिन बिंदुओं पर कांग्रेस पर अनियमितताओं के आरोप लगाये, उन्हीं कम्पनियों और कार्यों पर भा.ज.पा. सरकार सबसे पहले मेहरबान हुई और भा.ज.पा. जिसे भ्रष्ट बता रही थी, जिस पर ब्लैक पेपर जारी किया गया, उसकी कम्पनी पर मेहरबानी दिखाई। तो कम्पनी द्वारा काम में देरी और घटिया मैटेरियल सहित अन्य अनियमितताओं के करने पर कुल 60 करोड़ रुपये की पैनल्टी निर्धारित की गयी थी पहले किन्तु राज्य सरकार द्वारा कम्पनी के दस प्रोजेक्टों में ही 18 करोड़ रुपये की पैनल्टी वसूलने के स्थान पर माफ कर दी गयी। इसकी स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता वाली फाइनेंस कमेटी ने ही दी। इसमें पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाणा लिफ्ट योजना का कम्पनी को 2009 में काम करना था, केवल 70 परसेंट काम पूरा हुआ, इसके बावजूद कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया और उसके अलावा पैनल्टी माफ कर दी गयी।

चम्बल-सवाईमाधोपुर-नांदोती जल परियोजना, सरकार ने 2.63 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगायी, केवल 70 परसेंट काम हुआ। इस पर टेण्डर में, सबसे पहले जो आपके समय में टेण्डर हुए, उसमें भी अनियमितता हुई। 'जी' शिड्यूल में पी.एस.सी. पाइप लिये गये और वर्क ऑर्डर होने के बाद में उसको एम.एस. पाइप में कन्वर्ट कर दिया जिससे राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सहना पड़ा और उसके बाद में यह जो पैनल्टी लगायी, वो भी माफ कर दी गयी।

नागौर लिफ्ट परियोजना, भा.ज.पा. ने हमारी सरकार पर ये आरोप लगाया कि.... भई, ये पात्रता नहीं होने के आरोप लगाये। पैनल्टी माफी के

(श्री रमेश)

नाम पर भी भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये। आपने इस कम्पनी पर 12.5 करोड़ रुपये की पैनल्टी निर्धारित होने के बाद भी केवल 3.5 करोड़ रुपये ही वसूले। आप आरोप लगाते-लगाते बैकफुट पर आ गये और यहां तक कि सीवरेज के 1275 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का काम भी आपने सौंप दिया, लेकिन जब मामला खुला कि भई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ए.सी.बी. में, तो इन कार्यों के आदेशों को निरस्त करना पड़ा।

इसी तरह एस.पी.एम.एल. कम्पनी ने 118 करोड़ रुपये की बीसलपुर-निवाई वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट में 13 किलोमीटर के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पाइप नहीं डाले और इस पर स्वयं मंत्रीजी, किरण माहेश्वरी जी ने एस.पी.एम.एल. और जिंदल सॉ कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करने की फाइल चलायी, लेकिन बाद में पाइप बदलने की बात पर सहमत होने का तर्क देकर फाइल बंद कर दी, जबकि वास्तविकता में कम्पनी द्वारा 13 किलोमीटर में से केवल 3 किलोमीटर ही पाइप बदली गयी, लेकिन मंत्रीजी ने, कम्पनी पर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। आखिर मंत्रीजी ने, किरण माहेश्वरी जी, पूर्व मंत्री इस पी.एच.ई.डी. की थी, द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ए.सी.बी. ने जब फोन सर्विलांस पर लिये तो भ्रष्टाचार में मंत्री के ओ.एस.डी. और एक नजदीकी पी.ए. का नाम सामने आया।

एस.पी.एम.एल. कम्पनी के प्रोजेक्ट में सात जगह पाइप लाइन टेस्टिंग में ही फेल हो गयी। इनमें चार जगह चम्बल, भरतपुर, धौलपुर में डी.आई. पाइप और तीन जगह यू.वी. पी.वी.सी. पाइप डाले गये। कम्पनी पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

चम्बल के पानी को शुद्ध करने क लिए एस.पी.एम.एल. को रॉ-वाटर रिजरवायर प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें कम्पनी ने चार टैंक बनाये, जो टेस्टिंग में फेल हो गये। नियमानुसार दूसरा प्लान बनना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रोजेक्ट भी पास हो गया।

एसपीएमएल द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद भी लंबे समय तक कंपनी 2911 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम करती रही। लंबित भुगतान होता रहा। कंपनी को केवल नोटिस दिया गया।

(श्री रमेश)

ओएसडी आर.पी. गुप्ता के फार्म हाउस तक बीसलपुर पाइप लाइन बिछाने के लिए एक पत्र ओएसडी ने तत्कालीन मंत्री माहेश्वरी जी को 7 जनवरी, 2016 को पत्र लिखा, मेरे गांव में पेयजल समस्या है, जिस पर मंत्री ने स्वीकृति दे दी। लेकिन विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर चौहान ने अकेले गुप्ता के फार्म हाउस पर पाइप लाइन डालने से मना कर दिया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य किस पर बोल रहे हैं? एक मिनट, रमेश जी। उपाध्यक्ष महोदय, 272 (2) में बहुत क्लीयर लिखा हुआ है कि किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेंगे। यह बोलने के नियम हैं। बोलते समय पालनीय नियम। यह माननीय सदस्य ऐसे कैसे बोल रहे हैं? किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं और किसी का भी नाम ले रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): यह मंत्रीजी का नाम है। मंत्री थी, पूर्व मंत्री। अब यह हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, माननीय उप सचेतक महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 272 में कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): रमेश जी आपने नाम लेकर के बात की है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं ऐसा है। एक मिनट रमेश जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ना अब तो? कटौती प्रस्ताव पर 272 (2) में बहुत क्लीयर लिखा हुआ है।

श्री रमेश (सपोटरा): आप विराज जाइए। मैंने नोटिस दिया है, उसके जवाब में बोल रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, नोटिस पर नहीं बोल रहे हैं आप। नोटिस पर अलाऊ नहीं किया है। इस पर अलाऊ नहीं किया है।

श्री रमेश (सपोटरा): आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। जानकारी नहीं है आपको। आप बैठ जाइए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): आप बैठ जाइए। आपको जानकारी नहीं है। मैं आरोप लगा रहा हूं उस पर बोल रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप इनको 273 में बुलवा रहे हैं कि कटौती प्रस्ताव पर बुलवा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो It is a very technical point that he has raised. जब आप 273 में बोल रहे हैं तो yes, you can use the name of the person concerned, but if you are corroborating and concluding it with cut motion then you are restricted. So now you have to decide which way you want to go. You want to go around the circle or you want to take a left turn. That is for you.

श्री रमेश (सपोटरा): फार्म हाउस तक अलग से पाइप लाइन डालने से मना कर दिया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): किस पर बोल रहे हैं यह तो क्लीयर करें।

श्री रमेश (सपोटरा): तो अभियंता का तबादला कर दिया गया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, किस पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: 273 पर बोल रहे हैं। 273 का जो नोटिस दिया है, आप उसी पर बोल रहे हैं? Now you restrict.

श्री रमेश (सपोटरा): हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, फिर यह इसमें भाग नहीं ले सकते। 273 में बोलें तो उसी पर बोलें।

श्री रमेश (सपोटरा): एसपीएमएल की ही यह जो व्यवस्था है ...(व्यवधान)... उसी में है सारा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): दोनों बातें कैसे संभव हैं? उपाध्यक्ष महोदय, दोनों बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाओ, विराज जाओ। एक मिनट, विराज जाओ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह नोटिस तो दें ना। किसको दिया नोटिस?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आपका इस पर क्या आब्जेक्शन है, यह बताएं? Just a minute. Let him.

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नोटिस की कॉपी नहीं दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उस प्रश्न में अगर आपने व्यवस्था यह दी है कि इनको आपने अनुमति दे दी है तो यह अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन कहते हुए भी, इन सब बातों के रहते हुए भी बोलते समय पालनीय नियम का उल्लेख किया गया है 272 में, उसमें भी यह कहा गया है कि किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेंगे। यह जो पोस्ट आप होल्ड कर रही थीं।

श्री रमेश (सपोटरा): व्यक्तिगत कहां हो रही है? ...(व्यवधान)... सरकार में मंत्री हैं। व्यक्तिगत कहां हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 273 भी यह परमिट करता है कि पद का नाम ले लें।

श्री रमेश (सपोटरा): व्यक्तिगत कहां है यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पद का नाम ले लें। पद का नाम ले सकते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): व्यक्तिगत कहां है इसमें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह बार-बार किरण माहेश्वरी, किरण माहेश्वरी, किरण माहेश्वरी, 4 बार शब्द आया है।

श्री रमेश (सपोटरा): अब आप विराजो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अब मुझे एक निवेदन और करना है।

श्री रमेश (सपोटरा): अब आप बैठ जाइए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मुझे एक निवेदन और करना है।

श्री उपाध्यक्ष: Let it come. Let us be very clear.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मेरा यह निवेदन है कि यदि 273 में ही यह बोल रहे हैं तो इन्होंने माननीय मंत्री को सूचित नहीं किया है। उनको अवगत नहीं कराया है इसलिए नहीं बोल सकते। उनको नोटिस नहीं दिया है इसलिए 273 में यह बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं। आपने कटमोशन पर बुलवाया है तो उसके लिए नियम 272 (2) का पालन करना पड़ेगा। यह मेरा बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। अब आप विराजिए। एक पाइंट ऑफ रेफरेंस आया है कि जिस नोटिस से आपने विधान सभा सचिवालय को अवगत कराया है, क्या उस नोटिस की एक प्रतिलिपि मंत्रीजी के पास गई?

श्री रमेश (सपोटरा): भिजवा दी।

श्री उपाध्यक्ष: आपके पास में उसकी कोई रिसीट या कुछ है?

श्री रमेश (सपोटरा): यहां तो नहीं है, मैं लाकर दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: रिसीट है?

श्री रमेश (सपोटरा): मैं दे दूंगा। है मेरे पास ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: जस्ट ए मिनट। अगर रिसीट है then it is a matter of record. यह चीज को ले रहा हूं। सम्माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि मेरे पास रिसीट है। नैक्स्ट वर्किंग डे पर उस रिसीट को टेबल करेंगे और इसी अंडरस्टैंडिंग पर कि यह रिसीट दी गई है, अब आप अगर 273 पर बात कर रहे हैं तो फिर आप विभाग के कटमोशन का जिक्र नहीं करेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: And you will restrict your expression and deliberation to the point which have been covered or which you are alleging under rule 273 and confine to the limits of notice that you have given.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अगर 273 की इन्होंने रसीद प्राप्त नहीं की है और यह पेश नहीं कर पाए तो क्या दंड होगा सर? यह भी तो तय करें आप।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा है, आसन इस बात के लिए स्वतंत्र है कि क्या करेगा। वह किस श्रेणी में आएगा, मिसलीडिंग ऑफ दी हाउस, किस श्रेणी में आता है this will tantamount to misleading the House. वह किस श्रेणी में आता है, मुझे यहां एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इतने कठोर मत हो। आपने जो शब्द इस्तेमाल कर लिया मिसलीडिंग ऑफ दी हाउस, इसमें इनकी सदस्यता जा सकती है, इसलिए आप इतना कठोर नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): पहली बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक मिनट रमेश जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था में लिबर्टी दी है कि आप नैक्स्ट वर्किंग डे पर इसकी रिसीट सब्मिट करेंगे। बाई दैट टाइम जो कुछ भी बाहर निकलेगा उसको फ्रीज रखने का जब तक क्लीयर नहीं हो जाएगा, सर्विस हुई है इसकी, जो नोटिस दिया है आपने, उसकी प्रोपर सर्विस हो गई क्या? उस पीरियड तक के लिए उसको फ्रीज रखा जाए।

श्री उपाध्यक्ष: हम वर्बेटम को फ्रीज कर देंगे We will freeze the verbatim. The verbatim will become official once the receipt has been tabled on the next working day.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ओके, ओके, अब ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप फरमाएं, Now I want no disturbance. Let us see how disciplined you all can be.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब बोलो।

श्री रमेश (सपोटरा): इसके बाद नागार्जुन कंपनी से मिलकर पंप हाउस से फार्म हाउस तक 3 किलोमीटर में अलग से 3 इंच की बीसलपुर योजना

(श्री रमेश)

से पाइप लाइन डाल दी गई। तब स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध भी किया। इस संबंध में पूर्व मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई पाइप लाइन नहीं डाली है जबकि इसकी जानकारी चीफ इंजीनियर से लेकर के ए.ईएन. तक के अधिकारियों को थी लेकिन जनवरी, 2016 से इस मामले को दबाकर रखा गया। इसके बाद रेगुलर डिवीजन की रिपोर्ट को आधार बनाकर के 4 इंच की एक और पाइप लाइन पीएचईडी के वाटर प्लांट से ओएसडी के फार्म हाउस तक डाली गई। स्थानीय लोगों ने इसका भी विरोध किया।

दूसरी पाइप लाइन डालने के लिए एस.ई. के पास एडिशनल चीफ इंजीनीयर प्रोजेक्ट रीजन एवं बीसलपुर, टोंक परियोजना का अतिरिक्त चार्ज था। एक्स.ईएन. ने पत्र लिखा। जिसमें मंत्री, प्रमुख शासन सचिव के पत्रों का हवाला देकर ओएसडी के फार्म हाउस तक पाइप लाइन डालने के लिए कहा। मंत्री के ओएसडी का फार्म हाउस भी है। आखिर ओएसडी के पास इतना पैसा कहां से आया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या यह भ्रष्टाचार से इक्ट्ठा किया पैसा है? पाइप लाइन बिछाने की शिकायत पर मंत्री ने कार्यवाही क्यों नहीं की? मामला मीडिया में आने पर मंत्री ने ओएसडी को एपीओ किया जबकि लाखों रुपयों से, अवैध रूप से निजी लाभ के लिए लगाने पर ओएसडी को निलंबित करना चाहिए था। इसी के साथ संबंधित कंपनी नागार्जुन के काम की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मंत्री ने इतना होने के बाद भी पीएचईडी की पाइप लाइन हटाने का आदेश दिया लेकिन बीसलपुर की पाइप लाइन को छोड़ दिया। इसके अलावा जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा आवंटित बजट से 4 गुना तक के प्रोजेक्ट पास किए गए। उसके अलावा कंपनी से जो पैसा मिलता था, उसका भुगतान करते थे। एसपीएमएल के 7 प्रोजेक्टों में गंभीर कमियां, अनियमितताएं सामने आने के बाद भी अफसर उसका भुगतान करते रहे। आखिर सरकार इंजीनियरों को और अधिकारियों को आवंटित बजट से 4 गुना प्रोजेक्ट स्वीकृत क्यों करती है?

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्वयं ने नादौती सवाईमाधोपुर चंबल परियोजना का एक साल में 2 बार दौरा किया। इसके बाद एसपीएमएल

(श्री रमेश)

कंपनी ने निर्देशों की पालना नहीं की और ना ही प्रोजेक्ट में कोई प्रोग्रेस हुई। 3 बार एक्सटेंशन देने के बाद नादौती प्रोजेक्ट को लेकर कार्यवाही नहीं की, बल्कि ब्यावर-जवाजा पेयजल परियोजना पर 24.7 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई। इससे संदेह होता है कि जब पीएचईडी में इंजीनियर और अधिकारियों की कोई कमी नहीं है तो मंत्री को 2 बार क्यों जाना पड़ा? आखिरकार उस पर किसलिए दबाव बनाया गया? उसके कुछ दिन बाद ही भ्रष्टाचार में 2 इंजीनियर पकड़े गए। एक चीफ इंजीनियर और एक एस.ई. को पकड़ा गया।

इस मौके पर जो कार्यवाही हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, एसीबी के उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद अभी 50 परसेंट दूंगा क्योंकि अभी आधा काम किया है मुख्य मंत्रीजी ने, आधा काम ऊपर बैठे हैं जो अधिकारी, जो मंत्री, उनको नहीं पकड़ा गया है क्योंकि यदि इनका नारको टैस्ट हो जाए, पूरी जांच हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें मंत्री भी लिप्त पाई जाएंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री ने अभियंताओं की स्पेशल विंग बना रखी थी, कई अभियंताओं के पास दोहरा, तिहरा चार्ज था। ये सभी इंजीनियर विवादों में है। श्री चौहान घटिया सबमर्सिबल पम्प एवं जोइंट की खरीद में विवादित, श्री अखिल जैन, आरओ प्लांट और सोलर पम्प में विवादित। कुछ विशेष लोगों को ही प्रोजेक्ट और फील्ड का काम दिया हुआ था। अन्य योग्य अभियंताओं को या तो आइडल पोस्टों पर तैनात किया या उनके रिटायर होने तक कोई भी चार्ज नहीं दिया गया। केवल भ्रष्ट अभियंताओं को मलाईदार पोस्ट दी गई या अतिरिक्त चार्ज का काम केवल मंत्री के इशारे पर हो रहा था। इसकी मोनिटरिंग मंत्री के ओएसडी और पीए कर रहे थे। यदि मंत्री स्वयं को बेदाग कहती हैं तो इन सभी प्रकरणों की जांच सीबीआई से कराएं और ओएसडी और पीए का नारको टैस्ट कराएं, यदि ईमानदार हैं तो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह इनके फर्जी पम्प और केबल घोटाले, जलदाय विभाग का एक और घोटाला, विभाग में ट्यूबवैल एनर्जी

(श्री रमेश)

एफिशिएंट पम्प लगाने का निर्णय लिया लेकिन कम्पनी ने घटिया पम्प लगाए, कई जगहों पर रिटेनिंग वाल्व भी नहीं लगाए, उसके बिना पम्प जल्दी खराब हो गए। तो इस तरह से 40 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और इसमें जो कम्पनी थी एग्रो फेब कम्पनी उसने गारंटी अवधि में खराब पम्प सैट ठीक नहीं किए, खराब और नकली केबल सप्लाई किए। फर्जी टर्नओवर के आधार पर वर्क ऑर्डर दिए। जो इन्होंने बता दिया है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया कम्पनी को क्लीन चिट दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, पीएसी का जो टेंडर किया गया था उसमें जो गुजरात की जो कम्पनी है, राजकीय उपक्रम है, वह यहां पर कांट्रेक्ट रेट पर Poly Aluminum Chloride PAC सप्लाई कर रहा था लेकिन राजकीय उपक्रम होने के कारण यहां के अधिकारियों को, यहां के अभियंताओं को पैसा कमीशन का नहीं मिल रहा था इसलिए इन्होंने एल-1 जो गुजरात की कम्पनी थी उसको छोड़कर एल-2 को काम दिया। तो इसकी भी जांच हो जानी चाहिए कि जब गुजरात की कम्पनी ने प्रेशर बनाया कि रेट कांट्रेक्ट हमारे साथ था तो आपने एल-2 को काम क्यों दिया? इसमें अनियमितता हुई। पहले एल-1 से पूछते कि आपकी मात्रा में या समय पर हमें सप्लाई करेंगे। यदि वह समय पर सप्लाई नहीं करते या मात्रा में, क्वांटिटी में Poly Aluminum Chloride PAC नहीं मिलता तब आप एल-2 को इन्वाइट करते। इसमें भी अनियमितता हुई तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि सब लेन-देन के चक्कर में इस टेंडर की एसीबी से जांच कराएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोहंतीजी से कहना चाहता हूं कि इस केस की जांच कराई जाए, क्योंकि करोड़ों रुपयों का काम ग्रेसिम कम्पनी जो एल-2 है, उसको दिया गया। ग्रेसिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फर्म को दिया गया। जो गुजरात की कम्पनी है उसको काम बहुत कम मात्रा में दिया। उस कम्पनी का नाम है, गुजरात एल्कलीज कैमिकल लिमिटेड, गुजरात। दूसरी जो कम्पनी है वह ग्रेसिम इंडिया लिमिटेड है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिचौलियों के माध्यम से इस तरह का खेल हो रहा था।

(श्री रमेश)

दूसरा, बीस गुना दर पर एलईडी लाइट खरीदी गई। जलदाय विभाग ने 80 रुपए की एलईडी 972 रुपए में खरीदी। बिना कीमत को वेरीफाई करवाए, दस गुना रेट पर 5 करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया। ऊपर से चीफ इंजीनियर का जवाब कि हमने डीजीसीएण्डडी रेट वाला सामान खरीदने को कहा था। एसई और एक्सईएन को मार्केट रेट की जांच करवानी चाहिए। जबकि एक्सईएन का कहना था....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): व्यवस्था का ही प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था का?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): व्यवस्था का ही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं।

श्री रमेश (सपोटरा): दो मिनट में पूरा कर लूं इसको।

श्री उपाध्यक्ष: आने दो, आने दो, व्यवस्था का प्रश्न आने दो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सदन में व्यक्तिगत आरोप, मतलब आरोप व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ही लगाएं जाएं, समाचार पत्रों आदि की सूचना के आधार पर नहीं, यह व्यवस्था दी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य के पास में सबूत है तब तो आधार सहित, व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर, और केवल समाचार पत्रों के आधार पर आप दे रहे हैं, तो इस सदन का दुरुपयोग आप कर नहीं सकते।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रही। केन्द्रीय भंडार की भी बुक मैं साथ में लाया हूं। जो वर्क ऑर्डर है उसका भी बता देता हूं, Self-relasted energy efficient Lamp with power factor of 09 m minimum. और दूसरा है, weightage in watts 9W colour

(श्री रमेश)

stamp and degree के 5 हजार से 6 हजार 'निल', इसकी रेट 972 रुपए है जो बाजार में 80 रुपये में मिलता है। इसकी जो नोट शीट है, पूरा वर्क ऑर्डर है, आपके डिपार्टमेंट का यूओ नोट भी है, मैं टेबल कर दूंगा, यदि कहेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सारी नोट शीट भी है, यह जो सारा लिखा हुआ है पूरा। इनके यूओ नोट पर जो कमेंट्स है वह भी लिखा हुआ है। यह तो आपका एलईडी वाला है।

दूसरा, आपका गुजरात एल्केलीज लिमिटेड ने जो लैटर लिखा है, जो पीके गेरा, आईएएस हैं उन्होंने लैटर लिखा है राज्य सरकार को, वह लैटर भी मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, नोट शीट है मेरे पास प्रूफ के रूप में। नोट शीट कहां से आई इनके पास? यह तो सरकारी डाक्यूमेंट है। इनके पास कहां से आई नोट शीट? ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): जो चीज है, वह आपको दे देंगे। यह कहां से आई, सब दे देंगे। कहां से आई, इसका सब जवाब दे देंगे। जवाब आरटीआई ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, दो मिनट बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): नोट शीट को टेबल करो आप।

श्री रमेश (सपोटरा): सब कर देंगे, सब कर देंगे। आप विराजो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोट शीट, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): आप तो विराजो।

श्री उपाध्यक्ष: आप इसको कनक्लूड करें।

श्री रमेश (सपोटरा): इसको पूरा तो करने दें साहब, बीच में ही तो रोक रहे हैं ये।

(श्री रमेश)

जलदाय विभाग ने 80 रुपए की एलईडी 972 रुपए में खरीदी। बिना कीमत को वेरीफाई किए हुए, दस गुना ने अधिक रेट पर 5 करोड़ रुपये का सामान खरीद लिया। ऊपर से चीफ इंजीनियर का जवाब है कि हमने डीजीसीएण्डडी रेट वाला सामान खरीदने को कहा था, एसई और एक्सईएन को मार्केट रेट की जांच करनी चाहिए थी, जब कि एक्सईएन का कहना है कि वर्क ऑर्डर अधीक्षण अभियंता की ओर से दिया गया और रेट एप्रूवल फाइनेंशल एडवाइजर और चीफ इंजीनियर द्वारा किया गया। एक्सईएन ने भुगतान रोका तो आला अफसरों ने दबाव बनाकर भुगतान करवाया। इसमें, कार्यालय टिप्पणी में कहीं भी उच्च अधिकारियों ने रेट का उल्लेख नहीं होने दिया और इसी आधार पर वित्तीय सलाहकार व मुख्य अभियंता को बचाने का प्रयास हो रहा है, जबकि वित्तीय सलाहकार का मुख्य काम ही रेट को देखना था। इतनी बड़ी राशि की खरीद के विवरणों में यदि मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर अनभिज्ञ हैं तो यह कर्तव्य पालन में गंभीर कोताही को दर्शाता है। इसके लिए उस पर कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि चीफ इंजीनियर को बचाया जा रहा है, एफए को फंसाया जा रहा है, तो इसमें सरकार ...(व्यवधान)... किसी का भी हो, 2012 का हो 2015 का हो, मैं कब कह रहा हूं, कभी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जांच करवाएं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप आपस में बात न करें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोषी जो भी अधिकारी हैं और मुख्य अभियंता है, वह कमेटी बनाकर उसको क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह विभाग की प्रयोगशालाओं में अफसरों ने बिना पानी की जांच के, लाखों रुपये वसूल कर पानी शुद्ध घोषित कर दिया। पहले तो जांच में पुष्टि होने पर रसायनविज्ञ को निलम्बित करना तो दूर, नोटिस तक नहीं दिया, लेकिन दबाव बनने पर मीडिया, राजस्थान पत्रिका, जो भी उन्होंने छापा, उसके बाद उसको निलम्बित करना पड़ा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एसीबी ने जब

(श्री रमेश)

एसपीएमएल इन्फ्रा के वर्क ऑर्डर की जांच की तो पता चला कि संस्थागत भ्रष्टाचार करके, अधिकारियों ने मिलीभगत करके कम्पनी को टेण्डर पास होने पर, काम शुरू होने से पहले ही कम्पनी द्वारा खरीदे गए सामान के बिलों को प्रस्तुत कर भुगतान कर दिया, जबकि वास्तव में कम्पनी ने बिल पास होने के बाद जो राशि मिली उससे माल खरीदा। इस प्रकार एसपीएमएल कम्पनी ने 18 से अधिक रनिंग बिलों के माध्यम से 2013 से 2015 के मध्य 136 करोड़ रुपए का भुगतान उठाया और उसके लिए 1.02 करोड़ की रिश्वत दी। अधिकारियों ने केवल 0.75 परसेंट रिश्वत के लिए 136 करोड़ रुपये का भुगतान आँख मूंद कर कर दिया। न फिजीकल वेरीफिकेशन हुआ, न कोई पूछताछ हुई। इससे पता चलता है कि केवल इंजीनियर ही नहीं, अकाउंटेंट और प्रशासनिक स्तर पर भी भारी भ्रष्टाचार इस जलदाय विभाग में व्याप्त है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह एसपीएमएल कम्पनी को लाभ देने के लिए इंजीनियरों ने अपने बनाए वर्क एस्टीमेट को ही खारिज कर दिया। नया वर्क एस्टीमेट बनाकर 192 करोड़ रुपये का काम एसपीएमएल को 262 करोड़ रुपए में दे दिया। इंजीनियरों के पकड़े जाने पर शासन सचिव कहते हैं कि हमने कम्पनी को कई बार बता दिया, काम निरस्त कर दिए लेकिन वह कंपनी जुर्माना ब्लैक लिस्टेड करने का प्रस्ताव तो ला सकते हैं। फिर आखिर इस कंपनी पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? जो हमेशा हमारे प्रमुख शासन सचिव कहते हैं कि चोर है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य। अगर आप यह मन से कह रहे हैं, why do you have to read it? Has somebody tried it for you?

श्री रमेश (सपोटरा): एक मिनट साहब, एक मिनट, ज्यादा नहीं है।

मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीफ इंजीनियर ने तो यह कहा जब पकड़ा गया कि ये पैसा लेते हैं। एक सिस्टम है, ईजी गोईंग है। एडिशनल चीफ इंजीनियर ने कहा, पहली बार नहीं है, मैं काफी बार पैसे ले चुका हूं। एसई के पास 50 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति मिली जो उसने प्रोजेक्ट में लगने के बाद 5 साल में कमाना बताया। उसने पत्नी के नाम पेट्रोल पम्प भी ले रखा है जबकि यदि केवल वेतन को ही पूरी बचत

(श्री रमेश)

मान लें तो वह 60 लाख तक ही पहुंचती है।

इसी तरह इनके जो दूसरे हैं, एसपीएमएल के डिप्टी मैनेजर तोतला और एक (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कनक्लूड करें। Now you are taking undue advantage.

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा तो आपसे निवेदन है, चलो छोड़ देता हूं, आपकी बात को मानता हूं।

जिस प्रकार पीएचईडी में मंत्री और मंत्री के मातहतों के द्वारा, अभियन्ताओं के द्वारा....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप और पूर्व मुख्य अभियन्ता रतन सिंह के द्वारा, यह भी साथ जोड़ दो।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, हां, कोई बात नहीं है, आप जुड़वा दें उसको। मेरे कोई चीज नहीं है। कोई भी अभियन्ता हो, चाहे रतन सिंह हो, चाहे राजेन्द्र राठौड़ हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी दोषी हैं, जो इन कामों में इन्वोल्व हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अनियमितताएं की हैं और सरकार के पैसे को, जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसको खाया है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने आधा काम किया है, कुछ लोगों को, भ्रष्ट लोगों को पकड़ा है। बाकी बचे हुए जो अधिकारी हैं, चाहे जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे मंत्री हैं, यदि जांच सही हो, यदि हमारी मुख्य मंत्री भी किसी के दबाव में है तो सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए। यह मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्री से निवेदन है कि इस केस की पारदर्शिता के साथ में सीबीआई से जांच हो। (व्यवधान) नार्को टेस्ट अपने आप हो जाएगा। यदि मंत्रीजी कहती हैं कि मैं निर्दोष हूं तो इनका खुद का नार्को टेस्ट कराएं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपका भी कराना चाहिए।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा तो करा लो, मैं तैयार ही बैठा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप 273 का जवाब दे रही हैं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): हां जी, क्योंकि आपने उन्हें बोलने का मौका दिया 273 में, जबकि उन्होंने नियमों का पालन किया नहीं, नोटिस तो दिया नहीं था। उसके बावजूद भी आपने उनको मौका दिया है इसी शर्त पर कि जो नोटिस उन्होंने दिया है वह उसको बताएंगे कि वह मेरे यहां सर्व हुआ है।

इसलिए मैं अपनी बात को, चूंकि माननीय सदस्य ने जो यहां पर बात रखी है, उसको मैं अपनी बात को कहूं। मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा था जब ये सारी बात कह रहे थे और उसको कहने के लिए भी उन्हें पढ़ना पड़ रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक सैकण्ड। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जब रसीद कल हाउस की टेबल पर आ जाएगी, तब ये उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: नो। एक मिनट आप विराज जाएं। This Chair has got full confidence in the Members of the House. I take it that he is telling the truth. If he is telling it, otherwise I will take action accordingly. But I can not prevent her from rebuting what charges had been placed.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): थैक्यू उपाध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अपनी बात कुछ कहूं उससे पहले मैं कुछ लाइन कहना चाहती हूं कि

"यह कैसा शोर है दुनिया में आखिर, सच चुप है और असत्य बोलता है।

नहीं रोका हमारी ही खता है, वो जालिम अब दुबारा असत्य बोलता है।"

वो जब भी असत्य बोलते हैं तो पूरा दम लगाकर बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असत्य को जितना दम लगाकर बोलेंगे शायद वह सच हो जाएगा, लेकिन सच तो सच ही रहेगा।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आज जितना कुछ इन्होंने कहा है माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि जब उन्होंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, अब मैं उन्हें कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन और कांग्रेस का शासन, क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर कोई जननी है तो वह कांग्रेस है। जिस एसपीएमएल को ये बार-बार कह रहे हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं एसपीएमएल, एसपीएमएल, उस एसपीएमएल कंपनी को जो कांट्रेक्ट दिये गये, 14 ऐसे टोटल कांट्रेक्ट एसपीएमएल को दिये गये। उन 14 कांट्रेक्ट में से 12 कांट्रेक्ट कांग्रेस के शासन में एसपीएमएल को दिये गये थे। मैं 12 कांट्रेक्ट के बारे में अगर पूरा कहूंगी तो काफी समय लगेगा, लेकिन मैं उसमें से चार के बारे में कहूंगी। उनको मैं टेबल करूंगी।

श्री रमेश (सपोटरा): चाहे कांग्रेस ने किया, चाहे बीजेपी ने किया, आपने किया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी अब।

श्री उपाध्यक्ष: Now I will not allow any disturbance. आप जब अपनी बात फरमा रहे थे तो मंत्री महोदय ने आराम से, पूरे धैर्य से वह बात सुनी है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, 12 तो कांग्रेस के कार्यकाल में, 2 बीजेपी के शासन में इस कंपनी को कांट्रेक्ट दिये गये। एक कांट्रेक्ट 2005-06 में दिया गया और एक कांट्रेक्ट अभी 2016 में दिया गया। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी है, उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं। इनका जो पिछला कार्यकाल था, उस कार्यकाल के लास्ट छह महीने में जो इन्होंने पराक्रम किये, वे मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जो प्रोजेक्ट का नाम है वह नाम है धन्नासर से सरदारशहर for cumulative demand of Ratangarh-Sujangarh and Fatehpur-Laxmangarh water supply project. इस प्रोजेक्ट के अंदर 29.1.2013 को टेक्निकल सेंक्शन हुई 327 करोड़ रुपये की। उसके ठीक दो महीने बाद 14.3.2013 को जो 327 करोड़ रुपये का टेक्निकल एस्टीमेट आया था उस एस्टीमेट की इन्होंने बढ़ाकर कॉस्ट कर दी 396 करोड़ रुपये।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यह एसपीएमएल कंपनी का। यह कांग्रेस का कार्यकाल था।

इसी एसपीएमएल कंपनी को दिया और भी बहुत सारी कंपनीज् थीं, लेकिन इसी एसपीएमएल को दूसरा कांट्रेक्ट दिया है, वह जवाजा का, a work of regional schemes of 199 villages of PS Jawaja under FCP. यह 14.5.2013 को estimate cost 192.89 इसकी थी 14.5.2013 को। वही एस्टीमेट ठीक 2 महीने बाद यानी 22.7.2013 को यह एस्टीमेट 192 करोड़ रुपये से बढ़ जाता है 247.82 करोड़ रुपये, which is 28.47%. दो महीने में बढ़ गया।

तीसरा यही एसपीएमएल, जिस एसपीएमएल को कांग्रेस के शासन में 17.4.2013 को एस्टीमेट कॉस्ट थी 214.67 करोड़ रुपये, Gagarin Water Supply Project on SPR turnkey basis with 10 years O&M Jhalawar district. 214 करोड़ का एस्टीमेट जो 17.4.2013 का था, फिर तीन महीने बाद 30.7.2013 को यह एस्टीमेट बढ़ जाता है 308 करोड़ रुपये। यानी 43.75 परसेंट मोर। सिर्फ दो महीने में। दो महीने के पराक्रम है, पिछली सरकार के पिछले छह महीने के हैं ये सारे।

यही एसपीएमएल कंपनी, जिस एसपीएमएल कंपनी के लिए बार-बार कह रहे हैं, इसी को इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट Work of Cluster Water Supply System of 63 villages of Nadauti Tehsil and 46 en-route villages of Gangapur and Karauli Tehsil under Chambal Sawai Madhopur Water Supply Project. जिसमें 18.6.2013 को 180.04 करोड़ (व्यवधान) आराम से सुन लीजिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, इनको धैर्य रखना पड़ेगा। (व्यवधान) सुनो ना अपना, जो आप लोगों ने किये हैं, वह आपकी जन्मपत्री बता रहे हैं। 18.6.2013 को 180 करोड़ का एस्टीमेट था गागरिन का, वह एस्टीमेट 3 महीने बाद 16.9.2013 को 236 करोड़ रुपये का हो जाता है, 180 से सीधा बढ़कर 236 करोड़ 30.47 परसेंट अबोव।

अब आप जो बात कर रहे हैं इसमें इनके द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट्स दिये गये, जो छह महीने की अवधि के अन्दर इन्होंने बढ़ाकर दिया, यह इसका जो टोटल था वो 9410.40, जिनको इन्होंने एक्सेस कोस्ट बना दिया इसका 10976.89 करोड़। यानी डेढ़ हजार करोड़, लास्ट छह महीने में जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
इन्होंने कांट्रेक्ट दिये उन कान्ट्रेक्ट का एस्टिमेट कोस्ट से एक्सेस कोस्ट में डेढ़ हजार करोड़ रुपये, माननीय उपाध्यक्ष जी, डेढ़ हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी, इनके पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है, होगा दर्द। होगा दर्द इसलिए, कि जब एस.पी.एम.एल. का कार्य चम्बल-नादौती का बहुत ही धीमी गति से चल रहा था माननीय उपाध्यक्ष जी,......

श्री उपाध्यक्ष: आई केन नॉट। जिस मोशन पर ये बोल रही हैं, जिस मोशन पर ये अपनी बात अभिव्यक्त कर रही हैं, उसमें मैं किसी और को अलाऊ ही नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति से जो बोल रहा है, वो अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, इनको जो डर हुआ, इनके पेट में जो खलबली हुई, उस सबका कारण था कि जब हम दौरे पर गये, चम्बल-नादौती प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए गये, उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा था, उसको देखने के लिए। उस क्षेत्र के हमारे विधान सभा क्षेत्र के माननीय सदस्य मानसिंह जी गुर्जर भी मेरे साथ थे। हमने वहां पर, आर.डब्ल्यू.आर. को जब देख रहे थे तो उसमें एक लाइनिंग होती है माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सीमेंट की ब्रिक्स होती है उससे वो लाइनिंग करते हैं उसकी। उस लाइनिंग का एक ब्रिक उठाया मानसिंह जी ने और उठाकर उसको जमीन पर पटका तो एक सैकण्ड के अन्दर वो पूरा टूट गया। उस टूटे हुए ब्रिक को हमने एक प्लास्टिक की थैली में डलवाकर कहा कि इसकी पी.डब्ल्यू.डी. की लैब के अन्दर क्वालिटी की जांच होगी। उसको हम उठाकर लेकर आये। उसका रिजल्ट यह रहा कि उसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की ब्रिक्स वहां पर बन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रही थीं। उनकी हमने जांच करने के बाद अधिकारियों के ऊपर भी कार्यवाही की और साथ-साथ वो सारी जो लाइनिंग जो उस ठेकेदार ने की थी उन ब्रिक्स की, वो सारी उखड़वाई।

वही उसका दर्द जो हुआ वो दर्द इसलिए हुआ कि इस एस.पी.एम.एल. कम्पनी ने उसी कांट्रेक्ट को सब-लेट कर रखा था। वो जो सब-लेट कर रखा था वो है दामोदर मीना। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह दामोदर मीना जो पी.एच.ई.डी. का ठेकेदार है.....

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, आप इसमें मत बोलिये। माननीय उपाध्यक्ष जी,....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। यह सदन और जितने सदस्य बैठे हैं विवेकशील भी हैं, विद्वान भी हैं और आसन भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। तो कुछ तो आसन को करने दीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, यह दामोदर मीना, यह पी.एच.ई.डी. के अन्दर ठेकेदार है और एस.पी.एम.एल. कम्पनी ने उसे सब-लेट किया था अपना काम। ये जो लाइनिंग वहां हुई, जो ब्रिक्स की लाइनिंग होनी थी, वो सारी उस ठेकेदार के माध्यम से हो रही थी, उस दामोदर मीना के नाम से। (व्यवधान) यह दामोदर मीना माननीय सदस्य श्री रमेश मीणा का सगा भाई है। यह सगा भाई है, इसलिए वो सगा भाई होने के नाते पेट में खलबली होना स्वाभाविक था। माननीय उपाध्यक्ष जी, इनको बात को सुनना होगा.......

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ, एक मिनट आप विराज जाओ। एक मिनट विराज जाइये।

अगर आपने इसी प्रकार से रखा न, तो मैं 273 को डिस-क्वालिफाई कर दूंगा। 273 का फ्लो सुनिश्चित है and in 273 when you

(श्री उपाध्यक्ष)

deliberated, they listened or she listened quietly and intelligently. When she is deliberating, now you better listen properly and quietly.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, अब जो इनके भाइयों के वहां पर कांट्रेक्ट चलते हैं। वैसे तो ये स्वयं कांट्रेक्टर हैं। इनके एक भाई हैं जिला प्रमुख, मिस्टर अभय कुमार मीना, करौली के जिला प्रमुख हैं अभय कुमार मीना, ये इनके सगे भाई हैं। कांट्रेक्ट लेना तो इनके हमेशा से रहा। खुद भी कांट्रेक्टर रहे, भाई कांट्रेक्टर, जो जिला प्रमुख हैं, जिला प्रमुख के पद पर रहते हुए जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिस तरीके से पंचायतों के अन्दर पाँच-पाँच करोड़ रुपये दिये, नायपुर पंचायत के अन्दर जहां सरपंच इनकी रिश्तेदार है और उस सरपंच को इन्होंने 40 हैण्डपम्प खातेदारी की जमीन के ऊपर करवाये हैं, उस जिला प्रमुख ने, खातेदारी की जमीन पर। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी, टोरड़ा पंचायत की सरपंच विमलेश कुमारी, जो भी माननीय सदस्य के प्रभाव से, आप सोच भी नहीं सकते कि एक ग्राम पंचायत की सरपंच डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान सिर्फ एक भागवत कथा के लिए वो सरपंच कराती है, जो गाढ़ी कमाई का हमारा पैसा है, वो डेढ़ करोड़ रुपये उसके लिए खर्च करती है। केलादेवी पंचायत, 14 करोड़ के कार्य किये, भारी अनियमितता। मैं यहां पर आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि ये सारे कामों की सम्पूर्ण जांच करायें तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री रमेश मीणा सदस्य ने जो-जो बात कही, मैं उन सबका जवाब देना चाहती हूं। एस.पी.एम.एल. के सन्दर्भ में जो आरोप इन्होने लगाए, उसका जवाब तो आपके सामने आ ही गया, लेकिन जो बात इन्होंने अभी कही कि पोकरण-फलसूंड, तो माननीय सदस्य ने शायद यहां आने से पहले इसकी पूरी जानकारी ली नहीं, किसी ने लिख दिया और इन्होंने यहां आकर पढ़ दिया। पोकरण-फलसूंड की योजना हम रिसिन्ड कर चुके हैं, आज के समय में वो ऑलरेडी रिसिन्डेड। ठेका समाप्त हो चुका है उसका। उसकी अनियमित्ता थी, जांच हुई, उसको क्लॉज 1 में, क्लॉज 2 में,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

क्लॉज 3 के अन्दर फाइनल नोटिस देकर उसको रिसिन्ड कर दिया।

इसी तरीके से जो हमारी जवाजा की योजना थी उस योजना को भी हमने रिसिन्ड किया। ये बार-बार यह कहते रहे कि इन्होंने इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की, तो यह जो कार्यवाही हुई है वो इनकी जानकारी अच्छे तरीके से ले लें, उसके बाद सदन के अन्दर अपनी बात को कहे। जानकारी लेते नहीं कि कार्यवाही क्या हुई है और अपने आप में कह रहे हैं कि कोई कार्यवाही नहीं, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जितनी कार्यवाही और जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, उसी का नतीजा है माननीय उपाध्यक्ष जी, कि आज जो इनके खलबली हो रही है न, यह भ्रष्टाचार जो चल रहा था, यह कांग्रेस उसकी जननी है। इस राज्य के अन्दर कांग्रेस पार्टी थी, सबसे ज्यादा जिन्होंने राज किया, 50 साल से ऊपर कांग्रेस ने राज किया और वह राज करके जो भ्रष्टाचार को पनपाया है वो इन लोगों ने पनपाया है माननीय उपाध्यक्ष जी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दूसरी जो बात इन्होंने कही, दौसा के अन्दर पेयजल के अन्दर करोड़ों रुपये का हुआ घोटाला। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जब मैं मंत्री बनी, नवम्बर, 2014 को जब मैंने चार्ज लिया और उस समय मेरे सामने यह प्रकरण आया कि लगभग 233 फाइलें ऐसी हैं जो फाइलें गायब हैं और जो ऑफिस में मिल ही नहीं रहीं। हमने उन 233 फाइलों की इन्क्वायरी की कि आखिर ये फाइलें कहां गईं। उसके लिए जिस तरीके से विषय को इन्होंने रखा, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 102 इश्यूज ऐसे थे जिनके ऊपर हमने जांच की, फाइलें हमें मिली। उसके बाद जांच हुई और जांच होने के पश्चात् जिनके खिलाफ कार्यवाही की वो श्री राजेश कुमार मीणा, श्री अरविन्द कुमार शर्मा, ये तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, खण्ड दौसा, इनको निलम्बित किया और श्री राजेश कुमार शर्मा और श्री हजारी लाल मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता खण्ड महुवा, इन सब लोगों को हमने निलम्बित किया। ये कहते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके लिए यह बताना चाहती हूं कि ये सारे प्रकरण इनके समय के हैं जिसकी जांच हुई, फाइलें गायब हो रखी थीं। यह सब उनके राज था और उस समय फाइलें गायब हुई थीं। ये 233 फाइलों को,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

गायब हुई फाइलों को किस तरीके से वहां पर, वहीं पर सारे अधिकारी, वहां के ठेकेदार, वो सब फाइलों को घरों में लेकर गये थे। एफ.आई.आर. लॉज करायी, फाइलें मंगवायी, उसके बाद जांच हुई और जांच होने के बाद में ये जो अधिशाषी अभियंता हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई और उसके अलावा हमने स्पेशल ऑडिट के लिए राज्य सरकार को भी लिख रखा है।

इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगी कि जो इनके खण्ड दौसा के अन्दर वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 जो इनके समय का, उसमें 121.50 करोड़ रुपये का बजट आबंटन था जो इन लोगों की एक पद्धति रही माननीय उपाध्यक्ष जी, कि जो बजट होता था उस बजट से कई गुना ज्यादा इस पर ये खर्च कर देते थे और जिसका कोई नाप-तौल नहीं होता था, कोई कार्यवाही नहीं होती थी, किसके पास कितने पावर हैं और कितने पावर को वह यूज कर रहा है? because of इनका प्रेशर जो रहता था वहां के अधिकारियों के ऊपर, उस प्रेशर से इन लोगों ने काम करवाया और वहां पर ये 121.50 करोड़ रुपये के काम के विरुद्ध इन्होंने बिना कोई बजट के 136.26 करोड़ रुपये का काम कराया जिसकी मैंने जांच कराई। वहां पर संवेदकों ने जो समयावधि में कार्य पूरा नहीं किया, उसके लिए हमने तीन करोड़ रुपये की एल.डी. लगाई। उसके अलावा जो डिफेक्ट लाइबिलिटी थी, उसमें भी इनकी सरकार ने उस ठेकेदार को फेवर करते हुए भुगतान कर दिया और पाँच साल तक उसको जो पैसा रिजर्व रखना था, जो उसकी डिपोजिट थी, वह नहीं रखी, उससे पहले ही रिलीज कर दिया। यह इनके कारनामे हैं, जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

यही नहीं, अब जो इन्होंने कहा कि माननीय मंत्रीजी दौरा करते थे। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं दौरा करती थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब ये कहते हैं कि दौरा क्यों करते थे? बड़ी हास्य की बात है कि अगर कोई मंत्री दौरा करे और मंत्री अगर सजग रहे उसके डिपार्टमेंट में और जाकर अनियमितता को देखें तो इसमें भी आपत्ति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इनकी पोल खुल रही है। हम दौरा करते थे तो पोल भी खुलती थी। मैं दौरे की पूरी लिस्ट सहित आपके सामने यहां पर कहना चाहती हूं कि मैंने संभाग स्तर के ऊपर मीटिंग्स ली। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मीटिंग्स

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ली। मैंने अंदर जाकर, प्रोजेक्ट्स की विजिट की ताकि उन प्रोजेक्ट को गति मिले और जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिये, बिना कोई बजट के, वह प्रोजेक्ट्स को सेंक्शन करके चले गये। 17,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनके कांग्रेस के कार्यकाल में बिना किसी बजट आवंटन के सेंक्शन कर दिया और वो ही कारण है कि ये प्रोजेक्ट्स बन नहीं पाये। ये सारी सूची है मेरे पास, जब-जब, जहां-जहां दौरे किये हैं और वह सबका काम करके हमने ये प्रूव किया कि हमने उस कार्य को प्रगति के ऊपर लाने के लिए किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इल्जाम लगाया और कहा कि यहां पर कुछ पाइप लाइन्स, जिन पाइप लाइन्स के लिए इन्होंने कहा कि इतनी पाइप लाइन डालनी थी टोंक-निवाई के अंदर और वह पाइप लाइन कम डाली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि बीसलपुर-टोंक-निवाई पेयजल परियोजना, जिसकी लागत 112.10 करोड़ रुपये थी तथा इस कार्य का कार्यादेश दिनांक 25.03.2013 मैसर्स एस.पी.एम.एल. को दिया गया कांग्रेस सरकार में और वह जब दिया गया तो इस परियोजना में पंपिंग पाइप लाइनों के लिए मैसर्स जिन्दल शॉ लिमिटेड की फैक्ट्री में परीक्षण किये हुए डीआई पाइप बिछाये गये। जब हमारे क्वालिटी कंट्रोल वालों ने गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक सैक्शनल टैस्टिंग किया। वह सैक्शनल टैस्टिंग के अंदर अनियमितता आई, 200 एमएम और 300 एमएम व्यास के चार डीआई पाइप लाइन परीक्षण में फेल हो गये थे और इन पाइपों की पुन: जांच हमने एमएनआईटी, जयपुर से करवाई। यहां पर भी वह पाइप गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस फर्म को फेल हुए पाइप का सम्पूर्ण लाट चैंज करने को कहा, लेकिन वो सिर्फ 1.3 किलोमीटर ही चेंज करना चाहता था। हमने कहा कि सम्पूर्ण लाट को आप चेंज करो और वह सम्पूर्ण लाट 13.31 किलोमीटर का चेंज करवाया। इन्होंने एक बात कही कि 13.31 किलोमीटर्स को चेंज करने के एवज में मात्र ढाई-तीन किलोमीटर ही चेंज किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ्लोर आफ द हाउस पर मैं यह कहना चाहूंगी कि इस फर्म द्वारा पूरे 13.31 किलोमीटर के पाइप बदलकर टैस्ट किये गये और अलग से एक समिति बनाकर उसके सप्लाई किये हुए सम्पूर्ण पाइप की

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इंजीनियर से जांच कराई। 15 सैम्पल्स लिये और उन सैम्पल्स को, प्रतिष्ठित स्वतंत्र जांच लैब, श्रीराम लैब, नई दिल्ली, जोकि सबसे मोस्ट क्रेडिबल कम्पनी है, उससे हमने जांच कराई और निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप उसके बाद में वह सही पाये गये और वहां पर लगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से बात को माननीय सदस्य घुमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सदन को, इसलिए सदन के सामने यह सारी बातें रखना बहुत जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कांट्रेक्ट इनके समय में हुआ जो दौसा, सीकर और अलवर का। यह बजट 2013-14 के अंदर हम लोगों ने इसको जब देखा, जब ये इन्होंने सेंक्शन किये थे, वह 403 सिंगल फेज के पम्प्स थे, उन 403 सिंगल फेज के पम्प्स सैंक्शन्ड, उसके अगैन्स्ट में इन्होंने 1,609 पम्प लगा दिये, जैसा मैंने कहा ना कि अनियमितता पग-पग पर की गई इनके राज में। यह सब कांग्रेस के समय की बानगियां हैं। हैण्ड पम्प जो 508 सेंक्शन थे, उसके अगैन्स्ट में 778 हैण्ड पम्प्स लगा दिये। हमने उसके बाद में यह कहा 1.6.2014 को कि यह सब जो सेंक्शन हुए हैं, उसके अंदर जो-जो भी ड्रिल नहीं हुए हैं, उन सबको कैंसिल करते हैं और एक आर्डर में हमने उन सबको कैंसिल किया। यह कहते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए बता रही हूं।

अब जो बात इन्होंने कही, यह कहा कि हमारे यहां पर हम लोगों ने क्या किया? हमने जो किया, वह आपके सामने है। आपने एक ओएसडी के संदर्भ में कहा। उसका भी पहले मैं जवाब दे दूं। जो इन्होंने बात कही कि यहां हमने पाइप लाइन जो लगाई, उस पाइप लाइन को गलत लगा दी, उसको फायदा पहुंचाने के लिए पाइप लाइन लगाई गई। यह फायदा पहुंचाने के लिए पाइप लाइन जो लगाते हैं, वह आप ही लोग लगाते हैं, हम लोग नहीं लगाते हैं। फायदा पहुंचाने के लिए पाइप लाइन लगाने में करोड़ों रुपयों का जो गोलमाल किया छह महीने में कांट्रेक्ट्स को और जो एस्टीमेट कोस्ट और एक्सेस कोस्ट में डेढ़ हजार करोड़ की वृद्धि मात्र 2-3 महीनों में की वह यह ही कर सकते हैं यह भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण है।

मैं आपके सामने यह कहना चाहूंगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इन्होंने ओएसडी और यह सारी बात कही। इसकी पूरी जांच करवाई। जो जांच करवाई, उस जांच के अंदर यह पाया गया कि जहां पर पाइप की पूरी स्कीम थी, उस स्कीम के अनुसार पाइप को डाला गया लेकिन ओएसडी के द्वारा जहां पाइप डालनी ही थी, वह शायद 20 दिन बाद डालनी थी, वह थोड़ा जल्दबाजी करके और वह पाइप डलवाई गई, वर्कआर्डर दिया लेकिन वर्कआर्डर पहुंचता, उससे पहले ही उन्होंने वहां पर जल्दबाजी में डलवाई। वह जो डलवाई, उसको हमने उखड़वाई। हमारे आफिस से उस ओएसडी को हमने रिलीव कर दिया। लेकिन वह कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था, वह किसी तरीके का कुछ नहीं था। यह सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र के अंदर किसी को ओएसडी बनाते हैं, किसी को कर्मचारी बनाते हैं, किसी को आफिस के अंदर काम संभलाते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और इसके अंदर यह कहना कि मंत्री का इसके अंदर इन्वाल्वमेंट है। मंत्री का इन्वाल्वमेंट होता तो मंत्री उस पाइप लाइन को क्यों उखड़वाने का आदेश देता? मैंने दिया उस पाइप लाइन को उखाड़ने का आदेश। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इनको पच नहीं रही है लेकिन यह बहुत साफ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी हमने इस डिपार्टमेंट में काम किया, वह पूरी ईमानदारी से काम किया और पूरी सजगता से काम किया। जहां-जहां पर भी हमारे सामने कोई भी अनियमितता आई तो उस अनियमितता के लिए हम लोगों ने तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही की, इसमें कोई शक नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय में इन्होंने जो ट्यूबवैल्स खोदे, वह 3,947 ट्यूबवैल्स को बोर किया, जिसके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं। और बस लोगों को गुमराह करने के लिए वह ट्यूबवैल्स खोदे लास्ट दो महीने के अंदर, जब इनकी सरकार जा रही थी, तब दो महीने के अंदर इन्होंने लगभग 4,000 ट्यूबवैल्स खोदकर चले गये, जिसका कोई बिजली कनेक्शन नहीं किया। हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने उनको बिजली से कनेक्ट किया। उसके बाद में ये सारे ट्यूबवैल काम मे आने लगे।

हम लोगों ने जो काम किये, माननीय पीएचईडी के मंत्रीजी, वह सब बतायेंगे अपने कटौती प्रस्ताव के भाषण में। लेकिन सुधार करने के लिए

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पीएचई डिपार्टमेंट जिस हालत के अंदर था, जितनी अनियमितताएं हो रही थीं, वह सब अनियमितताओं को जिस हद तक भी हम ठीक कर सकते थे, वह हमने करने का प्रयास किया। जो हमारे सामने बात आई, उसके ऊपर तुरंत हमने कार्यवाही की और हमने इसके अंदर पूरी तरीके से सजगता रखी। यह मैं दावे के साथ कह सकती हूं।

जो हमारे माननीय सदस्य जो बैटिंग कर रहे थे, वह बिना कोई तथ्य के आधारहीन और असत्य का पुलिंदा था, मैंने आपके सामने सारे तथ्य रखे, सारे फीगर्स रखे हैं और यूं सारे फीगर्स को देखते हुए इसको आप यह सदन अपने आपमें समझ लेंगे कि हम लोग किस तरीके से सजगता से डिपार्टमेंट को चलाना चाहते हैं। यह सरकार किस तरीके से सजग है।

इसलिए मैं माननीय सदस्य के लिए तो यही कहूंगी कि अब तो ये सारा सुनने के बाद उनके मन में यह बात आ रही होगी कि,

"बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय,

यह उनकी तरफ से कह रही हूं,

जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोय।"

वह माननीय सदस्य जिस तरीके से पूरे हाउस को मिसलीड कर रहे थे

(23.00 बजे)

जिस तरीके से पूरे हाउस में एक भ्रांति फैला रहे थे, समाज में एक भ्रांति फैलाने का काम भी इन्होंने किया, इसलिए मैंने आज यह सारे तथ्य इस हाउस में रखे जो रिकार्ड में आयेंगे और रिकार्ड पर आई हुई चीज है वह हमेशा जीवित रहती है। किसी के ऊपर खाली आरोप लगाना, यह बहुत गलत परम्पराएं शुरू की है। इस तरीके से बिना कोई तथ्य के माननीय सदस्य ने यहां जो बात कही है, उस बात को मैं पूर्ण रूप से खारिज करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप इसमें पूरी व्यवस्था दें कि यह जो 273 का नोटिस इन्होंने दिया है, वह नोटिस कहां सर्व हुआ, इसको निश्चित रूप से आप दिखवाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ। रूलिंग और रूल बिलकुल

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लीयर है There will be no debate on this. No opportunity will be given to anyone including the person who moved this motion under rule 273. It is out. जो आसन ने पहले आदेश दिया है, वह व्यवस्था रहेगी। 273 का यह वर्बेटम यों का यों फ्रीज रहेगा till the receipt being delivered to the Minister concerned is brought here and place before the House. That's it. मानिक चन्द जी सुराना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री उपाध्यक्ष: No. It is not a matter of record. अब विराज जाइए, It is nearly 11 'O' clock.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाएं सर, प्लीज। आसन के बगैर अनुमति से जो कुछ भी बात कही गई है, कोई अंकित नहीं होगी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुन: जल प्रदाय और सिंचाई की मांगों पर आपकी आज्ञा से बहस को आगे बढ़ाता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सिंचाई की मांग पर आता हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदया के बजट भाषण से मेरी बात को शुरू करता हूं। बजट भाषण 2017-18 के पैरा 139 में कहा गया है राज्य सरकार ने जल संरक्षण की दृष्टि से दूरगामी नीतिगत निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत भविष्य में बनाई जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति एवं फव्वारा पद्धति से सिंचाई अनिवार्य कर दी गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 70 साल के अनुभव के बाद जो सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय लिया, उसके लिये वह बहुत-बहुत बधाई की पात्र हैं। राजस्थान में जल की उपलब्धि 1.16 प्रतिशत है और प्रत्येक जल की बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पूरे सदन से निवेदन है कि जो निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पैरा 139 में घोषित किया है, वह निर्णय पुरानी सिंचाई की

योजनाओं पर भी लागू किया जाये। क्रमबद्ध तरीके से आने वाले पाँच साल की दृष्टि से उन निर्णयों को न सिर्फ इंदिरा गांधी नहर पर, मैं कहता हूं माही पर, चंबल पर, परवन पर, जितनी भी सिंचाई योजनाएं हैं, उनमें सिंचाई फव्वारा पद्धति से ही होनी चाहिये ताकि जल की महत्वपूर्ण बचत हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर में जो जल का विचरण है, वाटर अलाउंस है इंदिरा गांधी नहर में प्रथम फेज में 5.23 क्यूसेक, क्यूसेक का मतलब है एक हजार एकड में 5.23 क्यूसेक पानी दिया जाना। इंदिरा गांधी नहर फेज द्वितीय में 3 क्यूसेक। इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट क्षेत्र में 2 क्यूसेक। गंग नहर में 3 क्यूसेक। सिद्धमुख नहर में 2.97 क्यूसेक। भाखड़ा नहर में 3 क्यूसेक।

(23.04 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

सभापति जी, मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं..

श्री सभापति: कृपया शांति से सुने।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि वाटर अलाउंस गंग नहर गंगानगर में, भाखड़ा हनुमानगढ़ में और इंदिरा गांधी नहर तो पाँच-छह जिलों में से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जब पाँच-छह जिलों से निकलती है तो सैकिण्ड फेज में, यदि गंग नहर वाले 3 क्यूसेक पानी से एक हजार एकड़ में सिंचाई करते हैं, सिद्धमुख नहर वाले भी करते हैं, भांखड़ा नहर वाले भी 3 क्यूसेक से करते हैं, माननीय सभापति जी, मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि इंदिरा गांधी नहर द्वितीय फेज में 3 क्यूसेक है, इंदिरा गांधी नहर फेज में 5.23 क्यूसेक की जो अलाउंस है, इस वाटर अलाउंस को आज रिवाइज किये जाने की आवश्यकता है। मुझे ध्यान है मुख्य मंत्री महोदया ने 2005 में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र को 19.63 से घटाकर 16.17 किया था, यानी 3.46 लाख हैक्टेयर की कटौती पूरे क्षेत्र में की गई थी। अब 3.46 लाख हैक्टेयर में 6 लिफ्टों का क्षेत्र है जिसमें 1.90 लाख हैक्टेयर की कटौती की गई। 1.90 लाख 6 लिफ्टों में और 6 लिफ्टों में सबसे बड़ी कटौती कुम्भाराम लिफ्ट में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की गई, जिसका क्षेत्रफल 2.40 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र था, उसमें 1 लाख 38 हजार की कटौती कर दी गई और वह सिर्फ 1 लाख 2 हजार हैक्टेयर रह गई। मेरा निवेदन है कि इस बात पर मंत्रीजी गौर करें, सदन गौर करे, राज्य सरकार गौर करें कि 6 लिफ्टों के एरिया में कुम्भाराम का लिफ्ट एरिया 1.38 घटता है और 52 हजार हैक्टेयर 4-5 लिफ्टों में घटता है। खैर, कुल मिलाकर 1 लाख 90 हजार की कटौती हुई है। द्वितीय चरण के क्षेत्र में1.56 लाख की कटौती हुई है।

सभापति जी, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नई योजनाओं में 2 क्यूसेक का पानी फव्वारा पद्धति से निर्धारित कर दिया, मेरा निवेदन है कि फर्स्ट फेज में 3 क्यूसेक पानी जो गंग नहर ले रहा है, जो भाखड़ा नहर ले रही है, सिद्धमुख नहर में 2.97 है तो प्रथम फेज में भी आप 3 क्यूसेक पानी फव्वारा पद्धति से लागू करें। फव्वारा पद्धति का कितना खर्चा होगा, सभापति जी? उसका कुल खर्चा है एक एकड़ में 60 हजार रुपये तो जहां आप फव्वारा पद्धति लगायेंगे, वहां खर्च होना है और जहां नहर बननी है वहां 40 हजार रुपया प्रति एकड़ खर्च होगा। कुल एक लाख रुपया एक एकड़ में फव्वारा पद्धति लगाने में और फव्वारा पद्धति से बचे हुए पानी को जो क्षेत्र पानी से कटे हैं, उनमें वापस नहर बनाना, उसका खर्चा है। मेरा निवेदन है, 5 लाख 46 हैक्टेयर जो प्रथम फेज का है, मैं किसी भी किसान भाई के सिंचिंत क्षेत्र में या उसकी सिंचित पानी की व्यवस्था में बिना व्यवधान किये, राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि आप पाँच साल का प्लान बनाइये। 75 हजार हैक्टेयर प्रति वर्ष फर्स्ट फेज में डिग्गियां, फव्वारे लगाइये राजकीय खर्चे से और जो क्षेत्र कटा है 3.46 हैक्टेयर, उसको आने वाले पाँच साल में, जिसको आपने कमांड में लिया था, जो एरिया कमांड में घोषित था, उसको वापस कमांड में लाने की कृपा करें।

श्री सभापति: एक मिनट माननीय सदस्य।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं 1956 में यह गड़रा रोड जाने के लिये बना था, यह लूणकरणसर आ गई, चूरू आ गई, सरदारशहर आ गई, कितना घाटा उसके कारण से हुआ, कितनी जमीन पीनी थी और लिफ्ट के कारण से कितनी कम हो गई, माननीय सदस्य यह भी बता दें।

श्री सभापति: हां, आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं मेरी बात अपने ढंग से कहूंगा और अन्य साथियों को, अन्य माननीय सदस्यों को, साथी यहां कोई नहीं है We are all Hon'ble Members of the House.

तो माननीय सदस्य को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सिर्फ 2017-18 में ही महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की एक घोषणा, अब आप ध्यान करें।

मैं अर्ज कर रहा हूं कि 5 लाख 46 हजार हैक्टेयर में 75-75 हजार पाँच साल तक आप फव्वारा पद्धति से डवलप करें तो निश्चित रूप से 5 लाख 46 हैक्टेयर में 2 क्यूसेक बचे। मैं 2.23 नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 2 ही क्यूसेक बचे तो 5 लाख 46 हजार हैक्टेयर में फव्वारा पद्धति से दो क्यूसेक सैकिंड फेज में और जो लिफ्टें हैं उनके अन्दर पाँच साल में वापस जो 3.46 लाख हैक्टेयर कटा है वो साफ-साफ वापस कमांड के क्षेत्र में आता है।

सभापति जी, लिफ्टों के लोग आंदोलित हैं। कुंभाराम लिफ्ट जिसका सर्वाधिक पानी कटा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लिफ्ट क्षेत्र को देख लें, लिफ्ट क्षेत्र में जो कटौती हुई है वो सिर्फ 36 परसेंट की हुई है ओवरऑल सभी लिफ्टों का सिंचित क्षेत्र जोड़ लें तो 3.46 लाख की कटौती, 36 परसेंट कटौती और कुम्भाराम लिफ्ट में माननीय सभापति जी, उसकी कटौती 57 परसेंट। मैं कहना चाहूंगा कि यह साढ़े इक्कीस परसेंट जो अधिक कटौती है, गजनेर में तो 4 हजार हैक्टेयर कटा है, कोलायत में 16 हजार हैक्टेयर कटा है, फलौदी में 28 हजार हैक्टेयर कटा है, पोकरण में कोई 6 हजार हैक्टेयर कटा है तो ये जो 52 हजार हैक्टेयर चार लिफ्टों में कटा हैं और मेरी ये जो कुंभाराम लिफ्ट मेरे क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। सभापति जी, 11 गांव मेरे लूणकरणसर क्षेत्र के, 18 गांव सरदारशहर क्षेत्र के और 13 गांव नोहर क्षेत्र के, ऐसे करके ये 42 गांव हैं 18 और 13 = 31 और 11 = 42 गांव जिनमें मेरे क्षेत्र की चार पंचायतें हैं जैतपुर, सूई, ढाणी पांडूसर और शेखसर, ये चार पंचायतों के 11 गांव हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2005 में आपने जब पानी काटा तो वो पानी तो दबाव में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कटा। रावला घड़साना के किसानों के दबाव में पानी कट गया। 2005 तो 2005 था, आज तो हम 2017 में हैं और 2017 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि भविष्य में जितनी योजनाएं बनेंगी वो दो फीसदी पर बनेगी और उसमें फव्वारा पद्धति से ही सिंचाई की जाएगी। मेरा निवेदन है कि ...।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): आप रावला घड़साना का पानी कम करने के लिए क्यों कह रहे हो?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अभी आप अपनी बात कहना न।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): रावला घड़साना में तो ट्यूबवैल वगैरह कुछ नहीं है, वहां पर तो एक भी बूंद कम नहीं कर सकते आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): खैर, रावला घड़साना में आंदोलन हुआ। 2005 में जो पानी सैकिंड फेज का कटा, लिफ्टों का कटा, वो उनके दबाव में ही कटा। मैं साफ कहना चाहता हूं। आज बात दूसरी है 12 साल हो गये। राजस्थान में पानी का अभाव है। राजस्थान की एक-एक बूंद को बचाना है। आज यदि 5 लाख 46 हजार हैक्टेयर में 3.23 क्यूसेक भी दिया जाए तो दूसरे 5 लाख 46 हजार हैक्टेयर में सिंचाई का पानी दिया जा सकता है। जो क्षेत्र कटा है वो 3.46 लाख है माननीय गृह मंत्रीजी, तो 3.46 लाख हैक्टेयर में चार साल में आप 75-75 हजार हैक्टेयर करें तो निश्चित रूप से जो एरिया कमांड में था और अब अनकमांड हो गया 2005 में, उसमें वापस आने वाले पाँच साल में सिंचाई का पानी मिल सकता है। वो कमांड में था ध्यान करें।

सिंगरासर में आंदोलन हो रहा है। पाँच हजार लोग बैठे हैं धरने पर, पर सिंगरासर तो अनकमांड में है। कभी भी कमांड घोषित नहीं हुआ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कमांड घोषित है आप 3.46 लाख तो उसको पानी दीजिये। सिंगरासर को पानी दे दीजिये, बचा हुआ 2 लाख हैक्टेयर नया है उसमें दीजिये और सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा आपको कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 2016-17 में कहा है मैं इसलिए पढ़ूंगा सभापति जी, ताकि संदर्भ, मैं समझ रहा हूं बात को। आप यह देखें कि मैं कोई ऐसे विषय पर नहीं बोल रहा हूं जो विषय, यह पचास हजार नहीं, एक लाख किसानों से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

संबंधित है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है पैरा-101, 2016-17 का बजट, इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान वाटर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरियाज और जिसमें पानी आएगा रावी, व्यास, सतलुज और घग्घर नदियों के बाढ़ के रूप में बहने वाले अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए इंदिरा गांधी नहर प्रणाली का रीस्ट्रक्चर कर राजस्थान वाटर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरियाज में चलाया जाएगा। सभापति जी, 3264 करोड़ रुपये उसके रखे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि इससे 1 लाख 81 हजार नये हैक्टेयर में पानी दिया जा सकेगा। जो पानी बचेगा, वो 1 लाख 81 हजार हैक्टेयर में दिया जा सकेगा और उसमें उन्होंने चिह्नित किया है आठ जिले और आठ जिलों में मैं पाँच जिले वो बोलता हूं जो अभी इस द्वितीय चरण में और लिफ्ट में है। चूरू है, सबसे ज्यादा कटौती कुंभाराम लिफ्ट में हुई है। कुंभाराम लिफ्ट है ही चूरू में। बीकानेर में हुई है। हनुमानगढ़ में हुई है। आखिर तो नोहर का क्षेत्र हनुमानगढ़ का क्षेत्र है।

श्री सभापति: थोड़ा संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ...(व्यवधान)... पोकरण लिफ्ट जैसलमेर की है। पाँच जिले हम हैं, इनके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि 1 लाख 81 हजार हैक्टेयर में पानी दिया जा सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि आप तो भले ही आठों में ही बांट दो। मैं नहीं कहता कि गंगानगर को मत दो, फलां को मत दो। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखा उन आठों को दो। 23 हजार हैक्टेयर पानी प्रत्येक गांव को मिलता है और हम पाँच जिले हैं तो पाँच जिलों में कम से कम, हरेक में 23 हजार मिलता है तो 23X5, 1 लाख 15 हजार हैक्टेयर का पानी तो जो आप सतलुज, रावी, व्यास में जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं डेजर्ट एरियाज के लिए, हम तो डेजर्ट में हैं ही इसमें कोई विवाद थोड़ी है, ये पांचों जिले डेजर्ट में हैं। गंगानगर अब है या नहीं वो अलग मुद्दा है पर मुझे अनावश्यक मुद्दा नहीं उठाना है। मैं कह रहा हूं, हमको तो 1 लाख 15 हजार हैक्टेयर दो और हमारा जो एरिया 1 लाख 38 हजार कटा है उसमें चलिये अभी आप 1 लाख 15 हजार हैक्टेयर में ही पानी दीजिये।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय सभापति जी, जनता आंदोलित है। भाजपा का मास होल्ड है, इस सारे क्षेत्र में जो नहर चलती है भाजपा के अस्सी परसेंट विधायक, मंत्रीगण भी हैं और आप जो जल स्वावलंबन की बात कर रहे हैं मैं कहता हूं कि इससे बड़ा जल स्वावलंबन क्या होगा कि वापस उनको फर्स्ट फेज में 3.23 क्यूसेक पानी दिया जाए और पाँच साल की योजना बना कर और हमारे कमांड में थे हमारे क्षेत्र, उनको अनकमांड किया गया। पोकरण है, फलौदी है, कोलायत है, बीकानेर है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पूरा करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बस तीन मिनट, माननीय सभापति जी।

श्री सभापति: आधी रात ढल रही है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं कनक्लूड कर रहा हूं। तीन मिनट। मेरा निवेदन है कि सबसे पहले शेखसर में मीटिंग हुई है इसकी। शेखसर मेरे क्षेत्र में है, सूई मेरे क्षेत्र में है, मालासर नोहर के क्षेत्र में है और सावर सरदारशहर के क्षेत्र में है। मेरा निवेदन है कि तीनों जिलों की जनता आंदोलित है। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि सूई ब्रांच को, जो पैंतालीस किलोमीटर है, उसमें से पच्चीस बन गयी, बीस और बनाइये और बीस बनाकर ये हमारे 42 गांवों को पानी दीजिये और जो मैंने आपसे प्रस्ताव किया, मैंने बहुत सद्भावना से किया है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक सैकिण्ड। बात को तरीके से खतम तो करने दीजिये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार यह न समझे कि आज आंदोलन चार बड़े गांवों में हुआ और हर जगह 6-6,7-7 हजार आदमी आये। बीकानेर में होने वाला है जिला हैडक्वार्टर पर। चूरू के जिला हैडक्वार्टर पर होने वाला है। हनुमानगढ़ के जिला हैडक्वार्टर पर भी होने वाला है। मेरा निवेदन है कि अनावश्यक रूप से इस आंदोलन को आगे न बढ़ने दिया जाए और समय रहते ही फर्स्ट फेज के 3.23 क्यूसेक करके और वो पानी हमारी सूई ब्रांच में दिया जाए और सूई ब्रांच में नहीं, मैं कहता हूं कि पाँच साल में पूरे अनकमांड क्षेत्र में जो 3.46 कटा है चाहे कोलायत का,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चाहे गजनेर का, चाहे फलौदी का, चाहे पोकरण का, उन सबको पानी मिले। मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है। इस निवेदन के साथ मैं मेरी बात को खतम करता हूं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हीरालाल जी नागर।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, थोड़ी समय-सीमा तय कर दी जाए तो हम सबके हित में रहेगा। बुजुर्ग आदमियों को तो नींद कम आती है, लेकिन जवान आदमियों को नींद आती है, उसका भी खयाल रखें।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सदस्य, यह समय सीमा पीछे वालों के लिए है या आगे वालों के लिए भी है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आगे वालों के लिए कोई नियम नहीं लगता, पीछे वालों के लिए लगता है नियम तो।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य फटाफट देवें। समय जा रहा है।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम मांग संख्या-27 और 46 पर विचार कर रहे हैं और मुझे इस पर कहना है कि हमारी भौगोलिक स्थिति और इस प्रदेश के बारे में सभी सदस्यों ने मेरे से पूर्व विस्तार से चर्चा की। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी आजादी के 70 साल बाद अधिकतर समय कांग्रेस के शासन में हमारा प्रदेश और देश रहा है। जो दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे देश के लिए परियोजना बनाने में, पानी का उपयोग करने में या योजनाएं बनाने में हो, वे निश्चित रूप से होनी चाहिए। वह अधिकतर शासन करने वाली कांग्रेस की सरकार में कम रही है। मैं हमारी मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जल स्वावलंबन जैसे कार्य को हाथ में लिया और इस प्रदेश में उसके महत्व को समझा और उसके लिए देश में ही नहीं, विदेशों से भी हमारे यहां इस जल स्वावलंबन को समझने लोग आ रहे हैं।

आज इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं हाड़ौती से आता हूं

(श्री हीरालाल नागर)

और हाड़ौती नदियों के लिए, जो वहां से बहकर जाती है, चाहे वह परवन हो, चाहे वह कालींसिंध हो, चंबल हो, पार्वती हो, उजाड़ हो, इतनी अपार नदियां हैं, लेकिन आज तक उस हाड़ौती में परियोजनाएं नहीं बनीं और उसका कारण यह रहा है कि कांग्रेस ने वहां पर कोई काम नहीं किया। हमारी मुख्य मंत्री ने जब 2003 से 2008 का राज था। मुख्य मंत्री बनी तो उन्होंने परवन परियोजना की एक योजना बनाई और उन्होंने उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने देखा कि यहां के किसानों की समस्या है, तो वह परियोजना बनकर गई और वह 2300 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई। उस योजना पर आज टेंडर हो रहे हैं। उसका काम चालू होने वाला है और वहां कांग्रेस ने वोट की फसल काटने के लिए पिछले कार्यकाल में केवल उस योजना का पत्थर लगाकर वोट लेने का प्रयास किया। कांग्रेस के पिछले कार्यकाल की यह बहुत बड़ी नीति रही है। कांग्रेसियों को किसी ने सलाह दी कि आप जितने भी पत्थर लगाओगे, वहां से आपको निश्चित रूप से वोट मिलेंगे लेकिन इन्होंने घोषणाएं की, पत्थर लगाए। कभी उन योजनाओं पर काम नहीं किया और उसका नतीजा रहा कि जहां-जहां पर भी इन्होंने केवल घोषणाएँ कीं, वहां सब जगह से कांग्रेस को भारी पराजय देखने को मिली है। आज हमारी मुख्य मंत्री ने इस परवन परियोजना पर काम करके और इसका आने वाले समय में, हमारे पिछले बजट में 700 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। उसका खर्चा हो चुका है और वर्तमान बजट में भी एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा है।

माननीय सभापति महोदय, 1 लाख 31 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित करने की जो योजना थी, माननीय मुख्य मंत्री ने इसको बढ़ाकर 2.6 लाख हैक्टेयर किया है, जिससे इसकी लागत अब 8 हजार करोड़ रुपए की आएगी और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए इसकी स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा है, हाड़ौती के किसानों के लिए यह बहुत बड़ी महती परियोजना है और मुख्य मंत्री का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक हजार गाँवों को पेयजल मिलेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के भी सम्पूर्ण गांव, जो चंबल प्रोजेक्ट और सावनभादो प्रोजेक्ट या अन्य सिंचाई परियोजनाओं से वंचित हैं, उन समस्त वंचित गाँवों को इस परियोजना से

(श्री हीरालाल नागर)

पेयजल भी मिलेगा और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस पर अभी हाल ही में जो स्टे आ गया था, परवन परियोजना पर एन.जी.टी. का, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे अधिकारियों ने प्रयास करके एन.जी.टी. भोपाल से इस स्टे को कल ही वेकेट करवाया है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी कनवास तहसील है। कनवास तहसील में पठारी क्षेत्र से जो पानी बहकर आता है, वह हमारे 15-20 गाँवों को प्रभावित करता है। गांव जल-मग्न हो जाते हैं। मेरी मांग है कि उस पठारी क्षेत्र से बहकर आने वाले पानी का डायवर्जन करके एक डायवर्जन चैनल बना दिया जाए तो इन बीस गाँवों की फसल को बचाया जा सकेगा और मेरे क्षेत्र में ही एक हिंगीका एनीकट है, जो उजाड़ नदी पर है। उसका भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर प्रस्ताव भेजा हुआ है। वह स्वीकृत हो जाता है तो निश्चित रूप से काफी क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी चंद्रावला में एक एनीकट बनाकर पानी का डायवर्जन कर दिया जाए तो कम-से-कम 1500 एकड़ के क्षेत्रफल को उससे पानी मिलेगा, जिससे किसानों को बहुत बड़ी सुविधा होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चंबल परियोजना है। मंत्री महोदय, चंबल सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने गए थे और उस परियोजना पर जो रिनोवेशन का कार्य चल रहा था, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था और मंत्री महोदय ने उसका निरीक्षण करके और जो घटिया काम हो रहा था, उस पर रोक लगाई। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो 1274 करोड़ रुपये का रिनोवेशन का काम है, उसमें अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और उस पर रोक लगी है। अब उसके शीघ्रातिशीघ्र नए टेंडर कराकर जो भी ठेकेदार हैं, उनसे जल्दी काम करवाया जाए तो निश्चित रूप से इससे क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

मेरे क्षेत्र में एक लिफ्ट परियोजना है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो चंबल की परियोजना है, कोटा के आसपास के शहरी क्षेत्र का विस्तार होने से कम-से-कम चार हजार हैक्टेयर में हमारा डिकमांड हो गया है। वहां

(श्री हीरालाल नागर)

कालोनियां बस गई हैं। उन बसी हुई कालोनियों से जो पानी बचता है, उससे हमारे जो लिफ्ट के ब्लॉक हैं, वहां नई लिफ्ट सिंचित की जाए ताकि डार्क जोन के गाँवों को उस लिफ्ट योजना से पानी मिल सके तो निश्चित रूप से वह सिंचाई के लिए साधन होगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, पाँच मिनट भी नहीं हुए। मैं अब सीधा पेयजल पर बोलना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में एक वृहत पेयजल परियोजना, जिसको इसी कार्यकाल में डी.पी.आर. बनाकर भेजी गई है, वह हरिपुरा मांझी पेयजल योजना है, जो कि 207 गाँवों और 52 मजरों को पानी देगी। उस परियोजना को स्वीकृत किया जाता है और बजट में शामिल किया जाता है तो निश्चित रूप से तीन विधान सभा क्षेत्रों को उससे पेयजल मिलेगा और बहुत बड़ा लाभ उस क्षेत्र में पूरे कोटा जिले के विधान सभा क्षेत्रों को होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ परियोजनाएं हैं, उन्हें स्वीकृति के लिए मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि देवली मेरे क्षेत्र की एक योजना है, जो पूर्व जलदाय मंत्री महोदया की स्वयं की घोषणा में शामिल है और वे स्वयं वहां गई थी और घोषणा करके आई थी। अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक खजूरी-धोटी आदर्श परियोजना है। मोड़कलां मुख्य मंत्री ग्राम योजना है और आवां पाइप स्कीम है, खूजरना-जालिमपुरा में मेरे यहां पर टैंकर चलते हैं। इन योजनाओं को स्वीकृत किया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मेरे क्षेत्र के लोगों को पेयजल का मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नवनीत लाल जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मुझे आपके मार्फत माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सुबह पाँच तक मोर्निंग-टी और सब चीजों की व्यवस्था कर दी है इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं। सभापति महोदय, मैंने कैंटीन वालों को भी यह निर्देश दे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
दिए हैं कि वे लगातार रहेंगे और मैं समझता हूं कि सुबह पाँच बजे भी अगर माननीय सदस्य यहां रहेंगे, उनके लिए मोर्निंग-टी और सब तरह का इंतजाम कर दिया। इसलिए सभापति महोदय, आप आराम से सबको बोलने का अवसर दें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बहुत खूब मंत्री महोदय।

श्री सभापति: नवनीत लाल जी।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने बड़े इंतजार के बाद बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको आदर। मांग संख्या-27 पेयजल, मांग संख्या-47 सिंचाई, पर बोलने व सुझाव देने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको आदर।

माननीय सभापति महोदय, पानी नहीं होता तो संसार में प्राणी मात्र नहीं होता, यह वैज्ञानिक कहते हैं। संत साधु कहते हैं कि कि भगवान सूर्य से बुधवार आठम के रोज पृथ्वी का टुकड़ा सूर्य से अलग हुआ व आग के रूप में गोले की तरह तपता रहा। धीरे-धीरे सूर्य का चक्कर काटता हुआ ठंडा हुआ व धुआं निकलने लगा व भाप के रूप में पानी की पैदाइश हुई। सभापति महोदय, हमें जो दिखाई देता है वह सब पनप रहा है, वह सब पानी की माया है, चाहे पत्थर हो या अग्नि हो।

मान्यवर, मुख्य मंत्री महोदया द्वारा सुराज यात्रा के समय पूरे राजस्थान का दौरा करके जानकारी ली गई कि कहां पानी है, कहां हैंडपम्प है, कहां कुएं हैं। इस प्रकार की जानकारी लेकर पेयजल योजना व राजस्थान के अंदर किस तरह से व्यवस्था की जाए, सारा निर्णय लिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वाटर शैड का निर्माण कराया जाकर बहता पानी रोककर, कुओं में रिसाव बढ़ाया गया है जिससे मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं मान्य मुख्य मंत्री महोदया व माननीय जलदाय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। अभी हाल ही हैंडपम्प व बोरिंग लगाए जा रहे हैं। वाटर शैड व एनीकट का निर्माण कराया जाए क्योंकि हैंडपम्प व बोरिंग गहरा कराने से कुओं में पानी सूखता जा रहा है, इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है।

श्री सभापति: अब रात भी ढलती जा रही है।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, मेरे एरिया में....

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, जो 50 साल के अंदर के हैं उनको तो छुट्टी दे दो। बुजुर्गों को यही रहने दो रात भर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): आप क्या करोंगे जी? आप छुट्टी क्यों मांग रहे हो, आप क्या करोगे?

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मेरे क्षेत्र में एल एंड टी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के द्वारा पेयजल योजना का कार्य चालू किया गया है। माही बाँध से जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति छोटी सरवन, तलवाड़ा तथा जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट के 334 गांव और उसकी ढ़ाणियों में पेयजल व्यवस्था परियोजना राशि रुपये 560 करोड़ कम्पनी को दिया गया है। मान्यवर, मेरा ऐसा आग्रह है कि इस कम्पनी के द्वारा 30.52013 को राशि रुपये 425 करोड़ अदा की गई जिसका दिनांक 30.5.2013 को काम शुरू करना चाहिए था, वह दिनांक 19.9.2013 की बैठक के अनुसार 560 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

मान्यवर, पंचायत समिति बांसवाड़ा के 101 गांव आभापुरा क्षेत्र का, पंचायत समिति छोटी सरवन के 92 गांव, बांसवाड़ा पंचायत समिति के 39 गांव, इस तरह से 232 गांव जिला बांसवाड़ा के, जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट के 102 गांव। इस तरह से 334 गांवों की यह पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है। एल एंड टी कम्पनी के द्वारा करोड़ों रुपया दिए जाने के बाद भी मौके पर अभी तक पेयजल योजना प्रारम्भ नहीं हुई है। पीपलखूंट के क्षेत्र छोटी सरवन के क्षेत्र में...

श्री सभापति: मंत्री महोदय ने आपकी सारी मांग सुन ली।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): वहां सूखा एरिया है। वहां गत वर्ष टैंकरों के द्वारा पानी पिलाया गया था, उन टैंकर वालों का अभी भी पैसा बाकी है। अभी फिर टैंकर लगाने का समय आ गया है। वह कम्पनी धीरे काम कर रही है। पेयजल मिनिस्टर साहब से मेरा आग्रह है कि जांच कराई जाए। धीमी गति से काम चलाने के क्या कारण है। मेरा ऐसा आग्रह है कि कम्पनी अधिकारियों की जांच कराई जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। पूरा करें।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, मांग 46 पर मेरा ऐसा आग्रह है...

श्री सभापति: सब मान लेते हैं। आज समय काफी हो गया है।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): बांसवाड़ा जिले में माही डेम नाम का तालाब गुजरात व राजस्थान की सरकार से मिलकर 1966 में समझौता करके डेम बनाया गया है। उस डेम की जो नहरें बनाई गई हैं, करीब 20-25 साल हो गए, वह नहरें टूट फूट गई हैं। मेरा ऐसा आग्रह है कि इन नहरों की मरम्मत किए बिना, माही डेम का पानी निकाला जा रहा है, 40 टीएमसी पानी दिए जाने का राजस्थान और गुजरात का समझौता हुआ था। अभी 40 टीएमसी का....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी सारी बात मंत्री महोदय ने सुन ली है।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): नहरों के अभाव में पूरा पानी गुजरात को ही जा रहा है।

श्री सभापति: पूरा पानी गुजरात को मत जाने देना।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): नहरें अव्यवस्थित हैं, इसलिए माननीय सिंचाई मंत्री महोदय जी से मेरा आग्रह है कि बाकी की नहरें व्यवस्थित कराई जाएं।

श्री सभापति: अब विराजें।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): दांईं मुख्य नहर प्रणाली के 35 हजार 940 हैक्टेयर जमीन पीवत होती है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): बायीं मुख्य नहर प्रणाली में 40 हजार 570 हैक्टेयर जमीन पीयत होती है ...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): दो मिनट का समय और दो। बुजुर्ग आदमी है, सम्माननीय सदस्य हैं। बोलने दो पाँच मिनट और।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): भूंगड़ा नहर की 3 हजार 490 हैक्टेयर जमीन पीवत होती है। इसी तरह से भीखा भाई नहर से 46,956 हैक्टेयर। इस तरह से वहां का...

श्री सभापति: अब विराजें।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): 46 हजार 956 हैक्टेयर जमीन में पानी पीयत होती है। माननीय अशोक गहलोत मुख्य मंत्री थे, उस वक्त माही डेम का मैन आफिस था उस आफिस को तोड़ दिया गया है। उस आफिस को तोड़ देने से यहां पर कई प्रकार की जन समस्याएं पैदा हो गईं। आज डेम में पानी होने के बावजूद मौक़े पर नहरों में पानी नहीं जा रहा है। इसलिए मौक़े पर आज की तारीख में किसानों की मक्का की फसल सूख रही है।

श्री सभापति: धन्यवाद। अब विराजें आप। माननीय सदस्य, अमृतलाल जी।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): नहरों को बनाने के लिए...

श्री सभापति: अब विराजें।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में माही डेम के बायीं तरफ ही नहरें निकाली गई हैं। मान्यवर, मुझे समय दें। दो मिनट का समय दे दें।

श्री सभापति: विराजें, विराजें आप।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): दो मिनट का समय दे दें मुझे। मेरा ऐसा आग्रह है कि माही डेम के बायीं तरफ नहर निकालकर दायीं और बायीं नहर नाम दिया गया है। माही डेम के दायीं तरफ नहर नहीं निकाली गई है। वहां पर नहर के सर्वे के लिए 2006 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा आदेश किया गया था कि उस नहर को निकालने से पीपलखूंट, जैथलिया, सोबनिया, कूपड़ा, टामटीया, नाल चौकी, बोरी पी, मोरवानिया, धारणा, दांता, महुडीखेड़ा, केलामेला, ढेचला, भे, नलड़ा, सागबारी, चौकी, दतियार, पण्डावा, इन 19 गांवों की 12424 बीघा जमीन सिंचित होनी चाहिए थी।

श्री सभापति: अब विराजे। माननीय सदस्य, समाप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अशोक गहलोत की सरकार ने, वह रिकार्ड पूरा दबा दिया गया है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि उस फाइल को निकाला जाए। पीपलखूंट की नहर को वापस शुरू कराया जाए। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इनकी आप

(श्री नवनीत लाल)

जांच कराए। यही बात कहकर, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय भारत।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27-पेयजल और 46-सिंचाई, नहरों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जयसमन्द झील बहुत बड़ी झील है। उससे निकलने वाली तीन सौ, साढ़े चार सौ किलोमीटर की नहरें हैं। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपके पास नहरें सुदृढ़ीकरण के लिये 135 करोड़ रुपये का प्रपोजल आया है। उसको स्वीकृत किया जाये।

इसके साथ ही उसकी जितनी भी मुख्य नहरें, माइनरें, छोटी नहरें, धोरे हैं उनको सुदृढ़ किया जाये। क्योंकि वहां किसानों की पूरी खेती खराब हो रही है। 60-70 साल पुरानी नहरें हैं।

दूसरा डाया डैम है, उसका भी दो नदियों पर, एक एनीकट बना करके उसका पानी डाया डैम में सिंगड़वाड़ा के पास एनीकट बना करके डाया डैम में डाला जाये।

तीसरे, हरचन्द की जो चारों नहरें हैं, उनका भी निर्माण किया जाये। थुरघांटी को दो मीटर ऊँचा किया जाये। लोंदा का पानी सेमारी में डाला जाये।

अब कुछ पेयजल की बात है। माही का ओवरफ्लो पानी नांगलिया डैम में डाला जाये और जाखम का ओवर-फ्लो पानी ग्रेविटी से जयसमंद में डाल करके माही बेसिन में इसको शामिल किया जाये। 72 गांव सलूम्बर विधान सभा के और 21 गांव लसाड़िया के, 93 गांवों के पीने के लिये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाये। इसका प्रपोजल, 2015 से मैं लगातार मांग कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इसकी आप घोषणा करेंगे। यही मेरा कहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री जय नारायणजी पूनिया। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, बैठे-बैठे ऐसे नहीं।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मांग 27-पेयजल योजना, और 46-सिंचाई परियोजना, मेरे इलाके की दो महत्वपूर्ण

(श्री जय नारायण पूनियां)

योजनाएं यही हैं। मेरा क्षेत्र इन्हीं दो पर डिपेण्ड करता है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में कहना चाहता हूं। पहले तो यह है कि तारानगर की पेयजल योजना लड़खड़ा गई है। 17 क्लस्टर में इसको निर्धारित करके सारे क्षेत्र को और पानी देने की योजना को सप्लाई करने का प्लान था। आज 17 क्लस्टर में सब जगह गड़बड़ हो गई है। इसका पूरा ढांचा चरमरा गया है। ये नये सिरे से बनानी पड़ेंगी। इसके लिये बहुत बार प्रस्ताव भेजे गये हैं। अधिकारियों ने सारी समस्याओं का समाधान करने के लिये समय-समय के ऊपर प्रस्ताव भेज रखे हैं लेकिन वे सब यहां हैड-क्वार्टर के ऊपर पड़े हैं। आज तक उनमें से किसी के ऊपर भी अमल नहीं किया गया है। इसलिये यह और बिगड़ती जा रही है। मेरा यह कहना है कि यह ऐसी योजना बन गई है जिससे पानी समय पर नहीं पहुंचता है, पूरा नहीं पहुंचता है। कभी-कभी तो बहुत दिनों के बाद पहुंचता है। सब जगह यह हालत हो गई है। प्रेशर नहीं बनता। प्रेशर नहीं बनने से सही जगह पानी नहीं पहुंच सकता। कई गांव ऊंचे में बसे हुए हैं। किसी का भाग नीचा है, किसी का ऊँचा है। वहां पानी की सप्लाई करने का सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ है। मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से कि उन सारी योजनाओं के ऊपर पुनर्विचार करके सही करने की कोशिश करें। आप लोगों ने यह योजना तो बना दी। बनाने के बाद इसको भूल गये। समय-समय पर इसके अन्दर सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिये थी, सम्भालना चाहिये था। जहां कोई कमी हो उसको पूरा करना चाहिये था। जहां आबादी बढ़ गई हो उसके अन्दर तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। वह भी नहीं बढ़ाई गई। एक पाइप लाइन में जहां सौ कनेक्शन देने थे वहां डेढ़ सौ पहुंच गये तो उसकी कैपेसिटी खतम। वहां पर पानी का प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर न बनने से पानी मौहल्लों में नहीं जाता। यह व्यवस्था सारी चरमराई हुई है। इसलिये इस स्कीम के बारे में पुनर्विचार करके इसको कम्पलीट करना पड़ेगा। वरना यह योजना खतरे में चली गई है।

मैं एक बात और कहता हूं कि दस गांव ऐसे हैं जो चार हजार की आबादी से ऊंचे हैं। इनके अन्दर घर-घर टूंटी देने की स्कीम की जाये। यह गवर्नमेंट की मंशा भी है और प्रस्ताव भी बनाये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य गम्भीरता से सुनें।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): मैं एक चीज सिंचाई के बारे में भी कहना चाहता हूं। चूरू जिले की यह एक मात्र सिंचाई योजना है। इसका पानी, जैसे लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि पानी सारा काट लिया। अब जो बचा है वह पानी पूरे जिले को सप्लाई किया गया है। इस नहर को तो पूरा करो कम से कम। बात यह है कि इसके अन्दर 11400 हैक्टेयर जमीन तो बिलकुल कवर कर ली गयी है और 11000 हैक्टेयर बची है। यह बजट पास हो गया है। इसके अन्दर डिले न हो। माननीय मंत्रीजी को मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी निविदाएं ही कॉल कर लो ताकि बहुत शीघ्र यह पूरी हो जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तरुण रायजी कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या 27-पेयजल योजना और मांग संख्या 46-सिंचाई के बारे में आपने बोलने की इजाजत दी, मंजूरी मुहैया कराई, इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

सभापति महोदय, मैं उस इलाके से आता हूं, जिस इलाके में पानी नहीं है। बहुत बड़ी किल्लत है लेकिन हम वहां के जो वाशिंदें हैं उनमें पानी बहुत ज्यादा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य बैठे-बैठे कमेण्ट्स नहीं करें।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): हमारे साथ इजिलास में तमाम सदस्यों ने इन दोनों मामलों में काफी बहस की, गुफ्तगूं हुई, जिक्र और फिक्र हुई, जिसका मुझे बड़ा फख्र है। सभापति महोदय, हमारा इलाका वह इलाका है, जहां दो सहेलियां गुजर रही थीं, वहां हिरण और हिरणी का एक जोड़ा मृत पाया गया। हमारा रेगिस्तान बियाबान इलाका है। जहां बूंद-बूंद को सहेजना पड़ता है। बाकी सारे हिन्दुस्तान में लोग अपनी बेशकीमती चीजें अलमारियों में ताला लगाकर के बंद रखते हैं लेकिन हम वो खुशनसीब आदमी हैं, जो हमारे पानी को भी ताला लगा करके सहेज कर रखते हैं। हमारी उस फिक्र की हमारी राजस्थान की वजीरे आला ने फिक्र की ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ये ऐतिहासिक कहानियां फिर कभी बताना। आधी रात हो गई है। अपनी बात करो तुरन्त ही।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): तो वे जो मृत पाये गये तो एक सहेली ने उन मृत पाये गये जोड़े के लिये कहा कि, 'खड़ा न देखा अपराधी, लगा न देखा बाण,

मैं पूछूं रे सखी, किण तज्या प्राण'।

दूसरी सहेली ने तपाक से जवाब दिया।

'जल थोड़ो नेह घणो, लगा प्रीत का बाण,

'तू पी', 'तू पी' करते, इस विधि गया प्राण'।

मेरे बंधुओं, दोस्तों, वह हमारा इलाका है, उसमें उस जोड़े ने थोड़ा-सा जल था, इसी मुहब्बत के साथ में कि तू पहले पी, तू पहले पी इसलिए उन्होंने प्राण त्याग दिये। हमारे इलाक़े की यह बहुत बड़ी दास्तान है इसलिए मैं यह सब ज्यादा वजूहात में नहीं जाकर क्योंकि हमारे पहले भी माननीय सदस्य टाइम काफी ले चुके हैं।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): डिमांड तो अभी बाकी है, अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है। ....(व्यवधान)....

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): अब बारह बजने वाले हैं। बारह बजने वाले हैं तो मैं मेरे इलाके की बात करूं। अभी हमारा कुछ जिक्र चल रहा था कि बुरा, बुरी, बुरा कौन, बुरा कौन है? वह अपनी कमीज को सफेद बनाने में, मैं इस सिलसिले में कहूगा कि-

न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है,

बुरा वह है जिसकी नीयत बुरी है।

न कोई हिंदू बुरा है और न मुसलमान बुरा है,

न हिंदू बुरा है और न मुसलमान बुरा है,

बुरा वह है जिसका किरदार बुरा है।

इसलिए सज्जनों, मैं मेरे इलाके की बात पर आ जाता हूं, ज्यादा नहीं कहकर मैं इसी बारे में हमारे जो दोस्त बैठे हैं, इनकी एक फरमाइश में एक और शेर आपके लिए एक बना है, जिक्र कर दूं-

(श्री तरुण राय कागा)

"हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता,

टूटे भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता,

गिरते हैं बड़े शौक से समुंदर में यह दरिया,

लेकिन किसी दरिया में यह समुंदर नहीं गिरता।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): मैं अब मेरे इलाके की बात करना चाहूंगा। मेरे इलाके में गुलिस्तां ....(व्यवधान)....

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, पाँच भी तो बजाने हैं। राठौड़ साहब चाय भी तो पिलाएंगे सुबह। क्यों जल्दी कर रहे हो? हम तो पाँच बजे का इंतजार कर रहे हैं।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): हमारे एक बजट भी, हमारे नर्मदा नहर की एक योजना स्वीकृति, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक साल गुजरने के बावजूद वह अपनी शुरुआत, उसका आगाज नहीं हुआ है इसलिए मैं इस आगाज के जरिए गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे उस इलाके को सरसब्ज कर, जल से उसको बड़ा खुशहाल करें।

बंधुओं, मेरे दोस्तों, मैं ऐसे हालात में से गुजर रहा हूं कि मेरे इस सदन में 200 मैम्बर चुनकर आये हैं लेकिन वह 200 में से 199 जो हमारे मैम्बर चुनकर आये हैं, वह सारे हंस हैं। वहां के बुद्धिजीवी लोगों ने ऐसे हीरों को, हंसों को भेजा है लेकिन मैं एक ऐसा बदकिस्मत हूं कि मेरी भोली-भाली जनता ने मुझ कागा को चुन कर इस सदन में भेजा है।

उन लोगों की इस कागा में काफी उम्मीदें हैं कि भाई, हमारे यहां के कागा को विधायक बनाया लेकिन मैं यह ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप हंस-हंसिनी की कहानी बंद करें, अपनी डिमांड पर आएं। ....(व्यवधान)....

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): ... लेकिन आपको पता है कि हमारी बहनें, हमारी जो जोड़ियां, बहन अपने भाई के या अपने पिया के बुलाने के लिए कागा उड़ाती है, "उड़ जा रे कागा, मेरा पिया घर आ गया", वह वहां

(श्री तरुण राय कागा)

पर मेरे को याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं कि कागा हमारे लिए क्या लाएगा? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हालांकि मैं अभी कॉलेज तो नहीं ला सका, लेकिन पानी की तो मुझे यह कर दो। हमारे वहां पर एक गैमन एंड कम्पनी है, उसके कार्य की रफ्तार बहुत धीमी है, उसको तुरंत प्रभाव से कहा जाए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आप बैठे-बैठे हंसे नहीं, प्लीज, सदन की भी मर्यादा होती है। ....(व्यवधान)....

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): और जो केयर्न एनर्जी है, वहां आर.ओ.प्लांट जल्द से जल्द लगाये जाए और सौर ऊर्जा से हैंडपम्प चालू करवाया जाए और मैं इन शब्दों के साथ, जो मैंने पहले भी कहा था ....(व्यवधान)....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह मंत्रीजी आ गये आपके पीछे। पीछे मंत्रीजी आकर बैठ गये, उनसे कह दें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): तीन साल से कह चुका हूं कि मेरे वहां पर एक्स.ईएन. आफिस जो बाड़मेर में चल रहा है, दक्षिण डिवीजन के नाम से उसका तुरंत प्रभाव से चौहटन मुख्यालय किया जाए और जो 100 किलोमीटर में आज भी वहां तो ए.ईएन. आफिस है, वह ....(व्यवधान)....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह मंत्रीजी पीछे आ गये आपके। पीछे ही बता दो उनको।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): इसको करो और हमारे जलदाय मंत्रीजी से गुजारिश करूंगा कि मेरी इन मांगों को प्रायोरिटी देकर, मेरी बातों को ध्यान दें। शुक्रिया-शुक्रिया।

श्री सभापति: बस, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नाना लाल जी अहारी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि 199 विधायकों की बात पर चाहे गौर करें, या नहीं करें लेकिन इन माननीय विधायक की बात पर जरूर गौर फरमाइएगा, आपका बड़ा अहसान होगा। ....(व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हम तो सभी पर गौर फरमाएंगे।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-27 और मांग संख्या-46 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ पेयजल पर अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरे यहां पर सोम-कागदर पेयजल और सोम-कमला-अम्बा दोनों पेयजल योजना चल रही हैं। यहां पर बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है तो इसे शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाए।

दूसरा, जो हैंडपम्प खोदे जा रहे हैं, अगले वर्ष इनका जो टेंडर किया था आपने, वह 200 फीट का टेंडर किया था, पानी बहुत गहराई पर चला गया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी पंचायतों के माध्यम से और विभागों के माध्यम से कई हैंडपम्प खुदे हैं तो वे सारे ड्राई हो गये हैं। इसके पहले भी हैंडपम्प खुदे हैं। मेरा इसमें एक निवेदन है, सुझाव है कि हैंडपम्प की 200 फीट की जगह या तो उसको 300 फीट या 350 फीट करेंगे तो वह हैंडपम्प अपने काम कर पाएंगे, बाकी जितने भी हैंडपम्प आपने पूर्व में खोदे हैं, वह नाकारा साबित हो गये हैं।

दूसरा, मेरा एक और निवेदन है कि क्षेत्र में जनता जल योजना चल रही है। कई जनता जल योजना जो चल रही हैं, वहां के लोगों ने बिल नहीं भरे हैं तो वह जनता जल योजना बंद पड़ी हैं तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि जो जनता जल योजना बंद पड़ी है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे? तो आप जरूर इसका अपनी रिप्लाई में बतायें।

दूसरा, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलंबन योजना चलाकर छोटे-छोटे बाँध, एनीकट टाइप बनाकर पानी को जमीन में उतारा है, यह बहुत अच्छा कार्य हुआ है।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां पर नीचे सोम-कागदर बाँध बना हुआ है और उसके नीचे सोम-कमला-अम्बा बाँध बना हुआ है। इस सोम-कमला-अम्बा बाँध से 2011 में 27 हजार एम.सी.एफटी. पानी, 2012 में 10 हजार एम.सी.एफटी. पानी, 2013 में 6 हजार एम.सी.एफटी. पानी, 2014 में 18 हजार एम.सी.एफटी. पानी, 2015 में 12 हजार एम.सी.एफटी.

(श्री नाना लाल अहारी)

पानी और 2016 में 20 हजार एम.सी.एफटी. पानी बहकर चला गया। हम कभी इस प्रकार के प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो अधिकारियों से यही सुनने को मिलता है कि नीचे कैचमेंट एरिया है, इसलिए यहां पर स्वीकृति नहीं मिलती है। यह जो सोम-कमला-अम्बा बाँध है वह 6 हजार एम.सी.एफटी. का पानी बाँध की भराव क्षमता का बाँध है इसलिए पानी व्यर्थ में बहकर जा रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जहां-जहां पर भी नाले हैं, नदियां हैं, जहां पर भी आवश्यकता पड़े, वहां पर इस प्रकार के बाँध बनाये जाए।

दूसरा, पेयजल पर माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अगले वर्ष दो नदी बाँध पर हर जगह टेंडर बिलो जाते हैं मगर मेरे वहां कोई ठेकेदार टेंडर लेने वाला नहीं था। छह बार टेंडर देने के बाद में कोई एक ही ठेकेदार आया था तो आपने बड़ी मुश्किल से वहां अबव टेंडर देकर काम स्वीकृत करवाया। उसी तरह से आपने गोड़ाखोज को भी नहरों का पैसा दिया तो मैं मंत्री महोदय का और माननीया वसुन्धराजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

दूसरा, मेरे पुराने जितने भी बाँध हैं, उनकी नहरें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, उनकी थोड़ी रिपेयर करवाकर वह पानी व्यवस्थित किया जाए। सीपेज से कई सारे खेतों का नुकसान हो रहा है।

दूसरा, मेरे कुछ नए बाँध हैं जैसे- लोहरगोड़ी बाँध, भूधर का तालाब, झांझरी का बांध, सागवाड़ा का बांध, यह सारे पुराने बांध हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(00:00 बजे)

इनकी नहरों को रिपेयर किया जाये।

दूसरा मेरा सुझाव है, दो मिनट में पूरा कर लूंगा। मेरे यहां पर कुछ नाके बने हुए हैं जैसे हाथिया का नाका, दलिया वाला बाँध का नाका, बेसोर का नाका, सांकड़ा नला का नाका, इस प्रकार से थुरिया वाला बाँध, ओबरी वाला नाका, कायली घाटी सारोली, देवी का नाका और कबड़िया एनीकट, इस प्रकार से काफी नाके हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन नाकों की भी स्वीकृति दी जाएगी तो जो जल स्तर है, वह काफी ऊपर रहेगा।

दूसरा मेरे यहां पर दो ए.ईएन. की पोस्ट है, वहां पर एक ही ए.ईएन. है। करीब-करीब यहां पर 71 पंचायतें हैं। एक ए.ईएन. से काम हो नहीं पाता

(श्री नाना लाल अहारी)

है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सभी एनीकटों-बांधों का निर्माण करके पानी लेवल ऊपर बढ़ाएं। आपने मुझे समय दिया, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य विराजें। श्री राजेन्द्र सिंह जी भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी व जल संसाधन मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 60 सालों में आज तक इस इंदिरा गांधी नहर को हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक इतनी लम्बी नहर को किसी ने नहीं सँभाला। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय ने 17 अगस्त को सूरतगढ़ में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का दौरा करवाया और 132 करोड़ रुपये की लागत से अनूपगढ़ शाखा की रीलाइनिंग का काम शुरू किया गया। इसके अलावा छोटी-छोटी अनेक वितरिकाएं करोड़ों-करोड़ों रुपये की, जो मुख्य नहर से निकलती हैं, उनको ठीक करने का काम, उनकी रीलाइनिंग और मरम्मत का काम करवाया। मैं पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

जिस तरह से आम काश्तकार तक अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया और सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शाखा का जब काम शुरू हुआ तो इसके अंदर बड़ी नहरों के कारण 2400 और 1800, कुछ उसकी अनूपगढ़ ब्रांच और सूरतगढ़ शाखा होने की वजह से जब इनका काम शुरू करवाया तो इनके आस-पास के अंदर जितना भी सेमे का काम था, जिस तरह से सेमा किसानों के खेतों में आ गया था, वह सेम खतम हुई। इससे भी उस क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। निर्माण कार्य के अंदर पारदर्शिता और उनकी देखरेख की वजह से हमारी नहरें इतनी अच्छी बनी हैं कि लोग उनको देखने के लिये आते हैं ओर उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।

इसके अलावा भाखड़ा नहर की शाखाओं पर सभी खालों को पक्का करने

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

का काम भी हमारे क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से चल चुका है और पक्के खालों के निर्माण का काम बहुत जल्द ही गंग कैनाल के अंदर भी खतम हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर फीडर राजस्थान के लिये लाइफ लाइन है। पिछले लम्बे समय से हरिके से लेकर मसीतावाली हैड तक मरम्मत व रखरखाव के कार्य नहीं होने से, खासकर पंजाब क्षेत्र में इंदिरा गांधी फीडर जर्जर हो चुकी है जिससे राजस्थान के काश्तकारों को सिंचाई के लिये पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इस बार नहरबंदी के दौरान फीडर का जीर्णोद्धार या मरम्मत करवाने की जिस तरह से राजस्थान सरकार की मंशा है, पंजाब सरकार का सहयोग रहा तो यह कार्य पूर्ण होने पर राजस्थान को राहत मिलेगी।

इंदिरा गांधी नहर लगभग 13-14 क्यूसेक की बड़ी परियोजना है। मुख्य नहर में से अनेक वितरिकाएं व ब्रांचों के माध्यम से राजस्थान के लगभग 8 जिलों को सिंचाई के लिये व लगभग 15 जिलों के लिये पीने का पानी मिलता है, लेकिन हमारे सूरतगढ़ के अंदर दक्षिण की तरफ जो मुख्य नहर निकल रही है, उसके आस-पास 15-20 गांव ऐसे हैं, जो किसी न किसी रूप में सिंचित क्षेत्र से वंचित रह गये। एटा-सिंगरासर माइनर की मांग उस क्षेत्र के अंदर सदा से चली आ रही है। एटा-सिंगरासर माइनर के लिये आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से, आदरणीय जल संसाधन मंत्रीजी से भी बार-बार लोग मिलकर अपनी व्यथा सुना चुके हैं।

इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय तो वहां जाते रहते हैं और उन लोगों के बारे में सुनते रहते हैं। इसके लिये आन्दोलन भी लगातार होते रहे हैं और लोगों ने ठीक ढंग से एटा-सिंगरासर माइनर के निर्माण की बात की है। उसके अंदर सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां से एटा-सिंगरासर माइनर के निर्माण की बात हम करते हैं, उसके बिलकुल बीचों-बीच थर्मल पॉवर स्टेशन लगा हुआ है, जिससे धुआं और चिमनियों के अंदर जो आस-पास के अंदर वातावरण दूषित होता है, उससे उस क्षेत्र के अंदर अनाज उत्पन्न नहीं हो पाता है।

इसके साथ-साथ चाहे सोमासर माइनर हो या मीरचन्द माइनर हो, उससे वह आस-पास का क्षेत्र सिंचित है, लेकिन यह क्षेत्र अभी सिंचित नहीं है तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस नहर का निर्माण तुरन्त

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)
करवाने की कृपा करें।

इसके अलावा एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा कि भाखड़ा नहर की जो पी.बी.एन और एस.टी.जी. नहरें हैं, उनका भी पक्का काम करवाने का माननीय मंत्री महोदय आदेश फरमायेंगे। जो हमारे खाले पक्के होने से रह गये, उन्हें भी पक्का कराने का कार्य कराने की कृपा करेंगे, तो यह सारी बातें ऐसी हैं, जिनके लिये मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपके माध्यम से मार्मिक अपील करता हूं कि इन सब कार्यों को करवाने के लिये हमारी बात को गंभीरता से लेकर यह कार्य करवायें।

इसके अलावा पेयजल के लिये हमारे को जिस तरह से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने और आदरणीय किरणजी माहेश्वरी जी ने, जो पिछले साल बजट आबंटित किया था, उससे हमारे क्षेत्र की समस्त पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री छोटू सिंहजी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा बजट 2017-18 के अंदर जल संबंधी योजनाओं में पूर्ववर्ती सरकार के तीन साल के समय से डेढ़ा बजट लगाकर कई कार्यों और पेयजल योजनाओं में बहुत बड़ा आमजन को लाभ पहुंचाया। साथ ही पानी का महत्व समझते हुए बरसाती पानी को जल स्वावलम्बन योजना के अंदर चलते हुए पानी को कैसे रोका जाये और उसमें आमजन की भागीदारी साथ में रहने के लिये जो योजना चालू की, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

वर्षों से बस्ते में बंद पड़ी जैसलमेर और बाड़मेर लिफ्ट पेयजल योजना, जो 451 करोड़ रुपयों की है, 171 गांवों के लिये सैंक्शन हुई, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री साहिबा को धन्यवाद देता हूं। साथ में निवेदन भी

(श्री छोटू सिंह)

करना चाहता हूं कि उक्त योजना 171 गांवों के लिये थी और 1200 किलोमीटर इसकी पाइप लाइन की लैंथ थी, उसके अंदर 171 गांव आते हैं। यदि उसके अंदर 150 किलोमीटर और एक्स्ट्रा पाइप लाइन ली जाये तो माननीय, उसके अंदर 45 गांव और जुड़ सकते हैं, क्योंकि आलरेडी उन गांवों में पानी पहुंचता है और 150 किलोमीटर यदि पाइप लाइन एक्स्ट्रा ली जाये तो 35 गांव इससे लाभान्वित होते हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कार्य को और गति देकर, कार्य का 150 किलोमीटर का रिवाइज किलोमीटर लिया जाये।

आदरणीय, मेरा निवेदन है कि आई जी एन पी की नहरें, एस एन जी 105 से छतरैल और म्यालदार के लिये सर्वे करवाकर नई योजना को क्रियान्वित किया गया है आदरणीय, मैं चाहता हूं, उसका भी एस्टीमेट कम्पलीट है और उसके अंदर कम से कम 36 गांव और 191 ढाणी आती हैं। आज भी वो फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस लम्बे काम को, आदरणीय मंत्रीजी, गौर से सुनें, जो 12 साल से बंद पड़ा है और यह योजना ही पूर्ण नहीं हुई है, 12 साल में तो वापस री-एस्टीमेट बन जाते हैं और स्कीम वापस, पुन: तैयार होती है। मेरा निवेदन है कि इसको वापस चालू किया जाए।

इसके साथ में, आदरणीय मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि जिस हिसाब से ग्रीष्म काल में हमारे को इस अप्रैल माह में हमेशा टैंकर के द्वारा पानी ...

आदरणीय, थोड़ी देर सुनेंगे, बहुत लेट नम्बर आता है और टेल का रहने वाला आदमी हूं। मैं चाहता हूं कि ग्रीष्म काल में जिस हिसाब से 55 लीटर प्रति व्यक्ति को पानी सप्लाई होता है और उसमें बहुत बड़ी लापरवाही रहती है। या तो कांट्रेक्टर सही समय पर पहुंच नहीं पाता है या पहुंचता नहीं है। लम्बी-लम्बी दूरियां हैं। मेरा निवेदन है, यदि आदमी 55 लीटर प्रति दिन को पानी पीता है तो उसके साथ जानवर भी रहते हैं, कई प्रकार के पशु भी रहते हैं और मेरा जिला पशु बहुल क्षेत्र है। मेरा निवेदन है कि एक तो समय पर इसके टैण्डर कराकर काम चालू कराया जाए, साथ में पशुओं के लिए भी विशेषकर इस योजना के अन्दर किये जाएं।

आदरणीय, निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी घंटी

(श्री छोटू सिंह)

बजने वाली है। मेरा निवेदन यही है कि नहरी क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं, रिचार्ज और हो गया है। मैं चाहता हूं कि नहर के अन्दर हमें पेयजल सप्लाई होता है, जो कमाण्ड गांव के अन्दर आते हैं आदरणीय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहरी क्षेत्र के अन्दर जो 9 ग्राम पंचायतें आती हैं, नेड़ाई है, तेजपाला है, छींया है, राघवा है, राईयावाला है, इन गांवों को डाइरेक्ट पानी मिलता है। हालांकि विभाग ने उसके लिए फिल्टर पानी की व्यवस्था की है लेकिन नहर के अन्दर पाइप लगता है, वो फिल्टर हमेशा चोक रहता है। आदरणीय, इतना गंदा पानी, इन ग्राम पंचायतों में कम से कम 40 गांव हैं, उनको सीधा, डाइरेक्ट पानी मिल रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन ग्राम पंचायतों को पेयजल, फिल्टर पानी पिलाया जाए।

आदरणीय, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से हमारे इस सर्किल के अन्दर, जलदाय विभाग के सर्किल के अन्दर तीन डिवीजन थे, एक फतेहगढ़ डिवीजन था और दो जैसलमेर में डिवीजन थे। मेरा निवेदन है कि फतेहगढ़ डिवीजन पूर्ववर्ती मांग संख्या में पूर्ववर्ती मंत्री साहब ने इसकी घोषणा भी की लेकिन आज हालात यह बता रहे हैं कि फतेहगढ़ डिवीजन को किसी में मर्ज कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस डिवीजन को रेगुलर किया जाए।

आदरणीय, इसके साथ में मेरा निवेदन है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आदरणीय, बोलना तो पड़ेगा या फिर 12 बजाते ही मत, पहले ही चले जाते।

आदरणीय, निवेदन है कि हमारे पेयजल ट्यूबवैल और सिंचाई के ट्यूबवैल दोनों के अन्दर एक ही तरह की लाइट है और 6 घंटे मिलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें छह घंटे लाइट मिलेगी तो एक-एक ग्राम पंचायत के अन्दर चार-चार गांव हैं और उनकी दूरियां भी ज्यादा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पूर्व में आदरणीय मंत्रीजी को इस प्रकार की लिस्ट दी है, मेरे को पांच-सात ग्राम पंचायत में एक एक्स्ट्रा ट्यूबवैल दिया जाए, जैसे छतांगड़ है, अड़बाला है, रासला है, ऐसे छह-सात नाम हैं, धामुपुरा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा दिये जाएं ताकि उनको छह घंटे और लाइट मिल जायेगी और पेयजल की व्यवस्था होगी।

इसके साथ में, आपकी घंटी बज रही है, फिर भी मांग नम्बर 46 के

(श्री छोटू सिंह)

बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय, इस साल गोलबारी का सरकार का आदेश, आदरणीय मंत्रीजी का आदेश, हमने उस गोलबारी को लिया और उसमें यह भी निवेदन किया गया था कि आपको केवल छह पानी मिलेंगे। हमने किसानों के साथ मीटिंग ली, अधिकारियों के साथ भी मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद यह पक्का तय हो गया कि गोलबारी टेल तक पानी पहुंचेगा और छह पानी मिलेगा। हमने उस हिसाब से इर्रिगेशन की, आने वाला समय या तो कुदरत ने किया और फिर कुछ लापरवाही रही, आदरणीय, दो पानी तो हमें रेगुलर सही समय पर मिले और तीसरा पानी डेढ़ महीने तक नहीं आया। किसानों की फसल चौपट हो गयी। आदरणीय, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आपदा में भी नहीं ले रहे हो, किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं। आदरणीय, उन्होंने क्या गुनाह किया? इतने महंगे भाव का बीज लिया, बोया, चार-छह महीने तक वहां चौकीदारी की और मिलने को कुछ भी नहीं मिला। आदरणीय, मेरा निवेदन है कि किसान की जो मांग है, किसान की जो पीड़ा है उसको आपदा श्रेणी के अन्दर लिया जाय, उनको किसान के रूप में किसी भी तरीके से फसल का अनुदान दिया जाए। यह मेरा निवेदन है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदरणीय, इसके साथ नहरी क्षेत्र में खाळा, जब नहर बनी थी उसी समय तो वहां के चक आबादियों का काम हुआ, उसी समय खाळों का काम हुआ, उसी समय नहर का काम हुआ। 30 साल हो गये हैं, नहर की किसी भी प्रकार से कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, न खाळों की रिपेयरिंग हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं गंगानगर के अन्दर सीएडी सब-डिवीजन वहां विद्‌यमान है, नरेगा योजना के अन्दर खाळों का कवरिंग होता है, खाळों का रिपेयरिंग होता है और पूर्ववर्ती कायदा यह बोल रहा है कि वहां की ग्राम पंचायत नरेगा योजना के अन्दर, आदरणीय, जो चक आबादी है वो मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण वहां किसी भी प्रकार की आबादी आज नहीं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय सभापति जी, मंत्री विराजें हैं कि उस सीएडी सब-डिवीजन को यहां लाया

(श्री छोटू सिंह)

जाए और नरेगा योजना के अन्दर जितना बजट है, वहां दिया जाए। खाळा भी कवरिंग के साथ में विशेषकर जैसलमेर के अन्दर जो बाल-सेंड से नहरें बनी हुई हैं, आज बुरी हालत में है, उसको वापस रिपेयरिंग किया जाये।

आदरणीय, मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारा जैसलमेर का पानी का हिस्सा सैकण्ड फेज में आप दें। 42 परसेंट हमारा पानी है रबी और खरीफ का, आदरणीय, यदि रिकार्ड देखा जाए तो जैसलमेर को नहीं मिलता है आधा पानी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, या तो हमें खरीफ का पानी दो ताकि हम झील बनाकर उसको रोकेंगे, जैसलमेर में कोई कमी नहीं है जमीन की, न कमी है रखने की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा हिस्सा जो 42 परसेंट है वो हमें पूरा दिया जाए, चाहे आप खरीफ में दो चाहे रबी में दो। आदरणीय, मंत्रीजी विराजें हैं। मंत्रीजी, इस प्रकार की घोषणा करें कि जिस किसान का जो नुकसान हुआ है, जिसको हमने वादा दिया था, हमने न्योता दिया था कि इतना पानी मिलेगा, उसके बावजूद भी उनका नुकसान हुआ, उसको आपदा श्रेणी में लिया जाए और साथ में जो हमारा हिस्सा है, वो पूर्णतया मिले। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय शंकर लाल जी शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज हमारे को चेटीचंड के शुभ मुहूर्त में बोलने का अवसर दिया इसलिए सभी को चेटीचंड मुबारक हो और धन्यवाद हमारे संसदीय मंत्री महोदय को भी जिन्होंने चाय का इंतजाम किया और साथ ही हमारे उप सचेतक महोदय को भी धन्यवाद कि हम युवाओं को आज शुभ मुहूर्त में बोलने का मौका दिया ...(व्यवधान)... सब युवा ही युवा हैं।

एक माननीय सदस्य: आप कहां हो युवा?

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आप देख लो। अभी हम सब युवा ही युवा बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... केवल मात्र आसन पर ही युवा नहीं हैं।

महोदय, आज बहुत बड़ी मांग 27 और 46 चर्चा हो रही है। मैं सर्वप्रथम तो हमारी मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूं दौसा से, सबसे ज्यादा अगर परेशानी, किल्लत थी तो पानी की थी। और दौसा की एक बहुत पुरानी कहावत है कि,

"दौसा शहर चिड़ी का बासा, अन्न घणो पर पानी का तासा।"

(श्री शंकर लाल शर्मा)

उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना ईसरदा दी लेकिन हमारी ईसरदा योजना दो पाटों में पिसकर रह गई। ऐसे में हमारी मुख्य मंत्री को मैं बारंबार पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बीसलपुर से पानी देकर, योजनाओं को देकर, उन्होंने वादा किया था कि हम मार्च के अंदर दौसा को पानी पिला देंगे। हमारे दौसा के अंदर 31 मार्च को वह पानी पहुंच रहा है।

सभापति महोदय, मैं खास तौर से एक मांग आपके सामने रखना चाहूंगा दौसा क्षेत्र में पेयजल के लिए ईसरदा की योजना बनी। ऐसी योजना बनी जिससे पूरे दौसा जिले में चाहे वह बसवा पंचायत समिति हो, सिकराय हो, लवाण हो, दौसा हो, ये सारे और सवाईमाधोपुर के कुछ गांव आते हैं। इसमें दौसा जिले के 1079 गांव आते हैं और 165 गांव सवाई माधोपुर के आते हैं। इस योजना के लिए 530 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई।

सभापति महोदय, इसमें खास बात यह है कि पैसा पीएचईडी दे रहा है और बनाने का काम इर्रिगेशन विभाग का है। मैंने इसलिए ही कहा है कि 2 पाटों में हमारी यह योजना पिस रही है। यह 530 करोड़ की योजना थी और इस योजना को बनाते-बनाते 1865 करोड़ रुपये पर ले गए। यह पानी पिलाने के लिए योजना थी यह सिंचाई के लिए योजना ही नहीं थी। लेकिन इस योजना को इतना लंबा बना दिया। इसमें पानी की जरूरत मात्र 2.77 टीएमसी की थी और इस योजना को 10.77 टीएमसी की बना दिया।

सभापति महोदय, जब बड़ी योजना बना दी तो जमीन जो इनको अधिग्रहण करनी थी, उसका भी पैसा बढ़ा दिया जबकि इसके सर्वे का पूरा काम मैसर्स वापकोप्स लिमिटेड के द्वारा 2 करोड़ रुपया देकर कम्प्लीट हुआ। सर्वे के बाद में इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने उसके कांट्रेक्ट के लिए बड़ी-बड़ी कंपनीज को बुला लिया। एक तरह से कांट्रेक्ट फाइनल हो गया और यह लग रहा था कि आज कांट्रेक्ट हो जाएगा, कल हो जाएगा। उस समय केवल मात्र दौसा जिले को जो पानी देना है, 2.77 टीएमसी, उसके हिसाब से केवल 125 करोड़ रुपये के आसपास की जरूरत थी। लेकिन यह योजनाओं के अंदर ही अटकते-अटकते 1856 करोड़ रुपये की हो गई। लगता नहीं है कि यह योजना धरातल पर आएगी। यह हमारी मुख्य मंत्रीजी की बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे में यह योजना इधर-उधर जा रही है। इसके कारण हमारे पूरे एरिया की हालत खराब हो रही है।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

हमें बीसलपुर का पानी केवल दौसा शहर के लिए मिला है। जिसकी डेढ़ लाख की आबादी है और 2 लाख लीटर पानी आएगा। आप देख लीजिए कि एक को कितना लीटर पानी मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी योजना है और यह अकेले की योजना नहीं है। दौसा जिला और सवाईमाधोपुर का बैल्ट इसके अंदर आएगा।

सभापति महोदय, मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि ईसरदा में बीसलपुर से 6 गुना ज्यादा पानी बर्बाद हुआ और समुद्र में चला गया। अगर यह ईसरदा डैम बना होता और इसके अंदर हमारी पानी की बचत होती तो पूरे एरिये को पानी तो पीने को मिलता ही, जल ग्रहण भी होता और जल स्तर भी बढ़ता। अगर आज बीसलपुर बना है तो टोंक, निवाई को आप देख लीजिए। सभापति महोदय, मैं खास तौर से इसी के लिए बोलूंगा।

श्री सभापति: विषय माननीय मंत्रीजी के ध्यान में पूरा आ गया।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): इसके साथ मैं हमारे मंत्री जी को एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारा रेवड़िया बाँध, बांदीकुई, जिसमें पानी की एक स्कीम स्वीकृत हो रही है। उसके प्रपोजल जा चुके हैं। इसको भी करने की कृपा करें।

आपने हमारे यहां 74 लाख रुपया गई बार रामगढ़ कैनाल का पैसा दिया। जो कि दौसा शहर में एक बड़ा बाँध था, उसके अंदर पानी आया। अगर उस बाँध की खुदाई और करवा दें तो कम से कम दौसा शहर को पीने के पानी का भी फायदा होगा।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वृद्ध लोग भी चाह रहे हैं कि जाएं। अगर आप चाहो तो मेरे गांव के जो नाम हैं वह टेबल पर रख दूं।

श्री सभापति: आप बता देना।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य शंकर सिंह जी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 के लिए आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री शंकर सिंह)

सभापति महोदय, आज जिस मांग पर चर्चा चल रही है, मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करके सीधी अपनी बात को कहना शुरू कर रहा हूं। जल स्वावलंबन योजना जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह जल स्तर बढ़ाने के लिए काफी अच्छी योजना है। उसमें मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। कौनसे कार्य को लेना है और किससे ज्यादा फायदा हो सकता है, वह स्थानीय लोगों को ज्यादा जानकारी रहती है। अधिकारियों को जानकारी भी नहीं है। इस वजह से कहीं पर भी उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे जवाजा क्षेत्र के ओटा का बाँध, राजड़ा बाँध, चूलियादे बाँध के आगे जो पानी है वह सूरजपुरा और लसाड़ी तालाब के फीडर द्वारा लाया जा सकता है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अगर अनुमति दें तो आज जो उप चुनाव हुए, उसके परिणाम मैं बता दूं। जिला परिषद टोंक में बीजेपी जीती और पंचायत समिति के जो चुनाव हुए, उसमें 5 बीजेपी और 2 कांग्रेस: नगरपालिका के जो चुनाव हुए उसमें 4 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 1 निर्दलीय जीते हैं।

एक माननीय सदस्य: हालत खराब है। रमेश जी की ज्यादा हो गई आज।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से चूलियादे बाँध का पानी है उसको सूरजपुरा और लसाड़ी के तालाब में फीडर के द्वारा लाया जाना चाहिए। सुगेराटा फीडर और सारोठ फीडर, उसको भी शुरू करवाना चाहिए। देवता फीडर का जो कार्य माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकृत किया है, उसके लिए धन्यवाद लेकिन वह कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन भी किया कि उसकी स्पीड बढ़ाई जाए। ठूंठिया तालाब फीडर को भी, जो किशनदा तालाब के अंदर पड़ती है, उसको भी शुरू करवा दिया जाए क्योंकि उसका पूरा पानी वेस्ट जा रहा है दूसरे जिलों में। उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उससे उसका भी उपयोग हो पाएगा।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इन योजनाओं को, जिस प्रकार हमारे पूर्व प्रधान मंत्री महोदय ने नदियों से नदियों

(श्री शंकर सिंह)

को जोड़ने का जो कार्य हाथ में लिया था, उस तरह से आप भी हाथ में लें। निश्चित तौर पर गंगा और यमुना का पानी जब तक अजमेर जिले के काश्तकारों को नहीं मिल पाएगा, तब तक वहां के पानी की समस्या हल नहीं हो पाएगी।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि काफी क्षेत्रों में हैंड पंप खराब पड़े हुए हैं। वह विभाग ने इसलिए छोड़ दिए हैं कि वह ग्राम पंचायतों ने लगाए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो अलग-अलग ग्राम पंचायतों से हैंड पंप लगाते हैं, उसके ऊपर डिपार्टमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए। डिपार्टमेंट ही उन हैंड पंपों को खोदे लेकिन डिपार्टमेंट भी जिस प्रकार से मनमर्जी की रेटें लगाते हैं, उसमें भी थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। बाजार के अंदर 50 हजार रुपये के हिसाब से एक हैंड पंप की कॉस्ट आती है और यह 70 हजार की कॉस्ट लगाते हैं। उस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार 199 गावों के पानी की जवाजा में जो योजना चल रही है। उसके ऊपर काफी कुछ बता चुके हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जिस प्रकार पहले एसपीएमएल कम्पनी द्वारा जो कार्य किया गया था, इन्होंने बेईमानी के तौर पर एक ही पार्टी को देने की वजह से उनका कार्य शुरू हुआ था 14 मई, 2013 को और कार्य पूरा करने की तारीख 31 मार्च, 2016 थी लेकिन वह 30 परसेंट कार्य पूरा नहीं कर पाए और इसके ऊपर मंत्री महोदया ने पूरी बात विस्तार से रखी है। ऐसे ठेकेदारों के द्वारा मनमर्जी करके जो कार्य किया गया, उसके ऊपर अभी मेरा आपको सुझाव है कि उसको टेंडर जो वापस डाल रहे हैं तो उसको चार भागों में बांटों ताकि चार अलग-अलग पार्टियों को टेंडर निकल जाएगा तो चार भागों में चार ठेकेदार ज्यादा स्पीड से काम करेंगे तो एक वर्ष के अंदर कार्य पूरा कर सकते हैं। पाँच साल हो गए हैं उसी कम्पनी को काम करते हुए और उससे 30 परसेंट काम पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है अगले दस साल तक भी पूरा नहीं कर पाए इसलिए चार भागों में बांट कर उसको करवाने के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य बोल रहे थे, यह हमारी ईमानदार मंत्री महोदया, आदरणीय

(श्री शंकर सिंह)

किरणजी के लिए बोल रहे थे उसमें मेरा निवेदन है कि एक अंगुली से किसी को बताते हैं कि यह बेईमान है लेकिन तीन अंगुली वापस आ रही है, अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय शंकर सिंहजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पूर्ववर्ती जो गांधीवादी के नाम से सरकार चल रही थी उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर उनको कोई ऐसी ईमानदार कम्पनी नहीं मिली जो ठेठ दिल्ली से जाकर एसपीएमएल कम्पनी कहां से ढूंढ कर लाए और उनको ठेका देकर इस राजस्थान के अंदर खिलवाड़ करने की कोशिश की है बेईमानी के लिए। मैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनको सज़ा दी है। जो बचे हुए कार्य हैं उनके लिए भी अच्छी कम्पनियों को चार भागों में बांटकर अलग-अलग टेंडर से देंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। हमारे काम में सुधार होगा, यह कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ''खुदी को कर बुलंद इतना खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है?''

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शुभकरणजी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... वह मैं बता दूंगा आप चिंता मत करो, शंकरजी का।

माननीय सभापति महोदय, 'झूठ कहूं तो लफ्जों का दम घुटता है, झूठ कहूं तो लफ्जों का दम घुटता है, सच कहूं तो कुछ लोग खफा हो जाते हैं।' माननीय सभापति महोदय, अब बताओ मैं क्या करूं? ...(व्यवधान)... सच्चाई यह है कि राजस्थानी में एक कहावत है, पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। 'अमरां न तो मरतां देख्या, भगता देख्या शूरां, आगा सूं पाछा भला, धणी भला लटूरा'।

माननीय सभापति महोदय, बजट आप बढ़ाते जा रहे हैं, घोषणा

(श्री शुभकरण चौधरी)

रोजाना कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का जो काम 2003 से 2008 तक हमारी सरकार ने किया, वे इन तीन साल में वह काम नहीं कर पा रहे। मैं बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, वाकई बहुत ज्यादा समय हो गया लेकिन मैं छोटी-छोटी बातें, जो रोजाना इस विभाग के माध्यम से सामने आती हैं, हमारा प्रभावी नियंत्रण इस विभाग पर कतई नहीं है। एईएन की ठेकेदार नहीं मानता, एईएन जो कहता है, एक्सईएन उसके खिलाफ बोलता है, यह रोजाना की बातें हैं, रोजमर्रा की, जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। यह अधिकारी जो बैठे हैं, वह मंत्री साहब की नहीं मानते और बड़े दर्द और दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 40 डिग्री टैम्प्रेचर है, जून महीने के से हालात हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नियंत्रण नहीं है, आपको क्या पता है?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मेरे को पता इसलिए है कि मैं पिछले दो महीने से आपके पास गिड़गिड़ा रहा हूं कि एक ट्यूबवैल नहीं खोद सकता। फिर कौनसे नियंत्रण की बात कर रहे हो? मेरे से सुनना चाहते हो तो यही बात है। वरना जो मैं बात कह रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं। बात को आप भी जानते हैं मंत्री महोदया यदि यही हालात रहे तो जनता त्राहि-त्राहि मचा देगी। मैं तो आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मुझे चार ट्यूबवैलों की स्वीकृति मिली। चार में से तीन ट्यूबवैल ड्राई निकल गए। अधिकारी सरकार की स्वीकृति के बाद यह कह रहे हैं कि इसको वापस स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजना पड़ेगा। हम कहते हैं कि आपका एक लाख रुपया जो ड्राई ट्यूबवैल की खुदाई का लग गया, वह हम हमारे कोटे से देंगे, पर जनता को पानी पिलाना नहीं चाहते। वापस सरकार के पास भेजेंगे तभी यह ट्यूबवैल खुदेगा। मंत्री महोदय, आपके सामने यह बात हुई कि नहीं हुई? यह नियम है, यह निजाम है, पैसा सरकार ने दे दिया और अधिकारी उसको खोदना नहीं चाहते तो किस जनता को पानी पिलाने की बात करते हैं अपन? पाँच ट्यूबवैल सरकार ने स्वीकृत कर दिए, सरकार का पैसा खर्च हो गया उसमें जाकर ड्राई कोई निकल गया माननीय सभापति महोदय, हालात यह है पूरे राजस्थान के कि जमीन में सब

(श्री शुभकरण चौधरी)

जगह पानी नहीं बचा। चार जगह पॉइंट लगाते हैं, खोदते हैं तो तीन जगह पानी मिलता है, दो जगह पानी नहीं मिलता है। हमें आज तय करना चाहिए, मंत्री महोदय, आदेश निकलना चाहिए कि ट्यूबवैल कोई ड्राई निकल गया तो उसकी एक लाख रुपए की स्वीकृति बाद में ले ली जाएगी या सम्बन्धित विधायक उसका पैसा देगा, ट्यूबवैल दूसरी जगह खोदा जाएगा। यह फैसला आप करें और फिर पता लगेगा कि कितने लोग आपकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपको पता तो लग जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, जेजेवाई पीएचईडी के अधीन ही होनी चाहिए, अगर सही मायने में जनता को पानी पिलाना चाहते हैं तो। एक भी ट्यूबवैल राजस्थान में जहां कोई मानता है कि नहीं मानता, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कहता हूं कि मुझे एक भी ट्यूबवैल आपके यहां से नहीं चाहिए, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन साल पहले, चार साल पहले, पाँच साल पहले जो कुएं खुदे व किसी को पानी पिलाने के लिए तो खुदे होंगे, वह ड्राई ट्यूबवैल जो हो गए और वह भी पचास-पचास, साठ-साठ, सत्तर-सत्तर, एक विधान सभा क्षेत्र में क्या माननीय सभापति महोदय, वह ट्यूबवैल दुबारा नहीं खुदने चाहिए? माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे मात्र इतना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने ड्राई ट्यूबवैल हैं उनको दो महीने में खोदने की स्वीकृति जारी कर दें, नहीं तो यह बता दें कि वह ट्यूबवैल खुदे क्यों थे? जनता घटी तो नहीं, जनता तो बढ़ी है और जनता बढ़ी है, बजट बढ़ रहा है तो काम कम क्यों हो रहा है?

माननीय सभापति महोदय, सुनिश्चित करें कि अरबन एरिया में कम से कम 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिले। मैं जहां से आता हूं उस उदयपुरवाटी नगरपालिका में 35 लीटर पानी तीन दिन में एक व्यक्ति को एक बार मिलता है। कितनी झूठ सुनेंगे। जेईएन वहां रिकार्ड सब्मिट करता है, मीटिंगों में जवाब देता है। आप एक कमेटी का गठन करें। इससे पानी अगर कोई सरकार दे पाती है, माननीय सभापति महोदय, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार तो पीने के पानी का अधिकार भी जनता को है। हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हम जनता से पैसे लेते हैं, उसके अनुसार उसको पानी दिया जाए। गर्मियां शुरू हो चुकी है, जून

(श्री शुभकरण चौधरी)
जुलाई जैसी, कल उदयपुरवाटी में चालीस डिग्री टेम्प्रेचर था, अभी तक हमने कोई योजना नहीं बनाई है माननीय मंत्रीजी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पाँच दिन, सात दिन, दस दिन के अंदर-अंदर हमको टैंकर्स की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, नहीं तो लोगों में त्राहि-त्राहि हो जाएगी। पानी की उपलब्धता भूमि में हर जगह नहीं है। एक-एक, दो-दो किलोमीटर में जाकर पानी के पॉकेट्स मिल रहे हैं। हम ट्यबवैल स्वीकृत करते हैं, पाइप लाइन चार फीट की करते नहीं। सुनिश्चित करो कि जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता हर जगह पॉकेटवाइज है या हर जगह उपलब्ध नहीं है, वहां पर ट्यूबवैल के साथ एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर, दो किलोमीटर पाइप लाइन भी साथ ही स्वीकृत की जाए ताकि वहां से पानी ले जाकर गांव के लोगों को टंकी के माध्यम से पिलाया जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, शहरों और बड़ी पंचायतों में जहां पाइप स्कीम है, जहां हम लोगों से बिल का पैसा लेते हैं वहां ट्यूबवैल सूखने के बाद 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में, 5 दिन में तो ट्यूबवैल सूखे। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र का रोना आपके सामने रोया था। आज गुढ़ा गौड़जी में तीन महीने पहले एक ट्यूबवैल स्वीकृत हुआ, माननीय सभापति महोदय, मैं तो पहले ही कह रहा था कि सुनना, अब रात को साढ़े बारह बजे जनता की आवाज के लिए बैठे हैं, वरना हम को कल मारेंगे कि आपने वहां जाकर क्या किया? तीन महीने पहले मैंने विधायक कोष से पैसा स्वीकृत किया। तीन महीने पहले ट्यूबवैल सूखा, जहां 4 हजार लोग एक साथ रहते हैं, एक ट्यूबवैल पर पानी पीते हैं। आज जब मैंने अधिकारियों से बात की तो कहा कि क्या हो गया, तीन दिन पहले आपकी स्वीकृति आई है। इन हालात में मंत्री महोदय, हमारी जुबान बंद रखना चाहते हो तो बंद हो जाते हैं। लोग कहीं हमें इस बात का अच्छा सिला देंगे नहीं, मैं तो आपसे निवेदन यह करने खड़ा हुआ था कि लक्खी बणजारा बनो, नरेन्द्रजी मोदी बनो, जिन्होंने कच्छ और भुज में पानी पिलाकर पुण्य किया तो आज प्रधान मंत्री बन गए। पुण्य करो, लोगों को पानी पिलाओ, पता नहीं आप भी कहीं मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री बन जाओगे। भगवान आपकी सुनेगा, पर इन बातों को दबाओ

(श्री शुभकरण चौधरी)

मत, सुनो, हम कह रहे हैं। छोटी-छोटी स्कीमें तीन-तीन साल से पड़ी हैं, स्वीकृति नहीं हो पा रही हैं। कंटीन्जेंसी का पैसा जो पिछली सरकार लगातार देती थी, कंटीन्जेंसी का पैसा नहीं मिलेगा तो कलक्टर के पास भी कोई अधिकार नहीं होगा। किसी का ट्यूबवैल सूख गया, कुछ और हो गया तो कहां से पानी पिलाएंगे?

एक सबसे बड़ी बात। आप चाहे कोई कितना ही बुरा माने, यहां अधिकारियों पर नियंत्रण भी आपका हजार बार होगा, पर इनको जो नॉलेज है वह हमारे जितना नहीं है। आपका एईएन हमारे बराबर नॉलेज नहीं रखता कि क्षेत्र में क्या हालात है? जब भी मीटिंग करता हूं तो वे हमको आकर बताते हैं, उस गांव में कुआं चल रहा है, उसमें हैण्डपम्प चल रहा है। मैं जब गांव की लिस्ट निकालता हूं तो उनको यह नहीं पता होता कि वह गांव या ढाणी है कहां? पीपीसी और आपकी हाईपावर कमेटी की मीटिंग करते हो, संबंधित विधान सभा क्षेत्र का एमएलए उसका सदस्य होना चाहिए। वरना किसी भी मीटिंग में यह फिजिबल नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, उसको रोक देते हो और उनको पता नहीं रहता। हैण्डपम्प का मिस्त्री रात को रिपेयर करके आता है, सुबह पहले गांव से फोन आ जाता है। हमें तो कह रहा था चल गया, दो पम्प लगाये भी थे, लेकिन चैन टूट गई। 24 घंटे के अंदर वापस समाचार आता है कि इसका वाल्व फट गया। मंत्री महोदय, अपना नियंत्रण खूब है तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के 6 महीने पहले आपने हमारे यहां नौ सोलर पाइंट स्वीकृत किये थे। उनकी फाइनेंशियल स्वीकृति निकली थी। क्या वे खुद गये, क्या वे चालू हो गये? 6-6 महीने में हमारा पैसा लग गया, हमने पैसा पेमेंट कर दिया, ठेकेदारों को स्वीकृति जारी कर दी। ठेकेदारों के पीछे आपके एक्सईएन घूमते फिर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ठेकेदार को बुलाता हूं। क्या जरूरत पड़ गई इस बात की हमें? सरकार पैसा दे रही है, फिर अधिकारी क्यों उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको ब्लैकलिस्ट नहीं करते? हमारी क्या मजबूरी है कि हम उन ठेकेदारों के आगे-पीछे हाथ जोड़ते हैं? वे 9 सोलर पाइंट जो आपने स्वीकृत किये थे, उसमें से 5 किये और 5 में से एक भी चालू नहीं हुआ।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): कैसे पानी जनता को पिलाएंगे? आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुंभाराम लिफ्ट की दो साल से योजना चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उस नहर में पानी तो पूरा है जिस इंदिरा गांधी नहर से, कुंभाराम लिफ्ट से पानी पिलाना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो यमुना का पानी लाने की व्यवस्था की जाए ताकि झुंझुनूं जिले के अंदर लोग प्यासे न मरें। पहला महकमा है जो इतना पैरासाइट है कि ठेकेदारों के भरोसे है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में 31 तारीख को खतम होने वाली आरसी ठेकेदारों की खत्म हो गयी। अभी तो विभाग यह तय नहीं कर पा रहा कि आगे ट्यूबवैल खोदेगा कौन? विधायक कोटे से भी खुदाना चाहते हैं तो आज की तारीख में तो हम खुदा नहीं सकते, हमारी स्थिति यह है।

ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों का पानी जहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहां एक निवेदन करना चाहता हूं। बहुत कम जगह पानी है। जहां पानी मिल जाता है उस जगह सुनिश्चित करो कि वहां 24 घंटे का विद्युत संबंध कर दिया जाए ताकि लोगों को उस ट्यूबवैल से पानी मिल सके। सब जगह तो पानी मिलता नहीं है। एक बहुत बड़ी विडम्बना है। सरकारी कुए तो खुदेंगे जैसे खुदेंगे। पंचायती राज मंत्री महोदय भी बैठे हैं, प्राइवेट किसानों के खेतों में, वर्षों से लोगों के खेतों में कुएं बने हुए हैं, वह क्षेत्र डार्कजोन हो गया, उस किसान का कुआ सूख गया तो आप यह बताओ कि उसके बच्चे पानी कहां से पीएंगे? उसके पशु कहां से पानी पीएंगे? उसको खेती मत करने दो, कोई बात नहीं। सुनिश्चित कर दो कि वह खेती नहीं करेगा, पर यह तो तय करो कि वह अपने पीने के पानी का कुआ तो कम से कम दुबारा खोद सके डार्क जोन में, परमिशन नहीं मिलती, कुआं नहीं खोद सकते।

एक थोड़ा-सा निवेदन और है। आपका गारंटी पीरियड। 3-3 साल के लिए कहा जाता है ठेकेदारों का गारंटी पीरियड। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूं, पूरा प्रशासनिक अमला यहां बैठा है। एक बार ठेकेदार कुआं खोदकर वापस आ गया, न मोटर बदलता है, न केबल बदलता है और न उसके स्टार्टर बदलता है। यह हालात है। क्यों करना पड़े हमेशा? इसलिए सुनिश्चित करो, अपना प्रभावी नियंत्रण करो और इतना-सा अहसान हम पर करो कि जो पैसा सरकार का आप लगा रहे हो,

(श्री शुभकरण चौधरी)

उस पैसे का सदुपयोग हो। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो पैसा हम लोग दे रहे हैं उसको सही समय पर दो। विवेकानन्द जी ने कहा है कि किसी से कोई वादा करते हो, उस काम को समय पर नहीं करते हो तो आपका भरोसा कोई नहीं करने वाला। लोगों का भरोसा हम पर बना रहे, हमने जो पैसा दिया है उसकी स्वीकृतियां समय पर जारी हों और ड्राई ट्यूबवैल का मैंने निवेदन किया है, उसको पुन: खोदने की परमिशन उनको दो और विधायक, एमपी कोटे से जो स्वीकृतियां दी जाती हैं उनको समयबद्ध तरीके से खुदवाया जाए और इनके गारंटी पीरियड को सुनिश्चित किया जाय तथा समय पर काम को किया जाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीराम जी भींचर। माननीय सदस्य श्री मंगलराम जी।

श्री मंगलराम (कठूमर): माननीय सभापति महोदय, आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी ने, हमारे पिछड़े विधान सभा क्षेत्र में करीब 70 गांव ऐसे थे जो खारे पानी के थे, उनमें और कुछ गांव थे, इस तरह से 86 आर.ओ. मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेंक्शन कराए, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्री महोदया और मंत्री महोदय को देता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 स्कीम सेंक्शन की थीं, जिनमें 4 पूर्ण हो चुकी हैं, एक शेष है। दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे कठूमर विधान सभा क्षेत्र में पूरी तरह से पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्कीम तो बनाकर भिजवा दी गयी है। कठूमर में पूर्णत: पानी मिले, इसके लिए वह स्कीम सेंक्शन कराने की कृपा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में खेड़ली एक कस्बा है, जो सरसों की बहुत बड़ी मण्डी है, बहुत ज्यादा लोग वहां रहते हैं। वहां पानी दारोदा से आता है, बहुत समय से आता है। भैरोंसिंह जी की सरकार में हमने 6 ट्यूबवैल करवाये थे। आज उन्हीं से उस कस्बे में पानी आता है। वहां की जो पाइप लाइनें हैं वे खराब हो चुकी हैं। इसलिए इस बड़े कस्बे में आने वाले गर्मी के मौसम में बड़ी किल्लत होगी। इसलिए उस पाइप लाइन को बदलाकर उस कस्बे में पानी की व्यवस्था के लिए पाइप लाइन सेंक्शन करायी जाये।

(श्री मंगलराम)

मेरा दूसरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 46 स्कूलें हैं। छोटे-छोटे बच्चों को बड़ी समस्या है। प्रस्ताव बनाकर 46 स्कूलों में हैण्डपम्प सेंक्शन कराये जाये, मेरा ऐसा मंत्री महोदय से निवेदन है।

मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके के गांव हैं जैसे समूची है, कुछ हैण्डपम्प हैं उनमें पानी का स्तर नीचे होने के कारण जो आपका मापदण्ड है उसके अनुसार हैण्डपम्प लगते ही सूख जाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उस मापदण्ड को बढ़ाया जाये ताकि हैण्डपम्प ज्यादा समय तक सेवा दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल योजना, मांग संख्या 46 सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर चर्चा हो रही है। आज मुझे इन मांगों पर बोलने के लिए आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं लम्बी बात न करके चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपने मतलब की बात करूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो यह मगरा क्षेत्र है। कहावत है ऊँट होता है, ऊँट की कूबड़ जो कहते हैं उस तरह से मेरा क्षेत्र बसा हुआ है। बारिश वैसे कम होती है और कम होने के बावजूद भी बारिश का पानी या तो मेवाड़ में चला जाता है या मारवाड़ चला जाता है और हमारा क्षेत्र हमेशा प्यासा रह जाता है। यह कितनी बड़ी विडम्बना की बात है कि पानी हमारा और हम पानी के लिए भीख मांगते हैं। हम अगर कोई बाँध या एनीकट बनाना चाहते हैं तो विभाग बोलता है कि यह तो बीसलपुर को बाधित करता है इसलिए दो मीटर से ज्यादा आप एनीकट नहीं बना सकते। मारवाड़ साइड में पानी जाता है तो उसके लिए हम कोई बाँध या एनीकट की बात करते हैं तो विभाग बोलता है कि नीचे के बाँध खाली रह जाएंगे। अब हम जाएं तो जाएं कहां?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व में तीन साल से निवेदन करता आ रहा हूं। मुझे हर वर्ष यही आश्वासन मिलता है कि अगली बार आपको बजट देंगे, अगली बार आपको बजट देंगे।

(श्री हरिसिंह रावत)

हमारी पेयजल मिनिस्टर श्रीमती किरण जी माहेश्वरी थीं, तब मैंने इनसे निवेदन किया था और इन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया था। उसके बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए करीब 750 करोड़ रुपये का एक एस्टीमेट बताया था कि 750 करोड़ रुपये का एस्टीमेट है, इतना देना संभव नहीं है। इसके लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि विधायक जी, इतना पैसा हम दे सकते हैं, लेकिन पार्टली हम कुछ करेंगे। और पार्टली की जब बात की तो उन्होंने 100 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के लिए बोला। 100 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के लिए उन्होंने हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी को भी बताया कि इसके ऊपर आप कोई प्रपोजल तैयार करिये। उसके अन्तर्गत पूरी 52-53 पंचायतें हैं और इतना न सही, चलो मेरे पार्टली करें और पार्टली करके मैंने कहा कि एक साइड में पानी हमारे चम्बल का आता है और ऊपर से पानी हमारे अजमेर जिले से बीसलपुर का जाएगा तो कम से कम कुछ पंचायतें मेरी देवगढ़ की जुड़ जाए और कुछ भीम की जुड़ जाए। मैं बड़ा आश्वस्त था कि इस बजट में मेरे लिए घोषणा होगी लेकिन मुझे बड़ा मायूस होना पडा कि न घोषणा हुई, न कुछ आश्वासन मिला। मंत्री महोदय सामने बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी मेरे पड़ौसी हैं और पड़ौसी विधायक के अन्तर्गत पड़ौसी का भी आप ध्यान रखें और कम से कम बजट में 100 करोड़ रुपये की, आज नहीं तो कम से कम 30 तारीख को, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्रीजी भी इसमें मेरा सहयोग देंगे और मुख्य मंत्रीजी भी 30 तारीख की जो अंतिम घोषणा होगी उसमें जरूर मुझे आश्वस्त करेंगे। उसके अन्तर्गत जैसे चम्बल का पानी है, चम्बल के पानी के लिए एस्टीमेट बनाकर आसींद से अगर वो लाइन डालकर पानी जुड़ता है तो कम से कम मेरे 12-13 गांव पेयजल से लाभान्वित हो सकते हैं। 12 गांव अगर कहूं तो जैसे उधर से मेरा फर्स्ट स्टार्ट होता है अजीतगढ़, कालादेह, समेलिया, भीम, उसके बाद वापस कूकरखेड़ा, कुशलपुरा, ताल, लसानी, कांकरोद, ईसरमट और दौलपुरा, दौलपुरा से मदारिया, कालेसरिया, कूंदवा होते हुए पहाड़ी तक जो हमारे कालूलाल जी गुर्जर और हमारे आसींद के विधायक जी के साथ-साथ हमारी कनेक्टिंग पंचायतें हैं तो उनका पानी अगर उनके साथ थोड़ा-थोड़ा हमें मिल जाएगा तो मैं समझता हूं कि कुछ हमें रिलीफ मिलेगी।

(श्री हरिसिंह रावत)

इसके अलावा दूसरा जवारिया से जो पानी जा रहा है उसमें करीब 6 गांव मेरे पड़ते हैं। छह गांवों में मेरा जत्ताखेड़ा है, कूकड़ा, लसाड़िया, थानेटा और टोगी तक अगर ये गांव मेरे जुड़ जाए तो मैं समझता हूं कि कुछ मुझे राहत मिलेगी। अगर यह काम नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बजट के बाद में जाएंगे तो मुझे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ही मेरे कुछ और भी हैं। जैसे भोमादेह एनीकट है इसमें वर्षों से मिट्टी भरी हुई है और उससे मेरे कम से कम 8-10 गांवों को पानी की सुविधा होती है तो मैं हमारे सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें से कुछ मिट्टी निकाल लें और मिट्टी निकालने के साथ अगर मिट्टी न निकाल पायें तो दो मीटर इसको हाइट में बढ़ा दें तो कम से कम पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है।

इसके साथ-साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो हैण्डपम्प खराब पड़े हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास हैण्डपम्प मिस्त्री नहीं हैं। सभापति महोदय, मेरे यहां टोटल 53 पंचायतें हैं और 53 पंचायतों में केवल 11 हैण्डपम्प मिस्त्री हैं। 11 मिस्त्रियों में कुछ तो नकारा है, कुछ तो बूढ़े हैं, कुछ की टांग टूटी हुई है कि मैं काम नहीं कर सकता और काम करने वाले केवल 9 ही हैण्डपम्प मिस्त्री हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हर पंचायत में वापस एक-एक हैण्डपम्प लगे। नया एनरोलमेंट करके इन हैण्डपम्प मिस्त्रियों की नई भर्ती करें ताकि हमारे जो हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, उनकी सुविधा हो सके।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): इसके साथ-साथ मेरा एक और सुझाव है। हैण्डपम्प मिस्त्री अकेला होता है और गांव में रिपेयर करने जाता है तो वहां पर उनको कोई लेबर, मजदूर नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यूटिलिटी के ऊपर एक हाइड्रोलिक मशीन लगा दें और उस हाइड्रोलिक मशीन की यह व्यवस्था हर पंचायत समिति में कर दें क्योंकि

(श्री हरिसिंह रावत)

हर ग्राम पंचायत में हो नहीं सकती पर हर पंचायत समिति में एक यूटिलिटी के ऊपर हाइड्रोलिक मशीन लगाकर गांवों में हैण्डपम्पों को रिपेयर करने के लिए भेजें तो मैं समझता हूं कि यह जनता के लिए भी फायदा होगा और हैण्डपम्पों मिस्त्रियों को भी तकलीफ नहीं होगी।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, एक मेरी छोटी सी बात और है। मेरे क्षेत्र में कडियादेह है, वहां की नहर की रिपेयरिंग के लिए मैंने कई बार प्रस्ताव दिये पर वो हो नहीं पाया।

दूसरा, हमारे मुख्य मंत्रीजी के द्वारा लास्ट टाइम घोषणा हुई थी छापलीनाल के ऊपर 100 मीटर एक एनीकट बनाने की, पर वो भी अधूरा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, अगर मान लो वो फण्ड नहीं दे तो कोई बात नहीं पर सैंक्शन निकाल दें तो हमारे मगरा बोर्ड से और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें अगर हमें फण्ड मिल जाए तो यह हमारा एनीकट बन जाएगा तो कम से कम 7-8 गांवों को पेयजल की सुविधा हो सकेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस पर भी गौर फरमायें। मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। माननीय सदस्य श्री केसाराम जी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सीधे-सीधे बात करना चाह रहा हूं। मेरे क्षेत्र में गत बजट में मांग संख्या 46 सिंचाई परियोजना के तहत एक धारिया बाँध 58 करोड़ रुपये से इसी बजट सत्र में गत वर्ष स्वीकृत हुआ था। उसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई किन्तु इसका कार्य शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय, मेरे इसका काम इसी बजट सत्र में शुरू करके इस धारिया बाँध का निर्माण करवाया जाए।

मेरे फुलाद बाँध की नहरें नदी के अन्दर क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो उसको ठीक करने की मांग करता हूं।

दूसरा, घोड़ाधड़ा बाँध की नहर नीम्बड़िया से तीन खाला तक एक हजार फीट की बीच में टूटी हुई रह गई, दूसरी तो रिपेयर कर दी किन्तु एक

(श्री केसाराम चौधरी)

हजार फीट का निर्माण कार्य रुका होने के कारण से वो पूरा किया हुआ कार्य गड़बड़ हो रहा है इसलिए इसको भी ठीक किया जाए।

डिगोर बाँध की नहरें सड़क के दोनों तरफ चलती हैं, डामर रोड है और उन नहरों को पक्का कर दिया जाए तो ये दोनों काम करने से उस कार्य में पानी की बचत भी होगी और वो सड़क भी खराब नहीं होगी इसलिए डिगोर बाँध की नहरों को पक्का किया जाए।

यही मांग करते हुए मैं मांग संख्या 27 पेयजल के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जवाई बाँध से मेरे मारवाड़ जंक्शन के लिए आज से 14 साल पहले एक योजना स्वीकृत हुई थी जिसमें मारवाड़ जंक्शन के 113 गांवों को जवाई पाइप परियोजना से पानी देना था। उसको दो भागों में बांटा गया। उसमें 31 गांवों में एल एण्ड टी के द्वारा कार्य किया गया और एल एण्ड टी ने 31 गांवों में पानी की सप्लाई तो दे दी मगर उसमें घटिया काम होने की वजह से, अब वो बता रहे हैं कि जगह-जगह पाइप फूट जाते हैं। करीबन 8 एमएलडी पानी उन पाइप लाइनों में देना था मगर केवल 2 और 3 एमएलडी पानी देकर स्लो-स्लो पानी दिया जाता है क्योंकि प्रेशर से पानी देते ही वो पाइप फट जाते हैं। उसका वो कारण बताते हैं कि उनको दीमक खा गई तो प्लास्टिक के पाइप भी अगर दीमक खा जाएगी तो फिर किस तरह से कार्य होगा इसलिए उसकी जांच की जाए और उसमें पूरे प्रेशर से पानी देकर उन पाइपों की जांच की जाए। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि इस परियोजना में कम्पनी ने जो काम किया है वो घटिया स्तर का है इसलिए जांच की जाए।

जवाई पाइप परियोजना से दूसरे फेज में 82 गांवों की योजना थी और 82 गांवों में 14 साल में अभी तक तो वो मेघा कम्पनी को काम दिया गया है और मेघा कम्पनी का काम इतने घटिया स्तर का था कि लास्ट ईयर कार्य करते-करते सम्पवैल जो बन रहा था उसकी छत गिरी और दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अभी तक पानी एक भी गांव में, 82 गांवों में पानी अभी तक नहीं पहुंचा है जिसको 14 साल हो गये तो मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और जल्दी से जल्दी इन 82 गांवों को पानी दिया जाए।

(श्री केसाराम चौधरी)

इसके साथ ही ग्राम पंचायत सारण की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पाइप लाइनों के लिए चीफ इंजीनियर ऑफिस में पड़ी है। निवों की खेजड़ी से बघुड़ा की ढाणी में पाइप लाइन लगी हुई थी वो बिलकुल घटिया किस्म की होने की वजह से डेमेज हो चुकी है जिसको बदलने की योजना भी बनाकर भेजी हुई है। देवली आहूवा से वाडिया तक पाइप लाइन जाती है जो बहुत पुरानी होने की वजह से बिलकुल डेमेज हो चुकी है और वो पाइप बदलने के लिए योजना बनाकर आपके यहां पर भेजी हुई है, चीफ इंजीनियर ऑफिस में पड़ी है तो उनकी स्वीकृति भी जारी करावें।

दूसरा, रानी से देसूरी व बाली पंचायत समिति के गांवों को जवाई बाँध से पानी दिलाने के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के लिए गत बजट में घोषणा हुई थी। मैं मांग करता हूं कि यह जो रानी क्षेत्र, बाली और जवाई बाँध के बिलकुल पास वाले गांव हैं, उन गांवों को तो पानी नहीं दिया जा रहा है और उन गांवों में पानी की किल्लत है। जवाई बाँध से बिलकुल नजदीक होते हुए भी उनको पानी नहीं दिया गया इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन्हें जवाई बाँध से पानी दिया जाए।

इसी तरह से मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने पाइप लाइन के लिए मेरे क्षेत्र में 186.78 लाख रुपये की पाइप लाइनों की स्वीकृति की है। इसी तरह आर.ओ. प्लांट 46.58 लाख रुपये के, सोलर ऊर्जा चलित सिंगल फेस डी-फ्लोरीडेशन के प्लांट 10.20 लाख रुपये के और सोलर ऊर्जा चलित सिंगल फेस प्लांट 42.30 लाख रुपये के और मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में करीबन 93.16 लाख रुपये के आर.ओ. प्लांट लगाये। सोलर प्लांट मय डी-फ्लोरीइडेशन प्लांट के लिए 61.20 लाख रुपये की और मारवाड़ जंक्शन में सोलर प्लांट के 118.44 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी कीं

(1.00 बजे)

मैं मंत्री महोदय का बहुत-बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र में इतनी स्वीकृतियां जारी की हैं। इसके लिए मेरा क्षेत्र आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने इतने बढ़िया काम किये हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अब मैं मगरा क्षेत्र के एरिया में जहां पर बिलकुल ही वह पम्पसैट नहीं चालू हो सकते थे, बिजली नहीं है...

श्री सभापति: मान लिया धन्यवाद आपका। विराजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...वहां पर आपने सोलर प्लांट लगाकर पानी की सप्लाई दी है, इसके लिए भी मेरे क्षेत्र की जनता आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती है, आपका धन्यवाद करती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री अर्जुन लाल जी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): नहीं बोलूं? सीधी डिमांड दे देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल और 46 सिंचाई के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। मैं सीधे-सट्टे मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो डिमांड्स हैं, वह आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले तो प्रदेश में जो विधायक कोष से...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): रात को दो बजे तक बैठे हैं, दो मिनट तो इनको बोलने का समय दे दें।

श्री सभापति: कृपया बैठ जायें। ऐसे नहीं, बीच में बार-बार नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, इनके लिए ही तो हम कह रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया विराज जायें। आप विराज जायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम चले जायेंगे तो सुनेगा कौन फिर, बताओ आप।

श्री सभापति: कोई बात नहीं। आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): फिर खाली हो जाएगा पूरा हाउस। हम ही बैठे हैं जो इनको सुन रहे हैं। झेल रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजें। आप कन्टीन्यू करें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): प्रदेश के स्थानीय विधायक कोष से पेयजल हेतु हम लोग यूपीवीसी पाइप लाइन लगाने के लिए पैसा देते थे लेकिन विभाग ने एक एचडीपीई पाइप के लिए इसकी शर्त लगा दी कि भविष्य में कोई भी पाइप लाइन बिछेगी, वह एचडीपीई की बिछेगी। आज की तारीख में

(श्री अर्जुन लाल)

जो यूपीवीसी पाइप से एचडीपीई की रेट है, वह करीब ढाई गुना है तो हम जो विधायक कोष से कोई लाइन बिछवाना चाहते हैं विभाग के मार्फत या ग्राम पंचायत के मार्फत तो उसमें हमें यूपीवीसी के लिए वापस परमिशन दे दी जाये तो निश्चित रूप से छोटी-छोटी ढाणियों को जोड़ने में हमारे विधायक कोष का कम पैसा लगेगा।

दूसरा, यह है कि मेरे जो इन्द्रोका माणकलाव दांतीवाड़ा योजना से बिलाड़ा शहर व पीपाड़ शहर और 119 राजस्व ग्रामों को पानी मिलने की पेयजल योजना थी, उसको बार-बार स्टेप में मंत्रीजी ने भी करीब एक साल में इसका तीन बार समय बढ़ा दिया है। इसकी जो टारगेटेड डैट है, वह भी निकल चुकी है और आज तक उसमें सारा काम बाकी है और मंत्री महोदय तो आपके शिवपुरा बाँध के साथ ही उसका उद्घाटन भी कराने में थे और मैंने मना किया था कि वह काम अभी तक एक साल में पूरा नहीं हो पायेगा तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसको तुरंत प्रभाव से, जल्दी से जल्दी सम्पूर्ण और साकार रूप देने के लिए प्रयास करेंगे।

इसके साथ ही मेरी दांतीवाड़ा माणकलाव योजना है, इसके अंदर बिलाड़ा शहर की जो आबादी है, कम से कम 50 परसेंट आबादी कुओं पर रहती है और उस योजना में उसकी आबादी को तो जोड़ दिया...

(1.03 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि उस आबादी को हम पानी पिलायेंगे लेकिन डीपीआर बनी, उसमें उस क्षेत्र को पूरे को छोड़ दिया तो मेरे उस क्षेत्र में बिलाड़ा शहर की जलापूर्ति में वंचित शहर के वार्ड नम्बर 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22 और 23, ये 50 परसेंट वार्ड उससे वंचित रह गये और उनको जोड़ने के लिए इन्होंने किसी स्कीम में उसमें शामिल नहीं किया तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन स्कीम के लिए वापस वहां से एक पीपीसी में यह मामला आया है कि इन वार्डों को जोड़ने के लिए हमें 80 करोड़ रुपये और चाहिए तो आप नैक्स्ट पीपीसी की कोई मीटिंग में इसको स्वीकृत करायें ताकि 50 परसेंट आबादी जो वंचित रही है, वह निश्चित रूप से इससे जुड़ जायेंगी।

(श्री अर्जुन लाल)

इसके साथ मेरे क्षेत्र में उच्च जलाशय जो वंचित रह गये हैं, करीब दालेलीआइंचा, कोकुण्डा, पटेलनगर, रावणीयाणा, बोरूंदा, बिलाड़ा में शिवमगरी और चैनपुरा, ये सात उच्च जलाशय एस.आर. बनवाने के लिए इस स्कीम में सम्मिलित करवायें।

इसके साथ ही जयसंगसागर बाँध का जो मामला था, उसके लिए मेरा आग्रह है कि इस बाँध के पेटे में करीब 67 ट्यूबवैल खोदे गये थे जिससे वह पूरा बाँध एक चलनी के रूप में सीपेज हो रहा था। उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिये थे कि इसके सारे ट्यूबवैल्स हैं, उनको चौक कर दिया जाये और इसको सेफ दृष्टि में लेकर, साथ की साथ अजमेर के आनासागर से लेकर जयसंगसागर बाँध के बीच में जितने भी छोटे-मोटे एनीकट हैं, बाँध हैं, उनको हटाकर इसकी मैन लूणी रिवर की स्ट्रीम है, इसको सीधी जोड़ दी जाये ताकि यह जयसंगसागर के बाँध में पानी पहुंच जाये। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर तुरंत कार्यवाही करके, संबंधित विभाग को आदेश दिलाकर ये जितने भी ट्यूबवैल्स हैं, उनको चौक करवाकर आगे इनके क्षतिग्रस्त नहीं रहे, उनका निर्माण करवाकर कार्य पूरा करवायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगसी राम जी।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने मेरे क्षेत्र की बात रखने के लिए ही एक बजे तक का इंतजार किया है। मैं सीधे-सीधे मेरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र, रेवदर-आबू रोड की बात करना चाहूंगा जो कि आबू रोड-बेसासिंह परियोजना, जो पेयजल हेतु सरकार ने पीएचईडी को हैण्डओवर करवा दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस कार्य को पूरे आबू रोड शहर को और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल हेतु यदि जल्दी चालू करवाया जायेगा तो आने वाले समय के अंदर, गर्मियों के अंदर दिक्कत नहीं आएगी और लम्बी परियोजना है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जल्दी चालू करवायें।

इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2003 से 2008 के बीच में माननीय वसुन्धराजी की सरकार के समय में सिरोही जिले की पेयजल की

(श्री जगसी राम)

व्यवस्था के लिए नर्मदा के पानी के लिए सिरोही और रेवदर के लिए 750 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई थी और सरकार बदलने के बाद में उस योजना को ठंडे बस्ते में रख दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नर्मदा का गुजरात से लगता हुआ हमारा क्षेत्र है, मात्र 35 किलोमीटर का उसमें दायरा है। उस योजना को सिरोही जिले और रेवदर से यदि जोड़ा जाये तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर रेवदर की पेयजल समस्या है, उसका समाधान हो जायेगा। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा। रेवदर पूरे ब्लाक के अंदर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन गर्मियों के दिनों में पेयजल की विकट समस्या से जूझना पड़ता है, क्षेत्र की जनता जूझ रही है। मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा विशेष तौर से रेवदर, मंडार, दांतराई, अनादरा, भटाणा, जौलपुर, अनापुर और जिरावल, वहां पर यह बड़ी ग्राम पंचायतों में पानी की काफी किल्लत रहती है और वहां पर रेवदर और मंडार तो 40-45 साल पुरानी पाइप लाइन जो उनकी बिछी हुई है, मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि उन पाइप लाइन को चेंज करवायें और जो बड़ी ग्राम पंचायत हैं, उनको भी पानी की सुविधा चाहे ट्यूबवैल करवाकर और इसके अलावा जो छोटे गांव हैं, जो छोटे-छोटे गांव हैं जैसे वाडका, सीबराखेड़ा, कम्बोइया, बिकणवास, पेरवा, सेरवा, करेली, गुंदवाड़ा आदि ऐसे जो गांव हैं, वहां पर जो स्कीम के अंदर नहीं आते हैं तो पानी के लिए उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह योजना है, उनको सीधे-सीधे तौर पर ट्यूबवैल या हैण्डपम्प लगवाकर उनके पेयजल की सुविधा करवाई जाये। पुरानी जो पाइप लाइन हैं, उनको यदि बदली जाये तो मैं समझता हूं कि क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छा कदम होगा।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, यह पेयजल माननीय सभी सदस्य अपनी-अपनी बात रख रहे हैं और हैण्ड पम्प मिस्त्री की बात है। पूरे रेवदर ब्लाक के अंदर, पूरी पंचायत समिति के अंदर मात्र एक या दो हैण्ड पम्प मिस्त्री हैं और पिछले समय से, कई बार मैंने यह मांग रखी है। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि इनकी व्यवस्था क्योंकि कहने में हमको

(श्री जगसी राम)

अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह व्यवस्था यदि नहीं होती है तो एक-एक हैण्ड पम्प ठीक करवाने के लिए 15 दिन, महीने के डिफरेंस में भी वह ठीक नहीं करवा रहे क्योंकि वह अधिकारी वही बात कहते हैं कि हमारे पास में हैण्ड पम्प मिस्त्री नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी व्यवस्था आप करवायें।

इसी तरह से मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, जो पिछले समय में हमारे एक बड़ी परियोजना थी सूकली सेलवाड़ा बाँध परियोजना उसमें क्योंकि तीन साल तो रेगुलर उनके फाटक की दिक्कत आ रही थी, वो फाटक इस वर्ष ठीक हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सारी नहरें टूटी हुई हैं उनको रिपयेर करवा कर, आने वाले समय में जो सरकार ने मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना चालू की है उससे पानी का स्तर बढ़ेगा और बाँध जो भरे जाएंगे उससे क्षेत्र के किसानों और क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सूकली सेलवाड़ा बाँध की नहरों की नये सिरे से मरम्मत करवा कर ठीक करवायी जाए।

इसी तरह से हमारे वहां पर एक पिथापुरा एम के नाम से बाँध बना हुआ था वो बाँध टूटकर बहकर चला गया है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वो बाँध यदि पुन: बाँध दिया जाए तो पूरे मंडार ब्लॉक के बीस गांवों को उससे सीधा-सीधा फायदा मिलेगा। इसी तरह से माउंट आबू का पूरा पानी आबू रोड बनास नदी से बहकर गुजरात में चला जाता है। मैं मंत्री महोदय, यह बात जो कह रहा हूं यह बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। इसी तरह माउंट आबू के ऊपर जो सालगाम डेम है उस सालगाम डेम परियोजना को वहां लागू किया जाए और बनास नदी पर यदि बाँध बनाया जाए तो पूरे आबू रोड क्षेत्र में मैं समझता हूं कि काफी किसानों को और क्षेत्र की जनता को सीधा-सीधा वहां पर इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको पानी का सीधा फायदा होगा। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पुराने एनीकट पिछली कांग्रेस में अधूरे और पानी से बहकर टूटे पड़े हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको यदि वापस पूरे क्षेत्र में ...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री जी, नोट करो भूल जाओगे आप।

श्री जगसी राम (रेवदर): ...जो टूटे हुए हैं उनको वापस तैयार करवाकर यदि ठीक करवाया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे पूरे क्षेत्र में किसानों की बहुत मूलभूत सुविधा होगी क्योंकि रेवदर तहसील कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसानों के लिए मैं खुद भी किसान परिवार से हूं और किसानों की जो समस्या है उसकी बात रखने के लिए यहां पर रात को सवा एक बजे तक बैठ कर भी, मैं हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी बात को रखने का समय दिया। मैं मेरी इतनी बात कहते हुए, आपको खूब-खूब धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज आपको नियमों के नियम-7 में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेजीडूअरी पॉवर है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य सलाहकार समिति ने आपकी सदारत में जो बिजनस तय किया था वो 28 तारीख को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तय किया था कि ये दोनों मांगें-27 और 46 और उसके बाद मुखबंद और उसके बाद पारण उसका। फिर आज की तारीख को अब आप क्या कहोगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको अधिकार तो है पर इसलिए मैं निवेदन करूं, 307 में जो आपको रेजीडूअरी पॉवर है आज उसका इस्तेमाल कर ही लो आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय और साथ ही कुछ माननीय अधिकारीगण भी आज पहली बार निशाचर हुए हैं, उनको भी आप ही बधाई दे दो।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे संसदीय कार्य मंत्री महोदय, हम जिस देश में रहते हैं न उसको भारत कहते हैं और भारतीय संस्कृति के अन्दर जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता न तब तक तारीख बदलती नहीं है। श्री सुरेन्द्र गोयल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज महत्वपूर्ण मांग संख्या-27 पेयजल पर 57 माननीय सदस्यों ने

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

भाग लिया जो अपने आपमें इतिहास है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये। अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी जिक्र किया। राजस्थान में पेयजल की कितनी किल्लत है। कौन-कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं कौन-कौन से डिले हैं। हैंडपंप खराब हैं, ट्यूबवैल खराब हैं, सूख गये हैं। आरओ खराब हैं। सोलर खराब हैं। कई महत्वपूर्ण उन्होंने सुझाव दिये हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 314 कट मोशंस प्रस्तुत किये हैं, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि 48 घंटे के भीतर-भीतर उन कट मोशंस का जवाब आपको पहुंचा दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अभी तक चर्चा में भाग लेकर के जो पेयजल के बारे में बताया, अपन जानते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़ 86 लाख है और पूरे भारत की जनंसख्या का 5.5 परसेंट है और सतही जल 1.1 परसेंट है और भूजल 1.47 परसेंट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्व में जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2 हजार घनमीटर यानी केएलडी है और उसमें भारत की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता 1700 केएलडी है और राजस्थान की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता 642 घनमीटर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो पानी की उपलब्धता है उसमें भी मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है कि आज राजस्थान के अन्दर 93 परसेंट पानी लवणीय है, 50 परसेंट पानी फ्लोराइड युक्त है, 53 परसेंट पानी नाइट्रेट युक्त है। आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये परिस्थितियां पैदा करने में किसका योगदान है? आज 51 साल राज माननीय प्रतिपक्ष के भाइयों ने किया और 19 साल राज हम लोगों ने किया। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि राजस्थान में किस प्रकार की परिस्थिति आने वाली है कि 93 परसेंट लवणीय पानी हो जाए, पचास परसेंट फ्लोराइड युक्त हो जाए, 53 परसेंट नाइट्रेट युक्त हो जाए। कभी इन्होंने सोचा नहीं कि इस प्रकार से जल का दोहन हो रहा है, जल नीचे जा रहा है। इर्रिगेशन के लिए पानी ज्यादा खर्च हो रहा है। नयी टेक्नोलॉजी से इर्रिगेशन नहीं हो रही है। पशुधन बढ़

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है। किस प्रकार से प्लान बनायें जिससे राजस्थान पानी के मामले में स्वावलंबी हो सके और राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का संकट नहीं हो, कभी इन्होंने नहीं सोचा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

मैं धन्यवाद करता हूं आज माननीय पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब का जब 1990 के दशक में सरकार संभाली तो उन्होंने सोचा कि राजस्थान के अन्दर सतही जल के जो स्रोत हैं, चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, चाहे नर्मदा नहर हो, चाहे अपनी चम्बल नहर हो, चाहे जवाई का बाँध हो, चाहे माही का बाँध हो, चाहे बीसलपुर का बाँध हो, उन्होंने एक कन्सेप्ट सोचा कि किस प्रकार से राजस्थान में दूसरी व्यवस्था की जाए जिससे राजस्थान में पानी शुद्ध और मीठा पेयजल मिल सके। सबसे पहले 1992 के अन्दर चूरू जिले में पानी पूरा सूख गया था तो उन्होंने वृहत् परियोजना बनाई आपणी योजना, उसको लाभान्वित किया। मीनव्हाइल, 1994 के अन्दर अजमेर के अन्दर पानी का हा-हा कार होने लग गया तो माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने उस समय बीसलपुर से पानी पहुंचाने का काम किया। जब तक अजमेर को पानी पूरा पहुंचा ही नहीं उसके पहले जोधपुर, जो राजस्थान की दूसरे नम्बर की सिटी है वहां पानी की प्रोब्लम आ गयी। उस प्रोब्लम को सोल्व करने के लिए इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट करके जोधपुर को पानी पिलाने का काम हाथ में लिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कन्सेप्ट उन्होंने सोचा कि अगर सतही जल के स्रोत हमारे पास सीमित हैं उन स्रोतों से ही हम किसी प्रकार से पानी पहुंचा करके लोगों को लाभान्वित कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि पूरे राजस्थान के 295 ब्लॉक हैं उसमें 194 ब्लॉक अति दोहित की श्रेणी में है, 10 ब्लॉक क्रिटीकल है, 38 ब्लॉक सेमी क्रिटीकल है, 35 ब्लॉक अधिसूचित हैं और 50 ब्लॉक आज की तारीख में सुरक्षित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पोजिशन क्यों पैदा हुई? यह पोजिशन इसलिए पैदा हुई कि इन्होंने वर्षा जल का संरक्षण करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर वर्षा जल को संरक्षित करने का और इर्रिगेशन के लिये पानी का जो ज्यादा दोहन हो रहा है, इसके बारे में और जनसंख्या वृद्धि को

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सोच लिया होता तो आज यह पोजिशन नहीं होती।

मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा राजे जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की सोच डवलप की कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो सूखे के नाम से जाना जाता है। पाँच साल में तीन साल अकाल पडता है। हालात बहुत खराब हैं, आज परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। किस प्रकार से वर्षा की एक-एक बूंद को बचाकर गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में रखने के लिये मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन का आगाज किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह सोचा, यह कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, जनता में अवेयरनेस लाने के लिये कि राजस्थान में जनता में एक अवेयरनेस आये कि किस प्रकार से वर्षा जल को बचाया जाये। यह पानी बचेगा तभी अपना जीवन बचेगा। पूर्व वक्ताओं ने जैसा कहा कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, इस प्रकार के कंसेप्ट लेकर उन्होंने मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन का आगाज किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खशी है फर्स्ट फेज में 3529 गांवों में काम हाथ में लिये, 95 हजार स्ट्रक्चर बने जिसमें से सिर्फ 229 स्ट्रक्चर छोटे-मोटे टूटे, उनको रिपेयर कर दिया और इन्द्र देव की मेहरबानी हुई, पूरे स्ट्रक्चर लबालब भर गये और भरने के बाद जो 25 ब्लाक पहले सुरक्षित थे, आज की तारीख में 50 ब्लाक सुरक्षित हो गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह प्रोग्राम हाथ में लिया उस समय मैं ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री था, दक्षिण अफ्रीका से प्रतिनिधि मंडल आया था, लीबिया से प्रतिनिधि मंडल आया था, उन्होंने इस मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन को इतना सराहा और उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी इसको लागू करेंगे। ईवन मन की बात में प्रधान मंत्रीजी ने भी इसकी सराहना की। यह प्रोग्राम इतना सराहा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में जल को संचित करने का जो प्रोगाम चल रहा है, उससे भी बढिया राजस्थान में चल रहा है। मुझे बहुत खशी है कि राजस्थान में मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन का आगाज किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सैकिण्ड़ फेज में जो 9 दिसम्बर को शुरू हुआ, उसमें 4200 गांवों में काम लेंगे और करीब 1 लाख 40 हजार

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

स्ट्रक्चर बनायेंगे। बाद में जब यह स्ट्रक्चर बनेंगे, बरसात आयेगी, भरेंगे और 50 ब्लाक सुरक्षित हो जायेंगे। इसके अलावा मुख्य मंत्रीजी ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले समय में 21 हजार गांवों में मुख्य मंत्री जल स्वालंबन का काम चलाकर हम राजस्थान को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है और मैं सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि राजस्थान में उद्योग लगें या नहीं लगें, दूसरी कोई चीज हो या नहीं हो, पर आने वाले समय में जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, तीसरा विश्व युद्ध अगर कोई होगा तो वह पानी के लिये होगा, अगर इस समय अपन नहीं चेते तो आने वाले समय में अपने सामने बहुत भयंकर संकट होगा। आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कोई क्रिटिकल स्थिति है, वह राजस्थान की है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं इसके बारे में अपन लोगों को चिंतन करना चाहिये। जहां भी आप भाषण दें, जहां पर भी आप बैठें, जहां पर भी आपका वर्चस्व है, आप लोग इस बात की चर्चा करें कि मुख्य मंत्रीजी ने मिशन के रूप में इस प्रोग्राम को लिया है, उसको मिशन के रूप में ही आप लोग काम करके लोगों को आगाह करे और पानी को बचाने का काम करे, यह मैं सदन से निवेदन कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की, उस चर्चा के बारे में मैं निवेदन कर दूं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में बजट में कमी कर दी। वृहत् योजना पर काम ही नहीं किया और तीन साल में कुछ नहीं किया। मैं इनको तुलनात्मक स्थिति निवेदन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती पांच साल की सरकार ने चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण पेयजल हो, चाहे वृहत् परियोजना हो, इन तीनों के लिये पूरे पाँच साल का 15380 करोड़ रुपये का अलोकेशन किया, बजट में प्रावधान किया, उसके अगेंस्ट में इन्होंने पाँच साल में 12224 करोड़ रुपये खर्च किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन साल में 16164 करोड का बजट रखा और मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि 14500 करोड़ रुपये हमने फरवरी तक खर्च कर दिया और मार्च तक 15000 करोड़ खर्च करके राजस्थान में जो वृहत् पेयजल योजना चल रही है, चाहे हमारी शहरी पेयजल योजना चल रही है, चाहे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

ग्रामीण पेयजल योजनाएं चल रही है, उसमें एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन वृत में हमारे विभाग को बांट रखा है। ग्रामीण पेयजल योजना है, ग्रामीण पेयजल योजना में ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 2016-17 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम 2039 गांवों और बस्तियों में, उसमें 1200 गांव और बस्तियां जो गुणवत्ता प्रभावित हैं, उन बस्तियों में हम कार्य योजना बनाकर उनमें कोई नई सेंक्शन निकालनी है, कहीं आरओ लगाना है, कहीं डीएफओ लगाना है। इस प्रकार व्यवस्था करके 7652 योजना बनाकर 922 करोड़ रुपये खर्च कर के 2016-17 में हमने काम हाथ में लिया है। उनकी स्वीकृतियां जारी हो गई है और वह काम चल रहा है। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ढाई हजार गांवों और बस्तियों को लेकर, उसमें योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से काम करने का हमें निर्देश दिया है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बारे में हम व्यवस्थित काम करके राजस्थान की जनता को पानी के मामले में व्यवस्थित करने का और उनको मीठा पानी मुहैया कराने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरओ के बारे में यहां बहुत चिंता प्रकट की कि हमारे आरओ लगे ही नहीं, लगे हैं तो बंद पडे हैं या खराब स्थिति में है। मैं निवेदन करूंगा हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फर्स्ट फेज में 895 आरओ स्वीकृत किये। सैकण्ड़ फेज में 1066 आरओ स्वीकृत किये। अभी बजट घोषणा में 1483 आरओ की घोषणा की है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि जो आरओ स्वीकृत किये हैं उन आरओ को चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके माननीय सदस्यों की जो अभिशंसा आयेगी, उसके आधार पर फर्स्ट फेज और सैकण्ड़ फेज की जो स्वीकृतियां जारी हो गई हैं, थर्ड फेज की स्वीकृतियां आप लोगों के जहां फ्लोराइड युक्त है, चाहे नाइट्रेटयुक्त पानी है, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां पर सोलर लगायेंगे, आरओ लगाकर उनको लाभान्वित करने का काम हम लोग करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरओ का पानी आज ऐसा है जहां बिसलरी की बोतल 20 रुपये में मिलती है और हम 10 पैसे में एक लीटर

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पानी फर्स्ट फेज में, सैकण्ड़ फेज में 20 पैसे में एक लीटर पानी दे रहे हैं। इसकी मेंटीनेंस का काम भी 7 साल के लिये उसी अनुबंधक के पास रहेगा जिससे वह अनुबंधक सही ढंग से उस आरओ को चलाकर उस गांव में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं जहां पर भी आप लोगों ने आरओ के बंद होने की शिकायत बताई है, मैं प्रोसीडिंग को देख कर जहां-जहां भी आप लोगों ने आरओ बंद की शिकायत की है, उन कंपनियों को टाइअप करके दो महीने में सभी आरओ को ठीक कराने के लिये आप लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोलर डीएफओ के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार 1044 सोलर पम्प लगाने, 345 सोलर डीएफओ लगाने के लिये घोषणा की थी। उसकी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, उसमें स्वीकृतियां जारी होने में थोड़ा समय लगा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्दी से जल्दी कार्यादेश देकर उन कामों को जल्दी से जल्दी फील्ड में पहुंचा कर सोलर पम्प और सोलर डीएफओ लगाकर व्यवस्थित करने का काम करेंगे। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1175 सोलर डीएफओ लगाने की घोषणा की है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपकी अभिशंसा के अनुसार जहां फ्लोराइडयुक्त पानी है, जहां पर नाइट्रेटयुक्त पानी है, जहां पर बिजली नहीं है, वहां पर सोलर डीएफओ लगा कर उन गांवों को भी मीठा और शुद्ध पेयजल पिलाने का काम हम लोग करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप लोग जानते हैं सोलर डीएफओ आज की तारीख में बहुत उपयोगी है। जहां पर भी मैं बैठता हूं सभी माननीय सदस्य एक ही मांग करते हैं कि हमारे यहां सोलर पम्प लगाइये। सोलर पम्प लगाने के पीछे यह है कि हैंड पम्प 250-300 फीट पर थे, वह सब सूख चुके हैं और ट्यूब वैल भी सूख चुके हैं। यह सूरज की रोशनी से चलने वाले सोलर है जिससे गर्मी के टाइम में पानी आराम से मिल सकता है, यह बहुत उपयोगी साबित हुआ है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि सोलर पम्प लगाने का काम भी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जनता जल के बारे में माननीय

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सदस्यों ने बहुत जिक्र किया कि हमारी जनता जल योजनाएं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गई है और बंद होने के कगार पर है, बिजली के बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2011 में तत्कालीन सरकार ने 6523 जनता जल योजना बिना कुछ सोचे समझे, बिना फंड, फंक्शन और फंक्शनिंग के पंचायतों को हैंड ओवर कर दी। पंचायतों के पास न तो कोई बजट था, न कोई निजी आय थी, न उनके पास मरम्मत के पैसे थे, न कोई उनके पास कर्मचारी थे, न उसके पास कोई अधिकारी थे, न कोई बिजली के भुगतान के पैसे थे और पंचायतों को सुपुर्द कर दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब सुराज संकल्प यात्रा में गांवों का दौरा कर रही थीं, उस समय लोगों ने जनता जल योजनाओं के बारे में शिकायतें कीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आते ही 139 करोड़ के बजट का प्रोविजन जनता जल योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए किया। सैकिण्ड फेज में 100 करोड़ की घोषणा सुदृढ़ीकरण के लिए की और 239 करोड़ के अगेंस्ट में हमने 307 करोड़ रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करके 2528 जनता जल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण का काम हाथ में लिया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूंकि हम उन जनता जल योजनाओं को जो आज मरम्मत के अभाव में दम तोड़ रही हैं और उन जनता जल योजनाओं को एकदम सुदृढ़ करके, उनको व्यवस्थित करके गांव में पानी पिलाने का काम करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 500 जनता जल योजनाओं को टेकअप करने की घोषणा की है। हम टेकअप करके उनको भी सुव्यवस्थित करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें केबिनेट में निर्देश दिए कि जो जनता जल योजनाएं हैं, उनका बिजली का पैसा पंचायतें नहीं भर सकती, इसलिए राज्य वित्त आयोग के मद से पहले ही पैसा काटकर डायरेक्ट 6523 जनता जल योजनाएं हैं, उनके अंदर बिलों का भुगतान करें। यह भी व्यवस्था की है। हम लोग यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो जनता जल योजना चल रही हैं, उनकी मोनिटरिंग और सुपरविजन के लिए अधिकारी-कर्मचारी लगाने के लिए हमने माननीय मुख्य

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मंत्रीजी से निवेदन किया है। जल्दी से जल्दी निर्णय करके, उनका सुपरविजन सही ढंग से हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने सदन में चर्चा की कि जो नहर आधारित डिग्गी परियोजना हैं, उनकी भी हालत जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में हो गई थीं और वे भी दम तोड़ने लग गई थीं। जिस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी बीकानेर संभाग में पधारे थे, वहां पर लोगों ने शिकायतें कीं कि डिग्गी परियोजनाएं बंद होने के कगार पर हैं तो उन्होंने 132 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि 150 डिग्गी परियोजनाओं को हाथ में लेकर उनको दुरुस्त करने का काम किया और आने वाले इस बजट में भी 100 करोड़ रुपये की घोषणा इन डिग्गी परियोजनाओं के लिए की है। जो बची हुई डिग्गी परियोजनाएं हैं, उनको भी दुरुस्त करके, सुदृढ़ीकरण करके, उनकी मरम्मत करके पानी की बचत भी करेंगे और व्यवस्थित करके जनता को उन डिग्गी परियोजनाओं का लाभ देने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जब मुख्य मंत्रीजी सुराज संकल्प यात्रा में पधारे थे। जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जो हैडवर्क्स हैं, जलाशय हैं और पम्प गृह हैं, वे खराब हो गए थे। उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। यहां पर भी आज माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे जलाशय खराब हैं, हमारे पम्प गृह पुराने हैं और वे मरम्मत के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। मैं बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए भी पिछले साल में 45 करोड़ रुपये देकर उनका जीर्णोद्धार करने का भी काम हाथ में लेकर उनकी स्वीकृतियां जारी की हैं। उनका भी हम जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। इस बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि बचे हुए जो जलाशय हैं, पम्प गृह हैं, हैडवर्क्स हैं, उनका भी काम हम हाथ में लेकर करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो गर्मी आने वाली है, इन गर्मियों के अंदर पानी का संकट.. जैसा कि सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर कहा है कि गर्मियों के अंदर पानी की परेशानी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

आएगी। इसके लिए मैंने सभी चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता रैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी फील्ड में जाकर जो योजनाएं चल रही हैं, उनका विजिट करेंगे और जहां पर भी उनको लगे कि गर्मी का टाइम है, परेशानी आ सकती है तो वे उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। मैंने यह भी निर्देश दे दिए हैं कि पचास लाख तक की स्वीकृतियां अतिरिक्त मुख्य अभियंता रैंक के अधिकारी स्वयं जारी कर सकते हैं। जो योजनाएं खराब हो रही हैं, पैसे की कमी के कारण, आने वाला समय में पैसा आने वाला है, उसके लिए पचास लाख तक स्वीकृतियां स्वयं जारी कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी निर्देश दे दिए हैं कि जहां वाहन की कमी है, किराए पर वाहन लेने के निर्देश भी हमने अधिकारियों को दे दिए हैं कि किराए पर वाहन लेकर फील्ड विजिट करके लोगों के हैंडपम्प और जो दूसरी मशीनें ठीक करनी है, वह ठीक करने का काम करेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों की कमी है, तो हमने यह भी निर्देश दे दिए हैं कि संविदा के आधार पर आप कर्मचारी लें। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसलिए व्यवस्थित करने का काम भी आप लोगों को करना है। इस प्रकार के निर्देश भी दे दिए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पिछले साल में गर्मियों के टाइम में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 1 लाख 76 हजार हैंडपम्प ठीक करने का काम किया और शहरी क्षेत्रों के अंदर 35 हजार 500 हैंडपम्प ठीक करने का काम किया। इस बार जहां-जहां भी हैंडपम्प की शिकायतें माननीय सदस्यों ने की हैं और जहां पर भी फील्ड में शिकायतें मिलेंगी, उन शिकायतों के आधार पर उन हैंडपम्पों को ठीक करने का काम करेंगे और जैसा मेरे भाइयों ने कहा कि साहब, हैंडपम्प ठीक करने जाते ही नहीं है। वे घर बैठे ही लिख देते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं और आश्वस्त करता हूं कि कहीं पर भी आप लोगों को लगे कि वहां अव्यवस्था है और आप मेरी जानकारी में लायेंगे तो मैं उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करके, उसको व्यवस्थित करने काम करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शहरी जलदाय योजना के बारे में

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

थोड़ा-सा जिक्र कर दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि शहरों के अंदर आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि पूर्ववर्ती पाँच साल की सरकार ने शहरी परियोजनाओं के लिए 3100 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया, उनमें से उन्होंने पाँच साल में 2500 करोड़ रुपये खर्च किया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे तीन साल में 3500 करोड़ रुपये का अलोकेशन किया, हमने उसके अगेंस्ट में 3100 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। तो यह आप तुलनात्मक देखिए कि हमने शहरी क्षेत्र के लिए क्या काम किया है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम शहरी क्षेत्रों के अंदर ESKO पद्धति से... आज बिजली का बिल हमारा 1400 करोड़ रुपये का साल का आता है तो हमने एक ESKO लागू की है। ESKO को पायलट प्रोजेक्ट रूप में हमने कायलाना, जोधपुर है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जोधपुर है, भरतपुर शहर है, भीलवाड़ा-कांकरोली हैडवर्क्स है और उदयपुर-जयसमंद हैडवर्क्स है वहां पर लागू की है। इसके ऊपर बिजली की बचत किस प्रकार से हो? खुली बोली से अनुबंध करके उसके अंदर यह शर्त रखी है कि बिजली बचाकर, नई मशीनें लगाकर 10 परसेंट आपको विभाग को देना है और 10 परसेंट से ज्यादा कोई ठेकेदार कहता है कि मैं तो 20 परसेंट करूंगा, कोई ठेकेदार कहता है मैं तो 30 परसेंट बचत करुंगा। जो 30 परसेंट बचत करेगा उसका आधा विभाग में आएगा और आधा उसके पास जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था हाथ में लेकर बिजली के तंत्र को मजबूत करने का काम भी हाथ में लिया है और बिजली की बचत करने का काम भी हाथ में लिया है। यह काम आने वाले समय में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है और मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि करीब दस करोड़ रुपये की हमने इस प्रकार से चार-पाँच पायलट प्रोजेक्टों से बचत करने की कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो-जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें ESKO पद्धति से बिजली की बचत करने का काम भी हम लोग करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा स्काडा सिस्टम में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जिसमें जयपुर में बीसलपुर परियोजना से पानी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

आ रहा है। उस परियोजना के अंदर हमने प्रयोग किया कि कम्प्यूटर पर 'ए' से लेकर 'जेड' तक पूरी स्कीम को कम्प्यूटराइज करके कि कहां से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, मशीन सही चल रही है कि नहीं चल रही है? पूरे हैडवर्क्स की, पूरे सिस्टम की उस कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक जगह, एक छत के नीचे बैठकर देख सकते हैं। वह प्रोजेक्ट भी हमारा सक्सेज गया और हमें बहुत अच्छा लगा। उसके आधार पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार घोषणा की है कि अगले दो सालों के अंदर भरतपुर शहर, बीकानेर शहर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर के अंदर दो-दो चरण के अंदर स्काडा पद्धति से काम करके उनके अंदर सिस्टम को डवलप करेंगे और व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नॉन रेवन्यु वॉटर के कारण आज राजस्थान के अंदर जैसा मैंने सदस्यों से निवेदन किया, नॉन रेवन्यु वॉटर आज 40 परसेंट यूं ही व्यर्थ में बह रहा है, जिसका न तो कोई रेवन्यु राज्य सरकार को आता है और न पीने के काम आता है। बिना मतलब के वह पानी बहता है। उस नॉन रेवन्यु वॉटर को हमने 'जायका' के साथ समझौता करके जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जोन के अंदर काम हाथ में लिया है। मुझे बताते हुए खुशी है। उपाध्यक्ष महोदय, उसका यह रिजल्ट रहा है कि 20 परसेंट तक नॉन रेवन्यु वॉटर आ गया है और उसको हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में..। माननीय मुख्य मंत्री ने अभी बजट में घोषणा की है कि नॉन रेवन्यु वॉटर को हम सिस्टेमेटिक करने के लिए आने वाले दो सालों में भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर में काम हाथ में लेकर किस प्रकार से पानी को बचाया जा सके, इस प्रकार का काम हाथ में लेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि नॉन रेवन्यु वॉटर को बचाने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर है। कोटा शहर के अंदर किस प्रकार से 24 घंटे सप्लाई हो, उसकी व्यवस्था करने के लिए हमने एन.सी.आर. परियोजना बोर्ड से टाइअप किया है और हमने उनसे निवेदन किया है कि कोटा की वितरण प्रणाली सुदृढ़ करके, वहां पानी की किस प्रकार से 24 घंटे सप्लाई करे, पानी की बचत भी करें, बिजली की भी बचत करें

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

और व्यवस्था को सुदृढ़ करें, उसके लिए उन्होंने हमें टेंटेटिवली 850 करोड़ रुपए के लिए 'यस' किया है। हम उन 850 करोड़ रुपये से कोटा में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम करेंगे और 24 घंटे पानी देने का काम आने वाले समय में हाथ में लेंगे। वह भी कारगर साबित हुआ तो अन्य शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम हम लोग करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र के अंदर हमने निजी सहभागिता से, जहां फ्लोराइडयुक्त पानी है, नाइट्रेटयुक्त ज्यादा पानी है, जैसे भरतपुर के अंदर नदबई, कुम्हेर, डीग, कामां है इसके अंदर। धौलपुर के अंदर बाड़ी है। सवाईमाधोपुर में गंगापुर सिटी है। चूरू के अंदर रतनगढ़ और राजलदेसर है, ऐसे कस्बों के अंदर हम 30 आरओ लगाकर उन गांवों को भी शुद्ध और मीठा पेयजल पिलाने की व्यवस्था करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,यह शहरी क्षेत्र की बात सदस्यों के सामने और सदन के सामने निवेदन की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वृहत् परियोजना के बारे में निवेदन करूंगा। जब हमने सरकार संभाली, उस समय 67 परियोजनाएं हमारे हाथ में आई थीं। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा। उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की थी कि आने वाले तीन साल में करीब 37 परियोजनाओं को पूरा करूंगी। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि 32 परियोजनाओं को पूरा कर दिया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि तुलनात्मक अध्ययन के रूप में, यह कहते हैं कि आपने वृहत् योजना पर खर्चा ही नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने पाँच साल के अंदर वृहत् परियोजना पर 6 हजार 775 करोड़ रुपये खर्च किए। हमने इन तीन सालों के अंदर 9 हजार करोड़ रुपये खर्च किए। उनका एक साल का औसत एक हजार 351 करोड़ था और हमारा एक साल का औसत 3 हजार करोड़ हैं। उन्होंने 40 लाख लोगों को लाभान्वित किया, हमने 76 लाख लोगों को लाभान्वित किया। अब की बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 8 हजार 647 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में और वृहत् परियोजनाएं, 37 में से 5 बची हैं उनको भी टेकअप करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 9 परियोजनाओं की घोषणा की है। इस साल उनको भी पूरा करेंगे। 5 परियोजनाएं जो माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

ने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, बारां, मांगरोल, अंता के लिए स्वीकृत की हैं, उन स्कीमों पर भी हम कार्य योजना बनाकर सुव्यवस्थित करने का काम करेंगे। उनको भी हाथ में लेकर सिस्टेमेटिक ढंग से, जल्दी से जल्दी मुख्य मंत्रीजी घोषणा की पालना हो, इस प्रकार का काम हम लोग करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वृहत् परियोजना का काम अपन जानते हैं, राजस्थान लंबा चौड़ा है। इसके अंदर शहर को भी जोड़ना है, गांवों को भी जोड़ना है, ढाणियों को भी जोड़ना है। हमने धीरे-धीरे इन वृहत् परियोजनाओं को, चाहे बाड़मेर लिफ्ट से हो, चाहे बीसलपुर बाँध से हो, चाहे चम्बल से हो, चाहे जंवाई से हो, चाहे माही से हो, जोड़ने का काम किया है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो भी वृहत् योजना चली है, समयबद्ध तरीके से और आपकी भावना के अनुरूप इसको और व्यवस्थित करने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारा जो सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार करने वाले थे, वह जेल में बैठे हैं और उनके खिलाफ एसीडी कार्यवाही कर रही है। आप लोग इस प्रकार की बात सदन में करते हैं कि सब अधिकारी चोर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे प्रिंसिपल सैक्रेटरी, एसीएस, चीफ इंजीनियर हैं, वह सिस्टेमेटिक ढंग से, पारदर्शिता से, जनहित में पेयजल की व्यवस्थाओं को सुधार कर, जनता को किस प्रकार से लाभ दे सकें, हमेशा कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं।

मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में भी यह व्यवस्थित काम करके राजस्थान को, आज फ्लोराइडयुक्त, नाइट्रेटयुक्त, खारा पानी है, इससे निजात दिलाने का काम करेंग। व्यवस्थित करके आपकी भावनाओं के अनुरूप काम करके लाभान्वित करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र के अंदर जो अमृत योजना है उसके बारे में मैं कहना भूल गया था। भारत सरकार द्वारा शहरों में बुनियादी सेवाएं अथवा जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि मुहैया कराने के उद्देश्य से अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन की स्थापना की गई है। इस स्थापना में राज्य के 29 शहरों में पेयजल हेतु 1007.36 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। मुझे कहते हुए खुशी है कि

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उन 29 शहरों में से 5 शहर क्रमश: गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, टोंक, झुन्झुनूं हेतु पेयजल से संबंधित कार्य आरयूआईडीपी फेज थर्ड के अंतर्गत कराए जाने प्रस्तावित हैं। एक शहर किशनगढ़ हेतु राज्य योजना मद से कार्य क्रियान्वित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अमृत योजना के अंदर शेष 23 शहरों में पेयजल से संबंधित कार्य प्रस्तावित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 23 में से एक शहर सीकर का कार्यादेश जारी हो चुका है। बाकी शहरों के लिए, जैसे भिवाड़ी के लिए 17.79 करोड़, ब्यावर के लिए 28.53 करोड़, गंगापुर सिटी के लिए 59.81 करोड़, सुजानगढ़ के लिए 13.06 करोड़, अलवर के लिए 90.62 करोड, सीकर के लिए 30.50 करोड़, धौलपुर के लिए 41.67 करोड़, बारां के लिए 78.21 करोड़, नागौर के लिए 50.6 करोड़, बूंदी के लिए 46.36 करोड़, भीलवाड़ा के लिए 23.33 करोड़, कोटा के लिए 70.25 करोड़, सवाईमाधोपुर के लिए 45.32 करोड़, झालावाड के लिए 75.23 करोड़, बीकानेर के लिए 34.95 करोड़, हिण्डौन के लिए 20.57 करोड़, चूरू के लिए 20.79 करोड़, चित्तौडगढ़ के लिए 55 करोड़, भरतपुर के लिए 49.98 करोड़, जोधपुर के लिए 10.16 करोड़, जयपुर के लिए 50 करोड़ एवं उदयपुर के लिए 30 करोड़, कुल राशि 943.89 करोड़ रुपये की डीपीआर की स्वीकृति अमृत योजना के अंदर गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा की जा चुकी है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि टैंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्दी से जल्दी विदिन का मंथ टैंडर प्रक्रिया पूरी करके कार्यादेश जारी कर दिए जाएंगे। उनको धरातल पर लाने का काम करेंगे जिससे आने वाले समय में पेयजल वितरण प्रणाली सुदृढ़ हो और व्यवस्थित हो, यह भी हम लोग आने वाले समय में करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय पनगड़िया जी से मिलकर राजस्थान में फ्लोराइड, नाइट्रेटयुक्त पानी है उससे निजात दिलाने के लिए 331 करोड़ राज्य सरकार को दिलाए। इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिलकर, 100 करोड़ रुपये फागी और निवाई जो वृहत् परियोजना चल रही है उसके रूपये दिलाए। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं और पनगड़िया साहब का भी धन्यवाद करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सब-मिशन के तहत भी जो पूरे हिन्दुस्तान भर को एक हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन था, उसके अगेन्स्ट में राजस्थान को 490 करोड़ रुपये मिले। आने वाले समय में 490 करोड़ का हम फ्लोराइडयुक्त एरिया, नाइट्रेटयुक्त एरिया, लवणीय युक्त एरिया के अंदर आर ओ लगाकर, सोलर पम्प लगाकर, डीएफओ लगाकर व्यवस्था करने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में खारे पानी से निजात मिलेगी और व्यवस्थित काम चलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर कुछ समस्याओं के बारे में जिक्र किया। मैं सदन के सामने थोड़ा-सा अवगत करा दूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसपुर से माननीय विधायक हैं, उन्होंने कहा कि 151 गांवों की डीपीआर तैयार की गई लेकिन बजट घोषणा में नहीं ली गई। मैं आसपुर और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं 151 गांवों की वृहत् पेयजल योजना की डीपीआर तैयार करने की, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सरकार आपके द्वार के समय घोषणा की गई थी, राशि करीब 450 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक डीपीआर तैयार कराई गई है। इस योजना के स्रोत हेतु सोम कमला अम्बा बांध पर जल आरक्षण की स्वीकृति पश्चात् तकनीकी प्रशिक्षण एवं बजट उपलब्धता एवं स्वीकृति करवाई जाना प्रस्तावित है। आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रोड प्रवर्तित प्रस्तावों की संख्या अधिक है, इन गांवों में ढाणियों में गुणवत्ता प्रवर्तित भूजल को उपचारित करने हेतु तत्काल समाधान कर इसी वर्ष 101 नग सोलर आधरित डीएफओ को लगाकर चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 145 नग नये सोलर आधरित डीएफओ एवं 25 आर ओ प्लांट का कार्यादेश जारी कर दिया गया है, जो 2018 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य, रामहेत जी यादव ने कहा कि खैरथल व किशनगढ़बास की योजना को एनसीआर में भेजा था परंतु स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बारे में मैं उनको निवेदन कर दूं दीर्घकालीन निदान हेतु क्रमश: 47.96 और 30.40 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मार्च 2017 में एनसीआरपीपी में प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले को चम्बल से जोड़ने की योजना के बारे में जिक्र किया है। मैं उनसे निवेदन कर दूं कि 4 हजार 718.67 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। आधारभूत संरचनाओं के कार्य तथा ट्रांसमिशन में सम्मिलित है। वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित होने के उपरांत भी परियोजना की क्रियान्विति पर विचार किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपणी योजना के कार्य में विलंब और लगातार समय वृद्धि के बारे में माननीय खेमाराम जी ने और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और शुभकरण जी ने जिक्र किया है। मैं निवेदन कर दूं कि योजना के द्वितीय चरण को भी मिलाकर अब तक 2 शहर सुजानगढ़, छापर तथा 54 गांव में जल भरण योजना चालू कर दी गई है। आपणी योजना के प्रथम चरण में फिल्टर प्लांट द्वारा द्वितीय चरण को 100 लाख लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। द्वितीय चरण का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। योजना का पूर्ण लाभ फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ योजना के छठे पैकेज का कार्य पूर्ण होने पर मिल सकेगा, जिसको भी 31.03.2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। यह मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं।

माननीय कन्हैयालालजी, विधायक, मालपुरा ने सदन के सामने चर्चा की। उन्होंने टोडारायसिंह में स्वीकृतशुदा शहरी जल योजना शीघ्र चालू करने के बाबत कहा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि टोडारायसिंह की शहरी जल योजना के लिये 646 लाख के प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। शीघ्र ही इसकी निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

चार हजार से अधिक आबादी के बारे में बृजलाल नगर और टोरड़ी को पाइप्ड योजना में परिवर्तित करने हेतु इन्होंने जिक्र किया है। दोनों ग्रामों के पाइप्ड और जल संवर्धन योजना के प्रस्ताव विभाग में बजट की उपलब्धता के अनुसार तकनीकी परीक्षण स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बाबूसिंहजी राठौड़ और जोगारामजी पटेल साहब ने राजीव गांधी लिफ्ट तृतीय फेज की आवश्यकता पर आशंका व्यक्त की है। मैं इनसे निवेदन कर दूं कि राजीव गांधी लिफ्ट

(श्री सुरेन्द्र गोयल)
नहर फेज तृतीय की डी.पी.आर. हेतु पी.डी.कोर को कार्य आबंटित कर, पी.डी.कोर द्वारा प्राथमिक अनुमानित लागत 1454 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. वर्ष 2051 की पेयजल मांग के लिये तैयार की गई है। इस डी.पी.आर. में जोधपुर शहर, फलौदी, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, समदड़ी शहर तथा जोधपुर जिले के 1836 गांव, बाड़मेर जिले के 180 गांव, पाली के 92 गांव सम्मिलित हैं। डी.पी.आर. तकनीकी समिति के पास तकनीकी मूल्यांकन हेतु विचाराधीन है। इस योजना के अन्तर्गत 70 दिन के क्लोजर के दौरान भण्डारण डिग्गी के लिये भी अग्रिम कार्य कराने हेतु वित्त पोषण की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइप लाइन के अवैध जल कनेक्शन हटाने के सम्बन्ध में; अवैध जल सम्बन्ध हटाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की विजिलेंस टीम बनाने हेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। आज मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि ये जो अवैध कनेक्शन हैं, इनके बारे में विजिलेंस टीम बना करके उनके अवैध कनेक्शन काटें, उनके खिलाफ कार्यवाही हो, इस प्रकार की मैं करने की व्यवस्था करुंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो चन्द्रभान सिंहजी "आक्या" ने कहा कि 65 गांव, जो भदेसर पंचायत समिति में 25 गांवों में पानी की दिक्कत है, घोसुण्डा बाँध या अन्य स्रोत से लाभान्वित करने बाबत इन्होंने सदन में जिक्र किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में निवेदन कर दूं कि चित्तौड़गढ़ व आसपास के क्षेत्र के पेयजल समस्याग्रस्त गांव के दीर्घकालीन समाधान हेतु घोसुण्डा बाँध से जल लेकर वृहत् पेयजल परियोजना की सम्भावना तलाशी गई है। इस क्रम में यह तथ्य सामने आया कि इस बाँध का निर्माण हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा करवाया गया है। इस बाँध का अधिग्रहण जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस अधिग्रहण के पश्चात जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल उपलब्धता बाबत स्वीकृति मिलने के बाद इस बाँध से पेयजल परियोजना प्रस्तावित किया जाना सम्भव हो पायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय अनीताजी,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

विधायक, नगर ने कहा कि जो काम 09/2016 को पूरा होना था, परन्तु कार्य बंद पड़ा है। चम्बल योजना के बारे में इन्होंने जिक्र किया। मैं माननीय सदस्या से निवेदन कर दूं कि टास्क बेस इस मेन योजना के कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.02.18 है। क्लस्टर कार्य पूर्ण करने की तिथि 27.03.2016 थी, परन्तु फर्म द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण पूर्ण नहीं हुआ। उक्त दोनों कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण किया लक्षित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विधान सभा डग के गंगधार के 140 गांवों की गागरीन पेयजल योजना का जिक्र माननीय सदस्य रामचन्द्रजी ने किया था। वृहत् पेयजल योजना गागरीन का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 51.65 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य की वर्तमान प्रगति को देखते हुए गंगधार तहसील के 140 गांव एवं 28 ढाणियों को दिनांक 31.03.2018 तक इस पेयजल परियोजना से लाभान्वित किया जाना सम्भावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय हनुमानजी बेनीवाल ने जो चर्चा में भाग लेकर के लिफ्ट परियोजना के लोहे की प्लेटों के आयात के सम्बन्ध में जिक्र किया। मैं निवेदन कर दूं कि उक्त कार्य जायका द्वारा अन्तरराष्ट्रीय निविदायें आमंत्रित करने के उपरांत कार्यादेश दिया गया। अनुमोदित निविदाओं की शर्तों के अनुसार फर्म अन्तरराष्ट्रीय बाजार से भी विभिन्न उपकरण आदि क्रय करने हेतु अधिकृत है, जिसमें MS pipe/Plates भी सम्मिलित हैं। उपरोक्त अनुमोदनानुसार ही क्रय कर पाइप का निर्माण किया गया है, एक तो यह बात है।

एक आपने मैसर्स रत्नामणि द्वारा घटिया लोहे के पाइप के निर्माण एवं प्रभावी मोनिटरिंग के अभाव के बारे में जिक्र किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि लोहे के पाइपों का निर्माण अनुमोदित क्वालिटी प्लान के अनुसार ही किया जा रहा है एवं इसकी नियमित क्वालिटी जांच विभाग के अभियंता जायका द्वारा नियुक्त अन्तरराष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार एजेंसी एवं विभाग द्वारा नियुक्त केन्द्र सरकार के उपक्रम मैसर्स वेपकोस के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय की मोनिटरिंग से की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा माह अक्टूबर, 2015 में 'आपका जिला

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

आपकी सरकार' कार्यक्रम के दौरान प्रभावी मोनिटरिंग द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय को अजमेर से नागौर स्थानांतरित करने के निर्देश दिये गये, जो नवम्बर, 2015 से कार्यशील है, जिसके कारण ही प्रभावी मोनिटरिंग के चलते माननीय सदस्य के खींवसर क्षेत्र के 166 गांवों को जून, 2016 से नहरी पेयजल योजना से लाभान्वित किया जा सका। इसी तरह योजना के द्वितीय चरण में ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, एक मिनट। उपाध्यक्षजी। ...(व्यवधान)... मेरी बात तो सुनो, आप क्या कह रहे हो। ...(व्यवधान)... कौनसी जांच करा रहे हो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मुख्य ट्रांसमिशन मेन कार्य के 53 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो सके। शेष कार्यों को मार्च, 2018 तक पूर्ण करने के लक्ष्य अनुरूप प्रभावी मोनिटरिंग की जा रही है। प्रथम चरण के 828 करोड़ रुपये खर्च होने के उपरांत अभी तक दो शहर और 166 गांवों को लाभान्वित किया जा सका, पेयजल योजना में।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि नागौर और बासनी शहर को लिफ्ट योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत वर्ष 2009 से लाभान्वित किया जा चुका है तथा पैकेज दो के तहत 166 गांवों को जून, 2016 में लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में मूण्डवा और कुचेरा को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है एवं मेड़ता शहर को अप्रैल, 2017 में पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा। पैकेज तीन में कार्य की फर्म द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण 8.60 करोड़ रुपये की पैनल्टी वसूल की जा चुकी है। अब 151 गांवों को वर्ष 2017-18 में लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागौर लिफ्ट परियोजना के द्वितीय चरण के 2938 करोड़ रुपये की योजना की कार्य की धीमी प्रगति के कारण भी उन्होंने शंका जाहिर की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जायका द्वारा स्वीकृत 2938 करोड़ रुपये की योजना के अन्तर्गत लाडनूं और कुचामन के 193 कार्य प्रगति पर हैं। लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्च, 2018 के पश्चात आगामी दो माह में लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य ट्रांसमिशन मेन के मुख्य तीन कार्य, मैसर्स

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

एल.एण्ड टी. द्वारा प्रगतिरत हैं। अब तक 53 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। परबतसर के कलस्टर गांवों की अन्तरराष्ट्रीय निविदायें भी प्राप्त की जा चुकी हैं एवं जायका कार्यालय में तकनीक अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। शेष तीन क्लस्टर मकराना, डीडवाना और डेगाना, तीनों की भी अन्तरराष्ट्रीय निविदायें दिनांक 16.03.2017 को आमंत्रित की जा चुकी हैं। इन सभी चारों क्लस्टर के कार्यादेश वर्ष 2017-18 में जारी कर दिये जायेंगे।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। जैसे माननीय सदस्यों ने सलूम्बर और लसाड़िया के 93 गांवों की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जयसमंद झील से योजना की डी.पी.आर. बनाये जाने तथा उदयपुर शहर के लिये जयसमंद से पानी की मात्रा कम कर अन्य शहरों से मात्रा बढ़ाये जाने की फिजिबलिटी रिपोर्ट बनाये जाने की मैं आज घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री राजपालसिंहजी शेखावत ने पृथ्वीराज नगर के फर्स्ट फेज के काम के बारे में कहा। मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि 30 मई के पहले-पहले हम इनकी निविदायें आमंत्रित कर लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं घोषणाएं करना चाहता हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर के लिये क्या किया, बतायें।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): पोकरण के लिये बतायें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पोकरण के लिये मैंने जैसा आपको निवेदन किया ना कि उनके कुएं का निस्तारण कर दिया है। उसका टेण्डर प्रक्रिया में चल रहा है। टेण्डर होने के बाद में कार्यादेश दे दिया जायेगा और कार्यादेश दे करके वह काम जल्दी, टयूबवैल्स से शुरू करवाया जायेगा। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: कुम्भा राम लिफ्ट का क्या हुआ?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ब्यावर के लिये क्या हुआ?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ब्यावर के लिये भी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

टेण्डर प्रक्रियाधीन है। जल्दी से जल्दी टेण्डर उनको रिसेण्ट कर दिया था। रिसेण्ट करने के बाद में शायद 05/04 को ...(व्यवधान)... करके करेंगे।

एक माननीय सदस्य: कुम्भा राम लिफ्ट का क्या हुआ, मंत्री महोदय, कुम्भा राम लिफ्ट।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मंत्रीजी, भीम के लिये क्या किया?

एक माननीय सदस्य: माननीय मंत्रीजी, जैसलमेर।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि राज्य के चार हजार से अधिक आबादी वाले कुल 1643 गांवों में से 1161 गांव पाइप्ड स्कीम द्वारा पेयजल से लाभान्वित हैं। शेष 482 गांवों में से प्रथम चरण में आगामी दो वर्षों में सौ गांवों की पाइप्ड स्कीम का कार्य हाथ में लिया जायेगा, जिसकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये आने की सम्भावना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र के अन्दर आगामी वित्तीय वर्ष में एक लाख से कम आबादी के सौ कस्बों की पेयजल योजना के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। इस पर आने वाले दो वर्षों में तीन सौ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प के लिये मैं यह घोषणा करता हूं कि माननीय सदस्यों की मांग तथा उनके क्षेत्र में फिजिबलिटी के आधार पर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 30-30 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मांग संख्या 27 को पारित किया जाए।

(2.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: डा. रामप्रताप, जल संसाधन मंत्री।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय जलदाय मंत्री महोदय ने सारी डिटेल पानी के बारे में बता दी, तो उसको तो मैं रिपीट नहीं करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधा ही सीमित रहते हुए आपसे यह निवेदन करूंगा, सबसे पहले तो लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी शंका जाहिर की कि यह रॉयल्टी वसूल करेंगे पंजाब वाले। उसके बारे में

(डा. रामप्रताप)

2016 में पंजाब असेम्बली ने एक रिजोल्यूशन पास किया था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस रिजोल्यूशन को ही अगर आप देखें, तो पहले मैंने सवाल के जवाब में भी कहा था कि चाहे पाइंट सिक्स एम.ए.एफ. हो या चाहे रॉयल्टी का मामला हो, झगड़े की जड़ है हकीकत में वह एस.वाई.एल. केनाल और उसके पीछे हमारे नजदीक का एरिया पड़ता है। तो इसलिए जब पंजाब के चुनाव हुए तो मुझे यह बताया कि 'आप' पार्टी के जो सी.एम. हैं केजरीवालजी, वह पंजाब में आए, और आजकल हमारी यह आदत पड़ गयी है कि हमें किसी न किसी तरीके से वोट मिल जाने चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, तो उनको यह बताया गया कि सबसे बर्निंग पाइंट और ल्योर करने के लिए पब्लिक को, वह एस.वाई.एल. केनाल है। उन्होंने अपने भाषणों में यह कहा कि अगर हमारा राज आया तो हम इस एस.वाई.एल. केनाल को खतम कर देंगे। अब दूसरी रूलिंग पार्टी के पास में कोई चारा नहीं बचा था तो उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कि एस.वाई.एल. केनाल को हम खतम करेंगे और उन्होंने वाकई में जो एक्वायर्ड लैंड थी उसको डी-एक्वायर भी कर दी। तो पहला रिजोल्यूशन तो यह था और उसके बाद में फिर उन्होंने सोचा कि साथ में एक काम और कर दें, थोड़े-बहुत और वोट मिल जाएंगे, तो सैकिण्ड है वह रिवाइज्ड रिजोल्यूशन पेश किया।

उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रॉयल्टी लेने के लिए किया था, उसमें मैं ज्यादा नहीं थोड़ा-सा पढ़कर सुनाऊंगा।

"It is a historical truth that before independence whenever the water was released by one State to another State, which had no right as per riparian principle, the cost and royalty was given to the riparian State for the same." इसमें इन्होंने दो पाइंट बताये हैं कि कब-कब पंजाब को रॉयल्टी मिली। एक तो सन् 1875 में पटियाला- नाभा और जींद स्टेट को मिली। दूसरा उदाहरण माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह दिया है बीकानेर स्टेट का, महाराजा गंगासिंहजी का। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाभा और पटियाला स्टेट का तो मुझे पता नहीं है लेकिन बीकानेर स्टेट से जो एग्रीमेंट हुआ था वह ट्राईपर्टाइट एग्रीमेंट था और उसमें जो पार्टीज थीं, उसमें बीकानेर स्टेट

(डा. रामप्रताप)

और नवाब आफ बहावलपुर और तीसरी पार्टी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गंग केनाल का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें पंजाब का कहीं नाम ही नहीं था, लेकिन रेजोल्यूशन पास करने में किसी को कोई रोक नहीं सकता, सभी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बेसिकली यही गलती की है कि उनका पंजाब का तो कहीं नाम ही नहीं था और रॉयल्टी लो और चाहे कुछ भी लो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वह जो जजिया कर भी लगाते थे और फलां-फलां, पता नहीं, कौन-कौन से कर लगाते थे लेकिन यह रिजोल्यूशन उन्होंने इस रूप में पास किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में इसी बात को मैं स्ट्रेंथन करने के लिए एक अपनी व्यास बोर्ड आफ कंसल्टेंट्स जो थे, उसमें पंजाब ने फिर उस वक्त में मुद्दा उठाया था, यह आपके 64 में इनकी मीटिंग थी उसमें, सैकण्ड मीटिंग, उसमें मुद्दा उठाया था कि हमें रॉयल्टी दी जाए। तो जो मिस्टर खोसला थे जो आपके इंडस ट्रीटी के भी अपना जो डेलीगेशन था उसको वह लीड कर रहे थे, जब पंजाब ने रॉयल्टी मांगी, तो उन्होंने कहा कि "Chairman stated that the question of cost of water meant the cost required for storage and its application for irrigation purposes and not to any charge for the water as such. This was inconsiderable and never was the intention." मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रॉयल्टी का मामला कहीं नहीं उठता। राइपेरियन स्टेट बनकर कह रहे हैं तो राइपेरियन स्टेट तो आज नदी चल रही है और वह अपना रास्ता बदल देती है और दूसरे रास्ते से निकलती है तो वह राइपेरियन स्टेट बन जाएगी। इसी तरीके से अगर कहीं बैराज या वेयर है तो वह उसका रास्ता बदल देगा तो वह राइपेरियन स्टेट बन जाएगी। जबकि इंडस ट्रीटी में रायपेरियन नहीं, बेसिन स्टेट को ज्यादा माना गया है तो उस आधार पर इन्होंने मेरे ख्याल से तो यह वोटों के लिए किया था, अन्यथा कोई कारण नहीं था।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य बारबार पूछ रहे थे तो उनकी शंका को मैं दूर करना चाहता हूं और वैसे हिसाब से उन्होंने अखबारों में यह जरूर कहीं कहा होगा या किसी भाषण में कहा होगा, हमारे साथ में कोई

(डा. रामप्रताप)

पत्राचार नहीं किया कि हमें इतने पैसे दो और दो। तो इसलिए यह कोई इश्यू नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, उनका मैं बहुत मान-सम्मान करता हूं। हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं। उन्होंने वाटर अलाउंस के बारे में एक सुझाव दिया था। सुझाव बहुत अच्छा है लेकिन उसको अमली-जामा पहनाने के लिए मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य चाहे पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, आज इस हैसियत में है कि वाटर अलाउंस को कम कर दें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 190 के अंदर एक मोतीराम कमेटी बनी थी, चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने इतना व्यावहारिक रूख अपनाया था, वाटर अलाउंस के बारे में। तो 70 के दशक में तो आप उसको लागू कर सकते थे, लेकिन उसके बाद में उस कमेटी की रिपोर्ट को कतई ध्यान नहीं दिया गया और उसको लागू नहीं किया गया।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कैबिनेट, मंत्रीमंडल ने क्या किया, इसके बारे में बताना चाहता हूं। प्रथम चरण के फेज-प्रथम, फेज-द्वितीय में वाटर अलाउंस को 5.23 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ से कम करके क्रमश: साढ़े तीन व तीन क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ किया जाए। यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2000 का है। 2000 का यह कैबिनेट का फैसला, मैं प्रतिपक्ष की कोई आलोचना नहीं करना चाहता, यह जब आपने फैसला ले लिया था तो आपको लागू करने से किसने रोका था? अब आज यह कहते हैं कि उसका वाटर अलाउंस कम कर दो।

दूसरा, एक छोटा-सा उदाहरण और देना चाहूंगा, चूंकि माननीय सुरानाजी ने इसको उठाया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुरानाजी के क्षेत्र में सबसे बड़ी नहर, वह है कंवरसेन लिफ्ट। कंवर-सेन लिफ्ट एक ऐसी केनाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें शायद राजस्थान में तो कम से कम ऐसे नहीं है कि दो किस्म के वाटर अलाउंस है। शुरू में यह एन्विसेज की थी, उस टाइम इसका 3.9 क्यूसेक्स वाटर अलाउंस था और उसके बाद में सैकण्ड छोर से यह तय किया कि 3.9 की जगह अगर तीन कर देते हैं तो पाइंट नौ क्यूसेक्स की जो सेविंग होगी, उससे हमारा इतना कमांड क्षेत्र और

(डा. रामप्रताप)

बढ़ जाएगा और उसका आगे बढ़ा दिया। जब सारे को तीन करने के लिए एग्जिक्यूट करने की बारी आयी तो किसानों ने विरोध कर दिया। आज की तारीख में भी वह 3.9 और तीन के हिसाब से चल रही है। माननीय सुरानाजी होते तो मैं उन्हीं से पूछता कि माननीय सुरानाजी, मेरे ख्याल से इस 2000 वाली कैबिनेट के फैसले के बाद में बाई-इलेक्शन जीतकर आये थे, उस वक्त इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? दूसरा इनके खुद के एरिये में जो 3.9 और तीन से चल रही है, तो यह क्यों नहीं उठाया? यह सारा काम हमारे से ही क्यों करवाना चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यावहारिकता में लेने के लिए इन चीजों पर बड़ी दिक्कत आती है।

दूसरा, दूसरे माननीय सदस्य, वह भी नहीं हैं, माननीय राजवी साहब। वैसे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरे साथ में एक बहुत बड़ी शर्त लगायी थी, अगर वह उसकी पालना करें, जब तो आज उनको बोलना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने मेरे एक सवाल के जवाब में यहां तक कहा था कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं सिंचाई के ऊपर आइंदा से कभी बहस में हिस्सा नहीं लूंगा। वह मेरे पास वरबेटिम पडा है और मैंने तो उलटे उनको यह कहा था कि जुबान स्लिप होने से शायद कह दिया। माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, बड़े अनुभवी हैं लेकिन वह जिद पर आकर यहां तक कह गये कि अगर मैं गलत हूं तो मैं सिंचाई पर बोलूंगा नहीं। वह वरबेटिम मेरे पास पडा है। लेकिन चूंकि वह मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं जो उन्होंने शंकाएं व्यक्त कीं उनके बारे में निवेदन करूंगा।

एक तो उन्होंने फतेहगढ़ माइनर के बारे में जिक्र किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फतेहगढ़ माइनर है, वह दो नहरें हैं हमारी एस.एच.डब्ल्यू. और एच.एम.एच. उनके बीच का क्षेत्र है वह एक रीच टाइप है, ऊँचा है। तो दोनों नहरों का जहां कमांड आ रहा था रीच की साइड में, वह टाइट कमांड था। कमांड तो था, पानी भी था लेकिन टाइट होने की वजह से वहां पर सिंचाई नहीं हो रही थी। दोनों पर कमांड को उसमें मिलाकर एक छोटी-सी माइनर है और कुछ जो शहर के पास की आबादी है, कालोनी बन गयी, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, यूं मिलाकर शायद तीन-चार हजार एकड़ की है वह और सिद्धान्त रूप से इसकी स्वीकृति 1998 की है और उसके बाद में

(डा. रामप्रताप)

यह मंज़ूर हुई और सारे के सारे तो नहीं, लेकिन मेजोरिटी उसके अंदर है वह एस.सी.क्लास की, किसी की 10 बीघा है, किसी की 12 बीघा है। अगर वह इस तरीके से इकट्ठा करके, कमांड को मिलाकर सेविंग को निकालकर बनी है और यह 1997-98 की बात है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका कहना था कि बडोपल से पानी को लिफ्ट करके लेकर जायेंगे और छह नंबर डिप्रेशन में डालेंगे। उनका सुझाव यह था कि यह बर्ड सेंक्चुरी बनायी जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां का किसान पिछले 40 साल से दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अगर वहां सेम की समस्या होती है तो उस किसान की भूखी आंतडियों को रोटी की आवश्यकता है, उसको बर्ड सेंक्चुरी की आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बैठे-बैठे सपने ले सकते हैं ग्राऊंड रियलिटीज को देखना चाहिये और उस पानी के लिये इन्होंने कहा कि इसको उठाकर ड्रेन इर्रिगेशन से, करीब 187 करोड़ का टेंडर कर दिया, यह वहां से इस बात को उठाकर ले गये चूरू वाले, साहवा वाले तो ड्रेन इर्रिगेशन तो उसके अंदर है। यहां न उसको कोई टेण्डर दिया, न कोई बात हुई। और यह पानी अगर हम लिफ्ट करके 6 नम्बर डिप्रेशन में लेकर जायेंगे तो उसके लिये कहा कि एटासिंगरासर के लिये पानी कर रहे हैं। मेरे पास में ऑलरेडी उसके अंदर से दो माइनर है, वह टीबों से भरी पड़ी है। अगर 6 नम्बर डिप्रेशन में पानी होगा तो मैं उन किसानों को दो माइनर्स के जरिये पानी दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा, उन्होंने एक और कहा था कि अनूपगढ़ शाखा का जो रिनोवेशन हो रहा है, उसमें लेवल्स में गड़बड़ी है। लेवल्स में गड़बड़ी की जिम्मेवारी मेरे इंजीनियर्स की है। क्वालिटी के लिये ज्यादा तो मैं नहीं करूंगा लेकिन यह खाजूवाला के सदस्य बैठे हैं, अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं, आपके सूरतगढ़ के सदस्य हैं, आप इनसे पूछना कि उसकी मोनिटरिंग किस तरीके से होगी। ईवन होली का दिन था, बारह-एक बजे तक सबसे मिलने के बाद में मैं सीधे अनूपगढ़ शाखा पर गया था। लगातार हम उसकी मोनिटरिंग कर रहे हैं और उसका जो रिनोवेशन हुआ है, उस पार्ट में लम्बे समय के बाद में पहली दफा फसल हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, उन्होंने कहा कि इसका जो

(डा. रामप्रताप)

रिनोवेशन हो रहा है इससे लूणकरणसर लिफ्ट में पानी कम आयेगा। अब लूणकरणसर लिफ्ट का हैड रेगुलेटर जस्ट अपोजिट साइड में है। मेरी यह बात समझ में नहीं आयी कि इसका हैड रेगुलेटर इस तरह है, तो दूसरे हैड रेगुलेटर पर कैसे असर पड़ेगा। यह तमाम बातें इस किस्म की हैं कि इस आदमी को, थोड़ा-सा काम करें, तो इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा हतोत्साहित होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा परवन का। यह तमाम बातें मैं आपके सामने इसलिये जिक्र कर रहा हूं कि हम इस वोट की राजनीति के चक्कर में हमारे संस्कारों को खराब कर रहे हैं, हमारे दीन और ईमान को खराब कर रहे हैं। हमारी स्टेट का पैसा जाया कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परवन परियोजना को एन्विसेज करने वाला कोई और नहीं था, माननीय मुख्य मंत्रीजी थीं। 2005 में बजट में प्रोविजन किया, इसका सर्वे वगैरह हुआ और बाकी को जितने भी इसके लिये मेंडेटरी प्रोविजन थे, चाहे फोरेस्ट का हो, चाहे एनवायर्नमेंट का हो या सी डब्ल्यू सी से क्लीयरेंस का हो, मेरे पास में अलग-अलग तारीखें हैं। ये सारी की सारी जो केन्द्र से लेनी थीं, यह 2008 तक हमने ली, यह मेरे पास अलग-अलग डेट हैं, कोई माननीय सदस्य देखना चाहे तो। उसके बाद में हमारे साथियों का राज आया, उसके बाद में जो भी स्वीकृतियां वहां से आयीं, जो हमने हमारे टेन्योर में भेजी थी, तीन साल में रूटिन के अंदर अपने आप आयी है। वह स्वीकृतियां आने के बाद में जब चुनाव का दुबारा मौका आने लगा तब इनको याद आया कि यह परवन हमारे हाथ में नहीं आयी तो वोट नहीं आयेंगे। तब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीफ इंजीनियर कोटा को कहा कि आप इसके टेंडर निकालो। मैं चीफ इंजीनियर की चार लाइनें पढ़कर सुनाता हूं - 'मुख्य अभियन्ता कोटा ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि प्रत्यावेदन की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् एवं डूब क्षेत्र से प्रभावित आंशिक एवं पूर्ण रूप से प्रभावित हितधारियों को नियमानुसार मुआवजा एवं बजट आबंटन पर ही राज्य सरकार के परिपत्रों एवं लेखा नियमानुसार कार्य प्रारम्भ होना संभव हो सकेगा। ''मतलब, कोई फोर्मेलिटी या जो कोई मेंडेटरी प्रोविजन्स थे, उनको पूरा किये बिना टेंडर

(डा. रामप्रताप)

निकाल दो जिससे कि अख़बार में आ जाये कि हमने परवन का काम शुरू कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी 30.08.2013 को ई.पी.सी. आधार पर निविदा आमन्त्रित की, उसमें यह साफ लिखा हुआ है 'यह तथ्य अंकित करते हुए जारी की कि वन भूमि प्रत्यावेदन की अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।'' डूब क्षेत्र की भूमि अवाप्ति है, वह भी प्रक्रियाधीन है। केन्द्र जल आयोग की स्वीकृति भी प्रक्रियाधीन है। टी.ए.सी. की क्लीयरेंस नहीं है। इन तमाम बातों के बावजूद मुझे यह नहीं कहना चाहिये, मैं बहुत मान-सम्मान करता हूं गहलोत साहब का, 13 तारीख से लेकर 2-3 दिन तक मेरे ख्याल से माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी या तो हैलिकॉप्टर में रहे होंगे या आपके स्टेट प्लेन में रहे होंगे। यह सारा काम न होने के बावजूद ही इसका शिलान्यास करवा दिया। अब शिलान्यास कराने से, वह पत्थर लगाने से तो पानी आयेगा नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार आयी तो आने के बाद में पिछले बजट के अंदर 700 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया था और इस बार बजट के अंदर एक हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। मुआवजे का वितरण हो रहा है और एक-एक जो जरूरी चीजें थीं, हमने सारी क्लीयरेंस करके उसके बाद में उसकी निविदायें आमन्त्रित कीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान का एक ऐतिहासिक प्रेशर इर्रिगेशन का दो लाख हैक्टेयर से ऊपर का यह प्रोजेक्ट है। जो आपके झालावाड़, बारां और कोटा तीनों जिलों को सिंचाई के लिये और पीने का पानी देगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अड़चने भी बहुत आयीं, लेकिन जितनी अड़चनें आयीं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उतनी ही कटिबद्धता से इस काम को पूरा किया। लास्ट में जाकर एन जी टी में एक सज्जन ने स्टे और ले लिया। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज की तारीख में एन.जी.टी. का स्टे क्लीयर हो गया और इसके बाद में पहले हमने निविदा आमन्त्रित की थी, लेकिन एन.जी.टी. के स्टे की वजह से टेण्डर ज्यादा नहीं आये, तो इसका जल्दी ही हम काम शुरू करेंगे और हकीकत में जो शिलान्यास होगा, वह आज होगा।

(डा. रामप्रताप)

मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं आपको एक राय देना चाहता हूं कि वहां पर एक सज्जन है, वह यूं ही पैदल यात्रा करके घूम रहे हैं। पैदल यात्रा करने से तो वहां पानी नहीं आयेगा। मुझे एक वाकया याद आता है, मेरे जानकार एक एम.एल.ए. थे, वे प्रतिपक्ष में थे, अब यहां घूम-फिरकर सेक्रेटेरियेट में, इस आफिस से उस आफिस में चले गये, इधर-उधर चले गये, तो पता चल ही जाता है कि फलांना काम हो रहा है। वहां जाकर कहने लगे कि यह काम मैं करवाकर लाया हूं। उसी तरह से इस सज्जन को यह तो पता यहां से चल ही जाता है कि इसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। यह भी पता चल गया कि यह होगा, तो जगह-जगह जाकर पदयात्रा की। लेकिन हकीकत में इसका क्रेडिट किसी को जाता है हिस्टोरिकल इवेंट के लिये, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं सुराना साहब के बारे में कहना और भूल गया। यह इतनी ज्यादा खतरनाक और घातक चीज है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी इन्होंने बजट स्पीच का हवाला दिया 2016-17 का, उसमें कहा है कि 1 लाख 81 हजार 618 हैक्टेयर है, सी.सी.ए. है, वह आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.डी. प्रोजेक्ट के आने से और सिंचित हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय इन्होंने पिछली दफा भी उठाया था और मैंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था। मैं इतनी हल्की उम्मीद नहीं करता था कि बार-बार इसको उठाया जाये और लोगों को बहकाया जाये। मैं इसको पुन: आपके, पूरे सदन के लिए और सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान के किसानों को अवगत कराना चाहता हूं और आपको इसको सही इन्टरप्रिटेशन देनी है। यह जिले लिखे हैं और क्षेत्र लिखा है 1 लाख 81 हजार 618 हैक्टेयर सीसीए के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीसीए के लिए अतिरिक्त, ये चार अक्षर है, इसने पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों को हिला रखा है बे-वजह से। इसका इन्टरप्रिटेशन यह निकाल रहे हैं कि अगर यह प्रोजेक्ट आ गया तो इतना सिंचित क्षेत्र और होगा तो आप हमें पानी क्यों नहीं दे रहे या इसका डिवीजन हमारे 6 जिलों में क्यों नहीं कर रहे? यह 1 लाख 81 हजार 618

(डा. रामप्रताप)

हैक्टेयर सीसीए के लिए अतिरिक्त के बजाय अगर यह लिखा होगा कि 1 लाख 81 हजार 618 हैक्टेयर अतिरिक्त सीसीए, तब तो यह माना जाता कि यह एक्स्ट्रा इर्रिगेशन करेंगे। हम जो ऑलरेडी हमारा सीसीए है उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सेम के अन्दर कम से कम लाखों बीघा जमीन है, हनुमानगढ़ जिले की है, गंगानगर जिले की है।

इसी तरीके से, यहां पर कोलायत वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, इनके टेल एण्ड फीड नहीं हो रहे हैं, जमीन तो कमाण्ड है।

इसी तरीके से जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, कमाण्ड तो इनका भी है, आप इनसे पूछो पानी कितना मिल रहा है। तो हमारा ऑलरेडी जो सीसीए है उसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इस लाइन का इंटरप्रिटेशन इस रूप में लेना कि एडीशनल सीसीए क्रियेट किया जा रहा है, इतना बड़ा अन्याय। और मैं माननीय सुराना जी से यह पूछना चाहता हूं With due regards to him and with due apologies to him.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बुला कर लाऊं क्या वापस?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): बुला लाओ ...(व्यवधान)... With due apologies to him. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय सुराना जी वरिष्ठतम सदस्य हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन इस किस्म की हरकत है, मैं भी एक इनसान हूं, रहा नहीं जाता। अब वो कितनी दफे और एम.एल.ए. बनेंगे, साहब। अन्यथा ये आदमी जब 3.9 का वहां चल रहा है, एक ही सिस्टम में वो 3 का वाटर अलाउंस चल रहा है, उसको ठीक क्यों नहीं करवाया? आज क्यों इसको आप पैरेटी के लिए कह रहे हो? He has adorned the Chair of Finance Minister. He has adorned the Chairman of Finance Commission. अगर यह 16.17 लाख हैक्टेयर पर सीमित किया था और उसमें अगर साहवा का ज्यादा ले लिया तो यह तो 2005 में लिया था He was the Chairman of Finance Ministry. Why did he not raise this question at that time? आज क्यों इन्हें याद आया? और वो तीन साल के बाद में क्यों याद आया? और जगह-जगह इस बात के लिए डराना कि जगह-जगह धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। यह मेरी कोई

(डा. रामप्रताप)

बपौती नहीं है। पार्टियां आती जाती रहती हैं लेकिन अपने दीन और ईमान को बचाकर रखना चाहिए आदमी को। प्रजातंत्र है, हमें इसका मिस यूज नहीं करना चाहिए और माननीय सुराना जी जैसे वरिष्ठतम सदस्य अगर इस तरीके से बिहेव करेंगे तो बाकी के सदस्यों से क्या उम्मीद की जा सकती है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं प्रक्रिया और नियमों को, इस विषय को गम्भीरता से लेते और माननीय नेता प्रतिपक्ष से मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कि वो चाहे सीनियर हों लेकिन इस चीज को समझने का तो प्रयास करें। इतनी रॉग इंटरप्रिटेशन लेकर एक जहर फैलाना पूरे क्षेत्र के अन्दर। ...(व्यवधान)... हैं?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इतने परेशान क्यों हुए?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): परेशान हुए, कमाल करते हो। जमीन के ऊपर ढूंगा रगड़ने किन्ही मजा आवै है के? पांच-पांच, सात-सात हजार आदमियों को नीचे बैठाये रखते हो आप, धरना-प्रदर्शन करते हो, लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रोब्लम आती है, आम आदमी को परेशानी आती है। इसको आपने मामूली मान रखा है। It is a very serious matter. ...(व्यवधान)... हां, इनसान गलती कर सकता है, गलती का पुतला है, अगर हम गलती कर रहे हैं तो आपका अधिकार भी है और जिम्मेवारी भी है, हमें दुरुस्त करें। लेकिन इस लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रोब्लम कि जगह-जगह लोगों को इस तरीके से बैठाना, यह कहां का न्याय है? प्रजातंत्र यह तो नहीं कहता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसकी इंटरप्रिटेशन माननीय सुराना जी सही तरीके से लें और अगर उनकी भावनाओं को चौट पहुंचती है तो उसके लिए मैंने माफी पहले ही मांग ली।

जब मैंने पिछले दफा इसको क्लीयर कर दिया, इसी इश्यू को लेकर के चाहे एटा सिंगरासर को, उनको भी यह बात पकड़ा दी कि यह नया सीसीए लेंगे और आपको नहीं दे रहे। चाहे साहवा का मामला हो। अब सूई ब्रांच है, उसमें इनका क्षेत्र आता है, तो ये सूई ब्रांच वाला क्षेत्र भी दो महीने में आ गया क्या? तीन साल तक इनको याद नहीं था, या इससे पहले याद नहीं था? ...(व्यवधान)... अब चुनाव आ रहे हैं। मैं इस राजनीति को घृणित से

(डा. रामप्रताप)

घृणित राजनीति मानता हूं। आप इसको छोटा इश्यू कैसे मान रहे हो? It is a very serious issue.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से हमारी स्टेट पर, पश्चिमी राजस्थान पर कम से कम 11 जिलों पर एक बड़ा भारी संकट आया और बहुत भारी संकट था, जिसमें हरिके बैराज के ऊपर हमारी जो इन्दिरा गांधी कैनाल है और पैरेलल उसके फिरोजपुर फीडर है, उसका बैंक है वो हैविली डैमेज हो गया, बैड भी डेमेज हो गया, बीच में जो फ्रिक्शन ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं वो भी बह गये थे, नहर टूटने के कगार पर थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि इधर वाले बैठे हैं वो भी हमारे में से हैं, हमने भी कोई तीर नहीं मारा। अगर इन्होंने चूक की तो हमने भी कोई चूक नहीं की। इनकी चूक क्या है, वो तो इन्जीनियर्स का काम है, उनको बताना चाहिए कि इसमें यहां कमी हो रही है, इसके लिए पैसे चाहिए। सिन्स 58 कैनाल कोड के हिसाब से ईयरली या टू-ईयरली उसकी ग्रीसिंग होनी चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रीसिंग कभी हुई ही नहीं। जब सूखे गेट चलेंगे तो उसका जब बैलेंस नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन की वजह से इतनी स्ट्रॉग स्ट्रक्चर है, उसके पीयर्स में क्रेक आ गया, मेन बॉडी के अन्दर और क्रेक्स थोड़े ज्यादा हो जाएं और वो पूरा हैडवर्क्स निगल जाए तो मेरे ख्याल से अपने लिए छह महीने, साल की बात पहुंच जाए और इतना लम्बा पीरियड निकलेगा तो आपके यह पश्चिमी राजस्थान के 11 जिले पीने के पानी के लिए तरसेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो बैंक जब स्लिप होने लगा तो पानी नहर में, उसका डिस्चार्ज कम कर दिया गया। फिर भी जब एक साथ 500 फीट में जब वो स्लिप हुआ, यह कैनाल वायर दिया उसने, हरिके बैराज पर जो एक्स.ईएन. था उसने, पोंग डेम पर Please suspend all supplies to Harike Waterworks, Harike for next 24 Hrs. जब वहां से जीरो कर देते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति बनेगी। इस कैनाल वायर की कॉपी हमारे चीफ इंजीनियर के पास आयी शाम का वक्त था, उन्होंने मुझे भी इंटिमेट किया तो मैंने कहा, You should rush up immediately. रात को ही वो वहां पहुंचे, सुबह मैं भी पहुंच गया और ईमानदारी से हाथा-

(डा. रामप्रताप)

जोड़ी करके उनको कहा कि इस तरीके से जीरो करोगे तो हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा। इस स्थिति में लगातार उसमें कैनाल की डैफ्थ है वो 21 फुट है और उस गहराई में अगर उसको चलती में थोड़ा-बहुत छोटा-मोटा पत्थर डाल कर रिपेयर करना चाहें, it is a Herculean task. अब उसमें थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दें और बाई दवे अगर वो निकल जाए तो वो भी खतरा।

अब इस बात को किसी ने जाकर के देखा नहीं, माननीय सदस्यों से जितनों से मेरी बात हुई, कोलायत वाले सदस्य नहीं हैं, उनको भी मैंने बताया कि यह स्थिति है और इसमें कोई अपोजिशन या कोई रूलिंग पार्टी का सवाल नहीं है You should bear with me. जिन-जिन माननीय सदस्यों ने मेरे से बात की, उनको मैंने इसे निवेदन किया। उस कंडीशन के अन्दर फ्लैक्चुएशन तो क्या, पीने का पानी भी नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ रावी का पानी जो हमें रणजीत सागर से मिलता है, वो एक लिंक है एम.बी. लिंक, उसके जरिये मिलता है और वो एक नेचुरल क्रीक है, उसके माध्यम से मिलता है। वो तो इतनी डैमेज हो चुकी थी कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी 10 हजार है, वो डेढ़ हजार क्यूसेक्स से ज्यादा पानी नहीं दे ले सकती। अब रावी से जो हमारा रणजीत सागर का शेयर आता है, वो अगर सात-आठ हजार उसमें से आयेगा और उसकी जगह डेढ़ हजार मिलेगा तो हमारा शेयर तो घट गया तो रामप्रताप को निचौड़ने से तो पानी नहीं मिलेगा, जब तक उसको आप ठीक नहीं करोगे। आज, उपाध्यक्ष महोदय, I am thankful to my Hon'ble Chief Minister. 66 करोड़ रुपये एम.बी. लिंक के रिपेयर के लिए, हरिके बैराज के रिपेयर के लिए और फिरोजपुर फीडर और इन्दिरा गांधी फीडर के गेट्स के रिपेयर के लिए दिये।

अब कई दफे बात आती है ये पानी पाकिस्तान जाता है, भई, जाकर तो देख के आओ किधर से आ रहा है, कहां से आ रहा है। जब रावी का पानी एम.बी. लिंक नहीं लेगा तो डाउन स्ट्रीम में तो पाकिस्तान है, जायेगा, आप उसका करोगे क्या? पंजाब को पावर जनरेट करनी है। पावर जनरेट करने के बाद में एम.बी. लिंक से हमें देता है। उसकी टॉप प्रायोरिटी पावर की है। पावर जनरेट करने के बाद में डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ेगा, मेरा

(डा. रामप्रताप)

लिंक पानी लेने की स्थिति में नहीं है तो पानी को रोकेगा कहां? वह तो नीचे ही जाएगा। इसी तरीके से हरिके बैराज के गेट, जिसको आपने टच ही नहीं किया, उसके बीच की जो प्लेट्स हैं वह निकल गईं, तो पानी तो बीच में जाएगा। वह सतलुज से नीचे पाकिस्तान में जाएगा। अब जब यह रिपेयर होंगे तो निश्चित रूप से इसमें जो हमारा शेयर है वह हमें प्रोपर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कैलकुलेटेड लॉसेस हैं, हरिके बैराज से लेकर के 1254 आरडी तक, हमारे करीबन 1100 क्यूसेक के करीब हैं and I am losing at least 2500 cusecs of water in losses. अब मैं जब 1400-1500 क्यूसेक मेन चैनल में ही लूज कर रहा हूं, उधर से एम.बी. लिंक से इस कंडीशन की वजह से पानी नहीं मिल रहा है, तो रामप्रताप कहां से पानी पैदा करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है a very humble request कि कमियां निकालो लेकिन किसी को बहकाओ मत। अगर बहकाने की हमारी फितरत होती तो 1999 में क्लोजर लिया था। आप वर्बेटम निकालकर देखना। माननीय भैरोंसिंह जी लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे। माननीय राजेन्द्र सिंह जी इस बात की ताईद करेंगे। हमने स्थगन मांगा था और रूलिंग पार्टी को पता ही चल जाता है कि स्थगन है, तो माननीय कमला जी ने सुओ-मोटो स्टेटमेंट दिया था यह शो करने के लिए कि सरकार बड़ी चिंतित है।

मेरा हाउस के अंदर वर्बेटम है कि आप इसका क्लोजर लोगे एक कैनाल का, सरहिंद फीडर का ले लो, चाहे आईजीएनपी का ले लो। इतना बड़ा चैनल है कि दूसरा चैनल खाली होगा और कॉमन बैंक है तो टूट जाएगी। मैं कोई देवता नहीं हूं और ना ही कोई इंजीनियर हूं, लेकिन पहले एक दफा ऐसा हादसा हो चुका था। मैंने उसका भी कहा था। इसके बावजूद उस क्लोजर को लिया गया। क्लोजर लेने के बाद में 18 अप्रैल की रात को सरहिंद फीडर चल रही थी, बैंक ले गई साथ में। आईजीएनपी को भी ब्रीच कर दिया। जो 15 दिन का क्लोजर था, वह 18 या 19 तारीख को पूरा होना था। मई के फर्स्ट वीक तक गया। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा पानी चाहिए। मैं औरों को क्या पानी पिलाऊंगा। मेरे पास ही पानी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हनुमानगढ़ और

(डा. रामप्रताप)

गंगानगर जिले में मैं अपोजिशन का अकेला विधायक था। मैं वहां 3 दफे जाकर के आया। सारे के सारे माननीय सदस्य जो कांग्रेस के थे, वे एक दफा भी नहीं गए। मैंने वहां जाकर के कोई तीर नहीं मार दिया या कोई ठीक नहीं किया। लेकिन जब लास्ट स्टेज आई तो मैं कुदरती वहां पर गया। सरहिंद फीडर में पीने का पानी छोड़ा। हम चाय पी रहे थे। मजाक में मैंने एक्स.ईएन. को कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूं। मैं भी छोटा मोटा मंत्री, संतरी रहा हुआ हूं और एमएलए हूं। अगर थोड़ा और छोड़ दो तो हमारे भी पीने का पानी मिल जाए। उसने वहीं से कह दिया कि 100 क्यूसेक और छोड़ दो। अगर यह जाते तो यह कौनसा नहीं छुड़वा सकते थे। हमने कहीं हंगामा नहीं किया। हमें पता था कि इसमें कांग्रेस का क्या कसूर है। अगर एक गलती हुई है तो उसके लिए हम इतनी बड़ी सज़ा देंगे कि लोगों को बरगलाएंगे। हमने कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से डैम की कंडीशन इतनी पुअर थी, शायद 1248 के लेवल पर आ गया था। पानी की शोर्टेज की वजह से साढ़े 3 रोजा बारी करनी पड़ी। साढ़े 3 रोजा का मतलब है कि उसको 5 रोज चलाओ। इससे लोसेस डबल हो गए। लेकिन मजबूरी यह थी कि इसके बिना काम नहीं चल रहा था। हम भी अगर दूसरों की तरह करते तो हम भी जमीन के ऊपर जाकर के बैठ जाते। लेकिन हमने यह हंगामा नहीं किया क्योंकि हमें हकीकत का पता था। मेरा आपसे निवेदन है कि आलोचना करें, धरने करें, प्रदर्शन करें, लेकिन इश्युज को लेकर करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार भगवान की कृपा से मानसून में बरसात अच्छी हुई। तकरीबन-तकरीबन हमारे सारे डैम चाहे माही हो, राणा प्रताप सागर हो, जवाहर सागर, बीसलपुर, काली सिंध, पार्वती सारे के सारे ओवरफ्लो हुए, चादर चली, और तो और, जो हमारा जवाई है, उस पर भी चादर चली और उससे नदी में रिचार्ज भी हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी पानी के बारे में ज्यादा चिंतित रहती हैं। इस वजह से इस पानी की चुनौती का सामना करने के लिए व्यर्थ बहकर जाने वाले जल का संग्रहण करने के लिए माही तथा चंबल बेसिन व वेस्ट बनास बेसिन, ईवन आपकी सूकली और आगे लूणी,

(डा. रामप्रताप)

इसमें भी बरसात के समय पानी बहकर के गुजरात जाता है। इस पानी का हम किस तरह से संग्रहण करें और उपलब्ध जल के संग्रहण के लिए हमें पानी की बर्बादी रोकनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जितने भी हमारे साथी जन प्रतिनिधि हैं, उनका सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित है। संरक्षित जल का चरणबद्ध तरीके से प्रबंध किया जाना, इसके लिए हमें उचित जल प्रबंधन, तकनीक एवं सोच विकसित करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए दूरगामी सोच के साथ हमने गत 3 वर्षों में जो प्रयास किए, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सरकार द्वारा सर्वप्रथम नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। नदियों को जोड़ने की योजना पर कार्यवाही प्रारंभ की गई। राजस्थान में स्टेट वाटर ग्रिड की परिकल्पना की गई। प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जिलेवार सिंचाई के प्लान तैयार किए गए हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से बूंद-बूंद पद्धति से सिंचाई की योजना तैयार कर क्रियान्विति प्रारंभ की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह मेंडेटरी प्रोविजन कर दिया है कि अब भविष्य में जो भी स्कीम्स आएंगी, उन पर फव्वारा सिस्टम लागू होगा। साथ में छोटे स्ट्रक्चर का निर्माण भी करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, गत 3 वर्षों में हमने कई लोंग टर्म परियोजनाओं पर काम प्रारंभ किया है। ऐसी परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की दूरगामी योजना की क्रियान्विति हेतु एक कदम और आगे बढ़े हैं। परियोजना की डीपीआर राशि 22.06 करोड़ रुपये व्यय कर माह अप्रैल तक तैयार हो जाएगी। इस परियोजना की लागत 40 हजार करोड़ रुपये के लगभग होगी। अत: इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए हमने सीडब्ल्यूसी में देश के वाटर रिर्सोसेज में प्रजेंटेशन दिया है। साथ में परवन के लिए भी राष्ट्रीय परियोजना के लिए दिया है। हमने जब लिस्ट निकालकर के देखी, इस बात को अन्यथा मत लेना डूडी साहब, आदमी काम करने से, ठोकरें खाने से सीखता है। हमारी स्टेट के अंदर आज तक एक सिंगल नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लियर नहीं

(डा. रामप्रताप)

हुआ। हमने लिस्ट निकालकर के देखी तो शायद ही कोई स्टेट ऐसी बची हो जिसके यहां नेशनल प्रोजेक्ट एक-एक, दो-दो नहीं हुए हों। हमने हमारा प्रजेंटेशन दिया है और हम उसको परश्यु करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिले बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, धौलपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर को सिंचाई, पेयजल व औद्योगिक उपयोग हेतु अतिरिक्त जल का लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बीच में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने यमुना वाटर्स के बारे में जिक्र किया है। एक तो हमें यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि यहां जिस पार्टी का राज है, दिल्ली में वही राज है तो कोई अलग लेकर आएगा। अलग-अलग स्टेट के अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं। यमुना वाटर्स को लेकर के हमारी वेव एक्ट 1994 में शायद हमारा एमओयू हुआ था। उस एमओयू के लिए कांग्रेस ने भी बहुत प्रयास किए। आपके स्वर्गीय माननीय ओला साहब, केन्द्र में इसके स्टेट मिनिस्टर फोर इर्रिगेशऩ, वाटर रिसोर्सेज भी थे। उन्होंने भी प्रयास किए। एक दफा यह स्टेज भी आई कि हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी यहां पधारे थे और माननीय कमला जी इर्रिगेशन मिनिस्टर थीं, उन्होंने इसको काफी परश्यु किया, He agreed for that. उन्होंने कहा कि आप आ जाओ और हम बैठकर के बात कर लेते हैं। वह दिल्ली गई, मीटिंग हुई और उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा कि आप इसकी फिजिबिलिटी देखो। अगर वेस्ट यमुना कैनाल में इस कम्पोनेंट को शामिल कर लिया जाए तो अपने को क्या एतराज है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धांत रूप से मान जाते हैं और उसके बाद में वह मुकर गए।

यह लगातार प्रक्रिया चल रही है। अपर यमुना रिवर बोर्ड है, रिव्यू कमेटी की मीटिंग होती है, चूंकि bilateral issue है इसको रिजोल्व करने के लिए दोनों स्टेट्स को कहा जाता है सेक्रेटरी लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दफा मैं भी अधिकारियों के साथ में उसको देखने के लिए गया, हालांकि वहां पर जो ताजेवाला हैडवर्क्स है उस

(डा. रामप्रताप)

पर जो sluice बना हुआ है वह 25 हजार cusecs का है, उसमें सीडब्ल्यूसी का मैंस एंड है, इसमें राजस्थान कम्पोनेंट भी शामिल है लेकिन sluice उसमें से पानी नहीं देता है, तब हमने बैठे-बैठे ऐसे ही बात की कि जब आप कांडला से क्रूड ऑयल की पाइप लाइन लेकर आ सकते हो तो पाइप लाइन से इस पानी को क्यों नहीं भेज सकते। हालांकि यह बहुत ही महंगा सौदा है लेकिन इसके लाभ बहुत हैं, क्योंकि लोसेज नहीं होंगे, थेफ्ट के केसेज नहीं होंगे। आज की तारीख में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा जैसी जगह, करनाल और इतने बड़े-बड़े सिटीज के पास से अगर कैनाल आप लेकर आएंगे तो वह कहते हैं कि करोड़ों रुपए हम दे देंगे, तो उसकी जो एक्वीजिशन करेंगे तो वह भी कोस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से प्रयास है और केन्द्र में जो डैम है ताजेवाला से अपस्ट्रीम में, उसका निर्माण करने की बात चल रही है। हमने केन्द्र सरकार पर, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पर दबाव डाला है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करवा दें। हमने कहा कि हमारा भी यह नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करो, साथ में हमारे लिए इस पैसे का इन्तजाम करने में हमारा सहयोग करो। इस बात को कहीं कोट तो नहीं करें, लेकिन यह हमारा प्रयास है। मैं आपके साथ शेयर करना अपनी जिम्मेदारी समझता था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे एमएलए लेड से पैसा ले लो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए लेड वाला कितना होगा, एक करोड़, दो करोड़, यह तो पन्द्रह सौ करोड़ का सौदा है। इसलिए इन इन्टरस्टेट मैटर पर हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखते और न कांग्रेस ने कोई कमी रखी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में ब्राह्मणी से बीसलपुर, बीसलपुर हमारा डेफिसिट है इसमें पानी डाइवर्ट करने की डीपीआर तैयार करने की फाइल जलदाय विभाग को भेज दी गई है माननीय गोयल साहब। साबरमती बेसिन से जवाई बाँध में पानी डाइवर्ट करने हेतु राशि रुपये 8.54 करोड़ तय कर डीपीआर आगामी दिसम्बर माह तक तैयार हो जाएगी।

(डा. रामप्रताप)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माही बेसिन में सरप्लस पानी है। इस बेसिन में राजस्थान में एक ही जगह है जहां राजस्थान कमांडिंग पोजीशन में है। क्योंकि हमारी साबरमती तो बिलकुल पहाड़ी इलाके में है इसी तरीके से हमारे माही का पानी भी गुजरात जा रहा है। यह दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान की जो चार-पाँच नदियां हैं, इनका सारा पानी करीब-करीब माही बजाज सागर डैम को छोड़कर सारा ही गुजरात जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम प्रयासरत है कि अनास नदी पर एक बाँध और बनाएं और माही एवं अनास नदी के पानी के समन्वित उपयोग के लिए एकीकृत करने की परियोजना तैयार करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दिशा में माही हाई लेवल कैनाल, अपर माही हाई लेवल कैनाल एवं अन्य क्षेत्रों में पानी डाइवर्ट करने की जो भी संभावना उपलब्ध होगी उसकी विस्तृत डीपीआर तैयार करने का कार्य किया जाएगा।

अम्बापुर लिफ्ट का सर्वे पूरा हो चुका है तथा डीपीआर बनाने का कार्य चल रहा है।

सरकार द्वारा अथक प्रयास कर विभिन्न स्रोतों से संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। हमने जाइका, आरडब्ल्यूएसआरपीडीसी, जिसका नाम अभी ले रहे थे, एनडीबी बैंक है उससे, सीएडीडब्ल्यूएम एआईडीपी आरआरआर टीएडी, ये तमाम योजनाएं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके तहत स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू किए जा रहे हैं। यह मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऊपर आपको जो हैड्स गिनाए हैं उनमें हमने पैसे का प्रोविजन होने के बाद ऐसा किया है। जिसमें नई परियोजनाएं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9661 करोड़ रुपये की है। आरआरआरआईआरएम एवं जीवन धारा के कार्यक्रम 2340 करोड़ रुपये के हैं। फव्वारा पद्धति से सिंचाई के कार्य 681 करोड़ रुपये के हैं। खाळों का निर्माण कार्य 330 करोड़ रुपये से होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के मार्गदर्शन के अनुरूप सभी 33 जिलों के विस्तृत सिंचाई प्लान पहली बार तैयार किए गए हैं जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का है। उक्त योजना का

(डा. रामप्रताप)

अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति द्वारा कराया जाकर केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाएगा जिससे भविष्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना से लगातार लाभ मिलता रहेगा। लगातार इसलिए क्योंकि हमें वहां जाकर छोटा-मोटा कोई नहीं करना पड़ेगा, यह जो योजना हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान अप्रूव होंगे उसके हिसाब से हमें सुविधा मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फोरवाटर कंसेप्ट योजना पर आधारित एक माही चम्बल-साबरमती-आहू, वेस्ट बनास, सूकली व अन्य बेसिनों पर माइक्रो सिंचाई व अन्य चेक डैम चिह्नित किए गए हैं। अब तक हमने एमआईटीएमएस पर 300 करोड़ रुपये व्यय कर 258 कार्य पूर्ण कर लिए हैं।

मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण के 613 काम पूरे किए जा चुके हैं। अभियान के दूसरे चरण में 1024 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 767 कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए इंजीनियर्स की टीम के साथ में हमें उसको मेंटेंन करने के लिए मानव संसाधन की भी जरूरत होती है। इसके लिए हमने पिछले वर्षों में जो प्रयास किए हैं 2014-15 में 313 जेईएन्स की भर्ती की, वर्ष 2016-17 में 118 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति दी है और 2016-17 में 80 जेईएन्स को टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति दी है तथा 591 जेईएन्स की भर्ती प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिय पूरी भी हो चुकी है, लेकिन समस्या एक ही आ रही है, आप ज्यादा परिचित हो, मेरे को कम जानकारी है, रिजर्वेशन की वजह से समस्या आ रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए थे, उनके बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा।

शंकरलाल शर्मा, दौसा से ईसरदा परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। पीएचईडी से राशि देने की सहमति प्राप्त होते ही टेंडर आमंत्रित कर लिए जाएंगे।

जयनारायणजी पूनिया; साहवा लिफ्ट का चूरू जिले में 28400 हैक्टेयर सीसीए है जिसमें से प्रथम चरण में 11300 हैक्टेयर सीसीए के लिए काम आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा कराया जाना प्रस्तावित है।

(डा. रामप्रताप)

शंकर सिंहजी ब्यावर; बालाद सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए 1.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाएंगे।

केसारामजी चौधरी; धारिया की मरम्मत के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारिया बाँध है वह हमारे लिए bone of contention है। यह बनाते हैं और बार-बार टूट जाता है। अब इसकी हमने विस्तृत जांच कराई तो उसका सांइल स्ट्रक्चर घुलनशील होने के कारण उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। उसका पुख्ता इन्तजाम करने के लिए उसकी सोइल टेस्टिंग पूरी हो जाएगी। यह 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति है, वह हमने जारी कर दी है। उसकी सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होगा।

नरेन्द्रजी नागर; कालीसिंध नदी पर राजपुरा के पास एनीकट निर्माण हेतु 6 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी।

पूरणमलजी सैनी; खेतड़ी; ग्राम प्रतिमान नगर, भदेवा तथा बरूका में एनीकट निर्माण के लिए सर्वे कराया जाएगा तथा साइट उपयुक्त पाए जाने पर आवश्यकतानुसार राशि स्वीकृत की जाएगी।

हमीर सिंहजी, सिवाना; गुढ़ा डाइवर्जन के काम के लिए दो करोड़ रुपए, मेली बाँध की मरम्मत के लिए चालीस लाख व कुंडल में नए एनीकट के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी। मांगी तथा सेला बाँध की मरम्मत नरेगा से करवाने का प्रयास किया जाएगा।

श्रीमती द्रोपती, पीलीबंगा; वितरिका की आरडी जीरो से चौंतीस तक के सुधार हेतु 42.58 करोड़ तथा केसरदेसर वितरिका के रिनोवेशन हेतु 1.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। सेम की समस्या के निदान के लिए 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं जिस पर कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है।

शंकर सिंहजी राजपुरोहित, आहोर; जवाई पुनर्भरण परियोजना की डीपीआर बनाने का कार्य दिसम्बर, 2017 तक पूरा करा लिया जाएगा। जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया है, साबरमती बेसिन के पास कोल बेसिन में ले जाने का प्रस्ताव है। इसका परीक्षण करवाकर गुण-अवगुण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(डा. रामप्रताप)

श्री देवेन्द्र कटारा; पणियारावाला दर्रा तथा गुंजलकानाका की डीपीआर तैयार करायी जाएगी। बागवोल का नामा, थामुण्डामाता पीपलावाला एनीकट की लागत का 50 प्रतिशत टीएडी से उपलब्ध कराने पर बाकी की 50 प्रतिशत राशि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देगा।

इसी तरीके से अमृतलाल जी मीणा सलूम्बर; सगतपुरा, जन्नाटिया, अलूणा, मूलेश्वर एनीकट के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि आवश्यक है। 50 प्रतिशत टीएडी मद से उपलब्ध होने पर बाकी की 5 करोड़ की राशि जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराकर ये कार्य करवाए जाएंगे।

हीरालाल जी नागर; कनवास डायवर्जन चैनल के प्रथम चरण के काम के लिए 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाएंगे। चंद्रावला डायवर्जन चैनल एवं हिंगी एनीकट निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी।

फूलसिंह जी मीणा, उदयपुर ग्रामीण; जाबरमाता एनीकट के निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी।

नानालाल अहारी (खेरवाड़ा); डालीवाव, सांकड़नाला, हाथियो का नाका, कबाड़िया तथा भैसोर का नाका एनीकट के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि आवश्यक होगी। टीएडी द्वारा 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने पर बाकी की लगभग 5 करोड़ की राशि जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी।

अमराराम जी चौधरी; वारिया वरेचा एनीकट निर्माण हेतु 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी।

रामचन्द्र जी सुनारीवाल; गारसी नहर की टेक्निकल बिड 21 मार्च को रिसीव कर ली गयी है तथा फाइनेंशियल बिड शीघ्र खोलकर कार्य प्रारंभ कर दिये जाएंगे। राजगढ़ परियोजना के तहत काश्तकारों को बकाया मुआवजा भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा। चाचरोनी नदी पर दो एनीकट बनाने हेतु 7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी।

श्री नारायण सिंह देवल; राजीकावास बाँध के रेस्टोरेशन का कार्य जल्दी से जल्दी प्रारंभ कराया जाएगा। इसी प्रकार ववधर बाँध और नहर के जीर्णोद्धार के लिए 1.65 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर आगामी वित्तीय वर्ष में काम शुरू कराया जाएगा।

(डा. रामप्रताप)

प्रताप सिंह जी सिंघवी; सिन्दूरिया एवं कछावन एनीकट की डीपीआर बनाकर पीएचईडी को उपलब्ध करा दी गयी है। पीएचईडी की सहमति प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। लहासी नहरों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित कर ली गयी है तथा 7 अप्रैल को तकनीकी निविदा प्राप्त की जा रही है। कोनी एनीकट के टेंडर दुबारा आमंत्रित कर लिये गये हैं तथा 11 अप्रैल को तकनीकी निविदा प्राप्त की जा रही है।

अशोक जी डोगरा, बूंदी; गरड़दा बाँध। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरड़दा बाँध हमारे लिए परेशानी का सबब है। यह 2010 में बना था और पहले मानसून में ही टूट गया। उसके बाद में अब इसको दुबारा हमने हाथ में लिया है। 80 करोड़ रुपये का बजटरी प्रोविजन इसके लिए किया है। वरधा सिंचाई परियोजना के रिहैबिलिटेशन पर 15 करोड़ रुपये स्वीकृत कर आगामी वित्तीय वर्ष में काम कराए जाएंगे।

श्री अर्जुन जी जीनगर, कपासन; कपासन तालाब से पेयजल के लिए पानी का आरक्षण स्थानीय समिति द्वारा किया जाता है। पानी की उपलब्धता के आधार पर आगे भी यही व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। मरमी तथा गेगपुरा एनीकट के लिए 3.2 करोड़ रुपये स्वीकृत कर आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य कराए जाएंगे।

श्रीमती अनीता (नगर); गुड़गांव मैन कैनाल सिस्टम की हातीन माईनर, सतपुरा माइनर, कचनेर माइनर के रिहेबिलिटेशन का काम 26.39 करोड़ रुपये खर्च करके कराया जाएगा। रूपारेल जलग्रहण क्षेत्र में बने एनीकटों के परीक्षण के लिए बनी समिति की रिपोर्ट आगामी तीन माह में फाइनल कराने के प्रयास किये जाएंगे।

श्री भागीरथ चौधरी; मदनसागर डिडवाड़ा सिंचाई परियोजना की मरम्मत 65 लाख रुपये व्यय करके करायी जाएगी। पंचायत को हस्तान्तरित तालाबों की मरम्मत नरेगा के तहत कराने के प्रयास किये जाएंगे।

श्री रामनारायण नसीराबाद; शिवसागर नियारा टैंक की मरम्मत 1.86 करोड़ रुपये व्यय करके की जाएंगी।

श्रीमती अनिता कटारा; भीखाभाई सागवाड़ा योजना पर अभी तक 192 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। योजना के 11 भागों में से 5 भागों पर

(डा. रामप्रताप)

काम पूरा कर लिया गया है। शेष 6 भागों पर काम को आगामी वित्तीय वर्ष में तेजी से कराया जाएगा। यह बहुत डिलेड था, इसको हम स्पीड-अप करने का प्रयास करेंगे।

श्री सुरेश धाकड़; रेन का नाका की टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है तथा 22 जून को तकनीकी निविदा प्राप्त कर ली जाएगी। ओराई एवं बस्सी कमाण्ड क्षेत्र के नहरी तंत्र की मरम्मत हेतु आरएसीपी के तहत 41.90 करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर काम कराए जाएंगे।

रामहेतसिंह जी यादव; (व्यवधान) इसमें चक्कर यह है कि मुझे खुद को नींद आ रही है। वहां जब मैं चाय पी रहा था तो कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपको नींद आये या नहीं, आपके पास सामान नहीं हो तो बोलते जाना, रिकॉर्ड बनाना है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह अमराराम जी ने आपको कान में बताया था क्या? आपने अमराराम जी का नाम बोला।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अमराराम जी ने कान में ही कहा था।

खानपुर बाँध की रिपेयर हेतु 1.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर कार्य कराए जाएंगे।

जोगाराम जी पटेल; पंजाब विधान सभा का बार-बार पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या एक्सप्लेनेशन दूं?

गोपीचंद जी मीणा; सोनार माता एनीकट की मांग। अनुमानित लागत है 10 करोड़ रुपये। यदि 50 परसेंट टीएडी से आप दिला दें तो 50 परसेंट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट दे देगा।

शिमला बावरी, अनूपगढ़; ये तीन-चार पुल हैं। जब यह कैनाल सिस्टम डवलप हुआ उस टाइम किसी के दिमाग में यह नहीं थी कि आज से आने वाले 50 साल बाद में ट्रैफिक होगा वह इतना हैवी होगा। जितने भी विलेज रोड पुल बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए हैं, अपनी देशी भाषा में उनको घोड़ा पुल बोलते हैं। उनकी भार वहन करने की क्षमता इतनी नहीं है, लेकिन जिप्सम के ब्लैक में 70-70, 80-80 टन माल लेकर आते हैं; इसलिए ये टूटे हुए हैं,

(डा. रामप्रताप)

इनकी मरम्मत कराएंगे। जब कैनाल का रिनोवेशन होगा तो दुबारा इनको उसी हिसाब से बनाएंगे।

गौतम लाल; पुराने तालाबों की मरम्मत के काम नरेगा के तहत कराए जाएंगे। घेरदा का नाका, कुडा का बारा, भूत बावजी, पण्डेरी कुरडी, समरटुटा, झरजीमाता, काछाकुडी एनीकट के लिए लगभग 9 करोड़ की आवश्यकता है। 50 परसेंट टीएडी से दिलवाने पड़ेंगे।

नवनीत लाल जी; माही बेसिन में उपलब्ध पानी के बेहतर उपयोग के लिए प्रस्ताव का परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अमृत जी मीणा; जयसमन्द प्रणाली की नहरों की मरम्मत के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर करायी जाएगी।

छोटू सिंह जी; खेरूवाला वितरिका के नहरी तंत्र के रिहैबिलिटेशन का काम आरएसीपी के तहत 14.52 करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर कराया जाएगा।

हीरालाल जी नागर; चम्बल की दाईं मुख्य नहर के द्वितीय तथा तृतीय चरण के सुधार के लिए 239 करोड़ रुपये की निविदाएं हाल ही में स्वीकृत की गयी हैं। इन सभी कामों को आने वाले तीन महीनों में पूरा किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, मैं मेरे खयाल से अंतिम निवेदन आपसे कर रहा हूं। (व्यवधान) साकेड़ा आ गया ना। अब वह सारा खोलकर पोथा देने में फायदा नहीं है। उसमें सारा कुछ है। माननीय सदस्यों को सबको दिखा दूंगा और इसके अलावा जो एनीकट्स के लिए आपने कहा है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): साहवा का?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): इसमें बाकी क्या रह गया? साहवा का तो यह है कि आपका द्रुत गति से काम चल रहा है।

यह मेरे पास में पूरा पोथा है इसको पूरा पढ़ेंगे तो मेरे खयाल से सूरज उग जाएगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय डांटेंगे। इसमें सारे अलग-अलग लिखे हैं, कोई देखना चाहे तो देख लेना।

(डा. रामप्रताप)

बाकी एनीकट्स के जो भी प्रस्ताव आपके आये हैं, जो मैंने इसमें नहीं बताए, उनकी हाइड्रोलोजी वगैरह कराकर, सर्वे कराकर फोरेस्ट की क्लीयरेंस हो उसके आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से काफी एनीकट्स करने का भी प्रयास करेंगे। (व्यवधान) सांकेड़ा है भाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9507 करोड़ रुपये की जो मैंने बतायी, मैं नाम भी बता दूं, 9507 करोड़ रुपये की माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूं कि मैंने कोई गप्प नहीं मारी है। 9507 करोड़ की मैं अगर स्वीकृति भी दूं तो एक साल में तो होने वाली नहीं है। इसकी टोटल कोस्ट मैंने बतायी।

परवन पर लागत 7848 करोड़ की। अब इसका नाम लूंगा तो कहेंगे कि आचार संहिता में आ गया। लेकिन आप समझ गये होंगे। इसकी 782 करोड़ रुपये की है।

हाथियादेह की हम हमारे संसाधनों से करा रहे हैं क्योंकि हम किसी एजेंसी के पास जाएं या सीडब्ल्यूसी से क्लीयरेंस वगैरह के चक्कर में पड़ें, क्योंकि यह इंटरस्टेट मैटर है और हम तो ईमानदारी से चलते हैं, बाकी की स्टेट हैं वे बेईमानी करती हैं।

(3.00 बजे)

वह चाहे कैचमेंट एरिया में कुछ बना ले चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो तो हम इस उलझन में नहीं पड़कर हथियादेह जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत लम्बे समय से लम्बित था, उसको करेंगे।

इसी तरीके से बत्तीसा नाला है 228 करोड़ का, रेणका नाका 43.89 करोड़ का है, सांकेड़ा है यह 7.55 करोड़ का है, गेंडोली लिफ्ट परियोजना, यह बूंदी में 67.52 करोड़ रुपये की है। फोलाई लिफ्ट, यह भी बूंदी की है 56.36 करोड़ की है, रोशनबाड़ी है यह भी झालावाड़ जिले की 98.72 करोड़ रुपये की है। गुराड़िया है यह झालावाड़ की 67.97 करोड़ रुपये की है। (व्यवधान) सुन लो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड बन गया, 2010 के अन्दर पौने तीन बजे तक चली थी विधान सभा और अब तीन के पार हो गये तो हो गया न साहब, रिकार्ड बन गया 15 साल का, आपका भी और विधान सभा चलने की कह रहा हूं कि तीन बज गये। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मे भी माथो मारयो हूं। मेरी भी सुन लो आप, नींद मैंने भी खराब की है न। (व्यवधान)

बड़ा नयागांव लघु सिंचाई योजना, यह 63.56 करोड़ की है, घाटी लघु है 11.12 करोड़ रुपये की है तो ये टोटल 9507 करोड़ रुपये की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर लिस्ट बताने चलूं तो मैंने अलग-अलग इसका बाईफर्क्रेशन कर रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मोर्निंग वॉक यहीं से चालू कर देंगे। मोर्निंग वॉक यहीं से चालू कर देंगे एक घंटा और बोल लो आप।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मैं हैड बता देता हूं आपको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सूर्योदय हो गया तो तारीख बदल जाएगी।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो JICA के अन्तर्गत, ये सब मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारे पास हवाई बातें नहीं हैं, रिसोर्सेज हमने सारे गिनकर यह आपसे निवेदन किये हैं। JICA के अन्तर्गत हम इस साल में 670 करोड़ रुपये की, अलग-अलग है। इसमें भाखड़ा सिस्टम है, इसके बाद में आई.जी.एन.पी. है, इसमें गंग केनाल भी है, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी सारे ही हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सिद्धमुख भी है क्या?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): सिद्धमुख नहर परियोजना के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब टाइम तो निकल गया, अब दस मिनट और लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। माननीय सदस्य की उत्सुकता है और माननीय राठौड़ साहब बार-बार पूछ रहे हैं तो इसमें आपसे मैं एक निवेदन यह कर रहा हूं I am not boasting about me. It is due to my colleagues, my engineers. बहुत लम्बे पीरियड के बाद में आपके सिद्धमुख नहर के अन्दर टेल पर पानी पहुंचा है और आपके तालाबों में पानी गया है, which is a big achievement.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से लम्बे समय से नहर तो

(डा. रामप्रताप)

बन गई, अब मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, बुरा मत मानना लेकिन थोड़ा-सा मैं बताना जरूर चाहूंगा कि 2000 के आस-पास आपने नोहर सिद्धमुख का वो ही परवन की तरह से जल्दबाजी में इनोग्रेशन कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब चैनल तो बन गया, रामप्रताप वहां पर गया उद्घाटन करने के लिए, उसकी शुरूआत करने के लिए तो नहर भी पानी से भर दी। अब नहर भर दी पीछे से आपका शेयर आ रहा है तो पानी जाएगा कहां से? तो ओवरफ्लो होकर टूटेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चक्कर यह पड़ा कि उस वक्त जब नहर टूटने की स्थिति में आई तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने काश्तकारों को कहा कि आप पाइप लगाकर पानी ले लो, यह नहर टूटेगी, तो पाइप से उन्होंने पानी शुरू कर दिया। अब आउटलेट्स आपने बनाये नहीं, खाले आपने बनाये नहीं और फिर जब मैंने इस तरीके से किया तो आप पड़ौस में हो तो आपका भी जी किया कि पानी इस तरीके से मिल रहा है और फिर खेती हो रही है तो मैं भी पाइप लगाने लग गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यों देखा-देखी इसने चोरी का रूप ले लिया। चोरी का रूप इस रूप में ले लिया कि जो पावरफुल थे, जिनकी मसल्स पावर थी उन लोगों ने उसका मिस-यूज करना शुरू कर दिया और आज से नहीं कब से 2000 में इसमें पानी आया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो इसकी चकबंदी हुई और चकबंदी नहीं हुई तो खाले भी नहीं बने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोहर से आने वाले माननीय सदस्य भी नहीं हैं और भादरा वाले की भी थोड़ी तबीयत खराब है, लम्बे समय से मांग थी, इस साल हमने WAPCOS से इसका चकबंदी का काम शुरू करा दिया ताकि इसमें खाले बनें और पूरा सिस्टम चलेगा तो वो चोरी-चकारी का काम कम होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने आपसे निवेदन किया। इसके बाद में यह भरतपुर में, नाम घणे ही हैं आप बाद में आकर देख लेना। पानी अब नहीं पिऊंगा, पानी पिला दिया। RWSRPD में.. (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): देवास का नहीं कहा और पिछले बजट में घोषणा हुई थी देवास की।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): कौनसे देवास की? देवास वन, टू, थ्री, फोर, कई हैं कौनसे की पूछ रहे हो?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यह 5 हजार की घोषणा की थी देवास की।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय गुलाब जी भाईसाहब हैं, आपके पिछोला झील को आप आज देख रहे हो, कैसे लग रही है? सावन-भादो की जैसे लग रही है? और आप ऊपर घूमते हो तो ऐसे लगता है जैसे आप मानसून के पीरियड में घूम रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देवास फर्स्ट और सैकण्ड की वजह से है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): लेकिन मैं देवास थर्ड, फोर्थ की बात कर रही हूं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): थर्ड, फोर्थ वाला मामला थोड़ा ऊंचे लेवल का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय मंत्रीजी, माही और कुशलगढ़ लिफ्ट की भी घोषणा कर दो, वो आवश्यकता है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): भाईसाहब, इसमें सारी घोषणाएं ही हैं, नकली कुछ नहीं हैं। 336 करोड़ रुपये से RWSRPD, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए यह खुशखबरी है कि JICA का जो प्रोजेक्ट है यह भी मेरे इंजीनियर्स की बदौलत है। पिछली दफा JICA फर्स्ट हमने लिया था और मेरे ख्याल से उसमें 4 साल से 5 साल का पीरियड लगा था and I am proud to annouce on the floor of this August House that we have completed the formalities of project for loaning in two years और शायद अभी 31 तारीख है, इस महीने की नहीं है, इसी 1 या 31 तारीख को हम उसका एग्रीमेंट करने जा रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब कराओ साहब। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): क्यों आपके वाला आ गया इसलिए?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गोयल साहब से ज्यादा बोल लिये मंत्री जी, आप।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, RACP मे 132 करोड़ रुपये हैं। इसी तरीके से टी.ए.डी. के अन्दर 30.45 करोड़ रुपये

(डा. रामप्रताप)

हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 98 करोड़ रुपये RRR में है। यह जो अलग-अलग हैड से हमने पैसे इकट्ठे किये हैं उस हिसाब से सारी घोषणाएं की हैं। (व्यवधान)

लोलाई सागर अभी छोटी चीज है बताने की। लोलाई सागर, मेरे ख्याल से वह हमारे फिट नहीं बैठ रहा है, हमने उसका करवाया है और फिजिबिलिटी वगैरह ठीक नहीं बैठ रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ मैंने आपको हैड्स गिनाये हैं जिनकी वजह से हम फण्डिंग करेंगे और उस हिसाब से यह 9507 करोड़ रुपये के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में निवेदन किया है। इसके अलावा जो भी एनीकट्स वगैरह आपने फरमाये हैं उनके लिए फिजिबिलिटी देखकर के पूरा करने का प्रयास करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक छोटा सा निवेदन और करूंगा कि एक एटा सिंगरासर का भी जिक्र आया था, इसके बारे में पिछले बजट सेशन में एक कमेटी बनाने की घोषणा की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस कमेटी का पीरियड है वो एग्जॉस्ट हो रहा था तो उस वक्त जो कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी बीमार थी और उसको लेकर या शायद किसी वजह से वो बाहर गये थे तो उन्होंने इसका एक्सटेंशन छह महीने का मांगा था। मैंने कहा कि छह महीने बहुत ज्यादा, तीन महीने का एक्सटेंशन दिया और वो शायद महीने-डेढ़ महीने में पूरा होगा। लेकिन इससे पहले मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में जब हमने शुरूआत की तो सिंगरासर गांव में मैं खुद वहां गया था और कम से कम 500-700 आदमी थे, महिलाएं भी थीं। हमारे सैक्रेटरी साहब भी थे, कलेक्टर साहब, एस.पी. साहब, जिला परिषद के सारे लोग, सभी लोग थे और जब मैं बोलने लगा तो मेरे पास में पर्चियां आईं एटा सिंगरासर की। मैंने बड़ी ईमानदारी से उनके सामने एक ही बात कही कि यह रिपोर्ट आयेगी और रिपोर्ट में अगर इसके लिए पानी उपलब्ध होगा तो 100 परसेंट बनेगी और पानी उपलब्ध नहीं होगा तो 200 परसेंट नहीं बनेगी, झांसे नहीं दूंगा। मेरे सैक्रेटरी साहब बैठे हैं, दूसरे अधिकारी भी थे तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि बेवजह से मैं वहां के काश्तकारों को नहीं कहता लेकिन कुछ चंद लोग जो इस तरीके से राजनैतिक लाभ लेना

(डा. रामप्रताप)

चाहते हैं। मैं आपका भी नहीं कह रहा कि आपकी पार्टी कर रही है, गलत तरीके से नहीं करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर पानी हो तो जब ये प्रोजेक्ट्स हम इस तरीके से भाग-भाग कर लेकर आ रहे हैं तो मेरी एटा सिंगरासर से कोई दुश्मनी है क्या?

दूसरा, अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा, एटा सिंगरासर का ऐजिटेशन हमारी पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में भी हुआ था यह बड़ा गम्भीर विषय है ध्यान से सुनिये मेरी बात। पूर्व की सरकार रही, जब बिना पानी चुप रहे, अब हमारी सरकार आ गई तो फिर उसकी मांग हो गई। अन्तर नहीं है, यह थोड़ी-सी सोचने की बात है।

दूसरे कुछ गांव आपके इस सिद्धमुख के और साहवा के बीच में रह गये, उनकी भी मांग है। वो जब हमारा राज होता है जब ही आता है। या तो यह मानकर चलें कि उन लोगों को यह उम्मीद है कि ये करने वाले हैं या फिर कोई और कारण है। अब मैं माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं कि इसका विश्लेषण करें कम से कम।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जैसे पिछली सरकार ने सदन के अंदर 20 करोड़ रुपये एटा-सिंगरासर माइनर के लिए स्वीकृत कर दिये। उससे लोगों के मन में, किसान यह समझने लगा कि एटा-सिंगरासर माइनर का निर्माण अवश्य होगा लेकिन वह सरकार के भुलावे की वजह से, आज वह स्थितियां फिर बन गई हैं और अब अनेकों- अनेक तरह के ऐसी राजनैतिक पार्टियां जिनका वहां कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन वहां के किसानों को लेकर जिस तरह से धरने और प्रदर्शन करने और आंदोलन का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कमेटी की रिपोर्ट महीने-डेढ़ महीने में जब भी आ जाये, निश्चित रूप से आप बैठकर इसकी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दें। अगर एटा-सिंगरासर माइनर का निर्माण होना है तो होना है और नहीं होना है तो उसके बाद में हमारी तरफ से इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाये। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने यह 100 परसेंट और 200 परसेंट की बात कही थी, तो माननीय विधायक महोदय भी वहां मौजूद थे। ऐसे का ऐसा ही मैंने कहा था और ऐसे का ऐसा ही आज कह रहा हूं। मेरे मन में कहीं कोई फर्क नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं। मैं किसी को मारना थोड़े ही चाहता हूं। अगर मारना ही चाहता होता तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो ब्रीच हुआ था हरिके बैराज का, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, जब हरिके बैराज पर ये मेरे चीफ इंजीनियर के पास आये और मुझे सूचना मिली I was so disturbed, you can't imagine, I have never been disturbed so much in my life. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाँच दिन में कम से कम मैंने 2,500 किलोमीटर रन-अप किया। जैसलमेर, हनुमानगढ़, हरिके, चण्डीगढ़, पठानकोट और पठानकोट वाला जिसको हम अभी रिपेयर कर रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एयरबेस के बिल्कुल बाउण्ड्री के ऊपर है और सिम्पली क्रीक है। स्काउरिंग होकर अगर वह उसकी बाउण्ड्री में घुस जाये तो डिफेंस फोर्सेज वालों को आप जानते हो, वह तो हमेशा के लिए बंद कर देंगे, इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि एटा-सिंगरासर नहीं बने, लेकिन उपलब्धता होगी तभी तो बनेगी ना। इसलिए इसमें कहीं कमी नहीं है।

दूसरी चीज, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो 28 गांव दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में रह गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही कहूंगा जो मेरी जानकारी में होगा। बिना तथ्यों के नहीं निवेदन करूंगा। वह 28 गांव साहवा लिफ्ट के, आपको मैं उनका रिकार्ड निकालकर दिखाऊंगा, साहवा लिफ्ट का प्रोजेक्ट एनविसेज किया गया था, उस टाइम में इसका नाम था नोहर-साहवा लिफ्ट...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सिद्धमुख का ही बता दो। मेरे वाला तो सिद्धमुख का है। साहवा अलग है। दोनों का ही बता दें।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): वह सिद्धमुख ही तो है। वह बात आ जायेगी साथ में। नोहर और साहवा नाम था, इसका मतलब नोहर के आसपास ही जानी चाहिए थी, लेकिन बिना फिजिबिलिटी के, बिना लेवल्स के 108 आरडी नीचे ले जाया गया यानी 9 फीट नीचे लेकर, और आगे से यूं घुणाई देकर लेकर आये तो वह 28 गांव ना तो साहवा में आ सके और ना

(डा. रामप्रताप)

ही सिद्धमुख में आ सके तो चोर का दण्ड फकीर को किसलिए? करने वाला कोई और था, आज पानी की किल्लत में हम कहां से उनको दे दें? इस तरीके से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम फकीर नहीं हैं। राजनीति सभी करते हैं...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): फकीर की बात है तो फकीर के भण्डारे के सहारे हैं, आप कुछ तो कर दो। अब फकीर के भण्डारे में से चाह रहे हैं, आप कुछ कर दो।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): ...लेकिन इस तरीके से नहीं हो। अब मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे वाला ऐसा विषय है, जैसा माननीय राठौड़ साहब फरमा रहे थे, इसको अगर मैं सुबह तक...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): पाँच बजे तक बोलना है, पाँच बजे तक। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय मंत्री महोदय, आधे से ज्यादा माननीय सदस्य पाँच बजे सुबह मोर्निंग वाक चालू कर देते हैं। (व्यवधान) अधिकारी लोगों को भी मालूम पड़ेगा न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ये मजाक बना रहे हैं मंत्री महोदय, आपकी। मांग पारित कराओ।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि मांग संख्या-46 को पारित करवाकर अनुगृहीत करें।

पेयजल योजना - मांग संख्या 27 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-27, पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,02,64,01,000/- (तिहत्तर अरब दो करोड़ चौसठ लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) - मांग संख्या 46 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-46 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,34,44,96,000/- (सैतीस अरब चौतीस करोड़ चवालीस लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुदान की शेष मांगें मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

राज्य विधान मण्डल - मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1, राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,95,28,000/- (चौवन करोड़ पिचानवे लाख अट्ठाईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मंत्रिपरिषद - मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2, मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,19,23,000/- (दस करोड़ उन्नीस लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

सचिवालय - मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3, सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,81,57,41,000/- (तीन अरब इक्यासी करोड़ सत्तावन लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

जिला प्रशासन - मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4, जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,03,00,32,000/- (पांच अरब तीन करोड़ बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रशासनिक सेवाएं - मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5, प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,78,07,94,000/- (दो अरब अट्ठहत्तर करोड़ सात लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

निर्वाचन - मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7, निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,61,00,000/- (तिहत्तर करोड़ इकसठ लाख) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्व - मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8, राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,99,48,40,000/- (छह अरब निन्यानवे करोड़ अड़तालीस लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विविध सामान्य सेवाएं - मांग संख्या 10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10, विविध सामान्य सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,03,04,26,000/- (चार अरब तीन करोड़ चार लाख छब्बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विविध सामाजिक सेवाएं - मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11, विविध सामाजिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,09,32,30,000/- (एक अरब नौ करोड़ बत्तीस लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अन्य कर - मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12, अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,61,32,00,000/- (छह अरब इकसठ करोड़ बत्तीस लाख) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

आबकारी - मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13, आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,11,88,000/- (एक अरब इक्यावन करोड़ ग्यारह लाख अट्ठासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

बिक्री कर - मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14, बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,12,36,30,000/- (ग्यारह अरब बारह करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ - मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,41,62,70,95,000/- (एक सौ इकतालीस अरब बासठ करोड़ सत्तर लाख पिचानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

जन सम्पर्क - मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18, जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,30,00,000/- (तिहत्तर करोड़ तीस लाख) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

क्षेत्र का विकास - मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,69,53,16,000/- (चार अरब उनहत्तर करोड़ तिरेपन लाख सोलह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्रम और रोजगार - मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,10,00,31,000/- (छह अरब दस करोड़ इकत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

कोषागार व लेखा प्रशासन - मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 - कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,70,69,96,000/- (दो अरब सत्तर करोड़ उनहत्तर लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास - मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,08,64,11,000/- (अठ्ठावन अरब आठ करोड़ चौंसठ लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

जनजाति क्षेत्रीय विकास - मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,02,41,96,000/- (एक सौ पच्चीस अरब दो करोड़ इकतालीस लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

नागरिक आपूर्ति - मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32- नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,43,96,15,000/- (तीन अरब तियालीस करोड़ छियानवे लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण - मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,76,24,54,000/- (इक्यावन अरब छिहत्तर करोड़ चौबीस लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्राकृतिक आपदाओं से राहत - मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,40,97,03,000/- (चौबीस अरब चालीस करोड़ सतानवे लाख तीन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं - मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,96,71,35,000/- (छह अरब छियानवे करोड़ इकहत्तर लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण - मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,64,64,000/- (एक अरब दस करोड़ चौंसठ लाख चौंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजकीय उपक्रम - मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 - राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,47,18,000/- (एक करोड़ सैंतालीस लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सामुदायिक विकास - मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41- सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,94,08,34,000/- (चौहत्तर अरब चौरानवे करोड़ आठ लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

उद्योग - मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42- उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,91,92,76,000/- (दो अरब इक्यानवे करोड़ बानवे लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

लेखन सामग्री एवं मुद्रण - मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,16,49,000/- (बत्तीस करोड़ सोलह लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राज्य कर्मचारियों को ऋण - मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 - राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पर्यटन - मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 - पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,83,65,000/- (एक अरब बाईस करोड़ तिरासी लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

विद्‌युत - मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48 - विद्‌युत के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,09,64,61,62,000/- (दो सौ नौ अरब चौंसठ करोड़ इकसठ लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

ग्रामीण रोजगार - मांग संख्या 50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50 - ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,28,18,21,000/- (अठारह अरब अट्‌ठाईस करोड़ अठारह लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना - मांग संख्या 51

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,45,41,49,85,000/- (एक सौ पैतालीस अरब इकतालीस करोड़ उनचास लाख पिच्चासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य। विधेयक का पुर:स्थापन। राजस्थान विनियोग (संख्या-२) विधेयक, 2017 श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 30 मार्च 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 03.27 बजे गुरुवार, दिनांक 30 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदन

458. श्री भजन लाल जाटव (वैर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षो में बजट की कमी बताकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं कालेज शिक्षा, उच्च शिक्षा के छात्रों को देय फीस पुनर्भरण को लम्बित रखा गया? यदि हां तो छात्रवृत्ति और फीस पुनर्भरण से वर्गवार जिलेवार वंचित छात्रों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत 5 वर्षों के दौरान त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार न कर उन्हें निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? त्रुटिपूर्ण बताकर निरस्त आवेदनों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत पांच वर्षो में नियमानुसार पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है किन्तु उक्त योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से नोशनल एलोकेशन के आधार पर समिति वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के कारण विभाग द्वारा निर्धारित प्राथमिकता अनुसार नियमानुसार सीमित संख्या में पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में समय-समय पर आक्षेप पूर्ति करवायी जाकर नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

किशनगढ़बास के गांवों को नगर विकास न्यास भिवाड़ी व अलवर में जोड़ने की योजना

462. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के कौन-कौनसे ग्राम नगर विकास न्यास भिवाडी व अलवर के अधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास भिवाडी व अलवर द्वारा उनके अधीन के ग्रामों में विकास कार्य कराये गये हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में क्या-क्या कार्य, किस-किस ग्राम में व कितनी-कितनी राशि के करवाये गये? ग्राम पंचायतवार कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के नगर विकास न्यास, अलवर के अधीन ग्रामों में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नगर विकास न्यास, भिवाडी के अधीन विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की तहसील कोटकासिम के ग्राम, तहसील मुण्डावर, बहरोड, नीमराणा व तिजारा की तुलना में कम है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे व तहसील कोटकासिम के और ग्राम कब तक जोड़ दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के नगर विकास न्यास, भिवाडी के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट-1 पर एवं नगर विकास न्यास, अलवर के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास, भिवाडी व अलवर द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामों में विकास कार्य कराये जाते हैं। नगर विकास न्यास, भिवाडी द्वारा ग्राम पंचायतवार कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-3 पर एवं नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा ग्राम पंचायतवार कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढबास के नगर विकास न्यास, अलवर के अधीन ग्रामों में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाये गये, क्योंकि किशनगढबास क्षेत्र के न्यास के अधीन क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित कोई प्रस्ताव न्यास को प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जी हां। किशनगढबास विधान सभा क्षेत्र के गांवों की संख्या नगर विकास न्यास, भिवाडी के अधीन अन्य विधान सभा क्षेत्रों के गांवों की संख्या से कम है। नगर विकास न्यास, भिवाडी के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम मास्टर प्लान के अनुसार सम्मिलित किये गये हैं। वर्तमान में नगर विकास न्यास, भिवाडी के क्षेत्राधिकार में नये गांव शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर के हम्मीर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने की योजना

463. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में नये और पुराने शहर के बीच आवागमन हेतु हम्मीर ब्रिज जो कि 1975 के पूर्व से बना हुआ है वर्तमान में आवागमन के दबाव को देखते हुए काफी सकडा रहता है?

(2) क्या सरकार उक्त ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने या नया ब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। हम्मीर ब्रिज की चौड़ाईकरण कार्य के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वार्षिक योजना 2016-17 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। कन्सल्टेन्सी कार्य की निविदा विभाग द्वारा आमंत्रित की गई है, जो दिनांक 11.04.2017 को प्राप्त की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कार्य निष्पादन हेतु भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से वांछित स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य का सम्पादन किया जा सकेगा।

जयपुर डेयरी में राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से भर्ती कराने की योजना

464. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर डेयरी में भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो कौन-कौन से पदों के लिये व इस हेतु क्या योग्यता व नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये उक्त भर्तियां राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु बोर्ड को अभ्यर्थना कब तक भिजवा दी जायेगी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन है।

मुण्डावर के आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण

465. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? क्या उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अनतर्गत 02 बाल विकास परियोजनाऐं क्रमश: मुण्डावर एवं नीमराणा संचालित है, जिसके अन्तर्गत परियोजना मुण्डावर में 293 तथा नीमराणा में 75 इस प्रकार कुल 368 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की स्थिति	**मुण्डावर**	**नीमराना**	**कुल**
धर्मशाला	03	04	07
किराये पर	25	16	41
विद्यालय	128	0	128
विभागीय	51	11	62
नि:शुल्क भवन में	32	03	35
पंचायत भवन में	08	02	10
स्कूल में	0	29	29
सरकारी भवन	03	02	05
सामुदायिक भवन में	36	07	43
उपस्वास्थ्य केन्द्र में	03	01	04
अक्रियाशील	04	0	04
कुल	**293**	**75**	**368**

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में 62 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में संचालित हैं, जिसमें परियोजना मुण्डावर के 51 तथा परियोजना नीमराणा में 11 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में संचालित हैं। वर्तमान में परियोजना मुण्डावर के 06 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 06 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण पर ग्राम पंचायत से आबादी भूमि का नि:शुल्क पट्टा प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धतता के आधार पर करवाये जायेंगे।

(2) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

बयाना में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की पुनः स्थापना

466. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बयाना में पूर्व में अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय स्थापित था? यदि हां, तो उक्त कार्यालय कब तक स्थापित रहा व उसको हटाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अधिशासी अभियन्ता कार्यालय को पुन: स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि बयाना अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के सभी मानदण्ड पूरे करता है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बयाना में पूर्व में अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय वर्ष 2011 तक स्थापित रहा था। तत्समय, विभाग में खण्डीय कार्यालयों में कार्यभार एवं नवीन कार्यों के निष्पादन की आवश्यकता के मध्यनजर पुनर्गठन किये जाने से बयाना में स्थापित खण्ड कार्यालय एवं अधीनस्थ दो उपखण्ड कार्यालयों के पद जल संसाधन नरेगा खण्ड़ों में स्थानान्तरित किये गये।

(2) जी नहीं। वर्तमान में, कार्यभार के मध्यनजर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय पुन: स्थापित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। तत्समय के बयाना अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के कार्य क्षेत्र में वर्तमान में, निर्मित एवं नवीन निर्माण कार्यो के कार्यभार के अनुसार खण्ड कार्यालय खुलने के मापदण्ड, जो कि वित्त (व्यय III) द्वारा दिनांक 23.07.1985 को जारी किये गये थे, के अनुसार पूर्ण नहीं होते हैं। नोर्म्स संबंधित आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा में अवैध खनन पर रोक

467. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में अवैध खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? प्रकरणवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पार्वती, कालीसिंध नदी व चम्बल घडियाल क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त नहीं हो रही है, अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होने पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में अवैध खनन के कुल 250 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें उप वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा 27 प्रकरणों में (सूची परिशिष्ट-1), उप वन संरक्षक, कोटा द्वारा 59 प्रकरणों में (सूची परिशिष्ट-2) तथा खान विभाग द्वारा 9 प्रकरणों में (सूची परिशिष्ट-3) विभागीय अधिनियमों के अन्तर्गत शास्ति राशि रुपये 22.28 लाख वसूल किये गये हैं। शेष 155 प्रकरणों में संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 58 प्रकरणों में एमएमडीआर एक्ट के तहत, 94 प्रकरणों में फोरेस्ट एक्ट के तहत तथा 3 प्रकरणों में वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में पार्वती, कालीसिंध नदी व चम्बल घडियाल क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु सभी संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर चैकिंग व गश्त कर खान विभाग द्वारा एमएमडीआर एक्ट, 1957 के तहत, वन विभाग द्वारा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। संबंधित विभागों द्वारा गत 5 वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1,2,3 व 4 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में माडा योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

468. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा योजना के तहत जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक कहां-कहां किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? वर्षवार/ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कौन-कौनसे कार्य पूर्ण हो गए व कौन-कौन से कार्य वर्तमान में अपूर्ण हैं व क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माड़ा योजनान्तर्गत वर्तमान में किस-किस स्थानों के कितने कार्यों के आवेदन कब से लंबित हैं व लंबित आवेदनों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा क्षेत्र के अन्तर्गत जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक राशि 361.70 लाख रु. के 81 कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्यों का वर्षवार/ग्रामवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2014 से माडा क्षेत्र के 48 सी.सी. सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों के आवेदन जिला परिषद कार्यालय जयपुर में प्राप्त हुए है जिसकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं। लंबित आवेदनों का बजट की उपलब्धता होने पर निस्तारण कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्ययोजना

469. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीरसिंह भायल)

(1) बाड़मेर जिले के कितने गांव पानी में फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कितने गांवों में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु आर.ओ. प्लान्ट लगाये गये हैं व कितने गांवों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 2452 ग्रामों में से 188 ग्रामों के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। तात्कालिक उपायों के अंतर्गत बाड़मेर जिले के फ्लोराइड प्रभावित उक्त 188 ग्रामों में से 47 ग्रामों में फ्लोराइड सहित अन्य घुलनशील रसायनों की मात्रा को कम करने हेतु 43 आर.ओ. संयंत्रों के निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है। इस स्वीकृति के विरुद्ध 22 ग्रामों हेतु 19 आर.ओ. संयंत्र निर्माण उपरांत चालू कर दिये गये हैं तथा शेष 24 संयंत्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन संयंत्रों का निर्माण माह जुलाई, 2017 तक पूर्ण करना अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत उक्त 188 ग्रामों सहित बाड़मेर जिले के 1295 ग्रामों को स्वच्छ नहरी पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 4 वृहत् पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जिले के 1009 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु इन परियोजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा शेष 286 ग्रामों को नहरी स्वच्छ जल से लाभान्वित करने हेतु दिनांक 24.01.2017 को कार्यादेश जारी किया गया है।

पेयजल गुणवत्ता प्रभावित उक्त 188 ग्रामों में से दो परियोजनाओं क्रमश: बाड़मेर लिफ्ट परियोजना एवं उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप से

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

क्रमश: 3 एवं 7, इस प्रकार कुल 10 ग्रामों को अब तक लाभान्वित किया गया है। परियोजनावार सम्मिलित ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, सिवाना के पेयजल योजनाओं से लाभान्वित कुल 188 ग्रामों में से 101 ग्रामों के स्थानीय भू-जल में कुल घुलनशील लवण (टी.डी.एस.) की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होने के कारण पानी खारा है।

इन 101 ग्रामों में से 36 ग्रामों हेतु 30 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण एवं स्थापना उपरांत चालू कर दिये गये हैं। पंचायत समिति, सिणधरी के ग्राम कमठाई हेतु स्वीकृत 1 आर.ओ. संयंत्र के स्थापना कार्य हेतु वेधित किया गया नलकूप असफल (सूखा) रहने के कारण इस संयंत्र का स्थापना कार्य संभव नहीं हो सका है।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र के 14 ग्रामों में 9 आर.ओ. संयंत्र मैसर्स कैयर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापित किये जाने अपेक्षित हैं। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा

470. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नाथद्वारा में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अवाप्त भूमि का कुल कितना-कितना मुआवजा किस-किसको दिया गया? अब तक कुल कितनी जमीन अवाप्त की गई है तथा कुल कितनी जमीन का कब्जा लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम नाथूवास, नाथद्वारा में अवाप्त की गई भूमि की किसी भी खातेदार ने मुआवजा राशि प्राप्त नहीं की है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

मण्डल द्वारा धारा-31 के तहत खातेदारों केा मुआवजा राशि के चैक प्राप्त करने हेतु नोटिस दिये गये थे, परन्तु किसी भी खातेदार ने चैक नहीं लिये। अवाप्त की गई सम्पूर्ण 39 बीघा 09 बिस्वा भूमि का कब्जा विशेषाधिकारी, नविवि द्वारा आवासन मण्डल को दिनांक 26.06.2013 को सुपुर्द कर दिया है। खातेदारों को अवार्ड अनुसार मुआवजा राशि निम्नानुसार देय है:-

1. वाद संख्या 7/6/01 रामलाल पिता बंशीलाल एवं अन्य राशि- 1,45,68,263/- रु.
2. वाद संख्या 7/6/02 श्रीमती मंजू देवी पत्नी जमना दास एवं अन्य- 74,49,680/- रु.
3. वाद संख्या 7/6/03 छगन लाल पिता चतुर्भुज 47,36,076/- रु.
4. वाद संख्या 7/6/04 गोपीलाल पिता पुरुषोतम ब्राहमण 1,03,97,380/- रु.
5. वाद संख्या 7/6/05 राधाकिशन पिता माणक लाल गुर्जर 64,49,139/- रु.

मण्डल द्वारा मुआवजा राशि के चैक खातेदारों में वितरित किये जाने हेतु दिनांक 13.03.12 व 14.03.2012 को विशेषाधिकारी, नविवि एवं उप आवासन आयुक्त, उदयपुर के द्वारा नाथद्वारा में कैम्प आयोजित किया गया परन्तु कोई खातेदार चैक लेने उपस्थित नहीं हुआ। अब आवासीय अभियन्ता की रिपोर्ट पर ऊपर वर्णित वादों में मुआवजा राशि के चैक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, राजसमन्द के नाम तैयार कर जमा करवाये जाने हेतु विशेषाधिकारी, नविवि को भिजवाये जा चुके हैं (परिशिष्ट "अ" संलग्न है)।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्टेट हाइवे संख्या-8 की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

471. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि स्टेट हाइवे संख्या 8 झुन्झुनूं जिले में से गुजरता है? यदि हां, तो इसका मास्टर प्लान सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टेट हाइवे के झुन्झुनूं शहर एवं बगड शहर से गुजरने वाली सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे दुरूस्त कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टेट हाइवे झुन्झुनूं जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी जयपुर से जोड़ता है? यदि हां, तो उक्त मार्ग का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्टेट हाइवे संख्या 8 झुन्झुनूं जिले में से गुजरता है। स्टेट हाइवे का कोई मास्टर प्लान नहीं होता है।

(2) जी हां। उक्त स्टेट हाइवे के झुन्झुनूं शहर एवं बगड शहर से गुजरने वाला हिस्सा अत्यधिक क्षतिग्रस्त है। उक्त स्टेट हाइवे बी.ओ.टी. में होने के कारण अनुबन्ध के अनुसार उद्यमी के द्वारा ठीक किया जाना था। परन्तु उद्यमी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करने के कारण उद्यमी की जोखिम एवं लागत पर विभाग द्वारा मरम्मत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। स्टेट हाइवे 8 झुन्झुनूं जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी जयपुर से जोड़ता है। जिसका रूट झुन्झुनूं नवलगढ़ सीकर जयपुर है। परिशिष्ट-1

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में नन्दीशाला की स्थापना

472. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि गत वर्ष सरकार द्वारा गौशालाओं में नन्दियों को रखने में आ रही परेशानी के कारण प्रत्येक जिले में नन्दीशाला खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो नागौर जिले में नन्दीशाला कब तक और कहां-कहां खोली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं

कोटा जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

473. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने भवन विहीन है एवं कितनों का भवन-निर्माण किया जा चुका हैं? आंगनबाड़ी के नाम सहित तहसीलवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती/धात्री महिलाओं को 930 ग्राम बेबी मिक्स एवं 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को 600 ग्राम बेबी मिक्स एवं अन्य कार्य हेतु दी जाने वाली राशि में महिला पर्यवेक्षक द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं? क्या सरकार उक्त अनियमितताओं को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? आंगनबाड़ी एवं संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में अनियमितता करने वाली महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई व प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गईं है? शिकायतों की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में 1266 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। कोटा जिले में 250 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तहसीलवार आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत कुपोषण की रोकथाम हेतु राज्य के समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर समस्त इच्छुक पंजीकृत आयुवर्ग 6

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

माह से 3 वर्ष के बच्चों को 750 ग्राम एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को 930 ग्राम बेबी मिक्स पूरक पोषाहार (टेक होम राशन) प्रति सप्ताह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

विभाग द्वारा पूरक पोषाहार के नियमानुसार एवं नियमित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। महिला पर्यवेक्षक अथवा अन्य किसी कार्मिक द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच कराई जाती है एवं दोषी पाये जाने पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा कोटा जिले में किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र का किसी भी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालन नहीं करवाया जा रहा है।

(4) कोटा जिले में महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अनियमितता किये जाने संबंधी प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में देवनारायण योजनान्तर्गत आवंटित राशि

474. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में विशेष पिछड़ा वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए किसी वैधानिक स्तर के बोर्ड या आयोग का गठन किया गया है? यदि हां, तो उसके गठन की अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) देवनारायण योजना के तहत प्रदेश में गत तीन वर्षों में कितनी राशि आवंटित हुई और किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि कहां-कहां पर किस-किस कार्य पर व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत गत तीन वर्षों में अलवर एवं विधान सभा क्षेत्र बानसूर में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(4) क्या सरकार उक्त योजना में बानसूर में महाविद्यालय एवं नारायणपुर में बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) देवनारायण योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में निम्न कार्यों हेतु राशि आवंटित हुई:-

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**वर्ष (राशि लाखों में)**		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	देवनारायण आदर्श छात्रावास भवन निर्माण	1550.04	400.00	365.14
2	देवनारायण आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	1541.81	2505.00	3077.86
3	महाविद्यालय बयाना भवन निर्माण	1.00	100.00	400.00
4	महाविद्यालय नादौती भवन निर्माण	1.00	200.00	484.91

पिछलें तीन वर्षों में व्यय राशि का जिलेवार एवं कार्यानुसार विवरण परिशिष्ट अ पर सलंग्न है।

(3) देवनारायण योजना के तहत अलवर एवं विधान सभा क्षेत्र बानसूर में गत तीन वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**स्थान**	**कार्य का नाम**	**व्यय राशि लाखों में**
1	अलवर	महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन निर्माण	122.25
2	अलवर	देवनारायण आवासीय विद्यालय बालेटा (अलवर)	972.50
		भवन निर्माण **योग**	**1094.75**

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

उपरोक्त कार्यो के अतिरिक्त अलवर जिलें में वर्ष 2008-09 में विशेष पैकेज में स्वीकृत निम्न स्थानों पर छात्रावास भवन निर्मित हुए हैं जो वर्तमान में संचालित हैं:-

क्र.सं.	**स्थान**	**कार्य का नाम**	**व्यय राशि**
1	अलवर	छात्रावास	96.50
2	राजगढ़	छात्रावास	86.14
3	थानागाजी	छात्रावास	87.85
		योग	270.49

विधान सभा क्षेत्र बानसूर में देवनारायण योजना के तहत छात्रावास आईटीआई, सैनिक विश्राम गृह वर्ष 2008-09 में स्वीकृत किये गये थे, विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**विधान सभा क्षेत्र बानसूर**	**कार्य का नाम**	**व्यय राशि लाखों में**
1	बानसूर	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	178.73
2	बानसूर	सैनिक विश्राम गृह	30.00
3	बानसूर	छात्रावास	96.55
		योग	305.28

इस प्रकार अलवर जिले में बानसूर विधान सभा क्षेत्र सहित देवनारायण योजना के तहत अब तक कुल 1670.52 लाख रुपये के कार्य कराये जा चुके हैं।

(4) जी हां। बजट की उपलब्धता एवं क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जसवंत सागर बांध की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत

475. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के बिलाडा में स्थित जसवंत सागर बांध वर्ष 2006-07 में क्षतिग्रस्त हुआ था जिसकी वर्ष 2009-10 में पुन: मरम्मत की गई? यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की नहरें भी क्षतिग्रस्त हुईं हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी लम्बाई में कौन-कौन सी नहरें क्षतिग्रस्त हुईं?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की पूर्णतया मरम्मत होने के पश्चात् भी नहरों की मरम्मत नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जसवन्त सागर बांध वर्ष 2007-08 के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसकी मरम्मत वर्ष 2008-09 के दौरान प्रारम्भ कर वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्ण की गई। जसवन्त सागर बांध के क्षतिग्रस्त भाग के पुन: निर्माण एवं अन्य रिचेज के जीर्णोद्धार हेतु कुल राशि रुपये 1626.22 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध 1073.22 लाख (प्रोरेटा चार्जेज अतिरिक्त) का व्यय किया गया।

(2) जसवन्त सागर बांध की 24 किमी लम्बी पडासला नहर विभिन्न रिचेज में 12 किमी में, भावी नहर 8 किमी लंबाई में से विभिन्न रिचेज में 4 किमी तथा मालकोसनी नहर कुल लंबाई 6.40 किमी में से विभिन्न रिचेज में 3.50 किमी लम्बाई में क्षतिग्रस्त है।

(3) जी हां। बांध के जल भराव क्षेत्र में अत्यधिक सीपेज होने से सिंचाई हेतु नहर खोलने के समय तक बांध में पानी संग्रहित नहीं रहता है, अत: नहरों से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं करवाये जाने से नहरों की मरम्मत नहीं करवाई गई।

(4) जी हां। आवश्यकतानुसार नहरों की मरम्मत के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

अलवर जिले में अवैध खनन से क्षतिग्रस्त सड़कें

476. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कहां-कहां खनन कार्य किया जा रहा है? उपखण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खनन कार्य एवं अवैध खनन के द्वारा प्रतिदिन हजारों की संख्या में डम्पर, ट्रक, टैक्टर इत्यादि का आवागमन होने के कारण सम्बन्धित क्षेत्र में सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं?

(3) अवैध खनन एवं खनन कार्य से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत किसके द्वारा की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में जहां-जहां खनन कार्य किया जा रहा है, उपखण्डवार स्वीकृत खनन पट्टों की सूची विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र की अधिकांश सड़कें मात्र खनिज परिवहन से ही क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। इन सड़कों पर अन्य भारी वाहनों का आवागमन भी रहता है, जिससे भी सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं।

(3) क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बामनवास की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

493. श्री कुंजीलाल (बामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बिनोरी बालाजी से वाया सुकार मोरा सागर, वन्द मोर सागर से जाहिरा वाया बामनवास, सराय तिराहे से कूंडली वाया गंडाल, लालसोट-गंगापुर हाइवे मोड से सरसाली, नारोली, मेगा हाइवे गंगापुर-सवाईमाधोपुर मोड से वाया जीवद नाननवास तक की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण/डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बिनोरी बालाजी से वाया सुकार मोरासागर व मोरा सागर से जाहिरा होते हुए बामनवास, सराय तिराहे से कूण्डली वाया गंडाल, लालसोट-गंगापुर हाइवे मोड से सरसाली, नारोली, मेगा हाइवे गंगापुर-सवाईमाधोपुर मोड से वाया जीवद नाननवास तक की कुल लम्बाई 57.90 किमी. है जिसमें से 22.820 किमी. लम्बाई की सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं एवं शेष लम्बाई 35.08 किमी. क्षतिग्रस्त हैं। एक सम्पर्क सड़क जीवद की 2.00 किमी. लम्बाई की आर.आई.डी.एफ.-22 योजनान्तर्गत राशि रु. 40.00 लाख वर्ष 2016-17 में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष क्षतिग्रस्त सड़कों की नवीनीकरण/डामरीकरण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। सड़कवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगढ़ की परिवहन सेवा से जुड़ीं ग्राम पंचायतें

494. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन हेतु क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में विभिन्न ग्राम पंचायतों, कस्बों, उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालयों को परिवहन से जोड़ने की क्या व्यवस्था है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितनी परिवहन बसों के फेरे किस-किस मार्ग पर कब-कब लगाये जा रहे है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, उपखण्ड एवं तहसील जिला मुख्यालय से परिवहन सेवा से जुडी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों/मिडी बसों एवं ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत पीपीपी मोड की बसों से राज्य की 9894 ग्राम पंचायतों में से 5375 ग्राम पंचायतों में परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में विभिन्न ग्राम पंचायतों, कस्बों, उप खण्ड एवं तहसील मुख्यालयों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वाहनों से परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में संचालित निगम बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है ।

(4) रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से 29 ग्राम पंचायतें, 02 पंचायत समिति (रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़), 02 उपखण्ड (रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़) एवं 02 तहसील (रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़) जिला मुख्यालय परिवहन सेवा से जुडी हुई हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दूदू के सी.आर.एफ. योजना में आने वाले गांव

495. श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

(1) सरकार द्वारा प्रस्तावित सी.आर.एफ. योजना के कार्य का आधार/मानदण्ड क्या है? विधान सभा क्षेत्र दूदू में कौनसे गांव एवं सड़कें उक्त योजनान्तर्गत आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत दिसम्बर, 2013 से उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी सड़कों के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये तथा किन-किन सड़कों की कितनी राशि की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई? उक्त सड़कों का कार्य कब प्रारम्भ हुआ तथा कब पूर्ण किया जायेगा? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा प्रस्तावित सी.आर.एफ. योजना के कार्य के आधार/मानदण्ड नियमों की फोटो प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। विधान सभा क्षेत्र दूदू की सभी स्टेट हाइवे, एम.डी.आर. एवं ओ.डी.आर. सड़कें सी.आर.एफ. गाइड लाइन के अन्तर्गत आती है जिनसे उन पर स्थित गांव भी लाभान्वित हो सकते हैं।

(2) उक्त योजना के तहत दिसम्बर 2013 से विधान सभा क्षेत्र दूदू की किसी भी सड़क का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है, फलस्वरूप कोई स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई है। सी.आर.एफ. योजना में सीमित फण्ड होने के कारण सड़कों की स्थिति, यातायात भार व उसकी मरम्मत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरदारशहर से बुकनसर बड़ा वाया भोजरासर सड़क का निर्माण

496. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर से बुकनसर बड़ा वाया भोजरासर तक सड़क निर्माण की मांग ग्रामवासियों द्वारा की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मनोज कुमार)

(2) उक्त सड़क की लम्बाई व निर्माण कुल लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त के संबंध में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ग्रामवासियों के द्वारा परिवेदनाएं दर्ज करवाई गई हैं? यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क के निर्माण के लिए राशि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कब व कितना व नहीं, तो क्या डीजल व पैट्रोल पर वसूले जाने वाले सैस से उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गांव भोजरासर मेगा हाईवे किशनगढ़-सुजानगढ़-रतनगढ़-सरदारशहर-हनुमानगढ़ के किमी. 270/0 पर स्थित है। भोजरासर से बुकनसर बड़ा के मध्य की सड़क मिसिंग लिंक श्रेणी की सड़क है। इस मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) भोजरासर से बुकनसर बड़ा तक मिसिंग लिंक सड़क की कुल लम्बाई 10.00 किमी. है एवं उक्त मार्ग का डामरीकरण सड़क निर्माण करने की अनुमानित लागत रु. 300.00 लाख है।

(3) जी हां। परिवेदना प्राप्त होने पर उक्त सड़क का तकमीना तैयार करवाया गया जिसकी अनुमानित लागत रु. 300 लाख है।

(4) जी नहीं। डीजल व पैट्रोल पर वसूले जाने वाले सैस के द्वारा राज्य राजमार्गों का निर्माण करवाया जाता है। यह सड़क मिसिंग लिंक है, जिसका निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सोजत के सुरायता से जाड़न मार्ग का डामरीकरण

497. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों व राजस्व

(श्रीमती संजना आगरी)

ग्रामों को उपखंड मुख्यालय या तहसील मुख्यालय से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो सोजत विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत, राजस्व ग्रामवार व मार्गवार उक्त योजना के तहत निर्मित सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उक्त विधान सभा क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतें व राजस्व ग्राम वर्तमान में भी उक्त योजना से वंचित हैं? यदि हां, तो वंचित गांवों की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त वंचित ग्राम पंचायतों व राजस्व गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना या किसी अन्य योजना में सुरायता से जाड़न का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्राम को उपखण्ड मुख्यालय या तहसील मुख्यालय से जोड़ने का प्रावधान नहीं है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की दिशानिर्देशानुसार जनगणना 2001 के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक तथा मरू व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी की बसावटों को सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है। सोजत विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों से जोडे गये ग्राम पंचायत के राजस्व ग्रामवार, मार्गवार सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 पर तथा जोड़ी गई बसावटों की सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्राम को सड़क से जोड़ने का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में सोजत विधान सभा क्षेत्र में सभी 50 ग्राम पंचायतें डामर सड़क से जुड़ी हुई हैं। डामर सड़क से बिना जुड़ा 1 राजस्व गांव का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रस्तुत है। शेष राजस्व गांव प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मानदण्ड जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर 250 से कम आबादी होने से पात्रता नहीं रखते हैं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में पात्रता रखने वाले किसी भी राजस्व गांव को जोड़ा जाना शेष नहीं है, परन्तु राजस्व ग्राम खेजड़ी का बाला (362) वर्ष 2007-08 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 4.5 किमी. लम्बाई में स्वीकृत था। इस सड़क की पूर्ण लम्बाई वन्य जीव अभयारण्य में होने से एवं वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने से इस सड़क का कार्य इस योजना में नहीं कराया गया एवं स्वीकृति निरस्त करा दी गई। वर्तमान में वन विभाग द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण कराया हुआ है। इस सड़क के डामरीकरण का कार्य वन विभाग की स्वीकृति के पश्चात् राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(4) ग्राम पंचायत सुरायता से जाडन एन.एच.-162 तक सड़क की लम्बाई 10.00 किमी. है तथा डामरीकरण हेतु रु. 314.37 लाख की आवश्यकता होगी। इस सड़क का डामरीकरण किया जाना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर की किशन वाटिका में बोरिंग से अवैध कनेक्शन

498. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के वार्ड नंबर-3 स्थित किशन वाटिका में विभाग का बोरिंग लगा हुआ है? यदि हां, तो उक्त बोरिंग से किन-किन कॉलोनियों में पेयजल सप्लाई की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई व्यक्तियों द्वारा उक्त बोरिंग से अवैध कनेक्शन लेकर पानी का उपयोग कृषि फार्मों में किया जा रहा है? यदि हां,

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

तो क्या सरकार इसमें लगे सभी अवैध कनेक्शन को हटाकर कॉलोनी वासियों को सुचारू पेयजल की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर के वार्ड नंबर-3 स्थित किशन वाटिका में निर्मित विभागीय एक नलकूप से किशन वाटिका, पंच विहार तथा लक्ष्मी कॉलोनी में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा अवैध जल संबंधों को विच्छेद करने का कार्य नियमित रूप से किया जाता है तथा इस संबंध में शिकायत मिलने पर जल संबंध विच्छेद करने की त्वरित कार्यवाही की जाती है।

किशन वाटिका कॉलोनी में निर्मित प्लॉट संख्या 63 के सामने तथा उक्त नलकूप से जुड़ी पेयजल पाइप लाइन में अवैध जल संबंधों की शिकायत प्राप्त हाने पर मौके पर निरीक्षण के दौरान पाये गये दो अवैध जल संबंधों को दिनांक 15.02.2017 को एवं एक अवैध जल संबंध को दिनांक 19.03.2017 को विच्छेद कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त नलकूप से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है।

नवलगढ़ में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु कार्ययोजना

499. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जनवरी, 2014 से अब तक कितनी-कितनी राशि की कौन-कौनसी योजना कब-कब स्वीकृत की गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं से किन- किन ग्रामों व कस्बों को कब तक लाभान्वित किया जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन गांवों के लिए व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के अल्पकालिक समाधान के अंतर्गत माह जनवरी, 2014 से माह फरवरी, 2017 तक की अवधि में राशि रुपये 3904.46 करोड़ की 16267 योजनाएं स्वीकृत की गईं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर एवं योजनावार स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान हेतु उक्त अवधि में प्रदेश में वृहत् पेयजल परियोजनाओं हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के अल्पकालिक समाधान के अंतर्गत उक्तानुसार स्वीकृत योजनाओं से लाभान्वित किये गये ग्राम एवं कस्बों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के दीर्घकालिक समाधान के अंतर्गत उक्तानुसार स्वीकृत वृहत् पेयजल परियोजनाओं से लाभान्वित किये जाने वाले ग्राम एवं कस्बों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के समस्त 109 आबाद ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है। क्षेत्र में अल्पकालिक उपायों के अंतर्गत पेयजल समस्या के समाधान हेतु भू-जल की उपलब्धता, पेयजल की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जल योजनाओं का संवर्धन/पुनर्गठन का कार्य सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है।

पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक उपायों के तहत विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के 2 कस्बे क्रमश: नवलगढ़ एवं मुकन्दगढ़ तथा 109 ग्रामों सहित सीकर एवं झुन्झुनूं जिले के शेष कस्बों एवं ग्रामों को इंदिरा गांधी नहर आधारित चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर से लाभान्वित करने के लिए सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु राशि रुपये 453.63 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.01.2017 को जारी की गई है। डी.पी.आर. बनने तथा उसकी अनुमानित लागत निर्धारण के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा की ढाणियों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने की योजना

500. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत भादवा की किन-किन ढाणियों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भादवा का ग्राम श्यामपुरा बीसलपुर पेयजल योजना से जुड़ा हुआ है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम श्यामपुरा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित डोगीवालों की ढाणी की आबादी लगभग 500 है व वहां पर पाइप लाइन डली होने तथा पानी की टंकियां बनी होने के उपरान्त भी अब तक बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त ढाणी को शीघ्र बीसलपुर योजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, फुलेरा की ग्राम पंचायत भादवा में 3 ग्राम क्रमशः भादवा, डोगीवालों का बास एवं ज्यानियों का बास तथा इनकी 11 ढाणियां सम्मिलित हैं तथा ये ग्राम/ढाणियां बीसलपुर पेयजल परियोजना से वर्तमान में जुड़ी हुई नहीं हैं।

इन ग्राम/ढाणियों सहित विधान सभा क्षेत्र, फुलेरा के शेष 106 ग्रामों (क्षेत्र के 45 ग्राम बीसलपुर परियोजना से माह दिसम्बर, 2015 में लाभान्वित) को सतही जल स्रोत आधारित बीसलपुर बांध से स्वीकृत बीसलपुर-दूदू वृहत् पेयजल परियोजना अंतर्गत प्रगतिरत पैकेज से चरणबद्ध रूप से माह सितम्बर, 2017 तक लाभान्वित करना अपेक्षित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत, मूण्डवाड़ा के ग्राम श्यामपुरा सहित विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 106 ग्रामों को उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत प्रगतिरत पैकेज से चरणबद्ध रूप से माह सितम्बर, 2017 तक लाभान्वित करना अपेक्षित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, फुलेरा की ग्राम पंचायत मूण्डवाड़ा के जनता जल योजना अंतर्गत लाभान्वित ग्राम श्यामपुरा से ग्राम भादवा (ग्राम पंचायत भादवा) की दो ढाणियां क्रमश: नेहरों का बास एवं डोगीवालों की जुड़ी हुई हैं।

उक्त योजना अंतर्गत ग्राम श्यामपुरा में निर्मित 3 खुले कुओं में से 2 खुले कुओं के सूख जाने के कारण वर्तमान में ग्राम श्यामपुरा से लगभग 1.0 किलोमीटर दूर स्थित डोगीवालों की ढाणी में निर्मित भू-तल जलाशय से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है।

ग्राम भादवा एवं इसकी ढाणियों को बीसलपुर परियोजना अंतर्गत ग्राम भादवा में निर्मित उच्च जलाशय से पी.एस.पी. द्वारा स्वच्छ पेयजल सितम्बर, 2017 तक उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

(4) जी हां। ग्राम पंचायत, भादवा के उक्त वर्णित 3 ग्राम एवं 11 ढाणियों सहित विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 106 ग्रामों को बीसलपुर पेयजल परियोजना अंतर्गत प्रगतिरत पैकेज से चरणबद्ध रूप से माह सितम्बर, 2017 तक लाभान्वित करना अपेक्षित है।

पोकरण-बालोतरा पेयजल परियोजना की स्वीकृति

501. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पश्चिमी राजस्थान में 150 से अधिक गांवों को मीठा पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चल रहे पोकरण-फलसूंड-सिवाना-बालोतरा पेयजल परियोजना की स्वीकृति कब हुई? उक्त परियोजना के लिए सरकार द्वारा कितनी वित्तीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेयजल परियोजना की वर्तमान में क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(3) उक्त परियोजना हेतु कार्यादेश किस कम्पनी अथवा फर्म को किन-किन शर्तों पर दिया गया तथा कौन-कौनसा कार्य कब तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है की उक्त परियोजना का कार्य लंबे समय से बंद है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार कार्य को पुनः शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के 2 कस्बे, बालोतरा व सिवाणा एवं 386 ग्राम तथा जैसलमेर जिले के कस्बा पोकरण एवं 177 ग्रामों को स्वच्छ नहरी पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाणा वृहत् पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 162वीं बैठक दिनांक 29.03.2005 द्वारा राशि रुपये 966.77 करोड़ तथा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 187वीं बैठक दिनांक 27.09.2011 द्वारा राशि रुपये 1454.20 करोड़ की जारी की गई थी। उक्त समिति की बैठकों के निर्णयों के सार की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत पेयजल परियोजना के कार्यों को 8 पैकेजों में विभक्त किया गया है जिनमें से 3 पैकेज आधारभूत संरचनाओं के कार्यों, 4 पैकेज शहरों/कस्बों/ग्रामों में क्लस्टर वितरण प्रणाली के कार्यों तथा 1 पैकेज रक्षा विभाग द्वारा डिपोजिट राशि के अंतर्गत किये जाने वालों कार्यों से संबंधित है। पैकेजवार कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत 8 पैकेजों के कार्यों के निष्पादन हेतु समय-समय पर अनुबंधक फर्मों को जारी कार्यादेश एवं इन पैकेजों को पूर्ण करने की निर्धारित एवं संभावित अवधि संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है। शर्तों संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न विभिन्न कार्यादेशों में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) उक्त पेयजल परियोजना में के कुल 8 पैकेजों में से 2 पैकेजों (पैकेज संख्या 1 एवं 8) का कार्य पूर्ण किया जाकर पोकरण शहर को आंशिक रूप से लाभान्वित किया गया है। उक्त परियोजना के दो पैकेजों क्रमश: 2अ एवं 2ब का कार्य अनुबंधक फर्म द्वारा क्रमश: 62 एवं 61 प्रतिशत पूर्ण करने के उपरांत वर्तमान में बंद है।

अनुबंधक फर्म द्वारा शर्तों के अनुरूप परियोजना की प्रगति अत्यन्त धीमी रखने, निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने एवं कार्य बंद कर देने के कारण विभागीय वित्त समिति की 713वीं बैठक दिनांक 21.12.2016 में पैकेज-2अ का कार्य रिसाइण्ड करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की अनुपालना में अनुबंधक फर्म की रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य फर्म से उक्त पैकेज का कार्य कराने हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 06.03.2017 को प्राप्त की जाकर कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है ।

अनुबंधक फर्म द्वारा पैकेज-2ब के कार्य को पुन: शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए विभाग को आश्वस्त किया है। इसके उपरांत भी फर्म द्वारा यदि कार्य में प्रगति नहीं बढ़ाई जाती है तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परियोजना के शेष पैकेजों का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा सम्पूर्ण परियोजना माह जून, 2018 तक पूर्ण करनी अपेक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मानसरोवर (जयपुर) के राजकीय आवासों में पेयजल व्यवस्था

502. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मानसरोवर, जयपुर स्थित राजकीय आवास में पेयजल व्यवस्था के रख-रखाव (मेन्टीनेन्स) में विगत पांच वर्षों के अन्तर्गत किस-किस कार्य हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी और उसमें से कितनी राशि व्यय की गई व किन-किन ठेकेदारों से कार्य करवाया गया? किये गये समस्त कार्यों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर शहर स्थित मानसरोवर एवं इसके आस-पास के क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु मानसरोवर क्षेत्र में विभाग द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारी वर्गों के लिए निर्मित राजकीय आवासों के मरम्मत कार्य हेतु विगत पांच वर्षों के अन्तर्गत दिनांक 12.10.2012 को राशि रुपये 37.51 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

उक्त राजकीय आवासों की मरम्मत के कार्य के निष्पादन हेतु मैसर्स स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन्स, जयपुर को दिनांक 07.05.2014 को राशि रुपये 42.87 लाख (निविदा प्रीमियम सहित) का कार्यादेश जारी किया गया। उक्त आवासों की मरम्मत का कार्य दिनांक 17.05.2014 से प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 16.09.2014 को पूर्ण किया गया तथा इस कार्य पर रुपये 37.43 लाख की राशि विभाग द्वारा व्यय की गई है। उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 503

(स्थगित)

सरदारशहर से जैतसीसर तक सुंई नहर का निर्माण

504. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल में सरदारशहर से जैतसीसर तक सुंई नहर के निर्माण का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त नहर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण हो गया है? हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल में सरदारशहर में जैतसीसर तक सुंई नहर के निर्माण का निर्णय वर्ष 1999-2000 में लिया गया।

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

(2) जी हां। इस नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1999-2000 में प्रारम्भ करवाकर वर्ष 2006-07 तक, सरदारशहर में जैतसीसर तक, सुंई नहर के किमी 25.00 तक (वर्ष 2005 में सीमित किये गये क्षेत्र के अनुसार) के निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं।

पंजाब सरकार को फिरोजपुर व हरिके हैड की मरम्मत का भुगतान

505. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि फिरोजपुर व हरिके हैड की मरम्मत के लिये पंजाब सरकार द्वारा की गई 39 करोड रुपये की मांग का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। फिरोजपुर फीडर एवं हरिके हैड की मरम्मत हेतु राजस्थान के हिस्से की राशि रुपये 29.84 करोड़ का भुगतान दिनांक 09.02.2017 को पंजाब सरकार को कर दिया गया है।

प्रदेश में किसानों की उपज के क्रय-विक्रय हेतु समितियों का गठन

506. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सहकारिता के माध्यम से कृषि, वन व पशुपालन क्षेत्र से प्राप्त उपज को क्रय कर, विक्रय करने व किसानों को सीधा लाभ दिलाने हेतु ग्राम स्तर पर समितियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर पैक्स/लैम्पस का गठन इस हेतु निर्धारित मादण्डों के पूर्ण होने पर, किया जाता है। पैक्स/लैम्पस के उद्देश्यों में अन्य कार्यों के साथ-साथ कृषि, वन, पशुपालन क्षेत्र से प्राप्त उपज को क्रय-विक्रय करने का उद्देश्य भी सम्मिलित है।

सवाई माधोपुर में गोदामों के निर्माण व मरम्मत पर व्यय राशि

507. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में 100 ग्राम सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण एवं पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मत व रखरखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में उक्त घोषणा के तहत किन-किन गोदामों का निर्माण, मरम्मत व रखरखाव का कार्य किया गया और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के तहत् दुब्बी बनास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि दुब्बी बनास के कार्यक्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय जटवाडा कलां में गोदाम निर्माण हेतु 10.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। समिति संचालक मण्डल द्वारा कार्य नहीं करवाया गया। दिनांक 15-2-2017 को समिति में प्रशासक द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरान्त कार्य आरंभ करवाया गया एवं कार्य प्रगति पर है। अब तक समिति द्वारा 62205 रुपये की राशि व्यय की गई है।

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में 4 समितियों को गोदाम मरम्मत एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाकर व्यय की गई-

क्र.सं.	नाम समिति	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1	चकेरी	1.00	0.60 (कार्य प्रगति पर)
2	सुनारी	1.00	1.00
3	नीमोद	2.50	2.50
4	चौथ का बरवाड़ा क्रय वि.सह.समि	5.00	499289.00

भीम में संचालित गौशालाएं

508. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कितनी गौशालाएं संचालित हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भीम में 3 गौशालाएं संचालित हैं। पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:-

- **पंचायत समिति भीम**

1. मां आशापुरा गौशाला सेवा समिति, भीम
2. श्री शांतिनाथ जैन सार्वजनिक गौशाला, भीम

- **पंचायत समिति देवगढ़**

1. श्री जय जैन गौशाला ताल, देवगढ़

प्रदेश में उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदन

509. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध घुमन्तु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत गत 2 वर्षों में सरकार को केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा अब तक कितने छात्र-छात्राओं को इस योजना के तहत छात्रवृति दी जा चुकी है?

(2) प्रदेश में वर्तमान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के कितने आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित हैं व क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ओ.बी.सी. एवं ई.बी.सी. वर्ग की छात्रवृत्ति हेतु पर्याप्त बजट आवंटित नहीं होने के कारण प्रति वर्ष ओ.बी.सी. एवं ई.बी.सी. वर्ग के कई विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डॉ अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध घुमन्तु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विगत 2 वर्षों मे केन्द्र सरकार से राशि रुपये 71.89 लाख प्राप्त हुए थे लेकिन योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त नही होने के कारण छात्रवृत्ति का वितरण नही किया जा सका।

(2) विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओ में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लम्बित आवेदन पत्रों का वर्षवार, वर्गवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उक्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाए हैं। उक्त योजनाओं में राज्य सरकार को प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार बजट आंवटन करवाये जाने के संबध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के बाल गृहों/आश्रमों में रह रहे लापता बच्चे

510. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के बालगृहों व आश्रमों में वर्तमान में सैकड़ों लापता बच्चे रह रहे हैं? यदि हां, तो बालगृहों व आश्रमवार रहने वाले बच्चों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बालगृहों में रहने वाले लापता बच्चे व बच्चियों द्वारा वर्षों से अपने मां-बाप का नाम, गांव या क्षेत्र का नाम बताने के उपरान्त भी सरकार द्वारा इनको अपने मां-बाप से मिलाने का कारगर उपाय नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लापता बच्चों को उनके मां-बाप, परिजनों, व परिवार तक पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर के बालगृहों व आश्रमों में आवासित लापता बच्चों का बालगृहो व आश्रमवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है।

(2) जी नहीं। बालगृहों में रहने वाले लापता बच्चें, बच्चियों द्वारा अपने मां-बाप का नाम, गांव या क्षेत्र का नाम या पता बताने पर सत्यापन उपरान्त उनकों उनके मां-बाप के पास पुनर्वासित किया जाता है।

(3) जी हां। बालगृहों में रहने वाले बच्चें, बच्चियों द्वारा अपने मां-बाप का नाम, गांव या क्षेत्र का नाम या पता बताने पर सत्यापन उपरान्त उनकों उनके मां-बाप के पास अविलम्ब पुनर्वासित किया जाता है। गुमशुदा बच्चों की जानकारी चाइल्ड ट्रैकिंग पोर्टल पर भी अपलोड की जाती है, ताकि मां-बाप, संगे-संबंधी की जानकारी प्राप्त होने पर परिवार को सुपुर्दगी की जा सके।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अल्पसंख्यकों को देय सुविधाएं

511. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कौन-कौन सी जातियां/समुदाय अल्पसंख्यक घोषित हैं एवं उन्हें क्या-क्या सुविधाएं राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु प्रदेश में कौन-कौनसी समितियां/आयोग/बोर्ड आदि गठित हैं एवं उनके कौन-कौन पदाधिकारी/ सदस्य कब से नियुक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विभिन्न समितियों में प्रदेश की सभी अल्पसंख्यक जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, जैन एवं बौद्ध समुदाय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना की प्रतिलिपि परिशिष्ट -1 पर संलग्न हैं।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित सुविधाए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है:-

1. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बहुल निम्नलिखित 8 जिलों के 10 ब्लॉक्स एवं 03 कस्बों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुडे आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य एवं साइबर ग्राम योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 10 तक 10400 विद्यार्थियों को डिजीटल साक्षर करने की योजना है।

क्र.सं.	**जिला**	**ब्लाक**	**कस्बा**
1	अलवर	1 लक्ष्मणगढ़	
		2 किशनगढ़बास	
		3 रामगढ़	
		4 तिजारा	
2	भरतपुर	5 कामां	
		6 नगर	
3	बाड़मेर	7 चौहटन	
4	हनुमानगढ़	8 हनुमानगढ़	
5	जैसलमेर	9 सम	
		10 सांकडा	
6	नागौर		1 मकराना
7	सवाईमाधोपुर		2 गंगापुर सिटी
8	टोंक		3 टोंक

2. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए सभी जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक्स में छात्रावास की सुविधा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओ को प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी रु. 2000/- का अनुदान दिया जाता है। जयपुर में विभाग द्वारा 100-100 बैड की क्षमता का बालिका छात्रावास संचालित किया जा रहा है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

3. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक एवं मैरिट-कम-मीन्स योजना अन्तर्गत छात्रवृति दी जाती हैं।
4. अनुप्रति योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं IIT"s AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NIT,s CLAT, IIM"s, IISAR (Kolkata & Bangalore), GOI/MCI Certified मेडिकल कॉलेजों आदि में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
5. कौशल विकास प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अल्प आय वर्ग के युवाओं को आएसएलडीसी के माध्यम से नि:शुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।
6. मदरसा शिक्षा योजनान्तर्गत मदरसो में आधुनिक शिक्षा उर्दू/कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों के माध्यम से दी जाती है।
7. आरएमएफडीसीसी द्वारा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं को टर्म लोन, शैक्षिक ऋण एवं लघु वित्त योजनान्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है।
8. अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना का संचालन एन. जी. ओ. के माध्यम से किया जा रहा है।

(2) अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु राज्य में निम्नांकित समितियां/आयोग /बोर्ड आदि गठित हैं:-

1 राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर।

2 राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।

3 वक्फ विकास परिषद, जयपुर

4 राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर।

5 राजस्थान राज्य हज कमेटी, जयपुर।

वर्तमान में उक्त समिति/आयोग/बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नियुक्ति का विवरण परिषिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) संबंधित नियमों व अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत स्वीकृत राशि

512. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जिला बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के लिए किन-किन मदों में राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में (31 दिसम्बर, 2016 तक) बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के लिए किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? वर्षवार, जिलेवार व मदवार उपलबध करवाई गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के लिए किन-किन मदों के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, जिलेवार व मदवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल सरक्षण योजना (आईसीपीएस) में किये गये प्रावधानों के अनुरूप बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के कार्यालय का संचालन किया जाता है। जिनके संचालन हेतु आईसीपीएस में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मदवाइज अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है:

अ. बाल कल्याण समिति

क्र.सं.	मद	राशि
1	Traveling/meeting allowance or honorarium @ Rs 1000 per meeting for chair person/ Member	1000 रुपये प्रति बैठक
2	One Assistant cum Data Entry Operator @ Rs 9000	9000 रुपये प्रतिमाह
3	Child related expenses including medicine, food, transportation etc.	6000 रुपये प्रतिमाह
4	Contingency (water, electricity, telephone, stationary, photocopy] postage, local travel, etc.	5000 रुपये प्रतिमाह

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

ब. किशोर न्याय बोर्ड

क्र.सं.	मद	राशि
1	Traveling/meeting allowance or honorarium @ Rs 1000 per meeting for chair person/ Member	1000 रुपये प्रति बैठक
2	One Assistant cum Data Entry Operator	9000 रुपये प्रतिमाह
3	Child related expenses including medicine, food, transportation etc.	6000 रुपये प्रतिमाह
4	Contingency (water, electricity, telephone, stationary, photocopy, postage, local travel, etc.	5000 रुपये प्रतिमाह

(2) वर्षवार, जिलेवार एवं मदवार उपलब्ध कराई गई राशि की सूची परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है।

(3) वर्षवार, जिलेवार एवं मदवार उपलब्ध कराई गई राशि की सूची परिशिष्ट 'ब' पर सलंग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की सूरज नगर योजना का अनुमोदन

513. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रशासन शहरों के संग अभियान में जयपुर शहर में बालाजी कॉलेज, बैनाड रोड के पास स्थित सूरज नगर योजना का कैम्प 21 जून, 2013 को लगना तय था किन्तु योजना का कैम्प सैक्टर रोड दिखाते हुए निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना में कितने भूखण्ड दिखाये गये हैं एवं कितनी सैक्टर रोड दिखाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सूरज नगर योजना के मध्य दिखाई गई सैक्टर रोड वर्तमान में मौके पर उपलब्ध है?

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या उक्त सैक्टर रोड से गणेश नगर योजना भी प्रभावित हो रही है? यदि हां, तो गणेश नगर योजना का अनुमोदन करते समय गणेश नगर योजना के कितने तथा कौन-कौन से भू-खण्डों के पट्टे सैक्टर रोड से प्रभावित होने के कारण रोके गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गणेश नगर योजना के पीटी सर्वे में सूरज नगर योजना वाली सैक्टर रोड उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या उक्त सेक्टर रोड सूरज नगर से प्रारम्भ होकर सूरज नगर में ही समाप्त हो गई? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सूरज नगर योजना को अनुमोदित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ओम शिव गृ.नि.स.स. की योजना सूरज नगर माचड़ा का नियमन शिविर दिनांक 27.06.2013 को लगाना निश्चित किया गया था किन्तु योजना में सैक्टर रोड के विलोपन के संबंध में निर्णय अपेक्षित होने से शिविर स्थगित किया गया।

उक्त योजना विकास समिति द्वारा पेश की हुई, जो कि गैर अनुमोदित है। विकास समिति ने कुल 55 भू-खण्डों की सूची पेश की थी जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जविप्रा द्वारा उक्त योजना का पी.टी. सर्वे कराया गया जिसके अनुसार मौके पर 64 भू-खण्ड सृजित है एवं एक 60 फीट सैक्टर रोड दर्शायी गयी है। मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है एवं सैक्टर प्लान 31(प्रारूप) की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। योजना सूरज नगर के मध्य में दर्शायी गयी सैक्टर रोड वर्तमान में मौके पर उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। उक्त सैक्टर रोड से योजना गणेश नगर प्रभावित नहीं हो रही है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) जी नहीं। गणेश नगर योजना के पी.टी. सर्वे में सूरज नगर योजना वाली सैक्टर रोड उपलब्ध नहीं है। उक्त सैक्टर रोड सूरज नगर से शुरू नहीं होती है और न ही सूरज नगर में समाप्त होती है। उक्त सैक्टर रोड बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज की 80 फीट रोड से निकल कर योजना सूरज नगर को प्रभावित न करते हुए उत्तरी दिशा से होती हुई आगे पूर्वी दिशा में आगे 60 फीट रोड में मिल रही है।

(5) सैक्टर प्लान 31 के अनुमोदन के पश्चात ही प्रश्नगत योजना के अनुमोदन पर निर्णय लिया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सड़कों की जांच

514. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों में निर्मित कितनी सड़कों के सैम्पल की जांच कराई गई? उनमें से कितने सेम्पल फेल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस जांच प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सैम्पल फेल होने वाली कितनी सड़कें अभी तक डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरीयड में है? क्या सरकार संवेदक से उक्त सड़को का पुनः निर्माण/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि किसी सड़क विशेषज्ञ द्वारा भी सड़कों की जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है? यदि हां, तो कब एवं सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई? रिपोर्ट की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षो में निर्मित की गई सड़कों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त सभी सड़कों के सैम्पल जांच कराई गई है। कोई सैम्पल फेल नहीं हुआ है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) अजमेर विकास प्राधिकरण में सड़कों के सैम्पल जांच में कोई सैम्पल फेल नहीं हुआ है। अत: कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) सड़को की जांच में कोई सैम्पल फेल नहीं है। संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार सभी सड़कें डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अन्तर्गत है। जिनकी मरम्मत आवश्यकतानुसार संबंधित संवेदक द्वारा डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में कराई जाती है।

(4) प्राधिकरण द्वारा किसी सडक विशेषज्ञ से प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों की जांच नहीं कराई गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर निगम जयपुर द्वारा आवासीय/व्यावसायिक निर्माणों से सीवरेज चार्ज की वसूली

515. डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा निगम क्षेत्र के आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माणों से सीवरेज चार्ज किस दर से एवं किस प्रकार वसूल किया जाता है?

(2) गत 3 वित्तीय वर्षों में इस मद में कितनी राशि वसूल की गई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चार्ज किसी अन्य संस्था के माध्यम से वसूल एवं उदगृहीत किये जाने पर प्राप्त राशि को निगम के खाते में कब तक हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत 3 वित्तीय वर्षों में उक्त राशि कब-कब हस्तान्तरित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माणों से सीवरेज चार्ज वसूली की दरों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों की प्रकृति अनुसार गणना कर सीवरेज चार्ज की वसूली की जाती है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) विगत 3 वित्तीय वर्षों में वसूल की गई राशि का मदवार, राशिवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) सीवर संधारण संबंधी चार्जेज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संग्रहित किये जाते हैं। इस राशि को निगम के खाते में वर्ष के अन्त तक हस्तान्तरित किया जाना चाहिए।

(4) विगत 3 वित्तीय वर्षों में हस्तान्तरित की गई सीवरेज राशि का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

द्रव्यवती नदी के विकास हेतु बनाई गई योजना

516. श्री रमेश (सपोटरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा द्रव्यवती नदी के विकास हेतु क्या योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा द्रव्यवती नदी के विकास का कार्य किस कम्पनी को सौंपा गया एवं क्यों?

(3) क्या संबंधित कम्पनी द्वारा योजनानुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं करने पर कंपनी पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा द्रव्यवती नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को कार्यवाही से मुक्त रखा गया है? यदि हां, तो उक्त उद्योगों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से निपटने की क्या योजना प्रस्तावित है?

(6) सरकार द्वारा संबंधित कंपनी को कितनी वित्तीय एवं किस-किस प्रकार की अन्य सहायता प्रदान की गई है एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा द्रव्यवती नदी के पुनरूद्धार व कायाकल्प हेतु योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में पक्के नाले का निर्माण कार्य व बाहरी क्षेत्र में नाले का सुदृढ़ीकरण, नाले के प्रदूषित जल को साफ करने हेतु सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट स्थापित करने, उपचारित जल को पुन: उपयोग लेना, पानी की गुणवत्ता व उपलब्धता में सुधार, लैण्डस्कैपिंग कार्य एवं नाले के साथ अन्य सुविधाएं तथा नाले के दोनों तरफ भूमि की उपलब्धता अनुसार सड़क कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) सरकार द्वारा द्रव्यवती नदी के पुनरूद्धार व कायाकल्प का कार्य मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड-एसयूसीजी कन्सोरटियम को निविदा प्रक्रिया अपनाकर आवंटित किया गया है।

(3) इस योजना में कार्यादेश दिनांक 28.03.2016 को दिया गया, जिसके कार्य पूर्ण करने की सीमा समाप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां। परियोजना कार्य के सम्पादन के दौरान निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं करने पर निर्धारित कार्य राशि एवं वास्तविक किये गये कार्य राशि की अंतर राशि के 2 प्रतिशत की दर से व अधिकतम परियोजना राशि के 10 प्रतिशत तक की राशि की शास्ति का प्रावधान है। संबंधित कार्य की कार्य देश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा द्रव्यवती नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को कार्यवाही से मुक्त नहीं रखा गया है, अपितु द्रव्यवती नदी के आस-पास के क्षेत्र में स्थित 22 उद्योगिक इकाइयों द्वारा अनुपचारित उच्छिष्ठ को सीधे द्रव्यवती नदी में प्रवाहित करने का दोषी पाये जाने पर राज्य मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए) के अन्तर्गत, उद्योग बंद करने तथा संबंधित विभागों को उद्योग का जल एवं विद्युत संबंध विच्छेद करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। उक्त 22 दोषी उद्योगों का सूचीबद्ध विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

तत्पश्चात्, पांच उद्योग मैसर्स गौदुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट जी-251-डी, रीको

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

इण्डस्ट्रीयल एरिया मानसरोवर जयपुर; मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज खातीपुरा रोड हसनपुरा जयपुर; मैसर्स बजरंग वायर प्रोडक्ट (इण्डिया) प्रा.लि. जी-15 से 28, आकेडा डूंगर, वीकेआईए, जयपुर, मैसर्स मान स्ट्रक्चरल प्रा.लि. नियर मैन रेलवे स्टेशन जयपुर एवं मैसर्स बॉश लि. एसपी-663 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सीतापुरा, जयपुर द्वारा राज्य मण्डल के समक्ष प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार करने हेतु समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की पालना करने एवं शून्य निस्त्राव की स्थिति बनाये रखने हेतु शपथ पत्र व बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर पूर्व में जारी बंद करने के निर्देशों का निलम्बन कर शून्य निस्त्राव की शर्तों के साथ संचालन सम्मति जारी की गई है।

(6) सरकार द्वारा संबंधित कंपनी को किसी प्रकार की वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में कोचिंग सेन्टरों के लिये निर्धारित नियम व मानदण्ड

517. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा शहर में कोचिंग सेन्टरों के लिये सरकार द्वारा क्या नियम व मानदण्ड तय किये गये हैं व इन्हें कब से लागू किया गया है?

(2) कोचिंग सेन्टरों में नियम व मानदण्ड लागू कराने की जिम्मेदारी किन-किन को दी गई है व क्या इनकी पालना हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोचिंग सेन्टर्स हेतु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 28.05.2015 के द्वारा नियम/मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उक्त परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। परिपत्र दिनांक 28.05.2015 जारी किये गये दिनांक से इसकी पालना की जा रही है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) परिपत्र दिनांक 28.05.2015 के अनुसार इसकी पालना की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय एवं जिला शिक्षा/शिक्षा विभाग को दी गई है। कोचिंग सेन्टर्स की अनुमति हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: अनुमति प्राप्त होने पर कोचिंग सेन्टर की अनुमति के पूर्व संबंधित विभागों से पालना प्राप्त होने पर ही अनुमति दी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर नगर निगम में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पद

518. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर निगम, जोधपुर में विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत, कार्यरत हैं, एवं कितने पद कब से रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम, जोधपुर में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति एवं पदों की रिक्तता का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर स्थानान्तरण के माध्यम से शीघ्र रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ऋषभदेव में सरकारी दुकानों का वार्षिक सत्यापन

519. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा की ग्राम पंचायत ऋषभदेव स्थित विभाग के पुराने एवं नये बस स्टैण्ड पर कुल कितनी दुकानें, ठेले एवं छोटे कैबिन किराये पर दे रखे हैं? क्या सरकार उक्त पर्यटन स्थल का नवीन

(श्री नाना लाल अहारी)

मानचित्रानुसार निर्माण कराकर उक्त दुकानें, ठेले एवं छोटे कैबिन पुन: स्थापित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत ऋषभदेव में विभाग की कुल कितनी दुकानें हैं? उक्त दुकानों पर मूल आवंटी किरायेदार व उप किरायेदार कितने हैं? किन-किन किरायेदारों द्वारा अब तक किराया जमा नहीं कराया गया है? क्या सरकार उनका वार्षिक सत्यापन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेरवाडा के उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव स्थित ग्राम पंचायत ऋषभदेव स्थित देवस्थान विभाग के पुराने बस स्टैण्ड पर 49 एवं नये बस स्टैण्ड पर 39, कुल 88 दुकानें ठेले, छोटे कैबिन, जमीन/टीन शेड किराये पर है। किरायेदारवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। नवीन मानचित्रानुसार निर्माण करा पुन: स्थापित करने के संबंध में वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत ऋषभदेव में कुल 159 संपदाएं किराये पर दी हुई हैं। उक्त सम्पदाओं पर मूल आवंटी किरायेदार व उप किरायेदार दुकानदारी चला रहे हैं उनका विवरण मय बकाया किराया की सूचना परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। ऋषभदेव स्थित देवस्थान की संपदाओं का तीन माह के भीतर वार्षिक सत्यापन करा लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार हेतु दी जाने वाली राशि में वृद्धि

520. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जा रहे पोषाहार हेतु बहुत ही कम दर से राशि का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो बालक-बालिकाओं की आयु वर्गवार व वर्षवार किये जा रहे भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए पोषाहार हेतु दिये जा रहे भुगतान से "गुणवत्तापूर्ण आहार" दिया जाना सम्भव नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार पोषाहार दर की राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक?

उत्तर

(1) पूरक पोषाहार की दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में आयु वर्गवार किये जा रहे भुगतान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पूरक पोषाहार की दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राज्य सरकार द्वारा पूरक पोषाहार की दरों को संशोधित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा दरें संशोधित किये जाने पर तदनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सामूहिक विवाह के लिये देय अनुदान

521. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह को प्रोत्साहन देने के लिये अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में गत तीन वर्षों में कितने सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किये गये व सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा ऐसे समारोह का प्रचार-प्रसार किया जाता है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष 2016.17 की बजट घोषणा के अनुसार दिनांक 01.04.2016 से

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

प्रति जोड़ा अनुदानित राशि 18000 रुपये देय है इसमें से नवविवाहिता (वधू) को दी जाने वाली राशि रूपये 15000 प्रति जोड़ा व संस्था को विवाह आयोजन के रूप में देय राशि रुपये 3000 प्रति जोड़ा है।

(2) बाड़मेर जिले में गत तीन वर्षों में आयोजित किये गये सामूहिक विवाह एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नहरवाली मकराना में अवैध खनन की बकाया राशि की वसूली

522. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नहरवाली मकराना, जिला नागौर में खान संख्या 106/1 एवं 106/2 में अहमद, अब्दुल सलाम व अन्य गैंदाजी एण्ड सन्स मार्बल कम्पनी द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पनी खान संख्या 96 में जबरन अवैध खनन कर रही है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो खान संख्या 96 की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त खान के मालिक श्री अहमद व अब्दुल कलाम पर अवैध खनन की राशि रुपये 18 करोड़ बकाया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त राशि की वसूली कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी खान अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कार्यालय खनि अभियन्ता, मकराना की नहरवाली रेन्ज की खान संख्या 106/1 में अब्दुल सलाम, अब्दुल जब्बार, अब्दुल हमीद, अब्दुल वहीद, खुर्शीद अहमद, अब्दुल रशीद पुत्र श्री अब्दुल गफार व श्री अहमद, गुलाम

(राज्य मंत्री, खान)

मुस्तफा, लियाकत अली, मोहम्मद शमी व मोहम्मद इब्राहिम पुत्र श्री चांद मोहम्मद के द्वारा तथा खान संख्या 106/2 में फर्म गैन्दा एण्ड सन्स के द्वारा खनन कार्य किया जा रहा हैं।

(2) जी नहीं। उक्त फर्म गैन्दा एण्ड सन्स द्वारा खान संख्या 96 में जबरन अवैध खनन कार्य करने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। खान संख्या 96 की वास्तविक स्थिति यह है कि खान संख्या 96 मूल रूप से बापी खान के रूप में क्षेत्रफल 174.0 फिट X 142.0 फिट की धृत थी। तत्पश्चात् उक्त खान के चार भागों में से दो भागों में 96/1 क्षेत्र 43.5 फिट X 142.0 फिट में क्षेत्र का विस्तार करते हुए कुल क्षेत्र 43.5 फिट X 175.0 फिट मैसर्स हाफिज इमामुद्दीन एण्ड सन्स व 96/2 में क्षेत्र 43.5 फिट X 142.0 फिट का विस्तार करते हुए कुल क्षेत्र 43.5 फिट X 175.0 फिट श्री सगीर अहमद व गैंद मोहम्मद के पक्ष में नियमित करके क्वारी लाइसेन्स जारी कर दिये गये हैं, शेष 2 भाग क्रमश: क्षेत्रफल 43.5 फिट X 142.0 फिट व क्षेत्रफल 43.5 फिट X 142.0 फिट में बापी खान के नियमितीकरण बाबत दो आवेदन पत्र राज्य सरकार द्वारा पूर्व में बापी खानों के नियमन हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 28.02.2013 के अनुसार प्रस्तुत किये गये थे। उक्त विज्ञप्ति तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 65 व 65(ए) के तहत जारी की गई थी। राज्य सरकार द्वारा नियम 65 को विलोपित किए जाने के कारण उक्त आवेदन पत्र लम्बित रहे। बापी खानों के नियमितीकरण के लिए निदेशालय द्वारा परिपत्र दिनांक 14.02.2017 जारी किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त खान के मालिक श्री अहमद, अब्दुल सलाम व अन्य पर अवैध खनन की बकाया राशि रूपये 18 करोड़ बकाया चल रहे है, अपितु वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 22.07.2014 को सहायक खनि अभियन्ता, मकराना द्वारा खान संख्या 106/1 व 106/2 के विरुद्ध अवैध खनन किये जाने का मौका पंचनामा बनाया गया। मौका पंचनामा की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं। खान संख्या 106/1 में मौका

(राज्य मंत्री, खान)

पंचनामा में 30 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 5 मीटर क्षैत्र में अवैध खनन एवं खान संख्या 106/2 में मौका पंचनामा में 20 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 5 मीटर में अवैध खनन पाया गया जिसके क्रम में लाइसेन्स धारकों को दिनांक 13.08.2014 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं। अधीक्षण खनि. अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर, खनि अभियन्ता(सतर्कता) अजमेर व सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) मकराना एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा दिनांक 17.09.2014 को खान संख्या 106/1 व 106/2 की अवैध खनन के संबंध में जांच कर मौका पंचनामा बनाया गया जिसमें पिट नम्बर 1 में 70 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 55 मीटर, पिट नम्बर 2 में 45 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 15 मीटर, पिट नम्बर 3 में 60 मीटर गुणा 2.5 मीटर गुणा 55 मीटर में अवैध खनन किये जाने के संबंध में मौका पंचनामा बनाया गया। मौका पंचनामा की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं। उक्त पंचनामे की जांच शासन के आदेश क्रमांक प-20(62)खान/ग्रुप-2/2014 दिनांक 13.10.2014 की पालना में अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) जयपुर, अधीक्षण खनि अभियन्ता, अजमेर, खनि अभियन्ता, मकराना के द्वारा दिनांक 20.11.2014 को क्षेत्र का निरीक्षण कर की गई जिसमें खान संख्या 106/1 व 106/2 द्वारा कोई अवैध खनन कार्य नहीं पाया जाना बताया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध हैं। तत्पश्चात् संयुक्त शासन सचिव द्वारा शासन के आदेश दिनांक 31.03.2015 की पालना में दिनांक 03.07.2015 को जांच कर जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध हैं। उक्त रिपोर्ट के क्रम में शासन द्वारा दिनांक 12.10.2015 से निदेशक, खान को आदेश दिये गये। निदेशक, खान ने आदेश दिनांक 20.10.2015 को उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 21.01.2016 व 22.01.2016 को उक्त खानों का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण उपरान्त संबंधित खनि. अभियन्ता, मकराना व नागौर को उक्त खानों एवं आस-पास की खानों के रिकार्ड, मौका स्थिति, उपलब्ध नक्शों को ध्यान में रखकर पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर तथ्यात्मक

(राज्य मंत्री, खान)

टिप्पणी व नक्शे तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् निदेशालय के आदेश दिनांक 10.01.2017 द्वारा संशोधित कार्यालय आदेश जारी कर पूर्व के आदेश दिनांक 20.10.2015 से गठित कमेटी में आंशिक संशोधन करते हुए कमेटी का पुन: गठन किया गया। प्रति परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है। वर्तमान में कमेटी की जांच रिपोर्ट अपेक्षित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना की माइनिंग लीजों के दस्तावेज

523. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बयाना विधान सभा क्षेत्र की माइनिंग लीज एम.एल. संख्या 39/90 व माइनिंग लीज 964.65 हैक्टेयर के समस्त दस्तावेज व सरकार से ली गई स्वीकृति एवं प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) खनन पट्टा संख्या 02/93 शिवालिक सिलिका एवं स्टोन क्रेशर के समस्त दस्तावेज एवं स्वीकृतियां एवं प्रमाण पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खनन पट्टा संख्या 39/90 सर्वश्री ए मिल एन स्टोन प्रा.लि. तहसील रूपवास जिला भरतपुर में 964.94 हैक्टेयर 05 प्लॉट में खनिज मिलस्टोन हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टे के नवीनीकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 25.03.1991 की प्रति परिशिष्ट-1, खनन पट्टे की संविदा दिनांक 06.02.1998 की प्रति परिशिष्ट-2, खनन पट्टा अवधि वृद्धि आदेश दिनांक 04.06.2013 की प्रति परिशिष्ट-3, खनन पट्टा अवधि वृद्धि की पूरक संविदा दिनांक 10.06.2013 की प्रति परिशिष्ट-4, हस्तांतरण स्वीकृति आदेश दिनांक 26.06.2013 की प्रति परिशिष्ट-5, हस्तांतरण संविदा दिनांक 28.06.2013 की प्रति परिशिष्ट-6, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, गाजियाबाद द्वारा खनन पट्टे में डीप होल ब्लास्टिंग व भारी मशीनों के प्रयोग के संबंध में अनुमति की प्रतियां

(राज्य मंत्री, खान)

परिशिष्ट-7 तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा दिनांक 22.07.2013 से जारी संचालन सम्मिति की प्रति परिशिष्ट-8 पर उपलब्ध है।

(2) खनन पट्टा संख्या 02/93 सर्वश्री शिवालिक सिलिका नि.ग्रा. अगावली तहसील बयाना जिला भरतपुर में खनिज सिलिकासैण्ड हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टे में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण सहमति दिनांक 17.05.2007 की प्रति परिशिष्ट-9, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा दिनांक 08.06.2007 से जारी स्थापना सम्मति प्रति परिशिष्ट-10, खनन पट्टे के प्रथम नवीनीकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 10.10.2007 की प्रति परिशिष्ट-11, खनन पट्टे की संविदा दिनांक 07.11.2007 की प्रति परिशिष्ट-12, खनन पट्टा हस्तांतरण आदेश दिनांक 13.02.2008 की प्रति परिशिष्ट-13, हस्तांतरण संविदा दिनांक 19.02.2008 की प्रति परिशिष्ट-14, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, गाजियाबाद द्वारा खनन पट्टे में डीप होल ब्लास्टिंग व भारी मशीनों के प्रयोग के संबंध में अनुमति की प्रति परिशिष्ट-15, खनन पट्टा अवधि वृद्धि पत्र दिनांक 27.02.2015 की प्रति परिशिष्ट-16 तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2016 से जारी संचालन सम्मति की प्रति परिशिष्ट-17 पर उपलब्ध है। उक्त खनन पट्टा संख्या 2/93 पर स्टोन क्रेशर स्थापित न होकर खनिज सिलिकासैण्ड की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

जमवारामगढ़ की उप तहसील आंधी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की उप तहसील आंधी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी निवेदन करना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय 163, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 78, राजकीय माध्यमिक विद्यालय 25 एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 38 संचालित हैं जिनमें 34,212 छात्र/छात्राएं वर्तमान में अध्ययनरत हैं। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 218 प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं जिनमें करीब 60,517 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनके अलावा 25 संस्कृत स्कूलों में करीब 2762 छात्र/छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में विभिन्न स्कूलों में करीब एक लाख से ऊपर छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ राजकीय महाविद्यालय खोलने के सभी मापदण्ड पूरे करता है। तथा मेरे क्षेत्र की उप तहसील आंधी में करीब 200 बीघा सरकारी भूमि भी उपलब्ध है। उप तहसील आंधी से जयपुर की दूरी करीब 50-60 किलोमीटर है।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय शिक्षा उच्च मंत्रीजी से करबंद्ध प्रार्थना करता हूं कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की उप तहसील आंधी में राजकीय महाविद्यालय अतिशीघ्र खोलने की कृपा करें।

जगदीश नारायण

(जमवारामगढ़)

गोविन्दगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में नये विषय प्रारंभ करना एवं रिक्त पदों की पूर्ति करना

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोविन्दगढ़ में राजकीय डिग्री कालेज को पी.जी.कालेज में क्रमोन्नत किया गया है। इसके लिये बजट में यह प्रस्ताव लाने एवं पी.जी.कालेज करने पर सरकार को विशेष धन्यवाद। अब आवश्यकता वहा नये छह विषय प्रारंभ करने एवं लैक्चररर्स को खाली पड़े पदों को तुरन्त प्रभाव से भरने की है। इस संबंध में निवेदन है कि पिछले 3 वर्षों से लैक्चररर्स की भारी कमी है। वर्तमान में 10 लैक्चररर्स में से मात्र तीन लैक्चररर्स हैं एवं प्रिसिंपल भी नहीं है। मेरा प्रक्रिया 295 के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि शीघ्र रिक्त पद भरे जावें एवं प्रिसिंपल की नियुक्ति भी की जावे। विषय जो नये खोले जाने हैं, विशेष विवेदन है।

विशेष पी.जी. में पोलिटिकल सांइस, हिन्दी लिटरैचर स्नातकोत्तर विषय

1. इतिहास विषय
2. समाजशास्त्र विषय
3. गृह विज्ञान विषय
4. भूगोल विषय
5. पब्लिक एड. विषय
6. इंग्लिश लिटरैचर विषय

धन्यवाद।

ज्ञानदेव आहूजा
(रामगढ़)

बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायतों को महिला एवं बाल विकास विभाग के हिसाब से पुनर्गठित कर मुख्यालय बाड़मेर करना

निवेदन है कि पंचायत समिति बाड़मेर का सम्पूर्ण क्षेत्र तहसील बाड़मेर, उपखण्ड बाड़मेर एवं विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर का क्षेत्र समान है जिसके कारण आम जन को एक ही स्थान पर सभी सरकारी विभाग आने से सहूलियत मिलती है लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र को पांच भागों में बांटा गया है जिसके कारण इस विभाग से जुड़े कार्यों को लेकर कई ग्राम पंचायतों को सिणधरी, कई नोखड़ा, कई बायतू तथा बाड़मेर ग्रामीण एवं बाड़मेर शहर में अलग-अलग बांटा गया है। जिसके कारण आमजन को अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता है जिससे लोगों को परेशानी होती है। मैंने पूर्व में भी उक्त पांचों भागों को एक कर मुख्यालय बाड़मेर पर आईसीडीएस के दो कार्यालय बाड़मेर ग्रामीण एवं बाड़मेर शहर के नाम से किया जाये ताकि पंचायत समिति बाड़मेर की समस्त पंचायतों को एक ही जगह सुविधा मिल सके। चूंकि महिला एवं बाल विकास विभाग आमजन से जुड़ा हुआ सीधा विभाग है और इसके माध्यम से कई सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलता है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पंचायत समिति बाड़मेर की समस्त ग्राम पंचायतों को महिला एवं बाल विकास विभाग के हिसाब से दो भागों बाड़मेर ग्रामीण एवं बाड़मेर शहर में कर, दोनों कार्यालयों का मुख्यालय बाड़मेर में कराने का श्रम कराएं ताकि आमजन को सभी सुविधाओं का लाभ एक ही जगह मिल सके।

मेवाराम जैन
(बाड़मेर)

गंगानगर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कारखानों को बन्द कराना

महोदय,

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम - 295 के अंगर्गत मैं आपका ध्यान गंगानगर जिले के रीको एरिया में पुरानी बैटरी रिसाइकल कर lead ingot बनाने वाले 28 अवैध कारखानों की और आकर्षित करना चाहूंगा, जो वर्षों से टैक्स चोरी कर रहे हैं। जिनकी शिकायत होने पर प्रदूषण विभाग जयपुर द्वारा जांच करने पर चालू पाए गये थे। विभाग ने इनके विद्युत कनेक्शन काट दिये थे लेकिन अधिकारियों की मेहरबानी से करोड़ों रुपये टैक्स चोरी करने वालों के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1986 के अनुसार कोई कार्यवाही नही की गईं, इसलिए इन अवैध कारखाने चलाने वालों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि विद्युत कनेक्शन कट जाने के पश्चात् भी अवैध तरीके से उद्योग चलाए जा रहे हैं। इनकी पुन: जांच की गई तो चार उद्योग कनेक्शन कट जाने पर भी चालू पाए गये थे। लेकिन आज तक इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा टैक्स चौरी करने वालों को ही बिना रीको विभाग की NOC के, lead Ingot बनाने के लाइसेन्स जारी कर दिये। रीको विभाग गंगानगर के स्वयं के पास पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नही है। Lead Ingot बनाने वाले उद्योग Red श्रेणी में आते हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नियम कानून ताक में रख कर लाइसेन्स जारी किये हैं। इन उद्योग मालिकों ने श्रीगंगानगर उद्योग विहार में पुन: दूसरे प्लाटों में उद्योग चालू कर लिए हैं। इनके लाइसेन्स तुरन्त निरस्त किये जाएं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएं क्योंकि गंगानगर का रीको उद्योग विहार फुड पार्क जोन है। इस जोन में खतरनांक रसायन छोड़ने वाले उद्योगों का लाइसेन्स जारी नही किया जा सकता है वर्षों तक अवैध कारखाने चलाये जाने वालों ने खतरनाक बायो-प्रोडक्ट गंगानगर की पवित्र भूमि पर डालकर जहरीला बना दिया है जिससे फसलें खराब व भूमिं बंजर बन रही हैं। कैंसर जैसे गंभीर रोग फैल रहे हैं।

महोदय इस हेतु मैंने विधान सभा के छठे सैशन में प्रश्न संख्या 7416 व 7वें सैशन में अन्त: सत्र प्रश्न सं 1976 (I-73) लगाये थे लेकिन विभाग द्वारा इनका आज तक कोई जबाब नही दिया गया है। महोदय आपसे निवेदन है कि इन उद्योगों को तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाएं।

सधन्यवाद

कृष्ण कडवा
(संगरिया)

अनूपगढ़ की उप तहसील रावला की तहसील में क्रमोन्नति

विधान सभा की प्रकिया के नियम 295 के तहत रावला को उप तहसील से तहसील बनाने के संबंध में मेरा निवेदन है। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रावला एक मण्डी है जिसे 8 पीएसडी-बी राजस्व नाम से जाना जाता है। जिसकी आबादी लगभग 20-25 हजार है यहां पर पुलिस थाना, सीनियर स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, व्यापार मण्डल, कृषि उपज मण्डी सहित अनेक कार्यालय हैं।

रावला उप तहसील में लगभग 20 ग्राम पंचायतें लगती हैं व 7 पटवार मण्डल हैं। रावला 365 हेड नहर क्षेत्र होने के कारण तहसील संबंधित कार्य अधिक होते हैं। इसकी उपखण्ड कार्यालय घड़साना से दूरी लगभग 40-45 किलोमीटर है। किसानों को जमीनी व अन्य कार्य करने के लिए 45 किमी. घड़साना जाना पड़ता है जिससे जनता को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। घड़साना तहसील का सीमा क्षेत्र बड़ा होने के कारण किसानों व आम जनता का कार्य समय पर नही हो सकता है। अत: जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

रावला को उप तहसील से तहसील बनाने की कई संगठनों ने बार-बार मांग की है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि रावला को यथाशीघ्र तहसील बनाकर जनता को राहत प्रदान करें ताकि जनता को समस्याओं से निजात मिल सके।

सधन्यवाद

शिमला बावरी
(अनूपगढ़)

परबतसर पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा गलत रिपोर्ट दिया जाना

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि श्री रामस्वरूप मेघवाल निवासी नीन्बड़ी मकराना के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर हाथ-पैर तोड़ दिये जिसकी रपट दिनांक 14.05.2015 व एफ.आई.आर दिनांक 15.05.2015 को पुलिस थाना परबतसर में दर्ज हुई, परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परबतसर के मेडिकल ज्यूरिस्ट ने आई.आर रिपोर्ट दिनांक 13.05.2015 को दी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मेडिकल ज्यूरिस्ट ने इस रिपोर्ट में भारी रिश्वत लेकर आनन-फानन में गलत रिपोर्ट दी है। अत: मेडिकल ज्यूरिस्ट के खिलाख कानूनी कार्यवाही कराएं।

धन्यवाद।

श्रीराम भींचर
(मकराना)

रायसिंहनगर में चिकित्सा सुविधाओं की बदहाल स्थिति

प्रक्रिया के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसिंहनगर में अल्ट्रासांउड मशीन उपलब्ध है, परन्तु फिलहाल बन्द पड़ी है, जिसके कारण जनता को मजबूरन निजी क्लिनिकों पर जाकर दुगुनी-तिगुनी रेट पर जाचें करवानी पड़ रही हैं। इसी प्रकार समेजा कोठी चिकित्सालय मात्र एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखचैनपुरा में एक भी डॉक्टर नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसिंहनगर में ब्लड स्टोरेज यूनिट प्रारंभ करना भी जरूरी है। यहां पोस्टमार्टम केन्द्र में डीप फ्रीजर की आवश्यकता है। यहां पर आपातकालीन वार्ड की व्यवस्था की जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समेजा में पर्याप्त भवन नहीं है।

इसके अलावा कई गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, वहां शीघ्र ही उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलें जाएं ताकि गरीब जनता को सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विजयनगर में चिकित्सकों के कई पद रिक्त चल रहे हैं। अत: इन पदों को शीघ्र भरा जावें। यहां पर अल्ट्रासाउन्ड मशीन भी स्वीकृत की जाए।

प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र, 41 एप.पी. में स्टाफ तो है लेकिन भवन नहीं होने से ग्रामवासियों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। अत: यहां पर भवन बनवाने की स्वीकृति दी जाएं। क्षेत्र के कई केन्द्रों पर चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ नहीं होने से जनता को भारी परेशानी हो रही है। विशेषकर महिलाओं को प्रसूती सेवाओं के लिये निजी क्लिनिकों के भरोसे रहना पड़ता है। चिकित्सा सुविधा के अभाव में कई बार उनकी मौत तक हो जाती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की चिकित्सा संबंधी उक्त समस्याओं के निराकरण बाबत गंभीरतापूर्वक विचार कर, राहत प्रदान कराएं।

धन्यवाद।

सोना देवी
(रायसिंहनगर)

कुचामन सिटी में रीको औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करना

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र नावां में लम्बित एक अध्ययन की ओर लोक हित वाले विषय पर विशेष उल्लेख के तहत सरकार एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुचामन शहर में ओद्योगिक विकास के लिए रीको इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों के समय जन प्रतिनिधियों ने एवं वर्तमान सरकार बनने के बाद भी मैंने कई बार क्षेत्र के उद्धमियों को राहत देने के लिए कुचामन क्षेत्र में मुद्दा उठाया लेकिन अब भी उक्त मांग पूरी नहीं हो पा रही है। कुचामन एक प्रगतिशील एवं विकसित कस्बा है। विद्युत एवं परिवहन तथा श्रमिकों की प्रर्याप्त सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं तथा खाद्धान्न, सब्जियों, पशुधन एवं नमक

उत्पादन की इकाइयों एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान सुसम्पन्न अवस्था में हैं। मुम्बई, कोलकाता, बंगलौर, दिल्ली, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, गुवाहाटी, लुधियाना सहित समस्त भारत के छोटे-बड़े शहरों में उद्धम कर रहे कुचामन प्रवासियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों की कुचामन में अपनी औद्योगिक इकाइयों स्थापित करने की इच्छा भी है। लगभग 300 बीघा भूमि पदमपुरा एवं हनुमानपुरा ग्राम क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए चिह्नित की गई है तथा उद्योग विभाग नागौर में कुचामन क्षेत्र के 225 आवेदकों ने पूर्व में भी उद्योग लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है।

अत: आपके माध्यम से मैं सरकार और उद्योग मंत्री से पुन: आग्रह कर रहा हूं कि लोक हित के इसे मुद्दे पर आवश्यक कार्यवाही करके अविलम्ब ही कुचामन क्षेत्र में रीको इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित करवाकर क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान कराऐ।

विजय सिंह
(नावां)

ब्यावर में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का कार्य पूर्ण कराना

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि ब्यावर शहर एवं आसपास की खेल प्रतिभाओं का निखारने के उद्देश्य से सेदरिया (ब्यावर) में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम निमार्णाधीन है। इसके निर्माण हेतु पूर्व में विधायक कोष से 10 प्रतिशत राशि 7.79 लाख रुपये स्वीकृत होकर राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत राशि सहित 79 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। यह राशि स्टेडियम पर खर्च हो चुकी है। इसी योजना में स्टेडियम के विकास हेतु विधायक कोष से बीस लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी होकर जिला परिषद अजमेर द्वारा 20 लाख रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 278287 दिनांक 31.08.2012 को सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के नाम भेजा गया था। इस राशि की 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा 18 लाख रुपये आज दिनांक तक जारी नहीं किये गये हैं। स्वीकृत योजना का पैसा वर्ष 2012 से आज तक 90 प्रतिशत राशि 18 लाख रुपये नहीं पहुंचने का क्या कारण रहा है?

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सेदरिया (ब्यावर) में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम जो कि अपूर्ण है, इसे शीघ्र ही पूर्ण कराने के लिए विधायक कोष से स्वीकृत बीस लाख रुपये की 90 प्रतिशत राशि 18 लाख रुपये शीघ्र ही जारी करने की कृपा कराएं।

शंकर सिंह
(ब्यावर)

टोडारायसिंह में बालिका किसान छात्रावास को आबंटित भूमि की बहाली

मेरे विधान सभा क्षेत्र के टोडारायसिंह में जाट समाज विकास समिति टोडारायसिंह एक पंजीकृत संस्थान है जो तहसील क्षेत्र के समस्त किसान वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। संस्था द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण बालिका शिक्षा के लिए छात्रावास निर्माण किया जा रहा है। संस्था के आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कस्बा टोडारायसिंह का खसरा नं. 564 रकबा 0.67 हैक्टेयर भूमि किसान जाट छात्रावास निर्माण बाबत् दिनांक 20.12.2013 को आबंटित किया गया था। उक्त आबंटन के बाद संस्था द्वारा आबंटन शर्तों की पालना में आबंटित भूमि पर छात्रावास निर्माण कार्य चालू किया गया। उक्त निर्माण में समिति के करीब 50 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। अभी राज्य सरकार की सब-कमेटी द्वारा पिछली सरकार के 6 माह के कार्यकाल में जो भूमि नि:शुल्क आबंटित की गई है, उसे निरस्त करने की सिफारिश की है जबकि बालिका किसान छात्रावास टोडारायसिंह नगरपालिका की सीमा में आता है। पिछले वर्ष स्वायत्त शासन में राज्य सरकार ने आदेश निकाला है कि छात्रावास हेतु सशुल्क आरक्षित दर के अनुसान भूमि आबंटित कर सकते हैं। बालिका किसान छात्रावास केवल जाट समाज के लिए ही नही अपितु सभी समाजों के लिए है। यदि यह भूमि बहाल की जाती है तो सरकार की शर्तों के अनुसार जितनी भी राशि जमा होगी, उसे संस्था देने को तैयार है। इस संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा आपकी सब-कमेटी को निर्देशित किया जा चुका है कि नियमानुसार पैसे लेकर इसे बहाल कर दिया जाये। राजस्व विभाग में इस संदर्भ में पत्र भेजा जा चुका है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि बालिका किसान छात्रावास की भूमि को बहाल करने की कृपा करें।

कन्हैयालाल चौधरी
(मालपुरा)

सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम बनाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सांचौर उपखण्ड कार्यालय पर नगरपालिका आई हुई है जिसकी आबादी करीब 50 हजार है। पानी की निकासी के लिए कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। सिटी का गंदा पानी निकलकर शहर के उत्तरी व आधा पानी दक्षिणी भाग में शहर के बीचोंबीच तालाब के रूप में पड़ा है जिससे पूरे शहर में दुर्गन्ध फैली हुई है। शहर की उत्तरी दिशा में हाडेसा जाने वाली रोड पर मेहता अस्पताल के पास दो-तीन बीघा में पानी पड़ा है जिसके चारों ओर आबादी फैली हुई है तथा शहर के दक्षिण में नर्मदा कॉलोनी व खेतेसर कॉलोनी के बीचोंबीच दो-तीन बीघा में गंदा पानी पड़ा है। पहले भी कई बार नगरवासियों ने हडतालें कीं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त क्षेत्र में गंदा पानी रहने से शहर में मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी अन्य घातक बीमारियां फैलाने का खतरा है। नगरपालिका सांचौन ने 2 साल पहले सीवरेज सिस्टम तैयार करने के लिए डीपीआर बनाकर भेजी थी, परन्तु मंजूर नहीं की गई। ऐसे में पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं होने से लोग परेशान है और आसपास के लोग का वहां रहना दुश्वार हो गया है। पानी निकासी के लिए पूर्व में जब शहर की आबादी कम थी, तब पानी निकासी की व्यवस्था थी। उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में वो सिस्टम भी पानी निकासी का बंद पड़ा है।

अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि संबंधित विभाग को निर्देशित कर उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाकर, समस्त शहरवासियों के लिए गंदे पानी निकासी हेतु सीवरेज सिस्टम तैयार करवाकर लोगों को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

सुखराम विश्नोई
(सांचौर)

टोंक की उप तहसील बरवास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्रमोन्नति

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र टोंक की उप तहसील बरवास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं कि टोंक विधान सभा की 11 ग्राम पंचायतें टोडारायसिंह तहसील में सम्मिलित हैं। क्षेत्र में देवनारायण महाराज के वंशज एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लोग भारी संख्या में निवास करते हैं। इस क्षेत्र में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के अभाव में मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा मरीजों को 24 किलोमीटर दूर चिकित्सा के लिए टोडारायसिंह या जिला मुख्यालय टोंक में जाना पड़ता हैं। इलाज के अभाव में कई बार मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। जनता की वर्षों से मांग है कि विधान सभा क्षेत्र की उप तहसील बरवास में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए परन्तु आजादी के 70 वर्षों के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है।

अत: सरकार से मांग करता हूं कि उप तहसील बरवास में अविलम्ब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान कराएं।

धन्यवाद, जय हिन्द।

अजीत सिंह
(टोंक)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या -27 मुख्य शीर्षक **पेयजल योजना** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वृहद् जल प्रदाय योजना आर.डी. 159 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-बालेसर एवं आर.डी. 134 देवानिया-नाथड़ाऊ-कनोडिया 54 मील-चौरड़िया-शेरगढ़-चाबा में वंचित रहे राजस्व गांवों के लिए प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति जारी करवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल आपूर्ति सुचारु नहीं होने वाले स्थानों पर तंत्र सुधार योजना के अन्तर्गत CWR मय बूस्टर स्वीकृत कर पेयजल आपूर्ति सुचारु करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नाकारा नलकूप, ओपन वैल एवं हैण्डपम्प के स्थान पर गुणवता वाले भूजल के स्थान पर नवीन नलकूप एवं हैण्डपम्प खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजकीय विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजस्व गांव संतोषनगर, चाबा-द्वितीय, बासनी मनणा में उच्च जलाशय बनाकर उक्त गांवों के क्लस्टर में आने वाले राजस्व गांवों में पेयजल आपूर्ति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

6. अलवर जिले की लम्बे समय से चली आ रही मांग, चम्बल से अलवर को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

7. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के 199 गांवों एवं 390 ढ़ाणियों में स्वीकृत 250 करोड़ रुपये की योजना को चार भागों में बांट कर, वर्ष 2017 तक हर हाल में क्षेत्र की जनता को बीसलपुर का पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

8. विधान सभा क्षेत्र वैर में पाइप लाइन स्कीम के अन्तर्गत ग्राम निठार एवं सरसेना में टंकियों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र वैर को चम्बल परियोजना से पीने का पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र वैर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अधिशाषी अभियन्ता की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्रामों में नवीन ट्यूबवैल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

12. नादौती-सवाईमाधोपुर चम्बल पेयजल योजना का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में करीब 40 सिंगल फेज ट्यूबवैल खराब पड़े हुए है तथा जिनका पैसा भी जमा हो चुका है परन्तु आज तक उन्हें चालू नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नवीन हैण्डपम्प व सिंगल फेज ट्यूबवैल लगाकर आमजन को राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

15. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के फ्लोराइड वालें ग्रामों में आर.ओ. प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

16. चौमूं नगरपालिका को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रामलाल शर्मा)

17. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के हस्तेड़ा, आस्टी, किशनमानपुरा, नांगल गोविन्द ग्राम पंचायतों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम सींगोद खुर्द, नांगल कलां, सींगोद कलां, चीथवाड़ी, टांकरडा ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम पंचायत नांगल-गोविन्द के ग्राम सिरसा, रणजीतपुरा आण्टी ग्राम पंचायत के गीठा का बास, रामरख्या का बास में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर):

20. विधान सभा क्षेत्र आहोर में समस्त गांवों को नर्बदा नहर पेयजल योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

21. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में असकली, ढ़ाबादे, सहरावदा हेतु जल प्रदाय योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित पेयजल योजना में जमीन के अन्दर स्थित खराब पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नये ट्यूबवैल व हैण्डपम्प स्वीकृत कर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित गांवों में, शहरों मे जनता को आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के सुकेत कस्बे की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल स्कीम बनाकर शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

26. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बीएडीपी योजना के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती सोनादेवी)

27. रायसिंहनगर मण्डी में एक अतिरिक्त उच्च जलाशय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जनता जल योजना से निर्मित टंकियों की मरम्मत एवं संधारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. 62 एनपी, ग्राम पंचायत श्यामगढ़, पंचायत समिति रायसिंहनगर में पेयजल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पेयजल सुविधा से वंचित ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

31. नहरी क्लोजर के कारण प्रतिवर्ष जोधपुर शहर में पेयजल वितरण में आने वाली समस्याओं के स्थायी निराकरण हेतु ठोस कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पेयजल वितरण पाइप लाइन से वंचित क्षेत्रों को चिह्नित कर पाइप लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर हेतु गत तीन बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारणों को प्राथमिकता से निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में ऊंचाई वाले क्षेत्र एवं पहाड़ी आवासीय कॉलोनियों में कम दबाव की समस्या के निदान एवं आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति में सहायता की दृष्टि से 20 ट्यूबवैल एवं 100 हैण्डपम्प खुदवाकर कम्प्रेशर/पावर पम्प की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. जोधुपर शहर में घटते भू-जल स्तर की समस्या के स्थायी एवं ठोस समाधान, समयबद्ध कार्य योजना बनाकर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

36. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की हरिपुरा माझी पेयजल परियोजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हीरालाल नागर)

37. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की बरां पेयजल परियोजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की नालोदि पेयजल परियोजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की जनता जल योजना बपावर कलां एवं मोई कलां के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की स्वजलधारा योजना भाण्डाहेड़ा एवं सीमल्या का पुनर्गठन कर पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर):</u>

41. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पेयजल के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):</u>

42. जोधपुर फिल्टर हाउस के पास एक नया बांध एवं फिल्टर हाउस बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):</u>

43. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में आने वाले पुराने कोटा शहर में जर्जर पाइप लाइन को बदलने एवं कृषि भूमियों पर बनी आवासीय कॉलोनियों में नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):</u>

44. ग्राम पंचायत बहादुरपुर जिला अलवर में जनता जल योजना स्कीम को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में शामिल कर ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

45. ग्राम पंचायत मालाखेड़ा जिला अलवर की जनता जल योजना को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में शामिल कर ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):</u>

46. बाड़मेर शहर के समीप स्थित बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
47. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 100 सार्वजनिक हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवैल स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
48. बाड़मेर शहर में गंदा पानी सप्लाई होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
49. बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना भाग 'स' का कार्य शीघ्रता से शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):</u>

50. लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर वृहद पेयजल योजना तय समय/अवधि में पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):</u>

51. विधान सभा क्षेत्र सांचोर में नर्मदा नहर पर स्थित वीरावा पंचायत मुख्यालय को नर्मदा से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
52. सांचोर नर्मदा नहर पर आई हुई जालोर जिले की तीन महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना डी.आर. प्रोजेक्ट, ई.आर. प्रोजेक्ट, एफ.आर. प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए राशि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
53. सांचोर शहर को पानी सप्लाई करने के लिए पहाड़पुरा स्थित परियोजना का कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
54. विधान सभा क्षेत्र सांचोर में ग्राम पंचायत खारा में राजपूतों की ढ़ाणी बलाना भडी, जाटों सुनारों की ढ़ाणी खारा विश्नोइयों की ढ़ाणी चोरा में पेयजल के लिए बोरिंग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
55. विधान सभा क्षेत्र सांचोर में स्थित सभी ट्यूबवैलों को 24 घण्टे विद्युत सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (भीम):</u>

56. विधान सभा क्षेत्र भीम में जनता जल व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं पनघट योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री हरिसिंह रावत)

57. विधान सभा क्षेत्र भीम को बीसलपुर व चम्बल पेयजल योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

58. विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम बामनीय, पारी, सिंहपुर, ताना एवं आंकोला में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश धाकड (बेगूं):

59. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के भैसरोडगढ़ में पेयजल योजना के टेण्डर के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

60. पंचायत समिति बून्दी के ग्राम सिलोर को पाइप्ड योजना में जोड़कर घर-घर नल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. पंचायत समिति बूंदी के ग्राम मारून्दा को पाइप्ड योजना के तहत जोड़कर घर-घर नल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. पंचायत समिति तालेड़ा के ग्राम तिरथ को पाइप्ड योजना के तहत जोड़कर घर-घर नल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

63. परवन शेरगढ़ पेयजल परियोजना में जुड़ने से वंचित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के ग्राम मण्डोला, रानीहेड़ा, बरानी, बराना, ढ़ोटी, छजावा, दीवाली, खुरी, जीरोद, आटोन, सहरोद, बोकड़ा, नृसिंहपुरा एवं देवपुरिया में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

65. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पूर्व में संचालित पेयजल योजनाओं को सुचारु रूप से संचालित करने एवं विचाराधीन गांवों/ढ़ाणियों में शीघ्र नये ट्यूबवैल खुदवाकर पेयजल आपूर्ति करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री खेमाराम)

66. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सूखा घोषित क्षेत्रों में (फैल्योर) ट्यूबवैलों के स्थान पर नये ट्यूबवैल खुदवाकर पेयजल आूपर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में स्थित पेयजल संग्रहण केन्द्र की मरम्मत, सफाई वं समय-समय पर एन्टी-बैक्टीरियल दवाई डलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के फ्लोराइडयुक्त पेयजल वाले गांवों/ढ़ाणियों में आर.ओ. प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की आपणी योजना II फेज के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):</u>

70. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में इन्दिरा गांधी नहर पर आधारित पेयजल योजना का पानी शीघ्र जनता को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में सूखे ट्यूबवैलों के स्थान पर नये ट्यूबवैल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):</u>

72. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पेयजल की पाइप लाइन से गांवों को जोड़ने एवं थ्री फेज बोरिंग कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पेयजल योजना से विहीन ग्राम पंचायतों एवं बड़े गांवों को पेयजल की योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):</u>

74. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के कस्बा पिण्डवाड़ा में पुरानी पाइप लाइन बदलने एवं बड़े ओवर हैड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के ग्राम झाडोली, रोहिड़ा, स्वरूपगंज, खाखरवाड़ा पेशवा, नितोड़ा पर नई पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

76. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा मे पेयजल योजना के तहत ग्राम पंचायत खोडा, हरडावाली, रायपुरा, मटोरिया, गन्धेली में जल व्यवस्था सुधारना एवं घर-घर कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

77. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद के 11 कस्बों में पेयजल विस्तार हेतु एसएलआर टंकी स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

78. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की पेयजल हेतु नर्बदा प्रोजक्ट को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

79. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं पर निवास करने वाले किसान परिवारों के लिए पेयजल का स्थायी समाधान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

80. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैपऊ एवं बसई नवाब क्षेत्र के चम्बल परियोजना से वंचित ग्रामों को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पेयजल की समस्या को देखते हुए हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में 2050 की आबादी को ध्यान में रखते हुए पेयजल योजना स्वीकृत करने एवं नवीन कॉलोनी में पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. डांग क्षेत्र एवं वन क्षेत्र में रह रहे निवासियो को आगामी गर्मी के मौसम में टैंकरों से पानी सप्लाई कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री दलीचन्द डांगी (मावली):</u>

84. विधान सभा क्षेत्र मावली में ग्राम पंचायत सागवा, नामरी, विजनवास, गादोली, सापेटिया, साकरोदा, मागथला, सिन्धु, भानसोल, नुरडा रख्यावल, बासलिया, बडियार, खेमली जैवाणा में पेयजल योजना की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र मावली में औद्योगिक क्षेत्र उमरडा, झामरकोटडा, हिन्दुस्तान जिंक, मुडली, फतहनगर सनवाड, सुखेर के आसपास की पंचायतों में शुद्ध पेयजल के लिए पेयजल योजना/आर.ओ. प्लांट की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र मावली में पुरानी पाइप लाइने बदलने एवं अन्य पेयजल योजनाओं की पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र मावली में पेयजल के स्थायी समाधान हेतु उदयसागर बांध की बाईं मुख्य नहर की चैन 480 से बागोलिया बांध तक फिडर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र मावली में फ्लोराइडयुक्त गांवों में आर.ओ. प्लांट लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):</u>

89. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 100 सिंगल फेज, 250 हैण्डपम्प स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):</u>

90. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कोलवा, बिवाई, सोडाला बासग ढंड में वाटर स्कीम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. बांदीकुई शहर व बसवा शहर में पेयजल हेतु नये बोरिंग करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की बडियाल कलां, आभानेरी-गुढ़ा कलां, बसवा, चांदरों, बिवाई, सोडाला बासग, भांडेडा ग्राम पंचायतों में सोलर ट्यूबवैल मय आर.ओ. प्लांट के लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती अलका सिंह)

93. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में खारे पानी वाली ग्राम पंचायतों में आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बांदीकुई शहर व बसवा में रेहडिया बांध से पानी सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

95. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में स्थित पानी की टंकियों की मरम्मत व सफाई, पुरानी टंकियों के जीर्णोद्धार एवं पानी की नवीन टंकिया बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. बीकानेर स्थित करमीसर में पानी की टंकी बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):

97. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के गोवर्धन नगर, चक गेटोर श्योपुर के आस-पास बसी कॉलोनियों, मदरामपुरा, गुर्जरों की तलाई, भांकरोटा और पृथ्वीराज नगर में बीसलपुर पेयजल योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

98. चाकसू कस्बे के सभी वार्डों की पुरानी पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइन डालने तथा पेयजल से वंचित वार्डों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में हैण्डपम्पों में पाइप जोड़ने, कुए गहरे करवाने तथा 100 हैण्डपम्प नये स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

100. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के खजुरी ग्राम पंचायत के कानानतों का खेडा व झीकरी में पेयजल की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर व कोटड़ी के जिन-जिन ग्रामों में पेयजल विभाग द्वारा घरेलू कनेक्शन दिये हुए हैं, उन सभी ग्रामों में पेयजल सुविधाओं के सुधार व विस्तार हेतु चम्बल परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री धीरज गुर्जर)

102. जहाजपुर के ग्राम पंचायत जामोली के ग्राम-रामपुरा, शक्करपुरा व रुघनाथपुरा को पेयजल योजना से जोड़ने एवं जामोली में पाइप लाइन डलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. भीलवाड़ा जिले के चम्बल प्रोजक्ट में मजरों व ढ़ाणियों को सम्मिलित कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

105. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में बीसलपुर योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डाली गई सीमेन्ट पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त एवं अवरुद्ध होने से सुचारु पेयजल आपूर्ति में बाधा आने एवं सीमेन्ट पाइप लाइन के स्थान पर नवीन लोहे की पाइप लाइने (DI) डालकर पेयजल आपूर्ति कराने की महती योजना की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति योजनाओं के प्रस्ताव जलदाय विभाग अजमेर के SE एवं ACE कार्यालयों से तैयार कर जयपुर स्थित मुख्यालय पर स्वीकृति हेतु गत 08-10 माह से लम्बित पड़े हैं, उनकी अविलम्ब सक्षम वित्तीय स्वीकृति जारी कराने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति अरांई की 21 ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति किशनगढ़ की 19 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में 80 एवं शहरी क्षेत्र किशनगढ़ के 45 वार्डो में 95, अर्थात् कुल 175 नवीन हैण्डपम्पों की स्थापना कर सुचारु पेयजल आपूर्ति कराने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

108. सोजत शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पुरानी क्षतिग्रस्त लोहे की जंग वाली पाइप लाइन बदलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती संजना आगरी)

109. सोजत तहसील के प्रत्येक ग्राम पंचायत में घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

110. ग्राम पंचायत गुढ़ा कलां के ग्राम रोडावास बांध से आस-पास की 3 ग्राम पंचायतों के लिए पेयजल योजना बनाकर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. नगरपालिका शहर सोजत में जल वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए नई पाइप लाइन बिछवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

112. विधान सभा क्षेत्र लूणी की जल प्रदाय योजना अजीत नगर, विष्णु की ढ़ाणी, परिहारों की ढ़ाणी, कानासर, इमाम नगर, सेरानी नगर, मेहराम नगर, चिराई नगर, राड नगर केरल, सुरता नगर, ढ़ाणा विश्नोइयान एवं देलूम्बा नाडा को स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र लूणी में विचाराधीन जल प्रदाय योजना चोखा -बड़ली-गोलासनी को स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पाल-बाईपास चौराहा पर शहरी जल प्रदाय योजना में ए.एफ.डी. से निर्मित ओवर हैड से पाल गांव धिनाला नाडा गांव एवं अन्य पाल क्षेत्र की पेयजल से वंचित कॉलोनियों में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जोधपुर ग्रामीण के खण्ड प्रथम से चतुर्थ को जोधपुर शहर खण्ड में सम्मिलित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र लूणी में जो जल प्रदाय योजनाएं चल रही हैं, उनकी मुख्य पाइप लाइनों पर अवैध कनेक्शनों की रोकथाम हेतु संसाधनों सहित विजिलेंस कमेटी गठित करने व भूजल माफियाओं पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):</u>

117. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पेयजल के संबंध में चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के पेरीफेरी एरिया में यू.आई.टी. में 103 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत बड़ी के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामचन्द्र (डग):</u>

120. विधान सभा क्षेत्र डग में (गागरेन) पेयजल परियोजना को शीघ्र पूरी करा कर उप खण्ड गंगधार में जलापूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मान सिंह (गंगापुर):</u>

121. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के गंगापुर सिटी में अमृत योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

122. गंगापुर सिटी ग्रामीण क्षेत्र में एवं मधु कलां व वजीरपुर में पेयजल योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश चौधरी (बायतू):</u>

123. विधान सभा क्षेत्र बायतू की पेयजल परियोजना में जर्जर ओवर हैड टैंक की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र बायतू के दुर्गम क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए हैण्डपम्पों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

125. प्रदेश भर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता के रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना पेयजल परियोजना की धीमी कार्य गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना):

128. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में संचालित पेयजल योजना की नियमित मोनिटिरिंग नही करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

129. मनोहरथाना तहसील की पंचायतों के ग्रामीणों को पेयजल योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. सरड़ा, बोरवान्ड, आसलपुर, उमरिया, बिन्ढ़ाखेड़ा पंचायतों के गांवों को छापी नदी से पेयजल योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

131. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में हैण्डपम्प के बजाय सिंगल फेज स्कीम देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

132. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

133. विधान सभा क्षेत्र भादरा की सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता (ग्रामीण) पीएचईडी जयपुर; मुख्य अभियंता (शहरी) पीएचईडी जयपुर एवं R.W.S.S.M.B. जयपुर के पास लम्बित पेयजल योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र भादरा के "आपणी योजना"से जुड़े हुए ग्राम पंचायत कुंजी एवं ग्राम पंचायत कनाऊ के विभिन्न ग्रामों को आपणी योजना से हटाकर सिधमुख सिंचाई परियोजना के नजदीकी जल स्त्रोत से जोड़कर नई पेयजल योजना स्वीकृत करवाकर उक्त ग्रामों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र भादरा के चार हजार से अधिक आबादी वाले वंचित ग्रामों को घर-घर नल लगाकर पेयजल कनेक्शन देने हेतु नई पेयजल योजनाएं शीघ्र स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री संजीव कुमार)

136. विधान सभा क्षेत्र भादरा की विभिन्न पेयजल योजनाओं की क्षतिग्रस्त डिग्गियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करवाने तथा वाटर बक्सों की क्षतिग्रस्त चार दीवारियों एवं बिना चारदीवारी वाले वाटर बक्सों की नवीन बाउण्ड्रीवाल बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु सिधमुख सिंचाई परियोजना की रासलाना वितरिका से (ग्राम उत्तरादा बास के नजदीक) जोड़कर शहर के वाटर वर्क्स में पानी लाने हेतु नई स्कीम बनाकर शीघ्र स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

138. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू उपखण्ड मुख्यालय निवाई में नलों की पाइप लाइने जो दिनांक 15.08.1972 की डली हुई हैं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, को बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

139. बजट घोषणा 2015-16 में स्वीकृत पुनर्गठित शहरी पेयजल योजना किशनगढ़ (अजमेर) के अन्तर्गत नेशनल हाइवे अथोरिटी आफ इण्डिया के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर/भीलवाड़ा द्वारा NH 79A मार्ग पर 8844 मीटर की भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति के अभाव में उक्त पेयजल योजना के पूर्ण क्रियान्वयन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

140. विधान सभा क्षेत्र भीम के सभी बन्द पड़े हैण्डपम्पों को दुरस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र भीम में फ्लोराइड क्षेत्रों में आर.ओ. प्लांट लगाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

142. भौयादेह भीम पेयजल योजना के अन्तर्गत रास्ते में पड़ने वाले नन्दावर, पेलाडोल, पोकरिया का कोट, कलालिया आदि ग्रामों को पेयजल से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):</u>

143. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के अन्तर्गत नगर उपखण्ड (पंचम) में प्रदूषित पेयजल पाइप लाइन बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री तरुण राय कागा (चौहटन):</u>

144. विधान सभा क्षेत्र चोहटन में नर्मदा नहर चरण प्रथम व द्‌वितीय के द्‌वारा समस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर):</u>

145. राजस्थान नहर से जोधपुर को पेयजल योजना रोहट तक आती है उससे आहोर विधान सभा के 50 गांव 2.0 किमी दूरी पर हैं, भाद्राजून मोरडा धाणा बरवा नौरवा राम रायथल झवरानी आदि गांवों को इस पेयजल योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र आहोर के गांवों में खारा एवं फ्लोराइड पानी होने से सिंगल फेज पम्प सैट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):</u>

147. विधान सभा क्षेत्र नागौर के अलाय क्षेत्र की 10 GLR में 05 वर्षों से पानी नहीं पहुंचने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री नवनीत लाल (घाटोल):</u>

148. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पंचायत जामली व ठेसला के 15 गांवों की जनता को पीने के पानी के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):</u>

149. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पंचायत पुनर्गठन के बाद नवीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर योजना पोकरण, फलसूण्ड, बालोतरा, सिवाना से उच्च जलाशय (एस.आर.) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समस्त सहायक अभियंता कार्यालयों को मिलाकर नवीन अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हमीरसिंह भायल)

151. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जी.एल.आर. निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 100 नये हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के बड़े कस्बे पादरू, अजीत, सिवाना, समदड़ी, खण्डप, करमावास, मोकलसर में पुरानी पाइप लाइन को बदलकर नई पाइप लाइन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

154. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में 900 करोड़ रुपये की योजना का कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. गलियाकोट पंचायत समिति में ग्राम पंचायत चितरी में पेयजल की समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ग्राम पंचायत सामलिया की पेयजल समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

157. गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत-नाडिया, ओबरी, चितरी, बाबा की बाट, कसारिया,रीवड़ा बड़ा की पेयजल समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

158. सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों-सेमलिया पंडया, सामलिया, पादड़ी बड़ी, फलातेड, भीलूड़ा, आरा, करियाणा, कराडा में पेयजल समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

159. प्रदेश में स्थानीय विधायक कोष से पेयजल हेतु UPVC पाइप लाइन लगाने पर प्रतिबंध करके HDPE पाइप लगाने की आवश्यकता की शर्तें हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर नगरपालिका क्षेत्र में संचालित पेयजल योजना से सभी वार्डों में पेयजल उच्च जलाशय से जलापूर्ति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री अर्जुनलाल)

161. बिलाड़ा शहर की जलापूर्ति हेतु वंचित शहर के 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22 वार्डों को नयी पेयजल योजना बनाकर जलापूर्ति को सुचारु करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पेयजल योजना माणकलाव - दांतीवाड़ा से बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर नगरपालिकाओं सहित 119 ग्रामों को पेयजल से जोड़ने वाले योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की 205 ढाणियों को पेयजल से जोड़ने की योजना को मूर्तरूप एवं पूर्ण साकार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा):</u>

164. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के ग्राम धन्धुरी, कमालसर, हस्पसरी में उच्च जलाशय के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनीता (नगर):</u>

165. विधान सभा क्षेत्र नगर में पेयजल की P&T योजना के लिए Hydrologist न आने से पेयजल योजना लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र नगर में शहर व ग्रामीण क्षेत्र में आर.ओ. प्लांट स्वीकृत कर पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र नगर में पूरे शहर व ग्रामीण पंचायतों में खारा पानी होने से पीने योग्य पानी नही मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी):</u>

168. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के पेयजल वाले गांवों में पाइप लाइन की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अमृतलाल (सलूम्बर):</u>

169. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के मेवात क्षेत्र में 93 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री अमृतलाल)

170. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पानी की टंकी निर्माण, नई पाइप लाइन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. सोम कमला अम्बा जल परियोजना से क्षेत्र के 13 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर को फ्लोराइड मुक्त करने हेतु विभाग द्वारा फिल्टर प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पंचायत समिति सलूम्बर-सराडा, पंचायत समिति झलारा से सेमारी के ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पानी की काफी समस्या है तथा इस हेतु विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

174. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना जिसकी डी.पी.आर. बनकर ऋण स्वीकृति हेतु प्रकरण जायला में भिजवा दिया गया है, की वित्तीय स्वीकृति जारी कर पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. उदयपुरवाटी के प्रत्येक पंचायत में दो से तीन ट्यूबवैल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

176. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की लम्बित पड़ी योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

177. छबड़ा एवं छीपा बडौद में नयी बसी कॉलोनियों में पेयजल सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

178. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कालीसिंध नदी पर बड़ौद व एबरा में वाटर प्लांट की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पेयजल स्त्रोतों के पुनरुद्धार एवं नये पेयजल स्त्रोत विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

180. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा, पीपल्दा व खातौली कस्बे में पेयजल हेतु लगाई गई पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिये जाने वाले हैण्डपम्पों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):</u>

182. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 1500 से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेयजल योजना स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में फ्लोराइड की अधिकता को देखते हुए समस्त गांवों के पेयजल पानी की जांच कर आर.ओ. प्लांट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. प्रदेश में पेयजल हेतु जनता जल योजना की तरह अन्य पेयजल योजना जैसे पनघट योजना, इस प्रकार की योजना जो विद्युत मोटर से संचालित हैं, उनके बिल जलदाय विभाग द्वारा वहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में के बौहेडा ग्राम पंचायत समिति बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ के लिए पेयजल हेतु अरनिया (जिला उदयपुर) से पाइप लाइन डाली गई, उसको प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):</u>

186. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की 200 से 500 तक की आबादी वाले गांव व ढ़ाणियों को पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सभी ग्राम पंचायतों में फ्लोराइड पानी की मुक्ति के लिए आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

188. जयपुर जिले में पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए बुचारा, कोटपूतली, जमवारामगढ़ व कानोता बांधों में यमुना नदी का पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. राज्य में पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए आस-पास की नदियों से प्रत्येक जिले में नहरों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में लगभग 20 से 22 गांव एवं छोटी ढ़ाणियां जिनकी आबादी 1500 से 4000 हैं, दिनांक 18.03.2015 को पीएचईडी द्वारा जारी प्रपोजल को मुख्य अभियंता, जयपुर ग्रामीण द्वारा स्वीकृति प्रदान करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

191. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के सूख रहे स्त्रोतों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थायी स्त्रोतों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उच्च जलाशयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए परम्परागत साधनों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कोटाणा, माथुगामडा खास, बिछीवाडा, देवल, गामडी देवल, थाणा, मेवाडा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

196. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विराटनगर की मूल आबादी में वर्षो पुरानी जर्जरित एवं गहरी पाइप लाइन को लोहे की पाइप लाइन में परिवर्तित कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(डॉ. फूल चन्द भिण्डा)

197. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में भाखरी तथा रामपुरा में 4 किमी. पेयजल वितरण पाइप लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में रामचन्द्रपरा, जसवन्तपुरा, लीलों का बास में खारे पानी/पीने योग्य पानी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में प्रागपुरा, साईवाड़, नाथावाला, लुहाकना, छापुडा खुर्द में उच्च जलाशय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पावटा की पुनर्गठित पेयजल योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण (नसीराबाद):

201. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के गांवों को बीसलपुर योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

202. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में से अधिकृत कनेक्शन घरों में लेने वालों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अनेक गांवों में समुचित पेयजल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):

204. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के वार्ड नं. 87, 88 एवं 89 को आवासीय कॉलोनियों को प्रदूषित एवं जर्जर पेयजल पाइप लाइनों को बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट):

205. जिला दौसा की तहसील महवा के ग्राम-खोरामुल्ला के एनीकट में पेयजल हेतु खोदे गये 9 ट्यूबवैलों में अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(डॉ. किरोड़ी लाल)

206. जिला दौसा में पेयजल विभाग में हुए करोड़ो रुपयों के चर्चित घोटाले को दबा दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

207. जिला दौसा की तहसील लालसोट में विधायक कोष/पीएचईडी से स्वीकृत हैण्डपम्प्स एवं सिंगल फेज ट्यूबवैल का अभी तक निर्माण नहीं किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

208. जिला दौसा की तहसील महुवा की खेड़ला बुजुर्ग-सलेमपुर पेयजल योजना हेतु ग्राम खोहरा मुल्ला के एनीकट में डायवर्जन चैनल एवं फीडर निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. जिला दौसा की तहसील महुवा के ग्राम मंडावर के IME वन क्षेत्र में अवैध ट्यूबवैल को ध्वस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

210. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कुम्भा राम जल परियोजना को प्रारम्भ कर जलापूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में आर.ओ. प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

212. जैसलमेर जिले में पेयजल के लिए विशेष पैकेज देने के संबंध में चर्चा के लिए।

213. जैसलमेर जिले में खारे पानी एवं फ्लोराइडयुक्त से निजात दिलाने के लिए IGNP की SMG 105 RD से नये पाइप लगवा कर गांवों में शुद्ध व मीठा जल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

214. जैसलमेर जिले के जलदाय विभाग के पूर्व में बने जी.एल.आर. पाइप लाइन जो क्षतिग्रस्त हैं, को पुन: मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

215. जैसलमेर जिले के जलदाय विभाग में वर्कचार्ज कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भँवरसिंह (कोलायत):

216. कोलायत तहसील के जानासर गांव को नहरी पानी से जोड़ कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के बीठनो, राणासर, लूम्बासर, माधोगढ़, गोविन्दसर पेयजल परियोजना के गांवों तक पेयजल नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग्राम पंचायत नगरासर व सेवड़ा के दर्जनों गांवों में विभाग की लापरवाही से पेयजल नहीं पहुंचाने से ग्रामीणों के सामने खड़े पेयजल संकट के संबंध में चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के सुरजड़ा, अंगणेऊ, राणासर, लाखासर पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कर लाखासर गांव व योजना से जुड़े सभी गांवों तक पेयजल नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के सेवड़ा, दादू का गांव पेयजल योजना का कार्य निश्चित समय में पूर्ण कर संबंधित गांवों तक पेयजल पहुंचाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

221. नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना से बीकानेर तहसील के गांवों व नोखा तहसील के सभी गांवों तक नहरी पानी पेयजल हेतु उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बच्चू सिंह (बयाना):

222. विधान सभा क्षेत्र बयाना के गांव कुनावर में उच्च जलाशय टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र बयाना में पेयजल हेतु डीप बोरो की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर):

224. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन):

225. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की ग्राम पंचायत परोदा में पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

226. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जनता जल योजनाओं के अन्तर्गत गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 7 BKM, 2 PPM, 22 STB सिधुवाला, 39 MOD भादुओं वाली ढ़ाणी, 32 MOD, 16 STB (3 चक), 2AP सरदारपुरा लाडाना, 3 SHPH तहसील-सूरतगढ़ व 7LC और 7GB तहसील श्री विजयनगर की पेयजल योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

228. सूरतगढ़ शहरी पेयजल के लिये नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के 3 SAD मसानीवाला (श्री विजयनगर) के लिये नई पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की जैतसर मण्डी की पेयजल योजना की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

231. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में विभिन्न योजना/फंड से थ्री फेज, सिंगल फेज सोलर ट्यूबवैल लगाने की कार्य योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम रिणाउ में द्वारकाधीश बगीची के पास, ग्राम डाबड़ी में बालाजी मंदिर के पास, ग्राम खूड़ी में गोगाजी की मेढ़ी के पास सिंगल फेज ट्यूबवैल लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

233. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायतें जिनमें आपणी योजना से पेयजल हेतु घर-घर कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती द्रोपती)

234. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की विभागीय स्तर पर विचाराधीन वाटर वर्क्स की स्कीमों को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. मंजू बाघमार (जायल):

235. विधान सभा क्षेत्र जायल में जनता जल योजनाओं का नियमित संधारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्रामों में पेयजल की पूर्ति हेतु कुचेरा से बोडवा पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्रामों में पेयजल की गम्भीर समस्या के निदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखाराम (मेड़ता):

238. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पेयजल की समस्या के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली):

239. करौली शहर में खारे पानी की समस्या का समाधान कर मीठा पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्रामों गुडला, जुंगीनपुरा, पहाड़ी काशीरामपुरा रूग्गापुरा की बंद पड़ी पेयजल योजना को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

241. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में घर-घर तक पाइप लाइन के माध्यम से वंचित गांवो व ढ़ाणियों में पानी पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पीएचईडी की समस्त बन्द व फैल्योर ट्यूबवैलों के स्थान पर नए ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पीएचईडी के माध्यम से जनता जल योजना संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पीएचईडी विभाग में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्राम संखवास में कनिष्ठ अभियंता का कार्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):</u>

246. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में बीसलपुर पेयजल योजना का पीने का पानी हर ग्राम तक पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

247. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में बीसलपुर परियोजना से पानी की चोरी रोकने एवं खराब पाइप लाइनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):</u>

248. विधान सभा क्षेत्र सिकराय की ग्राम पंचायत शेखपुरा में पेयजल व्यवस्था हेतु उच्च जलाशय टंकी निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

249. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए 50 नये हैण्डपम्प एवं 10 जी.एल.आर. की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पूर्व में निर्मित ओवर हैड टैंक, बहरावण्डा टोरडा को चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र सिकराय की ग्राम पंचायत भाण्डारेज के एससी मोहल्ले में पानी की लाइन डालकर सप्लाई प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र सिकराय की ग्राम पंचायत घूमणा में आदर्श ग्राम पंचायत में स्वीकृत पेयजल योजना की शीघ्र प्रारम्भ करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):</u>

253. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नवसृजित राजस्व ग्राम एवं पीने के पानी के नये ट्यूबवैल स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

254. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पिछले एक वर्ष से बंद पड़े आर.ओ. प्लांट को पुन: प्रारम्भ करने एवं समय पर आर.ओ. प्लांट का रख-रखाव नहीं करने वाली कम्पनी को ब्लैकलिस्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री नारायण सिंह देवल)

255. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा मुख्यालय पर अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

256. विधान सभा क्षेत्र आमेर में पेयजल की विकट समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र आमेर के नगर निगम में आने वाले वार्डों को बीसलपुर पाइप लाइन से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र आमेर की पेयजल योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खेरवाड़ा):

259. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के पंचायत मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थलों पर पनघट एवं टांका निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के जनजातीय क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

262. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में हैण्डपम्प निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

263. विधान सभा क्षेत्र दौसा में पेयजल विभाग को आवश्यक उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

264. दौसा शहर में पेयजल आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त करवाने के साथ नगर परिषद क्षेत्र में एकल पाइन्ट एवं हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

265. शहर दौसा की नव विकसित कॉलोनियों में पाइप लाइन बिछाकर पेयजल सप्लाई करने के साथ पुरानी पाइप लाइनों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

266. विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

267. विधान सभा क्षेत्र दौसा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराइड मुक्त शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. प्लांट लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर):

268. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के प्रथम फेज में चयनित 95 ग्रामों को चम्बल का पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

269. भरतपुर शहर में टूटी पड़ी पानी की लाइनों को बदलवाने एवं नई लाइन डलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

270. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल हेतु 100 हैण्डपम्प 20 सिंगल फेज एवं 10 ट्यूबवैल लगवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

271. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन सारण की ढ़ाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

272. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में निवों की खेजड़ी से बघुड़ा की ढ़ाणी की पाइप लाइन बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में देवली से वाडिया तक की पाइप लाइन बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

274. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जवाई पाइप परियोजना से मारवाड़ जंक्शन के 31 गांवों को पानी की पाइप लाइन से एल.एन.टी. के ठेकेदार द्वारा घटिया पाइप लगाने से जगह-जगह खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

275. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जवाई पाइप परियोजना, मारवाड़ जंक्शन के 82 गांवों को अभी तक पानी सप्लाई से नहीं करने एवं घटिया सामग्री लगाने से दो व्यक्ति की मृत्यु होने एवं कार्य की गुणवत्ता सही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

276. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्राम बृजलाल नगर पारली, मोरला में पेयजल हेतु घर-घर कनेक्शन योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर):

277. विधान सभा क्षेत्र आहोर के आहोर में नई पाइप लाइन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

278. विधान सभा क्षेत्र आहोर बांकली बांध के पास में पेयजल हेतु ओपन वेल खुदवाकर भाद्राजुन, गोविन्दला, नोरवा को पानी सप्लाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

279. टोंक शहर में RUIDP द्वारा नवीन वितरण पेयजल योजना एवं सीवरेज योजना के कार्य में हो रहे विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र टोंक में 2011 के बाद बने राजस्व ग्रामों में वीटीसी वॉल अलग किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

281. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में फ्लोराइडयुक्त सभी गांवों ढ़ाणियों में आर.ओ. प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

282. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पुरानी पानी की टंकी जो जर्जर अवस्था में है को तोड़कर नई टंकिया बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

283. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 08 बड़े गांव एवं कस्बों में पुरानी पाइप लाइनों को बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

284. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में हैण्डपम्पों में व्यक्तिगत मोटर लगाकर सर्वजन की बजाय व्यक्तिगत उपयोग करने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

285. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना (बारू-सिहड़ा-राणेरी) की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री पब्बाराम)

286. लोहावट एवं फलौदी आंशिक में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना (कोलू पाबूजी-आमला-देणोक-भींयासर) को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

287. फलौदी शहर क्षेत्र की केशव नगर पेयजल योजना की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अविलम्ब निर्माण कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

288. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में गोठड़ा संजय नगर दूधणा में पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

289. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की नगरपालिका खेतड़ी की पाइप लाइन के संबंध में चर्चा के लिए।

290. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

291. ग्राम पंचायत 12 KND, 6 P पतरोडा, 7 KND, 22 RJD में पेयजल सप्लाई के लिए ओवर हैड टैंको के निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

292. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में 6 MSR, 8 LM, 9 KD, 89 GB गांवों में वाटर वर्क्स मंजूर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

293. ग्राम पंचायत 6 डीडी में स्वीकृत वाटर वर्क्स को जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

294. घड़साना अनूपगढ़ में JJY के अन्तर्गत वाटर वर्क्स की राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मंगलराम (कठूमर):

295. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के समस्त राजकीय विद्यालयों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

296. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के गांवों में सूखे हैण्डपम्प, सिंगल फेज, थ्री फेज बोरिंगों के स्थान पर नये हैण्डपम्प सिंगल फेज तथा थ्री फेज स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

297. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में नगरपालिका क्षेत्र खेरली में पीने के पानी की समस्या के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

298. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में समस्त राजकीय विद्यालयों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

299. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में नगरपालिका क्षेत्र खैरथल एवं किशनगढ़बास में पीने के पानी की समस्या के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

300. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के गांवों में खारा तथा फ्लोराइडयुक्त पानी होने के कारण पीने के पानी की समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

301. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के गांवों में सूखे हैण्डपम्प, सिंगल फेज, थ्री फेज बोरिंगों के स्थान पर नये हैण्डपम्प, सिंगल फेज तथा थ्री फेज बोरिंग स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल):

302. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के गांवों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

303. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न गांवों को मानसीवाकल-गोराणा बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

304. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न गांवों में नवीन हैण्डपम्प लगाने एवं पुरानी पेयजल योजनाओं की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

305. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में लम्बे समय से रिक्त पड़े विभिन्न पदों को यथाशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

306. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में चम्बल परियोजना से पेयजल आपूर्ति के कार्यो में गति लाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

307. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में सहायक अभियंता एवं सांभर में अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री निर्मल कुमावत)

308. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल कस्बे हेतु पुनर्गठित शहरी जल परियोजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

309. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

310. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) के ग्राम अजीतगढ़/दिवराला/ झाड़ली/मुण्डरू/ नांगल (नाथूसर) की पेयजल समस्या के समाधान के लिए वर्तमान पाइप्ड पेयजल योजना के संवर्धन उन्नयन के लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत कर पेयजल संकट का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

311. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए प्रदेश की कुल आबादी में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के अनुपात में प्रदेश के पेयजल बजट की राशि को व्यय करने का प्रावधान कर ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के अनुपात में व्यय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

312. ग्रामीण पेयजल योजनाओं यथा पनघट/परम्परागत जल स्त्रोत/जनता जल योजना आदि के संचालन-संधारण एवं विद्युत व्यय भुगतान के लिए वर्ष 2010 से पूर्व की भांति जलदाय विभाग को जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

313. ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं में 25 से 35 वर्ष पूर्व बने उच्च जलाशय/भूतल जलाशय जो जीर्ण-शीर्ण अवस्थाओं में है, का भौतिक सत्यापन करवाकर आवश्यकतानुसार नवीन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

314. ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित आबादी क्षेत्रों के हैण्डपम्पों की मरम्मत यथा समय सुनिश्चित करने के लिए हैण्डपम्प मरम्मत की समुचित एकीकृत कार्य योजना बनाकर मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 46 - सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-**46** मुख्य शीर्षक **सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित)** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में गोतावरराय चामुण्डा माता मंदिर बास्तवा माताजी में नवीन बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

2. अलवर तहसील क्षेत्र में विभिन्न बांधों के क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. अलवर तहसील की सीलीसेड नहर जो कि अलवर शहर में कम्पनी बाग तक आ रही है को अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त कर नहर का स्वरूप समाप्त करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

4. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में देवाता फीडर को जल्दी पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

5. विधान सभा क्षेत्र वैर को चम्बल परियोजना के बाणगंगा नदी से जोड़कर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

6. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले को जल संकट से निजात दिलवाने हेतु अन्तरराज्यीय समझौते के अन्तर्गत राजस्थान के हिस्से में 8.6 एमएएफ पानी दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

7. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के सरकारी बांधों एवं नहरों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर):

8. विधान सभा क्षेत्र आहोर में जवाई बांध के पुनर्भरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्ड़ी):

9. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्ड़ी में स्थित रामसागर बांध की मरम्मत एवं फावा तालाब के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्ड़ी में निर्माणाधीन ताकली बांध के डूब क्षेत्र में आये गांवों के किसानों को नये भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा व सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्ड़ी में निर्माणाधीन ताकली बांध के डूब क्षेत्र में आये गांवों के किसानों को ससम्मान सुविधाजनक स्थानों पर पुनर्वास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्ड़ी में निर्माणाधीन ताकली बांध का कार्य शीघ्र पूर्ण कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
13. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्ड़ी में स्थित पुराने एनीकटों की मरम्मत व आवश्यकतानुसार नदी नालों पर नये एनीकट स्वीकृत कर निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

14. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत एवं सिल्ट की सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. फिरोजपुर फीडर की मरम्मत एवं संधारण हेतु पर्याप्त बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
16. सीमावर्ती क्षेत्रों में पक्के खालों के निर्माण के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सोनादेवी)

17. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की खाटा माइनर की स्वीकृति एवं भोमपुरा माइनर की टेल पर पर्याप्त पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. हरिके बैराज पर केलीकटर मशीन के लिए बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

19. पड़ौसी राज्यों से हुए विभिन्न समझौतों के अनुरूप प्रदेश की हिस्सेदारी के जल में कटौती के प्रकरणों पर प्रदेश सरकार की ओर से ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश में सिंचाई की प्रचलित पद्धतियों को आधुनिक कर जल संरक्षण की सिंचाई पद्धतियों से प्रतिस्थापित करने हेतु विशेष त्वरित एवं ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. प्रदेश के बांधों एवं एनीकट्स की सुरक्षा, कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने और नियमित एवं समुचित रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. जोधपुर शहर में पेयजल हेतु आ रहे नहरी पानी को पूरी क्षमता से नहीं लेने, नहर के क्लोजर का समय गर्मी के स्थान पर सर्दी में करने और नहर में पेयजल क्षमता से अधिक पानी को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

23. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कनवास उपखण्ड के धुलेट, दांता, बास्याहेड़ी, आवा जालिमपुरा एवं खजुरगा में वाटर कन्सेप्ट की तरह नवीन कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. कनवास उपखण्ड क्षेत्र में नाले एवं खाले अवरुद्ध होने से हजारों बीघा फसल बचाने हेतु प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत डायवर्जन चैनल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. कनवास तहसील में बेजाल नदी से आवां तक जा रहे नाले की गहराई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल नागर)

26. कनवास तहसील के किशोरपुरा तालाब में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की ऊंचाई 2.00 मीटर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. कनवास तहसील के वन क्षेत्र में स्थित किशोरसागर दाता तालाब व गेडोली तलाई के रिनोवेशन का कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

28. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में राजीव गांधी नगर का तीसरा फेज शीघ्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

29. कोटा शहर में नहरों में सीपेज के कारण आवासीय कॉलोनियों में जल भराव की समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

30. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित क्षतिग्रस्त बालेरा बांध के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

31. जिला सीकर को तयशुदा नहर का पानी नही मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

32. नर्मदा नहर परियोजना की भीमगुडा वितरिका में से निकलने वाली सूराचंद उप वितरिका का पानी हानी की ढाणी तक पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

33. नर्मदा नहर परियोजना में घटिया निर्माण कार्य से सीपेज से खेती मय जमीन के खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. भारकी, जारोदरा, भवातड़ा में नर्मदा नहर की वितरिकाओं को पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. नर्मदा नहर के पानी को नर्मदा की तरफ से कुए खोदकर अतिरिक्त पानी को पुन: नहर में डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुखराम विश्नोई)

36. नर्मदा नहर के दोनों तरफ घनी आबादी होने के कारण आने-जाने के लिए पुल बनाने एवं पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):</u>

37. विधान सभा क्षेत्र कपासन में मातृकुण्डिया बांध से मेजा फीडर की 0 चेन पर कट लगाकर बनास नदी को रिचार्ज कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं):</u>

38. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में ओराई बांध की नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त बजट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रामपाल (अटरू):</u>

39. अटरू के पास अमर सारण सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):</u>

40. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में इंदिरा गांधी फीडर की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. यमुना जल में राजस्थान के हिस्से का पानी झुंझुनूं एवं चूरू जिलों में शीघ्र लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):</u>

42. जमवारामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों के संबंध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जमवारामगढ़ बांध में बीसलपुर/चम्बल नदी से पानी लाने की विशेष योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर):</u>

44. इंदिरा गांधी नहर (मुख्य नहर) विरदवाल हैड पर की गई मरम्मत के मूल डिजाइन में परिवर्तन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):</u>

45. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सिंचाई के लिए बांध एवं एनीकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):</u>

46. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के गम्भीरा नाला पर बांध निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित कुमार (किशनगंज):</u>

47. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में बिलासगढ़ सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार हेतु 19.70 करोड़ रुपये की डीपीआर की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):</u>

48. माही का पानी जो गुजरात जाता है, उससे जालौर के हक का पानी दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):</u>

49. चम्बल नदी से पानी लिफ्ट करके राम सागर पार्वती, तालाबशाही एवं उर्मिला सागर बांध में पानी पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. पार्वती बांध से निकाली गई नहरों एंव वितरिकाओं को पक्का कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. रामसागर बांध से निकाली नहरों एवं वितरिकाओं को पक्का कराये जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

52. रामसागर एवं पार्वती बांध की नहरों की लम्बाई बढ़ाकर किसानों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बांधों से सिल्ट निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री दलीचन्द डांगी (मावली):</u>

54. विधान सभा क्षेत्र मावली में सिंचाई के स्थाई समाधान हेतु उदयसागर बांध की बाईं मुख्य नहर की चैन 480 से बागोलिया बांध तक फीडर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री दलीचन्द डांगी)

55. विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर एवं बड़गांव बांध की सभी कच्ची एवं जीर्ण-शीर्ण नहरों को दुरूस्त/ पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर एवं बड़गांव बांध से सिंचाई के लिए कमाण्ड क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र मावली के अन्तर्गत उदयसागर एवं बड़गांव बांध की नहरों के सीपेज पानी को रोकने की व्यापक कार्य योजना बनाकर उसके निराकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र मावली में विभिन्न क्षेत्रों के गांवों में बरसाती पानी को रोकने हेतु छोटे-छोटे एनीकटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

59. साहवा एवं कुम्भाराम (लिफ्ट) इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो मूल 2.40 लाख हैक्टेयर का सिंचित क्षेत्र रखा गया था, उसमें से 1.38 लाख हैक्टेयर की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र को फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई योजना प्रथम चरण में लागू कर द्वितीय चरण व छह लिफ्ट क्षेत्रों में बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की छह लिफ्टों का क्षेत्रफल 347000 हैक्टेयर में से पाइलट प्रोजेक्ट द्वारा मात्र 31384 हैक्टेयर भूमि ही विकसित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. राज्य सरकार द्वारा बजट भाषण 2017-18 के पैरा नं. 139 में भविष्य की सिंचाई योजनाओं में फव्वारा व ड्रिप पद्धति से सिंचाई किये जाने की जो घोषणा की गई है, उसे इ.गा.न.प. के प्रथम चरण व द्वितीय चरण में व चम्बल माही, सोम कमला व सोम कागदर में लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर):</u>

63. विधान सभा क्षेत्र आहोर में जवाई कमाण्ड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री खेमाराम (सुजानगढ़):</u>

64. राज्य की नदियों एवं बड़े बांधों को आपस में जोड़ने के लिए वृहद् योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. अन्तर्राज्यीय जल समझौते के अनुसार राज्य के हिस्से का पर्याप्त पानी लेने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. तहसील पूगल जिला बीकानेर में 682 हैड पर क्षतिग्रस्त खालों की मरम्मत कराने एवं नहरी मुरब्बों को खालों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रामचन्द्र (डग):</u>

67. विधान सभा क्षेत्र डग में घाटी लघु सिंचाई परियोजना के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):</u>

68. अलवर के ग्राम श्योदानपुरा में सिंचाई विभाग की नहर पर अतिक्रमण कर निर्माण कर अवैध होटल का संचालन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):</u>

69. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई में सिंचाई विभाग का एक नवीन सहायक अभियन्ता कार्यालय स्थापित कर स्थानीय ग्रामीणों एवं किसानों को सिंचाई विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से अधिकाधिक लाभान्वित कराने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जोगाराम पटेल (लूणी):</u>

70. विधान सभा क्षेत्र लूणी की जोजरी नदी एवं लूणी नदी में अवैध रूप से फैक्ट्रियों का जहरीला कैमिकलयुक्त पानी डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री जोगाराम पटेल)

71. विधान सभा क्षेत्र लूणी के क्षतिग्रस्त नालों, एनीकटों, पुलों एवं नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. सुरपुरा बांध क्षेत्र का पानी फीडर द्वारा कड़वड़ बनाड़ होते हुए जोजरी नदी में डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पालड़ी फीडर पर आटिया नाला भोमिया जी के थान के पास पुल का निर्माण एवं ग्राम गोलासनी में महादेव मंदिर से गोटातला बेरा होते हुए पिपड़ला बेरा तक नाला निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. साबरमती से जैसलमेर तक बनने वाली लिंक कैनाल का अब तक हुए सर्वे व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं इसमें विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर के जुड़ने वाले क्षेत्र के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग):

75. विधान सभा क्षेत्र डग के उपखण्ड गंगधार में सिंचाई हेतु पानी रोकने के स्त्रोत की रिपोर्ट तैयार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह (गंगापुर):

76. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में मोती सागर बांध की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

77. राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में भूगर्भ में मौजूद सरस्वती नदी की खोज एवं अन्वेषण कर सिंचाई के लिए विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. बायतु गिडा व सिणधरी पंचायत समितियों को नर्मदा नहर परियोजना से सिंचाई के लिए जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. नहरी क्षेत्र में किसानों को पूरा नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों का स्थाई ठहराव, नहरी क्षेत्र के संबंधित ऑफिस एवं कॉलोनियों में भी करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश चौधरी)

81. इंदिरा गांधी नहर परियोजनान्तर्गत जैसलमेर जिले की सभी नहरों में नहरी पानी के असमान वितरण को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री कंवर लाल (मनोहरथाना):</u>

82. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के झालावाड़ में टूटे हुए तालाब एवं एनीकटों के पुन: निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. छापी सिंचाई परियोजना की दायीं एवं बायीं जर्जर नहर को ठीक कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. मनोहरथाना एवं अकलेरा में छोटे-छोटे तालाब एवं एनीकट बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):</u>

85. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम भावता भावती ग्राम पंचायत के एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कोलवा, सोडाला, बासडा, ढंड एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजीव कुमार (भादरा):</u>

87. विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना एवं अमरसिंह सब ब्रांच क्षेत्र में बकाया पक्के खालों के शीघ्र निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र भादरा की अमरसिंह सिंचाई सिस्टम एवं सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के बुरी तरह क्षतिग्रस्त गेटों के स्थान पर नए गेट लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र भादरा की अमरसिंह सब ब्रांच से निर्धारित मात्रा से कम पानी लेने वाले विभिन्न मोगों (आउटलेट्स) को शीघ्र दुरूस्त करवाकर किसानों को उनके हक का पूरा पानी दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सिंचाई से वंचित चौदह गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री संजीव कुमार)

91. हनुमानगढ़ जिले की सिद्धमुख सिंचाई परियोजना एवं अमरसिंह सब ब्रांच सिस्टम में हरियाणा से अपने हक का पूरा पानी दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हीरालाल (निवाई):</u>

92. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरड़ी सागर में व टोरड़ी सागर से मांसी डेम में कच्चे धोरों के माध्यम से डालकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (भीम):</u>

93. मुख्य मंत्री घोषणा के अंतर्गत छापलीनाल पर 100 मीटर ऊंचा एनीकट बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. निरझर बांध के नीचे ग्राम पंचायत कालेसरिया के ग्रामों में नहर बनाकर किसानों की कृषि भूमि को सिंचाई व्यवस्था से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र भीम को कांकरोद, कालाभाटा, लसानी दाता का देव के अधूरे पड़े एनीकट को तत्काल पूर्ण कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. वडियारेह तालाब एवं नहर की मरम्मत कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. भीम, बरारा, छापली, कालादेह, भौमादेह के तालाबों में से सिल्ट निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री तरुण राय कागा (चौहटन):</u>

98. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा शेष गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):</u>

99. जवाई बांध का कुछ पानी बरसात के समय नदी में छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

100. नागौर के मूंडवा व आस-पास की पंचायतों पर आई.जी.एन.पी. का पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र नागौर के प्रथम फेज में ढ़ाणियों को आई.जी.एन.पी. से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

102. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के भाखरड़ा बेल्ट में नवीन एनीकट निर्माण एवं लंबित पड़ी 3 डीपीआर की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. सिवाना के गुड़ा डायवर्जन बांध के दरवाजे की मरम्मत एवं तल में पड़ी बालू रेत (भराई क्षेत्र) को हटाकर गहराई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. सिवाना क्षेत्र में बरसाती पानी के संरक्षण हेतु बांध निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. बाड़मेर जिले के सबसे बड़े बांध मेली को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ने एवं नहर को आगे बढ़ाकर नर्मदा से सिंचाई हेतु पानी सिवाना बैल्ट में देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के बड़े-बड़े तालाबों को विभाग के अधीन लेकर पीने के पानी की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

107. सागवाड़ा में लोहरिया तालाब में पानी का ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में भीखा भाई नहर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के ग्रामों में सिंचाई की समस्या के संबंध पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की गलियाकोट ग्राम पंचायत के ग्रामों में सिंचाई की समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

111. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित जसवंत सागर की लूनी नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित एनीकट, तालाब, छोटे-मोटे बांध को उच्च न्यायालय के आदेशों से तोड़ने एवं हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. बिलाड़ा स्थित चौपड़ा फीडर के भीतरी हिस्से में शहर की तरफ के Embankment पर बाढ़ बचाव हेतु पिचिंग कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित जसवंत सागर बांध की क्षतिगस्त नहरों की मरम्मत एवं नहरों पर बनी क्षतिग्रस्त पुलियाओं के पुन:निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बेनण ग्राम में क्षतिग्रस्त एनीकट एवं बोरूंदा बांध की शीघ्र मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बीसलपुर एवं जालीवाड़ा बांध एवं क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रानी सिलोटिया (बसेड़ी):

116. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में पार्वती नहर की मरम्मत एवं सीपेज के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर):

117. विधान सभा क्षेत्र नगर में रूपारेल का पानी नियमित रूप से अलवर से मिलने व अलवर ग्रामीण द्वारा गांवों में पानी को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. भरतपुर के जीएमसी से आने वाले सिंचाई के लिए पानी समझौते के अनुसार 1261 सी.एल. से कम मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

119. माही नदी का पानी नांगलिया डेम में व जाखम बांध का ओवरफ्लो पानी ग्रेविटी के रास्ते में पड़ने वाले पहाडों को सुरंग बनाकर सिरोली नदी के माध्यम से जयसमंद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. जयसमंद झील की पाल की मरम्मत कराकर सौन्दर्यीकरण कर पाल से जीएसएस को हटाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के डाया बांध, हरचन्द तालाब, केजड तालाब, थुरघांटी, सेमारी अम्बामाता, ओरवाडिया, इनसे निकलने वाली मुरक नहरों, माही नहर, धौरो का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. जयसमन्द सिंचाई परियोजना क्षेत्र में कई वर्ष पूर्व बनी नहरों के विस्तार, ऊंचाई बढाने एवं कच्ची नहरों को पक्का कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सिंचाई विभाग के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

124. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में पूर्व में प्रस्तावित मनसा माता डेम (मणकसास) को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

125. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के बूढादीत कस्बे में स्थित तालाब की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में क्षतिग्रस्त नहरों एवं एनीकटों की मरम्मत हेतु राशि जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सिंचाई के लिए लिफ्ट परियोजनाएं स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

128. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के वाघन बांध की नहरों का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्रतापगढ़ जिले में खैरियादो बांध के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्रतापगढ जिले के ग्राम पंचायत देवगढ़ में हथनी कुडी नाले पर एनीकट निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम पंचायत बड़बई पंचायत समिति डूगला जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित मामादेव एनीकट को बडा बनाकर बडवई तालाब के लिए आवनहर का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

132. राज्य में सिंचाई के साधनों में विदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. राज्य में इंदिरा गांधी नहर का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. राज्य में सिंचाई के साधनों की खरीद पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. कोटपूतली क्षेत्र में सिंचाई के लिए फतहपुरा-बुचारा पहाड़ी से बागोरी माता पहाडी के बीच 800 मीटर में बांध का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

136. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में मेवाडा लघु सिंचाई परियोजना की एलएमसी का विस्तार एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पणियाला वाला द्वारा बांध का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

138. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वागबोल का नाका बांध या WHS का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में ग्राम पंचायत पीपल्दा एवं भटवाड़ा के बीच सोमनदी पर WHS का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में गूंजल का नाका बांध का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

141. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में बुजा बांध (विराटनगर) के दरवाजे की मरम्मत न होने से पानी नहीं रूकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में निर्मित नहरों पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. जयपुर जिले में बुचारा बांध की पावटा शाखा की नहर की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में फव्वारा सिंचाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. प्रदेश में सोलर नलकूपों पर सब्सिडी बढाकर सभी इच्छुक किसानों को न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट):

146. जिला करौली की तहसील सपोटरा के कालीसिंध बांध को सुदृढ़ करने एवं उसकी नहरों की मरम्मत कर लाइनिंग किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. जिला अलवर की तहसील थानागाजी के ग्राम अजबगढ़ के बांध तले सिंचाई विभाग की जमीन पर विभाग की बिना एनओसी एवं भू-उपयोग परिवर्तन कराये, अमन बाग होटल बना दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. जिला दौसा की तहसील महुवा के हुडला बांध के रिनोवेशन के कार्य में हुई भारी अनियमितताएं एवं गबन घोटाले के संबंध में चर्चा के लिये।

(डॉ. किरोड़ी लाल)

149. जिला करौली की तहसील सपोटरा के कालीसिंध बांध में कैचमेंट एरिया में एक तालाब निर्माण कर बहाव को रोक दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. जिला दौसा की तहसील महुवा के ग्राम खोहरा मुल्ला में कन्स्ट्रक्शन ऑफ डायवर्जन एवं वाटर सप्लाई चैनल की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):</u>

151. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में नहर ओआरडी एवं टैल आरडी (अंतिम आरडी) पर भूतल टांका निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में किसानों को फव्वारा पद्धति से सिंचाई के लिये प्रति मुरब्बे में डिग्गी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर कमाण्ड क्षेत्र के कच्चे खालों को पक्का करने एवं पूर्व के बने खालों को कवरिंग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में नहरी क्षेत्र की अनकमाण्ड भूमि के संबंध में चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में नहरी क्षेत्र के चक आबादी में रहने वाले किसानों को मूलभूत योजनाओं का लाभ दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री भंवरसिंह (कोलायत):</u>

156. इंदिरा गांधी नहर परियोजन क्षेत्र की कोलायत, गजनेर व बांगड़सर लिफ्ट नहरों में सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर योजना का कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. इ.गा.न.प. क्षेत्र की डामर सड़कों का नवीनीकरण, सुदृढीकरण व चौड़ाईकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के किसानों को निर्धारित जलांक के अनुसार सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भंवरसिंह)

159. इ.गा.न.प. विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. इंदिरा गांधी नहर विभाग में सभी श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर):

161. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में बन रही चौ. कुम्भाराम लिफ्ट सिंचाई योजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

162. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ के एटा-सिंगरासर माइनर का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. प्रदेश में मुख्य नहर फीडर का जीर्णोद्धार/पुन:निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर व भाखड़ा नहर पर चल रहे निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

165. इंदिरा गांधी नहर की भाखड़ा नहर की पी.बी.एन. और एस.टी.सी. नहरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

166. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में प्रवाहित घग्घर नदी पर पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की कच्ची नहरों को पक्का करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

168. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के भुरा कुण्ड व वड़ली खेड़ा नालों पर तालाबों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैतान सिंह (पोकरण):

169. विधान सभा क्षेत्र पोकरण की नेता माइनर में शेष बचे किसानों को सीएडी में मिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखाराम (मेड़ता):

170. विधान सभा क्षेत्र मेडता के पुराने बांध एवं एनीकट की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली):

171. करौली जिले की पांचना बांध गुडला लिफ्ट परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

172. नागौर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के गांवों में स्वीकृत आई.जी.एन. परियोजनाओं के कार्य शीघ्र गुणवत्ता पूर्वक करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

174. नागौर जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत कार्यकारी कम्पनियों द्वारा पाइप डालते समय सड़कों को तोड़ने एवं सड़क के पास में पाइप डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के नागौर जिले में नहरी पानी से सिंचाई के लिये डीपीआर तैयार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

176. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सामेणटेक (देवास) बहादुरसागर तालाब प्रतापपुरा (प.स.मसूदा) व लोरड़ी बाघ व जालिया नारायणसागर बाघ की मोरियों की मरम्मत व पक्का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

177. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के रानी का वास बांध के टूटे ओवरफ्लो की समय पर मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. जालोर जिले में सिंचाई विभाग के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की 11 ग्राम पंचायतों को नर्मदा नहर की सिंचाई परियोजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नारायण सिंह देवल)

180. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वणधर बांध के टूटे ओवरफ्लो की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में दांतवाड़ा, तावीदर, आलड़ी, उचमत, पावली, चरपटीया, सावीदर में नये एनीकट स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खेरवाड़ा):

182. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के सिंचाई उपकरणों में कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के तालाबों एवं बांधों का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में गोदावारी बांध, दो नदी बांध, सोम कागदर बांध एवं घोड़ा खोज बांध की मुख्य नहरों एवं सहायक नहरों का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में बड़ा एनीकट एवं नाका निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के जलाशयों, तालाबों एवं बांध की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

187. विधान सभा क्षेत्र दौसा के जमवारामगढ़ नहर की माइनर नहर पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाकर सफाई करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. दौसा नगर परिषद क्षेत्र से गुजर रही नहर का स्वामित्व नगर परिषद को सौंपने के संबंध में चर्चा के लिये।

189. जमवारामगढ़ से दौसा आ रही नहर की सफाई एवं मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

190. विधान सभा क्षेत्र सोजत में रायपुर झीलमील बांध का कमाण्ड एरिया बढ़ाकर पूर्व की भांति बिराटीया कला के सिंचित बारानी भूमि में

(श्रीमती संजना आगरी)

काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

191. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में डिगोर बांध की नहरों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में गत बजट की घोषणा के अनुसार धारिया बांध की स्वीकृति जारी होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जोगड़वास बांध का अपूर्ण कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के चवडिया एनीकट की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के फुलाद बांध की कच्ची नहर को पक्का करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

196. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरडी सागर बांध में डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

197. विधान सभा क्षेत्र टोंक में बीसलपुर परियोजना की नहरों की मरम्मत हेतु पर्याप्त बजट राशि आवंटन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. टोंक जिले में स्थित मोतीसागर बांध, चाँखिया बांध और चन्दलाई बांध की नहरों की मरम्मत हेतु पर्याप्त बजट राशि आवंटन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र टोंक में स्थित चन्दलाई बांध की नहर को रिमोडलिंग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

200. बीसलपुर बांध की नहरों की मरम्मत का कार्य किसान सेवा समिति को नहीं देकर विभाग द्वारा स्वयं कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री अजीत सिंह)

201. बीसलपुर बांध का ओवरफ्लो पानी टोरड़ी सागर बांध में डालने एवं रतवाड़ा माइनर को नोन कमाण्ड क्षेत्र से कमाण्ड क्षेत्र में किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री पब्बाराम (फलौदी):</u>

202. गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली की नहरों से सिल्ट निकलवाने व आवश्यक मरम्मत तथा शेष रूके कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जम्भेश्वर लिफ्ट कैनाल के पम्पिंग स्टेशन 4 से 7 तक विद्‌युत लाइनों को पुन: लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

204. नेता वितरिका के किमी. 9.980 पर सी.डी. निर्माण एवं वितरिका के शेष सी.सी.ए. 5032 हैक्टेयर को सिंचाई हेतु खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

205. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पोकरण लिफ्ट (खण्ड-28) व जम्भेश्वर लिफ्ट (खण्ड-24) में बनी हुई नहरों के अन्दर सिंचाई के लिए निर्धारित पानी को छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. इंदिरा गांधी नहर के द्‌वितीय चरण में निर्मित लिफ्ट कैनाल के साथ-साथ निर्मित सड़क मार्ग की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):</u>

207. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का पानी खेतड़ी में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत बनने वाले पी.वी.सी. पोइन्ट के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):</u>

209. इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकालने वाली अनूपगढ़ शाखा पर निर्मित पुल, रावला, नाइयावाली, 2 एलएम का पुन: निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्रीमती शिमला बावरी)

210. अनूपगढ़ में डी.डी.माइनर, आरजेडी माइनर, केएनडी माइनर के बैड लेवल सही करने और सीसी निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):</u>

211. अलवर जिले को चंबल परियोजना से पानी लाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हीरालाल दरांगी (झाड़ौल):</u>

212. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न गांवों को मानसी वाकल-गोराणा तथा अकोदड़ा बांध से सिंचाई सुविधा हेतु पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न गांवों की सिंचाई समस्या का स्थायी समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न गांवों में क्षतिग्रस्त तालाबों व नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (टोडाभीम):</u>

215. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नाजीम वाला कुजेला, तालुका शहर, होलादेही, फतहसागर तेसगांव वाले बांधों का सुदृढ़ीकरण व नहरों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):</u>

216. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पदेवा एवं मण्डाना (कालोटा) में एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के बूरमा एवं डोगर नाले पर एनीकट निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):</u>

219. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सिंचाई विभाग के नरैना व आस-पास के क्षेत्रों में स्थित तालाबों के रख-रखाव व सौन्दर्यीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री निर्मल कुमावत)

220. जयपुर जिले के कालख बांध में हो रहे अवरोधों को हटाने तथा कालवाड़ कस्बे का सीवरेज पानी डाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ-रेनवाल स्थित मेंडा नदी से अतिक्रमण एवं अवरोध हटाकर नदी का संरक्षण व सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

222. जहाजपुर पंचायत समिति के हिन्धड़ा बिजेठा बांध को पंचायत समिति से सिंचाई विभाग में लेकर इसकी 8 फीट ऊंचाई बढाई जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

223. सीकर जिले में सिंचाई विभाग के क्षतिग्रस्त एनीकटों/बांधो की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. सीकर जिले में सिंचाई विभाग से एनीकटों/बांधों के भराव क्षेत्र में एकत्र गाद (सिल्ट) को बाहर निकालकर भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।